

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र
International Economics



अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र
International Economics

के० डी० स्वामी
अर्थशास्त्र विभाग,
जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज.)

111936




साइन्टिफिक पब्लिशर्स/जोधपुर
मान् भवन, रातानाडा रोड, जोधपुर-342 001

प्रकाशक :
साइन्टिफिक पब्लिशर्स
मान भवन, रातानाडा रोड,
जोधपुर-342 001

प्रथम संस्करण : सितम्बर, 1989

© के०डी० स्वामी

मुद्रक .
जितेन्द्र प्रिन्टर्स,
अवाहरखाना रोड,
जोधपुर-342 001 (राज)



The ideas of economists both when they are right and when they are wrong are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence are usually the slaves of some defunct economist. Mad men in authority who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back.

J M Keynes 1936

प्राथक्य

(Foreword)

श्री के० बी० स्वामी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय धर्मशास्त्र जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर लिखित सुबोध मन्त्रचरित्र की पाठ्य पुस्तक से पाठकों को अवगत कराते हुए मुझे सम्मान प्रसन्नता हा रही है।

पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों व नीति सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय धर्मशास्त्र जैसे जटिल विषय को श्री स्वामी ने सरल व बोधगम्य शैली में प्रस्तुत किया है वहीं उम्मीद विषय से सम्बन्धित उच्च कौटि की विषय सामग्री का भी संयोजन किया है।

भिन्न सिद्धान्त व अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु सम्पूर्ण पुस्तक में मूल लेखों एवं ग्रन्थों का उपयोग हान व विषय की अभिव्यक्ति सहज ही सम्बन्धित स्पष्ट एवं सुबोध बन रही है।


दृष्टांती नयी पुस्तक में धनक रूपान्ते पर विचार एवं अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु प्रयुक्त विषय एवं विषयों में लेखक की मौलिकता (originality) का स्पष्ट साधन मिलता है। उदाहरणार्थ, पृष्ठ १७ पर चित्र 4.1 में पृष्ठ 21१ पर चित्र १,३ जहाँ पाठकों के लिए सम्बन्धित सिद्धान्त व अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए धनिकार्थ सम्बन्धित है वहीं ये लेखक की मौलिकता के भी परिचायक है।

साथ ही पूरी पुस्तक में विषय से सम्बन्धित नवीनतम विस्तृत के समावेश में लेखक पूर्णतः सजग है, शोध-पत्रिकाओं (Journals) एवं नवीनतम पुस्तकों में सम्बन्धित इस बात के प्रमाण हैं।

यद्यपि सामान्य भाषा में अन्तर्राष्ट्रीय धर्मशास्त्र विषय पर उच्च स्तर व अनेक पुस्तकों उपलब्ध है पर साष्ट्रभाषा हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तकों व सर्वथा अभाव रहा है। श्री स्वामी ने इस अभाव की पूर्ति कर इस क्षेत्र अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के सक्षम अध्यापक श्री स्वामी पिछले दो दशकों से अपने विषय के अध्यापन कार्य से जुड़े रहे हैं। फलतः लेखक की जिज्ञासा व विषय की नवीनतम प्रवृत्तियों तक पहुँचने की गहरी सामर्थ्य ने ही प्रस्तुत पुस्तक का आकार ग्रहण किया है।

पुस्तक में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रॉफेसर्स, एम० ए० व एम० फिल० कक्षाओं के पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक विषय सामग्री का समावेश है। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए भी पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। साथ ही विषय के जिज्ञासु अध्यापकों की ज्ञान-वृद्धि में पुस्तक विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगी। आशा है विषय के अध्यापक व छात्र इससे पूर्ण लाभान्वित होंगे।



(डॉ० ए० सी० श्रीनिवास)

प्रोपेसर व अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग
जोधपुर विश्व विद्यालय,
जोधपुर (राज)

प्रस्तावना

(Preface)

'अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र' का प्रथम संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे हर्ष व सन्तोष का अनुभव हो रहा है।

प्रस्तुत पुस्तक भारतीय विश्वविद्यालयों को एम ए व बी ए ग्रॉनर्स कक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार लिखी गई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि एम फिल. व एम. कॉम छात्रों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थशास्त्र विषय के प्रत्याशियों के लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगी।

यद्यपि सम्प्रति हिन्दी भाषा में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर कई पुस्तकें उपलब्ध हैं। परन्तु इस विषय पर 'वस्तु विभेद' की दिशा में यह एक नवीन प्रयास है। प्रस्तुत पुस्तक विषय सामग्री व गुणवत्ता तथा प्रस्तुतीकरण तीनों ही दृष्टिकोणों से अपनी भलग पहचान रखती है।

कई ऐसे विषय हैं जिनकी हिन्दी माध्यम की इनर पुस्तकों में या तो चर्चा ही नहीं है अथवा इनका बहुत ही सामान्य स्तर का विवेचन उपलब्ध होता है वही उन विषयों का विस्तृत, यथार्थ व नवीनतम विवेचन प्रस्तुत पुस्तक की विशेषता है। जैसे-कल्याण भवधारक विज्ञान (immiserising growth) की भवधारणा, अनुकूलतम प्रशुल्क व अर्पण वक्र की स्रोच में परस्पर सम्बन्ध प्रशुल्क की प्रभावी दर की भवधारणा, प्रशुल्क व निरवताश में समानता (equivalence) व इनके प्रचालन में अन्तर, अन्तर्राष्ट्रीय मीट्रिक व्यवस्था में हाल ही के सुधार, विदेशी ऋण सिकट के 'विस्फोटक' होने के कारण व ऋण सिकट में फसे राष्ट्रों के समझ विकल्प, नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO), दक्षिण-दक्षिण सहयोग आदि। इसके अलावा अकटाड-VII, एलेक्जेंडर समिति, टडन समिति तथा आर्बिद हुसैन समिति की निफारिशों व भारत की दोनो त्रिवर्षीय व्यापार नीतियों की भी पुस्तक में विस्तृत चर्चा की गई है।

इसी प्रकार प्रस्तुत पुस्तक गुणवत्ता के दृष्टिकोण से भी अन्य पाठ्य-पुस्तकों से भिन्न है। पुस्तक में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के विद्वानों की कृतियों व शोध पत्रों में बिखरे हुए विचारों व भवधारणाओं को सजित व बोधमय रूप

मे प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। विचार विन्दुओं की मौलिकता बनाये रखने हेतु स्थान-स्थान पर विद्वानों व उनकी कृतियों का मदमं पृष्ठ सहित दिया गया है। हैबरचर-ओलीन सिद्धान्त, 'मैजलर का विरोधाभास' (Metzler's Paradox), अन्वयमूल्यन के भिन्न विश्लेषणों की पारस्परिक पूरकता, क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त, स्थिर व लचीली विनिमय दरें आदि पर एकलित उच्चकोटि की सामग्री व उमरा विश्लेषण पुस्तक की गुणवत्ता को पुष्ट करत है।

चित्र तो अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र (व सम्पूर्ण अर्थशास्त्र) के प्राण हैं। अतः प्रस्तुत पुस्तक में चित्र प्रचुर मात्रा में दिये गये हैं और प्रत्येक चित्र की प्रासंगिकता इंगित करते हुए उसे विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया गया है। साथ ही किसी भी ज्यामितीय उपकरण को अनुप्रयुक्त करने से पूर्व उसकी मूलभूत समझ स्पष्ट करने का भी विशेष ध्यान रखा गया है।

क्लिष्ट विषयों की सरलतम एवं सुबोध प्रस्तुति पुस्तक की प्रमुख विशेषता है। अद्योपान्त इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि विषय की बोध गम्यता के साथ-साथ विषय सामग्री इस स्तर की बनी रहे कि पुस्तक को हृदयगम करने के पश्चात् पठक को विषय की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में छपे लेखों व उच्चस्तरीय पुस्तकों को समझने में विशेष बाधा न हो।

पुस्तक लिखने में मेरे गुरु व अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डा ए सी एशिश की प्रेरणा व प्रोत्साहन के लिए मैं उनका विशेष आभारी हूँ।

विद्युत् नई बपों में मुझे अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के चार महान् विद्वानों के साथ विषय पर विचार विमर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनमें से सर्वाधिक प्रेरणा मुझे डा. बी आर पचमुखी (निदेशक, आर. आई. एस, नई दिल्ली) व डा. बी एम चिन्ने (निदेशक गोखले इन्स्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एण्ड इकॉनॉमिक्स, पूणे) से मिली, इन दोनों विद्वानों से विषय की क्लिष्ट अवधारणाओं को समझने में मिले पर्याप्त दिशा निर्देश हेतु मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। दो विद्वानों विद्वान प्रो. सी पी फिन्टलबर्गर व प्रो. एम. ई. क्रेनिन (M.E. Kresinin) की कृतियों व इनके साथ हुए पत्र व्यवहार के माध्यम से मुझे विषय के स्पष्टीकरण में मदद मिली है। अतः मैं इन दोनों विद्वानों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं मेरे सभी गुरुजनों, सहयोगियों व विद्यार्थियों के प्रति भी आभारी हूँ, उनसे समय-समय पर किये गये परामर्श व चर्चा से विषय को विस्तार मिला है।

मेरी पत्नी श्रीमति विमला स्वामी व पुत्री कु रेणु ने पुस्तक तैयार करने में काफी परिश्रम किया है जिससे यह कार्य सम्पूर्ण हो पाया।

श्री पवनकुमार साइण्टिफिक पब्लिशर्स जोधपुर, ने जिस उत्साह व तत्परता से पुस्तक प्रकाशन किया है उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

पुस्तक में सुधार हेतु पाठकों के सुझाव आमंत्रित हैं।

के० डी० स्वामी

18-सूर्य कॉलोनि

पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास,

जोधपुर - 342 001

1 सितम्बर, 1989

प्रावकथन
(Foreword)

प्रस्तावना
(Preface)

विषय-सूची

अध्याय

1. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति/1
(The Nature of International Economics)
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में क्या शामिल किया जाता है ?/1
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री/2
अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में अन्तर/3
साधन वित्तशोभता की श्रेणी में भिन्नताएँ/4
मौद्रिक भिन्नताएँ/6
राष्ट्रीय नीतियों में भिन्नताएँ/7
बाजारों की प्रकृति में भिन्नताएँ/8
राजनीतिक द्वाहियों की भिन्नताएँ/9
भुगतान संतुलन में समायोजन की भिन्नताएँ/9
अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में समानताएँ/10
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं/13
अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पृथक विषय के रूप में अध्ययन/15
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धान्त . पूर्ति पक्ष/19
(The Pure Theory of International Trade-Supply side)
विशुद्ध सिद्धान्त का तात्पर्य/19
एडम स्मिथ का लागतों में निरपेक्ष अन्तर का सिद्धान्त/20
डेविड रिवाडों का तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त/23
रिकाडों के सिद्धान्त की मान्यताएँ/24
सक्यात्मक उदाहरण/25
व्यापार की शर्तों की सीमाएँ एवं व्यापार से लाभ/27
रिकाडों के सिद्धान्त की प्रालोचनाएँ/29

हेबरलर का अवसर लागत सिद्धान्त/31

स्थिर अवसर लागतें/33

स्थिर लागतों की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार/35

परिवर्तनशील अवसर लागतें/38

बढ़ती हुई लागतों में व्यापारपूर्व साम्य/39

बढ़ती हुई लागतों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार/43

आंशिक विशिष्टीकरण/44

घटती हुई लागतों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार/46

रिकाडों के सिद्धान्त पर प्रो० सेम्पुग्रलसन का टिप्पणी/51

रिकाडों के मॉडल पर प्रो० भगवती की टिप्पणी/51

दो से अधिक राष्ट्र व रिकाडों का सिद्धान्त/54

दो से अधिक वस्तुएँ व रिकाडों का सिद्धान्त/54

परिशिष्ट-A .

उत्पादन फलन, बॉक्स चित्र व उत्पादन सम्भावना वक्र/58

(Production Function, Box-diagram and Production Possibility Curve)

3 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धान्त माँग तथा पूर्ति पक्ष/65

(The Pure Theory of International Trade . Demand and supply side)

मिल का प्रतिपूरक माँग का सिद्धान्त/65

मिल के सिद्धान्त का ज्यामितीय प्रस्तुतीकरण प्रतिपूरक माँग वक्र अथवा अर्पण वक्र/68

अर्पण वक्र की आकृति/71

अर्पण वक्र तथा सामान्य माँग व पूर्ति वक्र/72

अर्पण वक्र की लोच/73

A राष्ट्र का अर्पण वक्र/81

अर्पण वक्र चित्र द्वारा मिल के प्रतिपूरक माँग सिद्धान्त का स्पष्टीकरण/82

घर्पण वक्र विश्लेषण पर प्रो० ब्राह्म की टिप्पणी/84
समुदाय उदासीन वक्र/86

परिशिष्ट—B

घर्पण वक्र की व्युत्पत्ति/87

(Derivation of an offer curve)

4 हैक्शर-ओलीन प्रमेय—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त/93

(Heckscher-Ohlin Theorem—Modern Theory of International Trade)

भौतिक परिभाषा व कीमत परिभाषा/94

हैक्शर-ओलीन सिद्धान्त की भौतिक परिभाषा/95

हैक्शर-ओलीन प्रमेय की कीमत परिभाषा/99

हैक्शर-ओलीन मॉडल के ढाँचे में व्यापाररत राष्ट्रों का साम्य/101

हैक्शर-ओलीन सिद्धान्त की आलोचनाएँ/103

हैक्शर-ओलीन तथा रिकार्डों के सिद्धान्तों में मँग की भूमिका/104

हैक्शर-ओलीन तथा रिकार्डों की प्रमेयों की तुलना/108

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य सिद्धान्त/110

परिशिष्ट—C

रिकार्डों के सिद्धान्त व हैक्शर-ओलीन सिद्धान्त की आनुभविक जाँच/113
(Empirical Investigation of the Ricardian theory and the H O theory)

5 साधन कीमत समानिकरण एवं अन्य सम्बन्धित प्रमेय/122
(The Factor Price Equalization and other related Theorems)

प्रमेय से तात्पर्य/122

प्रमेय की मान्यताएँ/123

प्रमेय का निरूपण/124

प्रमेय के सत्यापन की वैकल्पिक विधि/130

वास्तविक जगत में साधन-कीमत समानिकरण क्यों नहीं ?/132

रिवांजिन्मकी प्रमेय/135

स्टॉलपर-सेम्युअलमन प्रमेय/137

परिजिष्ट—D

रेखीय समरूप उत्पादन फलन/142

(Linearly Homogeneous Production Function)

6 व्यापार की शर्तों/146

(Terms of Trade)

व्यापार की शर्तों की अवधारणा/146

व्यापार की शर्तों के निर्धारक घटक/153

व्यापारिक नीति में परिवर्तन/153

विनिमय दर में परिवर्तन/156

एकपक्षीय हस्तान्तरण भुगतान/159

चक्रीय उच्चावचन/160

व्यापार की शर्तों व आयिक विकास/160

विकामोन्मुख राष्ट्रों की व्यापार की शर्तों/165

कल्याण अवकारक विकास/166

(Immiserizing Growth)

व्यापार की शर्तों का महत्त्व/168

7. परिवहन लागतें व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार/169

(Transport Costs and International Trade)

प्रस्तावना/169

परिवहन लागतों का व्यापार पर प्रभाव/170

आर्थिक साम्य व परिवहन लागतें/171

परिवहन लागतों की भेदात्मक प्रवृत्ति/175

8. प्रशुल्क/178

(The Tariff)

प्रस्तावना/178

प्रशुल्क के प्रभाव/178

अनुकूलतम प्रशुल्क/186

- अनुकूलतम प्रशुल्क व अर्पण वक्र की लोच/188
 घरेलू मूल्य अनुपात प्रभाव (मेजलर विरोधाभास)/195
 प्रशुल्क प्रणाली की संरचना/202
 प्रशुल्क की प्रभावी दर/202
 प्रभावी दर से अभिप्राय/202
 प्रभावीदर की गणना का सूत्र/204
 प्रभावीदर की अवधारणा का महत्त्व/207
 प्रभावीदर के पीछे निहित मान्यताओं का मूल्यांकन/208
 प्रशुल्क का सामान्य साम्य विश्लेषण/209

9. आयात नियताश/213

(Import Quotas)

- नियताश के विभिन्न चर्चे/213
 आयात नियताश के प्रभाव/214
 नियताश का उद्गम/216
 प्रशुल्क व नियताश के प्रचालन में अन्तर/217

10. स्वतंत्र व्यापार बनाम संरक्षण/226

(Free Trade versus Protection)

- स्वतंत्र व्यापार इष्टतम नीति/226
 द्वितीय सर्वोत्तम का सिद्धान्त/233
 संरक्षण के पक्ष में तर्क/235
 संरक्षण के लिए शर्त तर्क/236
 शिशु उद्योग तर्क/236
 व्यापार की शर्तों में सुधार/239
 घरेलू बाजार में विकृतियाँ/241
 राशिपातन को रोकने का तर्क/241
 राशिपातन का अर्थ/242
 राशिपातन के लिए आवश्यक शर्तें/243
 राशिपातन के विभिन्न रूप/243
 राशिपातन के प्रभाव/245

- सौदेबाजी का तर्क/248
राष्ट्रीय सुरक्षा तर्क/248
प्रश्नात्मक तर्क/250
रोजगार तर्क/250
भुगतान सन्तुलन तर्क/252
मिथ्या तर्क/252
दिवानिये भ्रम का तर्क/253
घरेलू बाजार के विस्तार का तर्क/253
बैज्ञानिक प्रशुल्क/254
देश की मुद्रा को देश में रखने का तर्क/254

11. चु गी सघ का सिद्धान्त/256

(The Theory of Customs Union)

प्रस्तावना/256

स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, चु गी सघ, साझा बाजार, आर्थिक समुदाय व
आर्थिक एकीकरण/257

चु गी सघ के स्थैतिक प्रभाव/258

प्रतियोगी व पूरक अर्थव्यवस्थाएँ/262

सामान्य साम्य विश्लेषण/264

चु गी सघ के गत्यात्मक प्रभाव/270

यूरोपीय आर्थिक समुदाय/272

यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार सघ/275

12. भुगतान सन्तुलन/277

(Balance of Payments)

अर्थ/277

व्यापार सन्तुलन, चालू खाते का सन्तुलन एवं भुगतान सन्तुलन/283

चालू खाते के सन्तुलन व भुगतान सन्तुलन में आपसी सम्बन्ध/284

व्यापार सन्तुलन व पूँजी खाते का सन्तुलन/285

भुगतान सन्तुलन में साम्य तथा असाम्य/286

पूँजी के स्वायत्त तथा समायोजक प्रवाह/287

- 13 अवमूल्यन के सिद्धान्त/292
 (Theories of Devaluation)
 अवमूल्यन से अभिप्राय/292
 अवमूल्यन के विश्लेषण/296
 लाच विश्लेषण/296
 अवशोषण विश्लेषण/302
 मौद्रिक विश्लेषण/307
 तीनों विश्लेषण एक दूसरे के पूरक/308

परिशिष्ट—E

- अवमूल्यन की माशत-तनर शर्त की व्युत्पत्ति/312
- 14 व्यापाररत अर्थव्यवस्था में साम्य राष्ट्रीय आय निर्धारण/318
 (Determination of the Equilibrium National Income in
 an open Economy)
 प्रस्तावना/318
 विदेशी व्यापार गुणक विश्लेषण की साम्यताएँ/318
 निर्विदेश व्यापार अर्थव्यवस्था में साम्य राष्ट्रीय आय निर्धारण/319
 निर्विदेश व्यापार अर्थव्यवस्था में गुणक/325
 व्यापाररत अर्थव्यवस्था में साम्य आय निर्धारण/327
 विदेशी व्यापार गुणक/333
 विदेशी प्रतिक्षेप/335
 राष्ट्रीय आय में समायोजन व भुगतान सन्तुलन/339
- 15 भुगतान सन्तुलन में असाम्य दूर करने से संबंधित सिद्धान्तों का
 विकास/342
 (Development of the theories Correcting Disequilibrium
 in the Balance of Payments)
 प्रस्तावना/342
 असाम्य में सुधार की स्वचालित प्रक्रिया/342
 भुगतान सन्तुलन का प्राधुनिक सिद्धान्त/347

वर्तमान सिद्धान्त मौद्रिक घटको की भूमिका/348

ग्रान्तरिक व बाह्य सन्तुलन/349

नीति क्षेत्र/352

ग्रान्तरिक व बाह्य सन्तुलन में द्वन्द्व/356

भूगतान सन्तुलन में श्रद्ध-समायोजन की रीतियाँ/364

विनिमय नियन्त्रण का अर्थ/365

विनिमय नियन्त्रण के उद्देश्य/366

विनिमय नियन्त्रण की रीतियाँ/368

विनिमय नियन्त्रण की अप्रत्यक्ष रीतियाँ/377

विनिमय नियन्त्रण का मूल्यांकन/378

भूगतान सन्तुलन का प्रवर्धित सिद्धान्त घरेलू वस्तुओं की भूमिका/379

दो अन्तराल मॉडल/380

16 विनिमय दर निर्धारण के सिद्धान्त एब स्थिर व लचीली विनिमय दर प्रणाली/382

(Theories of Exchange rate determination and Fixed versus Flexible Exchange Rates)

विनिमय दर से अभिप्राय/382

वर्तमान के अन्तर्गत विनिमय दर निर्धारण : टकसाली, समता सिद्धान्त/384

ऋय शक्ति समता सिद्धान्त/388

सिद्धान्त का उद्गम/388

सिद्धान्त का निरपेक्ष व सापेक्ष रूप/389

सिद्धान्त की केंसल द्वारा स्वीकृत सीमाएँ/491

लागत समता/392

ऋय शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचनाएँ/394

सिद्धान्त की अवशिष्ट अनुप्रयुक्तता/399

स्थिर व लचीली विनिमय दरें/401

स्थिर विनिमय दर प्रणाली/401

• 'पैग्ड' विनिमय दर प्रणाली की कमियाँ/402

सचोती विनिमय दर प्रणाली/405

सचोती विनिमय दर प्रणाली अन्तर्गत से ल'म/406

सचोती विनिमय दर प्रणाली के विवरण में ल'म/409

17 अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/415

(International Monetary Fund)

कोष क उद्देश्य/415

कोष के अर्थ/416

कोष क साधनों का उपयोग/418

कोष एवं समता मूल्या/420

वैश्विक व्यापार की पुन'स्थापना व विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त/422

कोष एवं स्वतंत्रता/426

कोष द्वारा संचालित विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयोगी कुछ अन्य विनिष्ट साधन मुद्रियाँ/427

अतिपूर्ति विन मुद्रिया (CFF)/427

प्रतिरोधक सम्भारण विन मुद्रिया (BSFF)/428

साधन निधानों की व्यवस्था (Stand-by Arrangements)/429

तेल मुद्रिया (Oil Facility)/429

विस्तारित कोष मुद्रिया (EFF)/430

पूरक वित्त मुद्रिया (SFF)/430

सुरवनात्मक समायोजन मुद्रिया (SAF)/430

बहु-हृद सुरवनात्मक समायोजन मुद्रिया (ESAF)/432

तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण /433

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में हानि हों के परिद्वर्तन/434

ब्रेटनवुड्स व्यवस्था के टूट जाने के कारण/435

बॉस की समिति (C-20) द्वारा प्रस्तावित सुधार/437

स्वर्ण की मूद्रिका समाप्त/438

विदेय माहुरण अधिकार (SDRs)/439

प्रणाली की कार्यविधि/440

SDRs के उपयोग/442

SDRs का मूल्यांकन/444

- वर्तमान विनिमय दर प्रणाली/447
 मुद्रा कोष की सीमाएँ/450
18. विश्व बैंक व इससे सम्बद्ध संस्थाएँ/452
 (World Bank and its Affiliates)
 अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक अथवा विश्व बैंक/452
 विश्व बैंक के उद्देश्य/45
 सदस्यता/453
 बैंक की पूँजी/453
 विश्व बैंक का संगठन/454
 विश्व बैंक के कार्यक्रम व उनकी प्रगति/455
 बैंक की ऋण क्रियाएँ/455
 आर्थिक विकास संस्थान/458
 आर्थिक अनुसन्धान व अध्ययन/460
 कृषि अनुसन्धान में सहयोग/461
 तकनीकी सहायता/ 63
 आलोचन एँ/463
 अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ/464
 स्थापना व उद्देश्य/464
 संघ की वित्त व्यवस्था व सहायता प्रावटन/465
 संघ द्वारा प्रदत्त सहायता व परिषोजनाएँ/466
 संघ द्वारा प्रदत्त सहायता की साक्ष्यता/469
 अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम/471
 स्थापना/471
 वित्त निगम की भूमिका/472
 वित्त निगम की पूँजी में वृद्धि व निगम की प्रगति/473
 भारत व विश्व बैंक समूह/474
19. अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या/477
 (Problem of International Liquidity)
 प्रावटन/477
 अन्तर्राष्ट्रीय तरलता से अभिप्राय/478

- अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की मात्रा/480
- अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की माँग/482
- अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की मात्रा व बनावट से सम्बद्ध कुछ प्राकड़े/483
- भारक्षित निधि की पूर्ति/487
- भारक्षित निधि की पर्याप्तता/488
- भारक्षित निधि की बनावट/489
- भारक्षित निधि का वितरण/490
- अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में सुधार हेतु प्रस्ताव/492
- स्वर्ण मूल्य में वृद्धि (हरॉड योजना—1953)/492
- केम्ब्रिज योजना व ट्रिफिन योजना/493
- स्टाम्प योजना—1958/495
- जोलोटा, बर्नस्टीन एंड जेकब्सन प्रस्ताव/496
- मोल्डिंग योजना/497
- रुसा योजना/498

20. विदेशी सहायता व ऋण सेवा भार/501 (Foreign Aid and Debt Service Burden)

- विदेशी सहायता की अवधारणा/501
- विदेशी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य/502
- विदेशी सहायता की आवश्यकता की गणना की विधि/504
- विदेशी सहायता से सम्बद्ध विचार वस्तु/505
- ऋण बनाम अनुदान/506
- बहुपक्षीय बनाम द्वि-पक्षीय सहायता/507
- पी एल. 480 के अन्तर्गत प्रदत्त खाद्यान्न सहायता की कार्य कुशलता/508
- बन्धनयुक्त एवं कार्यक्रम बनाम परियोजना सहायता/509
- एक प्रतिशत सहायता का लक्ष्य/510
- विदेशी सहायता नीति में अकुशलताएँ/511
- विदेशी ऋण-सेवा भार की समस्या/515
- ऋण सफट के विस्फोटक रूप धारण करने के कारण/516
- कर्जों के जाल में उल्लूक राष्ट्र के समक्ष विकल्प/519
- भारतवर्ष की विदेशी ऋण समस्या/520

21. विकासशील राष्ट्रों की व्यापार समस्याएँ, व्यापार समझौते, सम्मेलन, आर्थिक व्यवस्था व सहयोग/525

(Trade Problems of Developing Countries, Trade Agreements, Conferences, Economic order and CO-operation)

घायात प्रतिस्थापन द्वारा उद्योगीकरण/525

निर्यात स्थिरता/528

प्राथमिक वस्तुओं के माँग व पूर्ति वक्र बेलोचदार व स्थिर क्यों ? /529

निर्यात स्थिरता के प्रभाव व इसका माप/530

अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु कीमत स्थिरीकरण व वस्तु समझौते/532

विकासशील राष्ट्रों की विनियम दर नीतियाँ/535

विकासशील राष्ट्रों का निजी विदेशी विनियोग के प्रति रवैया/536

प्रशुल्क व व्यापार का सामान्य समझौता (गैट)/538

गैट की वर्तमान अवस्था/540

सन् 1962 का व्यापार विस्तार अधिनियम, केनेडी दौर व टोकियो दौर/542

व्यापार और विनाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन-अक्टोब/544

अक्टोब के उद्देश्य अथवा कार्य/545

अक्टोब का प्रमुख कार्यक्षेत्र/546

अक्टोब सम्मेलन/547

अक्टोब का प्रथम सम्मेलन/547

अक्टोब का द्वितीय सम्मेलन/549

अक्टोब का तृतीय सम्मेलन/551

अक्टोब का चतुर्थ सम्मेलन/552

अक्टोब का पंचम सम्मेलन/554

अक्टोब का छठा सम्मेलन/555

अक्टोब का सातम सम्मेलन/557

मून्हावन/563

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था/566

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है ? /566

- अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की मात्रा/480
- अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की माँग/482
- अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की मात्रा व बनावट से सम्बद्ध कुछ माप/483
- आग्निज निधि की पूर्ति/487
- आरक्षित निधि की पर्याप्तता/488
- आरक्षित निधि की बनावट/489
- आरक्षित निधि का अन्तर/490
- अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में मुद्रार हेतु प्रस्ताव/492
- स्वयं मूल्य में वृद्धि (हर्षाद योजना—1953)/492
- केन्द्रीय योजना व द्वितीय योजना/493
- स्टाम्प योजना—1958/495
- जोतोटा, बर्नस्टीन एवं जेकमन प्रस्ताव/496
- मोन्डिंग योजना/497
- रक्षा योजना/498

20. विदेशी सहायता व ऋण सेवा भार/501 (Foreign Aid and Debt Service Burden)

- विदेशी सहायता की अवधारणा/501
- विदेशी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य/502
- विदेशी सहायता की आवश्यकता की मरणा की विधि/504
- विदेशी सहायता से सम्बद्ध विचार वस्तु/505
- ऋण बनाम अनुदान/506
- बहुपक्षीय बनाम द्वि-पक्षीय सहायता/507
- पी एल. 480 के अन्तर्गत प्रदत्त खाद्यान्न सहायता की कार्य कुशलता/508
- बन्धनयुक्त एवं कार्यक्रम बनाम परियोजना सहायता/509
- एक प्रतिशत सहायता का लक्ष्य/510
- विदेशी सहायता नीति में अकुशलताएँ/511
- विदेशी ऋण-सेवा भार की समस्या/515
- ऋण सबट के विस्फोटक रूप धारण करने के कारण/516
- बर्जों के जाल में उल्टा राष्ट्र के समस्त विकल्प/519
- भारतवर्ष की विदेशी ऋण समस्या/520

21 विकासशील राष्ट्रों की व्यापार समस्याएँ, व्यापार सम्मेलने, सम्मेलन, आर्थिक व्यवस्था व सहयोग/525

(Trade Problems of Developing Countries, Trade Agreements, Conferences, Economic order and CO-operation)

आयात प्रतिस्थापन द्वारा उद्योगीकरण/525

निर्यात अस्थिरता/528

प्राथमिक वस्तुओं के माँग व पूर्ति वक्र बेलोचदार व अस्थिर क्यों ?/529

निर्यात अस्थिरता के प्रभाव व इसका माप/530

अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु कीमत स्थिरीकरण व वस्तु सम्मेलने/532

विकासशील राष्ट्रों की द्विन्मय दर नीतियाँ/535

विकासशील राष्ट्रों का निजी विदेशी विनियोग के प्रति रुबैया/536

प्रशुक्ल व व्यापार का सामान्य सम्मेलना (गैट)/538

गैट की वर्तमान अवस्था/540

सन् 1962 का व्यापार विस्तार अधिनियम, केनेडी दौर व टोकियो दौर/542

व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन-अक्टोड/544

अक्टोड के उद्देश्य अथवा कार्य/545

अक्टोड का प्रमुख कार्यक्षेत्र/546

अक्टोड सम्मेलन/547

अक्टोड का प्रथम सम्मेलन/547

अक्टोड का द्वितीय सम्मेलन/549

अक्टोड का तृतीय सम्मेलन/551

अक्टोड का चतुर्थ सम्मेलन/552

अक्टोड का पंचम सम्मेलन/554

अक्टोड का छठा सम्मेलन/555

अक्टोड का सप्तम सम्मेलन/557

मूल्यांकन/563

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था/566

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है ?/566

दक्षिण-दक्षिण सहयोग/571

प्रस्तावना/571

'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' की विचार वस्तु/573

22 भारत का विदेशी व्यापार व भुगतान सन्तुलन एवं इनसे सम्बद्ध
नीतियाँ/578

(India's Foreign Trade BOP and Trade Policies)

भूमिका/578

भारतीय ग्रहण-प्रवस्था में विदेशी व्यापार की भूमिका/579

भारत का व्यापार सन्तुलन/580

भारत के निर्यात/582

निर्यातों की बनावट/584

भारत के आयात/585

भारत के आयातों की बनावट/585

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा/587

भारतवर्ष का भुगतान सन्तुलन/589

भुगतान सन्तुलन की प्रवृत्तियाँ/589

भारतवर्ष की विदेशी व्यापार नीति/593

एलेक्जेंडर समिति की सिफारिशें/596

टडन समिति की सिफारिशें/597

ग्राविड हुसैन समिति की सिफारिशें/598

प्रथम त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति (1985-88)/599

नई नीति की प्रमुख बातें/600

द्वितीय त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति (1988-91)/602

द्वितीय त्रिवर्षीय नीति की प्रमुख बातें/603

त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति का मूल्यांकन/604

राज्य व्यापार निगम/606

राज्य व्यापार निगम की प्रगति/606

राज्य व्यापार निगम की सीमाएँ/609

भारत में विनिमय नियन्त्रण/610

विनिमय नियन्त्रण के अधीन आने वाले सौदे/611

भारत में विनिमय नियन्त्रण का संचालन/612

- दक्षिण-दक्षिण सहयोग/571
प्रस्तावना/571
'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' की विचार वस्तु/573
- 22 भारत का विदेशी व्यापार व भुगतान सन्तुलन एव इनसे सम्बद्ध नीतियाँ/578
(India's Foreign Trade BOP and Trade Policies)
भूमिका/578
भारतीय भ्रष्टाचारस्थिति में विदेशी व्यापार की भूमिका/579
भारत का व्यापार सन्तुलन/580
भारत के निर्यात/582
निर्यातों की बनावट/584
भारत के आयात/585
भारत के आयातों की बनावट/585
भारत के विदेशी व्यापार की दिशा/587
भारतवर्ष का भुगतान सन्तुलन/589
भुगतान सन्तुलन की प्रवृत्तियाँ/589
भारतवर्ष की विदेशी व्यापार नीति/593
एलेक्जेंडर डर समिति की सिफारिशें/596
टडन समिति की सिफारिशें/597
माबिद हुसैन समिति की सिफारिशें/598
प्रथम त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति (1985-88)/599
नई नीति की प्रमुख बातें/600
द्वितीय त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति (1988-91)/602
द्वितीय त्रिवर्षीय नीति की प्रमुख बातें/603
त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति का मूल्यांकन/604
राज्य व्यापार निगम/606
राज्य व्यापार निगम की प्रगति/606
राज्य व्यापार निगम की सीमाएँ/609
भारत में विनिमय नियन्त्रण/610
विनिमय नियन्त्रण के अद्यतन घाने वाले सौदे/611
भारत में विनिमय नियन्त्रण का संचालन/612

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रकृति (The Nature of International Economics)

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में क्या शामिल किया जाता है ?

(What International Economics is about)

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, घरेलू व्यापार एक ही राष्ट्र के नागरिकों के मध्य का व्यापार है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक राष्ट्रों के नागरिकों के मध्य का व्यापार है। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम एक ही अर्थव्यवस्था की क्रियाविधि के स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के अन्त सम्बन्धों का अध्ययन करते हैं।

प्रो० हार्रॉड (Harrod) के अनुसार "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का सम्बन्ध उन समस्त आर्थिक सौदों से है जिनमें राष्ट्रीय सीमा की समस्या प्रस्तुत होती है, उदाहरणार्थ प्रवास, एक राष्ट्र के नागरिकों द्वारा दूसरे राष्ट्र के नागरिकों को ऋण देना अथवा वस्तुओं का क्रय-विक्रय करना आदि।"¹

किलॉफ (Killough) ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के नागरिकों के मध्य के व्यापारिक सौदों एवं ऐसे सौदों से उत्पन्न व्यापारिक नीति से सम्बन्धित (Considerations of Commercial diplomacy) विचार करने से सम्बद्ध है।"²

अतः स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य का व्यापार है एवं अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य के आर्थिक सम्बन्धों का अध्ययन करते हैं।

1 Harrod, R —International Economics, p 4

2 Killough, H B —International Trade, p 3

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री (The Subject matter of International Economics)

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएँ हैं —

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, तथा
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक अर्थशास्त्र ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन का प्रमुख केन्द्र बिन्दु वस्तुओं व साधनों के चलन है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक अर्थशास्त्र का केन्द्र बिन्दु अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों का मौद्रिक पहलू है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हम व्यापार के विशुद्ध सिद्धान्त एवं व्यापार नीति के सिद्धान्तों का अध्ययन करते हैं । व्यापार का विशुद्ध सिद्धान्त व्यापार के आधार व इसमें प्राप्त लाभों से सम्बद्ध है । व्यापार के विशुद्ध सिद्धान्त एवं व्यापार नीति के सिद्धान्तों को हम अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के दृष्टि पहलू का प्रतिनिधित्व करता हुआ मान सकते हैं ।

दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक अर्थशास्त्र में हम भुगतान सन्तुलन व इसके समायोजन का अध्ययन करते हैं । भुगतान सन्तुलन में राष्ट्र विशेष की अन्य राष्ट्रों से कुल लेनदारियों (inpayments) व देनदारियों (outpayments) को सम्मिलित किया जाता है, तथा इसके समायोजन में हम भिन्न-भिन्न मौद्रिक प्रणालियों के अन्तर्गत भुगतान सन्तुलन में समायोजन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं । भुगतान सन्तुलन व इसका समायोजन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के समष्टि पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

प्रो० क्रुगेर (Krueger) ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के "दोनों उपक्षेत्रों (Sub-fields) में पीछे निहित विश्लेषणात्मक ढाँचा विद्यमान है जो कि अनुप्रयुक्त अनुसंधान का आधार है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सिद्धान्त का केन्द्रीय ढाँचा (Central body) विद्यमान है जिसकी सहायता से अधिकांश अनुप्रयुक्त प्रश्नों का विश्लेषण किया जा सकता है । इसके विपरीत अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक अर्थशास्त्र का 'सिद्धान्त' विद्यमान नहीं है हालाँकि सिद्धान्तों के कई सम्बद्ध ढाँचे विद्यमान हैं, इनमें से प्रत्येक कुछ निश्चित विस्तार सीमा वाले प्रश्नों पर ही विचार करने के लिये उपयोगी है ।"

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक अर्थशास्त्र के दोनों ही उपक्षेत्रों में यथार्थमूलक (positive) व आदर्शमूलक (normative) दोनों प्रकार के प्रश्न उठते हैं ।

3 Krueger, Anne O — Balance of Payments Theory — J of Economic Literature — March, 1969, pp 1-26.

प्रथम उपक्षेत्र में विदेशी व्यापार में कितने वस्तुओं का आयात-निर्वात होगा ? प्रशुल्क का साधन-कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? आदि यथार्थमूलक प्रश्न शामिल किये जाते हैं । जबकि इस उपक्षेत्र के आदर्शमूलक प्रश्नों में, क्या स्वतंत्र व्यापार से विश्व आर्थिक अधिकतम होगी ? राष्ट्र विशेष के सम्बन्ध में, क्या प्रशुल्क स्वतंत्र व्यापार से उत्तम है ? आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है ।

इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक अर्थशास्त्र के सिद्धान्त में मूलभूत यथार्थमूलक व आदर्शमूलक प्रश्न यह हैं कि अर्थ आर्थिक उद्देश्यों से समत रहते हुए राष्ट्रों द्वारा बजट प्रतिबन्ध (budget constraints) बनाये रखने हेतु अपनायी जाने वाली वैकल्पिक प्रक्रियाओं के क्या आशय (implications) हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में अन्तर

(Distinction between International and domestic trade)

सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में अन्तर उत्पादन के कारकों— श्रम, भूमि, पूँजी आदि—के व्यवहार में भिन्नता के आधार पर किया जाता है । कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्रीय सरकारों के हस्तक्षेप के कारण घरेलू व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भिन्न हो जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को दूरी की महत्ता के आधार पर भी घरेलू व्यापार से भिन्न माना जाता है । वास्तविकता तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में मात्र श्रेणी (degree) का अन्तर है, प्रकार (kind) का नहीं ।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में मौलिक अन्तर मानते थे, जबकि स्वीडन के विख्यात आधुनिक अर्थशास्त्री बर्टिल ओलीन* (Bertil Ohlin) ने अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्देशीय व्यापार में भारी समानता दर्शायी है । अब हम इन दोनों परस्पर भिन्न विचारों का अध्ययन करेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्देशीय (अथवा घरेलू) व्यापार में भिन्नताएँ स्पष्ट करने हेतु विश्लेषण को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित किया जा सकता है .—

- (1) साधन गतिशीलता की श्रेणी में भिन्नताएँ
(Varying degrees of factor mobility)
- (2) मौद्रिक भिन्नताएँ
(Monetary variations)

*Ohlin का सही उच्चारण 'ओलीन' (O'Lean) है ।

- (3) राष्ट्रीय नीतियों की भिन्नताएँ
(Different National Policies)
- (4) बाजार की प्रकृति की भिन्नताएँ
(Differences in the nature of markets)
- (5) राजनीतिक इकाइयों की भिन्नताएँ तथा
(Politically different units)
- (6) भुगतान सतुलन के समायोजन की भिन्नताएँ ।
(Differences in the Bop adjustment)

उपर्युक्त षटकों पर विस्तृत चर्चा अग्रलिखित है ।

1. साधन गतिशीलता की क्षेणी में भिन्नताएँ (Varying degrees of factor mobility)

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार राष्ट्र विशेष के भीतर उत्पादन के साधन उत्पादन की परस्पर जिन शाखाओं अथवा भिन्न क्षेत्रों में पूर्ण रूप से गतिशील होने हैं जबकि राष्ट्रा के मध्य साधन अगतिशीलता लगभग पूर्ण अथवा पर्याप्त सीमा तक पायी जाती है ।

राष्ट्र के भीतर साधन गतिशीलता का महत्त्व यह है कि राष्ट्र में साधन प्रतिफल समान होने की प्रवृत्ति पायी जाती है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में साधन गतिशीलता के अभाव में पूर्ण समायोजन (अर्थात् भिन्न राष्ट्रों में साधन विशेष का प्रतिफल समान होना) स्थापित नहीं हो पाता है ।

वास्तव में देखा जाए तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के माप-दण्ड के रूप में साधन अगतिशीलता को प्रति महज (quite naively) दृग् से स्वीकार कर लिया था, तथा अपन तर्कों का आधार साधन गतिशीलता को बनाते हुए उन्होंने इसके चुनाव की रीतिविधान के आधार (methodological grounds) पर न्यायोचित ठहराने का प्रयास नहीं किया और इस प्रकार स्वयं को समय-मय पर, विशेष रूप से हाल ही के वर्षों में, उठाये गये विरोधों के समझ ला खडा किया । साधन गतिशीलता से सम्बन्धित प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचार की एक स्पष्ट आलोचना यह है कि साधन गतिशीलता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में मात्र श्रेणी (degree) का अन्तर है ।

प्रो० विलियम्स (Williams) एवं प्रो० ओलिन (Ohlin) का विचार है कि एक ओर तो राष्ट्र के भीतर उत्पादन के साधन पूर्णरूप से गतिशील नहीं होते हैं तथा दूसरी

घोर राष्ट्रों की सीमाओं के पार कई बार विशाल एवं वास्तव में बड़ी मात्रा में साधन गतिशीलता पायी जाती है।

एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में साधन गतिशीलता में अनेक रुकावटें आती हैं। उदाहरणार्थ—राष्ट्रों के बीच श्रम की गतिशीलता में रुकावट डालने वाले निम्न पाँच मुख्य घटक हैं—व्यावसायिक दक्षताएँ एवं सघ (Associations), पारिवारिक बंधन, रीतिरिवाज, भाषा तथा प्रतिबंधक आवास विधान। इन रुकावटों में से प्रथम तीन अर्थात् व्यावसायिक दक्षताएँ एवं सघ, पारिवारिक बंधन एवं रीतिरिवाज अपेक्षाकृत अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार की रुकावटों को ध्यान में रखते हुए एडम स्मिथ (Adam Smith) ने विचार व्यक्त किया था कि, "मनुष्य का परिवहन सर्वाधिक कठिन है।"⁴

इसी प्रकार भिन्न राष्ट्रों के मध्य पूँजी की गतिशीलता भी अनेक कारणों से प्रभावित होती है, इन कारणों पर प्रकाश डालते हुए प्रो० हेबरलर (Habeler) ने इंगित किया है कि 'पूँजी की अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता परिवहन लागतों के कारण नहीं बरन् पूर्णतया भिन्न किस्म की बाधाओं के कारण अवरुद्ध होती है। ये बाधाएँ वैधानिक निवारण, राजनीतिक अनिश्चितता, विदेशी राष्ट्र में भारी विनियोग की सम्भावनाओं की अज्ञानता, बैंकिंग प्रणाली की अपूर्णताएँ, विदेशी मुद्राओं की अस्थिरता तथा विदेशों का अविश्वास आदि हैं।'⁵

सामान्यतया यह तर्क दिया जाता है कि राष्ट्र के भीतर भी वास्तविक पूँजी को एक उत्पादन क्रिया से दूसरी उत्पादन क्रिया में सहज ही स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है (विशेषकर स्थिर पूँजी जैसे भवन, मशीन आदि को) और यह भी तर्क दिया जाता है कि कई बार एक ही राष्ट्र के एक भाग से दूसरे भाग में पूँजी स्थानान्तरित करने की लागत इसे अन्य राष्ट्र में स्थानान्तरित करने की लागत से बहुत अधिक होती है। लेकिन यह तर्क असम्बद्ध (irrelevant) है क्योंकि यह केवल ऐसी विशिष्ट (specific) पूँजीगत वस्तुओं का उल्लेख करता है जो कि पहले से विद्यमान है।

पूँजी सिद्धान्त के लिए पूर्ण गतिशीलता का मापदण्ड व्याज दरों की समानता है। यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूँजीगत वस्तुओं को स्थानान्तरित करने की

4 Quoted in Ohlin—'Interregional and International Trade'—(Rev ed) Harvard Univ Press, Cambridge, Massachusetts, 1967, p 208

* Man is of all sorts of luggage the most difficult to be transported"—Smith

5 Habeler, G V—The Theory of International Trade—(London : Macmillan Co Ltd , 1937), Chap 1, p 56

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यदि सब राष्ट्रों ने स्वयंमान अपना रखा है तब भी विनिमय माध्यम भिन्न-भिन्न होंगे। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में रुपया सर्वत्र स्वीकार्य विनिमय माध्यम है लेकिन यदि भारतीय व्यापारी किसी दूसरे राष्ट्र से व्यापार करता है तो उस राष्ट्र की मुद्रा व भारतीय रुपये की आपसी विनिमय दर इस सौदे के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ा कर सकती है। अर्थात् किसी अन्य राष्ट्र से आयात करने हेतु भारतीय रुपये को उस राष्ट्र की मुद्रा में परिवर्तित करवाना आवश्यक होता है।

यदि समस्त राष्ट्रों ने स्वयंमान अपना रखा है, विनिमय दर स्थिर है व भिन्न मुद्राओं के मध्य पूर्ण परिवर्तनशीलता की स्थिति है तो भिन्न राष्ट्रों में भिन्न मुद्राओं के प्रचलन से अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्देशीय व्यापार पर इस घटक का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आधुनिक विश्व में अधिकांश राष्ट्रों ने प्रतिबन्धित मुद्रामान अपना रखा है अतः स्वयंमान की स्थिति की तुलना में विनिमय दरों में बहुत अधिक उर्चावचन आते रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि भिन्न राष्ट्रीय मुद्राएँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएँ प्रस्तुत करती हैं। आशय यह है कि भिन्न राष्ट्रीय मौद्रिक इकाइयों की उपस्थिति प्रमुख बाधक घटक नहीं है अपितु प्रमुख बाधक घटक तो भिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों की सम्भावनाएँ हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को घरेलू व्यापार की तुलना में अधिक जटिल व जोखिमपूर्ण बना देती हैं।

अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल मौद्रिक विनिमय सौदों की गणना और उनके निष्पादन में इस प्रकार की लागतें व जोखिम उत्पन्न होते हैं जो कि प्रायः घरेलू व्यापार में नहीं पायी जाती हैं। प्रायिक संकटों में जब सरकारें मौद्रिक मूल्य-ह्रास के विभिन्न तरीकों को काम में लाती हैं तो विदेशी विनिमय के सौदों की जोखिम और भी बढ़ जाती है।

भिन्न राष्ट्रों में विकास की भिन्न अवस्थाओं के कारण, तथा उनके निर्यातों की पूर्ति व आयातों की माँग को प्रभावित करने वाले भिन्न अनुभवों के कारण वे विदेशी विनिमय से सम्बन्धित भिन्न नीतियाँ अपनाते हैं। प्रो० किन्डलबर्गर के अनुसार, "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अन्तरिक व्यापार से भिन्न करने में नीतियों का यह अन्तर भिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं के अस्तित्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।"⁶

3. राष्ट्रीय नीतियों में भिन्नताएँ

(Different National Policies)

• सामान्यतया एक ही राष्ट्र में स्थित आर्थिक इकाइयों पर समान दर से

करारोपण किया जाता है, वे एक ही पूँजी बाजार से वित्त प्राप्त करती हैं तथा संचार परिवहन एवं सूचना जैसी एक जैसी सुविधाओं की समान व्यवस्थापना (infra-structure) का उपयोग करती हैं। इस प्रकार एक ही राष्ट्र में स्थापित विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का सम्पूर्ण आर्थिक वातावरण भिन्न राष्ट्रों की तुलना में वही अधिक समरूप होता है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि एक ही राष्ट्र के भिन्न क्षेत्रों में वस्तु की दरें स्थानीय कानून व अन्य नियमनों में भिन्नता नहीं पायी जाती है। सामान्यतया राष्ट्र विशेष में वैधानिक नियमन व प्रक्रियाएँ वैधानिक परिपाटियों (codes) एवं दर्शना की समान (common) नींव पर आधारित होने हैं। ये वैधानिक परिपाटियाँ व दर्शन राष्ट्र विशेष में भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले राष्ट्रों में पूर्णतया भिन्न हो सकते हैं। मजदूरी, कौमता, प्रतियोगिता, विनियोग व व्यापारिक नियमनों से सम्बन्धित घरेलू नीतियाँ राष्ट्रों के लिए विन्तु भिन्न होती हैं जिसे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सीदों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करने हेतु प्रयुक्त, विनियम नियन्त्रण एवं शैर-प्रशुल्क प्रतिबन्ध जैसे उपायों का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप घरेलू बाजार के व्यापारों की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारों को भारी वैधानिक जिम्मेदारियाँ वहन करनी पड़ती हैं एवं अनेक प्रकार की वैधानिक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।

अत स्पष्ट है कि भिन्न राष्ट्रीय नीतियों का अस्तित्व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को घरेलू व्यापार से भिन्न बना देता है।

4 बाजारों की प्रकृति में भिन्नताएँ (Differences in the nature of markets)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक एसी बाधाएँ आती हैं जो कि घरेलू व्यापार में सामान्यतया नहीं पायी जाती, वे बाधाएँ भाषा, व्यापारिक रीतिरिवाज, परम्परा, नापतौल, ऋय-विक्रय की शर्तों, लक्ष क्षेत्र की परिपाटियों आदि में भिन्नताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। घरेलू व्यापार की तुलना में विदेशी व्यापार में माल एवं समाचार भेजने में समय एवं व्यय अधिक लगता है।

इकीनियरा व डिजाइनरों को प्रशिक्षण मशीनों व औजारों के राष्ट्रीय प्रारूप का ध्यान में रखने हुए दिया जाता है तथा उनके प्रशिक्षण में राष्ट्रीय विशेषताएँ विद्यमान रहती हैं। एक ही राष्ट्र के भिन्न बाजारों में भी वस्तुओं की बनावट में भिन्नता पायी जाती है लेकिन ये भिन्नताएँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की भिन्नताओं से कम होती हैं।

बाजारों में इन भिन्नताओं का महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि एक बड़ी फर्म जो किसी विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति भिन्न राष्ट्रों के बाजारों में विक्री हेतु

कर रही है वह उस वस्तु का मानकीकरण (standardization) व पैमाने के प्रतिफल व विक्रय के लाभ उस सीमा तक प्राप्त नहीं कर सकती जिस तक बि एच ही किस्म का उतना ही उत्पादन बड़े राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए उत्पादित करने वाली फर्म प्राप्त कर सकती है।

बाजारों की भिन्नता के प्रभाव को प्रो० किन्डलबर्गर (Kindleberger) ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है 'अध्यात-निर्यात व्यापार को भिन्न शब्दों में वर्णित, भिन्न मापों को प्रयोग में लाने वाली भिन्न घटौं व भिन्न मुद्राघो में क्रय-विश्रय होने वाली भिन्न वस्तुघो से अलग होने हेतु घरेलू व्यापार की संस्कृति से बाहर आना पड़ता है।'⁷

5 राजनीतिक इकाईयों की भिन्नताएँ

(Politically different units)

एक राष्ट्र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक इकाई होती है। यद्यपि राष्ट्र विशेष के भिन्न क्षेत्रों में सामाजिक व राजनीतिक वातावरण में भिन्नताएँ विद्यमान रहती हैं लेकिन फिर भी भिन्न राष्ट्रों की तुलना में एक ही राष्ट्र में राजनीतिक व सामाजिक वातावरण अधिक समान होता है। राष्ट्र के नागरिकों के लिए भिन्न प्रान्तों में रहते हुए भी राष्ट्रियता की भावना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है। राष्ट्रिय समूहों का यह संसजन (cohesion) रुचिदा व रीतिरिवाजों के राष्ट्रिय अन्तरो को समझने में सहायक है। राष्ट्रिय सरकारों के लिए विश्व नागरिकों के हित की तुलना में राष्ट्रिय नागरिकों का हित अधिक महत्त्वपूर्ण होता है।

अतः आन्तरिक व्यापार एक ही समूह के सदस्यों के मध्य का व्यापार होता है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भिन्न संसजन वाली इकाईयों के मध्य का व्यापार है। फ्रेडरिक लिस्ट (Friedrich List) ने इस अन्तर को निम्न शब्दों में व्यक्त किया था, "घरेलू व्यापार हमारा आपसी व्यापार है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे और उनके (विदेशियों के) मध्य व्यापार है।"⁸

6 भुगतान संतुलन में समायोजन की भिन्नताएँ

(Differences in the Bop adjustment)

प्रो० किन्डलबर्गर के अनुसार "अन्तर्देशीय व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्तर का सर्वाधिक उलझन भग पहलू (puzzling aspect) यह है कि क्षेत्रों को व्यवहार में

7 Kindleberger, C P —op cit p 6

8 Quoted in Kindleberger, Ibid p 7

"Domestic trade is among us international trade is between us and them"

कभी भी भुगतान का समस्या का मामला नहीं करना पड़ता है जबकि विशेषकर हान ही के वर्षों में राष्ट्र निरन्तर भुगतान सतुलन के साम्य से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं।⁹

इसका प्राथमिक कारण तो मौद्रिक नीतियाँ हैं लेकिन प्राथमिक रूप से ऐसा पूँजा की राष्ट्र के भीतर, भिन्न राष्ट्रों के मध्य की तुलना में, अधिक गतिशीलता के कारण भी है। राष्ट्र के समस्त प्रान्तों की प्राथमिक रूप से वित्त व्यवस्था केन्द्रीय बजट के माध्यम से होती है अतः अन्तर्देशीय व्यापार में भुगतान सतुलन की समस्या गम्भीर रूप धारण नहीं कर पाती है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के विश्व बजट व उसमें से राष्ट्रों के घाटों को पूरा करने की कोई पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान सतुलन व इससे सम्बन्धित समस्याओं के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का मौद्रिक भाग भुगतान सतुलन की समस्याओं के इर्द-गिर्द ही केन्द्रित रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्देशीय व्यापार में उपर्युक्त अन्तरों को यदि गहराई से देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि इस तरह के अन्तर राष्ट्रों के भिन्न प्रान्तों में भी पाये जाते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि ये अन्तर अन्तर्देशीय व्यापार में कम महत्त्वपूर्ण व कम श्रेणी के होते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्देशीय व्यापार के अन्तर को स्पष्ट रूप में समझने हेतु हमें विश्लेषण की गहराई तक पहुँचना आवश्यक होता है।

विश्लेषण को प्रायः बढ़ाने से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्देशीय व्यापार में समानताओं को स्पष्ट करना उचित होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में समानताएँ

(Similarities between International and domestic trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में समानताओं को समझने हेतु विश्लेषण को विभिन्न शीपको में विभाजित करना उपयुक्त होगा।

1 अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्देशीय व्यापार दोनों का ही आधार अथम विभाजन है

(Division of labour is basis of both species of trade)

एक ही राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य भी व्यापार का आधार लागतों के अन्तर होने हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार भी तुलनात्मक लागतों के अन्तर है। लेकिन प्राथमिक तो यह है कि घरेलू व्यापार का विश्लेषण करते समय हम तुलनात्मक लागतों के बारे में मौन रहते हैं जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य

आधार तुलनात्मक लागतो में अन्तर को ही मानने हैं। इस प्रकार की स्थिति देखकर प्रो० ओलीन आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि घरेलू व्यापार में हमें तुलनात्मक लागतो के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। उन्हीं के शब्दों में "जब प्रतिष्ठित मूल्य का अम-सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रपञ्च (Phenomenon) में अनुप्रयुक्त किया जाता है तो तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त—आश्चर्य है कि जिसके बारे में हमें घरेलू व्यापार के विशेषण में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता—तुरन्त हल (deus ex machina) के रूप में प्रस्तावित कर दिया जाता है।"¹⁰

वास्तविकता तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार दोनों का ही आधार लागतो के अन्तर होते हैं।

2. दोनों ही प्रकार के व्यापार में सम्बन्धित पक्षों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय होता है

(All trade is an interchange of goods and services)

घरेलू व्यापार व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में ही सम्बन्धित पक्ष व्यक्ति अथवा सरकारें होती हैं एवं वस्तुओं अथवा सेवाओं का विनिमय होता है। मुद्रा तो मात्र माध्यम होता है। मार्शल (Marshall) के शब्दों में "समस्त व्यापार—राष्ट्रों के मध्य ही अथवा व्यक्तियों के मध्य—वस्तुओं का अदल-बदल (Interchange) होता है तथा प्रत्येक पक्ष जो कुछ त्यागने को तैयार होता है वह इसे क्रय करने का साधन होता है।"¹¹

अत स्पष्ट है कि अन्य समस्त आर्थिक क्रियाओं की भाँति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी क्रय-विक्रय व अन्य क्रियाएँ करने वाला सम्बन्धित पक्ष व्यक्ति होता है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार दोनों का ही सम्बन्ध दूरी की समस्या से है

(Both are concerned with problem of overcoming space)

कुछ अर्थशास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को घरेलू व्यापार से अलग करने वाला प्रमुख घटक दूरी (space) को मानते हैं, उदाहरणार्थ, सिजविक (Sidgwick) के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशिष्ट सिद्धान्त की आवश्यकता साधनों की अपूर्ण गतिशीलता के कारण नहीं है अपितु दूरी के कारण है, वे लिखते हैं कि "दूरी अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय को अधिक महंगा बना देती है।"¹²

लेकिन सिजविक के इस विन्दु के सदर्थ में इस तथ्य को ध्यान में रखना

10 Ohlin, B — op cit, p 33.

11 Marshall, A — Money credit and Commerce, p 160.

12 Quoted in Ohlin, B op cit p 97.

आवश्यक है कि बहुत सी बार घरेलू व्यापार भी दूरी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से कम बँहगा नहीं होता है। बहुतसी बार प्रान्तों के मध्य दूरी राष्ट्रों के मध्य की दूरी से बहुत अधिक हो सकती है, उदाहरणार्थ, लाहौर व अमृतसर के मध्य बहुत कम दूरी होते भी इनके मध्य का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है जबकि अमृतसर व मद्रास एक राष्ट्र के भिन्न प्रान्तों में विद्यमान है फिर भी इनके मध्य कई गुणा अधिक दूरी है। लेकिन फिर भी सिजविक का विचार इस तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्रियों ने व्यापार में निहित परिवहन लागतों पर कम ध्यान केन्द्रित किया है। वास्तविकता तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्देशीय दोनों ही व्यापारों में दूरी की समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

प्रो० ओलीन ने अन्तर्देशीय व्यापार में दूरी के महत्व को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, "..... परिवहन लागतें अन्तर्देशीय व्यापार में न केवल बाधक ही होती हैं बल्कि इसकी दिशा व कुछ सीमा तक इसके प्रभाव को भी परिवर्तित कर देती हैं"।¹³

4 अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में साम्य निर्धारक शर्तें समान हैं
(Conditions determining equilibrium are the same for both species of trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-सिद्धान्त सामान्य आर्थिक सिद्धान्तों की विशिष्ट अनुप्रयुक्ति है। दोनों तरह के व्यापार में सामान्य साम्य निर्धारित करने वाली शर्तें समान ही हैं। एजवर्थ (Edgeworth) के अनुसार, "व्यापार में दोनों ही वर्गों (Species) (घरेलू व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार) के लिए साम्य निर्धारण करने वाली सामान्य शर्तें समान हैं, अन्तर केवल यह है कि घरेलू व्यापार में एक अथवा दो समीकरण अधिक होती हैं।"¹⁴

5 दोनों प्रकार के व्यापार का समान आधार
(Same basis for both species of trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार समान सिद्धान्तों पर आधारित है, उदाहरणार्थ, दोनों ही प्रकार के व्यापार का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम लाभ होता है तथा दोनों ही प्रकार के व्यापार में अधिक पूँति वाले स्थानों से कम पूँति वाले स्थानों की ओर वस्तुओं का चलन होता है। इनो प्रकार दोनों ही प्रकार के व्यापार में स्वेच्छिक आर्थिक सीढ़े

13. Ohlin B—op cit p 114

14. Quoted in Haberler—op cit p. 8 (foot note) from Edgeworth's—"The Pure Theory of International values."

होने हैं। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त व घरेलू व्यापार सिद्धान्त भी पृथक् नहीं हैं।

6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं (No Need for Separate Theory of International Trade)

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता पर बल दिया व अपने तर्क का आधार साधन गतिशीलता को बनाया। वे यह मानते थे कि राष्ट्र के भीतर तो उत्पादन के साधन पूर्णरूप से गतिशील होने हैं लेकिन राष्ट्रों के मध्य अगतिशील होते हैं अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वही सिद्धान्त अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता जो कि एक ही राष्ट्र के भिन्न क्षेत्रों के सदस्य में अनुप्रयुक्त किया जाता है।

वास्तव में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अपने तर्क का रीतिविधान के आधार पर औचित्य ठहराने का प्रयत्न नहीं किया था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त आवश्यक इसलिए समझा कि वे एक तरह की दुविधा (dilemma) से घिरे हुए थे, यह दुविधा इस प्रकार थी चूंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने साधन गतिशीलता के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को अन्तर्देशीय व्यापार से भिन्न दर्शाने का प्रयत्न किया था अतः उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की वकालत करना आवश्यक हो गया था। साधन गतिशीलता में भिन्नता के कारण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को घरेलू व्यापार से भिन्न माना था अतः उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता का औचित्य ठहराने का भी प्रयत्न किया।

वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है। नोबल पुरस्कार विजेता स्वीडन के अर्थशास्त्री बर्टिल ओलीन (Bertil Ohlin) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Interregional and International Trade' में यह साबित किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है। ओलीन के ही शब्दों में "चूंकि राष्ट्र समस्त क्षेत्रों में से निश्चय ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हैं अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त अन्तर्देशीय व्यापार की प्रमुख अनुप्रवृत्ति है।"¹⁵

अर्थशास्त्र के विश्लेषण में 'समय' तत्त्व तथा 'दूरी' तत्त्व सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होने हैं। इनमें से समय तत्त्व का तो अर्थशास्त्रियों ने अपने विश्लेषण में समावेश किया है लेकिन दूरी तत्त्व की प्रारम्भ में तो पूर्ण उपेक्षा की गयी थी—नेवल लगान सिद्धान्त में

दूरी तत्त्व का जिक्र था-और बाद में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्त में दूरी तत्त्व को केवल विशिष्ट दृष्टिकोण से शामिल किया गया था। वास्तव में कीमत का सामान्य सिद्धान्त लगभग पूर्णरूप से एक बाजार सिद्धान्त ही है जिस में दूरी (Space) अर्थात् भिन्न स्थानीय बाजारों के विचार का कहीं जिक्र नहीं है। यह सिद्धान्त (कीमत का सामान्य सिद्धान्त) समस्त उत्पादन साधनों के लिए, सिवाय प्राकृतिक साधनों के, केवल एक स्थानीय बाजार के अस्तित्व की मान्यता पर आधारित है। समस्या के आधारभूत घावड़े के रूप में इन साधनों की कुल पूर्ति को लिया जाता है न कि इनके दूरी के आधार पर वितरण को। अतः अधिकांश रचनाओं में उद्योग की अवस्थिति (Location) की समस्या का उदय कभी नहीं हो पाता है। प्रो० ओलीन के अनुसार "भौगोलिक कीमत अन्तरो अर्थात् उद्योग की अवस्थिति को स्पष्ट करने हेतु एक-बाजार सिद्धान्त को निश्चय ही अधि-ढाँचे (Superstructure) की आवश्यकता है। एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त अकेला अपर्याप्त है, क्योंकि अवस्थिति राष्ट्रों के भीतर कीमत निर्धारण (pricing) से भी सम्बद्ध है।"¹⁶

अतः कीमत सिद्धान्त को ज्यादा-कम अनिष्ट सम्बन्ध वाले अनेक स्थानीय बाजारों को शामिल करने हेतु विस्तृत किया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय व अन्तर्देशीय व्यापार सिद्धान्त का उद्देश्य इस प्रकार का विस्तार करना है अतः यह सिद्धान्त स्वयं भी कीमत सिद्धान्त का अभिन्न अंग है तथा एक-बाजार विश्लेषण द्वारा रखी गयी नींव पर निर्मित है। प्रो० ओलीन का मत है कि 'व्यापार चाहे राष्ट्रों के मध्य हो अथवा प्रान्तों के, इसका सर्वाधिक सही चित्रण उत्पादक कारकों के अनेक बाजारों के अस्तित्व का समावेश करने वाली कीमत की परस्पर-अन्यान्योभित प्रणाली के विश्लेषण द्वारा ही किया जा सकता है।'¹⁷

अतः प्रो० ओलीन इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धान्त घरेलू व्यापार के सिद्धान्त से पृथक् नहीं है, उन्हीं के शब्दों में, "अतः महत्वपूर्ण अन्तर घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों में नहीं है अपितु एक-बाजार व बहु-बाजार कीमत सिद्धान्तों में है।"¹⁸

16 Ohlin, B —Op cit p 2

17 Ohlin, B Op cit, p 63 —The most exact description of trade—whether between countries or regions is obtained by analysing a mutual inter-dependence system of pricing, which takes account of the existence of several markets for the productive factors"

18 Ohlin, B —Op cit p 97.—"The important distinction is therefore, not between domestic and international trade theories but between a one market and many market theory of pricing".

के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र विषय के प्रमुख भाग के रूप में स्थापित हो गया। इतना ही नहीं विदेशी व्यापार के अकेले अर्थशास्त्र में आनुभाविक अन्वेषण के प्रथम स्रोत रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र को ऐसी विशिष्ट व जटिल समस्याएँ हैं जिनका विश्व परिस्थितियों के सशर्त में अध्ययन आवश्यक है। इतना ही नहीं, इन समस्याओं की प्रवृत्ति समय-समय पर बदलती भी रहती है। उदाहरणार्थ, तीसा की मन्दी में प्रमुख समस्या बेरोजगारी की थी तथा इसका अन्तर्राष्ट्रीय पहलू यह था कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बेरोजगारी का निर्यात कैसे रोका जाय। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् चालीस के दशक में यूरोप व सद्दूर पूर्व का पुनर्निर्माण प्रमुख समस्या थी। उन्नीसों साठ व सत्तर के दशकों में विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे थे, उदाहरणार्थ, यूरोप के राष्ट्रों का एकीकरण, आर्थिक विकास हेतु सहायता, यूरो-डालर बाजार, अमेरिका के भूगतान सतुलन के घाटे आदि। वर्तमान में 1980 के दशक में त्रिनिमय दर प्रणाली के चुनाव की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है।

वास्तव में यदि हम राष्ट्रीय प्रभुसत्ता पर ध्यान केन्द्रित करें तो अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार में किस्म (Kind) का अन्तर माना जा सकता है और मात्र इसी आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के पृथक् विषय के रूप में अध्ययन का औचित्य ठहराया जा सकता है। राष्ट्र न केवल एक राजनीतिक इकाई ही होता है अपितु इसकी अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएँ होती हैं जिनके कारण यह विश्व के अन्य राष्ट्रों से भिन्न होता है। राष्ट्र के भीतर राष्ट्रों के मध्य की तुलना में साधन गतिशीलता बहुत अधिक पायी जाती है, आयात वस्तुओं पर प्रशुल्क व अन्य कर लगाये जाते हैं, भिन्न राष्ट्रीय मुद्राएँ भी विशिष्ट प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न करती हैं तथा राष्ट्रीय बाजार अन्विष्टियों, रीति-रीवाजों व आदतों के आधार पर भिन्न होते हैं। इन समस्त कारणों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार घरेलू व्यापार से भिन्न हो जाता है। अतः नीति के दृष्टिकोण से भी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पृथक् विषय के रूप में अध्ययन किया जाना उचित है।

अर्थशास्त्री दीर्घकाल से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विशिष्टीकरण करते रहे हैं। अतः व्यापार सिद्धान्त का स्वयं का साहित्य विकसित हो चुका है जिसमें प्रायः अर्थशास्त्र की अन्य शाखाओं में उपयोग में आनेवाली विधियों से भिन्न, विधियाँ उपयोग में ली जाती हैं। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त में परम्परागत कीमत सिद्धान्त के आर्थिक मरम्भ दिखलेपण का अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त में कई साधनों, कई वस्तुओं व कई राष्ट्रों को एक साथ शामिल करने वाले मॉडल प्रस्तुत किये जाते हैं। अतः समस्याओं की जटिलता को ध्यान

मे रखते हुए समस्याओं के विश्लेषण हेतु विशिष्ट तकनीक विकसित किये गये हैं इस विशिष्टीकरण का एक परिणाम यह हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त या तो सामान्य कीमत सिद्धान्त से आगे निकल गया है अथवा पीछे रह गया है। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में 'मूल्य के अर्थ सिद्धान्त' का अधिक लम्बे समय तक उपयोग होता रहा है जबकि माधुनिक कल्याणकारी अर्थशास्त्र (Welfare economics) का अधिकांश भाग व्यापार सिद्धान्त के ढाँचे में ही विकसित हुआ है। इसके अलावा प्रायिक सिद्धान्तों की बहुत सी केन्द्रीय प्रमेय व अन्तर्दृष्टियाँ ऐसी हैं जिन्हें अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की समस्याओं का अध्ययन करते समय विकसित किया है, उदाहरणार्थ, 'तुलनात्मक लागत सिद्धान्त' व 'साधन कीमत समानोकरण प्रमेय'। अर्थशास्त्र के प्रथम नोबल पुरस्कार विजेता प्रो० जॉन टिन्बरगेन (Jan Tinbergen) के अनुसार 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-सिद्धान्त बहुत से पहलुओं को दर्शानेवाली स्थितियाँ व समस्याओं पर प्रकाश डालने वाली प्रमेयों का विस्तृत ढाँचा (Vast body) है'।¹⁹

प्रो० किन्डलबर्गर ने ठीक ही लिखा है कि, "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भिन्न विषय के रूप में परम्परा के कारण वास्तविक जगत में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रश्नों एवं जरूरी समस्याओं के कारण, इसके घरेलू व्यापार से भिन्न नियमों से शासित होने के कारण, तथा इसके अध्ययन से सम्पूर्ण अर्थशास्त्र के अधिक अध्येतृ ज्ञान व प्रकाश के कारण, लिया जाता है।"²⁰

प्रो० ओलीन ने स्पष्ट किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले घटक अन्तर्देशीय व्यापार को प्रभावित करने वाले घटकों से कहीं अधिक व बहुपक्षीय है। उनके अनुसार "अन्तर्देशीय व्यापार को शासित करने वाले घटकों की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करने वाले घटक (circumstances) सदा से कहीं अधिक है, बहु-पक्षीय है एवं उन्हें परिशुद्ध (Precise) शब्दावली में वर्णित करना अधिक कठिन है।"²¹

अतः अधिक जटिल परिस्थितियों वाले विश्लेषण को स्पष्ट करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पृथक् विषय के रूप में अध्ययन उचित ही प्रतीत होता है।

19 Quoted in Scammell, W M —International Trade and Payments, P 14

20 Kindleberger, C P —International Economics (Fourth edition) P 2

21 Ohlin B —Op cit P 76

The circumstances governing the character and effect of international trade are more numerous, many sided and difficult to describe in precise terms than those governing interregional trade".

अन्त में हम प्रो० स्कैमेल (Scammell) के इस विचार से महमत हैं कि "हम अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन, मेनोरो (Mallory) के एवरेस्ट पर चढ़ने की भाँति इसलिये करते हैं कि यह मौजूद है। (It is there)"²²

अर्थशास्त्र की शायद ही ऐसी दूसरी शाखा है जिसमें अर्थशास्त्रियों ने इतना अधिक कार्य किया है जितना अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। पिछले षष्ठ सौ वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त के प्रत्येक पहलू का समन्वेषण (exploration) किया गया है, अवधारणाओं को पुनर्परिभाषित किया गया है तथा तकनीकों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के विभिन्न विचार बिन्दुओं पर वाद-विवाद के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री उच्च कोटि की व विस्तृत हो चुकी है।

अतः निष्कर्ष के रूप में हम यह सक्ते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पृथक् विषय के रूप में अध्ययन समय की माँग भी है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धान्त-पूर्ति पक्ष

विशुद्ध सिद्धान्त का तात्पर्य

(What is the Pure Theory)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के प्रश्नों के उत्तर प्रदान करने हेतु मूल्य एवं कल्याण के सिद्धान्तों की अनुप्रयुक्ति मात्र है। व्यापार के विशुद्ध सिद्धान्त एक मूल्य के सामान्य सिद्धान्त के प्रारूप (structure) में भिन्नता प्रकट जान वाले प्रश्नों के दृष्टिकोण से है, न कि मान्यताओं के दृष्टिकोण से।¹

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विशुद्ध सिद्धान्त में दो भिन्न उपवर्गों की समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। प्रथम, सकारणमूलक (positive) अथवा धरतुनिष्ठ (objective) विश्लेषण तथा द्वितीय, कल्याणमूलक (welfare) अथवा आदर्शमूलक (normative) अर्थशास्त्र। प्रथम उपवर्ग के अन्तर्गत विदेशी व्यापार में कौनसी वस्तुओं का आयात एवं निर्यात होगा? प्रशुल्क का साधन-कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यापार की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आदि प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय उपवर्ग के अन्तर्गत क्या स्वतंत्र व्यापार के फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्व की वास्तविक आय अधिकतम होगी? राष्ट्र विशेष के दृष्टिकोण से क्या प्रशुल्क स्वतंत्र व्यापार से उत्कृष्ट है? राष्ट्रीय हस्तक्षेप के रूप में प्रशुल्क उत्तम है अथवा उपदान? आदि प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है।

एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एवं जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धान्त—मुद्रा व इससे सम्बन्धित

1 इस सन्दर्भ में विस्तृत विवेचन हेतु देखिये, हेबरलर

—A Survey of International Trade Theory—Special Papers in International Economics no. 1 (1961) International Finance Section, Dept of Economics, Princeton University

स्वतंत्र व्यापार के परिणाम स्वरूप अन्न विभाजन का विस्तार होगा एवं सम्बन्धित राष्ट्रों की वास्तविक आय में अभिवृद्धि होगी।

स्मिथ के अनुसार "एक परिवार के सम्भार स्वामी का यह सिद्धान्त होता है कि वह उस वस्तु को घर पर तैयार कराने का कभी भी प्रयास नहीं करेगा जो कि वह क्रय करने में लगाने वाली लागत से ऊँची लागत पर तैयार कर सके। दर्जी अपने जूते स्वयं बनाने का प्रयास नहीं करता बल्कि उन्हें मोची से खरीदता है, मोची स्वयं अपने कपड़े नहीं सिलता बल्कि वह दर्जी से सिलवाता है। एक किसान इन दोनों में से कुछ भी बनाने का प्रयास नहीं करता बल्कि भिन्न व्यवसाय वालों को काम पर लगाता है। मगो इसमें अपना हित समझने है कि वे अपनी सम्पूर्ण महंगत उस प्रकार से व्यक्तियों में लगावें कि उस वस्तु के उत्पादन में उन्हें अपने पड़ोसी से कुछ अधिक मुविधा उपलब्ध हो और अपने उत्पादन के एक भाग से प्रयत्न उस के मूल्य से, जो कि एक ही बात है, उपयुक्त हो बही खरीद ले।"

स्मिथ आगे लिखते हैं "प्रत्येक निजी परिवार के आचरण में जो सम्भारों के वह एक महान् राष्ट्र के आचरण में शायद ही भूखेना हो। यदि कोई विदेशी राष्ट्र हमें निजी वस्तु की पूर्ति हमारी लागत को अपेक्षा मस्ती कर सकता है तो उत्तम यही है कि हम कुछ मुविधा वाले हमारी निजी मेहनत के उत्पादन के कुछ भाग के बदले में ऐसी वस्तु को खरीद लें—इस तथ्य का स्पष्टीकरण करते हुए स्मिथ आगे लिखते हैं कि विशेष वस्तुओं के उत्पादन में एक देश की अपेक्षा दूसरे देश को जो प्राकृतिक लाभ प्राप्त होते हैं वे कभी-कभी इतने अधिक होते हैं कि विषय द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि उनके लिए संपर्क व्यर्थ है। शीमे, हॉटर्बैड और हॉट चाल द्वारा स्कॉटलैण्ड में बहुत अच्छे अंगूर उगाये जा सकते हैं और इनकी सहायता से अच्छी शराब भी बनायी जा सकती है लेकिन लागत बाहर से मगामी मगो शराब से तीव्र गुना ऊँची होगी। क्या स्कॉटलैण्ड में क्लारेट (claret) व बर्गन्डी (burgundy) के उत्पादन मात्र को प्रोत्साहित करने हेतु सभी शराबों के आयातों पर निषेध लगाने वाला कानून उचित होगा?—तब तक एक देश को के मुविधायें उपलब्ध हैं तथा दूसरा देश उन्हें चाहता है, दूसरे देश के लिए स्वयं बनाने की अपेक्षा प्रथम देश से क्रय करना सर्व अधिक लाभप्रद होगा। यह मात्र एक अज्ञित मुविधा है जो एक शिल्पी को अन्य व्यापार में सलग्न अपने पड़ोसी से बेहतर उपलब्ध है। इसके बावजूद भी उन दोनों के लिए ही अपने विशेष व्यवसाय के अन्तर्गत न अपने वाली वस्तु को तैयार करने की अपेक्षा, एक दूसरे से क्रय करना अधिक लाभप्रद है।"²

एडम स्मिथ के उपर्युक्त विचारों से अवगत होने के पश्चात् व्यापार में प्राप्त होने वाले लाभों की वास्तविकता के बारे में किसी भी प्रकार का संदेह बना रहना सम्भव नहीं है। एक परिवार के स्वामी तथा राष्ट्र को उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उनकी दक्षता अथवा उत्पादन अधिक है। स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के सिद्धान्त को तालिका 2 1 के सहायक उदाहरण द्वारा और अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

तालिका 2 1

दो देशों की लागतों में निरपेक्ष अन्तर उत्पादन की श्रम लागतों (श्रम बर्षों में) की तुलना

देश	1 इंचाई शराब की लागत	1 इंचाई कपड़े की लागत
पुर्तगाल	80	90
इंग्लैण्ड	120	80

तालिका 2 1 के आँकड़ों से स्पष्ट है कि कपड़े के उत्पादन में इंग्लैण्ड की लागत कम है तथा शराब के उत्पादन में पुर्तगाल की। अतः स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के सिद्धान्त के अनुसार इंग्लैण्ड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण एवं साथ ही कपड़े का निर्यात करेगा तथा पुर्तगाल शराब के उत्पादन का विशिष्टीकरण एवं शराब का निर्यात करेगा। इस प्रकार दोनों ही राष्ट्रों को विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होंगे एवं व्यापाररत देशों की वास्तविक आय में वृद्धि होगी।

स्मिथ ने व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभों की इस प्रभावशाली व्याख्या के आधार पर ही सरकारी हस्तक्षेप की नीति का विरोध किया व स्वतंत्र व्यापार नीति की वकालत की। यद्यपि स्मिथ की व्यापार से प्राप्त लाभों की व्याख्या बहुत ही स्पष्ट व प्रभावशाली थी लेकिन साथ ही यह अपूर्ण भी थी। क्योंकि स्मिथ के अनुसार दो राष्ट्रों के मध्य व्यापार के लिए लागतों में निरपेक्ष अन्तर विद्यमान होने आवश्यक है अर्थात् प्रत्येक देश में एक वस्तु की लागत दूसरे देश में उस की लागत से निरपेक्ष रूप से नीची होनी आवश्यक है।

इसमें तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रो० एल्सवर्थ ने स्मिथ के निरपेक्ष लाभ के सिद्धान्त पर अप्रतिखित टिप्पणी की है :

स्विस की सहायता जहाँ तक ममी बहुत उत्तम थी लेकिन यह बहुत घाते नहीं गई। इनने यह मान लिया गया कि मन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिए यह आवश्यक है कि निर्मात वस्तु के उत्पादक को निराला लाभ प्राप्त हो अर्थात् निर्मातक उद्योग निराला पूँजी व श्रम की मात्रा से अन्य किसी प्रतिस्पर्धी की तुलना में अधिक माना उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिये।

लेकिन यदि किसी देश में ऐसी कोई स्पष्ट कुशल उत्पादन शक्ति नहीं हो तो उस स्थिति में क्या होगा ?

यद्यपि कुछ वस्तुओं के व्यापार का प्रमुख कारण एक देश को दूसरे देश की तुलना में प्राप्त अधिक प्राकृतिक लाभ ही होता है लेकिन यह सिद्धान्त एक पिछड़े हुए व विकसित राष्ट्र के मध्य होने वाले व्यापार के आधार को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। मान लीजिये एक अपविकसित राष्ट्र सभी वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे विकसित राष्ट्र की तुलना में निरपेक्ष रूप से अकुशल है तो क्या विकसित राष्ट्र को ऐसे राष्ट्र के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त हो सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर अमृत विन्तच एव प्रशिडिन अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो (David Ricardo) ने सत्य से लगभग पौने दो सौ वर्ष पूर्व अपने तुलनात्मक लागत के प्रसिद्ध सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत किया था।

डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त (David Ricardo's Comparative Cost Doctrine)

डेविड रिकार्डो द्वारा अपनी प्रसिद्ध कृति 'The Principles of Political Economy and Taxation' (सन् 1817) में प्रतिपादित मन्तराष्ट्रीय व्यापार-सिद्धान्त को 'तुलनात्मक लागत सिद्धान्त' के नाम से जाना जाता है। रिकार्डो ने अपने इस सिद्धान्त द्वारा यह दशानि का प्रकाश किया है कि राष्ट्रों के मध्य लाभदायक मन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिए दो देशों की लागतों में निरपेक्ष अन्तर विद्यमान होने आवश्यक नहीं है, लागतों के तुलनात्मक अन्तरों की उपस्थिति के कारण भी लाभदायक व्यापार सम्भव है।

यह तुलनात्मक लागत सिद्धान्त को सर्वप्रथम रिकार्डो ने ही प्रतिपादित किया ? इस प्रश्न के उत्तर के बारे में कुछ मतभेद हैं। कुछ अर्थशास्त्री इस सिद्धान्त का प्रतिपादक रॉबर्ट टॉरेन्स (Robert Torrens) को मानते हैं। क्योंकि टॉरेन्स के सन् 1815 में छपे 'Essay on the External Corn Trade' के उद्धरणों से स्पष्ट पता चलता है कि टॉरेन्स तुलनात्मक लागत के विचार से परिचित थे। इसीलिए विषय के कुछ विशेषज्ञों

ने इस सिद्धान्त को 'रिकाडो-टॉरेन्स सिद्धान्त' का नाम देना अधिक उपयुक्त समझा है।⁴ लेकिन यह तो स्वीकार करना ही होगा कि इस सिद्धान्त को एक तर्कयुक्त सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत करने व इसकी पूर्ण महत्ता को समझने का श्रेय डेविड रिकाडो को ही है अतः हम इसका 'रिकाडो के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त' शीर्षक के अन्तर्गत ही अध्ययन करेंगे :

प्रो० जगदीश भगवती (Jagdish Bhagwati) ने रिकाडो के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त का अर्थ निम्न शब्दों में व्यक्त किया है 'एक देश उस वस्तु का निर्यात (आयात) करेगा जिसमें उस देश की तुलनात्मक साधन उत्पादकता अधिक (कम) है।'⁵

अर्थात् तुलनात्मक लागत सिद्धान्त के अनुसार एक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसमें उस देश की तुलनात्मक साधन उत्पादकता अधिक है तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक साधन उत्पादकता कम है।

रिकाडो के सिद्धान्त का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करने से पूर्व उन मान्यताओं से प्रवृत्त होना आवश्यक है जो रिकाडो के मूल सिद्धान्त में निहित थीं।

रिकाडो के सिद्धान्त की मान्यताएँ

(Assumptions underlying Ricardian Theory)

1. दो देश व दो वस्तुएँ।
2. केवल श्रम ही उत्पादन का साधन।
3. मूल्य निर्धारण का श्रम-सिद्धान्त।
4. राष्ट्र के भीतर श्रम गतिशील परन्तु राष्ट्रों के मध्य गतिहीन।
5. समस्त साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता।
6. प्रत्येक उत्पादन क्रिया में पैमाने की स्थिर उत्पत्ति का नियम क्रियाशील होता है।*

4 देखिये Chacholades, M — Pure theory of International Trade

5 A country will export (Import) that commodity in which her comparative factor Productivity is higher (Lower) — Bhagwati, J — The Proofs of the Theorems on Comparative Advantage, Economic Journal, March 1967, PP. 75—83

*जैसा कि प्रो० भगवती ने ध्यान दिलाया है, इस मान्यता का मान्यता मरुया 2 (श्रम मात्र एक साधन) में निहित होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भूमि जैसे स्थिर उत्पादन के साधन को उत्पादन फलन की प्राकृति में सम्मिलित माना जा सकता सम्भव है, देखिए—

Bhagwati, J — The Pure Theory of International Trade : A survey, E.J (Vol 74) 1964

7. मूल्य पत्र में समन्वयिता तथा पूर्ण पत्र में तकनीकी तथा साधन उपलब्धता अपरिबन्धित ।
8. पूर्णरूप में स्वतंत्र व्यापार, प्रशुल्क अथवा अन्य कृत्रिम भी प्रकार के सरकारी नियंत्रण की अनुपस्थिति ।
9. वस्तु विनिमय वाली अर्थव्यवस्थाएं ।
10. दोनो राष्ट्र साधन सम्पन्नता के दृष्टिकोण से एक समान ।

संख्यात्मक उदाहरण

(A Numerical Example)

यदि हम तालिका 2.1 के समानात्मक उदाहरण में इंग्लैण्ड में एक इकाई कपडे की लागत 80 के स्थान पर 100 अथवा मान लें तो हम तालिका 2.2 में दर्शाया गया रिकार्डों का प्रतिद्व इंग्लैण्ड-पुर्तगाल का उदाहरण प्राप्त हो जाता है ।

तालिका 2.2 लागतों में तुलनात्मक अन्तर :

उत्पादन की कम लागतों (कम कपडों में) की तुलना

देश	1 इकाई शराब की लागत	1 इकाई कपडे की लागत
पुर्तगाल	80	90
इंग्लैण्ड	120	100

उपर्युक्त तालिका 2.2 के उदाहरण में स्पष्ट है कि पुर्तगाल इंग्लैण्ड की तुलना में शराब व कपडा दोनों ही कम लागत पर उत्पादित करन में सक्षम है । इन व्यापार की दिशा निर्धारित करने हेतु निरपेक्ष लाभ का निदान नाम में नहीं आ सकता, ऐसी परिस्थितियों में व्यापार का नियमन तुलनात्मक लाभ निदान द्वारा होगा । अतः हम रिकार्डों के निदान द्वारा उपर्युक्त उदाहरण में व्यापार की दिशा, व्यापार की शर्तों की मांगों तथा व्यापार को लक्ष्मियों निर्धारित करने का प्रयत्न करेंगे ।

रिकार्डों ने स्पष्ट किया कि यदि पुर्तगाल की लागतें दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से कम है लेकिन उसकी तुलनात्मक रूप में शराब के उत्पादन में लागतें कम है अतः पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में विशेषीकरण करना चाहिए । उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि पुर्तगाल शराब इंग्लैण्ड की तुलना में 67 प्रतिशत $(\frac{80}{120} \times 100)$ लागत पर उत्पादित कर सकता है जबकि कपडे का उत्पादन वह इंग्लैण्ड की तुलना में 90 प्रतिशत $(\frac{90}{100} \times 100)$ लागत पर तैयार

व्यापार की शर्तों की सीमाएँ एवं व्यापार के लाभ

(Limits to the terms of trade and gains from trade)

तालिका सट्या 2 2 के उदाहरण में व्यापार की अनुपस्थिति में पुर्तगाल में एक इकाई शराब की लागत 80 श्रम वष है जबकि कपड़े की प्रति इकाई लागत 90 श्रम वष है अतः मूल्य के अन्तः-मिद्वान्त के आधार पर पुर्तगाल में एक इकाई शराब की लागत $\frac{80}{90} = 0.89$ कपड़े की इकाइयों [0.89 कपड़े व 1 शराब समान श्रम वषों (80 श्रम वष) का उत्पादन है] होगी।

इसी प्रकार इंग्लैण्ड में व्यापार से पूर्व की स्थिति में शराब की लागत 120 श्रम वष तथा कपड़े की लागत 100 श्रम वष है अतः 1 इकाई शराब की लागत 1.2 कपड़े की इकाइयों [1.2 कपड़े व 1 शराब भी समान श्रम वषों (120 श्रम वष) का उत्पादन है] होगी।

व्यापार की अनुपस्थिति में दोनों राष्ट्रों में प्रचलित कीमत अनुपात ही ऐसी दो सीमाएँ होती हैं जिनके मध्य अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात निर्धारित होता है। अतः व्यापार की शर्तों की सीमाएँ निम्न होंगी।

$$1 \text{ इकाई शराब} = \begin{cases} 0.89 \text{ कपड़े की इकाइयों (पुर्तगाल)} \\ 1.2 \text{ कपड़े की इकाइयों (इंग्लैण्ड)} \end{cases}$$

इन सीमाओं के मध्य कोई भी कीमत अनुपात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों के रूप में निर्धारित हो सकता है। व्यापार में वास्तविक व्यापार की शर्तें क्या होंगी इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न रिकार्डों ने नहीं किया था। इसका कारण शायद यह रहा होगा कि रिकार्डों का प्रमुख उद्देश्य लागतों में तुलनात्मक अन्तरो की स्थिति में दोनों राष्ट्रों के व्यापार से सम्भावित होने के मध्य को साबित करना था।

मान लीजिए माँग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा उपयुक्त सीमाओं के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की शर्तें 1 शराब = 1 कपड़ा निर्धारित हो जाती है तो व्यापार से दोनों ही राष्ट्र लाभान्वित होंगे। व्यापार प्रारम्भ होने पर पुर्तगाल तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के आधार पर शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा तथा कपड़े का आयात करेगा।

व्यापार में पुर्तगाल को 1 शराब के बदले 1 कपड़ा प्राप्त होगा। यानी कि 80 श्रम वषों द्वारा उत्पादित शराब के बदले 1 इकाई कपड़ा प्राप्त होने पर पुर्तगाल 10 श्रम वषों की बचत कर पायेगा क्योंकि यदि पुर्तगाल स्वयं कपड़े का उत्पादन करता है तो उस

को 90 थम वर्षोंकी लागत लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार इंग्लैण्ड एक इकाई वपड़े के निर्यात के बदले 1 इकाई शराब का आयात करके 20 थम वर्षों की वचत करने में सक्षम होगा क्योंकि यदि इंग्लैण्ड स्वयं शराब उत्पादिन करता है तो वह 120 थम वर्षों की लागत पर शराब तैयार कर पाएगा। अत स्पष्ट है कि व्यापार से इंग्लैण्ड व पुर्तगाल दोनों ही राष्ट्र लाभान्वित होंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रिवाडों ने अपने सिद्धान्त द्वारा यह दर्शाया कि यदि एक राष्ट्र दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में दूसरे राष्ट्र की तुलना में निरपेक्ष रूप से अधिक कुशल है तब भी कम कुशल राष्ट्र के साथ व्यापार करने से दोनों ही राष्ट्र लाभान्वित होंगे।

रिवाडों के सिद्धान्त ने अर्द्धविकसित राष्ट्र के उस सामान्य व्यक्ति के विचारों को गलत साबित किया जो इस मान्यता से ग्रसित था कि अर्द्धविकसित राष्ट्र का विकसित राष्ट्र के साथ व्यापार करना कभी भी लाभदायक साबित नहीं हो सकता क्योंकि विकसित राष्ट्र सभी उत्पादन क्रियाओं में अधिक कुशल होने के परिणामस्वरूप सभी वस्तुएँ नीची कीमत पर विक्रय करने में सक्षम होता है अतः अर्द्धविकसित राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों के निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाने चाहिए। इसी प्रकार इस सिद्धान्त ने विकसित राष्ट्र के उस सामान्य व्यक्ति को भी गलत साबित किया जो इस मिथ्या धारणा से ग्रसित था कि अर्द्धविकसित राष्ट्र के निम्न जीवन स्तर व मजदूरी वाले श्रमिकों की प्रतियोगिता से विकसित राष्ट्र के उच्च जीवन स्तर वाले श्रमिकों को बचाने हेतु यह आवश्यक है कि अर्द्धविकसित राष्ट्रों के सस्ते थम द्वारा उत्पादित माल के आयातों पर प्रशुल्क लगाने चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि अर्द्धविकसित तथा विकसित दोनों ही राष्ट्र परस्पर अधिकाधिक व्यापार से लाभान्वित होंगे हैं।

रिवाडों के सिद्धान्त की तर्कसंगतता व सत्यता तो हमारे दिन-प्रतिदिन के अनुभव में भी स्पष्ट भक्तनी है। उदाहरणार्थ, एक चिकित्सक रोगी की शल्य चिकित्सा तथा मरहम-पट्टी दोनों ही कियाएँ करने में नर्स से निरपेक्ष रूप से अधिक कुशल होने हुए भी मरहम-पट्टी का कार्य करवाने हेतु एक नर्स नियुक्त करता है। इसी प्रकार एक प्रोफेसर विषय के ज्ञान व टाईपिंग दोनों ही कार्यों में क्लर्क से निरपेक्ष रूप से अधिक कुशल होने हुए भी टाइप के लिए क्लर्क की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार एक प्रबन्धक बुक कीपिंग व प्रबन्ध दोनों ही कार्यों में बुककीपर से अधिक कुशल होने हुए भी एक बुक कीपर को रोजगार देता है। ये सभी दिन-प्रतिदिन जीवन के तुलनात्मक लाभ के सिद्धान्त के ही तो उदाहरण हैं।

इम मिद्वान्त की तर्कसगति, मत्पत्ता व वास्तविक जगत् में अनुप्रयुक्तता में प्रभावित होकर ही नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मेम्युअलमन ने इस मिद्वान्त के बारे में निम्न टिप्पणी की है—

“यदि मिद्वान्त भी युवतियों की भाँति सौन्दर्य प्रतियोगिता जीत सकते हों तो तुलनात्मक लाभ का मिद्वान्त निश्चय ही उच्च स्थान प्राप्त करता क्योंकि इम का गठन प्रति सुन्दर तर्क सगत है। वास्तव में हम यह मानना होगा कि यह एक मरलीकृत मिद्वान्त है। तथापि इसके प्रति सरनीकृत होने के बावजूद भी तुलनात्मक लाभ के मिद्वान्त में मत्पत्ता की महत्वपूर्ण भूतक है। राजनीति अर्थ-व्यवस्था ने ऐम विचारों में भरपूर कम ही मिद्वान्तों को जन्म दिया है। जो राष्ट्र तुलनात्मक लाभ के मिद्वान्त की व्यवहार में उपेक्षा करता है उसे जीवन स्तर व सम्भाव्य विकास के रूप में भारी कीमत चुकानी पड सकती है।”⁶

रिकाडों के सिद्वान्त की आलोचनाएँ

(Criticism of Ricardian Theory)

लेकिन इमका यह अभिप्राय नहीं है कि यह मिद्वान्त सभी शर्तियों में पूर्ण है। आलोचकों ने रिकाडों के मूल सिद्वान्त की कई आलोचनाएँ की हैं। इनमें से अधिकांश आलोचनाएँ इम सिद्वान्त की अवान्तविक मान्यताओं पर आक्षेप हैं। मिद्वान्त की कुछ आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं—

रिकाडों की दो देश व दो वस्तुओं की मान्यता इस सिद्वान्त की गम्भीर कमौ नहीं कही जा सकती क्योंकि इम मान्यताओं को त्यागकर भी इम सिद्वान्त की आसानी में मत्पत्ता मावित किया जा सकता है। यदि मान्यताएँ तो रिकाडों ने केवल अपने सिद्वान्त को सरलरूप में प्रस्तुत करने के लिए मानी थी।

रिकाडों के सिद्वान्त में मूल्य के अम-मिद्वान्त की मान्यता निश्चित ही एक गम्भीर मान्यता है क्योंकि यह वास्तविकता का आवश्यकता में अधिकांश मरलीकृत कर देती है। मोटे तौर पर मूल्य का अम-मिद्वान्त निम्नलिखित मान्यताओं की उपस्थिति में ही सत्य होगा—

(1) समस्त अम समरूप हों, (2) समस्त अधिकांश प्रत्येक धर्म में कार्यरत हों

6 P.A Samuelson-Economics, 8th ed P. 656

7. इन विन्दुओं के लिए देखिए हेबरलर—

The Theory of Int. Trade (1936) Ch 10.

सकते हो (3) मात्र अम ही उत्पादन का गतिशील साधन हो, तथा (4) अमिको के बीच पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो।

वास्तविक जगत में इनमें से कुछ मान्यताएँ तो कभी भी प्राप्त नहीं होती हैं तथा कुछ सर्वैव प्राप्त नहीं होती हैं। अतः अपने सरलतम रूप में मूल्य का अम-सिद्धान्त खण्डित हो जाता है।

विशेष रूप से मूल्य का अम-सिद्धान्त व्याज के उदय के कारण "समय-तत्त्व" को सम्मिलित करने में असमर्थ है। इस बिन्दु को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। यदि व्याज की दर घटात्मक है तो किसी भी वस्तु की औसत लागत व कीमत केवल इसे तैयार करने में लगे अम की मात्रा से ही प्रभावित नहीं होती है अपितु इस घटक से भी प्रभावित होगी कि उत्पादन क्रिया में अम बिताने "समय" तक कार्यरत रहा। उदाहरणार्थ, यदि एक अमिक X वस्तु की एक इकाई एक वर्ष में तैयार कर सकता है तथा Y वस्तु की एक इकाई दो वर्षों में, तो X वस्तु की एक इकाई का मूल्य Y वस्तु की आधी इकाई (जैसा कि सरलीकृत मूल्य के अम सिद्धान्त के अनुसार होना चाहिए) नहीं होगा बल्कि इससे कम होगा। इस का कारण यह है कि Y वस्तु के उत्पादन को मजदूरी के अतिरिक्त व्याज की लागत भी वहन करनी होगी। मान लीजिए वर्ष के अन्त में W रुपये के बराबर मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो

$$\begin{aligned} p_x &= w \\ p_y &= [w(1+i) + w] \\ \frac{p_x}{p_y} &= \frac{w}{w(1+i) + w} = \frac{1}{2+i} < \frac{1}{2} \end{aligned}$$

यहाँ i व्याज की दर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तुओं के मूल्य केवल अम लागतों पर ही नहीं बल्कि व्याज की दर पर भी निर्भर करेंगे। मूल्य का अम-सिद्धान्त व्याज तत्त्व को सम्मिलित नहीं कर पाता है।

इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि अम साधन न तो "समरूप" ही होता है तथा न ही मात्र एक उत्पादन का साधन होता है। अमिकों के भिन्न "अप्रतियोगी समूह" होने हैं जो कि अन्य धन्य में शीघ्र व सरलतापूर्वक स्थानान्तरित नहीं हो पाते हैं। उदाहरणार्थ कृषि क्षेत्र व औद्योगिक क्षेत्र के अमिकों के समूह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये अप्रतियोगी समूह हैं। लेकिन इससे भी गम्भीर आपत्ति यह है कि अम ही एक मात्र उत्पत्ति का साधन नहीं होता है। वस्तुओं के उत्पादन में भूमि, अम तथा पूँजी के भिन्न संयोगों की आवश्यकता होती है।

उदाहरणार्थ, कृषि पदार्थों के उत्पादन में भूमि साधन तथा मशीनों के उत्पादन में पूँजी साधन की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं अतः इन वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में क्रमशः भूमि तथा पूँजी साधनों की उपेक्षा करना निश्चय ही उचित विधि नहीं है।

अतः महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि हम मूल्य निर्धारण के ध्रम-सिद्धान्त की अवास्तविक मानकर अस्वीकार कर दें तो क्या हमें तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त भी अस्वीकार करना पड़ेगा? सौभाग्यवश ऐसा नहीं है यानी कि तुलनात्मक लागत का सिद्धान्त सत्य बने रहने के लिए अपनी मान्यताओं पर निर्भर नहीं है।

सन् 1936 में हेबरलर ने रिकार्डों के सिद्धान्त को इसके 'मूल्य के ध्रम-सिद्धान्त' की अवास्तविक मान्यताओं से मुक्त कर इसका पुनर्कथन किया जिसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में "अवसर लागत सिद्धान्त" के नाम से जाना जाता है।

हेबरलर का अवसर लागत सिद्धान्त

(Haberler's opportunity cost Doctrine)

हेबरलर के सिद्धान्त को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में "उत्पादन सम्भावना वक्र" (Production Possibilities Curve) की सहायता से प्रस्तुत किया जाता है। विश्लेषण को सरल बनाने हेतु हम एक भिन्न मध्यात्मक उदाहरण लेते हैं।

मान लीजिए भारत व इंग्लैण्ड दो वस्तुओं-चाय व इस्पात-का उत्पादन करते हैं तथा इन राष्ट्रों में लागत व उत्पादन संरचना निम्न तालिका 2.3 वाली है:—


तालिका 2.3

1 श्रमिक का 1 वर्ष का उत्पादन

	भारत में	इंग्लैण्ड में
चाय	30 टन	10 टन
इस्पात	10 टन	5 टन

उदाहरण से स्पष्ट है कि भारत इंग्लैण्ड से चाय व इस्पात दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से अधिक कुशल है। लेकिन भारत का तुलनात्मक लाभ चाय के उत्पादन में है (चाय उत्पादन में भारत इंग्लैण्ड से तीन गुणा अधिक कुशल है जबकि इस्पात के उत्पादन में दो गुणा है, अतः भारत इंग्लैण्ड से इस्पात का आयात करेगा।

मान लीजिए कि भारत अपने सम्पूर्ण साधनों की सहायता से या तो 30 मिलियन टन चाय उत्पादित कर सकता है अथवा 10 मिलियन टन इस्पात। जबकि इंग्लैंड अपने सम्पूर्ण साधनों की सहायता से 10 मिलियन टन चाय अथवा 5 मि टन इस्पात उत्पादित कर पाता है। तो इन सम्भावित उत्पादन की मात्राओं को चाय व इस्पात अक्षो पर चित्र 21 A तथा B की सहायता से दर्शाया जा सकता है।



चित्र 21—भारत व इंग्लैंड में पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन सम्भावनाएँ

एक राष्ट्र के उत्पादन सम्भावना वक्र के भिन्न बिन्दु यह दर्शाते हैं कि दो हुई तन्त्रोंको व दो हुई साधनों की मात्रा की स्थिति में साधनों को पूर्ण रूप से नियोजित करके अर्थव्यवस्था प्रति इकाई समयानुसार वस्तुओं की अधिकतम कितनी मात्रा उत्पादित कर सकती है।

भारत के चित्र में T अक्ष तथा S अक्ष पर क्रमशः 30 मि टन चाय तथा 10 मि टन इस्पात के बिन्दुओं को मिलाते वाली रेखा "उत्पादन सम्भावना वक्र" है, यह वक्र चाय व इस्पात व भिन्न प्राप्य संयोग दर्शाती है। इस रेखा को "अवसर लागत वक्र" (Opportunity Cost Curve), रूपांतरण वक्र (Transformation Curve), उत्पादन प्रतिस्थापन वक्र (Product Substitution Curve) आदि नामों से भी जाना जाता है।

उत्पादन सम्भावना वक्र के विभिन्न बिन्दु उत्पादन की भिन्न सम्भावनाओं को ही

प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक उत्पादन बिन्दु कौनसा होगा यह इंगित नहीं करते। वास्तविक उत्पादन बिन्दु निर्धारित करने हेतु माँग पक्ष की सूचना आवश्यक है।

स्थिर अवसर लागतें

(Constant Opportunity Costs)

रिकाडों के मॉडल में मात्र धम ही उत्पादन का मापन माना गया था तथा माघ ही पंमाने की स्थिर उत्पात्ति क नियम की मान्यता भी उनके विमोपण में निहित थी। अतः रिकाडों के माडल से स्थिर अवसर लागतों वाला उत्पादन सम्भावना वक्र ही प्राप्त होता है।

मान लीजिए कि भारतवर्ष में धम की कुल LI इकाइयाँ उपलब्ध हैं तथा चाय व इस्पात की प्रति इकाई उत्पादन लागत क्रमशः at तथा as श्रमिक हैं, तो भारत का उत्पादन सम्भावना वक्र निम्न समीकरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है

$$LI = at T + as S \quad (1)$$

उपर्युक्त समीकरण रेखांक है तथा चित्र 2.1(A) में सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित की गयी है।

भारत के उत्पादन सम्भावना वक्र का निरपेक्ष ढाल निम्न अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है

$$\text{ढाल} = \frac{\text{लम्ब}}{\text{आधार}} = \frac{LI/at}{LI/as} = \frac{as}{at} \quad (2)$$

मान लीजिए कि भारत चित्र 2.1 (A) में बिन्दु N पर उत्पादन कर रहा है एव इस्पात की माँग बढ़ने के परिणाम स्वरूप उत्पादन बिन्दु Q हो जाता है। अर्थात् राष्ट्र चाय के उत्पादन से इस्पात के MQ उत्पादन की वृद्धि के लिए पर्याप्त साधन हस्तांतरित कर देता है जिससे चाय की NM इकाइयों की उत्पादन में कमी हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि भारतवर्ष में इस्पात का प्रति इकाई अतिरिक्त उत्पादन

कमने हेतु चाय की कितनी इकाइयाँ त्यागनी पड़ी? इस प्रश्न का उत्तर है—इकाइयाँ MN
MQ

अतः भारत के उत्पादन सम्भावना वक्र का निरपेक्ष ढाल है। अतः भारत के उत्पादन सम्भावना वक्र का निरपेक्ष ढाल—जिसे हम “रूपान्तरण की सीमान्त दर” कहते हैं—इस्पात की चाय के रूप में अवसर लागत प्रदर्शित करता है। समीकरण (1) व (2) को मिलाकर हम पाते हैं कि भारत के उत्पादन सम्भावना

वक्र का निरपेक्ष ढाल वस्तु कीमतों के अनुपात $\frac{PS}{PF}$ के बराबर है। इस महत्वपूर्ण

निष्कर्ष को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है।

$$\frac{\Delta T}{\Delta S} = \frac{aS}{at} = \frac{PS}{Pt} \quad (3)$$

वास्तव में यह कहना अधिक सही होगा कि भारत के उत्पादन सम्भावना वक्र का ढाल इस्पात व चाय की सीमान्त लागतों का अनुपात दर्शाता है।

इस्पात की सीमान्त लागत
भारत के उत्पादन सम्भावना वक्र का निरपेक्ष ढाल = $\frac{\text{इस्पात की सीमान्त लागत}}{\text{चाय की सीमान्त लागत}}$

इस निष्कर्ष का महत्व उस समय स्पष्ट होगा जब हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति दर्शाएँगे क्योंकि वहाँ व्यापार की शर्तें उत्पादन सम्भावना वक्र के निरपेक्ष ढाल से भिन्न होंगी।

चित्र 2.1 (A) में उत्पादन सम्भावना वक्र दर्शाता है कि 10 मि. टन इस्पात की उत्पादन लागत चाय के रूप में 30 मि. टन है अथवा 1 इकाई इस्पात की चाय के रूप में 3 इकाई लागत है तथा यह लागत उत्पादन सम्भावना वक्र की पूरी लम्बाई पर स्थिर है। चाहे हम एक इकाई अतिरिक्त इस्पात उत्पादिन करें अथवा 10 इकाई। अतिरिक्त इस्पात की प्रति इकाई लागत 3 इकाई चाय ही है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि उत्पादन सम्भावना वक्र का ढाल ही अतिरिक्त इस्पात की चाय के रूप में लागत प्रदर्शित करता है तथा सरल रेखा वाले उत्पादन सम्भावना वक्र का ढाल स्थिर होता है अतः इस्पात की चाय के रूप में लागत भी स्थिर है। इसी प्रकार चाय की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने की इस्पात की $\frac{1}{3}$ इकाई लागत है तथा यह लागत भी स्थिर है। अतः सरल रेखा वाला उत्पादन सम्भावना वक्र स्थिर लागतों की स्थिति प्रदर्शित करता है।

स्थिर लागतों वाले उत्पादन सम्भावना वक्र का ढाल न केवल अवसर लागत अनुपात ही दर्शाता है अपितु घरेलू बाजार कीमत अनुपात का भी प्रतिनिधित्व करता है। भारतवर्ष में व्यापार की अनुपस्थिति में 30 चाय = 10 इस्पात (अथवा 3 चाय बराबर 1 इस्पात) का कीमत अनुपात विद्यमान रहेगा।

चीगुना कर दिया गया है ताकि इस्पात वाले सिरे पर दोनों राष्ट्रों के उत्पादन सम्भावना वक्र इस्पात की 20 इकाइयाँ प्रदर्शित कर सकें।

व्यापार पूर्व अवस्था में भारत में 20 इस्पात के बदले 60 चाय की इकाइयों तथा इंग्लैण्ड में 20 इस्पात के बदले 40 चाय की इकाइयों का विनिमय अनुपात विद्यमान है।

मान लीजिए कि व्यापार पूर्व अवस्था में इंग्लैण्ड में उत्पादन व उपभोग बिन्दु (चित्र 2.2) इंग्लैण्ड के उत्पादन सम्भावना वक्र पर P तथा C हैं अर्थात् व्यापार पूर्व स्थिति में इंग्लैण्ड में 10 इस्पात व 20 चाय की इकाइयों का उपभोग व उत्पादन हो रहा है।

अब मान लीजिए कि भारत व इंग्लैण्ड के मध्य व्यापार प्रारम्भ हो जाता है तो व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात निम्न दो सीमाओं के मध्य वहीं भी निर्धारित हो सकता है।

$$20 \text{ इस्पात} = \begin{cases} 40 \text{ चाय (इंग्लैण्ड का व्यापार पूर्व कीमत अनुपात)} \\ 60 \text{ चाय (भारत का व्यापार पूर्व कीमत अनुपात)} \end{cases}$$

इन दो सीमाओं के मध्य वास्तविक कीमत अनुपात माँग व पूर्ति की सयुक्त शक्तियों द्वारा निर्धारित होगा। मान लीजिए कि व्यापार की शर्तें माँग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा 20 इस्पात = 50 चाय निर्धारित हो जाती हैं तो 20 इस्पात व 50 चाय वाली रेखा (चित्र 2.2 में दृष्टी रेखा) अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात का प्रतिनिधित्व करेगी तथा दोनों व्यापाररत राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभान्वित होंगे।

व्यापाररत राष्ट्रों की साम्यावस्था में चित्र 2.2 में इंग्लैण्ड इस्पात के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा तथा 20 इकाई इस्पात का उत्पादन करेगा। इंग्लैण्ड का उपभोग बिन्दु माँग के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात प्रदर्शित करने वाली दृष्टी रेखा पर कहीं भी स्थित हो सकता है। मान लीजिए नया उपभोग बिन्दु C' निर्धारित हो जाता है तो इंग्लैण्ड को व्यापारपूर्व स्थिति की तुलना में दोनों ही वस्तुओं की उपभोग हेतु अधिक मात्रा उपलब्ध होगी। इस प्रकार C' बिन्दु पर इंग्लैण्ड व्यापारपूर्व स्थिति की तुलना में 1 इकाई अधिक इस्पात व 2.5 इकाई अधिक चाय का उपभोग करने में सफल होगा।

बान्धव में व्यापारोपरांत लाभ में इंग्लैंड का उपयोग किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात इंग्लैंड वाली ढूँटी रेखा पर पर वहाँ भी स्थित हो सकता है तथा प्रत्येक स्थिति में मन्तव्य के स्तर के दृष्टिकोण से व्यापारपूर्व की स्थिति से उत्तम स्थिति है।


यदि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात 60 चाय=20 इस्पात निर्धारित हो जाता है तो यह भारत का व्यापारपूर्व वाला कीमत अनुपात ही होगा तथा इस स्थिति में भारत व्यापार में लाभान्वित नहीं होगा एवं व्यापार के मन्सत लाभ इंग्लैंड को मिलेंगे। इस स्थिति में चित्र 2.2 में इंग्लैंड का व्यापारोपरांत उपयोग किन्तु भारत के उत्पादन सम्भावना वक्र पर वही भी स्थित हो सकता है। इस स्थिति में भारत व्यापार के प्रति उदासीन पाया जायेगा। इनके विपरीत यदि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात इंग्लैंड का व्यापारपूर्व वाला निर्धारित हो जाता है तो व्यापार के मन्सत लाभ भारत को प्राप्त होंगे तथा इंग्लैंड व्यापार के प्रति उदासीन रहेगा। अतः स्पष्ट है कि किन्हीं भी राष्ट्रों को व्यापार से लाभ प्राप्त होने के लिए आवश्यक यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात उस राष्ट्र के व्यापारपूर्व के घरेलू कीमत अनुपात से भिन्न हो।

परिवर्तनशील अवसर लागतें

(Variable opportunity Costs)

सरल रेखा (Straight line) वाले उत्पादन सम्भावना वक्र के पाछे निहित मान्यता यह है कि उत्पादन के मन्सत माध्यम प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में समानरूप से कुशल है। लेकिन यह मान्यता अमान्यतापूर्ण है। उदाहरणार्थ, यह सम्भव है कि भूमि व बागवानी में चतुर अथवा चाय उत्पादन में अधिक कुशल हो तथा मशीनों व तकनीकों में दक्ष अथवा इस्पात निर्मित करने में अधिक कुशल हों। अतः यदि उत्पादन के भिन्न माध्यम भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में अनेकानेक अधिक कुशल हैं तो उत्पादन सम्भावना वक्र घुन किन्तु की ओर गठोदर (Concave) होगा एवं बढ़ती हुई अवसर लागतों (Increasing opportunity costs) की स्थिति का प्रतिनिधित्व करेगा। चित्र 2.3 बढ़ती हुई लागतें दर्शाता है।

चित्र 2.3 में जैने-जैने चाय का प्रतिरिक्त उत्पादन बढ़ता जाता है जैने-जैने चाय के प्रतिरिक्त उत्पादन की लागत बढ़ती जाती है। इसीलिए अक्ष पर इस्पात की समान मात्राओं को त्यागने से निमुक्त (released) माध्यमों से चाय उत्पादन की मात्रा कमजोर पड़ती जाती है। प्रथम बार LM इस्पात का उत्पादन घटाने से निमुक्त माध्यमों से ef प्रतिरिक्त चाय उत्पादित हो सकी है, द्वितीय बार fg तृतीय बार



चित्र 2 4 :- बढ़ती लागतों में साम्य उत्पादन

चित्र 2 4 में यदि प्रचलित वस्तु कीमत अनुपात P-P रेखा के ढाल वाला है तो उत्पादन सम्भावना वक्र A-B पर C बिन्दु साम्य बिन्दु होगा। साम्य बिन्दु C पर वस्तु कीमत अनुपात रेखा P-P उत्पादन सम्भावना वक्र के स्पर्श (tangent) है त्रिनका अभिप्राय यह है कि इस बिन्दु पर उत्पादन म सीमान्त रूपान्तरण की दर (marginal rate of transformation) बाजार कीमत अनुपात के बराबर है।

चित्र 2 4 में यदि अस्थायी उत्पादन बिन्दु d है तो या तो उत्पादन बिन्दु परिवर्तित होकर C हो जायेगा (यदि वस्तु कीमत अनुपात P-P रेखा वाला ही बना रहना है तो) अथवा चाय का सापेक्ष मूल्य बढ़कर P₁-P₁ रेखा के ढाल वाला हो जायेगा (यदि उत्पादन d बिन्दु पर ही करवाना है तो) अथवा कीमत व उत्पादन दोनों परिवर्तित होकर कोई अन्य साम्य उत्पादन बिन्दु निर्धारित हो जायेगा। अतः स्पष्ट है कि साम्य उत्पादन बिन्दु वही निर्धारित होगा जहाँ कीमत रेखा उत्पादन सम्भावना वक्र के स्पर्श हो।

चित्र 2 4 में यदि कीमत रेखा P—P ही बनी रहती है तथा अर्थव्यवस्था में अस्थायी रूप से उत्पादन बिन्दु d है तो उत्पादकों को उत्पादन में चाय के स्थान पर इस्पात का प्रतिस्थापन करके C बिन्दु की ओर खनन करने से लाभ होगा। क्योंकि d

बिन्दु पर उत्पादन की सीमान्त रूपान्तरण की दर $\left[\frac{\Delta T}{\Delta S} \right]$ वस्तु कीमत अनुपात

$\left[\frac{P_s}{P_T} \right]$ में कम है। इसका अभिप्राय यह है कि चाय की तृतीय श्रेणी मात्रा के रूप में

अतिरिक्त इस्पात की लागत, इस्पात के बाजार में विद्यमान सापेक्ष मूल्य से कम है। अतः उत्पादन बिन्दु d से परिवर्तित होकर C हो जायेगा। C बिन्दु पर सीमान्त

रूपान्तरण की दर (MRT) वस्तु कीमत अनुपात $\left[\frac{P_s}{P_T} \right]$ के समान है अतः c साम्य उत्पादन बिन्दु है।

दूसरी सम्भावना यह है कि यदि उत्पादन d बिन्दु पर ही बनाये रखना है तो वस्तु कीमत अनुपात $P-P$ रेखा वाले से बदल कर P_1-P_1 रेखा वाला हो जाये अर्थात् चाय के सापेक्ष मूल्य में वृद्धि हो।

अब हमारे समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि चाय के उत्पादन में वृद्धि हेतु (अर्थात् c बिन्दु से d बिन्दु पर उत्पादन करवाने हेतु) यह क्यों आवश्यक है कि चाय के सापेक्ष मूल्य में वृद्धि हो? इस प्रश्न का विशेष महत्व इसलिए भी है कि हमने इस पूरे विश्लेषण में पैमाने के स्थिर प्रतिफल (Constant Returns to Scale) की मान्यता मान रखी है।

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर प्रदान करने हेतु हमें साम्यावस्था में रूपान्तरण वक्र (Transformation Curve) के ढाल का अर्थ समझना अति आवश्यक है। मान लीजिये कि वस्तु w साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है। हमें ज्ञात हो है कि समस्त बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक उत्पादन के साधन को उसकी सीमान्त उत्पादकता के मूल्य के सम पारितोषिक प्राप्त होता है। माना कि MP_j , i वें साधन की j वी वस्तु में सीमान्त उत्पादकता है एवं p_j वस्तु कीमत है ($i=k, L$, तथा $j=T, S$), w मजदूरी की दर व r ब्याज की दर है तो—

$$W = p_s MPL_s = p_T MPL_T$$

तथा

$$r = p_s MP_{ks} = p_T MP_{kT}$$

इन सम्बन्धों से

$$\frac{P_S}{P_T} = \frac{MPL_T}{MPL_S} = \frac{MP_{kT}}{MP_{kS}}$$

प्रथम

$$\frac{P_S}{P_T} = \frac{\Delta T / \Delta L_T}{\Delta S / \Delta L_S} = \frac{\Delta T / \Delta K_T}{\Delta S / \Delta K_S}$$

उत्पादन के साधनों की स्थिर पूर्ति व साधनों के पूर्ण रोजगार की मान्यताओं के आधार पर हम लिख सकते हैं कि

$$\Delta LT = -\Delta LS, \text{ तथा } \Delta KT = -\Delta KS$$

प्रतिस्थापन करने पर

$$\frac{\Delta T}{\Delta S} = -\frac{PS}{PT}$$

यहाँ पर $\frac{\Delta T}{\Delta S}$ रूपान्तरण वक्र का ढाल है जो कि सीमान्त रूपान्तरण की

दर (marginal rate of transformation) है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था में रूपान्तरण वक्र का ढाल वस्तु कीमत अनुपात के ऋणात्मक (negative of the Commodity price ratio) के बराबर होता है। चित्र 2.4 में P-P व P₁-P₁

जैसी प्रत्येक कीमत रेखा का ढाल इस्पात का सापेक्ष मूल्य अर्थान् $\frac{PS}{PT}$ — प्रदर्शित

करता है।


मूल बिन्दु की ओर नतोदर (Concave) रूपान्तरण वक्र का अभिप्राय यह है कि दोनों वस्तुओं में किसी भी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हेतु उस वस्तु के सापेक्ष मूल्य में वृद्धि होनी आवश्यक है। इसका कारण उत्पादन सम्भावना वक्र की आकृति में निहित यह मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु में उपयोग में लिया जाने वाला पूँजी/श्रम अनुपात प्रत्येक परिस्थिति में भिन्न बना रहेगा। उदाहरणार्थ, चित्र 2.4 में जब उत्पादन बिन्दु c से d हो जाता है तो इस्पात का उत्पादन कम करने पर इस्पात में कार्यरत पूँजी तथा श्रम का एक हिस्सा निमुक्त (release) होता है तथा उत्पादन सम्भावना वक्र के प्रत्येक बिन्दु पर पूर्णरोजगार की स्थिति विद्यमान रहने हेतु साधनों का यह निमुक्त संयोग ज्यों का त्यों चाय उत्पादन में कार्यरत कर लिया जाता है। लेकिन चूँकि चाय अपेक्षाकृत श्रम गहन वस्तु होने के कारण इसके उत्पादन में श्रम की अधिक इवाइयो की आवश्यकता है जबकि इस्पात उत्पादन से निमुक्त साधनों के संयोग में पूँजी साधन की अधिक मात्रा है। अतः अर्थव्यवस्था में श्रम साधन की दुर्लभता व पूँजी साधन के आधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिससे परिणाम स्वरूप मजदूरी की दरों में वृद्धि होगी तथा व्याज दरें गिरेगी। चूँकि चाय श्रम गहन वस्तु है एवं श्रम साधन का परितोषिक बढ़ गया है अतः चाय की इवाइ लागत में वृद्धि होगी। जबकि पूँजी साधन का परितोषिक घटने के कारण इस्पात की इवाइ

लागत गिरेगी। अन्ततः दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त पूँजी/श्रम अनुपात पूर्व की तुलना में ऊँचा बना रहेगा जिससे साधनों के पूनरोजगार की साम्यावस्था स्थापित होगी। लेकिन श्रम साधन का पारितोषिक में वृद्धि के कारण चाय की इकाई लागत व कीमत में वृद्धि हो जायेगी।

उपरोक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि यदि उत्पादन में मात्र एक ही साधन कार्यरत है अथवा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में पूँजी/श्रम अनुपात समान है (जैसी कि सरलरेखा वाले उत्पादन सम्भावना वक्र के पीछे मान्यता थी) तो उत्पादन सम्भावना वक्र स्थिर लागतों को प्रदर्शित करने वाली सरल रेखा होगी। वगैरे कि इन मान्यताओं के कारण अर्थव्यवस्था में साधनों की दुर्लभता व प्राधिक्य की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तथा उत्पादन लागत व वस्तु कीमत अनुपात स्थिर बना रहेगा।

बढ़ती हुई लागतों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (Trade under Increasing Costs)

उत्पादन लागतें चाहे स्थिर हो अथवा बढ़ती हुई लाभप्रद व्यापार तब तब ही सम्भव है जब तक कि व्यापारपूर्व वस्तु कीमत अनुपात दोनों राष्ट्रों में भिन्न है। अन्तर मात्र यह है कि स्थिर लागतों में विशिष्टीकरण के आवृद्ध भी प्रति इकाई लागत पूर्ववत् बना रहती है जबकि बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में विशिष्टीकरण के साथ-साथ निर्यात वस्तु की इकाई लागत में भी वृद्धि होती है।



चित्र 2.5.—बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

व्यापारपूर्व साम्यावस्था में इंग्लैण्ड में प्रचलित वस्तु कीमत अनुपात P-P रेखा के ढाल द्वारा प्रदर्शित किया गया है अतः साम्य उत्पादन व उपभोग बिन्दु E है। मान लीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में P_1-P_1 रेखा के ढाल वाला वस्तु कीमत अनुपात निर्धारित हो जाता है तो इंग्लैण्ड उत्पादन व विशिष्टीकरण करेगा व इंग्लैण्ड का साम्य उत्पादन बिन्दु E से E_1 हो जायेगा। E_1 बिन्दु पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा उत्पादन सम्भावना वक्र के स्पर्श है अतः यह साम्य उत्पादन बिन्दु है। मान लीजिए कि माँग की शक्तियों द्वारा इंग्लैण्ड का उपभोग बिन्दु C' निर्धारित हो जाता है। अतः इंग्लैण्ड E_1 बिन्दु पर OT_1 चाय तथा OS_1 इस्पात का उत्पादन करेगा। व्यापाररत अवस्था में इंग्लैण्ड का उपभोग बिन्दु P_1-P_1 रेखा पर E_1 बिन्दु के ऊपर बायी ओर कहीं भी विद्यमान हो सकता है। C बिन्दु उपभोग बिन्दु निर्धारित होने पर इंग्लैण्ड OT_2 चाय व OS_2 इस्पात का उपभोग करेगा तथा T_2-T_1 चाय के आयात के विनिमय में S_2-S_1 इस्पात का निर्यात करेगा।

इंग्लैण्ड को व्यापार से प्राप्त लाभ को हम व्यापार पूर्व उपभोग बिन्दु E तथा व्यापारोपरान्त उपभोग बिन्दु C' का अवलोकन कर ज्ञात कर सकते हैं। E बिन्दु की तुलना में C' बिन्दु पर इंग्लैण्ड को चाय व इस्पात दोनों की ही अधिक मात्रा उपभोग के लिए उपलब्ध है अतः व्यापारोपरान्त साम्यावस्था में इंग्लैण्ड का कल्याण का स्तर उँचा है।

यहाँ पर यह जानना भी आवश्यक है कि क्या इंग्लैण्ड को S_1-S_2 इस्पात के विनिमय में आयात के रूप में T_1-T_2 चाय की मात्रा प्राप्त हो सकेगी। इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही 'हाँ' में है। चित्र 25 में S_2-S_1 तथा T_2-T_1 मात्राओं क्रमशः RE_1 तथा RC' मात्राओं के बराबर है। व्यापार की शर्तों को दर्शाने वाली रेखा P_1-P_1 का

RC'

ढाल भी — है अतः स्पष्ट है कि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात पर इंग्लैण्ड

RE_1

RE_1 इस्पात के निर्यात के विनिमय में RC' चाय आयात के रूप में प्राप्त कर सकेगा।

आंशिक विशिष्टीकरण

(Partial Specialization)

स्थिर एवं बढ़ती हुई लागतों में व्यापाररत राष्ट्रों की साम्यावस्था के विश्लेषण में प्रमुख अन्तर यह है कि स्थिर लागतों की स्थिति में व्यापाररत राष्ट्र साम्यावस्था में अपने उत्पादन सम्भावना वक्र के एक कोने पर उत्पादन करता हुआ पाया जाता है

अर्थात् निर्यात वस्तु में पूर्ण विशिष्टीकरण (Complete specialisation) प्राप्त करता है* तथा आयात वस्तु का शून्य उत्पादन करता है। (देखिये चित्र 2 2 में बिन्दु P₁)। इसके विपरीत बढ़ती हुई लागतों की स्थिति में राष्ट्र अपनी निर्यात वस्तु में विशिष्टीकरण तो करता है लेकिन व्यापाररत साम्यावस्था में आयात वस्तु की भी कुछ मात्रा का उत्पादन करता रहता है (देखिए चित्र 2 5 में बिन्दु E₁) अतः आंशिक विशिष्टीकरण करता है।

आंशिक विशिष्टीकरण का कारण बढ़ती हुई अक्सर लागतों की स्थिति का विद्यमान होना है। व्यापार प्रारम्भ होने के पश्चात् जब प्रत्येक राष्ट्र अपनी निर्यात वस्तु में विशिष्टीकरण करता है तो प्रत्येक राष्ट्र की निर्यात वस्तु की इकाई लागत में वृद्धि होती जाती है जबकि आयात वस्तु का उत्पादन कम होने से प्रत्येक राष्ट्र में उसकी आयात वस्तु की इकाई लागत गिरती है। हमारे उदाहरण में इंग्लैंड में इस्पात की प्रतिरिक्त इकाई (सीमांत इकाई) की उत्पादन लागत में वृद्धि होती है जबकि भारत में इस्पात के आयात व उत्पादन में कमी होने से इस्पात की सीमांत इकाई की लागत गिरती है। अतः पूर्ण विशिष्टीकरण के बिन्दु तक पहुँचने से पूर्व ही सम्भव है कि दोनों राष्ट्रों में इस्पात की उत्पादन लागत समान हो जाये। भारतवर्ष में चाय के निर्यात व विशिष्टीकरण के कारण चाय की इकाई लागत में वृद्धि होगी जबकि इंग्लैंड द्वारा चाय के आयात के कारण उत्पादन कम होने से वहाँ चाय की इकाई लागत गिरेगी। अतः भारत द्वारा चाय में पूर्ण विशिष्टीकरण के बिन्दु तक पहुँचने से पूर्व ही दोनों राष्ट्रों में चाय की इकाई लागत समान हो सकती है। अतः स्पष्ट है कि जब भारत व इंग्लैंड में पूर्ण विशिष्टीकरण के बिन्दुओं तक पहुँचने से पूर्व ही लागत

व वस्तु कीमत अनुपात $\left[\begin{array}{c} PS \\ - \\ PT \end{array} \right]$ समान हो जायेंगे तो और अधिक व्यापार व विशिष्टीकरण का आधार समान हो जायेगा**।

*रिवाडों के मॉडल में इसका अर्थवादात्मक मात्र एक है और वह यह कि जब छोटा राष्ट्र बड़े राष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में निर्यात न कर सके। ऐसी स्थिति में बड़ा राष्ट्र पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं कर पायेगा।

**ध्यान रहे कि बढ़ती लागतों की स्थिति में व्यापाररत राष्ट्रों की साम्यावस्था में सदैव ही आंशिक विशिष्टीकरण ही यह आवश्यक नहीं है। विशेष परिस्थितियों में पूर्ण विशिष्टीकरण भी सम्भव है।

इसके विपरीत स्थिर लागतों की स्थिति में व्यापाररत राष्ट्रों द्वारा निर्यात वस्तु में विशिष्टीकरण प्राप्त करने के बावजूद भी इकाई लागत स्थिर बनी रहती है तथा जब तक पूर्ण विशिष्टीकरण का बिन्दु प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक दोनों व्यापाररत राष्ट्रों में इकाई लागत के अन्तर पूर्ववत् ही बने रहते हैं अतः पूर्ण विशिष्टीकरण का बिन्दु प्राप्त होने तक व्यापार का आधार विद्यमान रहता है।

घटती हुई लागतों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

(Trade under Decreasing Costs)

घटती हुई लागतों की स्थिति आन्तरिक मितव्ययताओं (Internal Economies) तथा बाह्य मितव्ययताओं (External Economies) दोनों ही के कारण प्राप्त हो सकती है।

आन्तरिक मितव्ययतायें वे मितव्ययतायें हैं जो कि फर्म विशेष के आकार के विस्तार के कारण स्वयं फर्म के अन्तर्गत ही उत्पन्न होती हैं। ये मितव्ययतायें अनेक प्रकार की हो सकती हैं उदाहरणार्थ, धर्म विभाजन से प्राप्त मितव्ययतायें, विज्ञापन से प्राप्त मितव्ययतायें, मशीन से प्राप्त मितव्ययतायें, क्रय-विक्रय से प्राप्त मितव्ययतायें आदि। इससे विपरीत बाह्य मितव्ययतायें वे मितव्ययतायें हैं जो विकसित औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध क्रियायतों के रूप में उपलब्ध होती हैं, उदाहरणार्थ, सम्बन्धित जैसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र में उत्तम परिवहन सुविधायें, उत्तम व सस्ती शक्ति की सुविधायें, दक्ष श्रमिकों का प्रासानी से उपलब्ध, उत्तम संचार सुविधायें आदि। यदि फर्म की अवस्थिति (Location) ऐसे विकसित औद्योगिक क्षेत्र में है तो फर्म का आकार अपरिवर्तित रहने के बावजूद भी उसे ये सुविधायें उपलब्ध होती हैं।


यदि किसी फर्म विशेष को आन्तरिक मितव्ययताओं के कारण पैमाने की मितव्ययतायें प्राप्त हो रही हैं तो इस स्थिति का पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति के साथ सहस्रित्व सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि जिस फर्म विशेष को इस प्रकार की आन्तरिक मितव्ययतायें प्राप्त हो रही हैं, उसका शीघ्र विस्तार होने के फलस्वरूप वह फर्म अन्ततः उद्योग का रूप धारण कर लेगी व अन्य समस्त प्रतियोगी फर्मों की इस फर्म के साथ प्रतियोगिता में टिकने की आयोज्यता के कारण उन्हें उत्पादन बन्द करना पड़ेगा एवं अन्ततः पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति एकाधिकार में परिवर्तित हो जायेगी। पूर्ण प्रतियोगिता की यह मान्यता होती है कि उद्योग की समस्त फर्म अनुकूलतम पैमाने की हैं तथा सम्भावित आन्तरिक मितव्ययतायें विद्यमान नहीं हैं।

अतः पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित विश्लेषण ने अल्पस्त प्रथे-शास्त्री अन्तरिक मितव्ययताओं पर निर्भर वर्धमान प्रतिफल की स्थिति के विश्लेषण पर आपत्ति व्यक्त करते हैं। दूसरी ओर फर्म को प्राप्त बाह्य मितव्ययताओं की उपस्थिति की अर्थशास्त्री स्वीकार तो करते हैं लेकिन उन्हें कम महत्वपूर्ण मानकर टाल दिया जाता है। इस सम्बन्ध में प्रो० हेबरलर ने अपने विचार निम्न शब्दों में व्यक्त किये हैं "यदि इन सभी पहलुओं को उचित महत्व दिया जाय तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने को बाध्य हो जाते हैं कि वास्तविक संद्वान्तिव बोध (sense) में, घटती हुई लागतें एक ऐसा प्रपञ्च (Phenomenon) हैं जो कि बिरले व अपवादोत्पन्न स्थितियों में ही प्राप्त हो सकती है। यह लगभग असम्भव है कि समय की किसी भी अवधि में, हमारे द्वारा दर्शायी गयी लागतों में वृद्धि की स्थायी प्रवृत्ति से बाह्य मितव्ययताएँ अधिन महत्वपूर्ण हों। अतः गणना-यतया घटती हुई लागतें विश्वमान होने की मान्यता मानना हमारी कोई भारी भूल नहीं होगी।" ⁸

उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए भी हम कह सकते हैं कि घटती हुई लागतों की स्थिति वास्तविक जगत में विभिन्न रूपों में प्राप्त हो सकती है। वास्तविक जगत में लागत वक्र की U आकृति को नजरअन्दा नहीं किया जा सकता है तथा उत्पादन व मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप लागत में कमी की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। स्पष्ट है कि औद्योगिक क्षेत्र की फर्मों के लिए अन्तरिक व बाह्य मितव्ययताओं का काफी महत्व होता है। अतः घटती हुई लागतों का विश्लेषण आवश्यक है। औद्योगिक उत्पादों के व्यापार में भाग लेना प्रमुखतया फर्मों के आकार, कुशलता, उच्च उत्पादकता, अपूर्ण प्रतियोगिता वाले उद्योगों द्वारा तकनीकी परिवर्तन की सम्भावनाओं आदि पर निर्भर करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में घटती हुई लागतें कई रूपों में हो सकती हैं। चित्र 2.6 में घटती हुई लागतों की स्थिति दर्शायी गयी है। उत्पादन सम्भावना वक्र A-B मूल बिन्दु की ओर उन्नतोदर (convex) है।

चित्र 2.6 में y अक्ष पर ओटोमोबाइल्स तथा x अक्ष पर मशीनें दर्शायी गयी हैं क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में साधनों के एक जैसे संयोग काम में आते हैं अतः एक वस्तु के उत्पादन में सलग्न साधन दूसरी वस्तु में सरलता पूर्वक हस्तांतरित किये जा सकते हैं। यदि ओटोमोबाइल्स की मशीनों के रूप में कीमत pp रेखा के ढाल द्वारा दर्शायी जाये तो व्यापार पूर्व साम्यावस्था में उत्पादन व उपभोग बिन्दु E होगा।



चित्र 2.6 :—वर्धमान प्रतिफल अथवा षटती हुई लागतें

यदि अन्तरिक मितव्ययताओं के कारण वर्धमान प्रतिकूल प्राप्त हो रहे हैं तो E अस्थायी साम्य (unstable Equilibrium) बिन्दु है जो कि प्रतियोगिता के अन्तर्गत विद्यमान नहीं रह सकता। क्योंकि मशीनों की ओटोमोबाइल्स के रूप में कीमत बढ़ने अर्थात् pp रेखा के अधिक ढालु हो जाने के कारण जरा सा परिवर्तन होने ही उत्पादन के साधन ओटोमोबाइल्स से मशीनों के उत्पादन में हस्तांतरित हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में मशीनों के उत्पादन में उस समय तक साधन हस्तांतरित होने रहेंगे जब तक कि उत्पादन B बिन्दु पर नहीं पहुँच जाता है। इसी प्रकार ओटोमोबाइल्स की कीमत बढ़ने पर अर्थात् pp रेखा के कम ढालु हो जाने पर ओटोमोबाइल्स का उत्पादन तब तक बढ़ना रहेगा जब तक कि A बिन्दु प्राप्त न हो जाये।

व्यापार प्रारम्भ होने के कारण दोनों राष्ट्र एक-एक वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेंगे तथा दोनों ही राष्ट्र व्यापार से लाभान्वित होंगे। चित्र 2.6 में व्यापारोपरान्त साम्यावस्था में राष्ट्र का उत्पादन बिन्दु A अथवा B हो जायेगा। मान लीजिए कि ब्रिटेन मशीनों के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु कीमत अनुपात p_1-p_1 रेखा के ढाल वाला निर्धारित हो जाता है एवं उपभोग बिन्दु C' निर्धारित हो जाता है तो ब्रिटेन dB मशीनों के निर्यात के विनिमय में $C'd$ ओटोमोबाइल्स का आयात करेगा। स्पष्ट है कि ब्रिटेन को C' बिन्दु पर व्यापारपूर्व उपभोग बिन्दु E की तुलना में दोनों ही वस्तुओं की उपभोग के लिए

अधिक मात्रा उपलब्ध है, यही ब्रिटेन का व्यापार से प्राप्त लाभ है। यदि ब्रिटेन प्रोटोमोवाइल्स के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है तो वह P_2-P_2 रेखा पर ही उपभोग कर सकता है (P_2-P_2 व P_1-P_1 सम्भार रेखाएँ हैं)। मान लीजिए P_2-P_2 रेखा पर ब्रिटेन का उपभोग बिन्दु C_2 निर्धारित हो जाता है तो ब्रिटेन Ac' प्रोटोमोवाइल्स के निर्यात के विनिमय में $c C_2$ मशीनों का प्रायोग करेगा।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि व्यापारित साम्यावस्था में राष्ट्र का कल्याण का स्तर ऊँचा है क्योंकि C' तथा C_2 दोनों उपभोग बिन्दु C' बिन्दु से उत्तम है लेकिन C_2 व C' में से C' बिन्दु उत्तम है इसका अभिप्राय यह है कि चित्र में दर्शाया गया व्यापारोपरित साम्य कीमत अनुपात पर ब्रिटेन मशीनों के उत्पादन में विशिष्टीकरण करने से अधिक लाभान्वित होगा क्योंकि P_1-P_1 रेखा C_2 सभी उपभोग बिन्दु P_2-P_2 रेखा के उपभोग बिन्दुओं की तुलना में अधिक उत्पाद प्रदान करते हैं।

चित्र 26 में ब्रिटेन की नयी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा यह निश्चय ही P_1-P_1 तथा P_2-P_2 रेखाओं के ढाल द्वारा प्रदर्शित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात द्वारा निर्धारित होगा। इन रेखाओं के भिन्न ढालों से C' तथा C_2 बिन्दुओं की स्थिति भी परिवर्तित हो जायेगी। लेकिन व्यापार की शर्तें कुछ भी बयो न हो घटती हुई लागतों के अन्तर्गत विशिष्टीकरण पूर्ण होगा तथा व्यापारित साम्यावस्था में राष्ट्र का कल्याण का स्तर अधिक ऊँचा होगा।

वर्धमान प्रतिफल की एक अन्य स्थिति, जिसमें एक वस्तु के उत्पादन में घटती हुई लागतें हो तथा दूसरी वस्तु के उत्पादन में घटती हुई लागतें, चित्र 27 में दर्शायी गयी है। चित्र 2.7 में A-B उत्पादन सम्भावना वक्र भारत में चाय व इस्पात का उत्पादन दर्शाता है। चाय का उत्पादन बढ़ती हुई लागतों के अन्तर्गत हो रहा है जबकि इस्पात के उत्पादन में घटती हुई लागतों की स्थिति विद्यमान है। मान लीजिए कि अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु कीमत अनुपात P_1-P_1 रेखा के ढाल वाला है तथा यह राष्ट्र p_1 बिन्दु पर उत्पादन एवं C_1 बिन्दु पर उपभोग कर रहा है तो C_1 बिन्दु उत्पादन सम्भावना वक्र से दायी ओर है अतः राष्ट्र व्यापार से लाभान्वित हो रहा है। अब यदि उत्पादन में परिवर्तन होकर उत्पादन बिन्दु F बिन्दु से नीचे इस्पात की घटती हुई लागतों के क्षेत्र में आ जाता है तो राष्ट्र अन्ततः B बिन्दु पर उत्पादन करता हुआ पाया जायेगा एवं इस्पात उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा। यदि C_2 बिन्दु राष्ट्र का साम्य उपभोग बिन्दु है तो राष्ट्र dB इस्पात के निर्यात के विनिमय में dC_2 चाय का प्रायोग करेगा। चित्र में स्पष्ट है कि Bc_2 रेखा पर प्रत्येक बिन्दु

पूर्विक रिकार्डों के साथ मॉडल में मात्र भ्रम को ही उन्वादन का साधन माना था। इस मान्यता के साथ पैमाने के विवर प्रतिक्रिया की मान्यता मानलें तो एम सरन रेलीय उपादन सम्भावना वक्र प्राप्त होगा जो कि रिकार्डों के सिद्धान्त का प्रतिनिधि बन करेगा। लेकिन हमारे विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्णपण की घनेक स्थितिओं को उपादन सम्भावना वक्र द्वारा भली-भाँति प्रस्तुत किया जा सकता है।

रिकार्डों के सिद्धान्त पर प्रो० सेम्युअलसन की टिप्पणी

(Prof. Samuelson's Comment on Ricardian Theory)

प्रो सेम्युअलसन के रिकार्डों के सिद्धान्त को सुन्दर संशुद्ध बनाने हुए इसने निम्न दोषों की तरफ ध्यान दिनाया है। उन्ही में सबसे महत्वपूर्ण दोषों में सापेक्ष मूल्य का अभाव और अभाव की स्थिति (Absolut) मान्यताएँ हैं। सिद्धान्त को वस्तु निमित्त तथा सापेक्ष कीमत अनुपातों के रूप में व्यक्त किया गया है। यह कीमती वस्तुओं की चिन्ता करने की प्रवृत्ति (All stickiness) समस्त सम्कल्पनात्मक मुद्रा स्थिति तथा प्रतिस्पर्धा अन्तरालों (Gaps), तथा समस्त भुगतान अनुपात की संस्थाओं की उल्लेख करना है। यह सिद्धान्त मान लेता है कि जब प्रतिस्पर्धा उद्योग से बेरोजगार होने से तो सर्वत्र दूसरे प्रतिस्पर्धी उद्योगों में कार्यरत हो जाते हैं। निरन्तर (Chrono) बेरोजगारी में कभी नहीं रहते।⁹

रिकार्डों के मॉडल पर प्रो० भगवती की टिप्पणी

(Prof. Bhagwati's Comment on Ricardian Model)

रिकार्डों के सिद्धान्त में मात्र भ्रम उन्वादन के साधन की मान्यता तथा पैमाने के विवर प्रतिक्रिया की मान्यता के संयोग के कारण मूल्य पक्ष अथवा साधन पूर्णता का स्तर व्यापारपूर्वक सापेक्षता वस्तु कीमत अनुपात को प्रभावित करने में असमर्थ रहता है। इसी तथ्य के परिणामस्वरूप सामान्यतया यह मान लिया जाता है कि रिकार्डों के मॉडल में व्यापार का बोधा निर्धारित करने में मूल्य पक्ष प्रभावहीन रहता है।


प्रो जगदीश भगवती¹⁰ ने ध्यान देने योग्य त्रुटि (fallacy) को इंगित किया है। प्रो भगवती का सन्वादन (proof) यह दर्शाता है कि

9. Samuelson P.A. — Economics 8th ed. P. 616

10. Bhagwati, J. — The Effects of the Theorems on Comparative Advantage, Economic Journal, March, 1967 Pp. 74-83.

रेखीय रूपान्तरण वक्र (Linear transformation Curve) की उपस्थिति के कारण बहु उत्पादन साम्य (Multiple production equilibria) की सम्भावना के परिणाम-स्वरूप दो राष्ट्रों में व्यापारपूर्व वस्तु कीमत अनुपात समान होने के बावजूद भी दोनों राष्ट्रों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव है। प्रो. भगवती के ही शब्दों में 'रिवाइजों की उपप्रमेय (corollary) का यह कथन कि जहाँ दो राष्ट्रों में साधन उत्पादकता अनुपात समान है वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, तार्किक दृष्टिकोण से सत्य नहीं है।" ध्यान रहे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सत्यापन है क्योंकि यह प्रचलित विचारदोष है कि यदि दो राष्ट्रों के उत्पादन सम्भावना वक्र समानान्तर हैं तो रिवाइजों के तुलनात्मक लागत के सिद्धान्त के अनुसार दोनों राष्ट्रों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता है। प्रो. भगवती ने अपने सत्यापन की चित्र 2.8 की सहायता से स्पष्ट किया है।

चित्र 2.8 में स्वदेशी राष्ट्र का उत्पादन सम्भावना वक्र HH है तथा विदेशी राष्ट्र का उत्पादन सम्भावना वक्र FF है। दोनों राष्ट्रों के उत्पादन सम्भावना वक्र समानान्तर हैं जिसका अभिप्राय यह है कि इन राष्ट्रों में व्यापारपूर्व वस्तु कीमत अनुपात समान हैं। प्रो. भगवती के अनुसार समान वस्तु कीमत अनुपात के बावजूद भी इन राष्ट्रों के मध्य व्यापार सम्भव है। माना कि चित्र 2.8 में स्वदेशी राष्ट्र का उपभोग बिन्दु C_1 तथा विदेशी राष्ट्र का C_{11} है। यदि दोनों राष्ट्रों के व्यापार पूर्व उत्पादन बिन्दु भी क्रमशः C_1 तथा C_{11} हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि दोनों राष्ट्रों के उत्पादन बिन्दु उनके उपभोग बिन्दुओं से मेल खायें। उत्पादन सम्भावना वक्र पर किसी भी बिन्दु पर उत्पादन में साम्य सम्भव है क्योंकि सरल रेखा वाले उत्पादन सम्भावना वक्र का प्रत्येक बिन्दु उत्पादन में साम्य की शर्त पूरी करता है अर्थात् वक्र के प्रत्येक बिन्दु पर अवसर लागत अनुपात वस्तु कीमत अनुपात के समान है। अतः मान लीजिए कि विदेशी राष्ट्र का उत्पादन बिन्दु P_{11} तथा घरेलू राष्ट्र का उत्पादन बिन्दु P_1 ऐसे बिन्दु हैं कि Q_1-C_{11} तथा $Q-C_1$ बिन्दुओं की दूरी समान है तो दोनों राष्ट्रों की घरेलू आवश्यकताएँ केवल व्यापार द्वारा ही पूरी हो सकती हैं क्योंकि व्यापार की अनुपस्थिति में विना सरकारी हस्तक्षेप के माँग-पूर्ति का साम्य सम्भव नहीं है। इसका कारण यह है कि विना आय अथवा कीमत में परिवर्तन के उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग बिन्दु परिवर्तित करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि C_1 तथा C_{11} बिन्दुओं पर दोनों राष्ट्रों के उपभोक्ता साम्यावस्था में हैं। इसी प्रकार P_1 तथा P_{11} बिन्दुओं पर उत्पादन भी साम्यावस्था में है अतः उत्पादन बिन्दु भी अपरिवर्तित रहेंगे। इस दुविधा का हल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा ही सम्भव है। व्यापार में स्वदेशी राष्ट्र Q_1-C_{11} , x वस्तु के निर्यात के बदले y वस्तु



चित्र 2 8 —समान वस्तु कीमत अनुपात व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

की RC_1 मात्रा का आयात करेगा। व्यापार की यह सम्भावना त्रिभुजों में छोटी रेखायें खींचकर दर्शायी गयी है।

इसके विपरीत यदि विदेशी राष्ट्र का उत्पादन बिन्दु P'_{11} तथा स्वदेशी राष्ट्र का उत्पादन बिन्दु P_1 है तो व्यापार का ढाँचा विपरीत दिशा में परिवर्तित हो जायेगा और स्वदेशी राष्ट्र $Q-P_1$ वस्तु की मात्रा निर्यात करेगा तथा $Q_2-P'_{11}$ वस्तु की मात्रा आयात करेगा, चित्र 2 8 में व्यापार की यह सम्भावना छोटे बिन्दुओं द्वारा दर्शाये गये त्रिभुज प्रस्तुत करते हैं।

अत स्पष्ट है रिकार्डों के मॉडल में दो राष्ट्रों में व्यापार पूर्व वस्तु कीमत अनुपात समान होने के बावजूद भी दोनों राष्ट्रों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव है इस सम्भावना को मद्दे नजर रखते हुए प्रो० भगवती इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि "जहाँ राष्ट्रों के मध्य साधन उत्पादकताएँ समान (identical) हों, व्यापार की दिशा तथा परिमाण (volume) अनिर्धारित रहते हैं।"¹¹

प्रो० भगवती¹² ने यह भी दर्शाया है कि दो राष्ट्रों में व्यापार पूर्व साम्य कीमत अनुपात भिन्न होने के बावजूद भी इन राष्ट्रों के मध्य व्यापार अवश्यम्भावी नहीं है। इसका कारण यह है कि माँग का प्रारूप ऐसा होना सम्भव है कि राष्ट्रों में व्यापार पूर्व

11 Bhagwati, J —Op cit

12 Bhagwati, J —Op cit

मान लीजिए कि निम्न छ वस्तुओं की भारत व अमेरिका में लागत सरचना तालिका 2.5 वाली है

तालिका 2.5

दो राष्ट्रों में छ वस्तुओं की उत्पादन लागतें वस्तुएँ

	A	B	C	D	E	F
भारत	Rs 8	Rs. 20	Rs. 36	Rs 56	Rs 75	Rs 120
अमेरिका	\$ 1	\$ 2	\$ 3	\$ 4	\$ 5	\$ 6

यदि हम A तथा F वस्तुओं की लागतों पर ध्यान केन्द्रित करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारत का तुलनात्मक लाभ A वस्तु में है जबकि अमेरिका का तुलनात्मक लाभ F वस्तु के उत्पादन में है। दोनों राष्ट्रों के A व F वस्तुओं के व्यापारपूर्व कीमत अनुपात ही ऐसी दो सीमाएँ होंगी जिनके मध्य अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु कीमत अनुपात निर्धारित होगा। निम्न विचलेपण से स्थिति स्पष्ट होती है—

$$1F = \$6 = \begin{cases} 15A = \text{Rs. } 120 & \text{(भारत के लिए अधिकतम)} \\ 6A = \text{Rs. } 48 & \text{(अमेरिका के लिए अधिकतम)} \end{cases}$$

$$\text{अथवा } \$6 = \begin{cases} \text{Rs } 120 \text{ or } \$1 = & \begin{cases} \text{Rs. } 20 \\ \text{Rs. } 6 \end{cases} \end{cases}$$

यदि विनिमय दर \$ 1 = $\begin{cases} \text{Rs. } 20 \\ \text{Rs. } 8 \end{cases}$ की सीमाओं से बाहर चली जाती है तो भारत व अमेरिका में से एक राष्ट्र में समस्त वस्तुओं की उत्पादन लागत दूसरे राष्ट्र में प्रत्येक वस्तु की लागत से कम होगी जिसके परिणामस्वरूप व्यापार सन्तुलन में असाम्य उत्पन्न होगा व विनिमय दर के पुनः इन सीमाओं के मध्य घाने की प्रवृत्ति होगी।

1 डालर = 8 रु व 20 रु की सीमाओं में वास्तविक विनिमय दर प्रतिपूरक माँग की शक्तियों द्वारा निर्धारित होगी जबकि व्यापार की दिशा का निर्धारण विनिमय दर द्वारा होगा। प्रत्येक वस्तु की तुलनात्मक लागत के क्रम में रखकर हम वास्तविक विनिमय दर निर्धारित करने की विधि स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए

कि विनिमय दर $1\$ = 15$ रु निर्धारित हो जाती है तो स्थिति निम्न तालिका 2.6 में दर्शाये अनुसार होगी—

तालिका 2.6

वस्तुएँ

	A	B	C	D	E	F
भारत	Rs 8	Rs. 20	Rs. 36	Rs. 56	Rs 75	Rs 120
अमेरिका	Rs 15	Rs 30	Rs. 45	Rs. 60	Rs 75	Rs 90

अतः भारत A, B, C व D वस्तुओं का निर्यात करेगा व अमेरिका F वस्तु का निर्यात करेगा। E वस्तु व्यापार में शामिल नहीं होगी क्योंकि E वस्तु की उत्पादन लागत दोनों राष्ट्रों में समान है।

यदि $1\$ = \text{Rs } 15$ की विनिमय दर पर व्यापार में साम्य है तो ठीक है, अन्यथा विनिमय दर में समायोजन द्वारा अन्ततः साम्य स्थापित हो जावेगा।

मान लीजिए कि $1\$ = \text{Rs. } 15$ की विनिमय दर पर अमेरिका के व्यापार मन्तव्य में घाटा है तो अमेरिका को डॉलर का अक्षमूल्यन करना होगा। मान लीजिए डॉलर का अक्षमूल्यन करके विनिमय दर $1 \$ = \text{Rs } 12$ कर दी जाती है तो स्थिति तालिका 2.7 में दर्शाये अनुसार होगी—

तालिका 2.7

वस्तुएँ

	A	B	C	D	E	F
भारत	Rs 8	Rs. 20	Rs. 36	Rs. 56	Rs. 75	Rs. 120
अमेरिका	Rs 12	Rs 24	Rs. 36	Rs. 48	Rs 60	Rs 75

अतः भारत A व B वस्तुओं का तथा अमेरिका D, E व F वस्तुओं का निर्यात करेगा। C वस्तु व्यापार में शामिल नहीं होगी क्योंकि C वस्तु की दोनों राष्ट्रों में लागत समान है।

परिशिष्ट—A
(APPENDIX-A)

उत्पादनफलन, बॉक्स चित्र व उत्पादन सम्भावना वक्र
(Production Function, Box-diagram and Production Possibility Curve)

वस्तुओं के उत्पादन व आदाओं (inputs) के मध्य सम्बन्ध को उत्पादन फलन द्वारा व्यक्त किया जाता है। उदाहरणार्थ,

$$x = f(K, L)$$


एक उत्पादन फलन है जो यह दर्शाता है कि x वस्तु का उत्पादन पूँजी (K) व श्रम (L) साधनों को प्रयुक्त करके किया जाता है तथा f यह दर्शाता है कि साधनों की मात्राओं व x के उत्पादन में एक निश्चित सम्बन्ध है। एक अन्य उत्पादन फलन निम्न रूप में हो सकता है —

$$y = g(K, L)$$

यहाँ भी y वस्तु का उत्पादन पूँजी व श्रम साधनों के संयोग से किया जाता है लेकिन साधनों की मात्रा व उत्पादन का सम्बन्ध g द्वारा प्रस्तुत करके यह दर्शाया गया है कि y वस्तु के उत्पादन में श्रम व पूँजी का भिन्न साधन संयोग प्रयुक्त किया जाता है। ज्यामितीय रूप में वस्तु विशेष के उत्पादन व साधनों की मात्रा का आपसी सम्बन्ध समोत्पाद वक्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।

एक समोत्पाद वक्र साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों का पथ है जो समान उत्पादन की मात्रा को दर्शाते हैं। चित्र A-1 में समोत्पाद वक्र दर्शाये गये हैं।

चित्र A-1 में X_1 तथा X_2 दो समोत्पाद वक्र हैं। X_1 वक्र के विभिन्न बिन्दु श्रम व पूँजी की मात्राओं के ऐसे विभिन्न संयोग दर्शाते हैं जिनसे समान उत्पादन प्राप्त किया जा सके। X_1 वक्र पर दायाँ ओर नीचे को चलन करने पर X_1 वस्तु के उत्पादन में पूँजी के स्थान पर श्रम साधन का प्रतिस्थापन करके समान उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है तथा समोत्पाद वक्र पर बायीं ओर ऊपर को चलन करके श्रम के स्थान पर पूँजी साधन का प्रतिस्थापन करके पूर्व जितना ही उत्पादन सम्भव है। X_2 ऊँचा समोत्पाद वक्र है अतः यह X_1 की तुलना में प्रत्येक बिन्दु पर अधिक उत्पादन दर्शाता है। X_1 तथा X_2 जैसे समोत्पाद वक्रों को परिवर्तनशील साधन अनुपातों (Variable factor proportions) वाले समोत्पाद वक्रों की श्रृंखला दी जाती है क्योंकि ऐसे वक्रों पर वस्तु का समान उत्पादन साधनों के भिन्न-भिन्न संयोगों द्वारा किया जा सकता है।



चित्रA-1 समोत्पाद वक्र एवं न्यूनतम लागत संयोग


चित्र A-1 में E साम्य उत्पादन बिन्दु है क्योंकि यहाँ पर K-L साधन कीमत अनुपात रेखा (Factor-Price ratio line) के समोत्पाद वक्र स्पष्ट है जिसका अभिप्राय यह है कि E बिन्दु पर साधनों की भौतिक उत्पादकता का अनुपात साधन कीमत अनुपात के समान है, अर्थात्

$$\frac{MPP_L}{MPP_K} = \frac{P_L}{P_K}$$

साम्य उत्पादन बिन्दुपा से गुजरने वाली रेखा को विस्तार पथ (Expansion Path) के नाम से जाना जाता है। चित्र A-1 में O-P रेखा विस्तार पथ है। विस्तार पथ का ढाल यह दर्शाता है कि साम्य उत्पादन बिन्दु पर साधन किस अनुपात में प्रयुक्त किये जा रहे हैं। O-P जैसी सरल रेखा वाले विस्तार पथ पर साधन समान अनुपात में प्रयुक्त किये जाते हैं।

एक अन्य किस्म का उत्पादन फलन चित्र A-2 में दर्शाया गया है।

चित्र A-2 में X_1-X_1 तथा X_2-X_2 दो समोत्पाद वक्र हैं। ये समोत्पाद वक्र दर्शाते हैं कि X वस्तु के उत्पादन में साधन स्थिर अनुपातों में ही प्रयुक्त किये जा सकते हैं।



चित्र A-2 स्थिर साधन अनुपातों वाले समोत्पाद वक्र


चित्र में X_1 उत्पादन हेतु OK पूँजी व OL धम की इकाइयाँ प्रयुक्त की जाती हैं। अब यदि हम धम की इकाइयाँ OL से OL_1 कर देते हैं तो भी OK पूँजी की इकाइयाँ प्रयुक्त करनी पड़ती है व उत्पादन पूर्व जितना ही बना रहता है, अतः $L-L_1$ अतिरिक्त धम की मौमान्त उत्पादकता शून्य है। हाँ, पूँजी तथा धम दोनों साधनों की इकाइयों में वृद्धि करके उत्पादन भी X_1 में X_2 बढ़ाया जाना सम्भव है। वास्तविक जगत में इस प्रकार की स्थितियाँ असम्भव नहीं हैं। उदाहरणार्थ, मशीन व दर्जों की स्थिति में यदि हम मशीन की संख्या बढ़ा दें व दर्जों उतने ही रखें तो अधिक वस्त्र नहीं मिले जा सकेंगे। अतः मशीन व दर्जों दोनों साधनों को निश्चिन्त अनुपात में ही प्रयुक्त करना पड़ता है।

एजवर्थ-बाऊले बॉक्स चित्र

(Edgeworth-Bowley Box Diagram)

चित्र A-3 में एक राष्ट्र का बॉक्स चित्र दर्शाया गया है। राष्ट्र में कुल धम की मात्रा OX_1-L तथा कुल पूँजी की मात्रा OX_1-K है। X_1 , X_1' व X_1'' , X_1 वस्तु के समोत्पाद वक्र हैं जबकि X_2 , X_2' व X_2'' , X_2 वस्तु के समोत्पाद वक्र हैं। X_2 वस्तु के समोत्पाद वक्रों का मूल बिन्दु OX_2 है अतः X_2 की तुलना में X_2'' समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन दर्शाता है, तथा X_2' की तुलना में X_2'' समोत्पाद वक्र X_2 वस्तु का अधिक उत्पादन दर्शाता है। चित्र में $OX_1-S-T-U-OX_2$ वक्र अधिकतम कुशलता पथ है। बॉक्स चित्र में समोत्पाद वक्रों के स्पर्श बिन्दुओं से गुजरने वाली रेखा को अधिकतम कुशलता पथ (Maximum Efficiency Locus) कहते हैं। चित्र A-3 में S, T व U जैसे स्पर्श बिन्दु अधिकतम कुशलता दर्शाते हैं। यदि उत्पादन अधिकतम कुशलता पथ से परे किसी J जैसे बिन्दु पर है तो वहाँ से T अथवा U जैसे बिन्दुओं की ओर चलन करके एक वस्तु का उत्पादन यथास्थिर रखकर दूसरी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि होना सम्भव है। यदि उत्पादन बिन्दु J से U हो जाता है तो U बिन्दु पर X_2 वस्तु का समोत्पाद वक्र तो X_1-X_2 ही है लेकिन X_1 वस्तु का समोत्पाद वक्र $X_1''-X_1'$ है जो कि $X_1'-X_1$ से अधिक उत्पादन दर्शाता है। अतः X_1 का अधिक उत्पादन हो रहा है। इसी प्रकार T बिन्दु पर X_1 वस्तु का समोत्पाद वक्र तो $X_1'-X_1$ है लेकिन X_2 वस्तु का $X_2'-X_2$ से $X_2''-X_2$ जैसा समोत्पाद वक्र है अतः X_2 वस्तु का अधिक उत्पादन प्राप्त हो रहा है। एक सम्भावना यह भी है कि T तथा U के बीच अधिकतम कुशलता पथ के किसी बिन्दु पर चलन करके दोनों ही वस्तुओं का अधिक उत्पादन प्राप्त कर लिया जाय।

J बिन्दु से अधिकतम कुशलता पथ पर चलन करने से उत्पादन में वृद्धि का



चित्र A-3 : एकरूप बाँटने वाला चित्र

कारण माघनों का अधिक कुशल पुनर्गठन है। उदाहरणार्थ, J बिन्दु पर X_2 वस्तु के मर्यादा वक्र के बाह्य का प्रतिनिधित्व $N-N$ समरेखा कर रही है जबकि X_1 वस्तु के मर्यादा वक्र के बाह्य का प्रतिनिधित्व $X_1'-X_1$ के J बिन्दु पर समरेखा कर रही है। यह हम जानते हैं कि मर्यादा वक्र के बाह्य माघनों की सीमांत भौतिक

उत्पादों का अनुपात $\left\{ \frac{MPP_L}{MPP_K} \right\}$ होगा है अतः J बिन्दु पर निम्न अनुपात

विद्यमान है :

$$\left(\frac{MPP_L}{MPP_K} \right)_{X_2} < \left(\frac{MPP_L}{MPP_K} \right)_{X_1}$$

जिसका अर्थ है कि कम माघन की सीमा उत्पादकता X_1 वस्तु के उत्पादन में तथा पूँजी माघन की सीमा उत्पादकता X_2 वस्तु के उत्पादन में अधिक है। अतः अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु X_1 वस्तु के उत्पादन में कम माघन की अधिक इकाई प्रयुक्त की जानी चाहिए तथा X_2 वस्तु का उत्पादन पूँजी माघन की अधिक इकाई की महत्वता से किया जाना चाहिए। चित्र A-3 में J बिन्दु से T बिन्दु पर चलने पर X_1 वस्तु के उत्पादन में L_1-L_2 अथवा अधिक इकाई प्रयुक्त की गयी है, जबकि X_2 वस्तु के उत्पादन में K_1-K_2 अतिरिक्त पूँजी प्रयुक्त की गयी है,

अतः प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में उस वस्तु में अपेक्षाकृत अधिक कुशल साधन की अधिक मात्रा प्रयुक्त करने से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना सम्भव हुआ है।

अधिकतम कुशलता पथ के विभिन्न बिन्दुओं पर समोत्पाद वक्र एवं दूसरे के स्पर्श हैं अर्थात्

$$\left(\frac{MPP_L}{MPP_K}\right)_{X_1} = \left(\frac{MPP_L}{MPP_K}\right)_{X_2}$$

अतः साधनों को एक वस्तु से हटाकर दूसरी में प्रयुक्त कर उत्पादन बढ़ाना सम्भव नहीं है। चित्र A-3 में अधिकतम कुशलता पथ $O X_1 - O X_2$ विकर्ण (diagonal) से नीचे विद्यमान है अतः X_1 अपेक्षाकृत अम गहन तथा X_2 पूँजी गहन वस्तु है अर्थात्


$$\left(\frac{K}{L}\right)_{X_2} > \left(\frac{K}{L}\right)_{X_1}$$

बाक्स चित्र से उत्पादन सम्भावना वक्र की व्युत्पत्ति

(Derivation of Production Possibility curve from a box diagram)

उपर्युक्त बाक्स चित्र के अधिकतम कुशलता पथ के विभिन्न बिन्दुओं से उत्पादन सम्भावना वक्र की व्युत्पत्ति सम्भव है। चित्र A-4 में उत्पादन सम्भावना वक्र की व्युत्पत्ति की विधि स्पष्ट की गयी है। बाक्स चित्र के अधिकतम कुशलता पथ के प्रत्येक बिन्दु के तदरूप (Corresponding) उत्पादन सम्भावना वक्र पर भी एक बिन्दु होता है अतः अधिकतम कुशलता पथ के बिन्दुओं को उत्पादन सम्भावना वक्र के बिन्दुओं के रूप में अंकित किया जा सकता है। चित्र A-4 में बायीं लम्बवत अक्षांश $O X_1 - K$ पर पूँजी की इकाइयाँ तथा ऊपरी क्षैतिज रेखा $O X_2 - L$ पर भ्रम की इकाइयाँ पूँज के चित्र A-3 की भाँति ही मापी गयी है। लेकिन दायीं ओर की लम्बवत रेखा $O O X_2$ पर X_1 वस्तु का उत्पादन तथा नीचे क्षैतिज रेखा $O - O X_1$ पर X_2 वस्तु का उत्पादन मापा गया है।

चित्र में $O X_1 - O X_2$ विकर्ण (Diagonal) है। चूँकि हमने रेखीय समरूप उत्पादन फलन की मायता मान रखी है अतः यदि कोई समोत्पाद वक्र विकर्ण को $X_1 - X_2$ की तुलना में मूल बिन्दु $O X_1$ से दुगुनी दूरी पर काटता है तो वह $X_1 - X_2$ से दुगुना उत्पादन दर्शायेगा। इसी प्रकार से X_2 वस्तु का कोई समोत्पाद वक्र यदि



चित्र A-4 वॉर्ल्स चित्र व उत्पादन सम्भावना वक्र

विकर्ण को मूल बिन्दु OX_2 से X_2-X_2 की तुलना में दुगुनी दूरी पर बाटेगा तो वह X_2 वस्तु का दुगुना उत्पादन दर्शाएगा अतः X_1 तथा X_2 समोत्पाद वक्रों के विकर्ण को काटने वाले बिन्दुओं की सहायता से हम उत्पादन सम्भावना वक्र के बिन्दु ज्ञात कर सकते हैं।

चित्र A-4 में OX_1-a_1 दूरी OX_1-a से ठीक उसी अनुपात में अधिक है जिस अनुपात में OC_1 दूरी OC से अधिक है। इसी प्रकार से OX_2-b_1 दूरी OX_2-b से ठीक उसी अनुपात में अधिक है जिस अनुपात में Od_1 दूरी Od से अधिक है। चित्र में S बिन्दु पर X_1 तथा X_2 वस्तु का उत्पादन क्रमशः OC व Od_1 बिन्दुओं द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा चित्र में Q बिन्दु C व d_1 बिन्दुओं द्वारा इंगित वस्तु उत्पादन संयोग दर्शाता है। इसी प्रकार T बिन्दु का उत्पादन संयोग R बिन्दु द्वारा दर्शाया जा सकता है। अर्थात् विकर्ण पर a तथा a_1 बिन्दुओं द्वारा प्रदर्शित उत्पादन का स्तर $O-OX_2$ अक्ष पर क्रमशः OC व OC_1 बिन्दुओं पर अंकित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अधिकतम कुशलता पथ के प्रत्येक बिन्दु के तद्वत् उत्पादन सम्भावना वक्र पर एक बिन्दु होता है एवं ऐसे समस्त बिन्दुओं को मिलाने वाला वक्र उत्पादन सम्भावना वक्र कहलाता है। चित्र A-4 में $OX_1-Q-R-OX_2$ उत्पादन सम्भावना वक्र है जो कि मूल बिन्दु O की ओर नतोदर (concave) है अर्थात्

$OX_1-Q-R-OX_2$ वक्रों हुई लागतों का उत्पादन सम्भावना वक्र है। अतः के. एम. सावोस्निक (K. M. Savosnick) द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त तकनीक की महत्त्वता से बाकस चित्र से उत्पादन सम्भावना वक्र की श्रुत्युक्ति की जा सकती है।

बदती हुई लागतों की स्थिति विद्यमान होने का कारण X_1 तथा X_2 वस्तुओं की साधन गहनता की भिन्नताएँ हैं। चित्र A-4 में X_1 वस्तु अर्थशास्त्रिक श्रम गहन तथा X_2 वस्तु अर्थशास्त्रिक पूँजी गहन है, अर्थात्—

$$\left(\frac{K}{L}\right)_{X_1} > \left(\frac{K}{L}\right)_{X_2}$$

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विशुद्ध सिद्धान्त : माँग तथा पूर्ति पक्ष

(The Pure Theory of International Trade: Demand and Supply side)

अब तक के विश्लेषण में केवल पूर्ति पक्ष पर ध्यान केन्द्रित किया गया था एवं माँग पक्ष की लगभग उपेक्षा की गयी थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि रिकार्डों ने अपने सिद्धान्त में व्यापार से प्राप्त लाभों (gains) का तो पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किया था लेकिन उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वास्तविक कीमत अनुपात अनिर्धारित ही छोड़ दिया था, क्योंकि रिकार्डों का शायद यह विश्वास था कि व्यापार से प्राप्त लाभ पूर्तगाल व इंग्लैंड में घाटे-घाटे विभाजित हो जावेंगे।

मिल का प्रतिपूरक माँग का सिद्धान्त

(Mill's Law of Reciprocal Demand)

लेकिन यह तो सत्य ही है कि तुलनात्मक सागत का सिद्धान्त व्यापार की शर्तें क्या होगी यह स्पष्ट करने में अग्रमर्ष रहा था तथा रिकार्डों ने व्यापार की शर्तों के निर्धारण का कार्य जॉन स्टुवर्ट मिल (John Stuart Mill) के लिए छोड़ दिया था। मिल ने सन् 1848 में छपी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Principles of Political Economy' के भाग 3 के 18 वें अध्याय में 'अन्तर्राष्ट्रीय माँग की समीकरण' (Equation of International Demand) प्रस्तुत की थी। मिल की 'अन्तर्राष्ट्रीय माँग की समीकरण' को 'प्रतिपूरक माँग के सिद्धान्त' (Law of Reciprocal Demand) के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धान्त द्वारा मिल ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वास्तविक कीमत अनुपात किस प्रकार निर्धारित होता है।

रिकार्डों के सिद्धान्त में पूर्ति पक्ष पर ही ध्यान केन्द्रित किया गया था, इसके विपरीत मिल का प्रतिपूरक माँग का सिद्धान्त माँग पक्ष पर ध्यान केन्द्रित करता है जबकि व्यापार की शर्तें निर्धारित करने में माँग व पूर्ति दोनों का ही समान महत्त्व है। अतः यह कहना पूर्ण सत्य नहीं है कि मिल का पारस्परिक माँग का सिद्धान्त व्यापार की शर्तों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है।

कपड़े के दूधने 18.5 गज लिनन देने की अपर है तो लिनन की नई नीची कीमत पर इंग्लैंड में लिनन की माँग में वृद्धि होगी तथा मोटे कपड़े की इस नई ऊँची कीमत पर जर्मनी में मोटे कपड़े की माँग घटेगी। यदि 10 कपड़ा/18.5 लिनन के नये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात पर इंग्लैंड में लिनन की माँग बढ़कर 1 लाख 75 हजार 750 गज हो जानी है तथा जर्मनी में मोटे कपड़े की माँग घटकर 95 हजार गज रह जानी है तो 10 कपड़ा/18.5 लिनन का अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात स्थायी कीमत अनुपात होगा क्योंकि इस कीमत अनुपात पर इंग्लैंड व जर्मनी प्रत्येक राष्ट्र के निर्यातों का मूल्य उसके आयातों के भुगतान के लिए ठीक पर्याप्त होगा।

उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि व्यापार की शर्तें 10 कपड़ा/18 लिनन से परिवर्तित होकर 10 कपड़ा/18.5 लिनन, जर्मनी के प्रतिकूल हो गयी हैं, इसका कारण पुराने वस्तु कीमत अनुपात पर जर्मनी में मोटे कपड़े के आयातों की माँग का अधिक शक्तिशाली होना है। अतः स्पष्ट है कि व्यापार में वास्तविक कीमत अनुपात दोनों राष्ट्रों की सापेक्ष माँग की शक्ति (strength) अथवा प्रतिपूरक माँग द्वारा निर्धारित होगा।

मिल के प्रतिपूरक माँग के सिद्धान्त का सार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है (1) दोनों राष्ट्रों के व्यापार पूर्व के घरेलू कीमत अनुपात ही ऐसी दो सीमाएँ हैं जिनके मध्य वास्तविक अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात निर्धारित होगा, (2) इन दो सीमाओं के मध्य यथायं (exact) कीमत अनुपात दोनों राष्ट्रों की 'प्रतिपूरक माँग' की शक्तियों द्वारा निर्धारित होगा, तथा (3) केवल वही कीमत अनुपात स्थायी (stable) होगा जिस पर प्रत्येक राष्ट्र के कुल निर्यातों का मूल्य उसके आयातों के मूल्य के ठीक बराबर होगा।

**मिल के सिद्धान्त का ज्यामितीय प्रस्तुतीकरण: प्रतिपूरक माँग वक्र
अथवा अर्पण वक्र**

(Diagrammatic Representation of Mill's Law Reciprocal Demand Curve or Offer curve)

मिल के प्रतिपूरक माँग सिद्धान्त को मार्शल एवं एडवर्थ ने अर्पण वक्र (offer curve) नामक ज्यामितीय जनकरण द्वारा प्रस्तुत किया है।

सर्वप्रथम हम अर्पण वक्र उपकरण को 'मलो-मौल्य' स्पष्ट करेंगे तत्पश्चात् इन वक्रों की सहायता से मिल के प्रतिपूरक माँग के सिद्धान्त को प्रस्तुत करेंगे।

एक अर्पण वक्र को द्वि-विमितीय रेखाचित्र (two-dimensional space) में एक राष्ट्र द्वारा, व्यापाररत अपने सहयोगी राष्ट्र की अन्य वस्तु की भिन्न प्रस्तुतियों के विनिमय में, अर्पण की गई वस्तु की विभिन्न मात्राओं के पथ (locus) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। चूँकि यह एक साथ निर्यात वस्तु की पूर्ति व आयात वस्तु की माँग दर्शाता है अतः इसे 'प्रतिपूरक माँग वक्र' (Reciprocal Demand Curve) भी कहते हैं। चित्र 3.1 में B राष्ट्र का अर्पण वक्र OB है। OB अर्पण वक्र यह दर्शाता है कि भिन्न वस्तु कीमत अनुपातों पर राष्ट्र B, y वस्तु की भिन्न मात्राओं के आयात के विनिमय में निर्यात के रूप में x वस्तु की कितनी-कितनी मात्रा अर्पण करने को तत्पर है।


चित्र 3.1 में मूल बिन्दु से खींची गयी सरल रेखाएँ a, b, c, d, e आदि x तथा y वस्तु के मध्य भिन्न कीमत अनुपातों का प्रतिनिधित्व करती हैं। a की तुलना में b तथा b की तुलना में c रेखा B राष्ट्र की निर्यात वस्तु x की y वस्तु के रूप में

ऊँची कीमत दर्शाती है। a, b, c आदि कीमत रेखाओं का ढाल — अनुपात दर्शाता है।

है अतः ये रेखाएँ जितनी अधिक ढालू होगी उतनी ही x वस्तु की ऊँची कीमत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

OB अर्पण वक्र मूल बिन्दु से G बिन्दु तक a कीमत रेखा के साथ चलन करता है क्योंकि हमने a रेखा के ढाल को B राष्ट्र का व्यापार से पूव वाला घरेलू कीमत अनुपात माना है। अर्पण वक्र घरेलू कीमत अनुपात दर्शाने वाली रेखा a से नीचे व भी भी नहीं जा सकता है क्योंकि अर्पण वक्र a रेखा से नीचे होने का आशय यह होगा कि राष्ट्र आयात वस्तु y की x वस्तु के निर्यातों के रूप में घरेलू कीमत से अधिक मात्रा देने को तत्पर है, जो कि असम्भव है।

अर्पण वक्र का OG हिस्सा यह दर्शाता है कि व्यापार की न्यून मात्रा (OG) के लिए राष्ट्र व्यापार के प्रति उदासीन है। G बिन्दु से आगे अर्पण वक्र बायीं ओर ऊपर की तरफ बढ़ता है, उसका आशय यह है कि निर्यात वस्तु-X की कीमत बढ़ने के साथ राष्ट्र इस वस्तु की अधिक मात्रा निर्यात करेगा। उदाहरणार्थ, h बिन्दु की तुलना में i बिन्दु पर राष्ट्र y वस्तु की अधिक मात्रा आयात करने के विनिमय में x-वस्तु की निर्यात के रूप में अधिक मात्रा अर्पण करने को तत्पर है। इसका आंशिक कारण तो यह है कि निर्यातों की पूर्ति माधिक्य पूर्ति है अर्थात् कुल उत्पादन में से घरेलू उपभोग घटाने पर जो बचता है वह निर्यात किया जाता है अतः निर्यातों में वृद्धि के साथ-साथ



चित्र 3.1—राष्ट्र B का अर्पण वक्र

निर्यात वस्तु धरेलू उपभोक्ताओं के लिए अधिक दुर्लभ होनी जाती है तथा आंशिक कारण यह भी है कि आयातों की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ राष्ट्र में आयात वस्तु की दुर्लभता में कमी होती जाती है, अतः राष्ट्र और अधिक निर्यात करने को तत्पर तभी होना है जब निर्यात वस्तु की पूर्ण से ऊँची कीमत प्राप्त हो। अतः हम कह सकते हैं कि चित्र 3.1 में i बिन्दु तक अर्पण वक्र के घनात्मक ढाल का भाष्य यह है कि निर्यात वस्तु की पूर्ण तथा इसकी सापेक्ष कीमत का घनात्मक सम्बन्ध है। लेकिन निर्यात वस्तु का इसकी सापेक्ष कीमत से घनात्मक सम्बन्ध केवल J जैसे किसी बिन्दु तक ही सम्भव है। चित्र 3.1 में J बिन्दु से आगे अर्पण वक्र बायीं ओर y अक्ष की ओर मुड़ जाता है जिसका अर्थप्राम्य यह है कि B राष्ट्र की निर्यात वस्तु- x की कीमत में वृद्धि के साथ-साथ यह राष्ट्र x वस्तु की कम मात्रा अर्पण करने को तत्पर है। अर्पण वक्र का $k-B$ हिस्सा यह दर्शाता है कि निर्यात वस्तु x की कीमत बढ़ने के साथ-साथ B राष्ट्र कम निर्यात वस्तु x की कीमत बढ़ने के साथ-साथ B राष्ट्र कम निर्यातों के बदले कम आयात करना चाहना है, यह तभी सम्भव है जबकि, आयात वस्तु y गिफ्ट वस्तु (Giffen good) हो, क्योंकि गिफ्ट वस्तु की कीमत घटने पर उपभोक्ता उसकी माँग कम कर देने है तथा कीमत बढ़ने पर उम वस्तु की अधिक मात्रा का प्रय करने हैं।

अर्पण वक्र की आकृति

111936

(Shape of the offer Curve)

अर्पण वक्र की आकृति (Shape) का आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में मोचित्य दर्शाया जा सकता है। प्रतिस्थापन प्रभाव तो मर्दव ऋणात्मक ही होता है जबकि आय प्रभाव ऋणात्मक भी हो सकता है और घनात्मक भी।

यदि आयात व निर्यात वस्तु में से कोई भी घटिया वस्तु नहीं है तो व्यापार की शर्तों में मुद्रार के परिणामस्वरूप आय की वृद्धि से निर्यात वस्तु की घरेलू माँग में वृद्धि होगी और यदि आय में काफी वृद्धि हो जाती है तो व्यापार की शर्तों में मुद्रार के परिणामस्वरूप राष्ट्र के निर्याता में कमी होना भी सम्भव है। चित्र 3.1 में ऐसी सम्भावना OB अर्पण वक्र के J-K हिस्से द्वारा दर्शायी गयी है। विजिष्ट स्थिति में अर्पण वक्र पोछे की ओर मुड़ सकता है जैसा कि चित्र 3.1 में अर्पण वक्र के K-B हिस्से द्वारा दर्शाया गया है, इसका अभिप्राय यह है कि आयात वस्तु y गिराने वाली वस्तु है।

चित्र 3.1 में अर्पण वक्र की आकृति आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों से सम्बद्ध है जिसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से है।

माना कि व्यापार की शर्तें od से oc हो जाती हैं तो इसका अभिप्राय यह होगा कि B राष्ट्र की निर्यात वस्तु x का सापेक्ष मूल्य गिर गया है अतः राष्ट्र का आय भी गिरा। जब B राष्ट्र में आय घटेगी तो आय प्रभाव के कारण x तथा y दोनों ही वस्तुओं की कम मात्राएँ खरीदने लगेंगी। J बिन्दु की सामान्य दिशा में चलन करने की प्रवृत्ति होगी। J से M की ओर चलन की प्रवृत्ति की अर्थशास्त्री 'आय प्रभाव' की सजा देते हैं। J बिन्दु की तुलना में U बिन्दु x तथा y दोनों ही वस्तुओं का कम उपभोग दर्शाता है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये कि U बिन्दु J बिन्दु से नीचे लेकिन दायी ओर है, अतः यह x वस्तु की अधिक मात्रा दर्शाता है, लेकिन चूँकि हम x अक्ष पर x वस्तु के निर्यात माप रहे हैं अतः x वस्तु के निर्यात अधिक होने का अर्थ है कि इस वस्तु का घरेलू उपभोग घट गया है। इसी प्रकार U बिन्दु से M की ओर चलन 'प्रतिस्थापन' प्रभाव है। d से c कीमत रेखा हो जाने के कारण x वस्तु की सापेक्ष कीमत बढ़ी है अर्थात् y वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई है अतः प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण B राष्ट्र के उपभोक्ता y वस्तु के उपभोग में वृद्धि करेंगे तथा x वस्तु के उपभोग में वृद्धि, अतः वे U से M बिन्दु की ओर चलन करेंगे। ध्यान रहे कि M बिन्दु की तुलना में J बिन्दु आयात व निर्यात दोनों की कम मात्रा

दर्शाता है लेकिन निर्यात कम होने का अभिप्राय निर्यात वस्तु के घरेलू उपयोग में वृद्धि होना है। अतः प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता महंगी वस्तु y के स्थान पर सस्ती वस्तु x का उपयोग में प्रतिस्थापन करते हैं।

चित्र 3.1 में अर्पण वक्र पर J बिन्दु से I बिन्दु का चलन आय तथा प्रतिस्थापन प्रभावों का संयुक्त परिणाम है।


यदि आयात व निर्यात वस्तुएँ स्थिर अनुपातों में उपयोग में आती हैं और प्रतिस्थापन प्रभाव कम महत्वपूर्ण है तो चित्र 3.1 में अर्पण वक्र का I बिन्दु दर्शाये गये स्थान से ऊपर होगा जबकि x तथा y वस्तु एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएँ हैं तो प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक शक्तिशाली होने के कारण अर्पण वक्र का I बिन्दु चित्र 3.1 में दर्शाये गये से नीचे स्थित होगा।

अर्पण वक्र तथा सामान्य माँग व पूर्ति वक्र

(Offer Curve and ordinary demand and Supply Curves)

पूर्व के विश्लेषण से स्पष्ट है कि एक राष्ट्र का अर्पण वक्र भिन्न कीमत अनुपातों पर राष्ट्र की निर्यातों की पूर्ति व आयातों की माँग को प्रदर्शित करता है। अतः स्वभाविक प्रश्न उठता है कि क्या अर्पण वक्र सामान्य माँग वक्र है? इस प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में है, लेकिन यह सत्य है कि अर्पण वक्र व सामान्य माँग वक्र में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

चित्र 3.2 में $D-D$ सामान्य माँग वक्र है, यह माँग वक्र दर्शाता है कि भिन्न कीमतों पर x -वस्तु की कितनी मात्रा माँगी जायेगी। जबकि चित्र 3.1 में अर्पण वक्र



चित्र 3.2—सामान्य माँग वक्र

का y -अक्ष भी यह दर्शाता है कि भिन्न वस्तु-कीमत अनुपातों पर B-राष्ट्र में y वस्तु की आयात के रूप में कितनी माँग होगी। अर्पण वक्र के 0-J भाग में आयातों की कीमत व माँग में विपरीत सम्बन्ध भी स्पष्ट है अतः चित्र 3.1 में अर्पण वक्र का y अक्ष तथा चित्र 2 में माँग वक्र का x अक्ष भिन्न कीमतों पर वस्तु की माँगी जाने वाली मात्रा दर्शाते हैं। लेकिन माँग वक्र y अक्ष पर वस्तु की प्रति इकाई कीमत मुद्रा के रूप में व्यक्त करता है। जबकि चित्र 3.1 में अर्पण वक्र चित्र का x अक्ष आयातों के कुल मूल्य को निर्यात वस्तु की मात्रा के रूप में दर्शाता है। यदि हम x अक्ष पर मुद्रा की मात्रा दर्शाएँ तो अर्पण वक्र 'कुल व्यय वक्र' (Total outlay Curve) के समान बन जाता है। अतः अर्पण वक्र सामान्य माँग वक्र से भिन्न है।

अर्पण वक्र सामान्य पूर्ति वक्र से भी भिन्न है क्योंकि यह भिन्न कीमत अनुपातों पर निर्यात वस्तु की पूर्ति का आयात वस्तु के रूप में कुल मूल्य दर्शाता है।

अर्पण वक्र की लोच

(Elasticity of an offer Curve)

अर्पण वक्र की लोच को तीन प्रकार से निर्वचित किया जा सकता है : कुल लोच, आयातों की माँग लोच व निर्यातों की पूर्ति लोच।

1. अर्पण वक्र की कुल लोच (Total elasticity or *erd*) :—अर्पण वक्र की कुल लोच को निम्न सूत्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

$$\text{erd} = \frac{\text{आयातों में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{निर्यातों में आनुपातिक परिवर्तन}}$$

$$\text{अथवा } \text{erd} = \frac{\frac{dy}{y}}{\frac{dx}{x}} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y} \quad (1)$$

चित्र 3.3 में OB अर्पण वक्र पर $\frac{y}{x}$ अनुपात B राष्ट्र की औसत व्यापार की शर्तें (average terms of trade) हैं। यह अनुपात दर्शाता है कि औसतन x वस्तु की एक इकाई के निर्यात के विनिमय में y वस्तु की कितनी इकाइयों का आयात किया


जा रहा है। दूसरी ओर $\frac{dy}{dx}$ अनुपात वह दर है जिस पर x व y वस्तुओं का सीमान्त

विनिमय होता है, अतः $\frac{dy}{dx}$ अनुपात को प्रायः सीमान्त व्यापार की शर्तें (Marginal

terms of trade) कहा जाता है। अर्पण वक्र की कुल लोच को सीमान्त से भीसत के अनुपात के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है :—

$$\text{erd} = \frac{\text{सीमान्त व्यापार की शर्तें}}{\text{भीसत व्यापार की शर्तें}} = \frac{dy}{dx} \bigg| \frac{y}{x} \quad (2)$$

सूत्र (1) की सहायता से हम प्रतिपूरक माँग वक्र OB की C बिन्दु पर लोच निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं .—



चित्र 3.3—अर्पण वक्र की लोच : कुल लोच, माँग लोच व पुति लोच

हम सर्वप्रथम चित्र 3.3 में अर्पण वक्र के C बिन्दु के ac स्पर्श रेखा (tangent) खींचते हैं जो कि x अक्ष को a बिन्दु पर काटेगी। तत्पश्चात् हम c बिन्दु से cb लम्ब डालते हैं जो कि x -अक्ष को b बिन्दु पर काटेगा। अतः हम ot रेखा खींचते हैं जो कि भीसत व्यापार की शर्तों का प्रतिनिधित्व करती है।

चित्र 3.3 में अर्पण वक्र के c बिन्दु पर स्पर्श रेखा ac का ढाल $\frac{dy}{dx}$ है तथा ob

रेखा का ढाल $\frac{y}{x}$ है जो कि $\frac{bc}{ob}$ के समान है तथा इसका व्युत्क्रम (reciprocal) $\frac{ob}{bc}$

है (ध्यान रहे कि हमारे सूत्र में हमें $\frac{x}{y}$ अनुपात प्रयुक्त करना है जो कि $\frac{ob}{bc}$ है), अतः

c बिन्दु पर

$$\text{erd} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y} = \frac{bc}{ab} \cdot \frac{ob}{bc} = \frac{ob}{ab} \quad (3)$$

अतः हम कह सकते हैं कि चित्र 3.3 में अर्पण वक्र की लोच लम्बवत रेखा द्वारा क्षैतिज अक्ष को काटने वाले बिन्दु की मूल बिन्दु से दूरी (ob) को क्षैतिज अक्ष को स्पर्श रेखा द्वारा काटे गये बिन्दु व लम्बवत रेखा द्वारा काटे गये बिन्दुओं की आपसी दूरी (ab) से विभाजित करके प्राप्त की जा सकती है।

यदि अर्पण वक्र मूल बिन्दु से सरल रेखा है तो a बिन्दु मूल बिन्दु पर स्थित होगा अतः $ob = ab$ अर्थात् सरल रेखीय अर्पण वक्र की प्रत्येक बिन्दु पर लोच इकाई होगी। यदि अर्पण वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है (जैसा कि चित्र 3.3 में J बिन्दु से आगे दर्शाया गया है) तथा हम k जैसे किसी बिन्दु पर अर्पण वक्र की लोच ज्ञात करना चाहते हैं तो a बिन्दु b बिन्दु के दायी ओर स्थित होगा तथा ab दूरी ऋणात्मक होगी अतः अर्पण वक्र की लोच भी ऋणात्मक होगी। अर्पण वक्र के J-B हिस्से में ऋणात्मक लोच का आभास इस तथ्य से भी होता है कि इस हिस्से में $\frac{dy}{dx}$ ऋणात्मक है। चित्र 3.3 में J बिन्दु पर अर्पण वक्र की लोच अनन्त है क्योंकि यहाँ स्पर्श रेखा व लम्ब x अक्ष को एक ही बिन्दु पर काटते हैं, अतः ab दूरी शून्य होगी

$$\text{इसलिए } \frac{ob}{ab} = \infty$$

2. आयातों की माँग लोच (Import demand elasticity or ed) अर्पण वक्र की आयातों की माँग लोच की गणना अप्रलिखित सूत्र की सहायता से की जा सकती है.—

$$ed = \frac{\text{आयातों की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{आयातों की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन}}$$

चूँकि अर्पण वक्र के प्रत्येक बिन्दु पर आयातों व निर्यातों का कुल मूल्य समान है अतः हम लिख सकते हैं कि $p_x x = p_y y$ एवं इसकी सहायता से आयातों का सापेक्ष मूल्य $\frac{p_y}{p_x} = \frac{x}{y}$ होगा। अब हम ed को निम्न सूत्र के रूप में व्यक्त कर सकते हैं —

$$ed = \frac{dy/y}{d\left(\frac{x}{y}\right)} = \frac{dy}{d\left(\frac{x}{y}\right)} \cdot \frac{x}{y^2}$$

$d\left(\frac{x}{y}\right)$ का अवकलन (differentiation) करने पर

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x}{y}\right) = \frac{y dx - x dy}{y^2},$$

अतः माँग लोच को हम निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं —

$$ed = \frac{dy}{y dx - x dy} \cdot \frac{x}{y^2} = \frac{dy x}{y dx - x dy} \quad (4)$$

समीकरण (4) के अंश व हर को $dx y$ से भाग देने पर

$$ed = \frac{dy x}{dx y} = 1 - \left(\frac{dy x}{dx y}\right)$$

लेकिन समीकरण (1) से $\frac{dy}{dx} \cdot \frac{x}{y} = erd$ अतः

$$ed = \frac{erd}{1-erd} \quad (4a)$$

समीकरण (3) में erd का मूल्य (4a) में रखने पर

$$ed = \frac{\frac{ob}{ab}}{\frac{ob}{ab}} = \frac{\frac{ob}{ab}}{\frac{ob}{ab} - \frac{ob}{ab}} = \frac{ob}{ab} \times \frac{ab}{ab-ob} = \frac{ob}{ab-ob}$$

चित्र 3.3 से $ab - ob = oa$ अतः

$$ed = \frac{ob}{oa} \quad (5)$$

अतः स्पष्ट है कि अर्पण वक्र की आयातों की माँग लोच चित्र 3.3 में लम्बवत् रेखा द्वारा क्षैतिज अक्ष को काटने वाले बिन्दु की मूल बिन्दु से दूरी (ob) को स्पर्श रेखा द्वारा क्षैतिज अक्ष को काटने वाले बिन्दु की मूल बिन्दु से दूरी (oa) द्वारा विभाजित करके प्राप्त की जा सकती है।

समीकरण (4) व (5) से स्पष्ट है कि जब अर्पण वक्र की लोच (erd) घनात्मक तथा इकाई से अधिक है तो आयातों की माँग लोच (ed) निरपेक्ष रूप से ऋणात्मक तथा इकाई से अधिक है अर्थात् आयातों की माँग लोचदार है। जब erd अशून्य है तो $ed = -1$ होगी। चित्र 3.3 में J बिन्दु पर जब erd अशून्य है तो अर्पण वक्र से खींची गई स्पर्श रेखा लम्बवत् होगी तथा दूरी $ab = 0$ होगी अतः

$$ed = \frac{ob}{ab-ob} = \frac{ob}{ob},$$

अर्थात् $ed = -1$ होगी। समीकरण (4a) को पुनर्व्यवस्थित करके निम्न रूप में व्यक्त कर उपर्युक्त सम्बन्ध प्राप्त किये जा सकते हैं —

$$ed = \frac{1}{(1/erd)-1}$$

अतः जब $erd \rightarrow \infty$, $\left(\frac{1}{erd}\right) \rightarrow 0$ एवं $ed \rightarrow (-1)$

जब erd घटकर इकाई की ओर अग्रसर होगी अर्थात् जब erd , 2, 1.8, 1.5, —, 1 आदि की श्रृंखला का रूप धारण करेगी तो $ed = -\infty$ होगी अर्थात् आयातों की मांग लोच अनन्त होगी।

3 निर्यातों की पूर्ति लोच (Export supply elasticity or es) — अर्थात् वक्र की निर्यातों की पूर्ति लोच की गणना के लिए निम्न सूत्र प्रयुक्त किया जाता है —

$$es = \frac{\text{निर्यातों में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{निर्यातों की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन}}$$

निर्यात वस्तु x का सापेक्ष मूल्य $\frac{px}{py}$ है जो कि $\frac{y}{x}$ के रूप में व्यक्त किया जा

सकता है। अतः उपर्युक्त सूत्र में सापेक्ष कीमत के स्थान पर $\frac{y}{x}$ अनुपात प्रतिस्थापित करने पर

$$es = \frac{dx/x}{d(y/x)/(y/x)} = \frac{dx}{d\left(\frac{y}{x}\right)} \cdot \frac{y}{x^2}$$

$d\left(\frac{y}{x}\right)$ का अवकलन करने पर

$$\frac{d}{dx} = \frac{x dy - y dx}{x^2}, \text{ अतः पूर्ति लोच को निम्न सूत्र के रूप में}$$

व्यक्त किया जा सकता है।

$$es = \frac{dx}{x dy - y dx} \cdot \frac{y}{x^2} = \frac{dx \cdot y}{x dy - y dx} \quad (6)$$

समीकरण (6) के अज्ञेय हर को $dx.y$ से भाग देने पर

$$cs = \frac{1}{\left(\frac{x dy}{dx y}\right) - 1} = \frac{1}{erd - 1} \quad (6a)$$

समीकरण (3) से erd का मूल्य रखने पर

$$cs = \frac{1}{\frac{ob}{ab} - 1} = \frac{1}{\frac{ob - ab}{ab}} = \frac{ab}{ob - ab}$$

लेकिन चित्र 3.3 में $ob - ab = oa$ अतः

$$cs = \frac{ab}{oa} \quad 7)$$

अर्थात् अर्पण वक्र की पूर्ति लोच क्षैतिज अक्ष को स्पर्श रेखा द्वारा काटे गये बिन्दु व सम्बन्ध रेखा द्वारा काटे गये बिन्दुओं की आयामी दूरी (ab) को स्पर्श रेखा द्वारा क्षैतिज अक्ष को काटे जाने वाले बिन्दु की मूल बिन्दु से दूरी (oa) से विभाजित करके प्राप्त की जा सकती है।

समीकरण (4) से cd का मूल्य लेकर तथा समीकरण (6) से cs का मूल्य लेकर दोनों लोचों का योग निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है —


$$\begin{aligned} cd + cs &= \frac{dy.x}{yd.x - xdy} + \frac{dx.y}{x dy - y dx} \\ &= \frac{dy.x}{y dx - x.dy} + \frac{dx.y}{-(y.dx - x.dy)} \\ &= \frac{dy.x}{y.dx - x.dy} - \frac{dx.y}{y.dx - x dy} \\ &= \frac{dy.x - dx.y}{y.dx - x dy} = 1 \end{aligned}$$

oc रेखा के ढाल वाली हो जाने के बावजूद वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय x वस्तु के रूप में ox_1 ही बना रहता है। इसी प्रकार अर्पण वक्र के i-j हिस्से में निर्यात वस्तु x की पूर्ति लोच शून्य है क्योंकि कीमत ob रेखा वाली से बढ़कर oc रेखा वाली हो जाने के बावजूद निर्यात वस्तु की पूर्ति ox_1 यथास्थिर बनी रहती है।

अर्पण वक्र के J-K हिस्से में आयातों की माँग बेसोचदार ($ed > -1$) है। इस हिस्से में यदि आयात वस्तु y की कीमत oc रेखा वाली से घटकर od रेखावाली हो जाती है तो y वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय ox_1 से घटकर ox हो जाता है (अर्थात् कीमत व कुल व्यय एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं) अतः आयातों की माँग बेसोचदार है। इसी प्रकार अर्पण वक्र के J-K हिस्से में निर्यात वस्तु की पूर्ति लोच ऋणात्मक ($es < 0$) है क्योंकि निर्यात वस्तु की कीमत बढ़कर जब oc रेखा से od रेखा वाली हो जाती है तो निर्यात वस्तु की पूर्ति ox_1 से घटकर ox हो जाती है, अर्थात् निर्यात वस्तु की सापेक्ष कीमत व इसकी पूर्ति में ऋणात्मक सम्बन्ध है।

A राष्ट्र का अर्पण वक्र (Country A's offer curve)

चित्र 3.5 में OA वक्र A राष्ट्र का अर्पण वक्र है। A राष्ट्र का व्यापार पूर्व वस्तु कीमत अनुपात oc रेखा द्वारा दर्शाया गया है। OG बिन्दु तक OA अर्पण वक्र व्यापार पूर्व कीमत अनुपात दर्शाने वाली रेखा oc के साथ चलता है जिसका



चित्र 3.5—राष्ट्र A का अर्पण वक्र


अभिप्राय यह है कि व्यापार की OG जैसी न्यून मात्राओं के लिए राष्ट्र व्यापार के प्रति उदासीन है। G बिन्दु से आगे अर्पण वक्र दायी ओर आगे बढ़ता है जो यह दर्शाता है कि A राष्ट्र की निर्यात वस्तु y की पूर्ति का इसकी सापेक्ष कीमत से

छनामक सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ, जब कीमत रेखा do से oc हो जाती है तो y वस्तु का प्रति मा b बिन्दु से बढ़कर c बिन्दु द्वारा प्रदर्शित मात्रा b बराबर हो जाती है।

अर्पण वक्र चित्र द्वारा मिल के प्रति पूरक माँग सिद्धान्त का स्पष्टीकरण

(Illustration of Mill's Law of Reciprocal Demand with the help of an offer curve diagram)

अब हम चित्र 3.1 व चित्र 3.5 में दर्शाया गया क्रमशः राष्ट्र B तथा राष्ट्र A की अर्पण वक्रों को एक साथ चित्र 3.6 में रखकर निम्न के प्रतिपूरक माँग के सिद्धान्त को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। चित्र 3.6 में अर्पण वक्रों की महायज्ञा में दो राष्ट्रों का व्यापार साम्य दर्शाया गया है।



चित्र 3.6—अर्पण वक्र चित्र द्वारा साम्यावस्था का निरूपण

चित्र 3.6 में OP_1 तथा OP_2 नामक वस्तु कीमत अनुपात नहीं हो सकते हैं। चित्र में साम्य वस्तु कीमत अनुपात दर्शाने वाली रेखा OP है तथा E बिन्दु साम्यावस्था में आयात व निर्यातों की मात्रा को दर्शाता है। यदि अस्थायी रूप में OP वस्तु कीमत अनुपात में भिन्न OP_1 अथवा OP_2 जैसा कोई भी वस्तु कीमत अनुपात विद्यमान है तो प्रतिपूरक माँग की शक्ति पुनः OP कीमतों अनुपात विस्थापित कर देगी।

साम्य निर्धारण की इस प्रक्रिया को y वस्तु की मात्रा के रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, OP_1 रेखा वाले वस्तु कीमत अनुपात पर B राष्ट्र y वस्तु की M_1 बिन्दु द्वारा प्रदर्शित मात्रा की माँग करता है जबकि A राष्ट्र इस वस्तु कीमत अनुपात पर M बिन्दु द्वारा दर्शायी गयी मात्रा ही अर्पण करने को तत्पर है, अतः OP_1 वस्तु कीमत अनुपात पर y वस्तु की माँग अधिक व पूर्ति कम है अतः y वस्तु का सापेक्ष मूल्य बढ़कर OP रेखा के ढाल वाला विस्थापित होगा। y वस्तु का सापेक्ष मूल्य OP_1 से परिवर्तित होकर OP रेखा वाले मूल्य जैसा (अर्थात् कीमत रेखा के OP_1 की तुलना में कम ढाल) होने की प्रवृत्ति होगी, जिससे A राष्ट्र अपने अर्पण वक्र पर M बिन्दु से E की ओर भागे को चलन करके y वस्तु की पूर्ति बढ़ायेगा जबकि B राष्ट्र M_1 बिन्दु से E की ओर चलन करके y वस्तु की माँग में कटौती करेगा। अन्ततः E बिन्दु पर y वस्तु की माँग व पूर्ति समान हो जायेगी। इसी प्रकार OP_2 रेखा वाले कीमत अनुपात पर A राष्ट्र y वस्तु की N_1 बिन्दु द्वारा प्रदर्शित मात्रा की पूर्ति करने को तत्पर है, जबकि इस वस्तु कीमत अनुपात पर, B राष्ट्र में y वस्तु की माँग केवल N बिन्दु द्वारा प्रदर्शित मात्रा के बराबर ही है। अतः इस वस्तु कीमत अनुपात पर y वस्तु की माँग कम व पूर्ति अधिक है इसलिए कीमत रेखा OP_2 से परिवर्तित होकर OP की भाँति अधिक ढाल हो जायेगी। जिससे A राष्ट्र अपने अर्पण वक्र पर N_1 बिन्दु से पीछे हटकर E बिन्दु की ओर चलन करेगा व y वस्तु की पूर्ति घटा देगा जबकि B राष्ट्र N बिन्दु से अर्पण वक्र पर भागे बढ़कर E बिन्दु की ओर चलन करेगा व y वस्तु की माँग बढ़ा देगा। अन्ततः E बिन्दु पर y वस्तु की माँग व पूर्ति में साम्य स्थापित होगा।

चित्र 3.6 में E बिन्दु पर A राष्ट्र के निर्यात oy तथा आयात ox हैं जो कि क्रमशः B राष्ट्र के आयातों (oy) व निर्यातों (ox) के बराबर हैं। OP रेखा का ढाल oy/ox है अर्थात् E बिन्दु पर OP रेखा वाले वस्तु कीमत अनुपात पर A व B राष्ट्र के निर्यातों का मूल्य स्वयं के आयातों के भुगतान के लिए ठीक पर्याप्त है। अतः स्पष्ट है कि चित्र 3.6 में E बिन्दु मिल के स्थायी साम्य (Stable Equilibrium) की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

अर्पण वक्र विश्लेषण पर प्रो. ग्राहम (Graham) की टिप्पणी

(Prof. Graham's Comment on offer Curve)

प्रो. ग्राहम ने अर्पण वक्र तकनीक की घालोचना करते हुए विचार व्यक्त किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु कीमत अनुपात राष्ट्रों के व्यापार पूर्व कीमत अनुपातों के मध्य

प्रो ग्राह्य की यह आलोचना सही प्रतीत नहीं होती है। अर्थात् वक्र की परिशिष्ट-B में दर्शायी गयी व्युत्पत्ति इस बिन्दु को और अधिक स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करती है।


समुदाय उदासीन वक्र

(Community Indifference Curves)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में माँग पक्ष को प्रस्तुत करने हेतु समुदाय उदासीन वक्रों का उपयोग किया जाता है।


समुदाय उदासीन वक्रों की अवधारणा उपभोक्ता के उदासीन वक्रों की अवधारणा से अधिक जटिल है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एक उपभोक्ता के उदासीन वक्रों में कल्याण के स्तरों की अन्तर वैयक्तिक (Inter-personal) तुलना की समस्या उत्पन्न नहीं होती है जबकि समुदाय उदासीन वक्रों के निर्माण में यह समस्या प्रमुख समस्या है। यदि हम यह मान लें कि समुदाय की अभिरूचियों का प्रतिनिधित्व उपभोक्ता विशेष की अभिरूचियों द्वारा किया जा सकता है तथा समुदाय के प्रत्येक सदस्य की आय समान है तो व्यक्तिगत उदासीन वक्र से समग्र उपयोगिता फलन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन ये मान्यताएँ लगभग अवास्तविक हैं। समुदाय के सदस्यों की अभिरूचियाँ समान मान लेना तो विशेष अवास्तविक नहीं है लेकिन समुदाय के सदस्यों की आय समान होना पूर्णतया असम्भव है।

प्रो साइटोवस्की⁵ (Scitovsky) ने समुदाय उदासीन वक्र की व्यक्तियों के मध्य स्थिर उपयोगिता के वितरण की स्थिति में भिन्न वस्तु कीमतों पर माँगी जाने वाली



चित्र 3.7—समुदाय उदासीन वक्र

लेकिन यदि समुदाय उदासीन वक्र आपस में काटते हुए हैं तो ये समुदाय के वित्पाण के स्तरों की तुलना करने के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। अतः आपस में न काटने वाले उदासीन वक्र प्राप्त करने हेतु आय का वितरण अपरिवर्तित रहना आवश्यक है।



चित्र 48—भिन्न आय वितरण के अनुरूप भिन्न समुदाय उदासीन वक्र

प्रो. चिपमैन (Chipman) ने इस दुविधा से छुटकारा पाने हेतु दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक माना है। उनके अनुसार,

“संक्षेप में हम यह सकते हैं कि यदि सब लोगों के उपयोगिता फलन घनात्मक समरूप (positive homogenous) है तथा या तो (1) सभी लोगों की अभिरुचियाँ एक जैसी हैं अथवा (2) सब लोगों का साधनों का वितरण समग्र वितरण से अनुपातिक है, तो उनके व्यवहार का प्रतिनिधित्व एक उपयोगिता फलन कर सकता है। चूँकि ये दोनों शर्तें एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तथा इनमें से प्रत्येक शर्त पर्याप्त भी है, अतः स्पष्ट ही दोनों में से कोई भी आवश्यक शर्त नहीं है।”

अतः स्पष्ट है कि यदि दोनों में से एक शर्त पूरी होती है तो समुदाय उदासीन वक्रों का निर्माण तो सम्भव है लेकिन उसका सुव्यवहारित (well-behaved) होना सम्भव नहीं है। अतः सुव्यवहारित व आपस में न काटने वाले समुदाय उदासीन वक्र प्राप्त करने हेतु समुदाय के सदस्यों की एक जैसी अभिरुचियों की व आय के वितरण के अपरिवर्तित रहने की दोनों शर्तें पूरी होनी आवश्यक है।

6 Chipman, J S.—A survey of the Theory of International Trade : Part 2, The Neo-Classical Economy *Econometrica*, (octo 1965), p. 695.


परिशिष्ट—B
(Appendix — B)

अर्पण वक्र की व्युत्पत्ति

(Derivation of an offer Curve)

प्रो. जेम्स मीड (James Meade) ने उत्पादन सम्भावना वक्र तथा व्यापार उदासीन वक्र (Trade Indifference Curves) की सहायता से अर्पण वक्र की व्युत्पत्ति की है।

चित्र B-1 में प्रो मीड की व्यापार उदासीन वक्र की व्युत्पत्ति की विधि को



चित्र B-1—समुदाय उदासीन मानचित्र व उत्पादन सम्भावना वक्र से व्यापार उदासीन मानचित्र की व्युत्पत्ति

प्रस्तुत किया गया है। चित्र B-1 में A राष्ट्र का उत्पादन सम्भावना वक्र मूल बिन्दु 0 से बनाया गया है। I_0 समुदाय उदासीन वक्र 0 मूल वाले उत्पादन सम्भावना वक्र के S बिन्दु पर स्पर्श है, अतः A राष्ट्र का व्यापार पूर्व साम्य उपभोग व उत्पादन बिन्दु S है। चूँकि उत्पादन सम्भावना वक्र उत्तर-पश्चिम चतुर्थांश (Quadrant) में बनाया गया है अतः x-अक्ष पर बायीं ओर चलन करने से x-वस्तु का बढ़ता हुआ उत्पादन दर्शाया गया है। मान लीजिए कि हम A राष्ट्र के उत्पादन सम्भावना ब्लॉक (block) को सीधा बनाये रख कर व्यापार पूर्व की समुदाय उदासीन वक्र I_0 के स्पर्श रखते हुए ऊपर व नीचे की ओर खिसकायें तथा A राष्ट्र के उत्पादन सम्भावना ब्लॉक (blocks) के मूल बिन्दुओं (origins) को मिलाने वाला वक्र खींचें तो चित्र B-1 में Q—O—Q' वक्र प्राप्त होगा जिसे व्यापार उदासीन वक्र (Trade Indifference Curve) के नाम से जाना जाता है।

व्यापार उदासीन वक्र के प्रत्येक बिन्दु पर राष्ट्र व्यापार व बिना व्यापार की स्थितियों के बीच उदासीन रहता है। उदाहरणार्थ, राष्ट्र A, S बिन्दु को उत्पादन व उपभोग बिन्दु चुनकर व्यापार पूर्व साम्यावस्था प्राप्त कर सकता है अथवा A राष्ट्र Q' मूल बिन्दु वाले उत्पादन सम्भावना वक्र पर T बिन्दु पर उत्पादन करके A-निर्याती की Q-b' मात्रा के विनिमय में B-निर्याती की ob मात्रा प्राप्त कर व्यापाररत साम्यावस्था प्राप्त कर सकता है। A राष्ट्र S तथा T बिन्दुओं के मध्य उदासीन इसलिए है कि यह राष्ट्र अपने उत्पादन सम्भावना वक्र पर S अथवा T में से किसी भी बिन्दु पर उत्पादन कर सकता है। चूँकि समुदाय उदासीन वक्रों का मूल बिन्दु 0 है अतः T बिन्दु पर A राष्ट्र ob' (आयात) + bT (घरेलू उत्पादन) के बराबर B-निर्याती का उपभोग कर रहा है जबकि T बिन्दु पर Q'-b के कुल घरेलू उत्पादन में से A राष्ट्र केवल b'b मात्रा का ही उपभोग कर रहा है।

व्यापार उदासीन वक्रों की विशेषताएँ


(Properties of trade indifference Curves)

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर व्यापार उदासीन वक्रों की निम्न विशेषताओं (Properties) को ध्यान में रखना उपयोगी सिद्ध हो सकता है —

- (1) यदि A राष्ट्र प्रत्येक उत्पादन ब्लॉक पर A-निर्याती व B-निर्याती की समान मात्रा उत्पादित करता रहे तो व्यापार उदासीन वक्र व समुदाय उदासीन वक्र समानान्तर होंगे। उदाहरणार्थ, चित्र B-1 में S व S' बिन्दु यदि समान उत्पादन संयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो व्यापार उदासीन वक्र I_1 तथा

समुदाय उदासीन वक्र I_0 तमी समानान्तर हूँते जब Q^* मूनवाचे उत्पादन ब्लॉक पर तथा उत्पादन बिन्दु S' हूँ प्रथम समुदाय उदासीन वक्र I_0 उत्पादन सम्भावना वक्र के S' बिन्दु पर स्पर्श हूँ ।

- (2) लेकिन यदि भिन्न उत्पादन ब्लॉको पर A-निर्यातो व B-निर्यातो के भिन्न सपोग उत्पादित किये जा रहे हूँ प्रथम चित्र B-1 में S तथा T जैसे उत्पादन बिन्दु हूँ तो व्यापार उदासीन वक्र का ढाल समुदाय उदासीन वक्र के ढाल से भिन्न हूँगा । चित्र B-1 में I_1 व्यापार उदासीन वक्र I_0 समुदाय उदासीन वक्र से कम ढालु (less steep) हूँ क्योंकि S बिन्दु से T बिन्दु की चलन करने पर उपभोग व उत्पादन दोनों की मात्रा न होने वाले परिवर्तनों का समावेश व्यापार उदासीन वक्र करती जबकि समुदाय उदासीन वक्र केवल उपभोग के परिवर्तनों का हूँ समावेश करती हूँ अतः व्यापार उदासीन वक्र समुदाय उदासीन वक्र से कम ढालु हूँ । चित्र B-1 से ज्ञात हूँगा हूँ कि यदि Q^* वाला ब्लॉक समुदाय उदासीन वक्र I_0 के S' बिन्दु पर स्पर्श करते हूँ तो नीचे विनकाया जाय तो I_1 वक्र I_0 वक्र के समानान्तर हूँगा ।
- (3) समुदाय उदासीन वक्र I_0 की भाँति व्यापार उदासीन वक्र I_1 का ढाल भी ऋणान्तरक हूँता हूँ ।
- (3) समुदाय उदासीन वक्रों की भाँति व्यापार उदासीन वक्र भी मूल बिन्दु की ओर अनतोदर (convex) हूँते हूँ ।
- (5) अनेक व्यापार उदासीन वक्रों में से I_1 जैसी एक उदासीन वक्र प्रथम ऐसी हूँगी जो सदैव हूँ मूल बिन्दु O में मुड़रेगी । I_1 से नीचे स्थित सभी व्यापार उदासीन वक्र O-X मझ की काटेगी (जब कि समुदाय उदासीन वक्र O-X मझ की कभी नहीं काटेगी हूँ) तथा I_1 से ऊँची स्थित सभी व्यापार उदासीन वक्र O-Y मझ की काटेगी ।
- (6) प्रत्येक समुदाय उदासीन वक्र के तदरूप (Corresponding) एक व्यापार उदासीन वक्र हूँता हूँ । उदाहरणार्थ, चित्र B-1 में I_0 के तदरूप I_1 वक्र हूँ तथा नीचे समुदाय उदासीन वक्र I_0^* के तदरूप I_1^* हूँ एवं ऊँचे समुदाय उदासीन वक्र I_0^* के तदरूप ऊँचा व्यापार उदासीन वक्र I_1^* हूँ । इस तथ्य से यह भी स्पष्ट हूँ जाना बाहिर कि चूँकि एक ऊँचा व्यापार उदासीन वक्र ऊँचे समुदाय उदासीन वक्र के तदरूप हूँता हूँ अतः ऊँचा व्यापार उदासीन वक्र ऊँचे कल्याण के स्तर का ओतक हूँता हूँ । लेकिन एक सिधे हुए व्यापार उदासीन वक्र पर राष्ट्र का



चित्र B-2—अर्पण वक्र की व्युत्पत्ति

कल्याण का स्तर समान रहता है, इसलिए दिये हुए व्यापार उदासीन वक्र पर राष्ट्र व्यापार व बिना व्यापार की स्थिति के बीच समभाव पाया जाता है।

अब हम व्यापार उदासीन वक्र की सहायता से B राष्ट्र के अर्पण वक्र की व्युत्पत्ति करेंगे। एक अर्पण वक्र भिन्न सापेक्ष वस्तु कीमत अनुपात दर्शाने वाली रेखाओं व राष्ट्र के व्यापार उदासीन वक्रों के स्पर्श बिन्दुओं का पथ (locus) होता है। चित्र B-2 में e, f, g व h बिन्दुओं पर व्यापार उदासीन वक्र वस्तु कीमत अनुपात रेखाओं a, b, c, d आदि के स्पर्श है, अत इन बिन्दुओं को जोड़ने वाली रेखा o, e, f, g, h ही B राष्ट्र का अर्पण वक्र है।

चित्र B-2 में प्रारम्भ में मूल बिन्दु से कुछ दूरी तक अर्पण वक्र का ढाल व्यापार पूर्व वस्तु कीमत अनुपात दर्शाने वाली रेखा के समान है। तत्पश्चात् B-निर्यातों की कीमत में वृद्धि के साथ-साथ B राष्ट्र के निर्यातों में भी वृद्धि होती जाती है। यदि वस्तु कीमत अनुपात रेखा oa रेखा से कम ढालू (less steeper) हो जाती है अर्थात् B राष्ट्र के आयातों की कीमत इनकी B राष्ट्र में व्यापार पूर्व कीमत से भी अधिक हो जाती है तो B राष्ट्र का अर्पण वक्र दक्षिण-पश्चिम चतुर्थांश में पाया जायेगा तथा B राष्ट्र अपनी आयात वस्तु का निर्यात करने लगेगा। यह सम्भावना चित्र B-2 में a₂ बिन्दु द्वारा दर्शायी गयी है।

हैकशर-ओलीन प्रमेय-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धान्त (Heckscher-Ohlin Theorem—Modern Theory of International Trade)

यदि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार तुलनात्मक लागतों में अन्तर है तो प्रश्न यह उठता है कि भिन्न राष्ट्रों में वस्तु उत्पादन लागतों में अन्तर क्यों पाये जाते हैं ? अर्थात् भिन्न राष्ट्रों के उत्पादन सम्भावना वक्रों की आकृति भिन्न क्यों होती है ? इन प्रश्नों का उत्तर नोबल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो ओलीन (Ohlin) ने दो भागों में प्रदान किया है। प्रथम तो यह कि भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादन के साधन भिन्न अनुपातों में प्रयुक्त किये जाते हैं तथा द्वितीय यह कि भिन्न राष्ट्रों में साधन सम्पन्नताएँ भिन्न होती हैं। स्वयं ओलीन के ही शब्दों में "भिन्न वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादन के साधनों का बहूत भिन्न अनुपातों में प्रयोग होता है और इसलिए (भिन्न राष्ट्रों में उत्पादक साधनों के भिन्न सापेक्ष मूल्य होने के कारण) उत्पादन में अन्तर्राष्ट्रीय विनिष्ठीकरण लाभप्रद होता है, यह तथ्य इतना स्पष्ट है कि यह शायद ही ध्यान में आने से बच पाया हो, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धान्त में इस तथ्य की सन्धे समय तक उपेक्षा की जाती रही है।"¹

इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रो ओलीन ने अपने अध्यापक एलो हैकशर (Eli Heckscher) की अन्तर्राष्ट्रियों के आधार पर किया था अतः इन विस्तारण को हैकशर-ओलीन सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है।

हैकशर-ओलीन सिद्धान्त के अनुसार कोई भी राष्ट्र उन वस्तु का निर्यात करेगा जिनके उत्पादन में उन राष्ट्र के अनेकाङ्कत बहूत वाले साधन की अधिक मात्रा

1 Ohlin, B — Interregional and International Trade, p 20

"The fact that the productive factors enter into the production of different Commodities in very different proportions, and that therefore (relative prices of the factors being different in different countries) an international specialization of production is profitable is so obvious that it can hardly have escaped notice. Yet this fact was long ignored in international trade theory"

उपयोग में आती है तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसमें उम राष्ट्र के सापेक्ष रूप से दुर्लभ साधन की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा उपयोग में आती है।

ओलीन के शब्दों में, "सामान्यतया प्रत्येक क्षेत्र में बाहुल्य वाले साधन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं एवं कमी वाले (scanty) साधन अपेक्षाकृत महंगे। जिन वस्तुओं के उत्पादन में पहले वाले (former) साधनों की अधिक तथा बाद वाले (latter) साधनों की कम आवश्यकता होती है उनका उन वस्तुओं के विनिमय में निर्यात होता है जिनमें साधनों की विपरीत अनुपातों में आवश्यकता होती है।"²

स्पष्ट है कि हैबरर-ओलीन सिद्धान्त के अनुसार भारत जैसा श्रम-सम्पन्न राष्ट्र श्रम-गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा तथा पूँजी साधन की दुर्लभता के कारण पूँजी-गहन वस्तुओं का आयात करेगा।

भौतिक परिभाषा व कीमत परिभाषा

(The Physical and the Price Definitions)

हैबरर-ओलीन सिद्धान्त की दो भिन्न परिभाषाएँ हैं—प्रथम तो भौतिक परिभाषा है जो नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. लियोनतीफ (Leontief) द्वारा प्रदान की गयी है। इस परिभाषा के अनुसार

यदि

$$\left(\frac{K}{L} \right)_I > \left(\frac{K}{L} \right)_{II}$$

तो प्रथम राष्ट्र पूँजी सम्पन्न एवं श्रम दुर्लभ राष्ट्र है। यहाँ पर K से अभिप्राय सम्बन्धित राष्ट्र में उपलब्ध समस्त पूँजी की मात्रा से है तथा L से अभिप्राय उस राष्ट्र में उपलब्ध समस्त श्रम की मात्रा से है।

द्वितीय परिभाषा कीमत परिभाषा है जो कि स्वयं हैबरर-ओलीन द्वारा प्रदान की गयी है। इस परिभाषा के अनुसार यदि

2 Ohlin, B — op cit p. 63

* Generally, abundant factors are relatively Cheap scanty factors are relatively dear, in each region Commodities requiring for their production much of the former and little of the latter are exported in exchange for goods that call for factors in the opposite proportions"

$$\left(\frac{P_x}{P_L} \right)_I < \left(\frac{P_x}{P_L} \right)_{II}$$

तो प्रथम राष्ट्र पूँजी सम्पन्न तथा श्रम दुर्लभ राष्ट्र है। यहाँ पर $\frac{P}{P_L}$ व्यापार

पूर्व साम्य में श्रम की कीमत के रूप में पूँजी की कीमत है। यदि भौतिक परिमाणा का उपयोग किया जाय तो हैक्शचर-ओलीन प्रमेय का सत्यापन निम्न चार चरणों में स्थापित किया जा सकता है³ —

1. सर्वप्रथम हम यह दर्शाते हैं कि पूँजी सम्पन्न प्रथम राष्ट्र उत्पादन में समान

वस्तु-कीमत अनुपात पर द्वितीय राष्ट्र की तुलना में ऊँचा $\left(\frac{x}{y} \right)$ अनुपात

उत्पादित करेगा। यहाँ पर x वस्तु पूँजी गहन वस्तु मानी गई है।

2. द्वितीय, हम यह मान लेते हैं कि दोनों राष्ट्रों में उपभोग का टाँचा पूर्णतया एक जैसा है अर्थात् दोनों राष्ट्रों में समान वस्तु कीमत अनुपात पर उपभोग में

$\left(\frac{x}{y} \right)$ अनुपात समान होगा।

3. उपर्युक्त दो मान्यताओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यापार

पूर्व साम्यावस्था में $\left(\frac{P_x}{P_y} \right)_I < \left(\frac{P_x}{P_y} \right)_{II}$ और इस प्रकार यह तर्क

पूर्ण करते हैं कि श्रम सम्पन्न राष्ट्र में व्यापार पूर्व साम्यावस्था में पूँजी गहन वस्तु की सापेक्ष कीमत कम होगी, तत्पश्चात्

4. यह तर्क दिया जाता है कि पूँजी सम्पन्न राष्ट्र पूँजी-गहन वस्तु का निर्यात करेगा तथा श्रम-गहन वस्तु का आयात।

यदि कीमत परिभाषा का अनुसरण किया जाय तो हैक्शचर-ओलीन प्रमेय का सत्यापन सीधा इस तर्क से प्रारम्भ होता है कि किसी भी राष्ट्र के वास्तव्य वाले साधन

3. विस्तृत विवेचन के लिए देखिए

Bhagwati, J —The Proofs of the Theorems on Comparative Advantage—E J., Mar. 1967, pp 75-83

की जिन वस्तु के उत्पादन में अज्ञात अग्रिम मात्रा प्रयुक्त की जाती है उम वस्तु की व्यापार पूर्व साम्य कीमत उस राष्ट्र में अन्य राष्ट्र की तुलना में कम होगी। अतः कीमत परिभाषा के आधार पर हैक्शचर-ओलीन प्रमेय के स्थापन के लिए भौतिक परिभाषा के स्थापन में प्रयुक्त किये गए तीन विशिष्ट चरणा की आवश्यकता नहीं रहती है। क्योंकि हमारी तकनीकी मान्यताएँ वस्तु व साधन अनुपातों में अलग (unique) सम्बन्ध स्थापित कर देती हैं। अतः

$$\left(\frac{P_x}{P_L} \right)_I < \left(\frac{P_x}{P_L} \right)_{II}$$

है कि $\left(\frac{P_x}{P_r} \right) < \left(\frac{P_x}{P_r} \right)_{II}$ इससे प्रागे भौतिक परिभाषा वाले केवल चौथे

चरण के तक (एक राष्ट्र उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसकी सापेक्ष कीमत व्यापार पूर्व साम्य में अन्य राष्ट्र की तुलना में कम हो तथा दूसरी वस्तु का आयात करेगा) की आवश्यकता रह जाती है। ध्यान रहे कि कीमत परिभाषा में भौतिक परिभाषा के चरण (3) के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है।

हैक्शचर-ओलीन सिद्धान्त की मान्यताएँ

(Assumptions underlying the H O. Theory)

विश्लेषण को और प्रागे बढ़ाने से पूर्व हैक्शचर-ओलीन प्रमेय की मान्यताओं से अलग होना अति आवश्यक है। हैक्शचर-ओलीन प्रमेय की प्रमुख मान्यताएँ निम्न हैं —

(1) दो राष्ट्र, दो वस्तुएँ, व दो साधन

(2) दोनों राष्ट्रों में भिन्न साधन सम्पन्नताएँ अर्थात् $\left(\frac{K}{L} \right)_I > \left(\frac{K}{L} \right)_{II}$

(3) दोनों राष्ट्रों में वस्तु व साधन बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता,

(4) दोनों राष्ट्रों में दो हुई वस्तु का उत्पादन फलन एक जैसा⁴, लेकिन भिन्न वस्तुओं

में भिन्न साधन गहनता अर्थात् $\left(\frac{K}{L} \right)_x > \left(\frac{K}{L} \right)_r$

4 "The Physical conditions of Production are everywhere the same —". Ohlin, *op cit*, p 9

चित्र 4.1 में II II द्वितीय राष्ट्र का रूपान्तरण वक्र है तथा U_{II} इस राष्ट्र का समुदाय उदासीन वक्र। इस राष्ट्र में व्यापार पूर्व साम्य वस्तु-कीमत अनुपात A-B रेखा के ढाल द्वारा दर्शाया गया है। व्यापार पूर्व साम्य उत्पादन व उपभोग बिन्दु S_{II} है।

अब मान लीजिए कि पूँजी साधन की मात्रा में अभिवृद्धि हो जाती है और

$$\left(\frac{K}{L}\right)_x > \left(\frac{K}{L}\right)_y \text{ है। अतः उत्पादन सम्भावना वक्र दिवर्त (shift) होकर I I}$$

हो जायेगा। उत्पादन सम्भावना वक्र I-I वक्र II-II की तुलना में मर्मा बिन्दुओं पर बाहर की तरफ है, अतः यह दर्शाता है कि साधन पूर्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप एक अथवा दोनों वस्तुओं का पूर्व से अधिक उत्पादन सम्भव है। लेकिन y वस्तु की तुलना में x वस्तु पूँजी गहन है, अतः पूँजी साधन की पूर्ति में वृद्धि के कारण उत्पादन सम्भावना वक्र पूँजी गहन वस्तु x वाले अक्ष पर बाहर की ओर अधिक दिवर्त होगा। अब मान लीजिये कि पूँजी सम्पन्न प्रथम राष्ट्र का उत्पादन सम्भावना वक्र I I है। यदि हम यह मान लें कि दोनों राष्ट्रों में वस्तु कीमत अनुपात समान है तो राष्ट्र I-I में व्यापार पूर्व साम्यावस्था में वस्तु कीमत अनुपात दर्शाने वाली D-E रेखा A-B कीमत रेखा के समानान्तर होगी। अब यदि हम दोनों राष्ट्रों में एक जैसा उपभोग का ढाँचा मान लें तो प्रथम राष्ट्र का उपभोग बिन्दु, मूल बिन्दु से S_{II} बिन्दु से गुजरने वाली सरल रेखा पर, C_1 होगा। इसका अभिप्राय यह है कि समान वस्तु कीमत अनुपात पर दोनों राष्ट्रों में x तथा y वस्तुओं का समान अनुपात में उपभोग हो रहा है। इसका आशय निस्सन्देह यह है कि दोनों राष्ट्रों में समुदाय पसन्दगियाँ न केवल एक जैसी ही हैं अपितु होमोथेटिक (Homothetic) भी हैं। लेकिन प्रथम राष्ट्र का उत्पादन बिन्दु P_1 है जबकि उपभोग बिन्दु S_1 है, अतः उत्पादन व उपभोग बिन्दु भिन्न होने के कारण प्रथम राष्ट्र व्यापार पूर्व साम्यावस्था में नहीं है। स्पष्ट है कि हमारी मान्यताओं के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्र में व्यापार पूर्व साम्यावस्था में समान वस्तु कीमत अनुपात नहीं बना रह सकता, क्योंकि DE रेखा के ढाल वाले वस्तु कीमत अनुपात पर प्रथम राष्ट्र में y वस्तु का उत्पादन इस वस्तु की माँग की तुलना में कम है, अतः माँग-पूर्ति में साम्य स्थापित होने हेतु यह आवश्यक है कि y वस्तु के सापेक्ष मूल्य में वृद्धि हो। माँग व पूर्ति की शक्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप प्रथम राष्ट्र का व्यापार पूर्व साम्य बिन्दु I-I रूपान्तरण वक्र पर P_1 बिन्दु के बायीं ओर C_1 बिन्दु के दक्षिण पूर्व में विस्थापित होगा, चित्र 4.1 में ऐसा साम्य बिन्दु S_1 है तथा व्यापार पूर्व साम्य वस्तु कीमत अनुपात FG रेखा के ढाल वाला है। स्पष्ट है कि FG वस्तु

कीमत अनुपात रेखा AB रेखा से कम ढालु (flatter) है, जिसका अभिप्राय है कि

$$\left(\frac{P_x}{P_y}\right) < \left(\frac{P_x}{P_y}\right)_{II}$$


अतः यह सुनिश्चित हो जाता है कि प्रथम राष्ट्र x वस्तु का निर्यात करेगा तथा y वस्तु का आयात जो कि हैक्शर-प्रोलोन प्रमेय के निष्कर्ष के अनुरूप है।

हैक्शर-प्रोलोन प्रमेय की कीमत परिभाषा

हैक्शर-प्रोलोन प्रमेय की कीमत परिभाषा के अनुसार यदि

$$\left(\frac{P_K}{P_L}\right)_I < \left(\frac{P_K}{P_L}\right)_{II}$$

तो प्रथम राष्ट्र पूर्णतः सम्पन्न राष्ट्र है तथा इस प्रमेय के अनुसार यह राष्ट्र पूर्णतः गहन वस्तु का निर्यात एवं श्रम गहन वस्तु का आयात करेगा, इस सम्भावना को हम चित्र 4.2 की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं।




चित्र 4.2—हैक्शर-प्रोलोन प्रमेय कीमत परिभाषा

हैक्शर-ओलीन मॉडल के ढाँचे में व्यापाररत राष्ट्रों का साम्य
(Equilibrium of Trading countries in the Heckscher-Ohlin framework)

हैक्शर-ओलीन मॉडल की मान्यताओं के अन्तर्गत व्यापाररत राष्ट्रों का साम्य चित्र 4.3 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

एक जैसे उत्पादन फ़ंक्शन (Identical Production Functions) की मान्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रथम राष्ट्र पूर्वी मध्यम राष्ट्र है क्योंकि समस्त माघना को प्रयुक्त करके यह राष्ट्र पूर्वा-गहन वस्तु x की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा उत्पादित कर सकता है, जबकि द्वितीय राष्ट्र में श्रम-माघन के बाहुल्य के कारण समस्त साधनों की महायता में इस राष्ट्र में श्रम-गहन वस्तु y का अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन सम्भव है।

चित्र 4.3 (a) तथा (b) में क्रमशः प्रथम व द्वितीय राष्ट्र के उत्पादन सम्भावना वक्र तथा समुदाय उदामीन वक्र दर्शाये गये हैं। व्यापारपूर्व मान्यताद्वय में प्रथम राष्ट्र का उत्पादन व उपभोग बिन्दु E_1 तथा द्वितीय राष्ट्र का E_{II} है। इन बिन्दुओं पर दोनों राष्ट्रों में उत्पादन सम्भावना वक्र तथा समुदाय उदामीन वक्र घटे हुए वस्तु कीमत अनुपात रेखा के स्पर्श हैं।



चित्र 4.3 - हैक्शर-ओलीन मॉडल में व्यापाररत राष्ट्रों का साम्य

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम राष्ट्र पूर्वा-गहन वस्तु x के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा व x वस्तु का निर्यात करेगा अतः इस राष्ट्र का उत्पादन बिन्दु E_1 में विवर्त होकर P'_1 हो जाता है। इसके विपरीत द्वितीय राष्ट्र अम-गहन वस्तु y के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा तथा इस वस्तु का निर्यात करेगा अतः द्वितीय राष्ट्र का उत्पादन बिन्दु E_{11} में विवर्त होकर P'_{11} हो जाता है। व्यापारोपरान्त साम्यावस्था में प्रथम तथा द्वितीय राष्ट्र के उपभोग बिन्दु क्रमशः C_1 तथा C'_{11} हैं।

दोनों राष्ट्रों के चित्रों में $P'-P'$ रेखाएँ समानान्तर हैं, इन रेखाओं का ढाल अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात है। $P'-P'$ रेखाओं के समानान्तर होने का अर्थिप्राय यह है कि व्यापारोपरान्त साम्यावस्था में दोनों राष्ट्रों में वस्तु कीमत अनुपात समान हो जाता है।

इसके अतिरिक्त एक राष्ट्र के निर्यात दूसरे राष्ट्र के आयातों के ठीक बराबर हों इसके लिए यह आवश्यक है कि $P'-P'$ रेखाएँ दोनों चित्रों में समान लम्बाई वाली हों, अतः प्रथम राष्ट्र के चित्र 4.3 (a) में P'_1-C_1 दूरी द्वितीय राष्ट्र के चित्र 4.3 (b) में $P'_{11}-C$ की दूरी के ठीक बराबर है।

चित्र में प्रथम राष्ट्र के निर्यात $R-P'_1$, द्वितीय राष्ट्र के आयात $Q-C'_{11}$ के ठीक बराबर हैं। इसी प्रकार प्रथम राष्ट्र के आयात $R-C_1$ द्वितीय राष्ट्र के निर्यात $Q-P'_{11}$

के बराबर हैं। चित्र 4.3 (a) में कीमत रेखा का ढाल $\frac{R-C_1}{R-P'_1}$ है, अर्थात् प्रचलित

व्यापार की शर्तों पर प्रथम राष्ट्र $R-P'_1$ मात्रा के निर्यात के विनिमय में $R-C_1$ आयात प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार प्रचलित व्यापार की शर्तों पर चित्र 4.3 (b) में $Q-C'_{11}$ व $Q-P'_{11}$ मात्राओं का विनिमय सम्भव है।

चित्र 4.3 (a) व (b) से स्पष्ट है कि व्यापार के परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र उदासीन वक्र U_1 से U_2 पर पहुँचने में सफल हुआ है, यही इन राष्ट्रों की व्यापार में प्राप्त लाभ (gains) है। स्पष्ट है कि व्यापार के परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र उच्चतर कल्याण के स्तर पर है। चित्र 4.3 में राष्ट्रों का U_1 से U_2 उदासीन वक्रों पर चलन वास्तव में दो तरह के लाभों का परिणाम है : प्रथम, विनिमय से प्राप्त लाभ तथा द्वितीय विशिष्टीकरण में प्राप्त लाभ। इन दोनों तरह के लाभों को पृथक् करने की विधि यह है कि व्यापार पूर्व साम्य बिन्दु में अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा के समानान्तर रेखा खींचिए, यह रेखा जहाँ बहीं भी उदासीन वक्र के स्पर्श हो वह बिन्दु विनिमय में प्राप्त लाभ

दर्शायेगा, तत्पश्चात् U_2 से U_3 पर चलन विशिष्टीकरण के साथ दर्शायेगा। उदाहरणार्थ, चित्र 4.3 (a) में $E_I - C'$ रेखा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा $P' - P'$ के समानांतर है तथा यह उदासीन वक्र U_2 के C बिन्दु पर स्पर्श है अतः E_I से C तक चलन प्रथम राष्ट्र के विनिमय से प्राप्त लाभ दर्शाता है क्योंकि ये लाभ अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात लागू करने से प्राप्त हुए हैं। चूंकि उत्पन्न वस्तु व्यापारपूर्व वाला (E_I) ही रेखा गमा है अतः इस लाभ में उत्पादन में विशिष्टीकरण के साथ सम्मिलित नहीं है। लेकिन परिवर्तित वस्तु कीमत अनुपात की स्थिति में उत्पादक E_I बिन्दु पर साम्यावस्था में नहीं है ($E_I - C$ कीमत रेखा E_I बिन्दु पर उत्पादन सम्भावना वक्र के स्पर्श नहीं है), अतः उत्पादक परिवर्तित वस्तु कीमत अनुपात के अनुरूप अपने उत्पादन में समायोजन करेंगे जिससे उत्पादन बिन्दु E_I से विवर्त होकर $P'I$ हो जायेगा जिसके परिणाम स्वरूप उपभोग बिन्दु C से C_{II} हो जायेगा अर्थात् राष्ट्र समुदाय उदासीन वक्र U_2 से U_3 पर चलन करेगा, अतः C से C_{II} का चलन विशिष्टीकरण से प्राप्त लाभ दर्शाता है।

इसी प्रकार चित्र 4.3 (b) में E_{II} से C बिन्दु का चलन द्वितीय राष्ट्र के विनिमय से प्राप्त लाभ दर्शाता है तथा C से C_{II} का चलन विशिष्टीकरण से प्राप्त लाभों को प्रदर्शित करता है।

हैबश्चर-थोलोन सिद्धान्त की आलोचनाएँ

(Criticisms of the H O Theory)

हैबश्चर-थोलोन सिद्धान्त की मान्यताओं व साधन तथा वस्तु की परिभाषाओं की आलोचनाएँ की गयी हैं, ये आलोचनाएँ निम्न हैं —

1. हैबश्चर-थोलोन प्रमेय में उत्पादन के साधनों को परिभाषित करना काफी कठिन कार्य है। यदि हम उत्पादक साधनों को मोटे तौर पर भूमि, धन, पूँजी आदि श्रेणियों में परिभाषित करते हैं तो हम इस तथ्य को नजर अन्दाज कर देते हैं कि उत्पादक साधन समरूप नहीं होते हैं। उत्पादक साधनों के अनेक अप्रतियोगी समूह विद्यमान होने के तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि हम उत्पादक साधनों को सकीणरूप में परिभाषित करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि साधन विशेष केवल राष्ट्र विशेष में ही विद्यमान पाया जाएगा तथा अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निरपेक्ष लाभ के आधार पर होता हुआ पाया जाएगा।
2. हैबश्चर-थोलोन सिद्धान्त की समस्त राष्ट्रों में समान उपभोग का प्रारूप मान लेने की मान्यता भी अवास्तविक है।
3. हैबश्चर-थोलोन सिद्धान्त में एक अन्य दुविधा वस्तुओं को उत्पादक साधनों से भिन्न करने से सम्बद्ध है क्योंकि अधिकांश विश्व व्यापार अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं

मे अर्थात् ऐसी वस्तुओं में होता है जो अग्निम उपभोग के काम में नहीं आती है अपितु उनकी सहायता से अन्य वस्तुएँ निर्मित की जाती हैं, उदाहरणार्थ, कपड़ा तैयार करने हेतु धागे का आयात ।

4. श्रम के अप्रतियोगी समूहों से सम्बद्ध एक अन्य दुविधा पूँजी से श्रम को भिन्न करने से सम्बन्धित है । जब वस्तु विशेष के उत्पादन में प्रशिक्षित व तकनीकी दृष्टिकोण से कुशल श्रम कार्यरत हो तो ऐसी वस्तु को श्रम-गहन अथवा पूँजी-गहन वस्तु के रूप में परिभाषित करना सम्भव नहीं है क्योंकि इजिनियरिंग तथा टेक्नोलॉजिस्ट ऐसी शिक्षण सस्याओं की उपज (Products) होत हैं जिनमें अत्यधिक पूँजी लगी हुई है अतः इन प्रकार के कुशल श्रम को एक साधारण श्रमिक के समरूप मान लेना अनुचित होगा ।
5. हेक्शर-ओलीन सिद्धान्त की एक गम्भीर मान्यता समस्त राष्ट्रों में एक जैसे उत्पादन फलन मान लेना है । लेकिन दो हुई वस्तु का सम्मत राष्ट्रों में एक जैसा उत्पादन फलन मान लेने का अभिप्राय यह है कि समस्त राष्ट्रों में उस वस्तु को उत्पादित करने हेतु समान तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध हैं । लेकिन यह मान्यता अवास्तविक है ।
6. अन्त में हम कह सकते हैं कि वास्तविक जगत में व्यापार का ढाँचा हेक्शर-ओलीन सिद्धान्त के अनुरूप नहीं पाया गया है । नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. लियोनतीफ (Leontief) ने अमेरिका के आयात नियति उद्योगों का अध्ययन करने पर पाया कि विश्व के सर्वाधिक पूँजी सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका के आयात-प्रतिस्थापन उद्योग निर्धन उद्योगों की तुलना में अधिक पूँजी-गहन हैं अर्थात् अमेरिका के आयात उसके निर्यातों से अधिक पूँजी गहन पाये गये । प्रो० लियोनतीफ के इस निष्कर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में 'लियोनतीफ विरोधाभास (Leontief Paradox)' के नाम से जाना जाता है । लियोनतीफ विरोधाभास का विस्तृत अध्ययन हम परिशिष्ट-C में करेंगे ।

हेक्शर-ओलीन तथा रिकार्डों के सिद्धान्तों में माँग की भूमिका (Role of Demand in Heckscher-Ohlin theory and the Ricardian Theory)

प्रो० जगदीश भगवती (Jagdish Bhagwati) ने रिकार्डों के मॉडल व हेक्शर-ओलीन मॉडल में माँग की भूमिका की जाँच की है । यहाँ पर हम पहले


5 Bhagwati, J.—The Proofs of the Theorems on Comparative Advantage—Economic Journal, (Mar 1967), pp. 75-83

रिवाडों के मॉडल में माँग की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे तत्परचात् हैक्शर-प्रौलीन मॉडल में माँग की भूमिका की जाँच करेंगे।

प्रो० भगवती ने दर्शाया है कि रिवाडों के मॉडल में माँग की शर्तों पर प्रतिबन्ध की अनुपस्थिति में, दो राष्ट्रों में वस्तु कीमत अनुपात भिन्न होने के बावजूद भी उनके मध्य व्यापार होना आवश्यक नहीं है। इसका कारण माँग की शर्तों का इस प्रकार का होना है जिसने परिणामस्वरूप राष्ट्र में व्यापारपूर्व अवस्था में बहु-साम्य विद्यमान हो।

प्रो० भगवती ने अपने इस बिन्दु को अर्पण वक्र (offer curve) द्वारा प्रस्तुत किया है लेकिन इस बिन्दु को हम उत्पादन सम्भावना वक्र द्वारा आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं।

चित्र 4 4 में हम बिन्दु को स्पष्ट किया गया है। माना कि चित्र-4 4 में व्यापार पूर्व माग्मावस्था में राष्ट्र का उत्पादन व उपभोग बिन्दु E है। E बिन्दु पर उत्पादन सम्भावना वक्र समुदाय उदासीन वक्र U_1 के स्पर्श है। अब मान लीजिये कि अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु कीमत अनुपात A B₁ रेखा के दान वाला निर्धारित हो जाता है तो व्यापाररत राष्ट्र का उत्पादन बिन्दु परिवर्तित होकर A हो जायेगा अर्थात् विचारार्थ राष्ट्र Y वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा।



चित्र 4 4—भिन्न उत्पादन फलनों के बावजूद व्यापार की अनुपस्थिति

यदि समुदाय उदासीन वक्र आपस में काटने हुए नहीं हैं तो व्यापारोपरात साम्य उपभोग बिन्दु C जैसा कोई भी बिन्दु हो सकता है। यदि व्यापारोपरात साम्य उपभोग

बिन्दु C है तो विचारार्थ राष्ट्र Y वस्तु की AD मात्रा के निर्यात के विनिमय में X वस्तु की DC मात्रा का ध्यात करेगा तथा व्यापार के परिणामस्वरूप राष्ट्र ऊँचे उदासीन वक्र U_3 पर पहुँच जायेगा। लेकिन यदि समुदाय उदासीन वक्र आपस में काटते हुए हैं तो नया उपभोग बिन्दु अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा AB_1 पर A बिन्दु सहित कहीं भी स्थित हो सकता है। यदि नया उपभोग बिन्दु A निर्धारित हो जाता है (A बिन्दु पर AB रेखा उदासीन वक्र U_2 के स्पर्श है) तो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सम्भावना समाप्त हो जाती है क्योंकि राष्ट्र का उत्पादन व उपभोग दोनों ही A बिन्दु पर हो रहे हैं।

अतः माँग की शर्तों पर प्रतिबन्ध की अनुपस्थिति में रिकार्डों का मॉडल सत्य नहीं बना रहता है।

अब हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि रिकार्डों के मॉडल को मान्य बनाये रखने हेतु माँग पर किस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने आवश्यक है? वास्तव में रिकार्डों के मॉडल को मान्य बनाये रखने हेतु हमें माँग पर गम्भीर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है।

क्योंकि एक साधन वाली अर्थव्यवस्था में आय का वितरण अपरिवर्तित रहता है अतः एक सु-व्यवहृत (well-behaved) समुदाय उदासीन मानचित्र प्राप्त करने हेतु हमें केवल यह मान्यता माननी आवश्यक है कि व्यक्तिगत उदासीन वक्र सु-व्यवहृत है।


एक अन्य समान रूप से सौम्य प्रतिबन्ध प्रो. हेरी जॉनसन (Harry Johnson) ने इंगित किया है। वह यह मान्यता ही सक्ती है कि समस्त वस्तु कीमत अनुपातों पर प्रत्येक राष्ट्र में दोनों वस्तुओं की कुछ मात्रा का उपभोग अशुभ होता रहे। इस मान्यता के परिणामस्वरूप उत्पादन सम्भावना वक्र के बने पर उपभोग बिन्दु विद्यमान होने की सम्भावना समाप्त हो जाती है।

प्रो० जगदीश भगवती⁶ व प्रो० के० इनादा⁷ (Inada) ने हैबश्चर-ओलीन मॉडल में माँग की भूमिका की जाँच की है तथा यह दर्शाया है कि समुदाय पसन्दगी पर उचित प्रतिबन्धों की अनुपस्थिति में कीमत परिभाषा के रूप में हैबश्चर-ओलीन प्रमेय की सत्यता खतरे में पड़ सकती है। हैबश्चर-ओलीन के द्वि-साधन मॉडल में जहाँ कि

6. Bhagwati J op cit,

7. Inada, K.—A Note on the H O Theorem Economic Record Mar 2, 1967, pp 88 96

उत्पादन सम्भावना वक्र मूल बिन्दु की ओर नजदीक होता है, थापम में काटने हुए समुदाय उदासीन वक्रों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप दो राष्ट्रों के मध्य साधन सम्पन्नताओं की भिन्नताओं के बावजूद भी न केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की अनुपस्थिति ही सम्भव है अपितु हैकशर-प्रोलोन प्रमेय द्वारा पूर्व-निश्चित (Predicted) व्यापार के ढाँचे के ठीक विपरीत दिशा में व्यापार होना भी सम्भव है।



चित्र 45—हैकशर-प्रोलोन प्रमेय के निष्कर्षों पर माँग का प्रभाव

चित्र 45 में प्रथम राष्ट्र अपेक्षाकृत पूर्णो मन्मत्त राष्ट्र है तथा इसका उत्पादन सम्भावना वक्र I-I है। व्यापारपूर्व साम्य वस्तु-कीमत अनुपात p_0-p_0 रेखा के ढाल द्वारा दर्शाया गया है। व्यापार प्रारम्भ होने के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु-कीमत अनुपात p_1-p_1 रेखा के ढाल वाला निर्धारित हो जाता है। पूर्णो मन्मत्त राष्ट्र प्रथम अपेक्षाकृत पूर्णो-गहन वस्तु X के उत्पादन में विप्रेक्षित करता है अतः उत्पादन बिन्दु व्यापारपूर्व साम्य उत्पादन बिन्दु E से विचलित होकर P' हो जाता है। P' बिन्दु पर p_1-p_1 रेखा उत्पादन सम्भावना वक्र के स्पर्शी है। अब हैकशर-प्रोलोन प्रमेय को मान्य बनाय रखने हेतु यह आवश्यक है कि इस राष्ट्र का उपभोग बिन्दु व्यापार की शर्तों की रेखा P_1-P_1 पर P' बिन्दु के बायीं ओर हो। इस प्रकार का एक बिन्दु C' है। लेकिन C' उपभोग बिन्दु U_H समुदाय उदासीन वक्र पर है जो कि U_0 उदासीन वक्र को नहीं काट रही है। अर्थात् सु-व्यवहृत उदासीन वक्रों की स्थिति में हैकशर-प्रोलोन

प्रमेय मान्य है। लेकिन यदि समुदाय उदासीन वक्र सु-व्यवहारित नहीं है तो व्यापारोप-
रात साम्य उपभोग बिन्दु p_1-p_2 रेखा पर नहीं भी स्थित हो सकता है। प्रो० भगवती
के अनुसार यदि नया उदासीन वक्र U_B है तो P' साम्य उपभोग बिन्दु होगा एवं साधन
सम्पन्नता की भिन्नता के बावजूद भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा।

प्रो० इनाडा (Inada) ने दर्शाया है कि यदि नया समुदाय उदासीन
वक्र U_1 है तो साम्य उपभोग बिन्दु C_1 निर्धारित होगा। इस स्थिति
में यह राष्ट्र y - वस्तु का निर्यात करता हुआ पाया जायेगा तथा व्यापार की
दिशा हैक्शर - श्रोलोन प्रमेय द्वारा पूर्व कथित (predicted) दिशा से
ठीक विपरीत होगी। उदाहरणार्थ, C_1 उपभोग बिन्दु की स्थिति में चित्र में दर्शाया
गया पूँजी प्रधान प्रथम राष्ट्र श्रम-गहन वस्तु y का निर्यात व पूँजी-गहन वस्तु x का
आयात करता हुआ पाया जायेगा। चित्र में उदासीन वक्र U_0 हैक्शर-श्रोलोन, U_B
भगवती तथा U_1 इनाडा के बिन्दुओं से सम्बद्ध है।

अतः हैक्शर-श्रोलोन सिद्धान्त को मान्य बनाए रखने हेतु माँग पक्ष के सम्बन्ध
में यह मान लेना पर्याप्त होगा कि समुदाय उदासीन वक्र सु-व्यवहारित है, अथवा इसी
बात को हम यो कह सकते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का व्यवहार विवेकशील व्यक्तिगत
उपभोक्ता की भाँति है। यह मान्यता प्राप्त में बाटते हुए समुदाय उदासीन वक्रों की
सम्भावना को समाप्त कर देगी।

हैक्शर-श्रोलोन तथा रिकार्डों की प्रमेयों की तुलना

(Comparison between H O. and the Ricardian Theorem)

रिकार्डों की प्रमेय तथा हैक्शर-श्रोलोन प्रमेय दो पूर्णतया भिन्न परिकल्पनाएँ
(hypotheses) हैं।

इन दोनों प्रमेयों में सबसे महत्वपूर्ण समानता यह है कि दोनों ही सिद्धान्तों में
व्यापार का आधार तुलनात्मक लागतों में भिन्नताएँ हैं, अन्यथा दोनों प्रमेय एक
दूसरे से पूर्णतया भिन्न हैं। दोनों सिद्धान्तों में निम्न प्रमुख अन्तर हैं :—

- (1) रिकार्डों के सिद्धान्त में तुलनात्मक लागतों में अन्तर का कारण दो राष्ट्रों
में उत्पादन फलनों की भिन्नता है जबकि हैक्शर-श्रोलोन सिद्धान्त में दोनों
राष्ट्रों में एक जैसे उत्पादन फलन की मान्यता माननी गयी है।
- (2) हैक्शर-श्रोलोन सिद्धान्त का विश्लेषणात्मक दृष्टि रिकार्डों के सिद्धान्त

के विस्तेपणात्मक ढाँचे में पूर्णतया निर्र है। रिवाहों के सिद्धान्त में, उत्पादन के एक साधन (धन) की मान्यता है, तथा इस मान्यता के माप पैमाने के स्थिर प्रतिफलों की मान्यता मानकर, साधन पूति की व्यापार के ढाँचे के निर्धारण के लिए पूर्णतया असम्बद्ध (irrelevant) कर दिया गया है। दूसरी ओर हैक्शर-प्रोलोन मॉडल में उत्पादन में दो साधनों की मान्यता मानकर तुलनात्मक लाभ निर्धारण में मानव सम्पन्नता की प्रमुख निर्धारक घटक बना दिया गया है।

- (3) अन्तर (2) की मान्यताओं के परिणाम स्वरूप रिवाहों के सिद्धान्त में स्थिर लागतों वाला उत्पादन सम्भावना वक्र तथा हैक्शर-प्रोलोन मॉडल में बढ़ती हुई लागतों वाला उत्पादन सम्भावना वक्र प्राप्त होता है।
- (4) अन्तर (3) के उत्पादन सम्भावना वक्रों के अस्तित्व के कारण रिवाहों के मॉडल में व्यापाररत राष्ट्र निर्यात वस्तु में पूर्ण विशिष्टीकरण करता है जबकि हैक्शर-प्रोलोन मॉडल में पूर्ण विशिष्टीकरण अवश्यम्भावी नहीं है (सामान्यतया हैक्शर-प्रोलोन मॉडल में राष्ट्र आंशिक विशिष्टीकरण करने हुए पाये जाते हैं)।
- (5) माँग की शर्तों पर प्रतिबन्ध के दृष्टिकोण से रिवाहों के मॉडल में केवल यह प्रतिबन्ध पर्याप्त है कि व्यापार की अनुपस्थिति में दोनों राष्ट्रों में दोनों वस्तुओं का उपयोग व उत्पादन होता रहे। जबकि हैक्शर-प्रोलोन सिद्धान्त में राष्ट्रों में लगभग एक जैसी अमिस्त्वियों (tastes) की मान्यता माननी पड़ती है, जो कि माँग की शर्तों पर अग्रिक बड़ा प्रतिबन्ध है।
- (6) रिवाहों के सिद्धान्त में एक साधन की मान्यता के कारण व्यापार से पूर्व व पश्चात् आय का वितरण अपरिवर्तित रहता है जबकि हैक्शर-प्रोलोन सिद्धान्त में आय का पुनर्वितरण सम्भव है।
- (7) अन्तर (6) के कारण रिवाहों के मॉडल में व्यापार के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के स्तर में वृद्धि होती है जबकी हैक्शर-प्रोलोन सिद्धान्त के सम्बन्ध में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। रिवाहों के सिद्धान्त में केवल एक स्थिति में ही बड़े राष्ट्र के कल्याण के स्तर में वृद्धि नहीं होती है और ऐसा उम समय होता है जबकि बड़े राष्ट्र का व्यापारपूर्व वास्तविक वस्तु कीमत अनुपात अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात निर्धारित हो जाता है।

- (8) प्रो जगदीश भगवती⁸ ने इंगित किया है कि हैकश्चर-ओलीन सिद्धान्त रिकार्डों के सिद्धान्त से इसलिए भी भिन्न है कि इसे स्पष्ट रूप से 'यथार्थमूलक' (Positive) सिद्धान्त में योगदान के रूप में विदेशी व्यापार के प्राप्ति को स्पष्ट करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, व्यापार के लाभों (gains) पर जोर देने के लिए अथवा व्यापार सिद्धान्त की कल्याणकारी प्रस्तावनाएँ (welfare propositions) विस्थापित करने के दृष्टिकोण से नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य सिद्धान्त*

(Other Theories of International Trade)

हैकश्चर-ओलीन सिद्धान्त में साधन सम्पन्नताओं में भिन्नता को व्यापार का आधार माना गया है। परन्तु कुछ अन्य आधारों के कारण भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव है अतः समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों ने इन आधारों को इंगित किया है एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ अन्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। इन अन्य सिद्धान्तों की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे प्रस्तुत की जा रही है।

1 मानव निपुणता (Human Skills) सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक लियोनतीफ (Leontief), भगवती (Bhagwati), केनर (Kener) क्राविस (Kravis), कीसिंग (Keasing), वाएहरेर (Wachrer), कीनन (Kenen) युदीन (Yudin), रोसकेम्प (Roskamp), मेकमीकिन (McMeekin), भारद्वाज (Bhardwaj), लेरी (Lary) आदि अर्थशास्त्री हैं। मानव निपुणता सिद्धान्त के अनुसार पेशावर कामियों (professional personnel) एवं अत्यधिक प्रशिक्षित श्रम के वाहक के परिणाम स्वरूप निपुणता-गहन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। अतः इस प्रकार के व्यापार में निर्यात वस्तु की प्रमुख विशेषता उत्पादन व वितरण में आवश्यक निपुणता होती है।

2 पैमाने की बचत (Scale Economy) सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक ओलीन (Ohlin), ड्रेज (Dreze),

8 Bhagwati J—The Pure Theory of Int Trade A Survey, E J Mar 1964 pp 1-84

★ इन सिद्धान्तों के संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित विवरण तथा सन्दर्भग्रन्थों के लिए देखिए—

Hufbauer G C—The Impact of National characteristics and Technology on the commodity composition of Trade in Manufactured goods—printed in Vernon R (eds)—The Technology factor in International Trade (New York NBER 1970)

हफबाऊर (Hufbauer), एब कीसिंग (Keesing) हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार वर्धमान पैमाने के प्रतिफल के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं के विशाल घरेलू बाजार वस्तु के निर्यात में सहायक होते हैं जबकि स्थिर पैमाने के प्रतिफल के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं के निर्यात में छोटे घरेलू बाजार सहायक होते हैं। इस तरह की निर्यात वस्तुओं की विशेषता उनके उत्पादन व वितरण में प्राप्त पैमाने की मित-व्ययताओं की सीमा होती है।

3 उत्पादन की अवस्था (Stage of production) सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के प्रतिपादक ड्रेज (Dreze) जैसे अर्थशास्त्री व आयात प्रतिस्थापन के पक्षधर अर्थशास्त्री हैं। आयात प्रतिस्थापन के पक्ष में तर्क देते हुए अर्थशास्त्री इस सिद्धान्त की अप्रत्यक्ष रूप से बकालात करते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार नवीनतम तकनीकी (Sophistication) उत्पादक वस्तुओं के निर्यात में सहायक होती है जबकि सरल तकनीकी (Simplicity) 'हल्की' उपभोग वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होती है। इस तरह की निर्यात वस्तुओं की विशेषता अन्तिम उपभोक्ता से आर्थिक दूरी (Economic Distance) होती है।

4 तकनीकी अन्तराल (Technological gap) सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक टकर (Tucker), क्राविस (Kravis), पोसनर (Posner), हफबाऊर (Hufbauer), डॉगलास (Douglass), एगेन्डोर्फ (Egendorf), ग्रुबर-मेहता (Gruber Mehta), वर्नन (Vernon), कीसिंग (Keesing) आदि अर्थशास्त्री हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार नई वस्तुओं के शुरू के उत्पादकों को निर्यात के लाभ प्राप्त होते हैं जबकि बाद के उत्पादकों को निर्यात संवर्द्धन के लिए निम्न मजदूरी अथवा अन्य स्थैतिक विशेषता पर निर्भर रहना पड़ता है, उत्पादन में राष्ट्रीय प्रवेश का क्रम ऐसी निर्यात वस्तुओं की प्रमुख विशेषता होती है।

5. उत्पाद चक्र (Product cycle) सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के प्रमुख प्रतिपादक हर्श (Hirsch), वर्नन (Vernon), वेल्स (Wells), एब स्टॉबाफ (Stobaugh) हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार नवीनतम तकनीकी व प्रारम्भ में उत्पादन करना मानकीकृत (Standardized) वस्तुओं के निर्यात में सहायक होता है। इस तरह की निर्यात वस्तुओं की प्रमुख विशेषता वस्तु भिन्नता (Differentiation of Commodities) होती है।

6 अधिमान समरूपता (Preference similarity)

इस सिद्धान्त के प्रतिपादक प्रो० लिन्डर (Linder) है। लिन्डर के सिद्धान्त के अनुसार सर्वाधिक समान आर्थिक ढाँचे वाली अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्यापार सर्वाधिक गहन (Most intensive) होता है जबकि पूर्णतया भिन्न ढाँचे वाली अर्थव्यवस्थाओं के मध्य व्यापार न्यूनतम गहनता (least intensive) वाला होता है। इन निर्यात वस्तुओं का प्रमुख विशेषता आयात, निर्यात व घरेलू व्यापार के लिए उत्पादिन वस्तुओं की समरूपता होती है।

अन्त में हम कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उपयुक्त आधुनिकतम सिद्धान्तों में एक प्रमुख समानता यह है कि इन सिद्धान्तों के अनुसार राष्ट्रीय विशेषताएँ व वस्तु विशेषताएँ ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जननी हैं।



परीशिष्ट—C

APPENDIX—C

रिकाडों के सिद्धान्त व हेक्शचर-प्रोलीन सिद्धान्त की आनुभविक जाँच

(Empirical Investigation of the Ricardian theory and the Heckscher-Oblin theory)

वास्तविक जगत में व्यापार का आधार रिकाडों का तुलनात्मक लागत सिद्धान्त है अथवा नहीं तथा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य हेक्शचर-प्रोलीन सिद्धान्त के अनुरूप व्यापार होता है अथवा नहीं, यह जानने हेतु प्रपंशास्त्रियों ने भिन्न राष्ट्रों के आयात-निर्यात व्यापार के आँकड़ों की समय-समय पर जाँच की है।

इस परिशिष्ट में हम सर्वप्रथम रिकाडों के सिद्धान्त से सम्बन्धित अध्ययनों एवं तत्परवात हेक्शचर-प्रोलीन सिद्धान्त से सम्बन्धित अध्ययनों को प्रस्तुत करेंगे।

रिकाडों के सिद्धान्त की आनुभविक जाँच

(Empirical Investigation of the Ricardian Theory)

रिकाडों के सिद्धान्त की आनुभविक जाँच करने वाले प्रमुख प्रपंशास्त्री जी डी ए मकडुगाल¹ (G D A MacDougall), रॉबर्ट स्टर्न² (Robert Stern) एवं बेला बालासा³ (Bela Balassa) हैं। सर्वप्रथम प्रो० मेकडुगाल ने रिकाडों के तुलनात्मक लागत सिद्धान्त की विस्तृत सांख्यिकीय जाँच की थी। मेकडुगाल का अध्ययन रोस्ताज (Rostas) के ब्रिटिश व अमेरिकन उद्योगों में तुलनात्मक उत्पादकता के पूर्व अध्ययन के कारण सम्भव हो सका था।

यद्यपि मेकडुगाल ने सन् 1937 के, स्टर्न ने सन् 1950 व 1959 के तथा बालासा ने सन् 1950 के व्यापार से सम्बन्धित आँकड़ों का अध्ययन किया था, लेकिन

- 1 Mac Dougall, G D A — British and American Exports A study suggested by the Theory of Comparative Costs' Pt I in E J (Dec 1951) and Pt II in E J (Sept 1952)
- 2 Stern R —British and American Productivity and Comparative Costs in International Trade—Oxford Economic Papers, (October, 1962)
- 3 Balassa B—An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory—Rev of Econ & Stat. (Aug 1963)

इन तीनों अर्थशास्त्रियों के अध्ययन अमेरिका व ब्रिटेन के व्यापार अंकड़ों पर ही केन्द्रित है ।

उपरोक्त तीनों अध्ययनों में यह जांच की गयी है कि मूल्य का श्रम-सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख निर्धारक घटक है अथवा नहीं । मूल्य के श्रम-सिद्धान्त के अनुसार श्रम-उत्पादकताओं की भिन्नताओं के कारण भिन्न वस्तुओं की उत्पादन लागत भिन्न होगी जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की व्यापार-पूर्व कीमतें भी भिन्न होंगी और यदि किसी राष्ट्र में वस्तु विशेष की कीमत कम है तो वह राष्ट्र उस वस्तु का निर्यात करेगा ।

प्रो० मेकडुगल ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अपने कार्यकारी रूप (Working Version) को निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया, "जब मूल्य के श्रम-सिद्धान्त को आधार मानकर दो राष्ट्रों की मान्यता मान ली जाती है, तो प्रत्येक राष्ट्र उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिन के उत्पादन में उस राष्ट्र का अन्य राष्ट्र से प्रति-घण्टिक उत्पादन का अनुपात, उस राष्ट्र के अन्य राष्ट्र से मौद्रिक मजदूरी दर अनुपात, से अधिक हो ।"⁴ अर्थात् मेकडुगल ने इस परिवर्तन की जांच की है कि जिस राष्ट्र में वस्तु विशेष के उत्पादन में श्रम-उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक होगी वह राष्ट्र उस वस्तु का निर्यात करेगा ।

सन् 1937 में ब्रिटेन व अमेरिका में ऊंची आयात प्रशुल्क दरें लगी हुई थी अतः प्रो० मेकडुगल ने इन दोनों राष्ट्रों के अन्य राष्ट्रों को बिये जाने वाले निर्यातों पर ध्यान केन्द्रित किया है ।

प्रो० मेकडुगल से अपने अध्ययन के निष्कर्ष में दावा किया कि अपरिष्कृत मूल्य का श्रम सिद्धान्त ब्रिटेन व अमेरिका के निमित्त माल के निर्यात व्यापार की व्याख्या (explanation) प्रदान करता है । प्रो० मेकडुगल ने पाया कि अमेरिका व ब्रिटेन के निर्यात अंशों व श्रम उत्पादकता में उच्च सहसम्बन्ध (high correlation) है ।

स्टर्न व बालासा ने अपने अध्ययनों में मेकडुगल के अध्ययन से सम्बन्धित नवीनतम तथ्य प्रस्तुत किये व अपने अध्ययन से मेकडुगल के पुरोगामी अध्ययन के निष्कर्षों की पुष्टि की । लेकिन प्रो० जगदीश भगवती (Jagdish Bhagwati) ने अपने मार्च 1964 के सर्वे लेख⁵ में मेकडुगल के अध्ययन के अंकड़ों की प्रतीपगमन (Reg-

4 Mac Dougall, G D A —Op cit P 697

5 Bhagwati, J —The pure Theory of International Trade . A survey [E J March, 1964], reprinted in Essays in Int Economic Theory, edited by Feenstra, R C. Vol. 2, pp 313-432.

ression) विरलेपण से जाँच करने में कठिनाई के निष्कर्षों में मन्देह व्यक्त किया है। प्रो० भगवती के ही शब्दों में "हम लघुगुणक (logarithms) से श्रयता नहीं निर्धारित कीमत अनुपातों की श्रम-उत्पादकता अनुपातों पर रेखीय प्रतीपगमन (Linear regressions) लगभग पूर्णतया निराशाजनक (hopeless) है।"⁶

प्रो० भगवती आगे लिखते हैं कि मुद्रतामय इकाई श्रम-तागतों व निर्यात-कीमत अनुपातों के मध्य सम्बन्ध की जाँच करने पर भी हम उतने ही निराशाजनक परिणाम प्राप्त होते हैं।⁷

इसी प्रकार निर्यात-कीमत अनुपात की श्रम-उत्पादकता अनुपातों व मजदूरी दर अनुपात का फलन मानकर प्रतीपगमन गुणाकों का परिकल्पन करने पर भी प्रो० भगवती को कमजोर (Poor) परिणाम प्राप्त हुए।

अन्त में प्रो० भगवती ने मेकटुगान, स्टर्न व बातामा के अध्ययन में सम्बन्धित विचार निम्न शब्दों में व्यक्त किया है 'य परिणाम (प्रो० भगवती के परिणाम) सीमित तो जैसा है वैसा ही है, रिकार्डों के दृष्टिकोण (जैसा इसे सामान्यतया समझा जाता है) पर पर्याप्त मन्देह व्यक्त करते हैं। अतः सामान्य धारणा (मेकटुगान, बातामा व स्टर्न के परिणामों पर आधारीत) के विपरीत अभी तक रिकार्डों की परिकल्पना के पक्ष में प्रमाण (evidence) नहीं है।'⁸

अतः मेकटुगान, स्टर्न व बातामा के अध्ययनों के निष्कर्षों को हमें उम समय तक अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि और अधिक निश्चित प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाते हैं।

हैकशेचर-ओब्लिन सिद्धान्त की आनुभविक जाँच

(Empirical investigation of the Heckscher-Ohlin theory)

अन्तर्राष्ट्रीय ध्यापार के ढाँचे के निर्माण के रूप में हैकशेचर-ओब्लिन मॉडल की मोहन पुस्तकार विवेकता प्रो० कार्मोनि डब्ल्यू० लियोन्तीफ⁹ द्वारा की गई आनुभविक जाँच अर्थशास्त्र में की गई आनुभविक जाँचों में शायद सर्वाधिक विख्यात हुई है।

6. Ibid, p 331

7. Ibid, p 331.

8. Ibid, p 332

9. Leontief, Wassily W — Domestic Production and Foreign Trade * The American capital position Re-examined [Proceedings of the American Philosophical Society, Vol 97, 1953] reprinted in Bhagwati, J (eds) International Trade (1969), pp 93-139

प्रो० लियोनतीफ ने हैक्शचर-भोलोन सिद्धान्त की जाँच करने हेतु अमेरिका की सन् 1947 की आदा-प्रदा सारणी (input-output table) का उपयोग किया था। इस सारणी से किसी भी वस्तु समूह में प्रयुक्त पूँजी तथा श्रम की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। लेकिन ऐसी सारणी केवल अमेरिका के लिए ही उपलब्ध थी अतः प्रो० लियोनतीफ ने मूल निर्यातकर्ता राष्ट्रों में अमेरिका के आयातों में प्रयुक्त श्रम व पूँजी की मात्रा का बजाय अमेरिका के आयात प्रतिस्थापन उद्योगों में प्रयुक्त श्रम व पूँजी की मात्रा का अपने अध्ययन में उपयोग किया। यह प्रक्रिया अपनाता सभी उपयुक्त है जबकि अमेरिका व अन्य राष्ट्रों में अमेरिका की आयात वस्तुओं का उत्पादन फलन एक जैसा (Identical) हो, चूँकि हैक्शचर-भोलोन सिद्धान्त दो हुई वस्तु के विभिन्न राष्ट्रों में एक जैसे उत्पादन फलन की मान्यता मानता है अतः लियोनतीफ की जाँच प्रक्रिया उपयुक्त ही थी।

इस प्रकार प्रो० लियोनतीफ ने अमेरिका में 1 मिलियन डालर मूल्य की आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं व 1 मिलियन डालर मूल्य की निर्यात वस्तुओं में प्रयुक्त श्रम व पूँजी की इकाइयों का परिकलना किया तो निम्न सारणी में दशमि परिणाम प्राप्त हुए।

सारणी 10—1

सन् 1947 में अमेरिका में प्रति 1 मिलियन डालर मूल्य के आयात

प्रतिस्थापन व निर्यात में प्रयुक्त पूँजी व श्रम

	निर्यात	आयात प्रतिस्थापन
पूँजी	\$ 2,550,780	\$ 3,091,339
श्रम (मानव वर्ष)	182	170
पूँजी व श्रम	\$ 13,991	\$ 18,184
श्रम	मानव वर्ष	मानव वर्ष

सामान्यतया अमेरिका को विश्व का सर्वाधिक पूँजी सम्पन्न राष्ट्र माना जाता है। अतः हैक्शचर-भोलोन सिद्धान्त के अनुसार अमेरिका से पूँजी-गहन वस्तुओं का निर्यात व श्रम-गहन वस्तुओं का आयात किया जाना चाहिए। लेकिन प्रो० लियोनतीफ के अध्ययन के परिणाम इसके ठीक विपरीत पाए गये। अतः प्रो० लियोनतीफ के अध्ययन के निष्कर्षों को 'लियोनतीफ विरोधामा' (Leontief Paradox) कहा जाता है।

सारणी । से स्पष्ट है कि अमेरिका की निर्यात वस्तुओं में प्रति धम-वर्ष 13,991 डालर पूँजी प्रयुक्त की जाती है जबकि आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं के उत्पादन में प्रतिधम-वर्ष 18,184 डालर । अतः अमेरिका की निर्यात वस्तुओं की तुलना में आयात प्रतिस्थापन वस्तुएँ अधिक पूँजी गहन हैं ।

स्पष्ट है कि प्रो० नियोनतीफ के अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार अमेरिका के व्यापार की दिशा के सन्दर्भ में हैक्शर-श्रीलीन सिद्धान्त सतोपजनक व्याख्या प्रदान नहीं करता है ।

प्रो० नियोनतीफ जैसी ही जाँच कई अन्य राष्ट्रों के व्यापार के आँकड़ों के आधार पर भी की गयी है ।

भारतवर्ष के व्यापार के सन्दर्भ में बम्बई विश्वविद्यालय के प्रो० आर. भारद्वाज¹¹ ने अपने सन् 1962 के अध्ययन में पाया कि भारतवर्ष धम-गहन वस्तुओं के निर्यात व पूँजी गहन वस्तुओं का आयात करता है । अतः भारत का व्यापार हैक्शर-श्रीलीन सिद्धान्त के अनुरूप है ।

लेकिन भारत व अमेरिका के मध्य व्यापार के अध्ययन में प्रो० भारद्वाज ने पाया कि भारत अमेरिका को पूँजी-गहन वस्तुओं का निर्यात कर रहा था । जबकि अमेरिका से स्वयं धम-गहन वस्तुओं का आयात कर रहा था । अतः भारत व अमेरिका के मध्य व्यापार हैक्शर-श्रीलीन सिद्धान्त द्वारा उचित दिशा के ठीक विपरीत माना गया ।

इन्स्टीट्यूट ऑफ स्टालपर (W Stolper) एवं के० रोसकम्प¹² (K Roskamp) शेष पूर्वी यूरोप के साथ पूर्वी जर्मनी के व्यापार का अध्ययन करने इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पूर्वी जर्मनी के निर्यात पूँजी-गहन हैं एवं आयात धम-गहन । चूँकि शेष पूर्वी यूरोप की तुलना में पूर्वी जर्मनी पूँजी सम्पन्न है, अतः यह अध्ययन हैक्शर-श्रीलीन सिद्धान्त को सही साबित करता है ।

टोटेमोटो (Totemoto) तथा इचिमुरा¹³ (Ichimura) ने जापान के विदेशी व्यापार के अध्ययन से ज्ञात किया कि जापान शेष विश्व को पूँजी-गहन वस्तुओं का

11 Bharadwaj R — Structural Basis for India's Foreign Trade Bombay 1962 and 'Factor proportion and the structure of Indo U S Trade' I E J Oct 1962

12 Stolper, W and Roskamp K — Input-output Table for East Germany with Application to foreign Trade — Bulletin of Oxford Institute of Stat Nov 1961

13. Totemoto M and Ichimura S — Factor Proportions and Foreign Trade The Case of Japan — Rev of Econ & Stat, Nov 1959

निर्यात करता है जबकि स्वयं श्रम-गहन वस्तुओं का आयात कर रहा है : चूंकि जापान जनाधिब्य वाला राष्ट्र है अतः यह निष्कर्ष हैक्श्चर-ओलीन सिद्धान्त के निष्कर्ष से विपरीत है ।

हाँ, अमरिका व जापान के बीच व्यापार में इन्ही अर्थशास्त्रियों ने पाया कि जापान श्रम-गहन वस्तुओं का निर्यात करता है व पूँजी गहन वस्तुओं का आयात । अतः जापान व अमेरिका का व्यापार हैक्श्चर-ओलीन सिद्धान्त के अनुरूप पाया गया ।

वाहल¹⁴ Wahl) ने कनाडा के व्यापार के अध्ययन से पाया कि कनाडा पूँजी-गहन वस्तुओं का निर्यात करता है व श्रम-गहन वस्तुओं का आयात । लेकिन कनाडा का अधिकांश व्यापार अमेरिका के साथ होता है अतः यह निष्कर्ष हैक्श्चर-ओलीन सिद्धान्त के निष्कर्ष से विपरीत है ।

उपर्युक्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि केवल जापान व अमेरिका के मध्य व्यापार तथा पूर्वी जर्मनी व पूर्वी यूरोप के मध्य व्यापार के सन्दर्भ में हैक्श्चर-ओलीन सिद्धान्त खरा उतरता है । अतः हैक्श्चर-ओलीन सिद्धान्त की सत्यता स्वीकार करने से पूर्व और अधिक अध्ययनों की प्रतिक्षा करना उचित प्रतीत होता है ।

लियोनतीफ विरोधाभास के भिन्न स्पष्टीकरण

(Different Explanations of Leontief Paradox)

प्रो० लियोनतीफ ने स्वयं ने व अन्य कई अर्थशास्त्रियों ने 'लियोनतीफ विरोधाभास' के स्पष्टीकरण प्रदान किये हैं, जिनका अध्ययन अत्यन्त रोचक प्रतीत होता है ।

लियोनतीफ ने स्वयं ने अपने निष्कर्षों का दो तरह से स्पष्टीकरण प्रदान किया है ।

प्रथम स्पष्टीकरण — जिसको प्रो० लियोनतीफ अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं—श्रम-उत्पादकताओं में अंतर के रूप में है । लियोनतीफ ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के श्रम को अन्य राष्ट्रों के श्रम के समान कुशल मानकर तुलना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अमेरिका के श्रमिक की उत्पादकता अन्य देशों के श्रमिकों से तीन गुणा अधिक है । प्रो० लियोनतीफ के अनुसार यह एक तरीका हो सकता है जिससे कि उनके निष्कर्ष हैक्श्चर-ओलीन के निष्कर्षों से मेल खा जायें । प्रो० लियोनतीफ के अनुसार "असमायोजित घाँफड़े दर्शाते हैं उससे तिगुणा करने पर अमेरिका में प्रति 'समतुल्य श्रमिक' पूँजी

14 Wahl, D F —Capital and Labour Requirements for Canada's Foreign Trade—Canadian Journal of Economics and Pol Science, Aug 1961.

की पूर्ति अन्य बहुत से देशों की तुलना में अधिक की वजाय कम पायी जायेगी ।¹⁵ प्रो० लियोनतीफ का मुझाव है कि यदि मन् 1947 की 65 मिलियन अमेरिकन श्रम शक्ति को तिगुना कर दिया जाता है तो यह अन्य राष्ट्रों की 195 मिलियन श्रमशक्ति के बराबर हो जायेगी । अतः अमेरिका की तुलनात्मक रूप से श्रम सम्पन्न राष्ट्र माना जाना चाहिए न कि पूँजी सम्पन्न ।

यदि राष्ट्रों में उत्पादन पलन एक जैसा हो, साधन-गहनता-प्रतियोगिता (factor-intensity reversal) को अनुपस्थिति हो, एवं विभिन्न राष्ट्रों में उत्पादन के साधन एवं जैसे व स्वरूप हो (सिवाय अमेरिका में श्रम की तिगुनी कृश्रणता के) तो लियोनतीफ का स्पष्टीकरण ठीक ही प्रतीत होना है । लेकिन य मान्यताएँ वासी गम्भीर हैं ।

अधिकांश प्रबंधशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका का श्रमिक अन्य राष्ट्रों के श्रमिक से अधिक कार्यक्षमता वाला है । प्रो० लियोनतीफ ने स्वयं के पक्ष में आई० बी० क्राविस (I B Kravis) के एक अध्ययन की ओर ध्यान दिया है जिसमें यह इंगित किया गया है कि अमेरिका के आयात-प्रतिस्पर्द्धा उद्योगों की तुलना में निर्यात-उद्योगों में मजदूरी अधिक है । लेकिन यह तथ्य लियोनतीफ की इस मान्यता के प्रतिबल है कि श्रम सभी राष्ट्रों में समरूप है, क्योंकि समरूप श्रम की मजदूरी भी समान होती है ।

अमेरिका के श्रमिक की तिगुनी कार्यक्षमता का औचित्य इस आधार पर भी ठहराया जा सकता है कि कुशल श्रमिक पूँजी-गहन शिक्षण मस्याओं की देन होते हैं अतः इन श्रमिकों में वाकी पूँजी का निवेश हो चुका होता है । लेकिन फिर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अमेरिका पूँजी-गहन वस्तुओं के निर्यात तो करता है लेकिन ये निर्यात मानव-पूँजी गहन हैं ।

प्रो० लियोनतीफ ने एक अन्य स्पष्टीकरण पूँजी मात्र को मोटे रूप में परिभाषित करने व उत्पादन के, केवल दो माधनों का समावेश करने से सम्बन्धित दिया है । लियोनतीफ के अनुसार "इन ममस्त सारणियों में अद्यय लेकिन मदैव उपस्थित तृतीय माधन के रूप में अथवा साधनों के पूरे अतिरिक्त कुलक (set) के रूप में, इस राष्ट्र की उत्पादक क्षमता और विशेष कर श्रेय विश्व के सन्दर्भ में तुलनात्मक लाभ निर्धारित करने वाला घटक, प्राकृतिक साधन जैसे कृषि भूमि, वन, नदियाँ व हमारे प्रचुर खनन भण्डार हैं" ।¹⁶ अतः प्राकृतिक साधन घटक का समावेश करके लियोनतीफ विरोधाभास

15. Leontief, W W — Op. cit, p 128

16. Leontief, W,W — Op cit, p, 136

का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यह सम्भव है कि निर्यातों की तुलना में आयातों में अधिक पूँजी प्रयुक्त हो लेकिन फिर भी आयात भूमि-गहन हो। अथवा यदि पूँजी व भूमि एक दूसरे के प्रतिस्थापन हेतु लेकिन दोनों ही अर्थ के पूरक हैं तो यह सम्भव है कि आयात प्रतिस्थापन वस्तुएँ अमेरिका में तो पूँजी-गहन हो लेकिन अन्य राष्ट्रों में भूमि-गहन। इस प्रकार तृतीय साधन को शामिल करके लियोनतीफ विरोधाभास के सम्भावित स्पष्टीकरण दिये जा सकते हैं।

चूँकि प्रो० लियोनतीफ ने अमेरिका के आयात प्रतिस्थापन व निर्यात उद्योगों पर ही अपना अध्ययन केन्द्रित किया था, अतः लियोनतीफ विरोधाभास का एक स्पष्टीकरण साधन-गहनता-प्रतिलोमता (factor-Intensity reversals) के रूप में दिया जा सकता है। साधन-गहनता-प्रतिलोमता की स्थिति में यह सम्भव है कि एक पूँजी प्रधान देश अर्थ-गहन वस्तुओं का निर्यात करे लेकिन फिर भी अन्य राष्ट्रों की तुलना में अपने निर्यात उद्योगों में अधिक पूँजी-गहन तकनीकों का उपयोग करे। यह सम्भव है कि प्रो० लियोनतीफ अपने अध्ययन में अन्य राष्ट्रों को शामिल करते तो अमेरिका के निर्यात उन राष्ट्रों की तुलना में अधिक पूँजी-गहन पाये जाते। इस प्रकार साधन गहनता प्रतिलोमता की सहायता से लियोनतीफ के निष्कर्षों का स्पष्टीकरण सम्भव है।

साधन-गहनता-प्रतिलोमता की सम्भावना जात करने हेतु प्रो० बी. एस. मिनहास¹⁷ (B. S. Minhas) ने अध्ययन किया है। प्रो० मिनहास व कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों¹⁸ ने 'प्रतिस्थापन की स्थिर लोच' (Constant elasticity of substitution) वाला एक नया उत्पादन-फलन प्रतिपादित किया था। इस उत्पादन-फलन का परिकल्पन करते समय प्रो० मिनहास ने पाया कि विभिन्न राष्ट्रों में सापेक्ष साधन कीमतों की व्यावहारिक रूप से सम्बद्ध विस्तार-सीमा में साधन-गहनता प्रतिलोमता काफी पायी जाती है। अतः प्रो० मिनहास के निष्कर्षों के आधार पर लियोनतीफ विरोधाभास को साधन-गहनता-प्रतिलोमता के सहारे स्पष्ट किया जा सकता है।

लेकिन प्रो० मिनहास की पुस्तक की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए प्रो०

17 Minhas, B.S.—International Comparison of Factor costs and Factor use—Amsterdam, North-Holland Publishing Co., 1963

18 Arrow, K.J., Chenery, H.B., Minhas, B.S., and Solow, R.M.—Capital—Labour substitution and Economic Efficiency—Rev of Econ and Stat (Vol. 43), Aug., 1958

लियोनतीफ¹⁹ ने इंगित किया कि 210 सम्भावित प्रतिलोमताओं में से साधन कीमतों की सम्बद्ध विस्तार सीमा में केवल 17 प्रतिशत मात्र घटित हुईं। अतः लियोनतीफ के अनुसार साधन कीमतों की सम्बद्ध विस्तार सीमा में साधन-गहनता-प्रतिलोमता बहुत कम घटित होती है।

लियोनतीफ विरोधाभास का एक अन्य स्पष्टीकरण हॉफमेयर²⁰ (Hoffmeyer) ने प्रदान किया है। उनके मतानुसार यदि प्रा० लियोनतीफ की उद्योगों की सूची में से प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता द्वारा निर्मित वस्तुओं को हटा दिया जाए तो प्राशासीत निष्कष-अमेरिका पूँजी-गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा तथा श्रम-गहन वस्तुओं का आयात-प्राप्त किया जा सकता है।

हॉफमेयर का निष्कर्ष भी पूर्णतया सन्तापजनक नहीं है क्योंकि अमेरिका पेट्रोनिम, ताम्बा आदि कुछ ऐसा वस्तुएँ निर्यात करता है जो कि अत्यधिक पूँजी-गहन वस्तुएँ हैं।

प्रो० ट्राविस²¹ (Travis) ने लियोनतीफ विरोधाभास को अमेरिका की व्यापार नीति के सम्दर्भ में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। ट्राविस ने इंगित किया कि लियोनतीफ के अन्वयण के वर्ण में अमेरिका का व्यापार अत्यधिक सरभित का अतः लियोनतीफ का विरोधाभास तो मान प्रकृति का मजाक (quirk of nature) ही था।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लियोनतीफ विरोधाभास व इसके स्पष्टीकरणों से हैबश्चर-ओलीन मॉडल की सत्यता अथवा असत्यता के बारे में निश्चित निर्णय पर पहुँचना सम्भव नहीं है।

19 Leontief, W W — An International Comparison of Factor Cost and Factor use—AER (Vol 54) June 1954

20 Hoffmeyer E — The Leontief Paradox Critically Examined—Manchester School of Economic and Social Studies (Vol 26), May, 1958

21 Travis, W P — The Theory of Trade and Protection Cambridge Mass, Harvard University Press 1964

साधन-कीमत समानीकरण एवं अन्य सम्बन्धित प्रमेय

(The Factor-Price Equalization and other related Theorems)


दो राष्ट्रों में व्यापार पूर्व अवस्था में वस्तु-कीमते भिन्न होने का परिणाम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है। शून्य परिवहन लागतों की स्थिति में राष्ट्रों के मध्य व्यापार में वृद्धि तब तक सम्भव है जब तक कि व्यापार में शामिल वस्तुओं की कीमतें दोनों राष्ट्रों में पूर्ण रूप से समान नहीं हो जाती हैं।

व्यापार के परिणामस्वरूप व्यापाररत राष्ट्रों में न केवल वस्तुओं की ही कीमतें समान होती हैं बरन उत्पादन के साधनों की कीमतें भी समान होने की प्रवृत्ति पायी जाती है। साधन-कीमत समानीकरण की इस प्रवृत्ति को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। व्यापार में राष्ट्र उम वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उम राष्ट्र के बाहुल्य वाले साधन की अपेक्षा अधिक मात्रा उपयोग में आती है, अतः व्यापार के परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र में बाहुल्य वाले साधन की माँग व उसके प्रतिफल में वृद्धि होगी। इसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र उस वस्तु का आयात करता है जिसके उत्पादन में उस राष्ट्र के दुर्लभ साधन की अपेक्षा अधिक मात्रा प्रयुक्त की जाती है, अतः प्रत्येक राष्ट्र में व्यापार के कारण दुर्लभ साधन कम दुर्लभ होंगे तथा उनके प्रतिफल में कमी होगी।

दूसरे शब्दों में निर्यातों के कारण प्रत्येक राष्ट्र के बाहुल्य वाले तथा सस्ते साधन पर विश्व माँग केन्द्रित होगी जिससे उन साधन के प्रतिफल में वृद्धि होगी तथा आयातों के परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र के दुर्लभ साधन की माँग पर दबाव घटेगा अतः दुर्लभ तथा महंगे साधन के प्रतिफल में कमी होगी।

अतः स्पष्ट है कि व्यापार के परिणामस्वरूप व्यापाररत राष्ट्रों में साधन-कीमत समानीकरण की प्रवृत्ति पायी जाएगी। साधन-कीमत समानीकरण की इस प्रवृत्ति को अगल पृष्ठ के छाटें में दर्शाया गया है। इस सम्बन्ध राष्ट्र-भारत तथा पूँजी सम्पन्न राष्ट्र-अमेरिका-में व्यापार प्रारम्भ होने के कारण साधन-कीमतों के परिवर्तन छाटें में दर्शायेनुसार होंगे।

घाटे



ब्याजार पूव माधन कीमते भंतिव (horizontal) रखाया जा ऊँचाई द्वारा दर्शाया गया है तथा ब्याजार क माधन कीमता पर प्रभाव का तीरा (arrows) की दिशा द्वारा दर्शाया गया है। दूरी राखा क तार एक दूर की अरु अक्षर हा रह है अर्थात् माधन-कीमत समानोकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है। माधन-कीमत समानोकरण की यह प्रवृत्ति उम समय तक जारी रहगी जब तक कि राष्ट्र पुण विनिर्माण न कर ले अथवा माधन-कीमते पूणतया समान न हा जाय।

कुछ प्रतिबंधक मान्यताओं के अन्तर्गत यह दर्शाया जा सकता है कि ब्याजार के परिणामस्वरूप माधन-कीमत समानोकरण की यह प्रवृत्ति उम बिन्दु तक पहुँच सकती है जहाँ पर दोनों आयातक राष्ट्रों में माधन कीमत पूणतया समान हा जाय। माधन-कीमत समानोकरण प्रमेय को हेक्शर-ओहोन माधन की मान्यताओं क अन्तर्गत प्रमाणित किया जाता है।

प्रमेय की मान्यताएँ

(Assumptions underlying the Theorem)

1. दो राष्ट्र [भारत (I) तथा अमिका (A)]
2. दो वस्तुएँ व दो उत्पादन के साधन
3. अमल राष्ट्रों म वस्तु व साधन बाजारों म पूर्ण प्रतियोगिता
4. स्वयं-समरूप उत्पादन-फलन*
5. दो हुई वस्तु का उत्पादन-फलन दोनों राष्ट्रों म एक जैसा

* स्वयं-समरूप उत्पादन फलन का विस्तृत विवरण इस अध्याय की परिशिष्ट D म दिया गया है।

6. पैमाने के स्थिर-प्रतिफल का नियम लेकिन माघन उत्पत्ति हास नियम का क्रियाशील होना

7. पूर्ण विशिष्टीकरण का अभाव

8. साधन गहनता प्रतिलोमता का अभाव
(No factor intensity-reversal)

9. दोनों राष्ट्रों में भिन्न साधन सम्पन्नता अर्थात्

$$\left(\frac{K}{L}\right)_I < \left(\frac{K}{L}\right)_A$$

10. दोनों राष्ट्रों में उपभोग का प्रारूप एक जैसा

11. दोनों वस्तुओं में भिन्न साधन-गहनता अर्थात् साधनों की किसी भी सापेक्ष कीमत पर

$$\left(\frac{K}{L}\right)_{X_2} > \left(\frac{K}{L}\right)_{X_1}$$

12. शून्य परिवहन लागतें।

साधन-कीमत समानीकरण प्रमेय का निरूपण

(The Demonstration of Factor-Price Equalization Theorem)

प्रत्येक राष्ट्र में व्यापारपूर्व साम्यावस्था में वस्तु-कीमत अनुपात दर्शानवाली रेखा उत्पादन सम्भावना वक्र तथा समुदाय उदासीन वक्र के दिये हुए बिन्दु पर एक माघ स्पष्ट होनी चाहिए अर्थात् व्यापारपूर्व साम्यावस्था में निम्न बात पूरी होती है —

$$MRS = \frac{Px_2}{Px_1} = MRT \quad (1)$$

यहाँ MRS अर्थात् सीमान्त प्रतिस्थापन की दर समुदाय उदासीन वक्र का ढाल है तथा MRT अर्थात् सीमान्त रूपान्तरण की दर उत्पादन सम्भावना वक्र का ढाल। — वस्तु-कीमत अनुपात रेखा का ढाल x_2 वस्तु की सापेक्ष कीमत है, जो

कि साम्यावस्था में रूपान्तरण वक्र व समुदाय उदासीन वक्र के दिये हुए बिन्दु पर एक माघ स्पष्ट है।

करण करता है। यह निष्कर्ष भी हैक्वचर-प्रोलोन प्रमेय के निष्कर्ष के अनुरूप है। I राष्ट्र में व्यापारोपरान साम्यावस्था में साधन-कीमत अनुपात u बिन्दु पर समोत्पत्ति वक्रों के स्पर्श खींची गयी रेखा $L^I_1-K^I_1$ के ढाल द्वारा दर्शाया गया है। $L^I_1-K^I_1$ साधन-कीमत रेखा व्यापार पूर्व की साधन-कीमत रेखा $L^I_1-K^I_1$ से अधिक ढालू है जिसका अभिप्राय यह है कि I राष्ट्र में व्यापारोपरान साम्यावस्था में व्यापार पूर्व साम्यावस्था की तुलना में अथ साधन का प्रतिकूल बढ़ेगा तथा पूँजी साधन का

प्रति फल घटेगा, अर्थात् $\left(\frac{P_L}{P_K}\right)_U > \left(\frac{P_L}{P_K}\right)_T$ । A राष्ट्र में व्यापारोपरान

साम्य बिन्दु v पर x_1 तथा x_2 वस्तु के समोत्पत्ति वक्रों के v बिन्दु पर स्पर्श साधन कीमत रेखा $K^A_1-L^A_1$ व्यापार पूर्व साम्यावस्था की साधन कीमत रेखा $K^A_1-L^A_1$ से कम ढालू है जिसका अभिप्राय यह है कि पूँजी सम्पन्न राष्ट्र A में व्यापार के परिणामस्वरूप अथ साधन अपेक्षाकृत सस्ता तथा पूँजी साधन अपेक्षाकृत महंगा हो गया है अर्थात् $\left(\frac{P_L}{P_K}\right)_V < \left(\frac{P_L}{P_K}\right)_S$ ।

व्यापार के परिणामस्वरूप दोनों राष्ट्रों में साधन कीमत रेखाओं $K^I_1-L^I_1$ तथा $K^A_1-L^A_1$ के परिवर्तित ढाल इन दोनों रेखाओं के एक दूसरे के समान्तर होत की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यापार के परिणामस्वरूप व्यापाररत राष्ट्रों में साधन-कीमत समानिकरण की प्रवृत्ति पायी जाती है।

व्यापार के परिणामस्वरूप साधन कीमतों में इस प्रकार के परिवर्तनों का कारण x_2 तथा x_1 वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों के अनुपातों का परिवर्तित होना है। उदाहरणार्थ I राष्ट्र में T बिन्दु की तुलना में U बिन्दु पर x_2 तथा x_1 दोनों ही

K

वस्तुओं के उत्पादन में ऊँचा — अनुपात प्रयुक्त किया जा रहा है (x_2 वस्तु के उत्पादन

L

में राष्ट्र I में U व T बिन्दुओं पर प्रयुक्त होने वाले साधन अनुपात क्रमशः विस्तार पथ ox_2-F तथा ox_2-G दर्शाते हैं) अतः राष्ट्र I में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में पूँजी की सीमान्त भौतिक उत्पत्ति गिरेगी व अथ की सीमान्त भौतिक उत्पत्ति बढ़ेगी। इसका कारण हमारे मॉडल की सीमान्त उत्पत्ति-ह्रास नियम के त्रिपार्श्व होने की मान्यता है।

A राष्ट्र में व्यापारोपरान साम्य बिन्दु S की तुलना में दोनों ही वस्तुओं के

यह विशेषता होती है कि सीमान्त-उत्पत्ति अनुपात केवल मात्र प्रयुक्त किये गये माघन कीमत अनुपात पर निर्भर करता है। A राष्ट्र के अधिकतम कुशलता पथ के V बिन्दु पर तथा I राष्ट्र के U बिन्दु पर निम्न शर्तें पूरी होती हैं।

$$(MRTS)_A = (MRTS)_I = \frac{MP_L}{MP_K} \quad (3)$$

यहाँ पर सीमान्त उत्पादकता को x_1 अथवा x_2 किसी भी वस्तु के रूप में मापा जा सकता है क्योंकि अधिकतम कुशलता पथ पर x_1 तथा x_2 के समोत्पत्ति वक्रों के ढाल समान हैं अतः प्रत्येक वस्तु उत्पादन में सीमान्त उत्पादकता का अनुपात ठीक बराबर होगा।

वैकल्पिक रूप से यह दर्शाया जा सकता है कि चित्र 5-1 में $O'x_2-E$ रेखा अर्थात् A राष्ट्र के x_2 वस्तु के विस्तार पथ का ढाल I-राष्ट्र के x_2 वस्तु के विस्तार पथ Ox_2-F के ढाल के ठीक बराबर है। अतः पूर्व में मिश्र किया गया है ठीक उमी प्रकार के तर्कों की कड़ी से यह दर्शाया जा सकता है कि x_2 वस्तु के रूप में भी सीमान्त प्रतिस्थापन की तकनीकी दरें $(MRTS_2)$ माघना की सीमान्त उत्पादकता के अनुपातों के बराबर होंगी। परिणामस्वरूप U तथा V बिन्दुओं पर निम्न शर्तें पूरी होंगी।

$$\left(\frac{MP_L}{MP_K}\right)_A = \left(\frac{MP_L}{MP_K}\right)_I$$

पूर्ण प्रतिव्योक्तिता की मान्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी साधन का प्रतिकूल उनकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होगा। अतः स्पष्ट है कि व्यापार के परिणामस्वरूप दोनों राष्ट्रों में माघना की मापक कीमतें वस्तुतया समान हो जाती हैं अर्थात्

$$\left(\frac{P_L}{P_K}\right)_A = \left(\frac{P_L}{P_K}\right)_I$$

अतः चित्र 5-1 में व्यापाररत राष्ट्रों के साम्य में A राष्ट्र की माघन-कीमत अनुपात रेखा $K_A^F-L_A^F$ तथा I राष्ट्र की माघन-कीमत रेखा $L_I^F-K_I^F$ समानान्तर हैं।

व्यापार के परिणामस्वरूप पूर्ण साधन-कीमत समानोकरण प्रमाणित करने हेतु हम यूलर (Euler) की प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। यूलर की प्रमेय दर्शाती है कि

किसी वस्तु के साम्य उत्पादन में उस वस्तु में प्रयुक्त प्रत्येक साधन की सीमान्त उत्पत्ति को उमम कार्यरत साधन की मात्रा से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का योग उस वस्तु के कुल उत्पादन के ठीक बराबर होगा। यह तो हम जानते ही हैं कि रेखीयता (Linearity) का अर्थ यह है कि प्रत्येक साधन की सीमांत-उत्पत्ति स्थिर रहेगी। मॉडल की इन दो विशेषताओं की सहायता से हम प्रो० के० लकास्टर¹ (K Lancaster) का अनुसरण करते हुए निरपेक्ष साधन कीमत समानीकरण का सत्यापन कर सकते हैं।

चित्र 5 I में U बिन्दु पर दर्शाया गया साधन एवं उत्पत्ति की मात्राओं को हम यूजर की प्रमेय में निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं

$$(x_{11}) = (ox_1 - L_1) \frac{x'_1}{x_1} \text{MPL} + (ox_1 - K_1) \frac{x'_1}{x_1} \text{MP}_K \quad (4)$$

यहाँ $(ox_1 - L_1) \frac{x'_1}{x_1}$, u बिन्दु पर x_1 वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त कुल श्रमिकों की संख्या है तथा $(ox_1 - K_1) \frac{x'_1}{x_1}$, x_1 के उत्पादन में प्रयुक्त कुल पूँजी की इकाइयाँ। यहाँ (x_{11}) , I राष्ट्र में साम्य बिन्दु U पर x_1 वस्तु का कुल उत्पादन है। पूँजी की सीमांत-उत्पत्ति ज्ञात करने हेतु हम कुल उत्पादन को पूँजी की इकाइयों से भाग देकर समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं :

$$\frac{(x_{11})}{x'_1} = \frac{(ox_1 - L_1) \frac{x'_1}{x_1}}{(ox_1 - k_1) \frac{x'_1}{x_1}} \cdot \text{MPL} + \text{MP}_K \quad (5)$$

उपर्युक्त समीकरण के दायी ओर के भाग में से MP_K कॉमन लेने पर,

$$\frac{(ox_{11})}{(ox_1 - k_1 x'_1)} = \text{MP}_K \left[1 + \frac{(ox_1 - L_1 x'_1)}{(ox_1 - k_1 x'_1)} \cdot \frac{\text{MPL}}{\text{MP}_K} \right] \quad (6)$$

जैसा कि पूर्व में दर्शाया जा चुका है कि साधनों के दिये हुए अनुपात पर $\frac{\text{MPL}}{\text{MP}_K}$

स्थिर है मत $ox_1 - D$ रेखा के प्रत्येक बिन्दु पर $\frac{\text{MPL}}{\text{MP}_K}$ समान है। पैमाने के स्थिर

¹ Lancaster, K —The H O Trade Model A Geometric Treatment—Economics, Vol 24 (1957), pp 19-39 Reprinted in Bhagwati, J (eds) International Trade—(Penguin—1969).

प्रतिफलों की मान्यता का अभिप्राय यह होता है कि किसी भी दिने हुए साधन अनुपात पर साधना की कीमत उत्पत्ति समान रहती है अर्थात् V तथा U बिन्दुओं पर पूर्णों का

कीमत उत्पत्ति $(OX_1/OX_2) \cdot K_1^{x_1}$ स्थिर है। यह हम जानते हैं कि OX_1 -D विन्सार-पथ

के प्रत्येक बिन्दु पर (u बिन्दु सहित) साधन अनुपात $\frac{(OX_1-L_1)^{x_1}}{(OX_1-K_1)^{x_1}}$ स्थिर है। अतः

हम कह सकते हैं कि OX_1 -D रेखा पर V बिन्दु पर मात्राओं के बारे में जो सत्य है वही इस रेखा व U बिन्दु पर भी सही है। इस प्रकार V तथा U बिन्दुओं पर समीकरण का बायाँ भाग व कोष्टक के अन्दर की सभी मात्राएँ एक समान हैं अतः समीकरण (6) का एक मात्र शेष तत्त्व MP_x भी V तथा U बिन्दुओं पर समान होगा।


अभिप्राय यह है कि V बिन्दु राष्ट्र A के सम्बन्ध में है तथा U बिन्दु राष्ट्र I से, इसलिए $(MP_x)_A = (MP_x)_I$ इसी प्रकार के तर्कों की कड़ी की सहायता से यह दर्शाया जा सकता है कि $(MP_L)_A = (MP_L)_I$ । अतः में पूर्ण प्रतिव्योपिता की मान्यता के आधार पर हम कह सकते हैं कि $(MP_L) = (P_L)$ तथा $(MP_x) = (P_x)$ अतः $(P_x)_A = (P_x)_I$ तथा $(P_L)_A = (P_L)_I$ ।

अतः स्पष्ट है कि हमारे मॉडल की मान्यताओं के अन्तर्गत व्यापाररत राष्ट्रों में पूर्ण साधन-कीमत समानिकरण सम्भव है।

साधन-कीमत समानिकरण प्रमेय के सत्यापन की वैकल्पिक विधि

(Alternative method of demonstrating the theorem)

लर्नर (Lerner) की विधि—प्रो० ए० पी० लर्नर ने समोन्वयित वस्तुओं की सहायता से साधन-कीमत समानिकरण प्रमेय का निरूपण किया है। मान लीजिये कि चित्र 5 2 में x_2 तथा x_1 वस्तुओं के समोन्वयित वक्र अमेरिका तथा भारत दोनों राष्ट्रों में उत्पादन फलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। x_2 तथा x_1 वस्तुओं के समोन्वयित वक्र इस प्रकार से चुने गये हैं कि वे व्यापारारपण साम्यावस्था में x_2 तथा x_1 वस्तुओं की ऐसी मात्राएँ प्रदर्शित करें जिनका मौद्रिक मूल्य समान हो। उदाहरणार्थ, वे वक्र x_2 वस्तु की 2 इकाइयाँ तथा x_1 वस्तु की 3 इकाइयाँ प्रदर्शित कर सकते हैं अथवा x_2 वस्तु की 20 इकाइयाँ तथा x_1 वस्तु की 30 इकाइयाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। रेखीय सम्बन्ध



चित्र 5-2 साधन-कीमत समानीकरण—जनर विधि

उत्पादन फलन की मान्यता के कारण समोत्पत्ति वक्र अधिक मात्रा प्रदर्शित करे भयवा कम उनकी प्राकृति (Shape) अपरिवर्तित रहेगी।

अतः दोनों राष्ट्रों में वस्तुओं के एक जैसे उत्पादन फलनों व व्यापारोपरांत साम्य में समान वस्तु-कीमत अनुपातों की स्थिति में चित्र 5.2 भारत तथा अमेरिका दोनों ही राष्ट्रों की स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

माना कि भारत में व्यापारपूर्व साम्यावस्था में सापेक्ष साधन कीमतें k_1-L_1 रेखा के ढाल वाली हैं। k_1-L_1 साधन कीमत रेखा x_1 वस्तु के समोत्पत्ति वक्र के स्पर्श है अतः यह x_1 वस्तु की उत्पादन लागत दर्शाती है। लेकिन x_2 वस्तु के समोत्पत्ति वक्र के स्पर्श उसी ढाल वाली साधन-कीमत रेखा $k_1'-L_1'$, k_1-L_1 साधन कीमत रेखा से दायी ओर ऊपर विद्यमान है, जिसका अभिप्राय यह है कि समान मूल्य के x_2 वस्तु के उत्पादन की भारत में ऊँची लागत होगी। अतः भारत की व्यापारपूर्व साधन-कीमतें सगत (consistent) नहीं है। सगत साधन कीमत रेखा के लिए यह आवश्यक है कि वह समान मूल्य के वस्तु उत्पादन की दोनों वस्तुओं की समान लागत दर्शाये।

इसी प्रकार के तर्कों की सहायता से दर्शाया जा सकता है कि अमेरिका में प्रचलित साधन कीमतें, जो कि k_2-L_2 के ढाल द्वारा दर्शायी गयी हैं, सगत नहीं है। अमेरिका में समान मूल्य के x_1 वस्तु के उत्पादन की लागत x_2 वस्तु के उतने ही मूल्य के उत्पादन से अधिक है।

चित्र 5-2 में केवल B-A ही ऐसी सुसगत साधन कीमत रेखा है जो कि x_2 तथा

x₁ दोनो वस्तुओं के समोत्पत्ति वक्रों के स्पर्श है एवं इन वस्तुओं के समान मूल्य के उत्पादन की समान लागत दर्शाती है। चित्र S-2 में केवल B-A रेखा ही सुसंगत साधन-कीमत रेखा है, तथा यह चित्र दोनो राष्ट्रों की स्थिति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए व्यापारोपरत साम्यावस्था में दोनो ही राष्ट्रों में B-A रेखा के ढाल वाला साधन-कीमत अनुपात विद्यमान रहेगा। अतः व्यापार के परिणामस्वरूप दोनो राष्ट्रों में साधन कीमतें समान होंगी।

वास्तविक जगत में साधन-कीमत समानीकरण क्यों नहीं ?

(Why does Factor Price fail to equalize in the real world ?)

वास्तविक जगत में साधन-कीमत समानीकरण की स्थिति प्राप्त नहीं होने का प्रमुख कारण यह है कि साधन-कीमत समानीकरण के सत्यापन में मानी गयी अधिकांश मान्यताएँ अवास्तविक हैं।

वास्तविक जगत में प्राप्त न होने वाली मान्यताओं में से प्रमुख है पूर्ण प्रतियोगिता, साधन-गहनता प्रतिलोमता का अभाव, शून्य परिवहन लागतें, स्वतंत्र व्यापार एवं एक जैसे उत्पादन फलन आदि।

साधन कीमत समानीकरण प्रमेय को साबित करने हेतु पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पूरी होनी अतिआवश्यक है। पूर्ण प्रतियोगिता के अभाव में न तो सीमान्त इकाई लागत व वस्तु कीमत ही समान बनी रहेगी और न ही उत्पादन के साधनों को प्राप्त प्रतिफल उनकी सीमान्त उत्पत्ति के बराबर होंगे। अतः वस्तु-कीमत व साधन-कीमत की आपसी कड़ी समाप्त होने के कारण हम वस्तु-कीमत समानीकरण से साधन-कीमत समानीकरण का निष्कर्ष प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

यह तो हमें ज्ञात ही है कि वास्तविक जगत में भिन्न श्रेणियों के एकाधिकार, अल्प विक्रेताधिकार व एकाधिकारात्मक बाजारों की स्थिति पाई जाती है। अतः वास्तविक जगत में साधन-कीमत समानीकरण की स्थिति प्राप्त नहीं होने का प्रमुख कारण प्रतियोगिता की अपूर्णताएँ माना जा सकता है।

साधन-गहनता प्रतिलोमता (Factor-Intensity Reversals) के विद्यमान होने से साधन-कीमत समानीकरण सम्भव नहीं है।

साधन गहनता प्रतिलोमता का अभिप्राय यह है कि साधन कीमतों के एक विशिष्ट कुलक (Set) पर एक वस्तु अम-गहन है जबकि साधन कीमतों के किसी अन्य कुलक पर वही वस्तु पूँजी-गहन है।

माघन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति में हैरतखर-भोर्नल प्रमेय तथा माघन-कीमत समानोकरण प्रमेय दोनों ही असमान्य (invalid) हो जाते हैं। माघन गहनता प्रतिलोमता विद्यमान होने पर यह बतलाना कठिन होगा कि व्यापार के परिणामस्वरूप व्यापाररत राष्ट्रों के मूल्य माघन कीमतों के अन्तर्ग बढेंगे अथवा घटेंगे।

माघन-कीमत समानोकरण प्रमेय पर माघन गहनता प्रतिलोमता का प्रभाव चित्र 5-3 की सहायता से स्पष्ट किया गया है। चित्र 5-3 में x_2 वस्तु का समोत्पत्ति वक्र तथा चित्र 5-2 वाला ही है लेकिन x_1 वस्तु के उत्पादन में माघन प्रतिम्यादन अधिक सीमा तक सम्भव है।

चित्र 5-3 में भारत में माघन-कीमत अनुपात $I-I_1$ रेखा के ढाल वाला है जबकि अमेरिका में $A-A_1$ रेखा के ढाल वाला। भारत में x_2 वस्तु के उत्पादन में $o-d$ विस्तार पथ द्वारा दृग्गति से अनुपात में माघन प्रयुक्त किये जा रहे हैं जबकि x_1 के उत्पादन में $o-e$ विस्तार पथ द्वारा प्रदर्शित अनुपात में।


स्पष्ट है कि भारत में d तथा e बिन्दुओं पर $\left(\frac{K}{L}\right)_{x_2} > \left(\frac{K}{L}\right)_{x_1}$ अर्थात् x_2

वस्तु अपेक्षाकृत पुँजी-गहन उत्पादन तर्गों से उत्पादित की जा रही है। इसके

विपरीत अमेरिका में B व C बिन्दुओं पर, $\left(\frac{K}{L}\right)_{x_2} < \left(\frac{K}{L}\right)_{x_1}$ अर्थात् x_2

वस्तु अपेक्षाकृत धन-गहन तकनीकों की सहायता से उत्पादित की जा रही है। अतः माघन गहनता प्रतिलोमता की स्थिति विद्यमान है।

चित्र 5-3 में यदि हम x_1 तथा x_2 वस्तु के समोत्पत्ति वक्रों को समान मौद्रिक मूल्य की वस्तु की भाँवा प्रदर्शित करता हुआ मान लें तो अमेरिका में माघन कीमत रेखा समान माघन-कीमत रेखा है ($A-A_1$ रेखा दोनों वस्तुओं के समोत्पत्ति वक्रों के स्पर्श है अतः यह उनकी समान लागत दर्शाती है)। इसी प्रकार भारत में $I-I_1$ माघन-कीमत रेखा भी समान है क्योंकि यह x_2 तथा x_1 दोनों वस्तुओं की समान लागत दर्शाती है। अतः यह सम्भव है कि व्यापारोत्तरान साम्यावस्था में दोनों राष्ट्रों में $A-A_1$ तथा $I-I_1$ रेखाओं जैसे दो मिला माघन-कीमत अनुपात बने रहें तथा माघन-कीमत समानोकरण न हो पाए।



चित्र 53 : साधन गहनता प्रतिलोमता

प्रो० बी०एस० मिनहास² (B.S. Minhas) ने अपने स्थिर प्रतिस्थापन की लोच (C.E.S) वाले उत्पादन फलन को सहायता से यह पाया कि अमेरिका में व्यावहारिक रूप से सम्बद्ध साधन-कीमत अनुपातों की विस्तार सीमाओं में साधन गहनता प्रतिलोमता की उपस्थिति पायी गयी है अतः साधन-गहनता प्रतिलोमता का विद्यमान होना वास्तविक जगत में साधन-कीमत समानीकरण न होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।

साधन-कीमत समानीकरण प्रमेय का निरूपण करते समय हमने शून्य परिवहन लागत की मान्यता भी मानी है। लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविक जगत में परिवहन लागतों के बिना अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्भव नहीं है। इसी तरह से व्यापार में भिन्न प्रकार के प्रशुल्क, कोटा आदि बाधक घटक भी साधन-कीमत समानीकरण में बाधा प्रस्तुत करते हैं। प्रो० ओब्लिन के अनुसार³—जब परिवहन लागतों व अन्य बाधाओं को विश्लेषण में सम्मिलित किया जाता है तो इस तरह का समानीकरण (साधन-कीमत समानीकरण) स्पष्ट ही असम्भव है।³

वास्तविक जगत में साधन कीमत समानीकरण होने में एक अन्य बाधा भिन्न राष्ट्रीय में भिन्न उत्पादन फलनों की उपस्थिति है।

2. Minhas, B.S.—The homohypallagic production function, factor intensity reversal and the H O theorem—JPE, Vol 70 (1962), pp 138-56.

3. Ohlin, B—op cit, p 27.

ऐरो, चेनरी, मिनहाम व सोलो⁴ ने अपने अध्ययनों में पाया है कि भिन्न राष्ट्रों में उत्पादन कलनों में एक स्थिर पैमाने के घटक (Constant Scale factor) का अन्तर पाया जाता है। इस स्थिति में निरपेक्ष साधन-कीमत समानीकरण सम्भव नहीं है। लेकिन पूर्ण कि भिन्न राष्ट्रों में ही हुई वस्तु के उत्पादन में सापेक्ष साधन अनुपात समान पाए जाते हैं अतः राष्ट्रों में सापेक्ष साधन-कीमत समानीकरण सम्भव है।

प्रो० घोलीन के अनुसार "यह अवलोकन, (observation) कि व्यापार के परिणामस्वरूप साधन-कीमत समानीकरण की प्रवृत्ति होगी, पर्ये दृष्टिकोणों में परिभाषित (qualify) किया जाना चाहिए। भिन्न राष्ट्रों में उत्पादन के साधनों के गुणों में अन्तर, पूर्णतया भिन्न तथ्यो की प्रतियाओं के उपयोग की सम्भावना, बड़े पैमाने की मितव्ययताएँ तथा प्राथिक श्यायिभ्य व वरों के अन्तर, पूव के विनयण को न केवल धुंरता (blur) ही पर देते हैं अतितु यह अनिश्चित कर देते हैं कि व्यापार से वास्तविक साधन-कीमत समानीकरण कुल मिलाकर किम सीमा तक सम्भव है।"⁵

रिबॉजिन्सकी प्रमेय

(The Rybczynski Theorem)

स्थिर वस्तु व साधन कीमत की मान्यता के अन्तर्गत साधन पूर्ति में वृद्धि या वस्तु उत्पादन पर प्रभाव स्पष्ट करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रमेय टी०एम० रिबॉजिन्सकी⁶ (T.M. Rybczynski) द्वारा प्रतिपादित की गयी थी जिसे रिबॉजिन्सकी प्रमेय (Rybczynski Theorem) के नाम से जाना जाता है।

इस प्रमेय के अनुसार स्थिर वस्तु कीमत अनुपात पर साधन विशेष की पूर्ति में वृद्धि से उस वस्तु के निरपेक्ष उत्पादन में वृद्धि होगी जिसमें अनिश्चित पूर्ति यात्रा साधन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रयुक्त किया जाता है तथा दूसरी वस्तु के निरपेक्ष उत्पादन में कमी होगी। रिबॉजिन्सकी प्रमेय में निहित प्राथिक तर्क को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है :—

मान लीजिए कि केवल थम साधन की मात्रा में वृद्धि होती है, तो स्थिर वस्तु कीमत अनुपातों पर प्रत्येक उद्योग में साधन प्रतिफल व दस्तवे परिणामस्वरूप साधन-

4 Arrow, Chenery Minhas & Solow—Capital Labour Substitution and Economic Efficiency—Rev of Econ & Stat (Vol 43) 1961 pp 225-51

5 Ohlin, B—op cit p 77


6 Rybczynski, T M—Factor Endowment and Relative Commodity Prices—Econometrica Nov. 1955 pp 336-41.

कीमत अपरिवर्तित रहेंगे। पूर्ण रोजगार बनाए रखने हेतु भ्रम्यव्यवस्था में प्रतिरिक्त भ्रम-शक्ति का पूर्ण-रोजगार आवश्यक है तथा इस पूर्ण रोजगार से प्रत्येक उद्योग में स्थिर पूँजी/धन अनुपात के कारण भ्रम-गहन वस्तु का उत्पादन निश्चय ही बढ़ेगा। चूँकि प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में प्रत्येक साधन की न्यूनतम मात्रा प्रयुक्त करनी आवश्यक है, अतः पूँजी की स्थिर पूर्ति खपाने हेतु भ्रम-गहन वस्तु में आवश्यक प्रतिरिक्त पूँजी पूँजी-गहन वस्तु के उत्पादन से हटाई जायेगी जिसका अभिप्राय यह है कि पूँजी-गहन वस्तु का उत्पादन घटेगा।

रिबॉजिन्सकी प्रमेय का बाँवस चित्र की सहायता से निरूपण किया जा सकता है—

चित्र 5-4 में OX_1 -LA रास्ट्र में उपलब्ध कुल भ्रम की मात्रा है तथा OX_1 -K कुल पूँजी की मात्रा। X_1 वस्तु के मूल $O-X_1$ से X_1 वस्तु का उत्पादन मापा गया है तथा OX_2 मूल से X_2 वस्तु का उत्पादन।

मान लीजिये कि OX_1 -S- OX_2 अधिकतम कुशलता पथ पर प्रारम्भिक उत्पादन बिन्दु S है, अतः विस्तार पथ OX_1 -S तथा OX_2 -S का ढाल क्रमशः X_1 तथा X_2 वस्तुओं के उत्पादन में S बिन्दु पर प्रयुक्त पूँजी/धन अनुपात दर्शाता है। OX_1 -S विस्तार पथ



चित्र 5 4—स्थिर वस्तु कीमत अनुपात एवं साधन पूर्ति में वृद्धि (रिबॉजिन्सकी प्रमेय)

OX_2-S विस्तार पथ में कम दानु है अर्थात् x_1 वस्तु x_2 वस्तु की तुलना में अम-गहन है। S बिन्दु पर x_1 वस्तु का उत्पादन OX_1-S है तथा x_2 वस्तु का उत्पादन OX_2-S है।

अब मान लीजिए कि इस राष्ट्र में अमिकों की पूर्ति में $LA-L'A$ वृद्धि होकर राष्ट्र की कुल अम शक्ति $OX_1-L'A$ हो जाती है। पूर्विक प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में पूँजी/अम अनुपात पूर्ववत् ही बना रहता है, अतः साधन-पूर्ति में वृद्धि के परिणाम नया उत्पादन बिन्दु S' होगा। नया उत्पादन बिन्दु S' , OX_1-S विस्तार पथ को प्रागे बढ़ाकर तथा OX_2-S' विस्तार पथ OX_2-S के समानान्तर खींचकर प्राप्त किया गया है। अम-पूर्ति में वृद्धि के बाद वाले बाकस में मात्र S' ही ऐसा बिन्दु है जिस पर दानों वस्तुओं के उत्पादन में पूँजी/अम अनुपात ठीक वही है जो S पर था।

इस मन्दर्म में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या S बिन्दु अग्रिमतम कुशलता पथ पर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही 'हाँ' है, क्योंकि OX_1-S विस्तार-पथ x_1 वस्तु के सभी समोत्पाद वक्रों को समान दान पर कटेगा। इसी प्रकार OX_2-S व OX_2-S' विस्तार-पथ समानान्तर हैं। अतः ये रेखाएँ भी x_2 वस्तु के समोत्पाद वक्रों को समान दान पर काटेंगी। अतः S व S' बिन्दुओं पर समानान्तर भौतिक उत्पादकता के अनुपात समान हैं, इसलिए S' बिन्दु पर अनुकूलतम उत्पादन की शर्त पूरी हो रही है एवं यह $OX_1-L'A-OX_2-K$ बाकस में अग्रिमतम कुशलता पथ पर स्थित है।

हमारी रेखाय उत्पादन फलन की मान्यता के कारण वस्तु उत्पादन में परिवर्तनों को मूल बिन्दु से खींचे गये विस्तार-पथ पर मापा जा सकता है। चित्र 5-4 में OX_1-S' दूरी OX_1-S दूरी से अधिक है, अतः अम साधन की पूर्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप अम-गहन वस्तु x_1 के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार OX_2-S' दूरी OX_2-S दूरी से कम है, अतः पूँजी-गहन वस्तु x_2 का उत्पादन घट गया है।

स्टॉलपर-सेम्युअलसन प्रमेय

(The Stolper-Samuelson Theorem)

स्टॉलपर-सेम्युअलसन प्रमेय के अनुसार वस्तु विधेय की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप उम वस्तु में गहन साधन के वास्तविक प्रतिफल में वृद्धि होगी तथा अमगहन (unintensive) साधन के वास्तविक प्रतिफल में कमी, इसी प्रकार वस्तु विधेय को कीमत में कमी के परिणामस्वरूप उम वस्तु में गहन साधन के वास्तविक प्रतिफल में कमी तथा अमगहन साधन के वास्तविक प्रतिफल में वृद्धि होगी।

अतः वस्तु कीमत में परिवर्तन का साधनों की कीमतों पर प्रभाव ज्ञात करने हेतु स्टॉलपर-सेम्युअलसन प्रमेय का अध्ययन आवश्यक है। आयात-प्रशुल्क में वृद्धि के कारण आयात वस्तु के मूल्य में सामान्यतया वृद्धि होती है, अतः प्रशुल्क के साधन-कीमतों पर प्रभाव ज्ञात करने हेतु भी स्टॉलपर-सेम्युअलसन प्रमेय का ज्ञान आवश्यक है।

स्टॉलपर-सेम्युअलसन प्रमेय के अनुसार "चाहे किसी भी वस्तु के रूप में देखें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के परिणामस्वरूप राष्ट्र के दुर्लभ साधन का वास्तविक प्रतिफल गिरेगा।"⁸


स्टॉलपर-सेम्युअलसन ने अपने लेख में सर्वप्रथम व्यापार के साधन-कीमतों पर प्रभाव से सम्बन्धित प्रचलित विचारों का अध्ययन किया व सारांश निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया —

"सारांश हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं (1) प्रतिष्ठित सिद्धान्त के सकीर्णतम रूप में साधनों के साक्षेप व निरपेक्ष अंशों पर व्यापार के प्रभाव की समस्या का शायद ही उदय होता हो क्योंकि वहाँ केवल एक साधन की मान्यता मान ली जाती है। (2) इस बेलचीली (rigid) प्रणाली की सीमाओं से बाहर यह लम्बे समय से माना जाता रहा है कि उत्पादन के दुर्लभ (small) विशिष्ट साधनों के साक्षेप तथा शायद निरपेक्ष अंश में संरक्षण के परिणामस्वरूप वृद्धि हो सकती है। इस पहलु पर विशेष ध्यान अग्रप्रतियोगी समूहों के सन्दर्भ में ही दिया गया था। (3) विशाल श्रेणियों (Large Categories) के सन्दर्भ में दृष्टिकोण (opinion) अधिक विभाजित है। स्वतंत्र व्यापार के परिणामस्वरूप श्रम जैसे विशाल (large) उत्पादक साधन के साक्षेप अंश में कमी की संभावना को लग-भग सभी स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि कुछ विचारक उत्पादन के बाहुल्य वाले साधनों की वास्तविक प्रायः कमी को स्वीकार करते हैं। लेकिन सभी लेखक निरपेक्ष अंशों में कमी को लग-भग असंभव मानते हैं तथा कुछ लेखकों का साक्षेप अंश के सन्दर्भ में भी यही विश्वास है। कई यह मानते हैं कि अन्तिम समस्या से सम्बन्धित कोई भी पूर्वाग्रह (a priori) की स्थिति संभव नहीं है। (4) लेखकों का बड़ा बहुमत इसे स्वयं सिद्ध (axiomatic) मानता है कि वास्तविक प्रायः पर प्रभाव की गणना करते समय उपभोक्ता के बजट में प्रवेश करने वाली वस्तुओं की कीमतों के व्यवहार को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस प्रकार यदि किसी साधन विशेष के मालिक केवल निर्यात वस्तु (प्रो पीगू की शब्दावली में यह मजदूरी वस्तु है) का उपभोग करते हैं तो मजदूरी-वस्तु आयातित वस्तु होने की स्थिति में भिन्न परिणाम प्राप्त होगा। चूँकि वास्तविक

जगत में उपभोग विविधता होनी है, अतः मजदूरी-वस्तु की प्रवृत्तारणा अत्यधिक सरली-कृत है। तथा इसमें सूचकांकी की गम्भीर समस्या निहित प्रतीत होती है।

चित्र 5.5 में सापेक्ष रूप से पूँजी सम्पन्न व अल्प दुर्लभ राष्ट्र का बॉक्स चित्र दर्शाया गया है। चित्र* 5.5 में व्यापारपूर्व साम्य बिन्दु M है। M बिन्दु पर X_1 वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त साधन-अनुपात OX_1-D विस्तार पथ द्वारा दर्शाया गया है जबकि X_2 वस्तु में प्रयुक्त साधन अनुपात OX_2-H विस्तार-पथ द्वारा। व्यापारपूर्व साधन-कीमत अनुपात $\left(\frac{P_{L_2}}{P_K}\right)_F$ $K_A^R-L_A^R$ रेखा के ढाल द्वारा दर्शाया गया है।

हेक्शर-ओलीन प्रमेय के अन्वय व्यापार में पूँजी सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका (A) पूँजी-गहन वस्तु X_2 के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा अतः इस राष्ट्र का उत्पादन बिन्दु अधिकतम कुशलता पथ पर M से N हो जाता है। N बिन्दु पर M बिन्दु की



चित्र 5 : 5 स्टॉलपर-सेम्मुगलसन प्रमेय

* इस चित्र के विश्लेषण को समझने में कठिनार्थ महसूस करने वाले विद्यार्थी कृपया परिशिष्ट B के बॉक्स चित्र व साधन-कीमत समानीकरण प्रमेय के प्रमाणीकरण के लिए प्रयुक्त चित्र 5-1 का पूर्ण अध्ययन करें।

तुलना में A राष्ट्र x_1 तथा x_2 दोनों ही वस्तुएँ नीचे पूँजी/धन अनुपात की सहायता से उत्पादित कर रहा है। चित्र में विस्तार पथ OX_2-H की तुलना में OX_2-G कम ढालू है इसी प्रकार OX_1-D की तुलना में OX_1-E कम ढालू है, अतः OX_1 तथा OX_2 दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में M की तुलना में N बिन्दु पर नीचा पूँजी/धन अनुपात प्रयुक्त किया जा रहा है।

हमारी रेखीय उत्पादन-फलन की मान्यता के आधार पर सीमान्त उत्पत्ति द्वारा नियम के बायाँ-वित्त होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि N बिन्दु की तुलना में M बिन्दु पर धन/पूँजी की सीमान्त भौतिक उत्पादकता का अनुपात अधिक है, अर्थात्

$$\left(\frac{MPP_L}{MPP_X}\right)_M > \left(\frac{MPP_L}{MPP_X}\right)_N$$

चूँकि पूर्ण प्रतियोगिता में साधनों की सीमान्त उत्पादकता का अनुपात साधन कीमत अनुपात के बराबर होता है, अतः हम लिख सकते हैं कि—

$$\left(\frac{P_L}{P_X}\right)_M > \left(\frac{P_L}{P_X}\right)_N$$

चित्र 5-5 में M बिन्दु से गुजरने वाली साधन-कीमत अनुपात रेखा $K^M \cdot L^M$, या N बिन्दु से गुजरने वाली साधन कीमत रेखा $K^N \cdot L^N$ से अधिक ढालू होना भी दर्शाता है कि व्यापार के परिणामस्वरूप राष्ट्र के बाहुल्य वाले साधन पूँजी के सापेक्ष प्रतिफल में वृद्धि हुई है तथा दुर्लभ साधन की सापेक्ष मजदूरी गिरी है।

चूँकि चित्र 5-5 में M तथा N दोनों ही बिन्दुओं पर दोनों साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति है, अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में धन साधन के अंश में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि व्यापार बन्द कर देने पर (जैसा कि निषेधात्मक प्रशुल्क द्वारा सम्भव है) अर्थात् N से व्यापारपूर्व बिन्दु M पर चयन करने से दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में ऊँचा पूँजी/धन अनुपात प्रयुक्त किया जायेगा। अतः पूँजी की सीमान्त उत्पादकता व व्याज दर घटेगी तथा धन की सीमान्त उत्पादकता व मजदूरी दर बढ़ेगी। अतः प्रशुल्क के परिणामस्वरूप राष्ट्र के बाहुल्य वाले साधन के प्रतिफल में कमी होती है व दुर्लभ साधन के प्रतिफल में वृद्धि।

रेखीय समरूप उत्पादन-फलन का आशय यह है कि साधन प्रतिफलों का योग कुल उत्पादन के ठीक बराबर होगा तथा प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप सामान्य लाभ अर्जित किया जायेगा।

माना कि कुल श्रम शक्ति L , पूँजी की मात्रा K , मजदूरी की दर W एवं व्याज दर r व राष्ट्रीय आय Y है, तो

$$Y = L W + K r \quad (1)$$

राष्ट्रीय आय में श्रम का अंश $L \times W$ है तथा पूँजी का अंश $K \times r$ है। मान लीजिए कि समीकरण (1) N बिन्दु पर स्वतंत्र व्यापार की स्थिति दर्शाती है तथा निम्न समीकरण (2) M बिन्दु पर निषेधात्मक प्रशुल्क के कारण व्यापार की अनुपस्थिति दर्शाती है, तो

$$Y_1 = L W_1 + K r_1 \quad (2)$$

यहाँ, Y_1 प्रशुल्क की स्थिति में राष्ट्रीय आय है, W_1 नई मजदूरी की दर व r_1 नयी व्याज की दर है।

हम जानते ही हैं कि प्रशुल्क के कारण M बिन्दु पर $W_1 > W$ तथा $r_1 < r$ जिसका अभिप्राय यह है कि $L W_1 > L W$ तथा $K r_1 < K r$ अर्थात् राष्ट्रीय आय में श्रम का अंश अधिक व पूँजी का अंश कम हो गया है।

क्या यह सम्भव है कि प्रशुल्क के कारण राष्ट्रीय आय Y_1 , Y की तुलना में कम हो, अतः मजदूरी की दरें बढ़ जायें लेकिन श्रमिकों को कम राष्ट्रीय आय का अधिक अंश मिले जिससे उन्हें निरपेक्ष हानि हो? ऐसा सम्भव नहीं है। यह तो सम्भव है कि प्रशुल्क के कारण राष्ट्रीय आय कम हो जाये लेकिन हमारे उदाहरण के दुर्लभ साधन (श्रम) के सापेक्ष व निरपेक्ष प्रतिफल दोनों में ही वृद्धि होगी। ऐसा इसलिए सम्भव होगा कि प्रशुल्क लगाने से साधनों के पुनरावटन के परिणामस्वरूप दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अधिक पूँजी-गहन बन जायेगा तथा श्रम की सीमांत उत्पादकता दोनों ही वस्तुओं में बढ़ जायेगी। अतः श्रम का प्रतिफल किसी भी वस्तु के रूप में मापें, मजदूरी की दरें ऊँची पायी जायेगी तथा पूर्ण रोजगार के कारण राष्ट्रीय आय में श्रमिकों का वास्तविक अंश अधिक होगा।

अतः स्पष्ट है कि स्टॉलपर-सेम्युअलसन प्रमेय प्रशुल्क के राष्ट्रीय आय के वितरण पर पड़ने वाले प्रभावों में महत्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि प्रदान करती है। यह सम्भव है कि अमेरिका जैसे पूँजी प्रधान राष्ट्र में समकालीन श्रमिक राष्ट्रीय आय में अपना अंश बढ़ाने हेतु आयातों पर प्रशुल्क बढ़ाने के लिए वकालत करें। लेकिन स्टॉलपर-सेम्युअलसन प्रमेय भी हेक्शर-ओलीन मॉडल वाली समस्त मान्यताओं पर आधारित है एवं इनमें से बहुत सी मान्यताएँ वास्तविक जगत में प्राप्त नहीं होती हैं—विशेषकर पूर्ण प्रतियोगिता की व सदैव ही पूर्ण रोजगार की मान्यताएँ वास्तविक जगत में प्राप्त नहीं होती हैं। अतः इस प्रमेय का व्यवहार में त्रिधाशील होना अस्पष्ट सा प्रतीत होता है।

परिशिष्ट—D
(Appendix—D)

रेखीय समरूप उत्पादन फलन

(Linearly Homogenous Production Function)

साधन-कीमत-समानोकरण प्रमेय के सत्यापन में हमने स्थान-स्थान पर रेखीय समरूप उत्पादन फलन की विशेषताओं का उपयोग किया है। अतः इस परिशिष्ट में रेखीय उत्पादन फलन की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण प्रस्तुत करना उचित होगा।

किसी भी उत्पादन फलन को r श्रेणी का समरूप उस स्थिति में कहते हैं जब इसके प्रत्येक स्वतंत्र चर (independent variable) को λ से गुणा करने पर फलन का मूल्य भी λ^r से बढ़ जाए। इस तथ्य को निम्न उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है —

माना कि उत्पादन फलन निम्न रूप में है :—

$$X = f(K, L) \quad (1)$$

अब यदि हम पूँजी व श्रम साधनों को λ गुणा बढा दें तो x वस्तु का उत्पादन भी λ गुणा बढ़ जायेगा, जैसा कि निम्न समीकरण से स्पष्ट है —

$$\lambda x = f(\lambda K, \lambda L) \quad \text{यहाँ } \lambda > 0 \text{ है}$$

यहाँ उत्पादन λ^1 से बढ़ा है अतः यह प्रथम श्रेणी का समरूप (homogenous of degree one) उत्पादन फलन है अर्थात् पैमाने के स्थिर प्रतिक्रिया का नियम क्रियाशील हो रहा है।

रेखीय समरूप उत्पादन फलन की एक अन्य विशेषता यह है कि श्रम तथा पूँजी साधनों की भीतत उत्पत्ति को उपयुक्त उत्पादन फलन में पूँजी/श्रम अनुपात

K^* $\left(= \frac{K}{L} \right)$ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यदि हम समीकरण (1)

के प्रत्येक स्वतंत्र चर को $K \left(= \frac{1}{L} \right)$ से गुणा करते हैं तो, रेखीय समरूपता के

कारण उत्पादन भी λ से बढ़कर $Kx \left(= \frac{X}{L} \right)$ हो जाता है तथा समीकरण (1)

का दायाँ भाग परिवर्तित होकर

$$f\left(\frac{K}{L}, \frac{L}{L}\right) = f\left(\frac{K}{L}, 1\right) = f(K^*, 1)$$

हो जायेगा। चूँकि मूल फलन में जहाँ कहीं भी K व L चर आयेंगे उन्हें क्रमशः K^* तथा 1 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा अतः उत्पादन फलन का दायाँ भाग मात्र पूँजी / श्रम अनुपात (K^*) का फलन बन जाता है। माना कि यह फलन $\rho(K^*)$ है तो समीकरण के दोनों पक्षों को समान करने पर हम लिख सकते हैं कि

$$AP_L = \frac{X}{L} = \rho K^* \quad (2)$$

AP_L को भी निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है

$$AP_L = \frac{X}{K} = \frac{X}{L} \frac{L}{K} = \frac{\rho(K^*)}{K^*} \quad (3)$$

दोनों साधनों की घ्रांसत उत्पत्ति K^* अर्थात् पूँजी / श्रम अनुपात का फलन होने के कारण रेखीय समरूपता का यह आशय है कि जब तक उत्पादन में पूँजी/श्रम अनुपात स्थिर बना रहेगा तब तक साधनों की घ्रांसत उत्पत्ति भी स्थिर रहेगी। अतः जब उत्पादन फलन प्रथम श्रेणी का समरूप होता है तो श्रम तथा पूँजी की घ्रांसत उत्पत्ति पूँजी तथा श्रम चरों में शून्य श्रेणी का समरूप (homogeneous of degree Zero) होती है क्योंकि पूँजी व श्रम में समान अनुपात में वृद्धि करने से (अर्थात् K^* स्थिर रखने से) साधनों की घ्रांसत उत्पत्ति अपरिवर्तित रहेगी।

इसी प्रकार श्रम तथा पूँजी की सीमान्त उत्पत्ति भी केवल मात्र K/L अनुपात अर्थात् K^* पर ही निर्भर रहती है अर्थात् साधन सीमान्त उत्पत्ति को भी मात्र K^* के फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

सीमान्त उत्पत्ति प्राप्त करने हेतु हम कुल उत्पादन को समीकरण (2) से निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं -

$$X = L \rho(K^*) \quad (4)$$

अब हम X का K तथा L के प्रति अवकलन (differentiation) करेंगे। इस उद्देश्य हेतु निम्न दो परिणाम उपयोगी सिद्ध होंगे -

$$\frac{\partial K^*}{\partial K} = \frac{\partial}{\partial K} \left(\frac{K}{L} \right) = \frac{1}{L} \quad (5)$$

तथा

$$\frac{\partial K^*}{\partial L} - \frac{\partial}{\partial L} \left(\frac{K}{L} \right) = \frac{-K}{L^2} \quad (b)$$

अब हम अवकलन के परिणामों को निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं —

$$\begin{aligned} MP_K &= \frac{\partial x}{\partial k} = \frac{\partial}{\partial k} \left[L \rho(K^*) \right] \quad (5) \\ &= L \frac{\partial \rho(K^*)}{\partial k} = L \frac{d\rho(K^*)}{d(K^*)} \frac{\partial K^*}{\partial K} \\ &= L \rho(K^*) \left(\frac{1}{L} \right) = \rho(K^*) \end{aligned}$$

(ऊपर के a परिणाम से)

$$\begin{aligned} MP_L &= \frac{\partial x}{\partial L} = \frac{\partial}{\partial L} \left[L \rho(K^*) \right] \quad (6) \\ &= \rho(K^*) + L \frac{\partial \rho(K^*)}{\partial L} \\ &= \rho(K^*) + L \rho(K^*) \frac{\partial K^*}{\partial L} \\ &= \rho(K^*) + L \rho(K^*) \frac{-K}{L^2} \end{aligned}$$

(ऊपर के परिणाम b द्वारा)

$$= \rho(K^*) - K^* \rho(K^*)$$

अर्थात् स्पष्ट है कि MP_K तथा MP_L पूँजी/श्रम अनुपात K^* का फलन है। अतः समान पूँजी/श्रम अनुपात प्रयुक्त करने पर साधना की सामान्य उत्पादकता का अनुपात भी समान होगा।

यूलर की प्रमेय (Euler's Theorem)

$$K \frac{\partial x}{\partial k} + L \frac{\partial x}{\partial L} = X$$

अर्थात् प्रत्येक साधन को उसकी सीमान्त उत्पत्ति से गुणा करके गुणनफल का योग करने पर यह कुल उत्पादन के ठीक बराबर होगा।

यूलर की प्रमेय का स्पष्ट सत्यापन निम्न प्रकार से किया जा सकता है

$$K \frac{\partial x}{\partial k} + L \frac{\partial x}{\partial L} = K\theta'(K^*) + L[\theta(K^*) - K^*\theta'(K^*)]$$

(समीकरण 5 व 6 के परिणाम से)

$$= K\theta'(K^*) + L\theta(K^*) - K\theta'(K^*) \quad [K^* = (K/L)]$$

$$= L\theta(K^*) = x$$

व्यापार की शर्तों (Terms of Trade)

व्यापार की शर्तों की अवधारणा (Concept of the Terms of Trade)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धान्त तथा आधुनिक सिद्धान्त में हमने व्यापार की शर्तों की अवधारणा का उपयोग किया था। रिकार्डों के मॉडल में व्यापार की शर्तों की सीमाओं से अभिप्राय उन तुलनात्मक लागत अनुपातों से था जिनके मध्य अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात निर्धारित होता है। रिकार्डों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यथार्थ (exact) व्यापार की शर्तों को निर्धारित करने का प्रयास नहीं किया था। व्यापार की शर्तों के निर्धारण के प्रश्न का जे० एस० मिल ने विस्तार से विवेचन किया है।

आयातों व निर्यातों की कीमतों का सम्बन्ध ही व्यापार की शर्तें हैं। व्यापार की शर्तों की अनेक अवधारणाओं में अन्तर किया जा सकता है—उदाहरणार्थ सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, आय व्यापार की शर्तें, वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें, तथा उपयोगिता व्यापार की शर्तें। प्रो० मीयर¹ (Meier) ने व्यापार की शर्तों की उपयुक्त विभिन्न अवधारणाओं को तीन समूहों में समाविष्ट किया है, जो निम्न प्रकार हैं —

- (1) वे व्यापार की शर्तें जिनका सम्बन्ध वस्तुओं के मध्य विनिमय से है — इस श्रेणी में व्यापार की शर्तों की तीन अवधारणाएँ सम्मिलित की जाती हैं—
 - (a) सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें
(Gross barter terms of trade)

1 Meier, G M —International Trade and Development (Harper & Row, New York rev ed 1967) p 41

- (b) शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें
(Net barter terms of trade)
- (c) आय व्यापार की शर्तें
(Income terms of trade)
- (2) वे व्यापार की शर्तें जिनका सम्बन्ध उत्पादन कारकों के बदल-बदल से होता है :
इस समूह में व्यापार की शर्तों की दो अवधारणाएँ शामिल की जाती हैं—
- (a) एक-कारकीय व्यापार की शर्तें
(Single-factoral terms of trade) तथा
- (b) द्वि-कारकीय व्यापार की शर्तें
(Double-factoral terms of trade)
- (3) वे व्यापार की शर्तें जो व्यापार से प्राप्त लब्धियों (gains) का निर्वचन
(interpretation) उपयोगिता विश्लेषण के रूप में करती हैं —
इस समूह में भी दो व्यापार की शर्तों की अवधारणाओं का समावेश किया
जाता है—
- (a) वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें तथा
(Real cost terms of trade)
- (b) उपयोगिता व्यापार की शर्तें
(Utility terms of trade)

प्रो० टाउसिग (Toussig) ने वस्तु व्यापार की शर्तों का विश्लेषण करते समय
शुद्ध (net) तथा सकल (gross) व्यापार की शर्तों में भेद किया था। 'वस्तु' अथवा
'शुद्ध' व्यापार की शर्तों (Tc) को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है —

$$Tc = \frac{Px}{Pm}$$

यहाँ Px तथा Pm क्रमशः आयात व निर्यात कीमतों के निर्देशांक हैं।

Tc में वृद्धि का अभिप्राय यह है कि मात्र कीमत सम्बन्धों के प्राधार पर
निर्यातों की की हुई माँग के द्वितिसय से आयातों की अधिक माँग प्राप्त की जा
सकती है।

आयातों व निर्यातों की सापेक्ष कीमतों की तुलना करने हेतु निर्देशांक का
उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम किसी प्राधार वर्ष में राष्ट्र के निर्यातों की प्रत्येक

वस्तु के कुल व्यापार में उसके प्रतिशत के आधार पर भार प्रदान करके औसत निर्यात कीमत को गणना करली जाती है। तत्पश्चात् बाद के किसी वर्ष के लिए भी इसी तरह से निर्देशांक प्राप्त कर लिया जाता है। यह बाद के वर्ष का निर्देशांक निर्यात कीमतों में औसत परिवर्तन को इंगित करता है। आयातों के लिए भी ठीक इसी विधि से एक निर्देशांक प्राप्त कर लिया जाता है। तत्पश्चात् निर्यात कीमतों के आयात कीमतों से अनुपात के परिवर्तन की निम्न प्रकार से गणना की जाती है :

$$T_c = \frac{P_{x1}}{P_{x0}} \bigg/ \frac{P_{m1}}{P_{m0}}$$

यहाँ x तथा m क्रमशः निर्यात व आयात हैं तथा 1 व 0 क्रमशः दिये हुए वर्ष व आधार वर्ष को इंगित करते हैं।

उदाहरणार्थ, माना कि राष्ट्र विशेष की व्यापार की शर्तों के लिए हम 1965 को आधार वर्ष लेते हैं, अतः उस वर्ष के आयात व निर्यात कीमतों के निर्देशांक 100 हैं। यदि 1975 में निर्यात वस्तुओं का निर्देशांक 120 व आयात वस्तुओं का निर्देशांक 140 हो जाता है तो व्यापार की शर्तों का परिवर्तन निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है :—

$$T_c = \frac{120}{100} \bigg/ \frac{140}{100} = 0.86 \text{ (लगभग)}$$

अर्थात् $0.86 \times 100 = 86$ । इसका अभिप्राय यह है कि इस राष्ट्र की व्यापार की शर्तों 1965 की तुलना में 1975 में 14% प्रतिकूल हो गयी हैं। इस परिवर्तन को दो तरह से निर्वचित किया जा सकता है। या तो हम यह कह सकते हैं कि इस राष्ट्र को दो हुई निर्यातों की मात्रा के विनिमय में 14% कम आयात प्राप्त हो रहे हैं अथवा दी हुई आयातों की मात्रा प्राप्त करने हेतु इस राष्ट्र को 16% अधिक निर्यात देने होंगे। अतः स्पष्ट है कि आयातों की कीमत स्थिर रहने पर एव निर्यातों की कीमत में वृद्धि हो जाने पर अथवा निर्यातों की कीमत स्थिर रहने पर एव आयातों की कीमत घट जाने पर व्यापार की शर्तें राष्ट्र के अनुकूल हो जायेंगी।

टाउसिंग के अनुसार विशुद्ध व्यापार की शर्तों की अवधारणा तभी सम्बद्ध (relevant) है जबकि दो राष्ट्रों के मध्य व्यापार में केवल आयात-निर्यात ही शामिल हों।

यदि भुगतान समुच्चय में एन तरफा भुगतान सम्मिलित होने के कारण निर्यातों

मध्यम आयातों के मौद्रिक मूल्य में आधिक्य (excess) है तो सम्बद्ध अवधारणा मूल्य व्यापार की शर्तों (Tg) की है। सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें राष्ट्र के समस्त निर्यातों की मौद्रिक मात्रा तथा समस्त आयातों की मौद्रिक मात्रा के मध्य विनिमय अनुपात को मापती है। Tg को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है :—

$$T_g = \frac{Q_m}{Q_x}$$

यहाँ Qm तथा Qx क्रमशः आयातों व निर्यातों की मात्रा के निर्देशक हैं। Tg में वृद्धि का अर्थ है यह है कि व्यापार की शर्तें राष्ट्र के अनुकूल हो गयी हैं अर्थात् आयात वर्ष की तुलना में दिए हुए निर्यातों के विनिमय में राष्ट्र को अधिक आयातों की मात्रा प्राप्त हो रही है।

यदि आयातों का कुल मूल्य निर्यातों के कुल मूल्य के ठीक बराबर हो अर्थात् $P_x Q_x = P_m Q_m$ तो Tc तथा Tg समान होंगी, जैसा कि निम्न प्रकार में स्पष्ट है :—

$$P_x Q_x = P_m Q_m$$

$$\text{दोनों तरफ } P_m Q_x \text{ का भाग देने पर } \frac{P_x}{P_m} = \frac{Q_m}{Q_x} \text{ अर्थात् व्यापार अनुपात में}$$

सम्यक् की अवस्था में शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों के बराबर होंगी।

बहुत सी बार विचाराधीन व अर्द्धविकसित राष्ट्रों के लिए निर्यातों की मात्रा के परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं अतः विगुह व्यापार की शर्तों में व्यापार की मात्रा के परिवर्तन शामिल किये जाते हैं, ऐसा करने हेतु 'आय व्यापार की शर्तों' (Ty) की अवधारणा का उपयोग किया जाता है तथा इसे निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है :—

$$T_y = T_c \left(\frac{Q_{x1}}{Q_{x0}} \right)$$

हमारे पूर्व के उदाहरण में व्यापार की मात्रा के परिवर्तन सम्मिलित करके आय व्यापार की शर्तों को व्यक्त किया जा सकता है। माना कि सन् 1965 से 1975 के मध्य Qx, 100 से बढ़कर 120 हो गया है तो राष्ट्र की आय व्यापार की शर्तें इस प्रकार होंगी :—

$$T_y = (120/140) 120 = (0.857) (120) = 102.84$$

जिसका अर्थप्राय यह है कि सन् 1965 से 1975 की अवधि में विचारार्थ राष्ट्र की 'आयात करने की क्षमता' (capacity to import) 2.84 बढ़ गयी है। यद्यपि इस राष्ट्र की शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें इसी अवधि में 14% प्रतिकूल हो गयी थी। आयात व्यापार की शर्तों की अवधारणा अर्द्धविकसित राष्ट्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन राष्ट्रों को आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत वस्तुओं के आयातों पर निर्भर रहना पड़ता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विशुद्ध व्यापार की शर्तों के प्रतिकूल होने का अर्थप्राय यह है कि अगधार वर्ष की तुलना में दिये हुए वर्ष में दी हुई निर्यातों की मात्रा के विनिमय में कम आयात प्राप्त हो सकेंगे। लेकिन वारको की उत्पादकता में परिवर्तनों से निर्यात वस्तु के उत्पादन की कुशलता में वृद्धि होना सम्भव है। उत्पादकता के इन परिवर्तनों का समावेश करने हेतु 'एक कारकीय व्यापार की शर्तों (Tf) की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। Tf को निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है —

$$Tf = Tc \left(\frac{F_{x_0}}{F_{x_1}} \right)$$

यहाँ $\left(\frac{F_{x_0}}{F_{x_1}} \right)$ लागत में परिवर्तनों के सूचक (index) का व्युत्क्रम

(reciprocal) है जिसे निर्यातों में प्रति इकाई वारको की प्रयुक्त मात्रा के रूप में व्यक्त किया गया है। अतः, Tf निर्यातों के उत्पादन में प्रति इकाई वारको की प्रयुक्त मात्रा से प्राप्त आयातों की भौतिक मात्रा का सूचक है। इस सूचक को प्रो० वाइनर (Viner) ने 'एक-कारकीय व्यापार की शर्तों का सूचक' कहा है। वाइनर के अनुसार 'यदि निर्यात वस्तुओं के औसत तकनीकी गुणांक के रूप में उत्पादन लागत के सूचक का निर्माण करना संभव हो तथा वस्तु-व्यापार की शर्तों के सूचक को निर्यात वस्तु के तकनीकी गुणांक के व्युत्क्रम सूचक से गुणा कर दिया जाय तो जो सूचक प्राप्त होगा वह स्वयं वस्तु व्यापार की शर्तों की तुलना में व्यापार से लब्धियों की प्रवृत्ति का उत्तम पथ प्रदर्शक होगा।' ³

2 Viner, J.—Studies in the Theory of International Trade (New York Harper & Bros., publishers, 1937) p 559

3 Viner, J.—Ibid p 559

यदि वस्तु व्यापार की शर्तों (Tc) में आयात व निर्यात दोनों क्षेत्रों की उत्पादकता में होने वाले परिवर्तन शामिल किये जायें तो 'द्वि-कारकीय व्यापार की शर्तों' (Tff) के निर्देशक को प्रयुक्त किया जाता है। द्वि-कारकीय व्यापार की शर्तों को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है—

$$Tff = Tc \left(\frac{Fm_1/Fm_0}{Fx_1/Fx_0} \right)$$

यहाँ (Fm₁/Fm₀) आयातों की प्रति इकाई में प्रयुक्त कारकों की मात्रा के रूप में लागत में परिवर्तनों का सूचक है। Tff दर्शाता है कि हमारे राष्ट्र के उत्पादक-कारक की एक इकाई के उत्पादन के विनिमय में विदेशी राष्ट्र के कितने उत्पादक-कारकों का उत्पादन प्राप्त होगा। यदि उत्पादन में स्थिर लागतों की स्थिति विद्यमान है तो द्वि-कारकीय व वस्तु-विनिमय व्यापार की शर्तों में परिवर्तन की प्रवृत्ति एक जैसी होगी।

प्रो० वाइनर के अनुसार व्यापार से प्राप्त लब्धियों के सूचक का और अधिक सही माप करने हेतु एक-कारकीय व्यापार की शर्तों के निर्देशक को निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त तकनीकी गुणों के 'अनुपयोगिता गुणक' के व्युत्क्रम (reciprocal) के सूचक से गुणा करके 'वास्तविक लागत व्यापार की शर्तों का सूचक' (Tc, f, r) प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक लागत व्यापार की शर्तों के सूचक को निम्न रूप में व्यक्त किया सकता है —

$$Tc, f, r = Tc \left(\frac{Fx_0}{Fx_1} \right) \left(\frac{Rx_0}{Rx_1} \right)$$

यहाँ $\left(\frac{Rx_0}{Rx_1} \right)$ तकनीकी गुणों की प्रति इकाई अनुपयोगिता की मात्रा

का सूचक है तथा Tc, f, r प्रति इकाई वास्तविक लागत से प्राप्त विदेशी वस्तुओं की भौतिक मात्रा का सूचक है।

लेकिन व्यापार से प्राप्त लब्धियाँ केवल इस तथ्य पर निर्भर नहीं करती कि निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में लगी प्रति इकाई वास्तविक लागत में विदेशी वस्तुओं की

व्यापार की शर्तों की उपर्युक्त अवधारणाओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण T_c , T_y तथा T_f है, T_f अर्थात् द्वि-कारक व्यापार की शर्तें इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। विकासशील राष्ट्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापार की शर्तों की अवधारणा 'आय व्यापार की शर्तें' (T_y) हैं। लेकिन व्यापार की शर्तों की विभिन्न अवधारणाओं में से वस्तु व्यापार की शर्तों अथवा विशुद्ध व्यापार की शर्तों (T_c) को मापना सर्वाधिक आसान है, अतः अधिकांश समय हम T_c का ही उपयोग करते हैं। T_c का इतना अधिक उपयोग होने के कारण इसे 'व्यापार की शर्तें' कहकर भी सम्बोधित किया जाता है।

व्यापार की शर्तों के निर्धारक घटक

(Factors Determining Terms of Trade)

व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाले घटकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है —

(1) अल्पकालीन, व (2) दीर्घकालीन।

अल्पकाल में व्यापार की शर्तें व्यापारिक नीति विनिमय दर, एकपक्षीय हस्तान्तरण भुगतान अथवा अक्रिय उच्चावचनों में परिवर्तनों के द्वारा परिवर्तित हो सकती है।

दीर्घकाल में व्यापार की शर्तों में परिवर्तनों के निर्धारक कारकों को उत्पादन व उपभोग में होने वाले संरचनात्मक (structural) परिवर्तनों से जोड़ा जाता है। इन घटकों का विस्तृत विवरण आगे दिया जा रहा है —

व्यापारिक नीति में परिवर्तन


(Changes in Commercial policy)

राष्ट्र प्रशुल्क लगाकर व्यापार की शर्तों को अपने पक्ष में परिवर्तित करने में सफल हो सकता है। लेकिन प्रशुल्क द्वारा व्यापार की शर्तें प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र के अनुकूल सभी होंगी जब निम्न दो शर्तें पूरी हों :—

प्रथम तो यह है कि सामने वाले राष्ट्र का अर्पण-वक्र मूल बिन्दु से सरल रेखा (straight line) न हो अर्थात् सामने वाले राष्ट्र का अर्पण वक्र अनन्त खोच वाला न हो।

दूसरा यह कि सामने वाला राष्ट्र प्रतिशोध के रूप में प्रशुल्क नहीं लगाये।

प्रशुल्क का व्यापार की शर्तों पर प्रभाव अर्पण-वक्र चित्र 6.1 द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 6.1 में OA तथा OB क्रमशः A तथा B राष्ट्रों के अर्पण-वक्र हैं। यदि B-राष्ट्र आयात प्रशुल्क लगाता है तो इस राष्ट्र का अर्पण-वक्र OB से विचलित होकर OB₁ हो जायेगा। इसका अभिप्राय यह है कि B राष्ट्र पूर्व की तुलना में आयातों



चित्र 6.1 : प्रशुल्क से व्यापार की शर्तों में सुधार

की प्रत्येक मात्रा के बदले कम निर्यात अर्पण करने की तत्पर है। प्रशुल्क के परिणामस्वरूप y वस्तु के आयातों का स्तर $0-y_0$ से घटकर $0-y_1$ हो जाता है। प्रशुल्क से पूर्व साम्य व्यापार की शर्तों op रेखा के ढाल द्वारा दर्शायी गयी थी। प्रशुल्क लगाने के बाद साम्यावस्था में व्यापार की शर्तों को दर्शाने वाली रेखा op_1 है। op रेखा की तुलना

में op_1 रेखा का ढाल अधिक है (ध्यान रहे यह ढाल $\left(\frac{P_x}{P_y}\right)$ अनुपात है)।

अब op_1 रेखा op की तुलना में B-राष्ट्र की निर्यात वस्तु x की ऊँची कीमत दर्शाती है। स्पष्ट है कि प्रशुल्क लगाने में व्यापार की शर्तें B-राष्ट्र के पक्ष में परिवर्तित हो गयी हैं। चित्र 6.1 में प्रशुल्क लगाने से पूर्व B-राष्ट्र ox_1 निर्यातों के बदले y वस्तु को oy_2 मात्रा प्राप्त करने की तत्पर था जबकि प्रशुल्क लगाने के पश्चात् ox_1 निर्यातों के बदले यह राष्ट्र oy_1 आयातों की मात्रा प्राप्त कर रहा है जिसमें से y_1-y_2 आयात B-राष्ट्र की सरकार के पास प्रशुल्क के रूप में चला जाता है।

के निर्यातों की कीमतें अग्रिम नहीं गिरे तथा वे A-राष्ट्र की मुद्रा के रूप में लगभग अव-
मूल्यन के प्रतिगत के हो बट जायेंगी। cxA कम होना इसलिये आवश्यक है कि A-राष्ट्र
के निर्यातों की कीमत A की मुद्रा में अवमूल्यन की प्रतिगत में बट जायेंगी। इन शर्तों

$$cxB$$

के परिणामस्वरूप — अनुमान ठेका बना रहेगा। cxA अग्रिम होना इसलिये
 cxA

आवश्यक है कि A के आयातों में काशी कमी होगी। अतः B राष्ट्र की मुद्रा के रूप में
A के आयातों की कीमत गिरेगी। cxB कम होना इसलिये आवश्यक है कि ज्यों ही
A-राष्ट्र में B के निर्यातों की मांग घटेगी, B राष्ट्र के निर्यातों की कीमत भी घट

$$cxB$$

जायेंगी। इन शर्तों के परिणामस्वरूप — अनुमान कम बना रहेगा।

$$cxA$$

स्पष्ट ही है कि यदि दोनों राष्ट्रों में पूर्ण मातृ अन्त है तो $cxA, cxB <$
 cxA, cxB तथा अवमूल्यन के परिणामस्वरूप व्यापार की शर्तें अवमूल्यनकर्ता राष्ट्र
A के प्रतिकूल हो जायेंगी। वास्तव में इन परिस्थितियों में व्यापार की शर्तें अवमूल्यन
के प्रतिगत के बराबर प्रतिकूल हो जायेंगी।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप यदि व्यापार
मनुन प्रतिकूल हो जाता है तो व्यापार की शर्तें भी अवमूल्यनकर्ता राष्ट्र के प्रति-
कूल हो जायेंगी।

सैद्धांतिक विवेचना में भी अर्थशास्त्री अवमूल्यन के व्यापार की शर्तों पर प्रभाव
के बारे में एकमत नहीं हैं। फ्रैंक डी. ग्राहम (Frank D. Graham) जैसे बहुर
प्रतिष्ठित (ultra-class cast) अर्थशास्त्री मानते हैं कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप
व्यापार की शर्तें अग्रिम रहेंगी क्योंकि राष्ट्र विदेश अवमूल्यन द्वारा विश्व-बाजार
कीमतों में परिवर्तन नहीं ला सकता है। राष्ट्र विदेश के लिए विश्व-बाजार की
कीमतें दो हूट व अग्रिम रहेंगी हैं। ऐसी स्थिति में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप
अवमूल्यनकर्ता राष्ट्र की मुद्रा के रूप में आयातों व निर्यातों की कीमतें अवमूल्यन की
प्रतिगत में बट जायेंगी हैं। लेकिन चूंकि एक सामान्य राष्ट्र के निर्यातों की मांग लोच
व आयातों की पूर्ण लोच अन्त होती है अतः व्यापार की शर्तें अग्रिम रहेंगी।

बहुर-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विपरीत प्रतीष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है
कि अवमूल्यन में व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जायेंगी हैं तथा अग्रिमूल्यन से अनुकूल
क्योंकि राष्ट्र विदेश का वित्तीयकरण निर्णय वस्तुओं में हाता है न कि आयात

से कम रोजगार की मान्यता मान ली जाए तो एक पक्षीय भुगतानों का व्यापार की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पडना आवश्यक नहीं है।

४. चक्रीय उच्चावचन

(Cyclical fluctuations)

आर्थिक मन्दी व तेजी के कारण भी व्यापार की शर्तें प्रभावित होती हैं। यदि आयातकर्ता राष्ट्रों में मुद्रा स्फीति की अपेक्षाकृत ऊँची दर है तो आयातों की माँग में वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार की शर्तें निर्यातकर्ता राष्ट्र के पक्ष में परिवर्तित हो सकती हैं। इसके विपरीत यदि आयातकर्ता राष्ट्रों में मन्दी की स्थिति है तो माँग घटने के कारण व्यापार की शर्तें निर्यातकर्ता राष्ट्र के प्रतिकूल हो सकती हैं। लेकिन इस सन्दर्भ में हमें यह ध्यान रखना होगा कि माँग में परिवर्तन का व्यापार की शर्तों पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि माँग में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है।

५. व्यापार की शर्तें व आर्थिक विकास


(Terms of Trade and Economic Growth)

दीर्घकाल में व्यापार की शर्तों को उपभोग व उत्पादन के संरचनात्मक परिवर्तन प्रभावित करते हैं। प्रो० भगवती⁸ (Bhagwati) ने इंगित किया है कि जिन अर्थशास्त्रियों ने (उदाहरणार्थ, एच जी. जॉनसन व डब्ल्यू एम कॉडॉन) आर्थिक विकास के व्यापार की शर्तों पर प्रभाव के अध्ययन का प्रयत्न किया है, वे व्यापार की शर्तों में परिवर्तन की दिशा को विस्थापित करने में ही सफल हुए हैं न कि परिवर्तन की सीमा को। अतः प्रो० भगवती ने सन् 1958 में अपने लेख 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व आर्थिक विस्तार' में इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया है।

आर्थिक विकास के व्यापार की शर्तों पर प्रभाव को निम्न चित्र 6 4 की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र 6 4 में साधन पूर्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन पर पडने वाले पाँच प्रकार के प्रभाव स्पष्ट किये गये हैं। माना कि चित्र 6 4 में प्रारम्भिक व्यापार की शर्तों की रेखा MN है। अतः P बिन्दु साम्य उत्पादन बिन्दु है। आर्थिक विकास के उत्पादन पर प्रभाव स्पष्ट करने हेतु हम यह जानना चाहेंगे कि प्रारम्भिक वस्तु कीमत-अनुपात पर राष्ट्र के उत्पादन में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। अतः M_1N_1

⁸ Bhagwati, J —International Trade and Economic Expansion—in Bhagwati (ed) —International Trade—P 311



चित्र 6.4 . साधन वृद्धि व भिन्न प्रकार के उत्पादन प्रभाव


रेखा MN रेखा के समानान्तर खींची गयी है। M_1N_1 रेखा प्रारम्भिक वस्तु-कीमत अनुपात लेकिन उत्पादन की वृद्धि को इंगित करती है।

अब यदि उत्पादन की वृद्धि P बिन्दु से PN रेखा वाले पथ पर होती है तो आर्थिक विकास के बावजूद राष्ट्र X तथा Y वस्तुएँ उसी अनुपात में उत्पादित कर रहा है जिस अनुपात में आर्थिक विकास से पूर्व कर रहा था। अतः उत्पादन प्रभाव तटस्थ (neutral) होगा। यदि उत्पादन विस्तार रेखा PN रेखा के दायी ओर बढ़ती है और Px जैसी रेखा पर नया उत्पादन बिन्दु है तो इसका अभिप्राय यह है कि विकास के परिणामस्वरूप उत्पादन में X वस्तु का अनुपात बढ़ गया है अर्थात् उत्पादन प्रभाव में निर्यात अभिनति (Export bias) है। इसी प्रकार यदि उत्पादन विस्तार रेखा PN से बायी ओर ऊपर बढ़ती है और PM जैसी रेखा पर नया उत्पादन बिन्दु विद्यमान है तो उत्पादन में Y वस्तु का अनुपात बढ़ गया है अर्थात् उत्पादन प्रभाव में आयात अभिनति (Import bias) है।

लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य तों यह है कि जब तक नया उत्पादन बिन्दु P मूल बिन्दु वाले L-P-R जैसे समकोण द्वारा निर्धारित सीमाओं के मध्य किसी भी रेखापर है तब तक आर्थिक विकास को निर्यात अभिनति वाले, आयात अभिनति वाले अथवा तटस्थ विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन यदि नया उत्पादन बिन्दु

L-P-R समकोण को सीमाओं के बाहर विद्यमान है तो विकास को निर्यात चरम-पक्षपाती (ultra-export biased) अथवा आयात चरम-पक्षपाती (ultra-import biased) के रूप में परिभाषित किया जाता है। चित्र 6.4 में यदि नया उत्पादन-बिन्दु P-xyz जैसी ऋणात्मक ढाल वाली रेखा पर विद्यमान है तो विकास निर्यात चरम-पक्षपाती है। निर्यात चरम-पक्षपाती विकास का अर्थिप्राय यह है कि आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप उत्पादन में न केवल निर्यात वस्तु का अनुपात बढ़ जाता है अपितु आयात वस्तु के घरेलू उत्पादन की मात्रा में निरपेक्ष कमी हो जाती है। इसी प्रकार चित्र 6.4 में नया उत्पादन बिन्दु यदि P-uvw जैसी ऊपर की दिशा में ऋणात्मक ढाल वाली रेखा पर विद्यमान है तो विकास आयात चरम-पक्षपाती है। आयात चरम पक्षपाती विकास का अर्थ यह है कि आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप उत्पादन में न केवल आयात वस्तु का अनुपात बढ़ जाता है अपितु निर्यात वस्तु के उत्पादन की मात्रा में निरपेक्ष कमी हो जाती है।

विकास का व्यापार की शर्तों पर प्रभाव ज्ञात करने हेतु उपयुक्त उत्पादन प्रभावों के माध्यम-माय हमें उपभोग प्रभावों को ज्ञात करना भी आवश्यक है। तटस्थ उत्पादन प्रभाव व भिन्न प्रकार के उपभोग प्रभावों का व्यापार की शर्तों पर प्रभाव चित्र 6.5 में



चित्र 6.5 : तटस्थ आर्थिक विकास का व्यापार पर प्रभाव

स्पष्ट किया गया है। चित्र 6.5 में मान लीजिये कि उत्पादन के दोनो साधनों में समान अनुपात में वृद्धि होती है तथा तकनीकी अपरिवर्तित रहती है तो उत्पादन संभावना वक्र समस्त दिशाओं में समान रूप से बाहर की ओर धकेला जाकर A_1B_1 से A_2B_2 हो जायेगा। इस तरह के आर्थिक विकास का व्यापार की शर्तों पर प्रभाव ज्ञान करने हेतु हम सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि पुश्तानी व्यापार की शर्तों पर कुल व्यापार में वृद्धि होगी अथवा कमी। यदि राष्ट्र पुरानी व्यापार की शर्तों पर पूर्व से अधिक व्यापार करने को उद्यत है तो व्यापार की शर्तें इस राष्ट्र के प्रतिकूल हो जायेंगी और यदि पूर्व से कम व्यापार करने को उद्यत है तो अनुकूल तथा साधन वृद्धि से पूर्व जितना ही व्यापार करने को उद्यत है तो व्यापार की शर्तें यथावत बनी रहेगी।


चित्र 6.5 में QPC त्रिभुज साधन वृद्धि से पूर्व की व्यापार की मात्रा दर्शाता है, P-C व्यापार की शर्तों पर निर्यात-वस्तु की Q-P मात्रा से आयात वस्तु की Q-C मात्रा का विनिमय हो रहा है। उत्पादन में तटस्थ वृद्धि के परिणामस्वरूप नया उत्पादन बिन्दु O-P-P' रेखा पर P' होगा जिसका अभिप्राय यह है कि साधन वृद्धि से पूर्व तथा बाद में x तथा y वस्तु का समान अनुपात में उत्पादन हो रहा है। यह परिणाम हमारी रेखीय मरूप उत्पादन फलन की मान्यता तथा अपरिवर्तित व्यापार की शर्तों (चित्र में P-C रेखा P'-C' रेखा के समानान्तर है) की मान्यता के आधार पर प्राप्त किया गया है।

अब प्रमुख प्रश्न यह है कि आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप उपभोग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। उपभोग में परिवर्तन को स्पष्ट करने हेतु हम C मूल बिन्दुवाला L-C-R समकोण बना लेते हैं। यदि नया उपभोग बिन्दु L-C-R त्रिभुज द्वारा निर्धारित सीमा रेखाओं के बीच कहीं भी विद्यमान है तो हम कह सकते हैं कि यदि x तथा y दोनो वस्तुओं में से कोई भी 'घटिया' वस्तु नहीं है तो आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप नया उपभोग बिन्दु L-C-R समकोण द्वारा निर्धारित सीमा रेखा के मध्य ही विद्यमान होगा। यदि x तथा y वस्तु की माँग की आय-लॉच इकाई है तो नया उपभोग बिन्दु मूल बिन्दु से खींची गयी O-C-C₁ रेखा पर ही बना रहेगा अर्थात् आय में वृद्धि के बावजूद x तथा y वस्तु की कीमतेँ यथावत् रहने की अवस्था में इनको पुराने अनुपात में ही उपभोग किया जायेगा। इन तरह के उपभोग प्रभाव को हम तटस्थ (Neutral) उपभोग प्रभाव कहते हैं।

लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप माँग में तटस्थ (Neutral) वृद्धि ही हो। यदि y वस्तु की माँग की आय लॉच इकाई से अधिक है

तथा x वस्तु की आय-लोच इकाई से कम तो नया उपभोग बिन्दु $C-C'$ रेखा से ऊपर $L-C C'$ क्षेत्र में पाया जायेगा अर्थात् आय में वृद्धि के कारण पुराने वस्तु कीमत अनुपात पर उपभोग में y वस्तु का अनुपात बढ़ जायेगा। इस तरह के उपभोग प्रभाव को प्रो० हेरी जॉनसन (Harry Johnson) ने उपभोग में व्यापार अन्व-अभिनति (Pro-Trade-biased) वृद्धि का नाम दिया है। इसी प्रकार यदि y वस्तु की माँग की आय-लोच इकाई से कम है तथा x वस्तु की आय-लोच इकाई से अधिक तो आय उपभोग वक्र $C-C'$ रेखा के दायी ओर $C'-C-R$ क्षेत्र में पाया जायेगा अर्थात् पुराने वस्तु कीमत अनुपात पर आय में वृद्धि हो जाने पर उपभोग में y -वस्तु का अनुपात घट जायेगा।

अब हम उपभोग वक्र उत्पादन प्रभावों का समुक्त प्रभाव ज्ञात करके आर्थिक विकास का व्यापार की शर्तों पर प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं। चित्र 65 में यदि नया उपभोग बिन्दु C' है तो स्पष्ट ही है कि आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप पुराने वस्तु कीमत अनुपात पर राष्ट्र पूर्ण से अधिक व्यापार करने को उद्यत होगा क्योंकि चित्र 65 में $P-C$ रेखा $P-C$ रेखा के समानान्तर लेकिन $P-C$ रेखा से अधिक लम्बी है। अतः विकास के परिणामस्वरूप व्यापार की शर्तें इस राष्ट्र के प्रतिबल हो जायेंगी तथा इसका अर्थ—वक्र चित्र 66 में दायी ओर विवृत होकर OB से OB_1 हो जायेगा। अतः स्पष्ट है कि यदि सामने वाले राष्ट्र A का अर्थ—वक्र अनन्त लोच वाला नहीं है



चित्र 66 उत्पादन में तटस्थ वृद्धि तथा समस्थित (Homothetic) माँग का व्यापार की शर्तों पर प्रभाव

तो व्यापार की शर्तें विक्रम करने वाले राष्ट्र के प्रतिकूल हो जायेंगी जैसा कि चित्र 6.6 में OP_1 रेखा द्वारा दर्शाया गया है।

यद्यपि आय में वृद्धि का तटस्थ प्रभाव होना सम्भव है लेकिन मंदव ही ऐसा नहीं होता है। अतः आय-उपभोग रेखा $C-C'$ ही हो यह आवश्यक नहीं है। यदि आयान-वस्तु y की माँग में अचानक अचानक वृद्धि हो जाती है तो राष्ट्र विक्रम के पश्चात् और भी अधिक व्यापार करने को उद्यत होगा (चित्र 6.5 में नया उपभोग-विन्दु C' से ऊपर होगा) तथा व्यापार की शर्तें इस राष्ट्र के और अधिक प्रतिकूल हो जायेंगी। यह भी सम्भव है कि माँग नियंत्रण वस्तु के वृद्ध पक्ष में हो जाये लेकिन फिर भी विक्रम करने वाले राष्ट्र के व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाएँ। चित्र 6.5 में यदि नया उपभोग विन्दु $C-N$ रेखा से ऊपर तथा $C-C'$ रेखा से नीचे विद्यमान है तो माँग नियंत्रण वस्तु के पक्ष में परिवर्तित होगा लेकिन फिर भी राष्ट्र पुराने कीमत अनुपात पर पूर्व से अधिक व्यापार करने को उद्यत है (चित्र में $C'-N$ के बीच के विन्दुओं से P' तक खींची गयी रेखाएँ $P-C$ रेखा के समानान्तर लेकिन इससे अधिक लम्बी होंगी) अतः व्यापार की शर्तें इस राष्ट्र के प्रतिकूल हो जायेंगी। चित्र 6.5 में नया उपभोग विन्दु यदि $C-N$ रेखा पर विद्यमान है तो $P-C$ व $P-N$ रेखाएँ समानान्तर व समान लम्बाई की होंगी अतः विक्रम के बावजूद राष्ट्र पूर्व जितना ही व्यापार करने को उद्यत होगा तथा आर्थिक विक्रम का व्यापार की शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।


विकासोन्मुख राष्ट्रों की व्यापार की शर्तें

(Terms of Trade of Developing nations)

उपयुक्त सैद्धान्तिक विश्लेषण के आधार पर अर्द्ध-विकसित राष्ट्र व्यापार की शर्तें उनके प्रतिकूल होने का प्रमुख कारण यह बताते हैं कि उनका विक्रम नियंत्रण चरम-पक्षपाती होता है तथा माँग आयान के पक्ष में अधिक परिवर्तित हो जाती है।

प्रेबिश⁹, (Prebisch) सिंगर¹⁰, (Singer) मिरदल¹¹ (Myrdal) व

- 9 Prebisch, R —Towards a New Trade Policy for Development (New York, United Nations), 1964
- 10 Singer, H —The Distribution of Gains between Investing and Borrowing Countries—A E Rev, May, 1950
- 11 Myrdal, G —Development & Underdevelopment (Cairo: National Bank of Egypt)—1959



चित्र 6.7 : कल्याण श्रवकारक विकास
(Immiserizing Growth)

E या जबकि विकास के बाद राष्ट्र E₁ बिन्दु पर U₃ से U₂ समुदाय उदासीन वक्र पर आ जाता है। कल्याण श्रवकारक विकास के लिए अग्रनिम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं —

1. स्थिर वस्तु कीमत अनुपात पर राष्ट्र में विकास के परिणामस्वरूप निर्यात वस्तु के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो।
2. राष्ट्र महत्वपूर्ण निर्यातकर्ता हो ताकि इस राष्ट्र के निर्यातों की पर्याप्त वृद्धि से इसकी व्यापार की शर्तें प्रतिबल हो जायें।
3. राष्ट्र के निर्यातों की शेष विश्व में माँग की घ्राय लोच बहुत कम हो।
4. राष्ट्र की व्यापार पर भारी निर्भरता हो।

प्रेबिश् (Prebisch) एवं सिगर (Singer) ने अपना यह निष्कर्ष कि व्यापार की शर्तों की विकासशील राष्ट्रों के प्रतिबल हो जाने की प्रवृत्ति होती है, सयुक्त राष्ट्र संघ के सन् 1944 के एक अध्ययन से प्राप्त किया था जिसमें यह दर्शाया गया था कि ब्रिटेन की व्यापार की शर्तें सन 1870 में 100 से बढ़कर 1938 में 170 हो गयी थी। चूँकि ब्रिटेन निर्मित माल का निर्यात करता था तथा कच्ची सामग्री का आयात एवं विकासशील राष्ट्र कच्ची सामग्री का निर्यात करते थे एवं निर्मित माल का आयात। अतः प्रेबिश् व सिगर ने यह निष्कर्ष निवाला कि विकासशील राष्ट्रों की

व्यापार की शर्तें 100 से घटकर $\left(\frac{100}{170}\right)100 = 59$ हो गयी थी। इस निष्कर्ष की

अनेक आधारी पर आलोचनाएँ की गयी, लेकिन हाल ही में सन् 1980 में स्प्राओस¹⁴ (Spraos) ने प्रोविश एव सिगर के मूल* निष्कर्षों की अधिकांश आलोचनाओं को आधारहीन सिद्ध करके यह दर्शाया है कि सन् 1870 से सन् 1938 की अवधि में वस्तु व्यापार की शर्तें विकासशील राष्ट्रों के प्रतिकूल हुई हैं।

व्यापार की शर्तों का महत्त्व

(Importance of Terms of Trade)

व्यापार की शर्तों के परिकलन (computation) से संबंधित अनेक कठिनाइयों के बावजूद इनका अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में काफी महत्त्व है जो कि निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट होता है—

1. महत्त्वपूर्ण व्यापारकर्ता राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय का निर्धारक — व्यापार की शर्तें ऐसे राष्ट्रों के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं जिनका विदेशी व्यापार राष्ट्रीय आय का बड़ा प्रतिशत है। ऐसे राष्ट्रों की व्यापार की शर्तों में परिवर्तन से उनके भुगतान सन्तुलन व राष्ट्रीय आय पर काफी प्रभाव पड़ता है।

2. आर्थिक घटकों के विशुद्ध (net) प्रभाव का सूचक — अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले अनेक घटकों के विशुद्ध प्रभाव (net effect) को इंगित करने का व्यापार की शर्तें एक सुविधाजनक सूचक है। उदाहरणार्थ, व्यापार से प्राप्त लब्धियों, राष्ट्र की आयात-क्षमता आदि का ज्ञान व्यापार की शर्तों में परिवर्तन की दिशा से प्राप्त करना संभव है।

3. राष्ट्र के कल्याण के स्तर पर प्रभाव :— व्यापार की शर्तें व्यापाररत राष्ट्रों के कल्याण के स्तर में होने वाले परिवर्तनों को निर्धारित करने वाला महत्त्वपूर्ण घटक भी है। व्यापार के परिणामस्वरूप राष्ट्र के कल्याण के स्तर में वृद्धि हुई है अथवा नहीं यह ज्ञात करने हेतु अन्य घटकों के साथ व्यापार की शर्तों के परिवर्तनों को ज्ञात करना भी आवश्यक होता है।

4. वारकों के प्रतिफलों के वितरण का निर्धारक — व्यापार की शर्तों में परिवर्तन से उत्पादक वारकों के मध्य आय का वितरण प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ, वस्तु व्यापार की शर्तों में सुधार के परिणामस्वरूप निर्यात उद्योग में बाहुल्य में उपयोग में आने वाले वारकों के सापेक्ष प्रतिफल में वृद्धि हो जाती है।

14 Spraos J — The Statistical Debate on the Net Barter Terms of Trade between Primary commodities and Manufactures—Economic Journal, March, 1980

चित्र 7.2 में लम्बवत अक्ष पर भारत व अमेरिका में X वस्तु की प्रति इकाई कीमत दानर में मापी गयी है। भारतवर्ष में O बिन्दु से दायीं ओर चलन करने पर X-वस्तु की बढ़ती हुई मात्राएँ दर्शायी गयी हैं। भारतवर्ष में X वस्तु के माँग वक्र D_1-D_2 का त्रगामक ढाल है तथा S_1-S_2 पूँजि-वक्र का घनात्मक ढाल। अमेरिका के चित्र में O बिन्दु से दायीं ओर चलन करने पर X-वस्तु की बढ़ती हुई मात्राएँ दर्शायी गयी हैं। D_3-D_4 माँग-वक्र X वस्तु की कीमत व माँग में विचरित सम्बन्ध दर्शाता है। अतः कामत गिरने के साथ-साथ X वस्तु की माँगी गयी मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार O बिन्दु से दायीं ओर चलन करने पर X-वस्तु की बढ़ती हुई मात्रा की माँग ध्यान दें तो S_3-S_4 पूँजि वक्र कीमत व पूँजि का घनात्मक सम्बन्ध दर्शायेगा।

व्यापारपूर्व साम्यावस्था में भारत में E_1 साम्य बिन्दु है जबकि अमेरिका का साम्य बिन्दु E_2 है। अतः स्पष्ट है कि अमेरिका में X-वस्तु की व्यापारपूर्व कीमत भारत में व्यापार पूर्व कीमत से कम है। स्पष्ट है कि अमेरिका X-वस्तु का निर्यात करेगा तथा भारत X वस्तु का आयात।


परिवहन लागतों की अनुपस्थिति में व्यापाररत राष्ट्रों की साम्य कीमत OP निर्धारित होगी। OP साम्य कीमत ज्ञात करने की विधि यह है कि दोनों राष्ट्रों के चित्र में एक ऐसी क्षैतिज रेखा खींचिये जो कि अमेरिका की आधिक्य पूँजि को भारत की आधिक्य माँग के ठीक बराबर प्रदर्शित करे। चित्र 7.2 में अमेरिका की आधिक्य पूँजि ef भारत की आधिक्य माँग gh के ठीक बराबर है। अमेरिका में घरेलू पूँजि Pc घरेलू माँग Pf से ef अधिक है। इसी प्रकार भारत में घरेलू पूँजि Pg घरेलू माँग Ph से कम है। अतः अमेरिका X-वस्तु का निर्यात करेगा तथा भारत आयात।

OP साम्य कीमत यह दर्शाती है कि व्यापार में निर्यातकर्ता राष्ट्र को निर्यात-वस्तु की व्यापारपूर्व कीमत की तुलना में उँची कीमत प्राप्त होती है। जबकि आयातकर्ता राष्ट्र को आयातित वस्तु व्यापारपूर्व कीमत में कम कीमत पर उपलब्ध होती है।

हमारे विश्लेषण में अब हम परिवहन लागतें आयाती में शामिल कर सकते हैं। परिवहन लागतों की उपस्थिति में आयातकर्ता राष्ट्र भारत में X-वस्तु की कीमत निर्यातकर्ता राष्ट्र अमेरिका की तुलना में प्रति इकाई परिवहन लागत के बराबर अधिक होगी। चित्र 7.2 में अमेरिका व भारत आधी-आधी परिवहन लागत वहन करते हैं। सामान्यतया भारत के माँग व पूँजि वक्र अमेरिका के माँग व पूँजि वक्रों की तुलना में

बितना अधिक ढाटू होंगे उतना ही भारत को परिवहन लागतों का अधिक बग बहन करना होगा।

परिवहन लागतों की अनुपस्थिति में भारत व अमेरिका के चित्रों में हम दो ऐसी संतुलित कीमत रेखाएँ खींचते हैं जिनकी अन्तरेष्ट्रीय पूर्ति को भारत की आन्तरिक मांग के ठीक बराबर दरादि तथा अमेरिका की कीमत की तुलना में परिवहन लागत के बराबर अधिक कीमत दरादि। चित्र 72 में P_1-P_2 परिवहन लागत है। चित्र 72 की महादत्त में हम परिवहन लागतों के व्यापार पर प्रभावों को मनी-भांति स्पष्ट कर सकते हैं।



चित्र 72 : आन्तरिक माध्य व परिवहन लागतें

प्रथम, यह स्पष्ट है कि परिवहन लागतों की अनुपस्थिति में व्यापार की गतें अमेरिका व भारत दोनों के ही प्रतिकूल हो गयी हैं। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति में माध्य कीमत $O-P$ थी। परिवहन लागतों की अनुपस्थिति में अमेरिका OP में नौची कीमत $O-P_1$ पर निर्यात कर रहा है, जबकि भारत एवं आजातों की $O-P_2$ कीमत चुका रहा है जो कि परिवहन लागतों की अनुपस्थिति की कीमत $O-P$ से अधिक है।

द्वितीय, यह है कि परिवहन लागतों की अनुपस्थिति में अमेरिका x -वस्तु की P_c मात्रा का उत्पादन करता था जबकि परिवहन लागतों की शामिल करने के बाद

अमेरिका x -वस्तु की P_{a-x} मात्रा का उत्पादन कर रहा है। चूँकि $P_{a-x} < P-c$ अतः स्पष्ट है कि परिवहन लागतों की उपस्थिति के कारण निर्यातकर्ता राष्ट्र की विशिष्टीकरण की श्रेणी कम हो जाती है। तृतीय, यह कि परिवहन लागतों की अनुपस्थिति में भारत X -वस्तु की $g-h$ मात्रा का आयात करता था जबकि परिवहन लागतों को शामिल करने के बाद भारत के आयात $c-d$ रह जाते हैं। चूँकि $c-d$ आयात $g-h$ आयात की मात्रा से कम है, अतः राष्ट्र का उपभोग का स्तर परिवहन लागतों की अनुपस्थिति की तुलना में नीचा हो गया है।

चित्र 7.2 में $ef > ab$ तथा $gh > c-d$ अर्थात् परिवहन लागतों की उपस्थिति से व्यापार की मात्रा में कमी हो गयी है। स्पष्ट है कि परिवहन लागतों की उपस्थिति से दोनों ही राष्ट्रों की व्यापार से प्राप्त लब्धियाँ कम हो जाती हैं।

परिवहन लागतों की उपस्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव तो यह है कि इनकी उपस्थिति के कारण हमारे प्रमुख प्रश्न—राष्ट्र किन वस्तुओं का व्यापार करेगा?—के उत्तर में सशोधन करना पड़गा। किसी भी वस्तु के व्यापार में शामिल होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि दोनों राष्ट्रों में व्यापारपूर्व वस्तु कीमतों के अन्तर परिवहन लागत से अधिक होने चाहिए। चित्र 7.3 में अमेरिका व भारत में x -वस्तु की कीमत के अन्तर की तुलना में परिवहन लागत अधिक है, अतः इस वस्तु का व्यापार में शामिल होना संभव नहीं है।


चित्र 7.3 में भारत व अमेरिका में व्यापारपूर्व X -वस्तु की कीमत क्रमशः OP_1 व $o-P_1$ है जबकि परिवहन लागत $t-c$ है, स्पष्ट ही परिवहन लागत वस्तु कीमत अन्तर से अधिक है, अतः इस वस्तु का आयात-निर्यात संभव नहीं है।

अतः परिवहन लागतों की उपस्थिति में उन्हीं वस्तुओं का आयात-निर्यात में शामिल होना संभव है जिनकी दोनों राष्ट्रों की व्यापार पूर्व कीमतों के अन्तर परिवहन लागतों से अधिक है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अत्यधिक ऊँची परिवहन लागतों वाली वस्तुओं का व्यापार संभव नहीं है।

हाल ही के वर्षों में परिवहन लागतों में हुई महत्वपूर्ण कमी विश्व व्यापार में वृद्धि का प्रमुख कारण है। परिवहन लागतों में कमी नयी वस्तुओं के व्यापार में शामिल होने का भी प्रमुख कारण हो सकती है।

कुछ वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मात्र परिवहन लागतों की उपस्थिति के



चित्र 7.3 परिवहन लागत राश्ट्रो की व्यापारपूर्व
कीमतों के अन्तर से अधिक


कारण ही होता है। उदाहरणार्थ, जर्मनी उत्तर में फ्रांस को इस्पात निर्यात करता है जबकि दक्षिण में फ्रांस से इस्पात का आयात करता है।

परिवहन लागतों की भेदात्मक प्रकृति

(Discriminatory Nature of Transport costs)

यदि वस्तुओं के भार व आकार के अनुसार परिवहन लागतें निर्धारित होती तो उन्हें व्यापार के मॉडल में शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन परिवहन लागतें केवल वस्तु के भार व आकार पर ही निर्भर नहीं करती हैं। इसी प्रकार वस्तु के भार व आकार का भी संबंध ही घनात्मक सम्बन्ध नहीं होता है। सामान्यतया जब कोई वस्तु मूल्यवान होती है तो उस वस्तु की उतने ही भार वाली कम मूल्यवान वस्तु की तुलना में अधिक परिवहन लागत चुकानी पड़ती है।

भिन्न परिवहन के साधन भिन्न दूरी के लिए भिन्न परिवहन लागत वसूल करते हैं। जहाजों में एक बार माल लाद देने के बाद उसे कम दूरी तक डोया जाए अथवा अधिक दूरी तक, लागत में विशेष अन्तर नहीं आता है क्योंकि जहाज में स्थिर लागत अधिक महत्वपूर्ण होती है अर्थात् जहाज से माल ढोने में दूरी की वृद्धि के साथ विराये-



चित्र 7.4 : भिन्न परिवहन-साधनों से माल ढोने की लागत

भाड़े में विशेष वृद्धि नहीं होती है अतः चित्र 7.4 में जहाज परिवहन की लागत दर्शाने वाली रेखा दूरी बढ़ने के साथ तेजी से ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगी।

रेल परिवहन में भी स्थिर लागतें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जहाज परिवहन से कम महत्वपूर्ण होती हैं। अतः रेल परिवहन की लागत दर्शाने वाली रेखा दूरी में वृद्धि के साथ जहाज परिवहन की लागत दर्शाने वाली रेखा की तुलना में अधिक तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है। ट्रक से माल ढोने में स्थिर लागत नगण्य होती है लेकिन प्रत्यक्ष प्रचालन (Direct operative) लागत बहुत अधिक होती है, अतः ट्रक से माल ढोने की लागत दर्शाने वाली रेखा दूरी में वृद्धि के साथ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है।

चित्र 7.4 से स्पष्ट है कि अल्प दूरी तक माल ढोने के लिए ट्रक सर्वाधिक सस्ता, लम्बे दूरी के लिए जहाज सर्वाधिक सस्ता एवं मध्यम दूरी के लिए रेल सर्वाधिक सस्ता परिवहन का साधन है।

परिवहन लागतों में भार व आकार के अनुपात में वृद्धि नहीं होने का एक अन्य कारण यह है कि परिवहन लागत के कुछ तत्व जैसे बन्दरगाह का भाड़ा, वित्तीय लागत व भाड़त, भाड़ि स्थिर रहते हैं, अतः दूरी बढ़ने के साथ-साथ इन भुगतानों की

प्रति किलोमीटर लागत घटती जाती है। इसके अलावा खाली वापिस लौटने समय जहाज को यपटो से बचाने हेतु पत्थर, लोहा आदि डालने की आवश्यकता (returning to ballast) से बचने हेतु लगभग नगण्य किराया भाड़ा लेने की परिपाटी के कारण भी परिवहन लागतें विभेदात्मक बना रहती हैं।

इसी प्रकार विस्फोटक माल के बहुत ऊँचे किराये-भाड़े वसूल करने की परिपाटी भी परिवहन लागतों को वस्तु के भार व आकार से अधिक बना देती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिवहन लागतें लगभग पूर्णतया भेदात्मक होती हैं तथा किसी निश्चिन्त आधार के अनुसार निर्धारित नहीं की जाती हैं अतः परिवहन लागतों को किसी सैद्धान्तिक माँडल में शामिल करना अत्यधिक दुष्कर कार्य है।

प्रशुल्क (The Tariff)

प्रस्तावना (Introduction)

संरक्षण प्रदान करने की विभिन्न रीतियों में से आयात प्रशुल्क व आयात नियन्त्रण सर्वाधिक प्रचलित हैं। आयातित वस्तुओं पर लागू करों की प्रणाली को प्रशुल्क कहते हैं जबकि आयात वस्तु की अधिकतम आयातित मात्रा निर्धारित कर दी जाती है तो इसे आयात नियन्त्रण कहते हैं।

इस अध्याय में हम प्रशुल्क के प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे तथा 9-वें अध्याय में आयात नियन्त्रण के प्रभावों का अध्ययन करेंगे।

प्रशुल्क के प्रभावों का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जा सकता है, उदाहरणार्थ, प्रशुल्क का उद्योग विशेष पर प्रभाव, राष्ट्र के क्षेत्र विशेष पर प्रभाव, उत्पादक कारकों पर प्रभाव, राष्ट्र विशेष पर प्रभाव अथवा सम्पूर्ण विश्व पर प्रभाव। किसी एक दृष्टिकोण से प्राप्त प्रभाव की दिशा का दूसरे दृष्टिकोण से प्राप्त प्रभाव की दिशा से ठीक विपरीत होना सम्भव है, जैसे प्रशुल्क के परिणामस्वरूप व्यापार की शर्तों में सुधार से प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र के कल्याण के स्तर में वृद्धि हो सकती है लेकिन सम्पूर्ण विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कल्याण का स्तर स्वतंत्र व्यापार की तुलना में नीचा पाया जा सकता है।

प्रशुल्क के प्रभाव (Effects of the Tariff)


प्रशुल्क के प्रभावों का अध्ययन सामान्यतया निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जाता है।

- (1) आयात प्रतिस्थापन प्रभाव
(The Import Substitution effect)

- (2) संरक्षण प्रभाव
(The protection effect)
- (3) उपभोग प्रभाव
(The Consumption effect)
- (4) राजस्व प्रभाव
(The Revenue effect)
- (5) पुनर्वितरण प्रभाव
(The Redistribution effect)
- (6) उत्पादक कारको पर प्रभाव
(The effect on productive Factors)
- (7) कल्याण के स्तर पर प्रभाव
(The Welfare effect)
- (8) व्यापार की शर्तों पर प्रभाव
(The Terms of Trade effect)
- (9) घरेलू मूल्य-अनुपात पर प्रभाव
(The effect on Domestic Price ratio)
- (10) प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव
(The Competitive effect)
- (11) आय-प्रभाव
(The Income effect)
- (12) भुगतान समतुल्य प्रभाव
(The Balance of Payments effect)

प्रशुल्क के उपर्युक्त प्रभावों में से अधिकांश प्रभाव आंशिक-साम्य चित्र 8.1 में दर्शाये जा सकते हैं।

चित्र 8.1 में $D-D_1$ तथा $S-S_1$ क्रमशः राष्ट्र के घरेलू माँग व पूर्ति वक्र हैं। प्रशुल्क की अनुपस्थिति वाली विदेशी पूर्ति कीमत $O-P$ को स्थिर माना गया है। OP कीमत पर x वस्तु का उपभोग $O-X_1$ है जिसमें से घरेलू पूर्ति $O-X$ तथा आयातों की मात्रा $x-x_0$ है। स्पष्ट ही है कि x वस्तु के घरेलू उत्पादकों को भी OP कीमत पर



चित्र 8.1 आयात प्रशुल्क के प्रभाव-आर्थिक साम्य

मात विक्रय करना होगा क्योंकि विदेशी कीमत से अधिक कीमत पर x वस्तु का विक्रय सम्भव नहीं है।

अब मान लीजिए कि x वस्तु के आयातों पर सरकार $P-P'$ प्रति इकाई प्रशुल्क लगा देती है। चूँकि हमने विदेशी कीमत स्थिर मान रखी है अतः घरेलू कीमत प्रशुल्क की मात्रा के बराबर बढ़कर $O-P'$ हो जायेगी। चित्र 8.1 में $P-P_1$ के बराबर प्रशुल्क लगाने में यदि घरेलू कीमत P_1 हो जाती है तो इन प्रशुल्क को निषेधात्मक प्रशुल्क (Prohibitive Tariff) कहा जायगा। निषेधात्मक प्रशुल्क इतनी ऊँची प्रशुल्क होती है कि इन प्रशुल्क वाली कीमत पर घरेलू माँग व पूर्ण बराबर हो जाती है तथा आयातों की मात्रा शून्य हो जाती है। यदि कोई राष्ट्र $P-P_1$ से अधिक प्रशुल्क लगाता है तो घरेलू कीमत में वृद्धि प्रशुल्क की पूरी मात्रा के बराबर नहीं होगी। उदाहरणार्थ, चित्र 8.1 में $P-Pr$ प्रशुल्क लगाने पर भी कीमत P_1 में अधिक नहीं हो सकती है, अतः प्रशुल्क लगाने में घरेलू कीमत अधिक से अधिक बिना व्यापार वाली घरेलू कीमत तक बढ़ सकती है।

चित्र 8.1 में $P-P'$ प्रशुल्क के कुछ प्रभाव स्पष्ट हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :—

1. आयात प्रतिस्थापन प्रभाव :— $P-P'$ प्रशुल्क लगाने के पश्चात् x_1 से

वृद्ध अधिक लागत वाले घरेलू उत्पादक को x वस्तु का विपणन करने में मजदम है अतः घरेलू उत्पादन OX में दृष्टकर OX_1 हो जाता है।

स्वतंत्र व्यापार की OP कीमत पर xx_1 मात्रा आयातों का एक हिस्सा थी, लेकिन प्रभुत्व लगाने के पश्चात् घरेलू उत्पादन में x x_1 की वृद्धि इन आयातों का प्रतिस्थापन कर देती है, अतः उत्पादन में x x_1 की वृद्धि को आयात प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से जाना जाता है।

2. सुरक्षण प्रभाव — सुरक्षण प्रभाव से अभिप्राय उंची लागत वाले अकृमल घरेलू उत्पादकों को सुरक्षण प्रदान करने में है। चित्र 8.1 में x वस्तु में आगे घरेलू उत्पादन बढ़ाकर अनगोना अधिक अकृमल उत्पादकों को सुरक्षण दिया जा रहा है। x वस्तु की x x_1 मात्रा के प्रतिवृत्त उत्पादन की अकृमलता का योग त्रिभुजाकार क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है, अतः d क्षेत्र सुरक्षण प्रभाव दर्शाता है। दो हृद प्रभुत्व का सुरक्षण प्रभाव अधिक होगा अथवा कम यह निम्न ही पूर्ति वक्र की मोच पर निर्भर करेगा। यदि पूर्ति-वक्र अधिक मोचदार है तो सुरक्षण प्रभाव अधिक और यदि पूर्ति-वक्र बेमोचदार है तो सुरक्षण-प्रभाव कम होगा। यदि $P-P'$ प्रभुत्व लगा दी जाती है तो आयात का म्यर शून्य हो जायेगा। एनी प्रभुत्व का राजस्व प्रभाव तो शून्य होगा लेकिन सुरक्षण प्रभाव महत्वपूर्ण होता है।

(3) उपभोग प्रभाव :— प्रभुत्व लगाने में x वस्तु की कीमत में $P-P'$ वृद्धि के कारण x वस्तु का उपभोग $O-X_2$ में घटकर $O-X_2$ हो जाता है। उपभोग में x_2-x_2 की इस कमी को उपभोग प्रभाव के नाम से जाना जाता है।

(4) राजस्व प्रभाव :— $P-P'$ प्रति टर्कार प्रभुत्व से सरकार r द्वारा दशानि नये आयताकार क्षेत्र के बराबर राजस्व प्राप्त करती है। अतः r आयत की राजस्व-प्रभाव के नाम से जाना जाता है। r आयताकार क्षेत्र नये आयातों (x_1-x_2) व प्रति टर्कार प्रभुत्व $P-P'$ के गुणाकार के बराबर है। यदि आयात वस्तु का घरेलू उत्पादन नहीं हो रहा है तो प्रभुत्व का राजस्व प्रभाव तो होगा लेकिन सुरक्षण प्रभाव शून्य होगा।

(5) पुनर्वितरण प्रभाव :— प्रभुत्व के परिणामस्वरूप कीमत में वृद्धि से उपभोक्ताओं से उत्पादकों के पक्ष में आय का पुनर्वितरण होता है जिसे पुनर्वितरण प्रभाव के नाम से जाना जाता है। चित्र 8.1 में पुनर्वितरण प्रभाव t क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है।

पुनर्वितरण प्रभाव की भली-भाँति स्पष्ट करने हेतु हमे उपभोक्ता की अनिरेक व उत्पादकों की अनिरेक में परिवर्तन जात करना आवश्यक है। आशिक साम्य चित्र में उपभोक्ता की अनिरेक माँग वक्र के नीचे के क्षेत्र व साम्य कीमत रेखा के ऊपर के क्षेत्र द्वारा मापा जाता है, जबकि उत्पादकों का अनिरेक पूर्ण-वक्र के ऊपर के क्षेत्र तथा साम्य कीमत रेखा के नीचे के क्षेत्र द्वारा मापा जाता है। चित्र 8.1 में स्वतंत्र व्यापार की कीमत O-P पर उपभोक्ताओं का अनिरेक PDb तथा उत्पादकों का अनिरेक SgP है। प्रमुख वाली कीमत OP' पर उपभोक्ता का अनिरेक घटकर P'Db हो जाता है जबकि उत्पादकों का अनिरेक बढ़कर SeP हो जाता है। अतः उत्पादकों के अनिरेक में t क्षेत्र के बराबर वृद्धि प्रमुख के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से उत्पादकों के पक्ष में आय का पुनर्वितरण है। उपभोक्ताओं के अनिरेक में कुल कमी PP'bb क्षेत्र द्वारा दर्शायी गयी है जिसमें से t क्षेत्र द्वारा दर्शायी गयी आय उत्पादकों के पास हस्तांतरित हो जाती है अतः t क्षेत्र को हस्तांतरण प्रभाव (transfer effect) भी कहा जाता है। चित्र 8.1 में P से P' कीमत बढ़ जाने पर x वस्तु के नये व पुराने सभी उत्पादकों को P' कीमत प्राप्त होने लगती है। अतः x वस्तु के पुराने उत्पादक अनिरेकित आय अर्जित करते हैं। प्रमुख बढ़ाने की वकालत करते समय सामान्यतया अपेक्षाकृत ऊँची लागत वाले सीमांत उत्पादकों (x x₁ उत्पादन की विस्तार सीमा वाले उत्पादकों) को संरक्षण प्रदान करने की वकालत नहीं जाती है जबकि वास्तव में वस्तु के पुराने उत्पादक अधिक लाभ अर्जित करने हेतु प्रमुख बढ़ाने के प्रयत्न करते हुए होते हैं।

(6) उत्पादक कारकों पर प्रभाव :—आशिक साम्य चित्र 8.1 में प्रमुख के उपभोक्ताओं से उत्पादकों के पक्ष में आय के पुनर्वितरण प्रभाव को दर्शाया गया है लेकिन प्रमुख के परिणामस्वरूप उत्पादक कारकों के मध्य भी आय का पुनर्वितरण होता है।

प्रमुख से उत्पादक कारकों में आय के पुनर्वितरण प्रभावों को स्पष्ट करने वाली प्रमेय को स्टॉलर-सेम्मुन्नन प्रमेय के नाम से जाना जाता है। स्टॉलर-सेम्मुन्नन प्रमेय का विस्तृत विवेचन अध्याय-5 में दिया जा चुका है। यहाँ पर इतना ही स्पष्ट कर देना पर्याप्त होगा कि प्रमुख के परिणामस्वरूप आयान वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है अतः आदान प्रतिस्थापन उद्योग में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रमुख राष्ट्र के दुर्लभ कारक के मांग व निरपेक्ष प्रतिफल में वृद्धि होगी तथा बाह्य वाने कारक के प्रतिफल में कमी। इसी मध्य को निम्न प्रकार से भी स्पष्ट किया जा सकता है। चूँकि स्वतंत्र व्यापार से राष्ट्र के बाह्य वाने कारक के प्रतिफल में वृद्धि तथा दुर्लभ-कारक के प्रतिफल में कमी होती है, अतः प्रमुख लगाने में व्यापार में कमी के

परिणामस्वरूप कारक कीमत में स्वतंत्र व्यापार की प्रारंभ प्रसरण होने से कारक-कीमत में होने वाले परिवर्तन की दिशा में विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा अर्थात् प्रशुल्क से राष्ट्र के दुर्लभ-कारक के प्रतिफल में वृद्धि तथा बाहुल्य वाले कारक के प्रतिफल में कमी होगी।

अतः स्पष्ट है कि प्रशुल्क के परिणामस्वरूप घाय का पुनर्वितरण राष्ट्र के बाहुल्य वाले कारक से दुर्लभ कारक के पक्ष में होता है।

(7) कल्याण के स्तर पर प्रभाव — चित्र 8.1 में प्रशुल्क लगाने से समुदाय की होने वाली हानि दो त्रिभुजाकार क्षेत्रों d व c द्वारा दर्शायी गयी है। d तथा c क्षेत्रों को प्रशुल्क की 'विशुद्ध हानि' (deadweight loss of tariff) के नाम से जाना जाता है।

चित्र 8.1 में प्रशुल्क लगाने से उपभोक्ता की वृद्धि में कमी $PP'bb'$ क्षेत्र के अन्तर्गत है। इसमें से e क्षेत्र तो उपभोक्तानो से उत्पादकों के पास घाय के रूप में हस्तांतरित हो गया है तथा f क्षेत्र सरकारी राजस्व है। क्षेत्र d त्रिभुज का क्षेत्र X_1 उत्पादन की विस्तार सीमा के उत्पादकों की अक्षमता के कारण ऊँची लागत है अतः यह क्षेत्र समुदाय की हानि है। इसी प्रकार c क्षेत्र समुदाय के उपभोग में कटौती के परिणामस्वरूप उपभोक्ता की प्रतिरेक में होने वाली कमी है। अतः d तथा c क्षेत्र 'प्रशुल्क की विशुद्ध हानि' अथवा 'प्रशुल्क की लागत' को दर्शाते हैं।

(8) व्यापार की शर्तों पर प्रभाव — प्रशुल्क से व्यापार की शर्तें प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र के पक्ष में परिवर्तित हो सकती हैं, लेकिन इसके लिये दो आवश्यक शर्तें हैं


(1) प्रथम तो यह कि विदेशी पूर्ति-वक्र अत्यन्त लोचवाला न हो, तथा

(2) द्वितीय यह है कि सामने वाला राष्ट्र प्रतिशोध के रूप में प्रशुल्क न लगाये। यदि सामने वाला राष्ट्र प्रतिशोध के रूप में प्रशुल्क लगाता है तो प्रशुल्क से व्यापार की शर्तों में सुधार होना अनिश्चित हो जाता है।

प्रशुल्क के व्यापार की शर्तों पर प्रभाव को आशिया साम्य चित्र की सहायता से अथवा प्रमाण वक्र चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है।

आशिया साम्य चित्र 8.2 में प्रशुल्क के व्यापार की शर्तों पर प्रभाव दर्शाया गया है।

चित्र 8.2 में स्वतंत्र व्यापार व शून्य परिवहन लागत की स्थिति में साम्य कीमत OP पर अमेरिका अपनी आधिक्य पूर्ति ef का निर्यात करता है जो कि भारत के




चित्र 8.2 आन्तरिक माध्य व प्रगुन्क

प्राप्त gh के बराबर है। प्रगुन्क के परिणामस्वरूप अमेरिका की निर्यात कीमत OP से घटकर OP_1 हो जाती है जबकि भारत में आयातों की कीमत OP से बढ़कर OP_1 हो जाती है। व्यापार का स्तर cf ($=gh$) से घटकर ab ($=cd$) हो जाता है।

दो हुई प्रगुन्क से व्यापार की शर्तों पर कितना प्रभाव पड़ेगा यह निर्यातकर्ता राष्ट्र में माँग व पूर्ति लोचों पर निर्भर करेगा। निर्यातकर्ता राष्ट्र में माँग व पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होंगी व्यापार की शर्तों में उतना ही कम परिवर्तन होगा। यदि निर्यातकर्ता राष्ट्र में पूर्ति अधिक लोचदार है तो उत्पादक उत्पादन के कारणों को आसानी से एक क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकते हैं तथा अर्थव्यवस्था में जितनी अधिक लचक होगी उतनी ही व्यापार की शर्तें निर्यातकर्ता राष्ट्र के प्रतिकूल होंगी। ध्यान रहे यदि निर्यातकर्ता राष्ट्र में पूर्ति बल की लोच घटती है अर्थात् पूर्ति-बल लगभग अतिरिक्त है तो प्रगुन्क का व्यापार की शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार निर्यातकर्ता राष्ट्र में माँग अधिक लोचदार है तो इसका अभिप्राय यह है कि उपभोक्ता उपभोग में आयातों के स्थान पर निर्यातों का आसानी से प्रतिस्थापन कर सकते हैं अतः निर्यातकर्ता राष्ट्र में माँग जितनी अधिक लोचदार होगी उतनी ही व्यापार की शर्तें निर्यातकर्ता राष्ट्र के कम प्रतिकूल होंगी।

आयातकर्ता राष्ट्र में माँग जितनी अधिक लोचदार होगी उतनी ही व्यापार की शर्तें आयातकर्ता राष्ट्र के पक्ष में अधिक परिवर्तित होगी। इसी प्रकार आयातकर्ता राष्ट्र में आयात प्रतिस्थापन उद्योग में पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होगी उतनी ही व्यापार की शर्तें आयातकर्ता राष्ट्र के पक्ष में अधिक परिवर्तित होगी।

चित्र 8 2 में दोनों राष्ट्रों के माँग व पूर्ति वक्र एक जैसी लोच वाले हैं, परंतु प्रशुल्क लगाने से कीमत में कुछ वृद्धि तो आयातकर्ता राष्ट्र में होगी तथा कुछ कमी निर्यातकर्ता राष्ट्र में। प्रशुल्क का व्यापार की शर्तों पर प्रभाव दर्शाने के लिए चित्र की सहायता से अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है। चित्र 8 3 में A तथा B राष्ट्र के अर्पण वक्र क्रमशः OA तथा OB हैं। B राष्ट्र द्वारा प्रशुल्क लगाने से इसका अर्पण-वक्र OB₁ हो जाता है। स्वतंत्र व्यापार की व्यापार की शर्तें OP रेखा द्वारा दर्शायी गयी हैं। O P रेखा का ढाल वस्तु-कीमत अनुपात दर्शाता है। प्रशुल्क



चित्र 8 3 . प्रशुल्क से व्यापार की शर्तों में सुधार

लगाने से व्यापार की शर्तें P_1 रेखा के ढाल वाली $\left(\frac{P_x}{P_y}\right)_{P_1}$ हो जाती हैं। पूर्ति

$$\left(\frac{Px}{Py}\right)_{P_1} > \left(\frac{Px}{Py}\right)_P \quad \text{अतः प्रशुल्क से}$$

व्यापार की शर्तें प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र B के पक्ष में परिवर्तित हो गयी हैं।

चित्र 8 3 में प्रशुल्क की निर्यात वस्तु के रूप में अथवा आयात वस्तु के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

चित्र 8 3 से स्पष्ट है कि प्रशुल्क लगाने से पूर्व B राष्ट्र Y वस्तु की Oy_1 मात्रा के बदले X वस्तु की y_1s मात्रा अर्पण करने का तत्पर था लेकिन प्रशुल्क लगाने के पश्चात् Y वस्तु की Oy_1 मात्रा के बदले यह राष्ट्र X वस्तु की केवल y_1P' मात्रा निर्यात करता है। अतः P'S निर्यात प्रशुल्क के रूप में सरकार को राजस्व प्राप्त हो जाता है। Y वस्तु पर आयात प्रशुल्क के रूप में B राष्ट्र प्रशुल्क लगाने से पहले Y वस्तु की Rx_1 मात्रा के बदले X-वस्तु की y_2R मात्रा अर्पण करने को तत्पर था जबकि प्रशुल्क लगाने के पश्चात् B राष्ट्र Ox_1 निर्यात के बदले X_1P' आयात प्राप्त करता है जिससे से P'-R सरकार के पास प्रशुल्क राजस्व के रूप में चला जाता है। स्पष्ट है कि प्रशुल्क लगाने से व्यापार की शर्तें B राष्ट्र के पक्ष में परिवर्तित हो गयी हैं, अतः महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या B राष्ट्र को अधिकाधिक प्रशुल्क लगाने चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करने हेतु अर्थशास्त्रियों ने 'अनुकूलतम प्रशुल्क (Optimum Tariff) की अवधारणा प्रदान की है।

अनुकूलतम प्रशुल्क

(Optimum Tariff)

उपरोक्त विक्षेपण से स्पष्ट है कि यदि सामने वाले राष्ट्र का अर्पण-वक्र मूल बिन्दु से सरल रेखा अर्थात् अनन्त लोच वाला नहीं है तो प्रशुल्क लगाकर राष्ट्र व्यापार की शर्तें अपने पक्ष में परिवर्तित करने में सफल हो सकता है ऐसी स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु राष्ट्र को अनुकूलतम प्रशुल्क (Optimum Tariff) लगानी चाहिए।

प्रो० हेलर (Heller) के अनुसार "अनुकूलतम प्रशुल्क वह प्रशुल्क की दर है जो कि प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र को उच्चतम समुदाय उदासीन वक्र पर पहुँचा दे और इससे उस राष्ट्र को उच्चतम सम्भव कल्याण के स्तर पर पहुँचा दे।"¹

1 Heller, R H—International Trade Theory and Empirical Evidence (rev ed Englewood Cliffs N J Prentice Hall, Inc 1973), p 170


अनुकूलतम प्रशुल्क के अस्तित्व का कारण प्रशुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप दो विरोधी शक्तियों का कार्यरत होना है — (1) प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र के व्यापार की शर्तें अधिकधिक अनुकूल होती जाती हैं लेकिन साथ ही साथ (2) और जंचों प्रशुल्क से आयातों की मात्रा में उत्तरोत्तर कटौती होती है।

अनुकूलतम स्थिति उस समय प्राप्त होती है जब (1) के कारण कुल लाभ (2) से होने वाली हानि से सर्वाधिक हो।

अर्पण वक्र चित्र के रूप में हम अनुकूलतम प्रशुल्क को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं —

अनुकूलतम प्रशुल्क वह प्रशुल्क है जो प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र को उसके उच्चतम व्यापार उदासीन वक्र (Trade Indifference Curve) पर पचा दे तथा वह उच्चतम व्यापार उदासीन वक्र सामने वाले राष्ट्र के अर्पण वक्र के स्पर्श होना चाहिए।

चित्र 8.4 में प्रशुल्क के परिणामस्वरूप B राष्ट्र का अर्पण-वक्र OB से OB_1 हो जाता है यह प्रशुल्क वास्तव में अनुकूलतम प्रशुल्क है क्योंकि प्रशुल्क लगाने से B




चित्र 8.4 : अनुकूलतम प्रशुल्क

राष्ट्र अपने उच्चतम व्यापार उदासीन वक्र सरूवा 7 (व्यापार उदासीन वक्र परिशिष्ट B में स्पष्ट क्रिय गय है) पर पहुँच गया है। वास्तव में ऐसा कोई भी प्रशुल्क जिससे B राष्ट्र का अर्पण-वक्र A राष्ट्र के अर्पण-वक्र को P-Q हिस्से में काटे, B राष्ट्र को व्यापार उदासीन वक्र 4 से ऊँचे वक्र पर पहुँचा देता है, लेकिन अनुकूलतम प्रशुल्क लगाकर B राष्ट्र अपने उच्चतम व्यापार उदासीन वक्र पर पहुँच गया है। B राष्ट्र का उच्चतम व्यापार उदासीन वक्र A राष्ट्र के अर्पण वक्र के स्पर्श होना भी आवश्यक है क्योंकि B राष्ट्र का साम्य A राष्ट्र के अर्पण-वक्र पर ही समभव है।

व्यापार की शर्तों की रेखा RP_1 को B राष्ट्र के व्यापार उदासीन वक्र के स्पर्श झुँचा गया है क्योंकि हमने व्यापार की शर्तों को मापने की प्रो० मीट² (Meade) द्वारा उपयोग में ली गयी विधि का अनुसरण किया है। RP_1 रेखा जहाँ क्षैतिज मूल को काटती है वही प्रशुल्क का माप है। चित्र 8.4 में RO प्रशुल्क है।

अनुकूलतम प्रशुल्क की गणना अर्पण-वक्र की लोच की सहायता से की जा सकती है। चित्र 8.5 में B राष्ट्र का प्रशुल्क वाला अर्पण-वक्र A राष्ट्र के अर्पण-वक्र को P_1 बिन्दु पर काटता है चित्र 8.5 में y की x के रूप में घरेलू कीमत $\left(\frac{bP_1}{ba}\right)$ को यदि हम P_1 द्वारा इंगित करें एवं y की x के रूप में विदेशी कीमत



चित्र 8.5 : अनुकूलतम प्रशुल्क व अर्पण वक्र की लोच

(व्यापार की शर्तों) $\frac{P_1 b}{ob}$ को x द्वारा इंगित करें तो y वस्तु की विदेशी कीमत पर

सही अनुकूलतम् प्रशुल्क निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त की जा सकती है :-

$$P_1 = (1 + t) x$$

$$P_1 = x + x t$$

अथवा

$$x t = P_1 - x$$

$$t = \frac{P_1}{x} - 1 \quad (1)$$

P_1 तथा x का उपर्युक्त मूल्य समीकरण (1) में रखने पर

$$(bP_1/ba)$$

$$t = \frac{(bP_1/ba)}{(bP_1/ob)} - 1$$

$$= \frac{bP_1}{ba} \times \frac{ob}{bP_1} - 1$$

$$t = \frac{ob}{ba} - 1$$

लेकिन $\frac{ob}{ba}$ विदेशी अर्पण वक्र की कुल लोच (efrd) है* अतः

$$t = efrd - 1 \quad (2)$$

अर्थात् अनुकूलतम प्रशुल्क अर्पण वक्र की कुल लोच में से 1 घटाकर प्राप्त की जा सकती है। अर्पण वक्र के फलतारमक सम्बन्ध को हम निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं —

* अर्पण-वक्र की तीनों लोचों की व्युत्पत्ति व विस्तृत विवेचन हेतु देखिए, अध्याय-3.

$y = F(x)$ तथा इससे व्युत्पन्न माँग वक्र³ का रूप अग्रलिखित होगा $x = f\left(\frac{x}{y}\right)$

एक विदेशी अर्पण वक्र की माँग लोच (efd) को निम्न सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है

$$efd = \frac{y/x}{x} \cdot \frac{dx}{d(y/x)} = - \frac{y}{x^2} \Big/ \frac{d(y/x)}{dx} \quad (3)$$

$$= - \frac{y}{x^2} \Big/ \frac{x dy - y dx}{x^2 dx} \quad (\text{अवकलन करने पर})$$

$$= - \frac{y \cdot dx}{x dy - y dx}$$

अब व हर को $dx \cdot y$ से भाग देने पर

$$efd = - \frac{1}{\frac{x dy}{y dx} - 1}$$

लेकिन $\frac{x dy}{y dx}$ अर्पण वक्र की कुल लोच efrd का व्युत्क्रम (reciprocal) है

अतः

$$efd = \frac{1}{\frac{1}{efrd} - 1}$$

$$= \frac{efrd}{1 - efrd}$$

3. Johnson, H G—Alternative optimum Tariff Formulae, pp. 56-61, In—International Trade and Economic Growth—(Harvard Univ Press, 1961)

अथवा

$$efd = \frac{cfrd}{cfrd - 1} \quad (4)$$

अथवा

$$cfrd = \frac{efd}{efd - 1}$$

गमीकरण (2) से अनुकूलतम प्रणुत्क $t = cfrd - 1$ अतः

$$t = \frac{efd}{efd - 1} - 1$$

अथवा

$$t = \frac{1}{efd - 1} \quad (5)$$

अर्थात् अनुकूलतम प्रणुत्क विदेशी अर्पण वक्र की माँग खोप में से इकाई वग के व्युत्क्रम (reciprocal) के बराबर होती है।

इसी प्रकार अर्पण वक्र से व्युत्पन्न पूति वक्र का रूप निम्न होगा

$$x = g(x/y)$$

तथा विदेशी पूति-वक्र की खोप को निम्न सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

$$efs = \frac{x/y}{y} \cdot \frac{dy}{d\left(\frac{x}{y}\right)} = \frac{x}{y^2} \bigg/ \frac{d\left(\frac{x}{y}\right)}{dy} \quad (6)$$

$$efs = \frac{x}{y^2} \bigg/ \frac{y dx - x dy}{y^2 \cdot dy} \quad (\text{अवकलन करने पर})$$

$$= \frac{x \cdot dy}{y dx - x dy}$$

अथ व हर को $x \cdot dy$ से भाग देने पर

$$efs = \frac{1}{\frac{y \cdot dx}{x \cdot dy} - 1}$$

लेकिन $\frac{y \cdot dx}{x \cdot dy}$ अर्पण वक्र की कुल लोच $efrd$ है अतः

$$efs = \frac{1}{efrd - 1}$$

अथवा

$$efrd = \frac{efs + 1}{efs} \quad (7)$$

समीकरण (2) से अनुकूलतम प्रशुल्क $t = efrd - 1$, अतः

$$t = \frac{efs + 1}{efs} - 1$$

अथवा

$$t = \frac{1}{efs} \quad (8)$$

अर्थात् अनुकूलतम प्रशुल्क विदेशी अर्पण वक्र की पूर्ति लोच के व्युत्क्रम (reciprocal) के बराबर होती है।

उपरोक्त तीनों लोचों में से अर्पण-वक्र की माँग लोच (efd) अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण है अतः हम इस लोच के अनुकूलतम प्रशुल्क से सम्बन्ध का विस्तृत विवेचन करेंगे।

समीकरण 5 से

$$t = \frac{1}{efd - 1}$$

उदाहरणार्थ, यदि विदेशी अर्पण-वक्र की माँग लोच 5 है तो अनुकूलतम प्रशुल्क


$$t = \frac{1}{5-1} = \frac{1}{4} = 0.25$$

अर्थात् 25 प्रतिशत प्रशुल्क लगाने से राष्ट्र अपने कल्याण के उच्चतम स्तर पर पहुँचेगा। इसी प्रकार यदि विदेशी राष्ट्र के अर्पण-वक्र की लोच अनन्त (∞) है तो अनुकूलतम प्रशुल्क

$$t = \frac{1}{\infty - 1} = 0$$

अर्थात् कल्याण के अधिकतम स्तर पर बने रहने हेतु राष्ट्र को प्रशुल्क नहीं लगानी चाहिए जैसा कि निम्न चित्र 8.6 से स्पष्ट है

चित्र 8.6 में विदेशी राष्ट्र A के अर्पण वक्र की लोच अनन्त है अतः B राष्ट्र के द्वारा आयात प्रशुल्क लगाने से व्यापार की मात्रा तो P से घटकर P₁ हो जाती है लेकिन व्यापार की शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं। वास्तव में ऐसी स्थिति में प्रशुल्क लगाने से राष्ट्र का कल्याण का स्तर घट जाता है।




चित्र 8.6 : विदेशी राष्ट्र के अर्पण वक्र की अनन्त लोच व प्रशुल्क

इसी प्रकार यदि विदेशी अर्पण-वक्र की लोच इकाई है तो

$$t = \frac{1}{1-1} = \infty$$

अर्थात् कल्याण का स्तर अधिकतम करने हेतु इस राष्ट्र को ऊँची से ऊँची प्रशुल्क लगानी चाहिए। इस बिन्दु को निम्न चित्र 8.7 की सहायता से स्पष्ट किया गया है।

चित्र 8.7 में OA विदेशी राष्ट्र का अर्पण-वक्र है। OA अर्पण-वक्र के od हिस्से की लोच अनन्त है जबकि ef हिस्सा इकाई लोच वाला है। यदि प्रारम्भिक साम्य बिन्दु f है तो B राष्ट्र को तब तक प्रशुल्क बढ़ाते जाना चाहिए जब तक कि बिन्दु c व d के मध्य साम्य स्थापित न हो जाए। d बिन्दु के पीछे A अर्पण-वक्र का od



चित्र 8.7 विदेशी अर्पण-वक्र की इकाई लोच व अनुकूलतम प्रशुल्क

पूर्णतया लोचदार हिस्सा है इसलिए और अधिक प्रशुल्क लगाना लाभप्रद नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि अनुकूलतम प्रशुल्क d-c जैसे अर्पण-वक्र के लोचदार हिस्से में ही निर्धारित होती है। -

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्पण-वक्र के e-f हिस्से में विदेशी अर्पण वक्र OA की इकाई लोच से अधिकतम लाभ अर्जित करने हेतु B राष्ट्र को प्रशुल्क बढ़ाते ही जाना चाहिए। यह तो हम जानते ही हैं कि अर्पण-वक्र के इकाई लोच वाले हिस्से

में व्यापार की शर्तों में परिवर्तन के बाद श्रुद्ध A राष्ट्र का कुल व्यय $o-y$ निर्यात की मात्रा पर स्थिर बना रहता है अतः हम स्थिति से लाभान्वित होने हेतु B-राष्ट्र को अपने x -वस्तु के निर्यात x_1 से घटाकर x_2 तक लाकर न्यूनतम पर देने चाहिए।

इसी प्रकार यदि विदेशी अर्पण-वक्र वेलोचदार है चित्र 8 7 में f-A हिस्सा) तो अनुकूलतम प्रशुल्क ऋणात्मक होगी उदाहरणार्थ, यदि अर्पण-वक्र की लोच $\frac{1}{2}$ है तो

$$t = \frac{1}{\frac{1}{2} - 1} = -2 \text{ अर्थात् प्रशुल्क } -2 \text{ होगी। इस स्थिति में राष्ट्र को}$$

विदेश अर्पण-वक्र के लोचदार हिस्से तक चलन करने से लाभ होगा। अतः निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि अनुकूलतम प्रशुल्क विदेशी अर्पण-वक्र के उस हिस्से में निर्धारित होती है जहाँ विदेशी अर्पण-वक्र की लोच इकाई से अधिक लेकिन अनन्त से कम हो।

(9) धरेलू मूल्य अनुपात पर प्रभाव :—प्रशुल्क का धरेलू मूल्य अनुपात पर प्रभाव इतना स्पष्ट नहीं है जितना प्रतीत होता है। प्रो० मेज़लर (Metzler) के सन् 1949 के पुरोगामी लेख⁴ के प्रकाशन से पूर्व यह स्वाकार कर लिया गया था कि प्रशुल्क लगाने से आयात वस्तु के सापेक्ष मूल्य में वृद्धि होगी, अतः प्रशुल्क के आयातों के धरेलू मूल्य पर प्रभावों पर गौर अधिक विचार नहीं किया गया।

यदि विचारार्थ राष्ट्र छोटा राष्ट्र है तथा विश्व बाजार में अनन्त पूर्ति लोच वाला पूर्ति-वक्र है तो आयात प्रशुल्क से निश्चय ही आयात वस्तु के धरेलू मूल्य अनुपात में प्रशुल्क के अनुपात से वृद्धि होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्तें पूरवत् ही बनी रहती हैं। लेकिन यदि प्रशुल्क लगाने वाला राष्ट्र बड़ा आयातकर्ता है तथा प्रशुल्क लगाकर विश्व बाजार में प्रचलित कीमत को प्रभावित करने में सक्षम है तो धरेलू कीमत अनुपात निम्न विपरीत दिशा में कार्यरत शक्तियों द्वारा प्रभावित होगा (1) प्रशुल्क लगाने से आयात के सापेक्ष धरेलू मूल्य में वृद्धि होगी, तथा (2) प्रशुल्क न व्यापार की शर्तों में सुधार के परिणामस्वरूप आयात वस्तु का धरेलू कीमत अनुपात घटेगा। अतः इन विपरीत दिशा में कार्यरत शक्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रशुल्क के आयात वस्तु के

4 Metzler, Lloyd A.—Tariffs, the Terms of Trade and the Distribution of National Income—(J P E., Feb, 1949, pp 1-29), reprinted in collected papers of Metzler (Harvard Univ Press, Cambridge, Mass. 1973), pp 159-197

इसके विपरीत यदि प्रगुल्क B राष्ट्र की आयात वस्तु y के रूप में वस्तु की जाती है तो घरेलू कीमत अनुपात $O-Pb_2$ रेखा बाना होगा। B राष्ट्र को ox निर्यातों के विनिमय में $X-E_1$ आयात प्राप्त होने जिसमें से सरकार E_1R प्रगुल्क वस्तु कर लेती है तथा B राष्ट्र के नागरिकों को Rx मात्रा प्राप्त होती है।


यदि B राष्ट्र की सरकार कुछ प्रगुल्क आयात वस्तु के रूप में वस्तु करती है व कुछ निर्यात के रूप में तो घरेलू कीमत अनुपात रेखा $O-Pb_3$ होगी। इस स्थिति में F_1-S प्रगुल्क आयात वस्तु y के रूप में व $S-T$ प्रगुल्क निर्यात वस्तु x के रूप में वस्तु की जा रही है।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि $O-Pb_1$, $O-Pb_3$ व $O-Pb_2$ तीनों ही कीमतों स्वतंत्र व्यापार की शर्तों ($O-E$) की तुलना में आयात वस्तु y की x के रूप में ऊँची कीमते हैं (ध्यान रहे कि कीमत रेखाओं का ढाल $\frac{Px}{Py}$ है)। अतः

व्यापार की शर्तों में मुद्रा के बावजूद प्रगुल्क लगाने से B राष्ट्र में आयात वस्तु का घरेलू मूल्य अनुपात बढ़ जाता है।

प्रो० मेज़नर ने दृष्टि किया कि प्रगुल्क लगाने से आयात वस्तु का घरेलू मूल्य अनुपात बढ़े, यह आवश्यक नहीं है, प्रगुल्क के परिणामस्वरूप आयात वस्तु का घरेलू मूल्य अनुपात घट भी सकता है। प्रो० मेज़नर के तर्क को चित्र 8.9 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मेज़नर प्रभाव प्राप्त करने हेतु विदेशी राष्ट्र का अर्थो वक्र बेरोबदार होना आवश्यक है, अतः चित्र 8.9 में A राष्ट्र का अर्थो वक्र OA पर्याप्त बेरोबदार थापा गया है। यदि आयात वस्तु घटिया वस्तु है तो विदेशी अर्थो-वक्र लोबदार होना पर भी मेज़नर विरोधामाम पाया जा सकता है। लेकिन हमारे विनिमय में आयात वस्तु सामान्य वस्तु है। अतः OA अर्थो वक्र बेरोबदार होना आवश्यक है।

चित्र 8.9 में स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में $O-E$ व्यापार की शर्तें दर्शाते वाली रेखा है। B राष्ट्र द्वारा प्रगुल्क लगाने से व्यापार की शर्तें B राष्ट्र के पक्ष में परिवर्तित होकर $O-E_1$ हो जाती हैं। आयात वस्तु की घरेलू कीमत रेखा स्वतंत्र व्यापार वाली कीमत रेखा OE से $O-Pb_1$ हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्रगुल्क लगाने से आयात वस्तु y की माँग घरेलू कीमत गिर गयी है। चित्र 8.9 में आयात वस्तु y की ou मात्रा का x वस्तु की uw मात्रा में विनिमय हो रहा है। इससे B राष्ट्र की सरकार E_1-W प्रगुल्क वस्तु कर लेती है। अतः A राष्ट्र



चित्र 8.9 प्रशुल्क लगाने से आयात वस्तु के मूल्य में कमी (मेजलर विरोधाभास)

की ou के विनिमय में $U-E_1$ मात्रा प्राप्त हो रही है (ध्यान रहे प्रशुल्क लगाने के बाद व्यापार की शर्तों की रेखा $O-E_1$ है)।

मेजलर विरोधाभास में निहित दुर्बोध (difficult) आर्थिक तर्कों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है :

मान लीजिए कि प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र के निर्यातों की विदेशी माँग लोच efd है तथा K प्रशुल्क आगम का वह अनुपात है जो कि आयातों पर व्यय किया जाता है (अर्थात् K आयात वस्तु की उपभोग की सीमात प्रवृत्ति है) तो प्रशुल्क के परिणाम-स्वरूप घरेलू कीमत अनुपात अपरिवर्तित रहने के लिए आवश्यक शर्तों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है

$$efd = 1 - K$$

अर्थात् प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र के निर्यातों की विदेशी माँग-लोच प्रशुल्क आगम के आयातों पर व्यय नहीं किये गये अनुपात $(1-K)$ के बराबर होनी चाहिए। यदि विदेशी माँग लोच इससे अधिक है तो प्रशुल्क लगाने से आयात वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, और यदि लोच कम है तो आयातों का सापेक्ष मूल्य घटेगा।

दुमरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि $efd > 1-K$ तो प्रशुल्क लगाने से

आयातों के सापेक्ष मूल्य में वृद्धि होगी और यदि $efd < 1-K$ तो कमी। इस प्रतिम शत को हम निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं -

$$efd + K < 1$$

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि विदेशी माँग लोच व आयात उपभोग की घरेलू सीमान्त प्रवृत्ति का योग इकाई से कम है तो प्रशुल्क लगाने से आयात वस्तु की सापेक्ष घरेलू कीमत घटेगी। इसी शत को मेज़लर 'विरोधाभास' (Metzler Paradox) के नाम से जाना जाता है।

वैकल्पिक रूप से हम कह सकते हैं कि 'मेज़लर विरोधाभास' के लिए आवश्यक शर्त यह है कि efd निर्यात वस्तु के उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति ($= 1-K$) से कम होनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 'मेज़लर विरोधाभास' के लिए आवश्यक शर्त यह है कि घटिया वस्तु की अनुपस्थिति में आयात वस्तु की माँग बेलाचदार होनी चाहिए। यदि आयात वस्तु घटिया वस्तु है तो $K < 0$ होगा व विदेशी माँग लोचदार होने की स्थिति में भी 'मेज़लर विरोधाभास' घटित हो सकता है।

इस परिणाम का अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण ग्रहण करने हेतु घरेलू राष्ट्र द्वारा लगायी गई प्रशुल्क के परिणामस्वरूप स्थिर घरेलू कीमतों पर प्रत्येक राष्ट्र के घरेलू बाजारों में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। प्रशुल्क लगाने से व्यापार की शर्तों में सुधार से राष्ट्र की वास्तविक आय में वृद्धि होगी, पूर्ववत् वस्तु कीमत अनुपात पर बड़ी हुई आय का एक अंश निर्यात वस्तु के उपभोग पर व्यय किया जायेगा। हमारे विश्लेषण में आय में से निर्यात वस्तु पर व्यय किया गया अंश $1-k$ है। स्थिर वस्तु कीमत अनुपात की मान्यता के कारण उपभोग अथवा उत्पादन में प्रतिस्थापन प्रभाव असंभव है। विदेशी राष्ट्र पर ध्यान केन्द्रित करने से ज्ञात होता है कि प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र की व्यापार की शर्तों में सुधार के परिणाम-स्वरूप विदेशी राष्ट्र में प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र की निर्यात वस्तु की माँग घटेगी, इस माँग का प्रतिनिधित्व efd द्वारा किया गया है।

यदि प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र की निर्यात वस्तु की घरेलू माँग में वृद्धि $1-K$, इस वस्तु की विदेशी राष्ट्र में माँग, जिसका प्रतिनिधित्व efd द्वारा किया गया है, से अधिक है तो पूर्ववत् वस्तु कीमत अनुपात पर प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र की निर्यात वस्तु की अतिरिक्त माँग उत्पन्न हो जायेगी। अतः पुनः साम्य विस्थापित होने हेतु स्वदेशी निर्यात-वस्तु के सापेक्ष मूल्य में वृद्धि होगी जिसका अर्थ है यह है

कि पुन साम्य विस्थापित होने हेतु स्वदेशी आयात-वस्तु के सापेक्ष मूल्य में कमी होगी।

प्रो० मेजरर के इन सूत्रनात्मक निष्कर्षों को प्रो० सॉडरस्टन एव प्रो० विन्ड⁵ (Sodersten and Vind) ने हाल ही में चुनौति दी है, लेकिन प्रो० ग्रार० डब्लु जॉन्स⁶ ने सॉडरस्टन एव विन्ड के तर्क की भ्रामक (Spurious) प्रकृति को प्रभावी ढंग से साबित किया है।

10. प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव :—व्यापार विहीन अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न श्रेणी के एकाधिकार पनपने हैं, अतः प्रशुल्क लगाकर व्यापार घटाने से घरेलू उद्योगों में अत्रुशलना पनपगी तथा आधुनिकतम नव परिवर्तन प्रपनाने के लिए प्रेरणायें समाप्त हो जायेंगी।

प्रशुल्क लगाने से संरक्षण प्राप्त उद्योगों में प्रतिस्पर्धा की शक्ति क्षीण हो जाती है, अतः प्रशुल्क का प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव का द्योतक है।

विशुद्ध सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि यदि उद्योग विशेष विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिकने में असमर्थ है तो ऐसे उद्योग का बन्द हो जाना ही उचित होगा एव इस उद्योग से निमुक्त उत्पादन के साधनों को ऐसे उद्योगों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए जिनमें राष्ट्र का तुलनात्मक लाभ है। ऐसा करने से राष्ट्र के कल्याण के स्तर में वृद्धि होगी।

लेकिन व्यवहार में अनेक ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर उद्योगों को प्रशुल्क द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है, उदाहरणार्थ, ऐसे उद्योग को सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक माना जा सकता है, ऐसा उद्योग रोजगार प्रदान करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। ऐसे उद्योग को राजनेता संरक्षण प्रदान करवाने का प्रयत्न कर सकते हैं अथवा ऐसा उद्योग क्षेत्रीय नियोजन के दृष्टिकोण से आवश्यक समझा जा सकता है।

11 प्रशुल्क का आयात प्रभाव :—प्रशुल्क लगाने से यदि आयात कम हो जाते हैं तो राष्ट्र के आयातों पर घटे व्यय को राष्ट्र के भीतर व्यय किया जायेगा

5 Sodersten, Bo, and Vind, K.—*Tariff and Trade in General Equilibrium*—(A E. Rev — June, 1968) pp 394-408

6 Jones, R.W.—*Tariffs and Trade in General Equilibrium*—(A E Rev — June 1969), pp, 418-424

आयिक क्रिया में प्रति इकाई योगित मूल्य (value added) में होने वाली वह प्रतिशत वृद्धि है जो कि प्रशुल्क संरचना (tariff structure) द्वारा सम्भव होती है।⁷

प्रशुल्क की प्रभावी दर न केवल उत्पादन क्रिया द्वारा उत्पादित वस्तु पर लगे प्रशुल्क पर निर्भर करती है। अपितु उपादान गुणांक (input coefficients) व उपादानों पर लगे प्रशुल्कों पर भी निर्भर करती है।

माना कि आयातित वस्तु J में एक ही उपादान। उपयोग में आता है तथा यह उपादान भी आयातित है। यह भी मान लीजिए कि हम 10\$ के मूल्य की J वस्तु (जुता) आयात करते हैं तथा आयातित जूते में \$ 5 के मूल्य का 1 (चमड़ा) उपयोग में लिया गया है, हम यह भी मान लेते हैं कि विनिमय दर \$ 1 = Rs 10 है। अतः तैयार जूते में योगित मूल्य (Rs 100—Rs 50 =) 50 रु है।

प्रशुल्क की प्रभावी दर ज्ञात करने हेतु हमें प्रशुल्क लगाने से पूर्व तथा प्रशुल्क लगाने के बाद के योगित मूल्य की गणना करनी होती है क्योंकि प्रशुल्क के परिणाम-स्वरूप योगित मूल्य में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ही प्रशुल्क की प्रभावी दर है।

अब यदि जूते के आयात पर 20% तथा चमड़े के आयातों पर शून्य प्रशुल्क है तो योगित मूल्य (\$12 — \$5) अर्थात् Rs 120 — Rs 50 = Rs 70 हो जाता है। अतः योगित मूल्य में प्रशुल्क के कारण 20 रु की वृद्धि हुई है जो

$$\frac{20}{70} \times 100 = 28.57\% \quad \text{प्रति इकाई योगित मूल्य की वृद्धि है। यही}$$

प्रशुल्क की प्रभावी दर है।

अब यदि जूते पर 20% प्रशुल्क के साथ-साथ चमड़े के आयात पर भी 10% प्रशुल्क लगाया जाता है तो योगित मूल्य (120 रु — 55 रु =) 65 रु हो जाता

$$\frac{15}{65} \times 100 = 23.08\% \quad \text{की वृद्धि ही प्रशुल्क की प्रभावी}$$

दर है।

मान्यताएँ (Assumptions) — प्रशुल्क की प्रभावी दर की गणना के लिए दिये गये सूत्र के पीछे कॉर्डेन ने अप्रलिखित मान्यताएँ मानी थी —

7 Corden, W M — The structure of a tariff system and the effective Protective Rate', — J P E June 1966 Reprinted in Bhagwati, J (ed.) International Trade p 285.

- (1) समस्त भौतिक उत्पादन-उत्पाद गुणांक स्थिर हैं,
- (2) समस्त निर्यातों की मांग लोचें एक समस्त आयातों की पूर्ति लोचें अनन्त हैं ।
- (3) प्रशुल्क, अन्य कर व उत्पादन लगाने के पश्चात् भी समस्त व्यापार योग्य वस्तुओं का व्यापार होता रहता है ताकि प्रत्येक आयात वस्तु की घरेलू कीमत विदेशी कीमत व प्रशुल्क के योग के बराबर हो ।
- (4) कुल व्यय की उपयुक्त मौद्रिक व राजकोपीय नीतियों द्वारा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के स्तर पर बनाये रखा जाता है ।
- (5) पूर्ति एवं मांगकर्ता राष्ट्रों के मध्य समस्त प्रशुल्क एवं अन्य व्यापार कर व उत्पादन अविभेदात्मक (non-discriminatory) हैं ।

प्रशुल्क की प्रभावी दर की गणना का सूत्र

(The formula for the effective protective rate)

मान लीजिए कि आयातित वस्तु J है तथा इसमें एक ही उत्पादन । उपयोग में लिया जाता है और इसका भी आयात हो रहा है । आयात प्रशुल्क के सिवाय J तथा i को प्रभावित करने वाले अन्य कोई कर अथवा उत्पादन नहीं है । तो J उत्पादन क्रिया के लिए प्रशुल्क की प्रभावी दर की गणना के सूत्र की निम्न प्रकार से व्युत्पत्ति की जा सकती है :—

मानाकि

V_j = प्रशुल्क की अनुपस्थिति में J उत्पादन क्रिया में J वस्तु में प्रति इकाई योगित मूल्य

V_j = प्रशुल्क संरचना के परिणामस्वरूप J उत्पादन क्रिया में J वस्तु में प्रति-इकाई योगित मूल्य

E_j = J उत्पादन क्रिया में प्रशुल्क की प्रभावी दर

P_j = प्रशुल्क की अनुपस्थिति में J वस्तु का प्रति इकाई मूल्य

a_{ij} = प्रशुल्क की अनुपस्थिति में i का J की लागत से अनुपात

t_j = J वस्तु पर प्रशुल्क की दर

t_i = i पर प्रशुल्क की दर

अतः

$$V_j = p_j (1 - a_{1j}) \quad (1)$$

$$V_j \approx p_j [(1 + t_j) - a_{1j} (1 + u)] \quad (2)$$

$$g_j = \frac{V_j - V_j}{V_j} \quad (3)$$

समीकरण (1) व (2) के मान (3) में रखने पर

$$g_j = \frac{p_j [(1 + t_j) - a_{1j} (1 + u)] - p_j (1 - a_{1j})}{p_j (1 - a_{1j})}$$

$$= \frac{1 + t_j - a_{1j} - a_{1j} u - 1 + a_{1j}}{1 - a_{1j}}$$

$$g_j = \frac{t_j - a_{1j} u}{1 - a_{1j}} \quad (4)$$

समीकरण (4) वाला मूल सूत्र है इसके आशय का सार निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है —

यदि $t_j > t_1$, तो $g_j > t_j > t_1$

यदि $t_j < t_1$, तो $g_j < t_j < t_1$

यदि $t_j = t_1$, तो $g_j = t_j = t_1$

यदि $t_j < a_{1j} t_1$, तो $g_j < 0$

उपरोक्त विशेषणों के सार को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं —

यदि सांकेतिक (nominal) प्रभुत्व की दर उपादान पर प्रभुत्व की दर में अधिक है तो प्रभावी प्रभुत्व की दर सांकेतिक दर से अधिक, कम है तो प्रभावी दर सांकेतिक से कम और समान है तो प्रभावी व सांकेतिक प्रभुत्व की दरें भी समान होंगी। ऋणात्मक प्रभावी प्रभुत्व उस स्थिति में होगा जब प्रभुत्व के परिणामस्वरूप उत्पादन लागत की निरपेक्ष वृद्धि वस्तु की वामत में वृद्धि से अधिक हो।

प्रभावी दर पर t_j , t_1 तथा a_{1j} में परिवर्तना व प्रभावी की समीकरण (4) के मूल सूत्र का इनके सादृश्य में अन्वयित करने प्रथम निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है —

$$\frac{\partial g_j}{\partial t_j} = \frac{1}{1 - a_{ij}}$$

$$\frac{\partial g_j}{\partial t_i} = \frac{a_{ij}}{1 - a_{ij}}$$

$$\frac{\partial g_j}{\partial a_{ij}} = \frac{t_j - t_i}{(1 - a_{ij})^2}$$

समीकरण (4) को हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं —

$$t_j = (1 - a_{ij}) g_j + a_{ij} t_i \quad (4.1)$$

जिसका अभिप्राय यह है कि तैयार माल पर सांकेतिक दर उसकी स्वयं की प्रभावी दर तथा उपादान पर प्रशुल्क की दर का भारशोभ प्रीमत है। यदि J वस्तु के उत्पादन में बहुत से उपादानों का उपयोग होता है तथा सभी उपादान आयातित है तो

$$g_j = \frac{t_i - \sum_{i=1}^n a_{ij} t_i}{1 - \sum_{i=1}^n a_{ij}} \quad (4.2)$$

यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु की प्रभावी प्रशुल्क की दर उस वस्तु में प्रयुक्त उपादानों में लग उपादानों पर प्रशुल्कों में परिवर्तनों से प्रभावित नहीं हानी है।

प्रो० कॉडिन ने प्रशुल्क की प्रभावी दर की अवधारणा के आधार पर प्रशुल्क की चार भिन्न अवधारणाओं को इंगित किया है —

प्रथम, यदि उद्योग विशेष की वस्तु पर सांकेतिक दर घनात्मक है तो उस उद्योग को सरक्षण प्रदान है। लेकिन सांकेतिक दरें उपभोग प्रभाव के लिए तो महत्वपूर्ण हैं परन्तु प्रशुल्क के उत्पादन प्रभाव के बारे में कुछ भी इंगित नहीं करती हैं।

द्वितीय, यदि उद्योग विशेष की वस्तु पर प्रशुल्क की प्रभावी दर घनात्मक है तो उस उद्योग को सरक्षण प्रदान है। यदि विनिमय दर अपरिवर्तित रहे तथा व्यापार में शामिल नहीं होने वाले वस्तुओं का कामते दी हुई है तो घनात्मक प्रभावी

चीथे, प्रशुल्क की प्रभावी दरों की सहायता से हम विकसित राष्ट्रों की प्रशुल्क संरचना को भी भरी-भरति समझ सकते हैं। विकसित राष्ट्र कच्चे माल का आयात तो निःशुल्क करते हैं अर्द्ध-निर्मित माल के आयातों पर मामूली प्रशुल्क लगाये रखते हैं तथा तैयार माल के आयातों पर ऊँची प्रशुल्क की दरें बनाये रखते हैं। प्रशुल्क की इस संरचना के कारण विकसित राष्ट्रों में इस प्रकार के तैयार माल उत्पादित करने वाले उद्योगों की प्रशुल्क की प्रभावी दर सांकेतिक दर से काफी अधिक बनी रहती है। विकसित राष्ट्रों की इस प्रकार की प्रशुल्क संरचना के परिणामस्वरूप अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। क्योंकि एक ओर तो अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों से कच्चा माल आसानी से निर्यात होना रहता है तथा दूसरी ओर तैयार माल के निर्यात ऊँची प्रशुल्क दरों के कारण हतोत्साहित होते हैं।

प्रशुल्क की प्रभावी दर का विश्लेषण राष्ट्र के निर्यातों की स्थिति के अध्ययन में भी सहायक है। उदाहरणार्थ, यदि राष्ट्र के निर्यातकर्त्ताओं को निर्यात वस्तु में उपयोग में आने वाले आयातित उत्पादनों पर प्रशुल्क चुकाने के परिणामस्वरूप स्वतंत्र व्यापार की स्थिति की तुलना में योगित मूल्य में कमी हो जाती है तो विश्व-बाजार की कीमत पर निर्यात करने हेतु निर्यात वस्तु को उपदान (subsidy) दिया जाना आवश्यक होता है।

प्रशुल्क की प्रभावी दर के सूत्र के पीछे निहित मान्यताओं का मूल्यांकन

(Evaluation of the assumptions made in the formula for the effective protective rate)

प्रथम, यह कि प्रशुल्क की प्रभावी दर के सूत्र में उत्पादन गुणांक (a₁₁) को स्थिर मान लिया गया है। यह मान्यता सही नहीं है। प्राथिक सिद्धान्त के अध्ययन से हम ज्ञात होता है कि समोत्पत्ति वक्र मूल बिन्दु की ओर उन्नतोदर होते हैं तथा इन वक्रों की आकृति के अनुरूप साधन कीमत अनुपातों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पादन में उपयोग किये जाने वाले साधन कीमत अनुपात भी परिवर्तित होते हैं। प्रशुल्क के परिणामस्वरूप उत्पादनों की कीमत परिवर्तित होती है अतः उत्पादन गुणांक स्थिर मान लेना उचित नहीं है।

द्वितीय, यह कि यदि हम उत्पादनों पर प्रशुल्क के परिणामस्वरूप उत्पादनों के उपयोग में लिये जाने वाले अनुपात (a₁₁) के परिवर्तनों को स्वीकार कर लें तो प्रशुल्क की प्रभावी दर का सूत्र एक ऐसी समीकरण बन जाता है जिसमें दो अज्ञात

(unknown) a_j तथा g_i है अतः दो अज्ञातों वाली एक समीकरण का हल सम्भव नहीं होगा।

प्रो० कॉर्डेन की प्रभावी प्रशुल्क की अवधारणा में योगित मूल्य की साधन आवंटन में केन्द्रीय भूमिका की मान्यता भी उचित नहीं है। प्राथिक सिद्धान्तों में साधन आवंटन में केन्द्रीय भूमिका लाभ (profits) को प्रदान की जाती है। लाभ व योगित मूल्य में एक ही दिशा में तथा एक समान परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रशुल्क की प्रभावी दर की अवधारणा प्राथिक साम्य विश्लेषण पर आधारित है जिसमें अन्य बातों को समान मान लिया गया है जबकि वास्तव में अन्य बातें समान रहती नहीं हैं।

प्रशुल्क का सामान्य साम्य विश्लेषण


(General Equilibrium Analysis of a Tariff)

प्राथिक साम्य विश्लेषण में प्रशुल्क के केवल वस्तु विशेष पर प्रभावों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। यदि हमें सम्पूर्ण आयात प्रतिस्थापन क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करना है तो प्रशुल्क के प्रभावों को सामान्य साम्य विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करना होगा। सामान्य साम्य विश्लेषण की सहायता से प्रशुल्क के उत्पादन व उपभोग प्रभाव दर्शाने के अलावा हम कुछ प्रतिरिक्त अन्तरदृष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं।

मान लीजिए कि विचारार्थ राष्ट्र x तथा y दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जो कि क्रमशः निर्मितमाल व कृषि उत्पाद हैं।

चित्र 8.10 में स्वतंत्र व्यापार में विचारार्थ राष्ट्र निर्मित माल के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है तथा साम्य उत्पादन एवं साम्य उपभोग बिन्दु क्रमशः P' व C' हैं। अब मान लीजिये कि यह राष्ट्र कृषि उत्पादों के आयातों पर आयात प्रशुल्क लगा देता है एवं घरेलू उत्पादन बिन्दु P' से P_1 हो जाता है तो P' से P_1 उत्पादन का परिवर्तन 'संरक्षण प्रभाव' कहलायेगा तथा प्रशुल्क लगाने से उपभोग बिन्दु का C' से C_1 होना 'उपभोग प्रभाव' दर्शाता है।

यदि उपभोग बिन्दु C_1 निर्धारित होने के पीछे हमारी यह मान्यता है कि विचारार्थ राष्ट्र प्रशुल्क लगाकर विश्व बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सका है अतः चित्र 8.10 में P_1-C_1 रेखा $P'-C'$ स्वतंत्र व्यापार की शर्तों वाली रेखा के समानान्तर खींची गयी है। लेकिन प्रशुल्क लगाने से आयात वस्तु y के घरेलू मूल्य में प्रशुल्क के बराबर वृद्धि हो जाती है। अतः घरेलू मूल्य अनुपात PD रेखा के ढाल द्वारा दर्शाया गया है।



चित्र 8.10 : सामान्य साम्य में प्रशुल्क व्यापार की शर्तें यथास्थिर

प्रशुल्क वाली घरेलू कीमत रेखा PD उत्पादन सम्भावना वक्र के P_t बिन्दु पर स्पर्श है अतः साम्य उत्पादन बिन्दु P_t होगा। साम्य उपभोग बिन्दु C_t पर P_0 के समानान्तर खींची गयी कीमत रेखा $P'D$ समुदाय उदासीन वक्र U_3 के ठीक उम बिन्दु पर स्पर्श है जहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा Pf समुदाय उदासीन वक्र U_3 को काटती है। ऐसा इसलिए आवश्यक है कि व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा के ढाल के अनुरूप ही संभव है। चित्र 8.10 में प्रशुल्क की स्थिति में विचारार्थ राष्ट्र $R'-C_t$ आयात के विनिमय में $R'-P_t$ निर्यात कर रहा है तथा

Pf रेखा का ढाल भी $\frac{R'-C_t}{R'-P_t}$ है अतः व्यापार में $R'-P_t$ निर्यातों के विनिमय

में $R'-C_t$ आयात प्राप्त करना संभव है।

चित्र 8.10 में प्रशुल्क PD अथवा PD' (प्रशुल्क सहित वाला घरेलू कीमत अनुपात शक्ति वाली) तथा Pf अथवा Pf (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात शक्ति वाली) रेखाओं के ढाल के अन्तर के बराबर है।

चित्र 8.10 से स्पष्ट है कि प्रशुल्क लगाने से यदि व्यापार की शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं तो प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र का कल्याण का स्तर घट जाता है अतः

वाले उदासीन वक्र U_3 से ऊँचा उदासीन वक्र है। अतः स्पष्ट है कि यदि एक राष्ट्र बड़ा आयातकर्ता है तो वह प्रशुल्क द्वारा व्यापार की शर्तों को प्रभावित करके प्रशुल्क से विमुक्त सन्धि अर्जित कर सकता है।

ध्यान रहे कि यदि व्यापार की शर्तें स्वतः ही परिवर्तित होतीं एवं विवागर्षं राष्ट्र प्रशुल्क नहीं लगाता तो इस राष्ट्र की व्यापार से लक्ष्मियाँ घीर भी अधिक हातों तथा राष्ट्र का साम्य उपभोग बिन्दु U_3 समुदाय उदासीन वक्र पर C'' होता।

- (4) भुगतान की शर्तों (Payment Conditions) द्वारा आयातों का नियमन, तथा
- (5) अधिभारों (Surcharges) (अथवा बहु-वित्तिय दरों) से सम्बद्ध प्रतिरिक्त तदर्थ (ad hoc) नियमन जिनसे आयात लाइसेंस की उपादेयता की लागत निर्धारित होती है।

आयात नियतांश के प्रभाव

(Effects of an import Quota)

यदि आयातकर्ता राष्ट्र को वस्तु विशेष के विदेशी माँग व पूर्ति वक्रों की आकृति ज्ञात है तथा ये वक्र बेलोचदार नहीं हैं तो प्रशुल्क व नियतांश के प्रभाव एक समान होंगे।

इस सम्बन्ध में प्रो० जगदीश भगवती ने प्रशुल्क व नियतांश की समानता (equivalence) की अवधारणा को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है


‘———— प्रशुल्क व नियतांश इस अर्थ में समान होते हैं कि स्पष्ट प्रशुल्क दर (explicit tariff rate) आयातों का वह स्तर उत्पन्न करेगी जिसे वैकल्पिक रूप से नियतांश तय (set) कर दिया जाये तो वह स्पष्ट प्रशुल्क के बराबर निहित प्रशुल्क (implicit tariff) उत्पन्न करेगा और इसी प्रकार (and, pairwise) नियतांश वह निहित प्रशुल्क उत्पन्न करेगा जिसे वैकल्पिक रूप से स्पष्ट प्रशुल्क तय कर दो जाये तो वह नियतांश के बराबर आयातों का स्तर उत्पन्न करेगी।’¹

प्रशुल्क व नियतांश की समानता को आंशिक साम्य चित्र 9.1 की सहायता से भली-भाँति स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र 9.1 पिछले अध्याय के चित्र 8.1 की पुनरावृत्ति मात्र है, अन्तर केवल यह है कि यहाँ हम प्रशुल्क व कोटा के वैकल्पिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करके दोनों की समानता का अध्ययन करेंगे।

चित्र 9.1 में हम PP प्रशुल्क लगायें अथवा x_1-x_2 मात्रा के बराबर आयात नियतांश निर्धारित करें उपभोग प्रभाव, सरक्षण प्रभाव व पुनर्वितरण प्रभाव एक समान ही होंगे।

चित्र 9.1 में x_1-x_2 मात्रा के बराबर नियतांश निर्धारित करने पर x -वस्तु की कीमत P से बढ़कर P' हो जाती है, अथ x_2-x_3 उपभोग में कमी नियतांश का उपभोग-

1. Bhagwati, J.—‘On the Equivalence of Tariffs and Quotas in—Tariffs Trade and Growth—Cambridge MIT press, 1969, p 248



चित्र 9.1 प्रशुल्क व नियताश में समानता

प्रभाव, $X-X_1$ घरेलू उत्पादन में वृद्धि नियताश का आयात प्रतिस्थापन प्रभाव व t द्वारा दर्शाया गया क्षेत्र नियताश का पुनर्वितरण प्रभाव है।

प्रशुल्क के प्रभावों के चित्र में हमने edcf आयातकर्ता द्वारा राजस्व प्रभाव दर्शाया था, लेकिन नियताश में यह क्षेत्र आयातकर्ता राष्ट्र की सरकार के पास राजस्व के रूप में जाए, यह आवश्यक नहीं है। अतः प्रशुल्क व नियताश के प्रभावों में राजस्व प्रभाव का अन्तर मुख्य अन्तर है।

यदि आयातकर्ताओं का एकाधिकार है तो edcf क्षेत्र आयातकर्ताओं को प्राप्त हो सकता है और यदि निर्यातकर्ता राष्ट्र संगठित हैं तो यह क्षेत्र निर्यातकों के पास जा सकता है, भयथा इस क्षेत्र में से कुछ हिस्सा आयातकर्ताओं को तथा कुछ निर्यातकर्ताओं को प्राप्त हो सकता है।

मान लीजिए कि आयातकर्ता राष्ट्र की सरकार आयात लाइसेन्सों की निलामी करके edcf के बराबर राजस्व अर्जित कर लेनी है तो प्रशुल्क व नियताश के प्रभाव पूर्णतया एक समान हो जायेंगे।

चित्र 9.1 से स्पष्ट है कि X_1-X_2 मात्रा के बराबर नियताश निर्धारित करने से निहित प्रशुल्क $P-P'$ के बराबर उत्पन्न होती है, बिकल्पिक रूप से यदि हम $P-P'$ के

बराबर स्पष्ट प्रशुल्क लगाएँ तो आयातों का स्तर x_1-x_2 उत्पन्न होगा। अतः स्पष्ट है कि चित्र 9। प्रशुल्क व नियतांश में समानता (equivalence) दर्शाता है। जब प्रशुल्क व नियतांश एक समान होते हैं तो स्वाभाविक ही है कि प्रशुल्क व नियतांश के प्रभाव भी एक जैसे होंगे।

नियतांश का उद्गम (Origin of Quotas)

यदि प्रशुल्क व नियतांश के प्रभाव एक समान होते हैं तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि तीसरे के वर्गों में नियतांश इतने अधिक प्रचलित क्यों हुए? इस प्रश्न का उत्तर तीन हिस्सों में प्रदान किया जा सकता है :

प्रथम एमी वस्तुएँ जिनके आयातों पर सर्वप्रथम नियतांश निर्धारित किये गये थे उनके विदेशी पूर्ति वक्र पूणतया बेलोचदार थे।

यदि विदेशी पूर्ति-वक्र बेलोचदार है तो प्रशुल्क लगाकर आयातकर्त्ता राष्ट्र व्यापार की शर्तें अनुकूल करने में व राजस्व अर्जित करने में तो सफल हो सकता लेकिन अतः आयात प्रतिस्थापन उद्योगों का उचित प्रशुल्क लगाकर सरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहता है क्योंकि प्रशुल्क के बराबर विदेशी राष्ट्र कीमत घटा सकता है। अतः एमी परिस्थितियों में घरेलू उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने हेतु नियतांश तय करना आवश्यक हो जाता है। वृत्ति-पदार्थों के पूर्ति-वक्र विशेष रूप से बेलोचदार होने हैं अतः इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को सरक्षण प्रदान करने का प्रभावोपकरण नियतांश ही है।

द्वितीय, विदेशी राष्ट्रों के पूर्ति वक्रों की आकृति का पूर्वानुमान न होने की स्थिति में यह तय करना लगभग असम्भव होता है कि घरेलू उद्योगों को निश्चित सीमा तक सरक्षण प्रदान करने हेतु प्रशुल्क का स्तर कितना निर्धारित किया जाये। यदि विदेशी राष्ट्र राशिपतन कर रहा है तो स्थिति और भी नटिल हो जाती है। इसके विपरीत नियतांश तय कर देने से घरेलू उद्योगों को सरक्षण प्राप्त होना सुनिश्चित हो जाता है। अतः नियतांशों का उद्गम का दूसरा महत्वपूर्ण कारण नियतांश द्वारा प्रदत्त निश्चितता थी।

तृतीय, नियतांशों के उद्गम का कारण प्रशासनिक लचक थी। प्रशुल्क व व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreements on Tariffs and Trade) के

समानुग्रहित राष्ट्र नियमो (Most favoured Nation Clauses) के द्वारा प्रशुल्क इतनी अधिक सस्यागत बन चुकी थी कि किसी भी राष्ट्र के लिए प्रशुल्क में वृद्धि करना प्रासान कार्य नहीं रह गया था। इसके विपरीत नियताश तय करना अपेक्षाकृत सरल कार्य था। अतः नियताशों के उद्गम का तृतीय महत्त्वपूर्ण कारण प्रशासनिक लचक थी।

प्रशुल्क व नियतांश के प्रचालन में अन्तर

(Differences in the operation of Tariffs and Quotas)

चित्र 9.1 के प्रशुल्क व नियताश की समानता के प्रदर्शन से हमें यह धारणा नहीं बनानी चाहिए कि प्रशुल्क व नियताश में विशेष अन्तर नहीं है। वास्तव में प्रशुल्क व नियताश के प्रचालन में महत्त्वपूर्ण अन्तर हैं जिनकी हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे :

(1) जब तक नियतांश प्रभावी रहता है (अर्थात् स्वतंत्र व्यापार की तुलना में नियताश की स्थिति में आयातों की मात्रा कम रहती है) माँग अथवा पूर्ति के किसी भी परिवर्तन का प्रशुल्क के अन्तर्गत आयातित मात्रा में समायोजन होता है जबकि नियताश की स्थिति में ऐसा समायोजन धरेलू कीमत में होता है तथा आयातों की मात्रा पूर्ववत् बनी रहती है।

प्रशुल्क व नियताश के इस मूलभूत अन्तर को चित्र 9.2 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

चित्र 9.2 में हमने विदेशी पूर्ति कीमत स्थिर मानी है अर्थात् विचाराधीन राष्ट्र छोटा आयातकर्ता है जो प्रशुल्क अथवा नियताश लगाकर आयात वस्तु की विश्व बाजार में प्रचलित कीमत को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है।

स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में विदेशी कीमत OP तथा आयात $ab (=gb)$ है। अब यदि $P-P_1$ प्रशुल्क लगा दी जाती है तो कीमत में $P-P_1$ की वृद्धि हो जायेगी एव OP_1 कीमत पर आयातों की मात्रा घटकर $cd (=ef)$ हो जाती है। वैकल्पिक रूप से यदि हम $cd (=ef)$ मात्रा के बराबर आयात नियताश तय देते हैं तो x वस्तु की कीमत स्वतंत्र व्यापार की OP कीमत से बढ़कर $O-P_1$ हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि $P-P_1$ प्रशुल्क तथा $cd (=ef)$ आयात नियताश के प्रारम्भिक प्रभाव एक समान हैं। आयात नियताश की स्थिति में यदि सरकार लाइसेंसों की निजामी द्वारा प्रशुल्क

अतः स्पष्ट है कि आयात नियन्त्रण की स्थिति में आयातों का स्तर नियन्त्रण द्वारा तय स्तर से कम उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक कि स्वतंत्र व्यापार में घरेलू माँग व पूर्ति का अन्तर आयात नियन्त्रण-द्वारा तय मात्रा से कम नहीं हो जाता है। चित्र 9.3 में यदि माँग-वक्र विवृत होकर $D''-D''$ हो जाता है तो आयातों का स्तर (Im) ठीक आयात नियन्त्रण की मात्रा ($ek=1j$) के बराबर है। $D''-D''$ माँग-वक्र पर घरेलू कीमत गिरकर स्वतंत्र व्यापार वाली कीमत O-P के बराबर हो जाती है, घरेलू कीमत व विदेशी कीमत का अन्तर समाप्त हो जाता है अतः माँग-वक्र यदि $D''-D''$ से नीचे विवृत होता है तभी आयातों की मात्रा आयात नियन्त्रण के स्तर से कम हो सकती है अन्यथा नहीं।

(3) उपर्युक्त दो अन्तरो से स्पष्ट है कि आयात नियन्त्रण की स्थिति में आयातों का स्तर न तो नियन्त्रण द्वारा तय स्तर से अधिक हो सकता है और न ही कम। अतः नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान सन्तुलन में समायोजन जितना प्रतीत होता है उससे भी कहीं अधिक दुष्कर हो जाता है। स्पष्ट है कि नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत भुगतान सन्तुलन के समायोजन में अत्यधिक दृढ़ता (rigidity) पा जाती है।

(4) प्रभावी नियन्त्रण की स्थिति में आयातकर्ता व निर्यातकर्ता राष्ट्रों में विद्यमान कीमतों का अन्तर प्रशुल्क व परिवहन लागतों द्वारा सृजित अन्तर से कहीं अधिक बना रहता है। इसके विपरीत प्रशुल्क प्रणाली के अन्तर्गत, यदि निष्पेक्षात्मक प्रशुल्क नहीं है तो, दोनों राष्ट्रों की घरेलू कीमतों का अन्तर प्रशुल्क तथा हस्तान्तरण लागत (transfer cost) द्वारा सृजित अन्तर से अधिक लम्बे समय तक बना रहना सम्भव नहीं है।

अतः प्रशुल्क प्रणाली के अन्तर्गत दोनों व्यापाररत राष्ट्रों की कीमतों के मध्य सम्पर्क बना रहता है एवं दोनों राष्ट्रों में कीमतों के चलन एक दूसरे के समानान्तर होत रहते हैं। जबकि आयात नियन्त्रण की स्थिति में दोनों राष्ट्रों की कीमतों की आपसी बड़ी टूट जाती है।

(5) नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत दोनों राष्ट्रों में विद्यमान कीमत अन्तराल का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि निर्यात-आधारित आयातित वस्तु का व्यापार अत्यधिक आकर्षक बन जाता है। आयात लाइसेंस प्राप्तकर्ता भारी लाभ अर्जित करते हैं।

अतः कोटा प्रणाली के अन्तर्गत दो प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयों का उदय होता है —

प्रथम, तो यह कि पूर्तिकर्ता राष्ट्रों के मध्य नियन्त्रण को कैसे आवंटित किया जाये तथा द्वितीय यह कि व्यक्तिगत आयातकर्ता को आयात लाइसेंस किस आधार पर आवंटित किये जाये ।

आधार वर्ष के अनुसार वितरण न्यायोचित नहीं हो सकता है । यहाँ तक कि यदि हम समय-समय पर नयी फर्म्स (Firms) को नियन्त्रण की एक निश्चित प्रतिशत आवंटित करने तथा शेष मात्रा का विद्यमान फर्म्स के मध्य समायोजन करने का प्रावधान रख दें तब भी इस मूलभूत कठिनाई का हल नहीं हो पायेगा कि नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत प्रतियोगिता द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त का चुनाव कैसे हो ? इसके अतिरिक्त भ्रष्ट पूर्ति बनाय रखने हेतु निहित स्वार्थ उत्पन्न हो जात हैं । अतः नियन्त्रण प्रणाली द्वारा भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी का बीजारोपण होता है ।

(6) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में आयात नियन्त्रण प्रणाली में राष्ट्रों के मध्य भेदभाव टालना सम्भव अमम्भव होता है क्योंकि नियन्त्रण आवंटित करने का कोई ऐसा स्वीकार्य सिद्धान्त नहीं है जिसे अविभेदात्मक कहा जा सके ।

समय-समय पर नियन्त्रण आवंटन के विभिन्न सिद्धान्तों को अविभेदात्मक बताकर प्रस्तुत किया गया है लेकिन इनमें से कोई भी सतोपजनक नहीं है । उदाहरणार्थ, पूर्तिकर्ता राष्ट्रों के लिए समान नियन्त्रण निर्धारित करना स्पष्ट ही असमान (unequitable) होता है क्योंकि इसके अन्तर्गत छोटे व बड़े पूर्तिकर्ता राष्ट्रों के लिए समान नियन्त्रण तय किया जाता है जो कि भेदात्मक है ।

इसी प्रकार प्रतिवर्ष उच्चावचन होने वाले फर्मलो के सदस्य में किसी आधारवर्ष के अनुपात में नियन्त्रण आवंटित करना भी असन्तोषजनक व अन्यायपूर्ण होता है । औद्योगिक वस्तुओं के संदर्भ में भी परिस्थितियाँ के परिवर्तित होने के साथ-साथ नियन्त्रण का आधार भी पुराना पड़ जाता है ।

(7) कई बार यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि नियन्त्रण द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धों को स्थायी बनाये रखने में योगदान मिलता है क्योंकि आयातों के स्तर में माँग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा उच्चावचन नहीं आ पात है ।

हाँ, यह तो सत्य है कि कुछ वस्तुओं की आयातित मात्रा में नियन्त्रण द्वारा स्थायीकरण आया है तथा आ सकता है । आयातों के प्रारूप व मात्रा की

आवश्यकता में समय-समय पर परिवर्तन होने रहने हैं अतः नियन्त्रण की कोई भी विस्तृत व्यवस्था जो कि आयातों की संरचना व मात्रा को स्थायी बनाये रखने वाली है उसमें निरन्तर परिवर्तन करते रहना आवश्यक होगा।


(8) प्रशुल्क व आयात नियन्त्रण के प्रचालन में एक अन्य अंग यह है कि नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत प्रशुल्क की तुलना में घरेलू उत्पादक अपने आपको अधिक सुरक्षित महसूस करता है एवं इस सुरक्षा के परिणामस्वरूप उत्पादक नियन्त्रण-प्रणाली के अन्तर्गत प्रशुल्क की तुलना में अधिक विनियोग व अधिक उत्पादन करने को प्रेरित होते हैं।

(9) लेकिन अन्तर (8) का दूसरा पहलू भी है, वह यह कि नियन्त्रण प्रणाली एकाधिकारी की स्थिति को पनपाने में योगदान देती है। मान लीजिए कि आयात वस्तु का घरेलू उत्पादक एकाधिकारी है, तो प्रशुल्क प्रणाली के अन्तर्गत यह एकाधिकारी अधिक से अधिक विदेशी कीमत व प्रशुल्क के योग के बराबर वस्तु की कीमत वसूल कर सकता है इससे अशुभ नहीं। अब यदि प्रशुल्क प्रणाली का आयात के स्तर पर नियन्त्रण निर्धारित कर देते हैं तो घरेलू एकाधिकारी उत्पादन घटा देगा व कीमत बढ़ा देगा और इस प्रकार अपनी एकाधिकारी शक्ति को कार्यरूप में परिणित करना प्रारम्भ कर देगा। अतः प्रशुल्क व नियन्त्रण दोनों प्रणालियों के अन्तर्गत आयातों की मात्रा समान होने पर भी प्रशुल्क को नियन्त्रण में परिवर्तित कर देने से सम्भावित घरेलू एकाधिकार वास्तविक एकाधिकार का रूप धारण कर लेता है।

इस बिन्दु को प्रो० किन्डलबर्गर¹ का अनुसरण करते हुए चित्र 9.4 व 9.5 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

चित्र 9.4 में विदेशी पूति कीमत $O-P$ को स्थिर मान लिया गया है अतः $P-P'$ प्रशुल्क लगाने से घरेलू कीमत में PP' की वृद्धि होने से यह $O-P'$ हो जाती है। घरेलू एकाधिकारी का सीमान्त प्रागम व सीमान्त प्रागम वक्र क्रमशः AR व MR तथा सीमान्त लागत वक्र MC है। व्यापार की अनुपस्थिति में साम्य उत्पादन बिन्दु $MC=MR$ द्वारा निर्धारित होगा। लेकिन स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में साम्य उत्पादन बिन्दु $MC=P$ द्वारा निर्धारित होगा क्योंकि स्थिर विदेशी पूति-वक्र P ही सीमान्त प्रागम वक्र होगा तथा एकाधिकारी $O-P$ से ऊँची कीमत वसूल नहीं कर पायेगा, अतः P कीमत देना ही सम्बद्ध सीमान्त प्रागम वक्र बन जाता है।

1 Kindleberger, C.P. — International Economics (5th ed) Appendix E Pp 434-86.



चित्र 9.4 : प्रशुल्क प्रणाली व घरेलू एकाधिकारी


P-P' प्रशुल्क लगाने के बाद एकाधिकारी को भी अपना माल O-P' कीमत पर विक्रय करना होगा। P' ही सीमान्त आगम वक्र बन जायेगा। अतः प्रशुल्क की स्थिति में एकाधिकारी का साम्य उत्पादन उस बिन्दु पर निर्धारित होगा जहाँ MC वक्र P' = MR' वक्र को काटेगा। चित्र 9.4 में O-P कीमत पर घरेलू एकाधिकारी का साम्य उत्पादन O-X है जबकि P कीमत पर कुल माँग O-X₁ है अतः विचारार्थ राष्ट्र के आयातों की मात्रा X-X₁ है।

अब यदि प्रशुल्क प्रणाली के अन्तर्गत आयातों के स्तर (X-X₁) के बराबर नियताश तय कर दिया जाये तो एकाधिकारी का नया AR वक्र कुल घरेलू माँग में से नियताश की मात्रा घटाकर प्राप्त किया गया AR' वक्र होगा।

AR' वक्र AR वक्र में से नियताश की X-X₁ मात्रा के बराबर क्षतिज दूरी घटाकर प्राप्त किया गया है। चूंकि नियताश प्रणाली के अन्तर्गत X-X₁ से अधिक मात्रा का आयात सम्भव नहीं है अतः AR' माँग वक्र में नियताश के समायोजन के परिणामस्वरूप एकाधिकारी अपना साम्य उत्पादन व कीमत निर्धारित करता है। AR' के अनुस्यू नया सीमान्त आगम वक्र MR' है। स्पष्ट है कि MR' को MC वक्र Z बिन्दु पर काटता है अतः लाभ अधिकतम करने वाला उत्पादन O-X होगा तथा एकाधिकारी

की साम्य कीमत $O-P''$ होगी। $O-P'$ कीमत पर $P''-u$ धरेलू पूर्ति व uv नियताश प्रणाली के अन्तर्गत आयात की मात्रा कुल माँग $P''-V$ के बराबर है।

चित्र 9.2 में P' कीमत पर उपभोक्ताओं का प्रतिरेक RWP' क्षेत्र के बराबर तथा उत्पादकों का प्रतिरेक LWP' क्षेत्र के बराबर था।



चित्र 9.5 : प्रशुल्क नियताश में परिवर्तित, एकाधिकारी कीमत में वृद्धि व उत्पादन में कमी

अतः उपभोक्ताओं व उत्पादकों के प्रतिरेकों का योग LWR क्षेत्र के बराबर था जबकि P'' कीमत पर उपभोक्ता व उत्पादकों के प्रतिरेक का योग $LZUR$ क्षेत्र के बराबर है, अतः UZW क्षेत्र प्रशुल्क को नियताश में परिवर्तित करने से समुदाय के कल्याण के स्तर में होने वाली हानि दर्शाता है।

जहाँ तक प्रशुल्क को नियताश में परिवर्तित करने के पुनर्वितरण प्रभाव का प्रश्न है, हम यह सकते हैं कि P' कीमत पर उपभोक्ताओं का प्रतिरेक RWP' क्षेत्र के बराबर था जबकि P'' कीमत पर यह प्रतिरेक RUP'' क्षेत्र के बराबर है अतः उपभोक्ताओं के प्रतिरेक में P'' UWP' क्षेत्र के बराबर कमी हुई है।

दूसरी ओर P' कीमत पर उत्पादकों का प्रतिरेक LWP' क्षेत्र के बराबर था

वि स्वतंत्र व्यापार में घरेलू कीमतें (परिवहन लागतों को टालकर) व्यापार वाली विदेशी कीमतों के समान हो जाती हैं एवं घरेलू कीमतें उत्पादन में सीमान्त रूपान्तरण की दर व उपभोग में सीमान्त प्रतिस्थापन की दर के समान हो जाती हैं जबकि व्यापार में एकाधिकार विहीन छोटे राष्ट्र की स्थिति में विदेशी कीमतें विदेशी व्यापार में साम्य वाली सीमान्त रूपान्तरण की दर के समान हो जाती हैं।¹⁴

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र व्यापार सर्वोत्तम नीति इसलिए है कि इस नीति का अनुसरण करने पर 'परेटो इष्टतम' (Pareto optimality) प्राप्त करना सम्भव है।

केवल आधुनिक अर्थशास्त्री ही नहीं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री (एडम स्मिथ, रिचार्डो आदि) भी स्वतंत्र व्यापार को सर्वोत्तम नीति मानते थे। इन अर्थशास्त्रियों ने स्वतंत्र व्यापार की लब्धियों की प्रभावी व्याख्या प्रस्तुत की थी। स्वतंत्र व्यापार से प्राप्त कुछ अन्य लाभ इस प्रकार हैं :—

स्वतंत्र व्यापार में आयातकर्ता राष्ट्रों को आयात वस्तु न्यूनतम लागत पर प्राप्त होती है, इतना ही नहीं व्यापाररत राष्ट्रों को उपभोग हेतु अनेक ऐसी वस्तुएँ उपलब्ध हो जाती हैं जिनका विश्व में कुछेक भागों में ही उत्पादन सम्भव है।

इसके प्रतिरिक्त स्वतंत्र व्यापार से हानिकारक एकाधिकारों पर रोक लगती है अथवा उनका विस्थापित होना अधिक दुष्कर हो जाता है।

स्वतंत्र व्यापार से बाजार का विस्तार होता है तथा प्रत्येक राष्ट्र के उत्पादकों को विश्व के आधुनिकतम उत्पादन तकनीकों की अपनाने की प्रेरणा मिलती रहती है।

अतः स्वतंत्र व्यापार से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि क्या स्वतंत्र व्यापार सर्वोत्तम नीति है ?

इस प्रश्न के उत्तर में आधुनिक अर्थशास्त्री यह सिद्ध करने का प्रयास तो करते हैं कि व्यापार विहीन स्थिति की तुलना में स्वतंत्र व्यापार की स्थिति उत्तम है लेकिन वे यह तर्क प्रस्तुत करने को तत्पर नहीं हैं कि स्वतंत्र व्यापार प्रतिबन्धित व्यापार से उत्तम है।


स्वतंत्र व्यापार को इष्टतम नीति साबित करने हेतु विश्व व्यापार में महत्व के दृष्टिकोण से छोटे व बड़े राष्ट्र में अन्तर करना आवश्यक है। छोटे राष्ट्र के सम्दर्भ में तो यह दर्शाया जा सकता है कि स्वतंत्र व्यापार ही 'इष्टतम' नीति है लेकिन बड़े राष्ट्र के लिए स्वतंत्र व्यापार की तुलना में प्रतिबन्धित व्यापार उत्कृष्ट साबित हो

सकता है, फिर भी इतना तो सत्य है कि बड़े राष्ट्र के लिए भी स्वतंत्र व्यापार प्रयत्न किमी भी तरह का व्यापार व्यापार-विहीन स्थिति की तुलना में श्रेष्ठ है।

छोटे राष्ट्र के सन्दर्भ में स्वतंत्र व्यापार नीति को सर्वोत्तम साबित करने हेतु उत्पादन सम्भावना वक्र का ज्यामितीय उपकरण बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सर्वप्रथम हम यह दर्शायेंगे कि व्यापार विहीन स्थिति की तुलना में व्यापार वाली स्थिति उत्तम है।

चित्र 10.1 में I-I प्रथम राष्ट्र का उत्पादन सम्भावना वक्र है तथा P₁ रेखा का ढाल स्वतंत्र व्यापार में अन्तर्राष्ट्रीय कीमत-अनुपात दर्शाता है। चित्र में व्यापार की अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्र का उपभोग बिन्दु उत्पादन सम्भावना वक्र I-I पर वहीं भी स्थित हो सकता है जबकि स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में राष्ट्र का उपभोग बिन्दु P₁ रेखा पर स्थित होगा तथा यह स्पष्ट है कि सिवाय बिन्दु P के P₁ रेखा I-I उत्पादन सम्भावना वक्र से बाहर की तरफ विद्यमान है जिसका अभिप्राय यह है कि स्वतंत्र व्यापार में उपलब्ध उपभोग संयोग बिना व्यापार की स्थिति से उत्तम होगा।

ध्यान रहे कि उपर्युक्त निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु हमने न तो छोटे राष्ट्र की मान्यता का महारा लिया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई मान्यता मानी है कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा P₁ किस प्रकार निर्धारित होती है।



चित्र 10.1 : स्वतंत्र व्यापार बनाम प्रशुल्क

व्यापार में प्रथम राष्ट्र X वस्तु का निर्यात करेगा तथा इसका साम्य उत्पादन बिन्दु P व साम्य उपयोग बिन्दु C' होगा जो कि समुदाय उदासीन वक्र U_3 पर स्थित है।

अब मान लीजिए कि यह राष्ट्र इतनी ऊँची मायात प्रशुल्क लगा देता है कि प्रशुल्क वाली कीमत पर घरेलू माँग व पूर्ति समान हो जान है, अतः इस प्रशुल्क पर मायातो की मात्रा शून्य हो जाती है, चित्र 10। में P_1 रेखा निषेधात्मक प्रशुल्क वाला घरेलू कीमत अनुपात दर्शाती है, अतः व्यापार विहीन स्थिति में साम्य उत्पादन व उपभोग बिन्दु C है। चूँकि व्यापार की अनुपस्थिति में साम्य उपभोग बिन्दु C समुदाय उदासीन वक्र U_1 पर है जबकि स्वतंत्र व्यापार वाला साम्य उपभोग बिन्दु C' ऊँचे उदासीन वक्र U_3 पर है अतः स्वतंत्र-व्यापार व्यापार-विहीन स्थिति से निश्चय ही उत्कृष्ट है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एकाधिकार वाले विशाल राष्ट्र के लिये बिना व्यापार की स्थिति की तुलना में स्वतंत्र व्यापार की उत्कृष्टता दर्शाने हेतु प्रो० केम्प⁵ (Kemp) ने निम्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है -

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एकाधिकारी राष्ट्र व्यापार प्रतिबन्ध द्वारा व्यापार की शर्तें अपने पक्ष में परिवर्तित करवा लेने में सक्षम होता है अतः ऐसा राष्ट्र व्यापार प्रतिबन्ध द्वारा कल्याण के उच्च स्तर पर पहुँचने में सफल हो सकता है।

लेकिन जब व्यापार प्रतिबन्ध द्वारा व्यापार विहीन अवस्था प्राप्त कर ली जाती है तो व्यापार की शर्तों में सुधार से प्राप्त लाभ भी शून्य हो जाता है क्योंकि जब व्यापार ही नहीं हो रहा है तो विदेशी व्यापार की शर्तें अथवा उनसे प्राप्त लाभ विद्यमान होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

अतः प्रत्येक राष्ट्र के लिए व्यापार विहीन स्थिति की तुलना में स्वतंत्र-व्यापार अथवा व्यापार की स्थिति उत्कृष्ट होती है।

अब हम यह दर्शाने का प्रयास करेंगे कि यदि विचारार्थ राष्ट्र छोटा राष्ट्र है अर्थात् यह राष्ट्र व्यापार प्रतिबन्धों द्वारा व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे छोटे राष्ट्र के लिए प्रतिबन्धित व्यापार की तुलना में स्वतंत्र व्यापार निश्चय ही उत्कृष्ट (Superior) नीति होगी।

यद्यपि छोटे राष्ट्र के लिए स्वतंत्र व्यापार-नीति किसी भी तरह के व्यापार

5 Kemp, M C —The pure theory of International Trade and Investment (Prentice Hall, 1969) Ch 12.


प्रतिबन्ध की स्थिति की तुलना में उत्कृष्ट नीति होती है, लेकिन हम केवल तीन तरह के प्रतिबन्धो-प्रशुल्क, उपभोग कर व उपदान (Subsidy)—की स्थिति में स्वतंत्र व्यापार की उत्कृष्टता दर्शावेंगे।

सर्वे प्रथम हम आयात प्रशुल्क लेते हैं। चित्र 101 में राष्ट्र x वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है। एव स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में राष्ट्र का साम्य उत्पादन व उपभोग बिन्दु क्रमशः P' व C' है। अब मान लीजिये कि यह राष्ट्र y -वस्तु के आयातों पर प्रशुल्क लगा देता है अतः साम्य उत्पादन व उपभोग बिन्दु क्रमशः P_t व C_t हो जाते हैं। चूँकि विचारार्थ राष्ट्र छोटा राष्ट्र है अतः प्रशुल्क लगाने के बावजूद व्यापार की शर्तें अपरिवर्तित रहती हैं अस्तु $P'f$ रेखा Pf के समानान्तर है। PD व $P'D$ समानान्तर रेखायें प्रशुल्क वाले घरेलू कीमत-अनुपात की दर्शाती हैं। चूँकि PD रेखा P_t बिन्दु पर उत्पादन सभावना वक्र के स्पर्श है अतः साम्य उत्पादन बिन्दु P_t होगा। चूँकि उदासीन वक्र u_2 प्रशुल्क सहित वाली घरेलू कीमत अनुपात रेखा $P'D$ के C_t बिन्दु पर स्पर्श है, अतः साम्य उपभोग बिन्दु C_t होगा। स्पष्ट है कि प्रशुल्क लगाने से उपभोक्ता व उत्पादक दोनों वर्ग नयी कीमत के अनुरूप अपने साम्य का समायोजन करते हैं। स्पष्ट ही है कि स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में राष्ट्र का साम्य उपभोग बिन्दु C' उदासीन वक्र u_3 पर था जबकि प्रशुल्क लगाने के परिणामस्वरूप नया साम्य उपभोग बिन्दु C_t नीचे उदासीन वक्र- u_2 पर स्थित है, अतः प्रशुल्क की तुलना में स्वतंत्र व्यापार नीति उत्कृष्ट है।

चित्र 102 में आयात वस्तु y पर उपभोग कर का प्रभाव दर्शाया गया है। स्वतंत्र व्यापार में व्यापार की शर्तें दर्शाने वाली रेखा $P'-C'$ है तथा साम्य उपभोग बिन्दु C' है।


अब यदि आयात वस्तु y पर उपभोग कर नया दिया जाता है तो उपभोक्तार्यों के लिए नयी कीमत PD रेखा के ढाल वाली हो जायेगी। ध्यान रहे कि उपभोग कर से केवल उपभोक्तार्यों के लिए कीमत परिवर्तित होती है तथा उत्पादकों के लिए वस्तु कीमत अनुपात पूर्ववत् ही बना रहता है। अतः उपभोग कर लगाने के बाद उत्पादन बिन्दु P' ही बना रहेगा। लेकिन कल्याण का स्तर उदासीन वक्र u_4 से घटकर u_3 वाला हो जाता है अतः उपभोग कर की स्थिति की तुलना में स्वतंत्र व्यापार-नीति उत्कृष्ट है।

इसके विपरीत आयात वस्तु y को उपदान प्रदान करने पर उत्पादकों को उपदान वाली ऊँची कीमत प्राप्त होने लगती है। आयात वस्तु के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो



चित्र 10.2 . आयात वस्तु पर उपभोग कर का प्रभाव

जाती है लेकिन उपभोक्ताओं के लिए वस्तु-कीमत अनुपात यथावत् बना रहता है। चित्र 10.3 में स्वतंत्र व्यापार में व्यापार की शर्तें $PI-P'$ रेखा के ढाल द्वारा दर्शायी



चित्र 10.3 : आयात वस्तु को उत्पादन प्रदान करने का प्रभाव

गयी है तथा साम्य उत्पादन व उपभोग बिन्दु क्रमशः P' व C' है। जब मान नीति लिए आयात वस्तु y के उत्पादन की उपदान प्रदान कर दिया जाता है तो उत्पादकों के लिए कीमत प्रभुगत PD रेखा के टान वाता हो जायेगा तथा साम्य उत्पादन बिन्दु P_s व साम्य उपभोग बिन्दु C_s हो जाता है स्पष्ट है कि राष्ट्र का कल्याण वा स्तर उदानों वक्र U_1 में घटकर U_3 वाता हो जाता है अतः उपदान की स्थिति की तुलना में स्वतंत्र व्यापार-नीति उत्कृष्ट है।

ध्यान रहे कि उपर्युक्त विश्लेषण में हमने छोटे राष्ट्र की मान्यता मान रखी थी। अतः व्यापार में हस्तक्षेप से व्यापार की शर्तें अपरिचलित बनी रही। इसके विपरीत यदि विश्वाराथ राष्ट्र बड़ा राष्ट्र है, व व्यापार में हस्तक्षेप द्वारा विश्व बाजार कीमत को प्रभावित करने में सक्षम है तो स्वतंत्र व्यापार की अपेक्षा व्यापार प्रतिबन्ध की स्थिति में ऐसे राष्ट्र के कल्याण वा स्तर उँचा हो सकता है, (यह स्थिति प्रभुत्व के अध्याय में चित्र 8.11 में दर्शायी गयी है) अतः बड़े राष्ट्र के लिए स्वतंत्र व्यापार अपेक्षित नैतिक ही यह आवश्यक नहीं है।

हमारे अब तक के विश्लेषण का निष्कर्ष इस प्रकार है —

व्यापार विहीन स्थिति की तुलना में स्वतंत्र व्यापार प्रत्येक राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट नीति है जबकि छोटे राष्ट्र के लिए स्वतंत्र व्यापार प्रतिबन्धित व्यापार की तुलना में भी उत्कृष्ट नीति है लेकिन बड़े राष्ट्र के लिए स्वतंत्र व्यापार की तुलना में प्रतिबन्धित व्यापार उत्कृष्ट मिष्ट हो सकता है।

द्वितीय सर्वोत्तम का सिद्धान्त

(The theory of the Second best)

यदि हम स्वोच्चार भी कर लें कि स्वतंत्र व्यापार सर्वोत्तम नीति है तब भी 'पिरेटी इष्टतम' की आवश्यक शर्तें वास्तविक जगत में प्राप्त नहीं हो सकेंगी। वास्तविक जगत में 'इष्टतम' स्थिति प्राप्त करना लगभग असम्भव वा प्रतीत होता है। अतः प्रश्न यह उत्पन्न है कि यदि हम पूर्ण स्वतंत्र व्यापार की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकने तो क्या स्वतंत्र व्यापार की ओर बढ़ाया गया प्रत्येक बचन सर्वोत्तम की ओर अग्रसर होता है? इस प्रश्न का उत्तर निश्चय ही नकारात्मक है। अतः भी स्थितियों में, जहाँ स्वतंत्र व्यापार की सर्वोत्तम नीति अचलना असम्भव नहीं है, वहाँ द्वितीय सर्वोत्तम की नीति अति अधिक कर लगाना हो सकता है। द्वितीय सर्वोत्तम नीति का प्रो० माडन इस प्रकार व्यक्त किया है 'प्रत्येक उद्योग की ओर रखा गया बचन ही उत्कृष्टतम पदावस्था

पर घटने में सहायक नहीं होता है, यदि कोई नीची पहाड़ी (foot hill) पर है तो मुख्य टाल को पार करने हेतु कुछ नीचे उतरना आवश्यक हो सकता है।⁶ अर्थात् स्वतंत्र व्यापार की ओर बढ़ाया गया प्रत्येक कदम सर्वोत्तम की ओर अग्रसर होना नहीं है अनेक बार सर्वोत्तम की ओर अग्रसर होने हेतु और अधिक हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है।

द्वितीय सर्वोत्तम नीति के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं —

जिन्नु उद्योग तक द्वितीय सर्वोत्तम नीति का ही उदाहरण है। यदि प्रतियोगिता व पूर्ण दूरदर्शिता की स्थिति (प्रथम सर्वोत्तम) विद्यमान हो तो माहसी उद्योग की जिन्नु अवस्था में प्राग्भिक हानि बहून करने को तत्पर रहने तथा विवेकी बैंक अथवा अन्य श्रेयादाता संस्थान ऐसे साहसियों के भविष्य में लाभ अज्ञित करने के ध्यान में रखने हुए उनके लिए वित्त व्यवस्था करन को तत्पर रहने। लेकिन प्रथम सर्वोत्तम की ये शर्तें पूरी नहीं होने की स्थिति में जिन्नु उद्योग को प्रशुल्क बढ़ाकर मरझरा प्रदान करना साहसियों, बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों का जिन्नु उद्योग के उज्ज्वल भविष्य की ओर ध्यान आकर्षित करने की 'द्वितीय सर्वोत्तम' नीति हो सकती है। अतः इन स्थिति में प्रशुल्क बढ़ाना 'द्वितीय सर्वोत्तम' अथवा 'तृतीय सर्वोत्तम' नीति हो सकती है न कि प्रशुल्क घटाना। इस स्थिति में जिन्नु उद्योग को 'उपदान' प्रदान करना शायद द्वितीय सर्वोत्तम नीति होगी।

इसी प्रकार यदि सांकेतिक व प्रभावी प्रशुल्क दरें भिन्न हैं तो कच्ची सामग्रियों के आयातों पर प्रशुल्क घटाने की बजाय बढ़ाना द्वितीय सर्वोत्तम नीति हो सकती है क्योंकि राजनैतिक अथवा सामाजिक कारणों से निर्मित मान के आयातों पर प्रशुल्क नमाम करने की 'प्रथम सर्वोत्तम' नीति का अनुसरण अवलम्ब हो सकता है।

इसी प्रकार चुंगी मद्य का निर्माण कर प्रशुल्क घटाने की नीति द्वारा चुंगी मद्य के अतृप्त सदस्यों को मरझरा प्रदान कर व्यापार दिशा-परिवर्तन (Trade diversion) द्वितीय सर्वोत्तम की नीति नहीं है, इनके बजाय सभी निर्वाचित राष्ट्रों से आयातों पर प्रशुल्क बनाये रख कर न्यूनतम लागत वाले राष्ट्र से आयात करना 'द्वितीय सर्वोत्तम' की नीति होगी। इन स्वतंत्र व्यापार से परे चलन करना (अर्थात् प्रशुल्क बनाये रखना न कि चुंगी मद्य का निर्माण कर प्रशुल्क घटाना) 'द्वितीय सर्वोत्तम' नीति होगी।

6 Meade, J.E.—Trade & Welfare, Part IV, Quoted in Kindleberger, C.P.—International Economics (5th ed) p 200.

(a) संरक्षण के लिए सशर्त तर्क

(Qualified arguments for Protection)


1. शिशु उद्योग तर्क (Infant Industry Argument) : संरक्षण के लिये शिशु उद्योग तर्क सशर्त भी है तथा इस तर्क की गहराई से जांच करनी भी आवश्यक है।

शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने का तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि जिन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जायेगा उन में राष्ट्र को सम्भावित (Latent) तुलनात्मक लाभ प्राप्त है अतः सम्भावित लाभों को वास्तविक लाभों में परिणत करने हेतु इन उद्योगों को अस्थायी संरक्षण दिया जाना उचित है। अन्यथा विस्थापित विदेशी उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा में शिशु उद्योग टिक नहीं पायेंगे एवं इनका शिशु अवस्था में ही गला घूँट जायेगा।

संरक्षण उसी स्थिति में प्रदान किया जाना उचित है जबकि संरक्षण प्राप्तकर्ता उद्योग स्पष्टतया राष्ट्र की साधन सम्पत्तियों के अनुरूप हों एवं इस उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बाजार का भविष्य उज्ज्वल हो ताकि भविष्य में यह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ऐसे उद्योगों को शिशु अवस्था में उस समय तक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जब तक कि वे परिपक्वता की अवस्था प्राप्त न कर लें। संरक्षण के शिशु उद्योग तर्क को चित्र 10.4 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है*—

मान लीजिए कि चित्र 10.4 में x वस्तु के उत्पादन में राष्ट्र को सम्भावित तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, विश्व बाजार में x वस्तु की प्रति इकाई कीमत Pf है तथा प्रारम्भिक अवस्था में अर्द्धविकसित राष्ट्र में वस्तु की प्रति इकाई लागत विश्व बाजार कीमत Pf से ऊँची Pd है, अतः यदि इस वस्तु के उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा में बचाने हेतु संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है तो यह उद्योग पनप नहीं सकेगा। लेकिन $Pf-Pd$ से अधिक प्रशुल्क लगाकर इस उद्योग को संरक्षण प्रदान कर दिया जाये तो अर्द्धविकसित राष्ट्र में यह उद्योग पनप सकता है। समय के साथ-साथ इस उद्योग में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि होगी एवं बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त हो सकेंगी तथा x_1 उत्पादन बिन्दु से आगे उत्पादन बढ़ाने पर प्रति इकाई लागत घटने के साथ-साथ संरक्षण की दर भी घटाई जा सकती है तथा जब x_2 उत्पादन बिन्दु प्राप्त किया जाता है तो संरक्षण पूर्णरूप से समाप्त किया जा सकता है। x_2 से आगे उद्योग की लागत विश्व कीमत से नीची होने के कारण यह उद्योग इस वस्तु का निर्यात करने लगेगा।

स्पष्ट है कि शिशु उद्योग तर्क ऐसी विभिन्न प्रकार की आन्तरिक व बाह्य मित-व्ययताओं की उपस्थिति पर आधारित है जिनका उपयोग नहीं हो पाया है। पैमाने



चित्र 10 4 . सिंगु उद्योग तक

की आन्तरिक निरन्तरताओं का तर्क इस बिन्दु पर ध्यान केंद्रित करता है कि नये उत्पादक को छोटे एवं गैर-आर्थिक पैमाने में उत्पादन प्रारम्भ करना पड़ता है एवं वह नोचो नापटों वाले विदेशी उत्पादकों के मजबूत टिकने में असमर्थ होता है। वेद्विन मन्त्रालय के परिणामानुसार उत्पादक पैमाने का विस्तार होगा एवं मनुकूलतम बिन्दु पर वह विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा।

प्रो० एल्डरवर्थ⁸ ने सिंगु उद्योग तक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्न बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है :—

प्रथम तो यह कि आन्तरिक निरन्तरताओं का तर्क निम्न ही उत्पादन की प्राथमिक अवस्था की हानियों की प्रतिकूलताओं से जुनना का प्रश्न है। वेद्विन यह मनन्या (प्रारम्भिक अवस्था में हानि रटाने की मनन्या) तो प्रत्येक फर्म के मजबूत होता है, चाहे वह आयात प्रतिस्पर्धा वाली बन्धु उत्पादित करे अथवा व्यापार में शामिल न होने वाली बन्धु। यदि विद्युत् प्रद्वित वैकल्पिक विनियोगों की जुनना में अधिक है तो फर्म अपनी प्रारम्भिक अवस्था की हानि को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि (funds) उधार लेगी और यदि वैकल्पिक विनियोगों की जुनना में उद्योग विदेश में विद्युत् प्रद्वित कम है तो फर्म विनियोग नहीं करेगी। क्या ऐसी स्थिति में सुधार आवश्यक है ?

8 Eldersyth, P T. & Lenth, J C.—International Economy (5th ed) pp. 246-47.

इस बिंदु पर शिशु उद्योग तक के पक्षधर यह इंगित करते हैं कि अल्प विकसित राष्ट्रों में पूँजी बाजार अविकसित होते हैं तथा उत्पादक को उत्पादन की प्रारम्भिक अवस्था की हानि वहन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उधार नहीं मिल सकेगी। अतः सरक्षण प्रदान किये जाने का औचित्य है।

ध्यान रहे कि इस बिंदु पर तक की प्रवृत्ति बदल गई है और यह तक शिशु उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने का तब न बना रहकर अल्प विकसित राष्ट्रों में पूँजी बाजारों के विकास के लिए तब बन जाता है। बाह्य मितव्ययताओं का तक शिशु उद्योग सरक्षण के पक्ष में यह इंगित करता है कि यद्यपि निजी प्रतिफल की दर के आधार पर उद्योग विशेष स्थापित करने का औचित्य नहीं है लेकिन सामाजिक प्रतिफल की दर के आधार पर इस उद्योग में विनियोग का औचित्य सम्भव है। इनका कारण यह हो सकता है कि सरक्षण प्रदत्त उद्योग के विस्तार से अर्थ फर्मों की लागतों में कमी हो सकती है क्योंकि उनके लिए सरक्षण प्रदत्त उद्योग प्रशिक्षित-श्रमशक्ति तैयार कर सनता है अथवा इससे अर्थ फर्मों को उत्पादन तकनीकों का विस्तार एवं गान प्राप्त हो सकता है। लेकिन इन क्रियाओं की लागतें व्यक्तिगत फर्मों को वहन करनी पड़ती हैं जबकि सामाजिक सभी फर्मों होती हैं। अतः यह तक दिया जाता है कि जब तक बाह्य मितव्ययतायें विकसित न हो जायें अस्थायी सरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

लेकिन पुनः ध्यान देने पर ज्ञात होता है कि तक की प्रवृत्ति बदल गयी है। इन परिस्थितियों में यह सामाजिक विनियोगों में सुधार के लिए तब बन जाता है न कि स्वयं सरक्षण के लिए।

शिशु उद्योग तक अब एक साथ कई उद्योगों के लिए अनुप्रयुक्त किया जाता है तो अतिरिक्त बाह्य मितव्ययताओं को सम्भावनाएँ विकसित होता है। सड़क में सुधार होता है रेलों का निर्माण होता है शक्ति के सयंत्र लगाय जाते हैं। तकनीकी एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ये ऐसी सुविधाएँ हैं जिनकी सभी उद्योगों को आवश्यकता होती है लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से किसी एक उद्योग के लिए इनका औचित्य नहीं है। लेकिन यहाँ तक सामाजिक ऊपरी विनियोग के लिए है न कि स्वयं सरक्षण के लिए।

यावजुह इस तथ्य के कि शिशु उद्योग तक विशिष्ट रूप से सरक्षण के लिए हो तक नहीं है (क्योंकि सरक्षण के अतिरिक्त भी बाजार में हस्तक्षेप के ऐसे तरीके हैं जो शिशु उद्योग के विकास की बाधाओं को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं) इस सामान्यतया प्रयुक्त के उत्पादन प्रभाव का माध्यम से वांछित उद्देश्य प्राप्त

कारण की अन्य विधियों के सदृश भी माना जाता है। लेकिन यहाँ भी सावधानी आवश्यक है क्योंकि प्रशुल्क के उपभोक्ता के हितों को घटाने वाले उपभोग प्रभाव भी पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में शिशु उद्योग संरक्षण से प्राप्त विशुद्ध लाभों में से हमें प्रशुल्क के उपभोग प्रभावों की लागत भी घटानी चाहिए। यह संरक्षणात्मक प्रशुल्क में ऐसी लागतें निहित हैं जो कि अन्य उपदान जैसी विधियों में नहीं होती हैं।

यह स्पष्ट है कि शिशु उद्योग तर्क मान्य तो है लेकिन यह सशर्त तर्क है तथा ये शर्तें (Qualifications) ऐसी हैं जिनसे उस तर्क का महत्त्व लगभग समाप्त सा हो जाता है। इस तर्क की मुख्य शर्तें निम्न हैं -

- (1) प्रथम तो यह कि यह तर्क ऐसे विकासशील राष्ट्रों के सदस्यों में ही उचित दर्शाया जा सकता है जहाँ पूँजी बाजार पूर्ण विकसित नहीं है औद्योगिक राष्ट्रों के सदस्यों में इस तर्क का विशेष महत्त्व नहीं है।
- (2) द्वितीय, यह पता लगाना बड़ा दुष्कर कार्य है कि किन शिशु उद्योगों में राष्ट्र का सम्भावित तुलनात्मक लाभ है तथा अनुभव से ज्ञात होता है कि संरक्षण प्रदान करने हेतु एक बार प्रशुल्क लगा देने पर उसे आसानी से समाप्त करना संभव नहीं होता है।
- (3) तृतीय, यह कि शिशु उद्योग को उपदान प्रदान कर संरक्षण देकर प्रशुल्क के उपभोग प्रभाव को टाला जा सकता है तथा बाद की अवस्था में उपदान को समाप्त करना भी अपेक्षाकृत आसान होता है।

सारांश में हम कह सकते हैं कि शिशु उद्योग तर्क अन्ततः शिशु उद्योगों के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए तर्क बनकर रह जाता है तथा यह इस तथ्य को नहीं दर्शाता है कि शिशु उद्योगों के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने की संरक्षण ही सर्वोत्तम विधि है।

(2) व्यापार की शर्तों में सुधार :—

व्यापार की शर्तों से अभिप्राय निर्यातों व आयातों के मूल्य-अनुपात $\left(\frac{P_x}{P_m} \right)$

से है। यदि किसी राष्ट्र के निर्यातों की कीमत में वृद्धि हो जाती है अथवा आयातों की कीमत घट जाती है तो व्यापार की शर्तें उस राष्ट्र के अनुकूल हो जाती हैं।

कोई राष्ट्र आयातों पर प्रशुल्क लगाकर निम्न दो शर्तें पूरी होने की स्थिति में

व्यापार की शर्तों को अनुकूल करने में सफल हो सकता है। प्रथम तो, यह कि सामने वाले राष्ट्र के अर्थ-वक्र को सोच अनन्त नहीं होनी चाहिए तथा द्वितीय शर्त यह कि सामने वाला राष्ट्र प्रतिशोध के रूप में प्रशुल्क न लगाये।

जब राष्ट्र विशेष प्रशुल्क लगाता है तो सामने वाले राष्ट्र को एक तरह से यह कहता है कि वह आयात कम करना चाहता है क्योंकि प्रशुल्क लगाने के पश्चात् वह राष्ट्र दो हुई निर्यातों की मात्रा के विनिमय में आयातों की इस अधिक मात्रा का कुछ हिस्सा सीमा शुल्क अधिकारियों का प्रशुल्क के रूप में भुगतान कर देता है।

इस तर्क को अर्थ-वक्र चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।*

यहाँ पर इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि विदेशी राष्ट्र का अर्थ-वक्र अनन्त लोच वाला नहीं है तो व्यापार की शर्तों को अनुकूल करने हेतु अनुकूलतम प्रशुल्क (Optimum Tariff) लगाना चाहिए। अनुकूलतम प्रशुल्क वह प्रशुल्क की दर है जो कि प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र को उसके उच्चतम सम्भव कल्याण के स्तर पर पहुँचा देती है।**

अतः स्पष्ट है कि सरक्षण के लिए व्यापार की शर्तों में सुधार का तर्क मान्य तो है लेकिन ऊपर बताई गयी दो शर्तें पूरी होने पर ही मान्य है।

प्रो० हैरी जॉन्सन⁹ (Harry Johnson) ने अपने प्रतिष्ठित लेख 'Optimum Tariffs and Retaliation' में यह दर्शाया है कि विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रतिशोध के रूप में प्रशुल्क लगाने के बावजूद भी प्रशुल्क द्वारा व्यापार की शर्तें पहले प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र के पक्ष में परिवर्तित हो सकती हैं।

प्रो० जॉन्सन ने अपने विश्लेषण में दो मान्यताएँ मानी हैं प्रथम, तो यह कि विदेशी राष्ट्र प्रतिशोध के रूप में इस आधार पर प्रशुल्क लगायेगा कि स्वदेशी राष्ट्र की प्रशुल्क अपरिवर्तित रहेगी तथा द्वितीय यह कि प्रत्येक राष्ट्र की आयातों की मात्रा

* प्रशुल्क के व्यापार की शर्तों पर प्रभाव के अर्थ-वक्र द्वारा स्पष्टीकरण हेतु अध्याय 6 के चित्र 6 1, 6 2 व 6 3 का अध्ययन कीजिए।

** अनुकूलतम प्रशुल्क की अवधारणा के विस्तृत विवेचन हेतु देखिये अध्याय—8

9 Johnson, H G —'Optimum Tariffs and Retaliation'—International Trade & Economic Growth —Studies in the Pure Theory—Chap 2

उसकी व्यापार की शर्तों के सापेक्ष के रूप में लोचदार हो ताकि प्रशुल्क के परिणाम-स्वरूप प्रत्येक राष्ट्र के आयातों में कटौती हो सके।

(3) घरेलू बाजार में विकृतियाँ

(Distortions)

घरेलू अर्थव्यवस्था में विकृतियों के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा एवं स्वतंत्र व्यापार की स्थिति की तुलना में कम लाभ प्राप्त होने हैं। यह तर्क शिशु उद्योग तर्क की भाँति अस्थायी संरक्षण के बजाय स्थायी संरक्षण के लिये तर्क है। घरेलू बाजार में विकृतियाँ उत्पादन में बाह्य मितव्ययताओं का पूरा उपयोग न होने के रूप में, एकाधिकार एवं एकाधिकारी कीमतों के रूप में अथवा साधन बाजार में असाम्य के रूप में विद्यमान हो सकती हैं तथा इन विकृतियों को प्रशुल्क द्वारा समाप्त किया जा सकता है।


मान लीजिये कि उत्पादन में बाह्य मितव्ययताओं के परिणामस्वरूप वस्तु विशेष को उत्पादित करने की निजी तथा सामाजिक लागतों में अन्तर विद्यमान है जैसा कि चित्र 10.5 में Sp तथा Ss वक्रों की भिन्नताओं द्वारा दर्शाया गया है। इस वस्तु की स्वतंत्र व्यापार कीमत OP_1 एवं उत्पादन OX_1 है लेकिन यदि घरेलू उत्पादन वास्तविक लागतों द्वारा शासित हो तो उत्पादन OX_2 होना चाहिये। अतः इस विकृति को दूर करने हेतु विकृति के बराबर $P_1 - P_2$ प्रशुल्क लगा दिया जाता है। इस प्रशुल्क के परिणामस्वरूप उत्पादक घरेलू उत्पादन को X_2 बिन्दु तक बढ़ा देते हैं जिसके परिणामस्वरूप निजी एवं सामाजिक लागतों की विकृति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। (चित्र में Sp तथा Ss वक्र क्रमशः निजी एवं सामाजिक लागतों का प्रतिनिधित्व करते हैं)

लेकिन यह तर्क भी सशर्त है। क्योंकि इस सबध में सामान्य नियम यह है कि घरेलू बाजार की विकृतियों को घरेलू नीतियों द्वारा ही सही करना चाहिए। अतः इस तरह की घरेलू विकृति को करो अथवा उपदानों द्वारा दूर किया जाना चाहिए ताकि संरक्षण के उपयोग प्रभाव को टाला जा सके।

(4) राशिपातन को रोकने का तर्क

(Antidumping)

राशिपातन रोकने के उपकरण के रूप में संरक्षण प्रदान करने के तर्क को भी सशर्त तर्कों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इस तर्क को जीव करने हेतु हमें राशिपातन के अर्थ, प्रकार व प्रभावों का ज्ञान होना आवश्यक है।



चित्र 10.5 : घरेलू विहृति को दुरस्त करना : उद्योग बनाम प्रभुत्व

राशिपातन का अर्थ

(Definition of the Concept of Dumping)

राशिपातन से अभिप्राय स्वदेशी बाजार को तुलना में विदेशी बाजार में वस्तु को कम मूल्य पर बेचने से है। हेबरलर¹⁰ (Haberler) के अनुसार "राशिपातन शब्द का अभिप्राय तबतक सर्वत्र ही यह लयाना जाता है कि किसी वस्तु को विदेशों में उन कीमत पर बेचा जाय जो कि उनी वस्तु को उनी समय व उन्हीं परिस्थितियों में (अर्थात् मुद्रानत आदि को समान दशाओं में) आयातक व्यय के अन्तर्गत को ध्यान में रखते हुए, देश की विक्रय कीमत से कम हो।"

राशिपातन की इनी से निम्नी-मुद्रती परिभाषा प्रो० एल्स्वर्थ¹¹ (Ellsworth) ने दी है, उनके अनुसार "राशिपातन का अर्थ विदेशों में उत्पादन लागत से कम पर मान बेचना नहीं है। अस्तितु इसका अर्थ परिवहन व्यय, प्रभुत्व व अन्य सभी हस्ता-

10. Haberler, G.V.—The theory of International Trade—p. 296.

11. Ellsworth, P.T. & Leith, J.C.—The International Economy (5th ed.) p. 250.

तरण लागतो के समायोजन के पश्चात् वस्तु को विदेशी बाजार में घरेलू बाजार में प्रात कीमत से कम कीमत पर बेचना है।”

लेकिन आर्थिक सिद्धान्तों के दृष्टिकोण से प्रो० जैकब वाइनर¹² (Jacob Viner) ने राशिपातन की निम्न सामान्य परिभाषा प्रदान की है।

“राशिपातन दो बाजारों में कीमत विभेद है।”

राशिपातन के लिए आवश्यक शर्तें

(Necessary Conditions for Dumping)

प्रो० हेबरलर ने राशिपातन लागू होने के लिए निम्न दो आवश्यक शर्तें बताई हैं :—

(1) वस्तुओं के पुनः स्वदेश में लौटने पर रोक होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसी रोक नहीं लगाई गयी तो स्वदेशी उपभोक्ता वस्तुओं की नीची कीमत वाले विदेशी बाजारों से क्रय करना प्रारम्भ कर देंगे। यदि दोनों राष्ट्रों में प्रचलित कीमत अन्तर मामूली है तो परिवहन लागतों इस प्रकार के वस्तुओं के स्वदेश लौटने पर रोक लगा देगी लेकिन यदि दोनों राष्ट्रों की कीमतों का अन्तर बहुत अधिक है तो घरेलू बाजार को संरक्षण प्रदान करने हेतु प्रशुल्क लगाना आवश्यक हो जाता है। यदि विरल (Sporadic) राशिपातन है तब तो स्वदेश में क्रेता मिलने की अनिश्चितता वस्तुओं के स्वदेश लौटने पर पर्याप्त रोक होगी लेकिन यदि सतत (Persistent) राशिपातन है तो आयात प्रशुल्क लगाना आवश्यक हो जाता है।

(2) दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि स्वदेशी बाजार में इस वस्तु का विक्रेता एकाधिकारी होना चाहिए क्योंकि यदि स्वदेशी बाजार पूर्ण प्रतियोगिता वाला है तो उत्पादक उम वस्तु विशेष की कीमत को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होगा एवं उसे बाजार में प्रचलित मूल्य स्वीकार करना होगा।

अतः अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार की स्थिति राशिपातन के लिए दूसरी आवश्यक शर्त है चाहे ऐसा एकाधिकार आकार के द्वारा उत्पन्न किया जाये अथवा एक कार्टेल (cartel) के रूप में सृजित किया जाये।

राशिपातन के विभिन्न रूप

(Different forms of Dumping)

राशिपातन को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है :—

12 Viner, J.—Dumping, p. 5 Quoted in Haberler Op Cit, p 296-97.

- (1) सतत राशिपातन (*Persistent dumping*)
- (2) परमक्षक राशिपातन (*Predatory dumping*) तथा
- (3) विरल राशिपातन (*Sporadic dumping*)

(1) सतत राशिपातन

(*Persistent Dumping*)

सतत राशिपातन मतलब लागू रहने वाला राशिपातन है। यदि विदेशी बाजार में वस्तु की माँग की लोच एकाधिकार वाले स्वदेशी बाजार में माँग की लोच से अधिक है तो विदेशी बाजार में स्वदेशी बाजार की तुलना में नीची कीमत पर वस्तु का विक्रय करने से एकाधिकारी का लाभ अधिकतम होगा। इस प्रकार का राशिपातन दीर्घकाल तक लागू रह सकता है।

स्पष्ट ही है कि दीर्घकालीन राशिपातन हानि उठाकर जारी नहीं रखा जा सकता अर्थात् वस्तु को सीमान्त लागत से कम कीमत पर निरन्तर नहीं बेचा जा सकता है अतः लाभप्रद सतत राशिपातन तभी सम्भव है जब निम्न भवें पूर्ण हो —

(a) जब उत्पादन में प्रयुक्त स्थिर पूँजी का पूरा उपयोग नहीं हो रहा हो तथा निर्यात द्वारा प्रति इकाई उत्पादन लागत घटती हुई हो तो स्वदेशी कीमत, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नहीं है, सीमान्त लागत से ऊँची बनी रहती है एवं निर्यात कीमत कम से कम सीमान्त लागत के बराबर बनी रहे अन्यथा वस्तु हानि उठाकर निर्यात की जायेगी। इस प्रकार का राशिपातन सामान्यतया तभी सम्भव है जब उत्पादन में घटती हुई लागतों का नियम क्रियाशील हो। इस प्रकार का राशिपातन बड़े ट्रस्टों व कार्टलों द्वारा किया जाता है।

(b) यदि राज्य अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा निर्यात सहायता प्रदान की जा रही हो तो उत्पादक सीमान्त लागत से कम मूल्य पर वस्तु बेचकर भी दीर्घकाल तक राशिपातन जारी रख सकता है।

(2) परमक्षक राशिपातन

(*Predatory Dumping*)

परमक्षक राशिपातन के अन्तर्गत विदेशी बाजार हथियाने के उद्देश्य से अथवा प्रतिद्वेषिता नष्ट करने के उद्देश्य से कुछ समय के लिए विदेशी बाजार में हानि उठाकर भौतिक लागत से कम कीमत पर वस्तु का विक्रय किया जाता है। परमक्षक राशिपातन के अन्तर्गत विदेशी बाजार स्थापित कर लेने का अथवा प्रतिद्वेषिता को पछाड़ देने का

उद्देश्य पूरा होने के बाद विदेशों में कीमत पुनः बढ़ा दी जाती है ताकि नयी अर्जित एकाधिकारी शक्ति का पूर्ण लाभ उठाया जा सके।

(3) विरल राशिपातन

(Sporadic Dumping)

आकस्मिक अथवा विरल राशिपातन के अन्तर्गत ऐसा माल जिसे स्वदेशी बाजार में नहीं बेचा जा सकता है उसे बेचने हेतु राशिपातन किया जाता है। सामान्यतया विक्रय मौसम के अन्त में बची-बूची प्रति को निकालने हेतु राशिपातन द्वारा विदेशी बाजार में मीची कीमत पर वस्तुएँ बेचने की प्रक्रिया को ही विरल राशिपातन कहा जाता है।

राशिपातन के प्रभाव

(Effects of Dumping)

राशिपातन के प्रभावों का पहले हम आयातकर्ता राष्ट्र के दृष्टिकोण से विवेचन करेंगे तथा बाद में निर्यातकर्ता राष्ट्र के दृष्टिकोण से।

1. आयातकर्ता राष्ट्र पर राशिपातन का प्रभाव :—

राशिपातन का सर्वाधिक विरोध उन राष्ट्रों द्वारा किया जाता है जिनमें वस्तुएँ राशिपतित (dump) की जाती हैं। लेकिन सामान्यतया राशिपतित आयातों का आवश्यकता से अधिक विरोध किया जाता है। यदि राशिपतित आयात ऐसी कीमत पर प्राप्त हो रहे हैं जो कि निर्यातकर्ता राष्ट्र में ली जाने वाली कीमत अथवा उत्पादन लागत से कम है तो भी आयातकर्ता देश को किसी भी रूप में हानि नहीं होगी बशर्ते कि सस्ते आयात भविष्य में भी जारी रहें।

आयातकर्ता राष्ट्र के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण नहीं है कि निर्यातकर्ता राष्ट्र को प्राकृतिक रूप से तुलनात्मक लाभ है इसलिए वस्तु मस्ती प्राप्त हो रही है अथवा वह राष्ट्र राशिपातन कर रहा है इसलिए मस्ती प्राप्त हो रही है न ही इस बात का कोई महत्व है कि राशिपातन विदेशी एकाधिकार के कारण ही रहा है अथवा विदेशी सरकार द्वारा प्रदत्त निर्यात अनुदान (subsidies) के कारण ही रहा है। इनमें से कोई भी परिस्थिति स्वतंत्र व्यापार के मूल तर्कों का उल्लंघन नहीं करती है। उपर्युक्त परिस्थितियों का केवल इतना ही महत्व है कि इनमें यह ज्ञात होता है कि ऐसा राशिपातन लम्बे समय तक निरन्तर जारी रह पायेगा अथवा नहीं।

विदेशी निर्यातक द्वारा निर्यात वस्तु के उत्पादन में प्राकृतिक लाभ के कारण, विदेशी एकाधिकारी की राशिपातन की नीति द्वारा सम्भव राशिपातन की तुलना में, आयातकर्त्ता राष्ट्र को अधिक लम्बी अवधि तक सस्ते आयात प्राप्त हो सकते हैं क्योंकि विदेशी एकाधिकारी की राशिपातन की नीति से किया गया राशिपातन तो किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है।

राशिपातन तब ही हानिकारक है जब यह दौर (spasms) के रूप में हो और प्रत्येक दौर इतनी अवधि तक जारी रहे कि आयातकर्त्ता राष्ट्र में उत्पादन का परिवर्तन (shifting) सम्भव हो गया हो तथा राशिपातन समाप्त होने पर उस परिवर्तन को उलटना पड़े। ऐसा अनियमित (intermittent) राशिपातन आयातकर्त्ता राष्ट्र के लिए प्रतियोगी उद्योग न होने की स्थिति में भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है क्योंकि इससे सस्ते आयात उपयोग में लेने वाले एक ऐसे उद्योग की स्थापना हो जाती है जिसका सस्ते आयात बन्द होते ही जीवित रहना असम्भव हो जायेगा। इसके विपरीत यदि आयात वस्तु उपभोक्ता वस्तु है तो राशिपातन के कारण माँग में विवर्ति होगी जिसे राशिपातन समाप्त होने पर पुन पलटना पड़ेगा अतः इससे हानि होगी। ऐसा 'गलाघोट राशिपातन' (Cut throat dumping) निश्चय ही घातक होता है जिसका उद्देश्य प्रतियोगियों को पछाड़कर ऊँची एकाधिकारी कीमत पर वस्तुएँ बेचना ही लेकिन ऐसा राशिपातन व्यवहार में कम ही पाया जाता है क्योंकि ऐसा कीमन युद्ध काफी महँगा पड़ता है तथा इस बात का भी निरन्तर खतरा बना रहता है कि कानूनी हस्तक्षेप के कारण एकाधिकारी अपनी महँगी विजय के लाभों से वंचित न रह जाये।

2. निर्यातकर्त्ता राष्ट्र पर राशिपातन का प्रभाव :—

अब हम निर्यातकर्त्ता राष्ट्र के दृष्टिकोण से राशिपातन के प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

यदि स्वदेशी बाजार में एकाधिकार अवश्यम्भावी है तो राशिपातन तभी लाभप्रद होगा जबकि इससे स्वदेशी राष्ट्र के उपभोक्ताओं को वस्तु कुछ नीची कीमत पर उपलब्ध हो सके लेकिन ऐसा तभी सम्भव है जबकि उत्पादन में घटती हुई सीमान्त लागत की स्थिति विद्यमान हो।

इसके विपरीत यदि उत्पादन में बढ़ती हुई लागतों की स्थिति विद्यमान है तो राशिपातन के परिणामस्वरूप स्वदेशी उपभोक्ताओं के लिए निर्यात वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जायेगी। ऐसी स्थिति में सही निर्णय लेने हेतु हमें राशिपातन के परिणाम-

स्वरूप निर्यात वस्तु की कीमत में वृद्धि से उपभोक्ताओं के अतिरेक में होने वाली कमी व उत्पादकों के अतिरेक में होने वाली वृद्धि को तुलना करना पड़ती है। प्रो० वाइलर¹³ (Viner) का शब्द है कि वे यह साबित कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं के अतिरेक में कमी की तुलना में उत्पादकों के अतिरेक में वृद्धि कम होती है। यदि ऐसा होता है तो राशिपातन द्वारा स्वदेशी कीमत में वृद्धि होना की दशा में इसे हानि-कारक ही माना जाना चाहिए।

उत्पादक वस्तुओं के राशिपातन पर सदैव ही अधिक ध्यान दिया जाता रहा है। स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर सदैव ही यह दर्शाते रहे कि राशिपातन से आयातकर्ता राष्ट्र लाभान्वित होते हैं और यह सत्य भी है। लेकिन हम तो यह देखना है कि निर्यातकर्ता राष्ट्र के दृष्टिकोण से राशिपातन के बारे में निर्णय कैसे किया जाय। पूँजीगत सामान के राशिपातन से आयातकर्ता राष्ट्रों में अनेक ऐसे उद्योग स्थापित हो जाते हैं जो कि निर्यातकर्ता राष्ट्र के उद्योगों के सस्ते पूँजीगत माल से निर्मित माल के बाजार में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से राशिपातन निर्यातकर्ता राष्ट्र के लिए हानिप्रद ही होता है इस तरह की हानि से बचने के दो उपाय हैं —

(a) ऐसी वस्तुओं की घरेलू एकाधिकारी कीमत घटा दी जाती है जिन्हें निर्यात रूप में निर्यात किया जा सकता है तथा इन्हें अधिक निर्मित रूप (more finished form) में निर्यात किया जाता है, तथा

(b) समानीकरण शुल्क (Equalising duty) द्वारा स्वदेशी उद्योगों के लिए घरेलू बाजार मुनिश्चित कर दिया जाता है।

निष्कर्ष रूप में हम मेयर¹⁴ (Mayer) से सहमति व्यक्त करते हुए कह सकते हैं कि राशिपातन अर्थात् विदेशों में नीची कीमत पर माल बेचना इतना हानिप्रद नहीं है जितना कि घरेलू बाजार पर एकाधिकार एवं इसके परिणामस्वरूप ऊँची कीमत स्थापित होना है। स्वदेशी बाजार में एकाधिकार की स्थिति में राशिपातन का अपक्ष-हित मामूली महत्त्व है और यह लाभप्रद भी हो सकता है तथा हानिप्रद भी।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि परभक्षक राशिपातन (predatory dumping) सर्वाधिक घातक होता है अतः ऐसे राशिपातन को रोकने हेतु संरक्षण प्रदान

13. प्रो० वाइलर ने प्रो० हबर्लर को लिखी एक पत्रिका में अपना यह दृष्टिकोण व्यक्त किया है। देखिये—

Haberler, G V —The Terms of International Trade, P 315

14. देखिए :—

Haberler, G V —Op cit, p 317

करना उचित ठहराया जा सकता है लेकिन वास्तविक राशिपातन परमशत्रु राशिपातन है अथवा सतत या विरल राशिपातन यह निर्णय लेना बड़ा ही दुष्कर कार्य होता है।

हाल ही के वर्षों में जापान को अमेरिका के बाजारों में इस्पात व दूरदर्शन का राशिपातन करने का दोषी ठहराया गया है। इसी प्रकार यूरोपीय राष्ट्रों पर अमेरिका के बाजारों में कारों का राशिपातन करने का आरोप भी लगाया जाता रहा है। अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र अपने कृषि समर्थक कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त कृषि माल का प्रायः राशिपातन करते रहते हैं। जब यह साबित हो जाता है कि राष्ट्र विशेष राशिपातन कर रहा है तो सामान्यतया निर्यातकर्ता राष्ट्र कीमत बढ़ाने को तैयार हो जाते हैं ताकि उन्हें आयात प्रशुल्कों का सामना न करना पड़े। उदाहरणार्थ, जापान के दूरदर्शन निर्यातकों ने सन् 1977 में अमेरिका में दूरदर्शन सेटों की कीमत बढ़ा दी थी।

(5) सौदाबाजी

(Bargaining)

बहुधा प्रशुल्क अथवा संरक्षण द्वारा अन्य राष्ट्रों से सौदेबाजी भी की जाती है। कई बार यह पाया गया है कि दो राष्ट्रों के आपसी व्यापार में अत्यधिक प्रशुल्क लगायी जाती है, अतः प्रमुख समस्या स्वतंत्र व्यापार की घोर अपसर होने की होती है। ऐसी स्थिति में दो राष्ट्र एक दूसरे को प्रशुल्क की छूट देकर सौदेबाजी कर सकते हैं।

लेकिन जैसा कि उपर्युक्त तर्कों से स्पष्ट है कि सौदेबाजी के लिए पहले प्रशुल्क लगाओ तथा फिर सौदेबाजी द्वारा प्रशुल्क कम करो यह व्यावहारिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र व्यापार की नीति अपनाते वा उत्तम तरीका नहीं कहा जा सकता फिर भी प्रशुल्क सौदों से सम्बद्ध सस्था गैट (GATT) के दायरे के समझौतों के अंतर्गत अन्य राष्ट्रों से प्रशुल्क की छूट प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि राष्ट्र स्वयं अन्य राष्ट्रों को भी प्रशुल्क की छूट दे। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सौदेबाजी के तर्कों का कुछ महत्त्व अवश्य प्रतीत होता है। लेकिन यह तर्क भी एक तरह का सशर्त तर्क है क्योंकि यह सौदेबाजी करने वाले राजनेताओं पर निर्भर करेगा कि वे इस उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

(6) राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क

एडम स्मिथ ने करीब 200 वर्ष पूर्व लिखा था कि समृद्धि से सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है (Defence is more important than opulence)। वर्तमान युग में प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बनना पसन्द करता है, अतः ऐसे उद्योगों

को मर्यादा प्रदान करने के लिए उन्हें प्रोत्सुत किया जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टि में महत्वपूर्ण है।

प्रो० एल्सवर्थ (Ellsworth) ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य की दृष्टि से जीव करने हुए सुरक्षा उद्योगों को संकीर्ण व विस्तृत रूप में परिभाषित किया है।

यदि 'आवश्यक उद्योगों' को संकीर्ण रूप में परिभाषित करके तकनीकी सैन्य सामान जैसे-राइफल, रिमफोटक सामान, लडाकू विमान व अन्य आनुषंगिक कारखानों (ordnance factories) को इनमें शामिल किया जाये तो इन उद्योगों को मर्यादा प्रदान करने के अन्य कम सामयिक लक्ष्यों के भी उपलब्ध है। ऐसे उद्योगों को राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम के अंग के रूप में चनाया जाना चाहिए तथा उन्हें राष्ट्रीय बजट में से महारकता (bounties) दी जानी चाहिए। अन्य आवश्यक उद्योगों को मर्यादा आवश्यकता पूरी करने वाले अन्य आनुषंगिक कार्यों में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। जनता की ऑप्टिकल उपकरणों (optical instruments) व इन जैसे अन्य उपकरणों की आवश्यकताओं की पूर्ति आयातों द्वारा प्रयत्न स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में विद्यमान धरतु निम्नी उपकरणों द्वारा की जाती रहेगी। वैकल्पिक रूप से महारकता (bounties) को उम स्तर पर बढाने रखा जा सकता है जिस पर सैन्य आवश्यकताएँ ठीक-ठीक पूरी हों मकें प्रयत्न ऐसी महारकता को मार्गी बढाना की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्तृत किया जा सकता है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का लक्ष्य प्रोत्सुक के प्रभाव प्राप्त करने हेतु उपदान (subsidy) के लिए लक्ष्य है न कि प्रोत्सुक के लिए जिसमें कि उपभोक्ताओं को भी हानि होती है। इसके अनिश्चित ग्यास के दृष्टिकोण से भी संरक्षण को तुलना में उपदान उत्तम है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक उद्योग राष्ट्र में पनपाने के लिये राष्ट्र के सभी नागरिक भोगने हैं, अतः इन उद्योगों को सामान्य बजट में से महारकता दी जानी चाहिए। इसके विपरीत यदि सुरक्षा उद्योगों को मर्यादा द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है तो ऐसे संरक्षण की सामयिक इन उद्योगों द्वारा उत्पादित लाभ के धरतु उपभोक्ताओं को ही बहन करनी पड़ेगी।

अतः सुरक्षा उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना तो उचित ही प्रतीत होता है लेकिन ऐसा मर्यादा उपदान (subsidies) द्वारा प्रदान करना एक उन्वृष्ट विकल्प है।

(b) प्रश्नात्मक तर्क
(Questionable Arguments)

सरक्षण के पक्ष में दिये गये प्रश्नात्मक तर्कों में दो प्रमुख हैं, प्रथम तो रोजगार तर्क तथा द्वितीय भुगतान समुलन तर्क ।

(1) रोजगार तर्क :—

तीसा की भयंकर बेरोजगारी की अवधि में यह तर्क काफी प्रचलित था कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए सरक्षण एक प्रभावी उपाय हो सकता है । यह तर्क भी पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की अनुपस्थिति पर आधारित है क्योंकि बेरोजगारी की स्थिति में अर्थव्यवस्था रूपान्तरण चक्र के अन्दर के किसी बिन्दु पर उत्पादन कर रही होती है । प्रशुल्क आयात प्रतिस्पर्धात्मक (Import competing) उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार में वृद्धि करेगी, इस केन्द्र बिन्दु (focus) से रोजगार सृजन प्रभाव सदैव प्रसारित (ever widening) लेकिन ह्रासमान तरंगों द्वारा अन्य उद्योगों में भी रोजगार प्रभाव सृजित करेगा । आयात प्रतिस्थापन वस्तुधा की उत्पादित करने वाली क्रियाओं में भी विनियोग होना सम्भव है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन की द्वितीय तरंग भी गतिमान होगी ।

प्रशुल्क का रोजगार तर्क स्वयं में मान्य तर्क है, लेकिन क्या यह रोजगार प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है, यह सन्देहास्पद है ।

प्रथम तो यह कि रोजगार प्रदान करने का यह तरीका शायद अत्यधिक प्रभावी साबित न हो क्योंकि यदि प्रशुल्क द्वारा आयातों में कटौती की जाती है तो इसका अभिप्राय यह है कि उन राष्ट्रों के व्यापार भागीदारों के निर्यातों में उतनी कमी हो जायेगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार भागीदार राष्ट्रों में बेरोजगारी फैलन लगती है । जैसे-जैसे व्यापार भागीदार राष्ट्रों में रोजगार व आय में कमी होगी, उनका आयातों पर व्यय भी घटेगा जो कि प्रशुल्क लगाने वाले राष्ट्र के निर्यात हैं । यद्यपि यह सम्भव है कि इस विदग्ध आय परिवर्तन प्रभाव (repercussion) से निर्यातों में होने वाली कमी हमारी प्रारम्भिक आयातों की कमी से कम बनी रहे, लेकिन फिर भी यह प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है ।

द्वितीय, अन्य राष्ट्रों द्वारा प्रतिघोष के रूप में लगायी गयी प्रशुल्क द्वारा हमारे निर्यातों में प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण कटौती हो सकती है, क्योंकि प्रशुल्क द्वारा रोजगार में वृद्धि करना वास्तव में उस राष्ट्र से अन्य राष्ट्रों को बेरोजगारी का निर्यात करने के

समकक्ष है। अतः इस प्रकार की नीति निश्चय ही विदेशों में रोप एवं प्रतिकारात्मक उपायों की जन्म देगी।

तृतीय, प्रशुल्क द्वारा रोजगार प्रदान करने के परिणामस्वरूप उत्पादन कारकों का स्थायी रूप से पुनरावटन हो जाता है जबकि बेरोजगारी की समस्या निश्चय ही एक अल्पकालीन चक्रीय समस्या है। ऐसा इसलिए होता है कि एक बार प्रशुल्क लगाने के बाद उस हंगना आसान नहीं होता है।

अन्त में, इस और भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रशुल्क का केवल उत्पादन पर ही प्रभाव नहीं होता अपितु इसका उपभोक्ताओं के सतों पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि बेरोजगारी की समस्या हल करने का प्रशुल्क एक महँगा उपाय है। कहीं हम अत्यधिक ऊँची कीमत पर तो बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यह संभव है कि नये रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि को तुलना में बेरोजगारी की अवस्था में जाने वाले व्यक्तियों की वास्तविक आय की कमी अधिक हो। इस संबंध में रोबिन्स (Robbins) के विचार बड़े ही स्पष्ट हैं उनके अनुसार "आर्थिक नीति का प्रमुख उद्देश्य बेरोजगारी का उपचार नहीं है अपितु सामाजिक लाभांश (Social Dividend) में वृद्धि करना है यदि बेरोजगारी का उपचार करने से, यह उद्देश्य प्राप्त होता है तो ठीक है लेकिन यदि बेरोजगारी का उपचार करने हेतु ऐसे उपाय अपनाये जाते हैं जो कि लाभांश में वृद्धि के लिए हानिकारक (inimical) हैं तो ऐसे उपायों की वाछनीयता और अधिक सन्देहास्पद है।"¹⁶

वैकल्पिक रूप से बेरोजगारी कम करने हेतु मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों का उपयोग किया जा सकता है। यदि ये नीतियाँ प्रभावी साबित होती हैं तो इनके परिणामस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि के साथ-साथ आयान्तों में भी वृद्धि होगी, आयान्तों की इस वृद्धि से भुगतान सन्तुलन में घाटा उत्पन्न हो सकता है एवं धारित निधि की हानि हो सकती है। लेकिन बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि बेरोजगारी पूर्णतया स्थानीय है अथवा विश्वव्यापी, यदि बेरोजगारी स्थानीय है, तथा आय व रोजगार मात्र पूर्व विद्यमान स्तर पर पहुँच रहे हैं तो इसके परिणामस्वरूप भुगतान सन्तुलन से संबंधित कठिनाई उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। इसके विपरीत यदि बेरोजगारी विश्वव्यापी है तथा अन्य राष्ट्र भी विस्तारवादी मौद्रिक व राजकोषीय नीतियाँ

अपना रहे हैं तो मभी राष्ट्रों की आय व रोजगार में एक साथ वृद्धि होगी तथा किसी भी राष्ट्र को आरक्षित निधि की हानि वहन करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि अन्य राष्ट्र विस्तारवाली नीतियाँ नहीं अपनाते हैं एव विचाराय राष्ट्र भकेला ही विस्तारवाली नीति अपना रहा है तो भी इस समस्या का समाधान प्रशुल्क नहीं है क्योंकि समस्या आयाता का स्तर कम करने की नहीं है बल्कि आयातों की वृद्धि को नियंत्रित करने की है अतः इस स्थिति में विस्तारवाली आन्तरिक नीतियों के साथ आयातों पर प्रत्यक्ष मात्रात्मक सीमा लगानी उपयुक्त उपाय होगा। इससे विस्तारवाली नीतियों के परिणामस्वरूप आय की वृद्धि के बावजूद भी आयात स्थिर बने रहेंगे। इसके विपरीत प्रशुल्क तुरन्त ही आयातों को कम करके विदेशी राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ देगी। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष नियंत्रण यदि भुगतान सतुलन की सुरक्षा के लिए लगाये गये हैं तो उन्हें कुछ समय पश्चात् हटाये जाने की भी संभावना बनी रहती है जबकि प्रशुल्क को एक बार लगाने के बाद हटाना काफी कठिन होता है।

(2) भुगतान सतुलन तक —

रोजगार तर्क से मिलता जुलता ही संरक्षण का भुगतान सतुलन तक है। भुगतान सतुलन तर्क के पक्षधर राष्ट्र के भुगतान सतुलन के घाटे को दुरुस्त करने हेतु संरक्षण प्रदान करने का तर्क प्रस्तुत करते हैं। यह तो सही है कि आयात प्रशुल्क व अन्य प्रतिबन्धों द्वारा आयातों में कटौती की जा सकती है लेकिन प्रशुल्क के भुगतान सतुलन प्रभाव को केवल प्रारम्भिक प्रभाव (initial effect) ही माना जा सकता है अन्तिम प्रभाव (final effect) नहीं।

प्रथम तो यह कि ऐसी नीति अपनाने से विदेशी राष्ट्र प्रतिशोध के रूप में प्रशुल्क लगाकर हमारे निर्यातों में कटौती कर सकता है। द्वितीय, यह कि प्रशुल्क का भुगतान सतुलन पर अन्तिम प्रभाव आयातों व निर्यातों में परिवर्तन के दोनों राष्ट्रों की आय पर प्रभावों द्वारा निर्धारित होगा।

अतः राष्ट्र के भुगतान सतुलन का घाटा दुरुस्त करने हेतु उपयुक्त मौद्रिक, राजकोषीय व व्यापार नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए न कि संरक्षण की नीति।

(c) प्रशुल्क के लिए मिथ्या तर्क (Fallacious Arguments for protection)

—संरक्षण के पक्ष में अनेक ऐसे तर्क दिये जाते हैं जिन्हें मिथ्या तर्कों की संज्ञा दी जा सकती है, ऐसे कुछ तर्कों का विश्लेषण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।—

(1) दिवालिये धम का तर्क

(Pauper Labour argument)

यह तो सर्वविदित ही है कि भिन्न राष्ट्रों में मजदूरी की दरें भिन्न-भिन्न पायी जाती हैं। उदाहरणार्थ, अमेरिका के श्रमिक की औसत मजदूरी ब्रिटेन के श्रमिक से दुगुनी, इटली के श्रमिक से त्रिगुनी व भारतीय श्रमिक से पन्द्रह गुनी अधिक है। अतः ऊँची मजदूरी वाले राष्ट्र इस आधार पर संरक्षण प्रदान करना चाहते हैं कि वे अन्य राष्ट्रों के 'दिवालिये' श्रमिक की प्रतिस्पर्धा से स्वदेशी श्रमिकों को संरक्षण प्रदान कर सकें।

अमेरिका में प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि यदि अमेरिका अपने धन वाले राष्ट्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का आयात करता है तो अमेरिका के महँगे धम द्वारा उत्पादित माल प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पायेगा। अतः अमेरिका में मजदूरी दरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा अमेरिका के श्रमिकों का जीवन स्तर गिर जायेगा।

लेकिन यह निष्कर्ष निकालना कि ऊँची मजदूरी वाला राष्ट्र नीची मजदूरी वाले राष्ट्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता मुख्यतः पूर्ण विचार ही कहा जा सकता है। इस मस्य में दो बातें ध्यान में रखनी आवश्यक हैं :—

प्रथम तो यह कि ऊँची मजदूरी होने से सामन भी ऊँची हो यह आवश्यक नहीं है क्योंकि ऊँची मजदूरी वाले राष्ट्र में यदि धम की उत्पादकता भीर भी अधिक ऊँची है तो महँगे धम वाले राष्ट्र में अपने धम वाले राष्ट्र की तुलना में उत्पादन लागत नीची बनी रह सकती है।

द्वितीय, यह कि यदि ऊँची मजदूरी वाले राष्ट्र में उत्पादकता कई गुना अधिक नहीं है तब भी यह संभव है नीची मजदूरी वाला राष्ट्र धमगहन वस्तुओं के उत्पादन में तथा ऊँची मजदूरी वाला राष्ट्र पूँजी गहन वस्तुओं के उत्पादन में विजिष्टीकरण करे एवं दोनों ही राष्ट्र तुलनात्मक लागत के आधार पर व्यापार में लाभ अर्जित करे।

अतः स्पष्ट है कि दिवालिये धम का तर्क पूर्णतया निर्या है।

(2) घरेलू बाजार के विस्तार का तर्क

(Enlargement of the home market argument)

कई बार यह तर्क दिया जाता है कि यदि राष्ट्र के निर्माण उद्योगों को संरक्षण

प्रदान किया जाता है तो इससे औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि के परिणामस्वरूप कृषि पदार्थों के बाजार का विस्तार होगा।

लेकिन आयात प्रतिस्थापन द्वारा औद्योगिक श्रमिकों की क्रय शक्ति में वृद्धि होने के साथ-साथ विदेशी क्रेताओं की क्रय शक्ति में कमी होगी क्योंकि विदेशी राष्ट्र की निर्यातों से आय घट जायेगी। अतः विदेशी क्रेताओं के स्थान पर घरेलू क्रेताओं का प्रतिस्थापन मात्र कृषि-पदार्थों के बाजार का विस्तार नहीं कहा जा सकता है। साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि निर्मित माल को सुरक्षण प्रदान करने से कृषक को निर्मित माल के उपभोक्ता के रूप में हानि बहन करनी होगी। इसके प्रतिरिक्त इस तक से ऐसा आभास होता है कि मानो प्रशुल्क द्वारा विस्तृत घरेलू बाजार विश्व बाजार से भी बड़ा हो जायेगा।

अतः स्पष्ट है कि बाजार का विस्तार का तर्क मिथ्या तर्क है क्योंकि इस उद्देश्य से लगाई गयी प्रशुल्क से न तो बाजार का विस्तार होता है और न ही कृषक को कोई लाभ। वास्तव में ऐसे प्रशुल्क से उपभोक्ताओं के रूप में कृषक को हानि ही बहन करनी पड़ती है।

(3) वैज्ञानिक प्रशुल्क

{Scientific Tariffs}

एक अन्य मिथ्या तर्क वैज्ञानिक प्रशुल्क के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। इस तर्क के अनुसार इतनी प्रशुल्क लगायी जानी चाहिए कि आयातों की कीमत घरेलू कीमत के बराबर हो जाय ताकि घरेलू उत्पादक विदेशी निर्यातकर्ता की प्रतिस्पर्धा में टिक सकें।

लेकिन इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रशुल्क लगाने के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अन्तर समाप्त हो जायेंगे एवं ऐसे वैज्ञानिक प्रशुल्क से सुरक्षण प्राप्त सभी वस्तुओं का व्यापार बन्द हो जायेगा।

अतः इस प्रकार के वैज्ञानिक प्रशुल्क अत्यन्त अवैज्ञानिक ही कहे जा सकते हैं क्योंकि इनके द्वारा अनुशूल घरेलू उत्पादकों की रक्षा करने हेतु हम आयात प्रतिबन्ध लगाकर हमारे सर्वाधिक कुशल निर्यातकर्ताओं के लिए विदेशी बाजार बन्द कर उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं।

(4) देश की मुद्रा को देश में रखने का तर्क

{Keeping Money at home argument}

इस तर्क को निम्न कथन के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है जिस मूठ-मूठ

ही अब्राहम लिंकन (Abraham Lincoln) के नाम से जोड़ दिया गया है, यह कथन इस प्रकार है "मैं प्रगल्भ के बारे में ज्यादा नहीं समझता हूँ लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब हम विदेशों से निमित्त माल खरीदते हैं तो हम तो वस्तुएँ मिलती हैं और विदेशों को मुद्रा। लेकिन जब हम निमित्त माल देश में ही खरीदते हैं तो हम वस्तुएँ व मुद्रा दोनों ही प्राप्त होती हैं।"

इस तर्क की समीक्षा करते हुए बेवरिज (Beveridge) ने लिखा है कि इस तर्क में कोई गुण नहीं है, इसमें केवल प्रथम नी (अंग्रेजी में 8) शब्द ही सचेत (sensible) शब्द हैं।¹⁷

इस सम्बन्ध में केवल इतना ही इंगित कर देना पर्याप्त होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात ही आयातों का भुगतान होते हैं तथा मुद्रा धन का रूप नहीं हाती है यह तो केवल विनिमय माध्यम का कार्य करती है।

उदाहरणार्थ, भारतीय रुपये की विदेशों के लिए उपयोगिता तभी है जब वह इसे भारतवर्ष में व्यय करें अन्यथा तो रुपया उसके लिए रद्दी कागज के समान ही है। यही बात अन्य राष्ट्रों की मुद्राओं के सम्बन्ध में सही है। अतः देश की मुद्रा को देश में रखने का तर्क बेतुका ही प्रतीत होता है।

17 Sir William Beveridge—Tariffs The Case Examined—(New York Longmans Green & Co, 1931) p 27, where the preceding quotation is also cited'

चुंगी संध का सिद्धान्त (The Theory of Customs Union)

प्रस्तावना

(Introduction)

चुंगी संध सिद्धान्त प्रमुख सिद्धान्त की नई शाखा है। चुंगी संध सिद्धान्त का जन्म सन् 1950 में हुआ माना जा सकता है। लेकिन इस सिद्धान्त में प्रो० वाइनर¹ (Viner) ने अपनी पुस्तक 'The Customs Union Issue' में जान डाली थी। तत्पश्चात् प्रो० मीड² (Meade) लिप्सी³, ⁴ (Lipsey) तथा वानेक⁵ (Vanek) ने चुंगी संध सिद्धान्त के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

प्रो० जगदीश भगवती के अनुसार "प्रो० वाइनर का व्यापार सृजन व व्यापार-दिशा परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न करने वाले चुंगी संध में अन्तर एक पुरोगामी (pioneering) योगदान था जिसने व्यापार सिद्धान्त प्रतिपादकों को यह चेतावनी दी कि (स्वतंत्र व्यापार को चलाने की भाँति) स्वतंत्र व्यापार की ओर चलने विश्व कल्याण के दृष्टिकोण से लाभदायक हो हो यह आवश्यक नहीं है। तत्पश्चात् के विचारों के घूर्णन (ferment of ideas) का देदीप्यमान सर्वेक्षण (brilliant survey) प्रो० लिप्सी (Lipsey) द्वारा किया गया जिन्हें स्वयं भी अन्वेषण के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करना था।"⁶

- 1 Viner, J —The Customs Union Issue (New York Carnegie Endowment International Peace, 1953)
- 2 Meade J E —The Theory of Customs Unions (North Holland 1856)
- 3 Lipsey R G —The Theory of Customs Unions Trade Diversion and Welfare (Economica, Vol 24, 1957)
- 4 Lipsey R G —The Theory of Customs Unions : A General Survey—[Economic Journal Vol. 70 (1960) reprinted in Bhagwati J (ed) —International Trade (Penguin, 1954) chap 9, pp 218 241
- 5 Vanek J —General Equilibrium of International Discrimination (Harvard—University Press, 1965)
- 6 Bhagwati, J —International Trade p 14

स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, चुंगी संघ, साभा बाजार, आर्थिक समुदाय व आर्थिक एकीकरण

(Free Trade area, Customs Union, Common Market, Economic Union and Economic Integration)

चुंगी सघ के सिद्धान्त का विश्लेषण प्रारम्भ करने से पूर्व पाँच प्रकार के आर्थिक संगठनों के मध्य अन्तर स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा। ये संगठन हैं — स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, चुंगी सघ, साभा बाजार, आर्थिक समुदाय एवं आर्थिक एकीकरण।

स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र व चुंगी सघ दोनों ही प्रकार के संगठनों में सदस्य राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यापार पर समस्त प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये जाने हैं एवं आपसी स्वतंत्र व्यापार की नीति अपना ली जाती है जबकि शेष विश्व से व्यापार पर सघ के सदस्य राष्ट्र व्यापार प्रतिबन्ध लागू रखते हैं।

चुंगी सघ व स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र में प्रमुख अन्तर यह है कि चुंगी सघ के सदस्यों को गैर-सदस्य राष्ट्रों से व्यापार में समान वस्तुओं पर समान प्रशुल्क दरों के लिए सहमत होना आवश्यक होता है, जबकि स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र के सदस्य राष्ट्रों को गैर-सदस्य राष्ट्रों से व्यापार में स्वयं की निजी प्रशुल्क दरें लगाने की स्वतंत्रता होती है लेकिन स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र के सदस्य राष्ट्रों के मध्य भी चुंगी सघ की भाँति आपसी व्यापार पर प्रतिबन्ध पूर्णतया समाप्त कर दिये जाते हैं। सन् 1960 में बना यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार सघ (European Free Trade Association or EFTA) स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसका सदस्य — यू० के०, आस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन एवं स्वीट्जरलैण्ड हैं, जबकि फिनलैण्ड इसका सहायक सदस्य (Associate member) है।

जबकि चुंगी सघ का जाना माना उदाहरण यूरोपीय आर्थिक समुदाय (European Economic Community or EEC) अथवा यूरोपीय साभा बाजार (European common Market or ECM) है जिसका निर्माण सन् 1985 में हुआ था। ई०ई० सी० के सदस्य राष्ट्र पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैण्ड्स तथा लक्जमबर्ग हैं। चुंगी सघ का एक अन्य उदाहरण सन् 1834 में स्थापित बहुत से सार्वभौम जर्मन राज्यों का संगठन जाल्वरार्डिन (Zollverein) था जिसका अर्थ चुंगी सघ ही होता है।

साभा बाजार में चुंगी सघ के सिद्धान्त को एक नवम और माने बढ़ा दिया जाता

है तथा इसके अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं के साथ-साथ उत्पादन के साधनों, जैसे श्रम, पूँजी आदि की भी स्वतंत्र गतिशीलता बनाय रखी जाती है। अत स्पष्ट है कि साम्राज्य बाजार के सदस्य राष्ट्रों का भौगोलिक दृष्टिकोण से भी एकीकृत क्षेत्रीय समूह होना आवश्यक है। सन 1970 में ई० ई० भी० लगभग साम्राज्य बाजार बन चुका था।

चौथे प्रकार के समूह 'आर्थिक संध' के सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक दृष्टिकोण से एक ढकाई हो जाना अन्तिम उद्देश्य होता है अर्थात् आर्थिक संध के सदस्यों में समान बाह्य प्रशुल्क के अलावा भौगोलिक व अन्य राष्ट्रीय नीतियों के तालमेल (harmonization) का भी प्रावधान होता है। आर्थिक संध का ज्वलंत उदाहरण सन् 1960 में बना 'बेनेलक्स' (Benelux) है जिसके सदस्य राष्ट्र बेल्जियम, नीदरलैंड्स व लक्समबर्ग हैं। लेकिन वर्तमान में 'बेनेलक्स' ई ई सी का सदस्य है।

आर्थिक सहयोग की उत्कृष्टतम अवस्था को 'आर्थिक एकीकरण' के नाम से जाना जाता है। आर्थिक एकीकरण में एक कदम और धागे बढ़कर सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक जैसी मीट्रिक व राजकोषीय नीतियाँ अपनाई जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक एकीकरण का उदाहरण माना जा सकता है।

यद्यपि इस अध्याय में हम चुंगी संध के सैद्धान्तिक विश्लेषण पर ही ध्यान केन्द्रित करेंगे लेकिन यह विश्लेषण अन्य आर्थिक सगठनों पर भी काफी सीमा तक लागू किया जा सकता है।

प्रशुल्क नीति के अन्तर्गत दो प्रकार का विभेद सम्भव है :— प्रथम तो वस्तु विभेद जिसके अन्तर्गत भिन्न वस्तुओं पर भिन्न प्रशुल्क दरें लगाई जाती हैं तथा दूसरा राष्ट्र विभेद जिसके अन्तर्गत दी हुई वस्तु के मूल के आधार पर भिन्न प्रशुल्क की दरें लगाई जाती हैं। चुंगी संध का सम्बन्ध राष्ट्र विभेद के आधार पर प्रशुल्क से है। प्रो० लिप्सी (Lipsey) ने चुंगी संध को परिभाषित करते हुए लिखा है कि चुंगी संध सिद्धान्त "प्रशुल्क सिद्धान्त की वह शाखा है जिसमें भौगोलिक आधार पर विभेदात्मक व्यापार प्रतिबन्धों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है।"⁷


चुंगी संध के स्थैतिक प्रभाव

(Static effects of a custom Union)

चुंगी संध के निर्माण के स्थैतिक प्रभावों को आंशिक साम्य व सामान्य साम्य

7. Lipsey R G — A general survey, Op. Cit P 218

दोनों में ही दर्शाया जा सकता है। चित्र 11.1 में आंशिक साम्य विश्लेषण की सहायता से चुंगी सघ के प्रभावों को स्पष्ट किया गया है। मान लीजिए कि A स्वदेशी राष्ट्र, B सघ सहयोगी तथा C शेष विश्व है। चित्र 11.1 में D-D A राष्ट्र का माँग वक्र तथा S-S पूर्ति वक्र है। C राष्ट्र की पूर्ति कीमत Pf रेखा द्वारा दर्शायी गयी है। Pf वक्र क्षैतिज (horizontal) खींचने का आशय यह है कि चुंगी सघ के निर्माण के बावजूद विदेशी व्यापार की शर्तें यथास्थिर रहती हैं। चुंगी सघ के निर्माण से पूर्व Pf—Pt प्रति इकाई आयात प्रशुल्क है—



चित्र 11.1 . चुंगी सघ निर्माण के व्यापार सृजन व व्यापार दिशा-परिवर्तन प्रभाव

अतः Pt कीमत पर A राष्ट्र में x वस्तु की कुल माँग OX_1 है, जिसमें से घरेलू पूर्ति OX तथा शेष $X-X_1$ मात्रा का आयात किया जा रहा है।

चित्र में O P चुंगी सघ के सम्भावित सदस्य B राष्ट्र की पूर्ति कीमत है। अतः स्पष्ट है कि चुंगी सघ के निर्माण से पूर्व B राष्ट्र से आयातों पर भी C राष्ट्र से आयातों के समान Pf-Pt प्रशुल्क लगा देने से B के आयात A राष्ट्र के उपभोक्तियों को Pt से ऊँची कीमत पर ही प्राप्त हो सकेंगे अतः चुंगी सघ के निर्माण से पूर्व B राष्ट्र से A राष्ट्र के आयात शून्य हैं।

अब मान लीजिए कि A व B राष्ट्र चुंगी सघ का निर्माण कर लेते हैं तथा आपसी व्यापार पर प्रशुल्क पूर्णतया समाप्त कर देते हैं एवं गैर सदस्य राष्ट्र C के आयातों पर Pf-Pt प्रशुल्क पूर्ववत् ही बनी रहनी है तो इस तरह के चुंगी सघ के निर्माण के व्यापार व कल्याण के स्तर पर दो विपरीत प्रभाव होंगे :—

प्रथम यह कि चुंगी सघ के निर्माण से सघ सदस्य B राष्ट्र के आयातों पर प्रशुल्क समाप्त कर देने से A राष्ट्र को x वस्तु O-P कीमत पर प्राप्त होगा जो कि राष्ट्र की प्रशुल्क सहित वाली कीमत O-Pt से कम है। अतः A राष्ट्र के आयात $x-x_1$ से बढ़कर x_2-x_3 हो जाते हैं तथा घरेलू उत्पादन O-x से घट कर O-x₂ हो जाता है। कीमत की इस कमी से A राष्ट्र का उपभोग का स्तर O-x₁ से बढ़कर O-x₃ हो जाता है। अतः चुंगी सघ के 'व्यापार सृजन प्रभाव' (Trade creating effect) को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है - प्रथम, घरेलू उत्पादन में कमी का प्रभाव तथा दूसरा, घरेलू उपभोग में वृद्धि का प्रभाव।

व्यापार सृजन से A राष्ट्र लाभान्वित होगा क्योंकि यदि A राष्ट्र x_1-x मात्रा का उत्पादन स्वयं करता तो इस राष्ट्र की x_2-x मात्रा की लागत cxx₂g क्षेत्र के बराबर होती जबकि चुंगी सघ के सदस्य B राष्ट्र से x_2-x मात्रा के आयातों की लागत gh xx₂ है। A राष्ट्र में x_2-x की लागत तथा इस राष्ट्र की चुंगी सघ के सदस्य राष्ट्र B से x_2-x के आयात की लागत का अन्तर A राष्ट्र की विशुद्ध बचत है। यह बचत त्रिभुजाकार क्षेत्र egh द्वारा दर्शायी गयी है। इस बचत को चुंगी सघ के निर्माण के व्यापार सृजन प्रभाव की उपलब्धि कहा जा सकता है।

चित्र 11 I में यह भी स्पष्ट है कि चुंगी सघ के निर्माण से A राष्ट्र का उपभोग में x_1-x_3 की वृद्धि से भी राष्ट्र के कल्याण के स्तर में वृद्धि होगी। उपभोग में x_1-x_3 की अतिरिक्त वृद्धि में A राष्ट्र के उपभोक्तान्त्रों को प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता f x₁x₃k क्षेत्र के बराबर है जबकि x_2-x_3 मात्रा के आयातों की लागत केवल KJx₁x₃ क्षेत्र के बराबर ही है, अतः JKf त्रिभुज के क्षेत्र के बराबर A राष्ट्र के कल्याण में वृद्धि हुई है।

A राष्ट्र को चुंगी सघ निर्माण से व्यापार सृजन से प्राप्त लाभ निम्न बातों पर निर्भर करते हैं :—

1. चुंगी सघ के निर्माण से पूर्व A राष्ट्र के आयातों पर लगे प्रशुल्क Pf-Pt जितनी अधिक होगी उतना ही ऐसी प्रशुल्क समाप्त करने से A राष्ट्र अधिक लाभान्वित होगा।

2. A राष्ट्र के पूति वक्र SS तथा माँग वक्र DD का ढाल जितना कम होगा अर्थात् ये वक्र जितने अधिक लोचदार होंगे उतनी ही पू गी सघ के निर्माण से A राष्ट्र के कल्याण के स्तर में अधिक वृद्धि होगी।
3. A राष्ट्र व सघ भागीदार B राष्ट्र की लागतों में जितना अधिक अन्तर होगा उतना ही पू गी सघ के निर्माण से A राष्ट्र अधिक लाभान्वित होगा।
4. सघ भागीदार राष्ट्र B व शेष विश्व C की कीमतों में जितना कम अन्तर होगा उतना ही A राष्ट्र पू गी सघ के निर्माण से अधिक लाभान्वित होगा।

लेकिन चित्र 11.1 में पू गी सघ के निर्माण के पश्चात् $x-x_1$ आयातों की मात्रा न्यूनतम लागत वाले विदेशी राष्ट्र C से आयातित करने की बजाय ऊँची लागत वाले पू गी सघ के सदस्य राष्ट्र B से आयातित की जायेगी। इस व्यापार दिशा परिवर्तन (Trade diversion) से A राष्ट्र को C आयात के क्षेत्र के बराबर हानि होगी। C क्षेत्र $x-x_1$ आयातों की लागत में पू गी सघ के निर्माण के कारण होने वाली वृद्धि है। अत स्पष्ट है कि पू गी सघ के निर्माण से विश्व के सर्वाधिक कुशल सदस्य राष्ट्र से आयात करने की बजाय सघ के सर्वाधिक कुशल राष्ट्र से आयात किये जाते हैं अत अधिक कुशल से कम कुशल राष्ट्र को अंतर व्यापार दिशा परिवर्तित होता है।

चित्र 11.1 में आयातों में x_2-x तथा x_1-x की वृद्धि तो व्यापार सृजन के कारण हुई है, अत कल्याण के स्तर में कमी जात करने हेतु हम पू गी सघ के निर्माण से पूर्व के आयातों के स्तर $x-x_1$ पर ही ध्यान केन्द्रित करेंगे। पू गी सघ के निर्माण से पूर्व $x-x_1$ आयातों की कुल लागत को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है — O-P कीमत पर C राष्ट्र के निर्यातकर्त्ताओं की किया गया कुल भुगतान $LMxx_1$ क्षेत्र के बराबर था जबकि $efLM$ आयात के बराबर A राष्ट्र की सरकार को प्रशुल्क आगम चुकाया जाता था। अत A राष्ट्र के आयातकर्त्ताओं की कुल लागत $efxx_1$ के बराबर थी, लेकिन इसमें से $efLM$ क्षेत्र तो A राष्ट्र के आयातकर्त्ताओं से सरकार को आय का हस्तांतरण मात्र था, विदेशियों को तो केवल $LMxx_1$ के बराबर ही भुगतान किया जाता था।

पू गी सघ के निर्माण के पश्चात् A राष्ट्र पूर्व जितने ही $x-x_1$ आयातों के बदले B राष्ट्र को h_1xx_1 भुगतान कर रहा है इस प्रकार व्यापार दिशा परिवर्तन के कारण $x-x_1$ आयातों का भुगतान $hJLM$ अधिक हो गया है। अत पू गी सघ के निर्माण से व्यापार दिशा परिवर्तन से A राष्ट्र के कल्याण के स्तर में होने वाली हानि आयात $hJLM$ के क्षेत्र के बराबर है।

A राष्ट्र को चुगी सघ के निर्माण से व्यापार दिशा परिवर्तन से होने वाली हानि निम्न बातों पर निर्भर करती है—

- (1) चुगी सघ के निर्माण से पूर्व A राष्ट्र के आयातों पर लगी प्रशुल्क Pf-Pt जितनी कम होगी उतना ही ऐसा प्रशुल्क समाप्त करने से A राष्ट्र के कल्याण के स्तर में कम वृद्धि होगी।
- (2) A राष्ट्र के मांग व पूर्ति वक्र जितने अधिक बेचोचदार अर्थात् अधिक ढालू होंगे उतनी ही व्यापार दिशा परिवर्तन से होने वाली हानि अधिक होगी।
- (3) A राष्ट्र व चुगी सघ के सदस्य B राष्ट्र की लागतों में अन्तर जितना कम होगा उतनी ही व्यापार दिशा परिवर्तन से होने वाली हानि अधिक होगी।
- (4) सघ भागीदार राष्ट्र B व शेष विश्व C की कीमतों में अन्तर जितना अधिक होगा उतनी ही A राष्ट्र को चुगी सघ के निर्माण से अधिक हानि होगी।

अत स्पष्ट है कि चुगी सघ के निर्माण की विशुद्ध हानि (net welfare loss) व्यापार सृजन से प्राप्त लब्धियों व व्यापार दिशा परिवर्तन से होने वाली हानि के अन्तर के बराबर होती है चित्र 11-1 में चुगी सघ के निर्माण का विशुद्ध स्थैतिक कल्याण प्रभाव a तथा b क्षेत्रों के योग में से c क्षेत्र घटाकर (अर्थात् a + b - c) प्राप्त किये गये क्षेत्र के बराबर है।


यदि हम उपर्युक्त विश्लेषण की अनन्त लोच वाले पूर्ति वक्रों की मान्यता व अन्य मान्यताओं को त्याग दें तो चुगी सघ के कल्याण के स्तर पर प्रभावों को ज्ञात करना काफी जटिल कार्य बन जायेगा, लेकिन यह मूलभूत नियम, कि चुगी सघ से विश्व को प्राप्त लाभों को तो व्यापार सृजन से जोड़ा जाना चाहिये तथा हानियों को व्यापार दिशा परिवर्तन से, यथावत् बना रहेगा।

प्रतियोगी व पूरक अर्थव्यवस्थाएँ

(Competitive and complimentary Economies)

प्रो वाइनर⁸ (Viner) ने अपने विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि यदि सघ के सदस्य राष्ट्र पूरक वस्तुएँ उत्पादित करते हैं तो चुगी सघ के निर्माण से कुशलता पर प्रतिकूल आर यदि वे प्रतिस्थापन वस्तुएँ उत्पादित करते हैं तो अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रो. वाइनर के अनुसार यदि चु गी सघ के सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएँ प्रतियोगी (competitive) हैं तो व्यापार सृजन की सम्भावना बनी रहती है इसके विपरीत यदि सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएँ पूरक (complementary) हैं तो व्यापार दिशा परिवर्तन की अधिक सम्भावनाएँ होती हैं। प्रतियोगी व पूरक राष्ट्रों को चित्र 1।2 (a) तथा (b) में दर्शाया गया है। चित्र A में ऐसे दो राष्ट्रों को दर्शाया गया है जिनकी अर्थव्यवस्थाएँ पूरक हैं अर्थात् A व B राष्ट्रों के वृत्तों में प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन वाला रेखाओं द्वारा दर्शाया गया क्षेत्र कम है जबकि चित्र B में A व B राष्ट्रों के वृत्तों में एक जैसे उत्पादन वाला रेखाओं द्वारा दर्शाया गया क्षेत्र काफी बड़ा हिस्सा है। सामान्यतया हमें ऐसा आभास होता है कि एक कृषि प्रधान राष्ट्र को उद्योग प्रधान राष्ट्र के साथ चु गी सघ बनाना चाहिए लेकिन ऐसा सही नहीं है। वास्तव में कृषि प्रधान राष्ट्र को अन्य कृषि प्रधान राष्ट्रों के साथ तथा उद्योग प्रधान राष्ट्र को उद्योग प्रधान राष्ट्रों के साथ चु गी सघ बनाना चाहिए। ऐसा करने से अधिक व्यापार सृजन एवं अधिक कुशल साधन आवंटन सम्भव हो सकेगा। इसके विपरीत सघ के सदस्य राष्ट्रों की उत्पादन लागतों में अन्तर जितने अधिक होंगे उतने ही चु गी सघ से लाभ भी अधिक होंगे।



चित्र (a)



चित्र (b)

चित्र 1।2 : पूरक व प्रतियोगी उत्पादन दर्शा

लेकिन प्रो. किन्डलबर्गर (Kindleberger) ने प्रो. वाइनर के इस विचार से असहमति प्रकट करते हुए विचार व्यक्त किया है कि ऐसा सदिग्ध (ambiguous) ही है, उनके अनुसार 'यदि सघ बनाने के उपरान्त सदस्य राष्ट्र खाद्यान्नो का आयात न्यूनतम लागत वाले गैर-सदस्य राष्ट्र की बजाय सदस्य राष्ट्र से करने लग जाये तो औद्योगिक राष्ट्रों के मध्य का चु गी सघ भी व्यापार दिशा-परिवर्तक हो सकता है तथा यदि सघ के सदस्य राष्ट्रों में आपसी व्यापार मामूली है तो इस दृष्टिकोण से कि वे शेष विश्व से एक जैसे वस्तुओं का क्रय विन्यय करते हैं प्रतियोगी राष्ट्रों के मध्य चु गी सघ तुच्छ (trivial) हो सकता है। प्रश्न तो यह है कि चु गी सघ के निर्माण से प्रशुल्क सरक्षित क्रियाएँ प्रोत्साहित होती हैं अथवा हतोत्साहित। जिस सीमा तक प्रशुल्क सरक्षित सघ के उद्योग प्रोत्साहित होते हैं उस सीमा तक व्यापार दिशा

परिवर्तन होगा तथा जिस सीमा तक उन्हें आयातों की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना पड़ता है उस सीमा तक व्यापार सृजन होगा।⁹

सामान्य साम्य विश्लेषण

(The General Equilibrium Analysis)

हमारा अब तक का विश्लेषण आंशिक-साम्य विश्लेषण के रूप में था अब हम चुंगी संध के प्रभावों को सामान्य साम्य विश्लेषण के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इस विश्लेषण में हम चुंगी संध के सदस्य पर तीन स्थितियों में प्रभाव स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे. (a) जब उपभोग स्थिर हो, (b) जब उपभोग परिवर्तित हो रहा हो, तथा (c) जब उपभोग व उत्पादन दोनों परिवर्तित हो रहे हों।

(a) स्थिर उपभोग ढाँचे की स्थिति में चुंगी संध के व्यापार दिशा परिवर्तन प्रभाव को प्रो० लिप्सी¹⁰ (Lipsey) ने चित्र 11.3 द्वारा स्पष्ट किया है। प्रो० लिप्सी ने अपना विश्लेषण वाइनर के विश्लेषण के तत्वों के आधार पर यह निष्कर्ष दर्शाने हेतु प्रदान किया कि व्यापार दिशा परिवर्तन से निश्चय ही कल्याण के स्तर में कमी होगी प्रो० लिप्सी ने वाइनर का अनुसरण करते हुए स्थिर उपभोग के ढाँचे की मान्यता मानी तथा पूर्ति पक्ष में पूर्ति लोचों को अनन्त माना ताकि निर्यात वस्तु के उत्पादन में पैमाने की स्थिर उत्पत्ति का नियम क्रियान्वित हो सके।

यदि हम यह मान्यता मान लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु की मूल अनुपात पर वस्तुओं का उपभोग समान अनुपात में किया जाता है तथा उत्पादन लागत स्थिर है तो व्यापार दिशा परिवर्तन से कल्याण का स्तर निश्चय ही कम होगा।


चित्र 12.3 में A राष्ट्र y वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विनिष्ठीकरण करता है। अब इस राष्ट्र का साम्य उत्पादन बिन्दु A तथा व्यापाररत A राष्ट्र का साम्य उपभोग बिन्दु e है अब A-C रेखा वाली व्यापार की शर्तों पर A राष्ट्र y वस्तु के Ag निर्यातों के विनिमय में x वस्तु की gc मात्रा का विदेशी राष्ट्र C से आयात कर रहा है। मूल बिन्दु से खींची गई सरल रेखा OZ दोनों वस्तुओं का स्थिर अनुपात में उपभोग दर्शाती है।

अब यदि A व B राष्ट्र चुंगी संध का निर्माण कर लेते हैं तो A राष्ट्र की

9 Kindleberger, C P —International Economics—(5th ed), pp 177

10 Lipsey, R G —A General Survey—Op Cit, P 223.

ऊँची लागत वाले चुंगी संघ के सदस्य B राष्ट्र से x वस्तु का आयात करना होगा। अतः चुंगी संघ के निर्माण के बाद आयात वस्तु x के सापेक्ष मूल्य में वृद्धि हो जाती है तथा नयी व्यापार की शर्तों की रेखा $A-B$ हो जाती है। अब नया साम्य उपभोग बिन्दु e से परिवर्तित होकर f हो जाता है। चित्र 11.3 में e बिन्दु की तुलना में f बिन्दु पर x तथा y दोनों ही वस्तुओं की कम मात्रा का उपभोग हो रहा है, अर्थात् संघ के निर्माण से A राष्ट्र का कल्याण का स्तर गिर जाता है। अतः स्पष्ट है कि स्थिर अनुपातों में उपभोग की मान्यता के अन्तर्गत व्यापार दिशा परिवर्तन से राष्ट्र का कल्याण का स्तर निम्न हो जाता है।




चित्र 11.3 : व्यापार दिशा परिवर्तन का कल्याण के स्तर पर प्रभाव (उपभोग का ढाँचा अपरिवर्तित)

लेकिन प्रो० लिप्सी (Lipsey) का दावा है कि प्रो० वाइनर की स्थिर अनुपातों में उपभोग की मान्यता एक बहुत ही विगिष्ट प्रकार की मान्यता है। चुंगी संघ के निर्माण से सापेक्ष मूल्य निश्चय ही परिवर्तित होगा, अतः सामान्यतया यह आशा की जानी चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप वस्तु प्रतिस्थापन भी होगा और इस प्रकार पूर्व विद्यमान व्यापार में परिवर्तन होकर सस्ती वस्तु के क्रय में वृद्धि तथा महँगी वस्तु के क्रय में कमी होगी। इसके परिणामस्वरूप सदस्य राष्ट्र B से A राष्ट्र के आयातों में वृद्धि होगी तथा राष्ट्र में उत्पादित वस्तुओं के उपभोग व पैर सदस्य राष्ट्र C से आयातों में कमी होगी।

वास्तव में उपभोग में प्रतिस्थापन प्रभाव के महत्त्व की खोज तीन अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की गयी थी। प्रो० मीड¹¹ (Meade) ने सन् 1956 में, प्रो० गेहरेल्स¹² (Gehrels) ने 1956-57 में व प्रो० लिप्सी¹³ (Lipsey) ने सन् 1957 में प्रतिस्थापन प्रभाव के महत्त्व को इंगित किया था।

प्रो० लिप्सी (Lipsey) ने उपभोग में प्रतिस्थापन प्रभाव को स्पष्ट करने हेतु गेहरेल्स (Gehrels) के प्रस्तुतीकरण को प्रयुक्त करते हुए चित्र 114 की सहायता ली है।



चित्र 114 . व्यापार दिशा-परिवर्तन का कल्याण के स्तर पर प्रभाव (वस्तु प्रतिस्थापन सम्भव)

चित्र 114 में स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में जब A राष्ट्र विदेशी राष्ट्र C से व्यापाररत है तो व्यापार की शर्तें दर्शाने वाली रेखा A-C है। इस स्थिति में A राष्ट्र का साम्य उत्पादन बिन्दु A तथा साम्य उपयोग बिन्दु a है। अब मान लीजिए कि A राष्ट्र x वस्तु के आयातों पर प्रशुल्क लगा देता है तो A राष्ट्र के घरेलू बाजार में x वस्तु का सापेक्ष मूल्य बढ़ जायेगा। मान लीजिए कि प्रशुल्क लगाने के बाद A राष्ट्र

11 Meade J E—Op Cit., (1956).

12 Gehrels, F—*Customs Unions from a Single Country View point*—Rev. of Economic Studies, Vol 24 (1956-57).

13. Lipsey, R H—Op. Cit., (1957).

की घरेलू कीमत $A'-C'$ रेखा के ढाल द्वारा दर्शाई जाती है तो A राष्ट्र का माया साम्य उपभोग बिन्दु h होगा। h बिन्दु पर समुदाय उदासीन वक्र $I''-I''$, $A-C$ रेखा की उभय बिन्दु पर काटेगी जहाँ उदासीन वक्र या ढाल $A'-C'$ रेखा वाला है अतः उपभोक्ता अपने क्रय का वातावरण रूपान्तरण दर (Market rate of transformation) व अनुसूच्य समायोजन कर लेते हैं तथा A राष्ट्र में x वस्तु के मायात घट जाते हैं एवं निर्मित वस्तु y के उपभोग में वृद्धि हो जाती है।

इन परिस्थितियों में A राष्ट्र व्यापार-दिशा परिवर्तक शुंगी संघ का निर्माण करने भी निश्चय ही अपने वर्तमान के स्तर में वृद्धि कर सकता है।

यह बिन्दु स्पष्ट करने हेतु हम समुदाय उदासीन वक्र $I''-I''$ के एक रजत हुए A बिन्दु में एक धर्मा रेखा खींचते हैं जो कि x वस्तु की B बिन्दु पर काटेगी। यदि B राष्ट्र के माया व्यापार-दिशा परिवर्तक शुंगी संघ के निर्माण के पश्चात् B राष्ट्र की x वस्तु के मायात $A-B$ रेखा द्वारा प्रदर्शित व्यापार की शर्तों पर उपलब्ध हो जाते हैं तो A का वर्तमान का स्तर अपरिवर्तित बना रहेगा। अतः शुंगी संघ के निर्माण के कारण यदि A की B राष्ट्र के माया व्यापार की शर्तों C राष्ट्र के माया व्यापार की शर्तों की तुलना में प्रतिबल है लेकिन $A-B$ रेखा द्वारा दर्शाई गई व्यापार की शर्तों की तुलना में अनुसूच्य है तो व्यापार-दिशा परिवर्तक शुंगी संघ के निर्माण में A राष्ट्र के वर्तमान के स्तर में वृद्धि होगी। B राष्ट्र के माया इन प्रकार के व्यापार-दिशा परिवर्तक शुंगी संघ के निर्माण में A राष्ट्र का वर्तमान का स्तर तभी घटेगा जब B राष्ट्र की व्यापार की शर्तों $A-B$ रेखा के ढाल द्वारा प्रदर्शित व्यापार की शर्तों की तुलना में A राष्ट्र के प्रतिबल हो।

चित्र 11.4 में ऐसा क्षेत्र है जहाँ $I''-I''$ में उंच समुदाय उदासीन वक्र अन्त-राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा से नीचे स्थित हो सकते हैं अर्थात् $I''-I''$ में उपर का क्षेत्र तथा $A-C$ से नीचे का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है।

प्रो० लिपसी (Lipsey) के अनुसार ".....इसमें हम यह निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र विद्यमान होगा जिसमें साम्यावस्था में प्राप्त उदासीन वक्र में उंच उदासीन वक्र अन्त-राष्ट्रीय कीमत रेखा से नीचे स्थित होगा। चित्र 2 (यहाँ चित्र 11.4) में यह I'' से उपर का लेकिन $A-C$ से नीचे का क्षेत्र है। जब तक अन्तिम साम्यावस्था इस क्षेत्र में स्थित है, प्रमुख की अनुव्यवस्था में $A-C$ द्वारा

इंगित व्यापार की शर्तों से प्रतिकूल व्यापार की शर्तों पर व्यापार करने से बर्त्याए मे वृद्धि होगी।¹⁴

दूसरे शब्दों मे हम कह सकते है कि चित्र 11.4 मे I'-I" से ऊँचे समुदाय उदासीन वक्र लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात रेखा A-C से नीचे स्थित समुदाय उदासीन वक्र A राष्ट्र का उच्च बर्त्याए का स्तर दर्शायेगे क्योंकि चु गी सघ के निर्माण से A राष्ट्र के उपभोक्ताओं को सघ निर्माण के पूर्व C राष्ट्र से प्रशुल्क सहित वाली कीमत की तुलना मे, कम कीमत पर x वस्तु उपलब्ध हो सकेगी।

वर्तमान मॉडल की दो वस्तुओं, स्थिर लागतों व पूर्ण विशिष्टीकरण की मान्यताओं के अन्तर्गत अनुकूलतम उपभोग के लिए आवश्यक शर्तें यह है कि उपभोक्ताओं का घरेलू कीमत अनुपात अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात के बराबर हो अर्थात् घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय कीमत अनुपातों मे अन्तर उत्पन्न करने वाली प्रशुल्क विद्यमान नही होनी चाहिए। स्पष्ट है कि वर्तमान मॉडल मे यह शर्तें पूरी हो रही है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या दो वस्तुओं वाले इस मॉडल के निष्कर्ष दो से अधिक वस्तुओं के सन्दर्भ मे भी लागू होते हैं। गेहरेल्स (Gebrels) ने तर्क प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चु गी सघ के निर्माण से हानि की वजाय लाभ होता है। लेकिन प्रो० लिप्सी (Lipsey) के अनुसार ऐसा सही नहीं है क्योंकि चु गी सघ के पक्ष के तर्क का सामान्यीकरण न्यूनतम तीन वस्तुओं के आधार पर ही सम्भव है। प्रो० लिप्सी ने तीन प्रकार की वस्तुओं - घरेलू वस्तुएँ (A), चु गी सघ के सदस्य से आयात (B) एवं शेष विश्व से आयात (C) के सन्दर्भ मे चु गी सघ के तर्क को प्रस्तुत किया है तथा यह दर्शाया है कि मॉडल मे यह परिवर्तन करने के पश्चात् गेहरेल्स (Gebrels) का निष्कर्ष मान्य नहीं रहता है। इस स्थिति मे अनुकूलतम के लिए आवश्यक शर्तों को सांगणी 11.1 मे प्रस्तुत किया गया है।

प्रो० लिप्सी के अनुसार यदि हम यह मान लें कि उपभोक्ता अपने घरेलू बाजारों मे प्रचलित मापदंड कीमतों के अनुरूप अपनी क्रय का समायोजन करते हैं "तो अनुकूलतम शर्तों-उपभोग मे प्रतिस्थापन दरों का व्यापार मे हफान्तरण दरों के समान होना— का घरेलू बाजारों मे प्रचलित मापदंड मूल्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों मे प्रचलित कीमतों की समानता के रूप मे व्यक्त किया जा सकता है।"¹⁵

14 Lipsey, R H.—op cit., (1957) p p 43-44 quoted in Lipsey—A General Survey—op cit p 226

15 Lipsey R H.—A General Survey—op cit p 227 (foot note)

सारणी 11 1 में स्वतंत्र व्यापार की स्थिति में अनुकूलतम की समस्त तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। यदि दोनों आयात वस्तुओं पर समान प्रशुल्क लगा दी जाती है तो कालम 2 में दर्शाये गये सम्बन्ध प्राप्त होंगे तथा अनुकूलतम शर्तें केवल एन ही स्थिति में पूरी होंगी और वह A राष्ट्र में B तथा C वस्तुओं के आयातों के सम्बन्ध में पूरी होगी क्योंकि इन दोनों वस्तुओं के आयातों पर समान प्रशुल्क लगी हुई है अतः इनकी कीमतों का अनुपात अपरिवर्तित है। लेकिन B से C को निर्यातित वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में A राष्ट्र के घरेलू बाजार में ऊँची कीमत होगी अतः दोनों सम्बन्धित अनुपातों में बायी ओर का हर बड़ा होगा।

सारणी—11 1

स्वतंत्र व्यापार	सभी आयातों पर मूल्यानुसार एक समान प्रशुल्क	B राष्ट्र के साथ चुगी मघ
(1)	(2)	(3)
$\frac{P_A d}{P_B d} = \frac{P_{A1}}{P_{B1}}$	$\frac{P_A d}{P_B d} < \frac{P_{A1}}{P_{B1}}$	$\frac{P_A d}{P_B d} = \frac{P_{A1}}{P_{B1}}$
$\frac{P_A d}{P_C d} = \frac{P_{A1}}{P_{C1}}$	$\frac{P_A d}{P_C d} < \frac{P_{A1}}{P_{C1}}$	$\frac{P_A d}{P_C d} < \frac{P_{A1}}{P_{C1}}$
$\frac{P_B d}{P_C d} = \frac{P_{B1}}{P_{C1}}$	$\frac{P_B d}{P_C d} = \frac{P_{B1}}{P_{C1}}$	$\frac{P_B d}{P_C d} < \frac{P_{B1}}{P_{C1}}$

नोट —A, B तथा C मूल के राष्ट्रों के लिए प्रयुक्त किये गये हैं। A की घरेलू बाजार में कीमत को d तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमत को 1 द्वारा दर्शाया गया है।

चुगी सघ के निर्माण के पश्चात् सघ के सदस्य B से आयातों की कीमत घट जाती है अतः प्रथम अनुकूलतम शर्तें पूरी हो जाती हैं लेकिन C राष्ट्र से आयातित वस्तुओं की घरेलू कीमत प्रशुल्क के कारण ऊँची बनी रहती है अतः अनुकूलतम की शर्तें पूरी नहीं हो पाती हैं। स्पष्ट है कि सामान्य प्रशुल्क के बिकल्प के रूप में चुगी सघ के निर्माण से A राष्ट्र एक गैर-अनुकूलतम (non optimal) स्थिति से दूसरी गैर

अनुकूलतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है अतः राष्ट्र के कल्याण के स्तर के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कह पाना सम्भव नहीं है। अतः प्रो. निप्सी का कहना है कि चुंगी संध के पक्ष का तर्क अनिश्चायक (inconclusive) है।

प्रो वानेक¹⁶ (Vanek) द्वारा प्रस्तुत एक अन्य मॉडल में साम्य निर्धारित करने हेतु तीन राष्ट्रों के मध्य दो वस्तुओं के व्यापार की अयोग्य वस्तु की सहायता से प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि प्रो वानेक का मॉडल काफी रोचक है परन्तु इसे अपूर्ण कहा जा सकता है। क्लेमेंट (Clement) फिस्टर Pfister) व रॉथवेल (Rothwell) ने अपनी पुस्तक¹⁷ में यह इंगित किया है कि पूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु अग्रलिखित चार वस्तु समूहों को विश्लेषण में सम्मिलित करना आवश्यक है :—

(1) A के C को निर्यातों (2) C द्वारा निर्यातित A के निर्यातों (3) C द्वारा आयातित B के निर्यातों, तथा (4) C द्वारा निर्यातित B के निर्यातों, ऐसा इसलिए आवश्यक है कि वास्तविक जगत में इन चारों समूहों की वस्तुओं का एक साथ व्यापार होता है।

चुंगी संध के गत्यात्मक प्रभाव

(Dynamic effects of Customs Union)

हमारे अब तक के विश्लेषण में हमने चुंगी संध के केवल स्थैतिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया था लेकिन चुंगी संध के गत्यात्मक प्रभाव (Dynamic effects) भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं।

चुंगी संध के गत्यात्मक प्रभावों में पैमाने की मितव्ययताएँ (Economies of scale) प्रतिযোগिता का उद्दीपन (stimulus of competition) विनियोग का उद्दीपन (stimulus of investment) तथा तकनीकी परिवर्तनों का सम्भावित त्वरण (Acceleration) प्रमुख हैं।

चुंगी संध निर्माण के गत्यात्मक प्रभावों में पैमाने की मितव्ययताएँ महत्वपूर्ण हैं। संध के सदस्यों के मध्य व्यापार में वृद्धि के परिणामस्वरूप औद्योगिक विशिष्टीकरण से पैमाने की मितव्ययताएँ प्राप्त होंगी अतः प्रति इकाई लागत गिरेगी। विकासशील एवं छोटे राष्ट्रों के मध्य चुंगी संध के निर्माण से पैमाने की

16 Vanek, J.—International Trade :- Theory and Economic Policy—(Richard D Irwin, Inc 1962) chap 18.

17 Clement, M-O, Pfister, F L, and Rothwell, K J —Theoretical Issues in International Economics (New York, Houghton Mifflin, 1967), p 199.

मितव्ययताओं का प्रभाव अधिक महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि बड़े राष्ट्रों को तो ये मितव्ययताएँ एकीकरण की अनुपस्थिति में भी प्राप्त होती रहती हैं। अतः इस प्रकार के अनुकूल विक्रम से सघ के गैर-सदस्य राष्ट्रों से आयातों में भी वृद्धि हो सकती है जिससे व्यापार दिशा परिवर्तन का स्थैतिक प्रतिकूल प्रभाव कुछ सीमा तक दुरुस्त हो सकता है। लेकिन गैर सदस्य राष्ट्रों से चु गी सघ के सदस्यों को किये जाने वाले निर्यातों में कुल मिलाकर कमी हो सकती है। जिसके परिणामस्वरूप गैर सदस्य राष्ट्रों के बाजारों के आकार में कमी तथा उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये बाजार प्रारम्भ में जितने अधिक छोटे होंगे उतना ही यह घटक अधिक महत्त्वपूर्ण होगा।

अतः पैमाने की मितव्ययताओं के प्रभाव को ज्ञात करने हेतु भी अनुकूल व प्रतिकूल प्रभावों की तुलना करनी होगी। लेकिन इस तरह की तुलना धरके राष्ट्रों के आर्थिक विकास पर विशुद्ध प्रभाव ज्ञात करना अत्यन्त ही दुष्कर कार्य है।

गत्यात्मक प्रभावों में दूसरा प्रभाव बाजारों के विस्तार से प्रतियोगिता में होने वाली वृद्धि है। चु गी सघ के निर्माण से व्यापार सृजन तथा व्यापार-दिशा परिवर्तन दोनों प्रभावों के कारण बाजार का आकार विस्तृत हो जाता है। चु गी सघ के सदस्यों के मध्य व्यापार पर प्रशुल्क समाप्त कर देने से सदस्य राष्ट्रों में एकाधिकार व कार्टेल्स पर अन्य सदस्य राष्ट्रों की फेमस् की प्रतियोगिता का दबाव बना रहता है। इस प्रकार अकुशल फेमस् पर भी दबाव बढ जाता है। सदस्य राष्ट्रों के उद्योगों के लिए विस्तृत बाजार के परिप्रेक्ष्य में जीवित रहने हेतु पुनर्गठित होना आवश्यक हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि चु गी सघ का प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने का प्रभाव वास्तविक तो है लेकिन इस प्रभाव की भी गणना करना सम्भव नहीं है।

चु गी सघ का एक अन्य गत्यात्मक प्रभाव सघ के अन्तर्गत विनियोग में होने वाली वृद्धि है। सघ के अन्तर्गत विस्तृत बाजार अवसरों के सृजन से कीमतों में परिवर्तन से तथा प्रतियोगिता में वृद्धि से घरेलू तथा विदेशी विनियोग का उद्दीपन होगा और इस प्रकार विकास की दर में वृद्धि होगी। इस प्रकार का विनियोग कुछ सीमा तक 'विनियोग-दिशा परिवर्तन' (Investment diversion) द्वारा दुरुस्त (offset) हो सकता है क्योंकि प्रशुल्क विभेद के कारण विनियोग-दिशा विश्व की सर्वाधिक उपयुक्त अवस्थिति से एकीकृत क्षेत्र की ओर परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा सघ सदस्य राष्ट्रों से व्यापार पर प्रशुल्क हटाने से आयात प्रतिस्थापन उद्योगों में भी विनियोग घटने की सम्भावना है।

चुंगी संघ के निर्माण का एक अन्य गत्यात्मक लाभ नव-प्रवर्तन (innovation) व तकनीकी परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। चुंगी संघ के निर्माण से बाजार के धाकार में वृद्धि के साथ-साथ फर्मों के अनुकूलतम धाकार में भी वृद्धि होगी तथा अनुसन्धान व विकास में अतिरिक्त साधन प्रयुक्त किए जाने लगेंगे। इस सन्दर्भ में भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन सब परिवर्तनों के परिणामस्वरूप नव-प्रवर्तनों की दर में वृद्धि होगी अथवा नहीं क्योंकि ऐसे आनुभविक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह दर्शाया गया हो कि छोटी फर्मों की तुलना में बड़ी फर्मों में तकनीकी नव-प्रवर्तन की दर अधिक होती है। अतः अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि नव-प्रवर्तन की सम्भावनाएँ बनी रहती हैं तथा विस्तृत बाजार व बड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण नव-प्रवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बना रहता है।

ध्यान रहे कि चुंगी संघ के निर्माण से प्राप्त गत्यात्मक लाभों को स्थैतिक लाभों की तुलना में काफी अधिक व महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तव में यू०के० ने सन् 1977 में इन्हीं लाभों को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बनने का निर्णय लिया था।

इस अध्याय के शेष भाग में हम प्रसिद्ध चुंगी संघ 'यूरोपीय आर्थिक समुदाय' तथा स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र 'यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ' की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करेंगे।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय

(European Economic Community)

यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय साम्राज्य बाजार की स्थापना मार्च 1957 में छह यूरोपीय राष्ट्रों—पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स तथा लक्जमबर्ग— द्वारा रोम संधि (Treaty of Rome) पर हस्ताक्षर करने के साथ ही हो चुकी थी। यूरोपीय साम्राज्य बाजार ने 1 जनवरी सन् 1958 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय एक तरह का चुंगी संघ है अतः इसके निर्माण के तुरन्त बाद सदस्य राष्ट्रों ने आपसी प्रशुल्क समाप्त करना प्रारम्भ कर दिया था। सन् 1966 तक औद्योगिक उत्पादों पर आपसी प्रशुल्क समाप्त की जा चुकी थी। आर्थिक समुदाय के सदस्यों ने गैर-सदस्य राष्ट्रों पर समान प्रशुल्क लागू करने के उद्देश्य से सन् 1957 की छह राष्ट्रों की प्रशुल्कों के समान्तर माध्य (Arithmetic

Average) के बराबर बाह्य प्रशुल्क लागू की त्रिमके परिणामस्वरूप बेनेनेकन व जर्मनी की प्रशुल्कों में वृद्धि की गयी जबकि फ्रान व इटली की प्रशुल्कों में कमी की गयी थी।

सन् 1970 तक ई०ई०सी० के सदस्य राष्ट्रों के मध्य पूर्वी व अरब की स्वतंत्र गतिशीलता होन लयी थी। सन् 1977 में यू०के०, जेनमार्क व आयरलैंड तथा सन् 1979 में यूनान द्वारा समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर लेने के साथ ही इसकी सदस्य संख्या 10 हो चुकी थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय विश्व का सबसे बड़ा व्यापार ब्लाक (bloc) है। यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 1960 तक ई०ई०सी० के सदस्यों व मध्य व्यापार एकांतरण की अनुपस्थिति की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक व्यापार हा रहा था।

ई ई सी व निर्माण म संग सदस्य राष्ट्रों के साथ ई ई सी के व्यापार म भी भारी वृद्धि हुई है। व्यापार में इस वृद्धि के दो प्रमुख कारण य।

- (1) ई. ई. सी. का तीव्र विकास त्रिमसे मध से बाहर के राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादों के आयातों की ई. ई. सी. की मांग में वृद्धि हुई, तथा
- (2) बेनेडी व टोकियो गठबंधन के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर औसत प्रशुल्क की दर को घटाकर बहुत नीचा कर दिया गया था।

दूसरी ओर ई ई सी के निर्माण से कृषि उत्पादों विनियमन अमेरिका से अनाजों में व्यापार-दिशा परिवर्तन भी हुआ है।

ई-ई सी के लिए कृषि से सम्बन्धित समान नीति के विकल्प का कार्य अधिक सम्प्राप्त मात्रा में है। इस सम्बन्ध में पहला प्रश्न तो प्रणाली से सम्बन्ध था तथा दूसरा प्रणाली व विस्तृत रूप से सम्बन्ध। इस सम्बन्ध में अनाई लयी प्रणाली लयी मरकवी प्रशुल्क (sliding Tariffs) प्रणाली थी जैसी कि टर्नमेन्ट ने कॉर्न लाज (Corn Laws) के समय अनाई थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत पहले मान्य बाजार में अनाज - अनाज बन्धुओं के लिए समर्थन मूल्य (support price) निर्धारित किये जाते हैं। मरकवी प्रशुल्क इस समर्थन मूल्य व विश्व बाजार मूल्य के अन्तर के बराबर होती है। यदि घरेलू पूंति घट जाने से कीमतें समर्थन मूल्य से अधिक हो जाती हैं तो विश्व बाजार कीमत व प्रशुल्क के योग वाली कीमत घटेनु कीमत को घटाकर समर्थन मूल्य के बराबर कर देंगे। दूसरी ओर यदि घरेलू उत्पादन अधिक है तो घरेलू कीमत गिर जायेगी तथा प्रशुल्क निषेधात्मक प्रशुल्क (prohibitive tariff) बन जायेगी व आयात शून्य हो जायेगा। इस तरह की प्रशुल्क से प्राप्त आय ई ई सी. राष्ट्रों की कृषि के आधुनिकीकरण हेतु बनाये गये एक विनियमन में रखा जाना है।

ई. ई. सी. राष्ट्रों को समर्थन मूल्य पर सहमत होने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जर्मनी का त्रिशचन डेमोक्रेटिक दल किसानों के समर्थन पर निर्भर था अतः यह दल गेहूँ की ऊँची कीमत बनाये रखने के पक्ष में था। दूसरी ओर फ्रांस में कृषि क्षेत्र की कुशलता में तीव्र वृद्धि हो रही थी अतः फ्रांस ऊँचे समर्थन मूल्यों के पक्ष में इसलिए नहीं था कि ऊँचे मूल्यों के परिणामस्वरूप कृषि पदार्थों का अतिरिक्त (surplus) फ्रांस की घरेलू उपभोग आवश्यकताओं में अधिक हो जायेगा। साथ ही अमेरिका केनेडी समझौतों में यह दबाव डाल रहा था कि गेहूँ, कपास, सोयाबीन आदि के लिए ई० ई० सी० में अमेरिका से आयातों के न्यूनतम कोटे का प्रावधान रखा जाना चाहिए जिसे कि सरकारी प्रशुल्क के बावजूद ई० ई० सी० आयात करता रहे। ऐसा माना जाता है कि ई० ई० सी० की कृषि से सम्बन्धित इस प्रकार की नीति ही ब्रिटेन के ई० ई० सी० में प्रवेश के रास्ते में प्रमुख बाधा थी क्योंकि ब्रिटेन कृषि पदार्थों की कीमत नीची बनाये रखकर कृषकों की आम बढाने हेतु उन्हें बर्षों तक भुगतान (deficiency payments) करने की नीति अपना रहा था।

सन् 1975 में लोमे सम्मेलन (Lome' Conference) में ई० ई० सी० ने अफ्रीका, केरीबीयन व पैसेफिक क्षेत्र के उन 46 राष्ट्रों से आयातों पर अधिकांश व्यापार प्रतिबन्ध समाप्त कर दिने थे जो कि पूर्व में ई० ई० सी० राष्ट्रों की कॉलोनिया (Colonies) थी। इससे पूर्व सन् 1971 में ई० ई० सी० ने विकासशील राष्ट्रों से निमित्त व अर्द्ध-निमित्त उत्पादों को सामान्यीकृत प्रशुल्क अधिमान (Generalized tariff preferences) स्वीकृत किये थे। लेकिन वस्त्र, इस्पात, जूना व ऐसी अनेक वस्तुएँ जो कि विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं उन पर अधिमानों की स्वीकृति नहीं दी गयी। सन् 1979 में टोक्यो राउण्ड में ऐसे अधिमानों को उष्ण उत्पादों (tropical products) पर भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी थी।

जहाँ तक ई० ई० सी० से स्थैतिक लाभों का प्रश्न है ऐसा अनुमान है कि इसके निर्माण से ये लाभ सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1 प्रतिशत या इससे कुछ कम हैं जबकि चुगौ सघ के 'गत्यात्मक लाभ' काफी महत्वपूर्ण बताये जाते हैं लेकिन ऐसे लाभों की सही गणना का प्रयास नहीं किया गया है।

ई.ई.सी. के त्रियावलापों की कुछ अन्य प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—

- (1) ई. ई. सी. के सदस्य राष्ट्रों ने समान योगित मूल्य वर प्रणाली (value added tax system) अपना रखी है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रेता के योगित मूल्य पर ही कर लगाया जाता है।

- (2) प्रायोग (The Commission) ई. ई. सी. का एक ऐसा कार्यकारी अंग है जिसे समुदाय स्तर पर प्रतियोगिता में बाधक एकाधिकार व कर्टेल्स के निर्माण को रोकने व इन्हें समाप्त करने का अधिकार है।
- (3) मंत्री परिषद् (Council of ministers) ई. ई. सी. का एक अन्य अंग है जो कि प्रायोग को सिफारिशों के आधार पर अन्तिम निर्णय लेता है इस परिषद् का प्रत्येक मंत्री स्वयं के राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है।

इसके अतिरिक्त यूरोपीय लोकसभा तथा प्रायोग व परिषद् के निर्णयों की वैधता का निर्धारक एक न्यायालय भी है।

यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ

[European Free Trade Association—EFTA]

नवम्बर 1958 तक विस्तृत यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना से सम्बन्धित समझौते की असफलता निश्चित हो चुकी थी, अतः यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाहर के सात राष्ट्रों—आस्ट्रेलिया, इनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नार्वे, पुर्तगाल, स्वीडन व स्वीट्जरलैण्ड—ने मिलकर एक व्यापार समूह के निर्माण से सम्बन्धित समझौते प्रारम्भ किये। नवम्बर 1959 में इन राष्ट्रों ने 'स्टॉक होम' संधि (Stockholm Treaty) पर हस्ताक्षर कर 'यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार संघ' का निर्माण किया। इसका सदस्य राष्ट्रों को सामान्यतया 'बाहरी सात' (outer seven) के नाम से जाना जाता है। 'बाहरी सात' राष्ट्रों ने यह निर्णय लिया कि ये राष्ट्र आपसी व्यापार में समस्त प्रशुल्कों को समाप्त कर देंगे लेकिन गैर-सदस्य राष्ट्रों के साथ व्यापार में प्रत्येक राष्ट्र अपनी निजी प्रशुल्क दरें लागू रखेगा। अतः सदस्य राष्ट्रों के मध्य प्रशुल्कों की कटौती जनवरी 1960 से प्रारम्भ की गयी तथा जनवरी 1967 तक इसका राष्ट्रों के औद्योगिक वस्तुओं के आपसी व्यापार पर प्रशुल्क पूर्ण रूप से समाप्त हो जा चुकी थी। लेकिन कृषि उत्पादों के व्यापार पर प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के प्रावधान लक्ष्य नहीं के बराबर थे।

गैर सदस्य राष्ट्रों से व्यापार में निजी प्रशुल्क बनाये रखने के कारण 'व्यापार-दिशा परिवर्तन' की समस्या अधिक गम्भीर हो जाती है क्योंकि जिस सदस्य राष्ट्र ने गैर सदस्य राष्ट्रों के आयातों पर नीची प्रशुल्क लगा रखी है उस राष्ट्र की और गैर-सदस्य राष्ट्रों के निर्यातों की दिशा परिवर्तित हो जाती है ताकि अन्य सदस्य राष्ट्रों की ऊँची प्रशुल्कों को टाला जा सके। इस स्थिति से निवृत्त हेतु समस्त

आयातों के मूल स्रोत व अतिम गंतव्य राष्ट्र पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है। इसके विपरीत चुंगी संधि के सदस्यों द्वारा समान बाह्य प्रशुल्क बनाये रखने के कारण वहाँ इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होती है।

इपटा राष्ट्रों ने अपनी सामाजिक व आर्थिक नीतियों में तालमेल (harmony) लाने का प्रयास नहीं किया क्योंकि इपटा की स्थापना का उद्देश्य औद्योगिक उत्पादों के स्वतंत्र व्यापार तक ही सीमित रहा है।

इपटा ने प्रारम्भ से ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सीदेबाजी bargaining करने की नीति अपनाई है। हाल ही में इपटा ने ईईसी के साथ औद्योगिक उत्पादों के स्वतंत्र व्यापार का समझौता किया है।

सन् 1977 में इपटा के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सदस्य ब्रिटेन ने जेनमाक के साथ इपटा की सदस्यता त्याग दी तथा आयरलैंड सहित इन तीन राष्ट्रों ने ईईसी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस परिवर्तन के साथ ही इपटा की सदस्य संख्या पाँच रह गई है जबकि फिनलेण्ड प्रारम्भ से ही इपटा का सहायक सदस्य (Associate member) रहा है।

भुगतान समुत्पन्न (Balance of Payments)

अर्थ

(Meaning)

प्रो० किण्डलबर्गर (Kindleberger) के अनुसार "एक राष्ट्र का भुगतान समुत्पन्न उस राष्ट्र के नागरिकों व विदेशी नागरिकों के मध्य निमित्तबन्धन व्यवहार में होने वाले समस्त आर्थिक सौदों का एक विभिन्न अभिलेख (Record) है।"¹

यहाँ यह धारणा काफी स्पष्ट प्रकृत होती है लेकिन हमें अवधारणा में सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उभरते हैं। जैसे, राष्ट्र विदेश का नागरिक किसे माना जाने ? एक आर्थिक सौदे में कौन से सौदे प्राथमिक किसे जाने ? आदि।

परन्तु एक, राजस्व, सैनिक, अथवा प्रवासी कर्जों एवं विदेशों में स्थित धरोखु वस्तुओं की शताब्दों में कार्यरत सौर उस राष्ट्र के नागरिक माने जाते हैं विषय राष्ट्र के वे सूच निवासी हैं। लेकिन ऐसा मानने का एक औचित्य साक्ष्य नहीं मिला जा सकता है। कुछ राष्ट्र स्वयंसे व अस्थायी निवासियों को वृत्तमान मित मानते हैं। लेकिन यह सम्भव है कि वर्तमान अस्थायी प्रवासी परिवर्तन के स्थायी प्रवासी हों। अतः इन सम्बन्ध में चर्चा प्राप्त सम्भवता रहता है। लेकिन वृत्तिक रूप लेने में इन देशों के अनुसूच्य मनोव्यवहार कर बिना जाता है अतः इस राष्ट्र के निवासियों का भुगतान समुत्पन्न की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

दूसी प्रकार से आर्थिक सौदों में किन प्रकार के सौदे शामिल किने जायें इनमें सम्बन्धित ही कुछ समझाया जायें गृहीत है। मानास्यटना एक आर्थिक सौदे के अन्तर्गत एक आर्थिक वस्तु के विनिमय में मुद्रा का भुगतान व प्राप्ति होती है। लेकिन वस्तु विनिमय की स्थिति में मौद्रिक भुगतान नहीं होता है। इसी प्रकार वस्तुओं के रूप में अन्तर्गत वस्तुओं

1. Kindleberger, C.P.—International Economics (5th ed.), p. 364.

के विनिमय में भी किसी प्रकार के भुगतान की मांग नहीं की जा सकती है। लेकिन भुगतान सन्तुलन के दृष्टिकोण से ये सभी सौदे महत्वपूर्ण हैं एवं इन सब सौदों को भुगतान सन्तुलन में शामिल किया जाता है।

भुगतान सन्तुलन पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व विस्तृत विवेचन प्रो० जे० ई० मीड (J E Meade) की पुस्तक² में मिलता है। प्रो० मीड न प्रारम्भ में यह स्पष्ट किया है कि भुगतान सन्तुलन एक अस्पष्ट पद (Term) है एवं इसे सामान्यतया अस्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए ढोले ढाले अर्थ में प्रयुक्त किया जाता ही अधिनाश भ्रान्ति का कारण है।

प्रो० मीड के अनुसार "निसन्देह ही एक आशय में तो भुगतान सन्तुलन कभी भी असाध्य में नहीं हो सकता है जैसा कि किसी अन्य खाते के सम्बन्ध में भी सही है, यदि हम राष्ट्र के खाते में समस्त प्राप्तियाँ एवं समस्त भुगतान शामिल करते हैं तो उस राष्ट्र की कुल प्राप्तियाँ उसके कुल भुगतानों के बराबर हो होंगी। उदाहरणार्थ, राष्ट्र की प्राप्तियों में यदि हम न केवल निर्यातित माल का मूल्य ही शामिल करें, अपितु स्वर्ण अथवा अन्य मौद्रिक आरक्षित निधियों-जिनका राष्ट्र अपने आयातों के उस भाग पर क्रयशक्ति प्राप्त करने हेतु निर्यात करता है जो कि उसके सामान्य वाणिज्यिक निर्यातों की आड़ में प्राप्त नहीं (not covered by) हो सकते हैं—को भी शामिल करें तो कुल प्राप्तियाँ कुल भुगतानों के बराबर ही होंगी।"³

प्रो० मीड के उपर्युक्त बचन को स्पष्ट करने हेतु हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये कि भुगतान सन्तुलन द्वि-अंकन वही खाता (Double entry book Keeping) पद्धति के सिद्धान्तों के आधार पर तैयार किया जाता है। अतः यदि हम राष्ट्र की समस्त प्राप्तियों व भुगतानों की सूची सावधानी पूर्वक तैयार करें तो भुगतान सन्तुलन में शामिल लेनदारियाँ (credits) व देनदारियाँ (debits) सदैव सतुलित होंगी अतः भुगतान सन्तुलन एक तरह से सदैव सतुलित रहता है। द्वि-अंकन वही खाता लेख की वह प्रणाली है जिसमें राष्ट्र के भुगतान सन्तुलन में जब कभी भी लेनदारो (credit) अथवा देनदारो (debit) क सौदे की प्रविष्टि की जाती है तो इसे दुष्ट करने वाले (off setting) क्रमशः देनदारो अथवा लेनदारो वाले समान मात्रा के सौदे की भी भुगतान सन्तुलन के चालुखाते अथवा पूँजी खाते में प्रविष्टि की जाती है। यह तथ्य सारणी-1 की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है।

2 Meade J E —The Theory of International Economic Policy, Vol I—The Balance of Payments (New York, Oxford University Press Inc 1951) Chap 1

3 Meade, J E —Op cit p 3-4

सारणी-12.1 के बायें पक्ष की प्रविष्टियाँ उन समस्त तरीकों को दर्शाती हैं जिनके द्वारा राष्ट्र दी हुई समयावधि में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है अथवा जिन तरीकों से राष्ट्र को विदेशी बाजारों में वस्तुओं व सेवाओं पर ऋणशक्ति प्राप्त होती है।

विदेशी मुद्रा की ये प्राप्तियाँ वस्तुओं के निर्यातों, सेवाओं के निर्यातों प्रतिफल-हीन प्राप्तिओं अथवा विदेशियों से पूँजीगत प्राप्तिओं द्वारा हो सकती हैं। इसी प्रकार हमारे उदाहरण के बाल्पनिक, विकासशील राष्ट्र के भुगतान सन्तुलन के दाहिने पक्ष में वे समस्त मदें सम्मिलित की गयी हैं जिन पर विदेशी मुद्रा व्यय की जा सकती है अथवा जिस प्रकार से विदेशी वस्तुओं पर ऋणशक्ति का उपयोग किया जा सकता है। इसी समयावधि में, विदेशों से वस्तुओं का आयात द्वारा, सेवाओं के त्रय द्वारा, विदेशियों को उपहार देकर अथवा पूँजीगत भुगतानों द्वारा, विदेशों में ऋणशक्ति का उपयोग किया जा सकता है।

चूँकि छाते का भुगतान पक्ष दी हुई समयावधि में राष्ट्र द्वारा प्राप्त विदेशी ऋणशक्ति के समस्त उपयोगों को शामिल करता है तथा छाते का प्राप्ति पक्ष इस राष्ट्र द्वारा इसी समयावधि में विदेशी ऋणशक्ति प्राप्त करने के समस्त स्रोतों को शामिल करता है, अतः दोनों पक्ष संतुलित हो होंगे क्योंकि एक ही चीज की गणना के ये मात्र भिन्न तरीके हैं।

अब हम सारणी-1 में सम्मिलित विभिन्न मदों की चर्चा करेंगे।

वस्तुओं के निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने का सीधा तरीका है। सारणी-12.1 में पक्ति-1 दर्शाती है कि हमारे उदाहरण के राष्ट्र में 850 करोड़ रु के मूल्य के वस्तुओं के निर्यात किये हैं। इसी प्रकार इस सारणी की पक्ति-5 दर्शाती है कि राष्ट्र ने 1050 करोड़ रु के मूल्य के वस्तुओं के आयात किये हैं। इस प्रकार पक्ति-1 व 5 राष्ट्र के दृश्य व्यापार को प्रदर्शित करती हैं। पक्ति-2 एक दी हुई समयावधि में राष्ट्र द्वारा विदेशियों के लिये की गई सेवाओं के उपलक्ष में प्राप्तिओं को दर्शाती है। सेवाओं में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मद जहाजी सेवाएँ हैं, इसके अतिरिक्त पर्यटकों के लिये की गई सेवाएँ, वैकिंग सेवाएँ व बीमा सेवाएँ आदि के उपलक्ष में प्राप्तिओं को भी पक्ति-2 में प्रविष्ट किया जाता है। देश के नागरिकों को विदेशों विनियोग से प्राप्त लाभांश व ब्याज भी इस पक्ति में सम्मिलित किये जाते हैं क्योंकि इन भुगतानों को पूँजी से व्युत्पन्न चातु सेवाओं के बदले विदेशियों द्वारा किया गया भुगतान माना जाता है। विचाराधीन राष्ट्र के नागरिकों की श्रम, हिस्ता पूँजी, बोनस आदि की सेवाओं के बदले विदेशियों से प्राप्त भुगतान भी इसी पक्ति में शामिल किये जाते हैं। पक्ति-2 में सम्मिलित सेवाओं के निर्यातों को अक्षय निर्यात कहते हैं। विचाराधीन राष्ट्र की सेवाओं से प्राप्तियाँ 200 करोड़ रु के मूल्य की हैं जबकि

सारणी-12 1

राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय लेनदारियों व भुगतानों का लेखा

(Account of a Country's International Transactions)

लेनदारियाँ (करोड़ रुपये में) (credit)		देनदारियाँ (करोड़ रुपये में) (debit)	
1 वस्तुओं के निर्यात (दृश्य निर्यात)	850	5 वस्तुओं के आयात (दृश्य आयात)	1050
2 सेवाओं के निर्यात (अदृश्य निर्यात)	200	6 सेवाओं के आयात (अदृश्य आयात)	140
3 मुफ्त प्राप्तियाँ (विदेशियों से प्राप्त उपहार, युद्धक्षति- पूर्ति के रूप में प्राप्तियाँ आदि)	150	7. (मुफ्त भुगतान (विदेशियों को दी गई उपहार, युद्ध क्षति-पूर्ति के रूप में भुगतान आदि)	110
4 पूँजीगत प्राप्तियाँ (विदेशियों से ली गई उधार, विदेशियों द्वारा पुनर्भुगतान, अथवा विदेशियों को परि- सम्पत्तियों का विक्रय)	300	8 पूँजीगत भुगतान (विदेशियों को दी गई उधार, विदेशियों को किये गये पूँजी के पुनर्भुगतान, अथवा विदेशियों से परिसम्पत्तियों का क्रय	200
कुल प्राप्तियाँ	1500	कुल भुगतान	1500

सेवाओं के आयातों के भुगतान 140 करोड़ रु. के मूल्य के हैं। इसके अनेक कारणों में से एक सम्भावित कारण राष्ट्र में अधिक पर्यटकों का आना हो सकता है। विचाराधीन राष्ट्र के नागरिकों द्वारा विदेशियों की सेवाओं के बदले किये गये समस्त भुगतानों की प्रविष्टि पंक्ति—6 में की जाती है। पंक्ति 1, 2, 5 व 6 में सम्मिलित मदों को प्रो मीड ने व्यापार मदों (trade items) का नाम दिया है।

पक्ति-3 में मुफ्त प्राप्तियाँ सम्मिलित की गई हैं। ये ऐसी प्राप्तियाँ हैं जिनके बदले राष्ट्र की कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। जैसे एक राष्ट्र के विदेशों में वायव्य नागरिक अपने सम्बन्धियों को उपहार व मुद्रा भेज सकते हैं इसी प्रकार युद्ध में पराजित राष्ट्र द्वारा विचाराधीन राष्ट्र को क्षति-पूर्ति के रूप में किये गये भुगतान को भी पक्ति-3 में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार विचाराधीन राष्ट्र के नागरिकों द्वारा विदेशियों को दिये गये उपहार, युद्धक्षति-पूर्ति के रूप में भुगतान आदि की प्रविष्टि पक्ति-7 में की जायेगी। हमारे उदाहरण के राष्ट्र की मुफ्त प्राप्तियाँ 150 करोड़ रु के मूल्य की हैं। जबकि इस राष्ट्र के मुफ्त भुगतान 110 करोड़ रु के मूल्य के हैं। सम्भवतः विचाराधीन राष्ट्र के नागरिकों का काफी सख्या में विदेशों में कार्यरत होना इस राष्ट्र द्वारा 40 करोड़ रु के मूल्य की प्रधिक मुफ्त प्राप्तियों का कारण रहा होगा।

पक्ति 1, 2, 3, 5, 6 व 7 में ऐसी समस्त प्राप्तियों व भुगतानों को सम्मिलित किया गया है जिनकी प्रवाह (flow) की प्रकृति है तथा जिनका सम्बन्ध प्रति-समयावधि से है।

अब पक्ति 4 व 8 में सम्मिलित मदें शेष बचती हैं। ये मदें भुगतान सतुलन की अन्य मदों से पूर्णतया भिन्न प्रकृति की हैं। पक्ति 4 व 8 में सम्मिलित मदों की प्रकृति स्टॉक की है न कि प्रवाह की।

किसी भी राष्ट्र के नागरिकों को पूँजीगत प्राप्तियाँ निम्न प्रकार से हो सकती हैं —

(1) सरकार अथवा कोई निगम, कम्पनी अथवा विचाराधीन राष्ट्र का नागरिक, विदेशी सरकार अथवा निगम, कम्पनी अथवा नागरिक से मुद्रा उधार ले सकते हैं। इस प्रकार की उधार अनेक रूपों में हो सकती हैं। यह उधार विचाराधीन राष्ट्र की सरकार को विदेशी सरकार से प्राप्त ऋण के रूप में हो सकती है अथवा ऋणदाता राष्ट्र के पूँजी बाजार में विचाराधीन राष्ट्र की ऋण-प्राप्तकर्ता एजेंसी नयी प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती है। इस प्रकार के ऋण मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। इन समस्त स्थितियों में विचाराधीन राष्ट्र को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा को सारणी-12 की पक्ति 4 में प्रविष्टि किया जायेगा।

(2) विचाराधीन राष्ट्र की सरकार अथवा किसी निगम, कम्पनी अथवा नागरिक को ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान प्राप्त हो सकते हैं जो कि उन्होंने पहले विदेशियों को उधार दिये थे।

(3) विचाराधीन राष्ट्र को सरकार अथवा कोई निगम, कम्पनी अथवा नागरिक से विदेशी राष्ट्र की सरकार, निगम, कम्पनी अथवा नागरिक पूँजीगत परिसम्पत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की परिसम्पत्तियों की प्राप्ति के अनेक रूप हो सकते हैं, ये भूमि, मशीन, विद्यमान प्रतिभूतियाँ, हिस्सा पूँजी आदि के रूप में हो सकती हैं।

इसी प्रकार यदि विचाराधीन राष्ट्र के नागरिक भूमि अथवा विदेशी हिस्सा पूँजी के रूप में विदेशी परिसम्पत्ति प्राप्त करते हैं अथवा विचारार्थ राष्ट्र की सरकार विदेशी सरकार को मुद्रा उधार देती है तो इन सौदों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का अथवाह (outflow) होगा तथा इन समस्त सौदों की पक्ति 8 में शामिल किया जायेगा। इस सम्बन्ध में हमें “पूँजीगत आयातों” तथा “पूँजीगत निर्यातों” का अभिप्राय स्पष्ट कर देना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि कोई विदेशी निगम हमारे राष्ट्र में एक विज्ञापन एजेंसी क्य कर लेता है तो हम इसे पूँजी का आयात कहेगे तथा इसकी प्रविष्टि पक्ति-4 में की जाएगी।

लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आधिकार सम्बन्धित राष्ट्र ने अन्य निर्यातों की भाँति एक विज्ञापन एजेंसी का निर्यात ही तो किया है, अतः इसे ‘पूँजी का निर्यात’ क्यों नहीं कहा जा सकता? लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसे हम पूँजी का आयात ही कहेंगे। इस सम्बन्ध में प्रमुख आधार सूत्र यह होता है कि ऐसे सौदों के परिणामस्वरूप विचाराधीन राष्ट्र को विदेशी मुद्रा का स्वामित्व प्राप्त हुआ है अथवा नहीं, यदि सौदों के परिणामस्वरूप राष्ट्र को विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है तो यह पूँजी का आयात ही कहा जाएगा क्योंकि यह पूँजी का अन्तर्वाह (inflow) है।

इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र विदेशी परिसम्पत्ति का क्य करके पूँजीगत निर्यात कर सकता है। ऐसे सौदों के परिणामस्वरूप विचारार्थ राष्ट्र विदेशी राष्ट्र की मुद्रा चुकाता है अतः यह पूँजी का अथवाह (outflow) होगा तथा इसे पक्ति-8 में शामिल किया जाएगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र दो आधारभूत तरीकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है— वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यातों द्वारा अथवा पूँजी के आयातों द्वारा। अतः वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात तथा पूँजी के आयात दोनों की ही भुगतान सतुलन के प्राप्ति (credit) पक्ष में प्रविष्टि की जाती है।

इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र दो मौलिक तरीकों से विदेशी में मुद्रा व्यय कर सकता है— वस्तुओं व सेवाओं के आयातों पर अथवा पूँजी के निर्यातों द्वारा। अतः वस्तुओं व सेवाओं के आयातों व पूँजी के निर्यातों की भुगतान सतुलन के देनदारी (Debit) पक्ष में प्रविष्टि किया जाता है।

जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है मर 4 व 8 स्टॉक प्रकृति के हैं, न कि प्रवाह प्रकृति के। विरुद्ध भी राष्ट्र के पास भूमि मगन, जहाजी वेडा घादि के रूप में पूँजी का निविन स्टॉक होना है एव यदि राष्ट्र अपनी पूँजी के स्टॉक का हिस्सा बेचने में सम्बन्धित मोदा करता है तो हम इमकी भुगतान संतुलन के पूँजी खान में प्रविष्टि करते हैं।

व्यापार-संतुलन, चालू खाते का संतुलन एवं भुगतान संतुलन

(The Balance-of-Trade, The Balance-of-Current Account and The Balance-of-Payments)

हमारे काश्चनिक राष्ट्र के भुगतान संतुलन की मारणी-12 2 में पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

मारणी 12 2

विभिन्न बाह्य संतुलन

(Different External Balances)

(रुपय में)

1.	द्वय व्यापार संतुलन (मारणी-12.1, पक्ति 1 व 5)	850—1050 = —200
2.	घटव व्यापार संतुलन (मारणी-12 1, पक्ति 2 व 6)	200—140 = 60
3.	भुगतान हस्तानरणों का संतुलन (मारणी-12.1, पक्ति 3 व 7)	150—100 = 40
4.	धातु खाने का संतुलन (मारणी-12 2, 1, 2, 3 पक्तियों का योग)	1200—1300 = —100
5.	पूँजी खाने का संतुलन (मारणी-12.1, पक्ति 4 व 8)	300—200 = 100
6.	भुगतान संतुलन (मारणी-12.2, 4 व 5 पक्तियों का योग)	1500—1500 = 0

इस व्यापार सतुलन अथवा व्यापार सतुलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है लेकिन फिर भी यह राष्ट्र के भुगतान सतुलन में असाध्य का माप नहीं है। किसी भी राष्ट्र के भुगतान सतुलन के साम्य में होने हेतु उस राष्ट्र का व्यापार सतुलन साम्य में होना आवश्यक नहीं है।

यदि राष्ट्र के निर्यातों का मूल्य उसके आयातों के मूल्य से अधिक है तो व्यापार सतुलन अनुकूल होगा और यदि निर्यातों का मूल्य आयातों के मूल्य से कम है तो प्रतिकूल। सारणी-12.2 की पंक्ति-1 दर्शाती है कि राष्ट्र के व्यापार सतुलन में 200 करोड़ रु का घाटा है। लेकिन यह घाटा भुगतान सतुलन के अन्य खातों द्वारा दुरस्त (offset) हो सकता है एवं परिणामस्वरूप भुगतान सतुलन भी साम्यावस्था में पाया जा सकता है।

हमारे उदाहरण में सेवाओं के सतुलन में 60 करोड़ रु के मूल्य का अतिरिक्त है। इसी प्रकार मुफ्त हस्तांतरणों के सतुलन में 40 करोड़ रु. के मूल्य का अतिरिक्त है। इन तीनों खातों का योग चालू खाता कहलाता है। चालू खाता (Current Account) व्यापार सतुलन से अधिक विस्तृत अवधारणा है, इसमें व्यापार सतुलन, सेवाओं का सतुलन व मुफ्त हस्तांतरणों का सतुलन सम्मिलित किये जाते हैं। किसी भी राष्ट्र का चालू खाते का सतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। चालू खाते का सतुलन राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय सौदों के प्रवाह पहलु (flow aspect) को प्रदर्शित करता है। एक ही हुई समयावधि में एक राष्ट्र में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं में से किये गए निर्यात चालू खाते के देनदारी पक्ष में प्रविष्ट किये जाते हैं तथा इसी समयावधि में राष्ट्र द्वारा आयातित एवं उपभोग की गयी अथवा मरहम की गई समस्त वस्तुओं व सेवाओं की चालू खाते के देनदारी पक्ष में प्रविष्टि की जाती है।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रवाह प्रवृत्ति के समस्त मद चालू खाते के सतुलन में तथा स्टॉक में परिवर्तन से सम्बन्धित समस्त मद पूर्वकी खाते के सतुलन में प्रविष्टि किये जाते हैं।

चालू खाते के सन्तुलन व भुगतान सन्तुलन में आपसी सम्बन्ध

(The Relationship between Current Account and Balance of Payments)

किसी भी राष्ट्र के चालू खाते के सन्तुलन व भुगतान सन्तुलन में एक तरफा सम्बन्ध होता है अर्थात् चालू खाते में सम्मिलित समस्त मद स्वयं भुगतान सन्तुलन पर

निर्भर करने की वजाय भुगतान सतुलन को निर्धारित करने हैं। चालू खात में सम्मिलित समस्त सौदे स्वचालित प्रकृति (autonomous nature) के होते हैं एवं इन सौदों के पीछे निहित कारण भुगतान सतुलन की स्थिति पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं होता है। अतः चालू खात में सम्मिलित सौदे भुगतान सतुलन की स्थिति पर निर्भर नहीं करते हैं लेकिन चालू खात का अतिरेक अथवा घाटा भुगतान सतुलन की स्थिति को अवश्य प्रभावित करता है।

व्यापार सतुलन व पूँजी खाते का सतुलन

(The Balance of Trade and the Capital Account)

व्यापार सतुलन व पूँजी खात के सतुलन का प्रापसी सम्बन्ध आकस्मिक नहीं है। यद्यपि इन खातों में कारण-परिणाम का सम्बन्ध निर्धारित करना अटिल कार्य है लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि पूँजी निर्यातकर्ता राष्ट्र के व्यापार सतुलन में, पूँजी खाते के घाटों को दुर्घस्त करने हेतु, भारी अतिरेक होना चाहिये। व्यापार सतुलन के इस अतिरेक का प्राणिक कारण तो पूँजी का निर्यात स्वयं ही है क्योंकि विदेशी राष्ट्र अपनी परियोजनाओं में पूँजी निर्यात राष्ट्र की मशीनों, औजार आदि उपयोग में लेते हैं जिससे पूँजी निर्यातक राष्ट्र में निर्यातों में वृद्धि होती है। लेकिन प्रमुखतया पूँजी प्राप्तकर्ता राष्ट्र की आय में वृद्धि के कारण भी उसके आयात बढ़ेंगे एवं पूँजी निर्यातक राष्ट्र की आय में कमी से उसके आयात घटेंगे।

या तो हम यह कह सकते हैं कि व्यापार का घाटा पूँजी आयातों से पूरा होता है अथवा यह कह सकते हैं कि पूँजी के आयात व्यापार सतुलन में घाटा उत्पन्न करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के कारण व परिणाम हो सकते हैं लेकिन यह तो सत्य है कि पूँजी के निर्यात व व्यापार सतुलन में अतिरेक व पूँजी के आयात व व्यापार सतुलन में घाटा, साथ-साथ बने रहकर भुगतान सतुलन को सतुलित करते हैं।

कुछ कारणों से व्यापार सतुलन में भारी अतिरेक को 'स्वस्थ' अर्थव्यवस्था का चोक्ता माना जाता है लेकिन हम पूँजी के अन्तर्वाहों को भी 'स्वस्थ' अर्थव्यवस्था का लक्षण मानते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि व्यापार सतुलन में भारी अतिरेक व पूँजी के अन्तर्वाह आंतरिक रूप में एक दूसरे से असंगत हैं। अपने आप में व्यापार अतिरेक को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ अर्थव्यवस्था का प्रतीक कहना उचित नहीं है। वास्तव में किन परिस्थितियों में यह अतिरेक उत्पन्न हुआ है इसकी जानकारी प्राप्त करने ही हम कुछ कह सकते हैं।

यह समझने हेतु कि व्यापार का अतिरेक अनिवार्यतः ही अनुकूल घटक नहीं है एक क्षण के लिए सोचिए कि यदि कोई राष्ट्र अधिक वस्तुओं का निर्यात कर रहा है व कम वस्तुओं का आयात तो इस तथ्य में अनुकूलता वाली क्या बात है ?

अतिरेक को इंगित करने वाला "अनुकूल सतुलन" पद (term) वल्लिखवाइयो के दिमाग की उस समय की उपज है जबकि राष्ट्र केवल स्वर्ण एकत्र करना ही अपना उद्देश्य मान बैठे थे तथा ऐसे राष्ट्र जिनमें स्वर्ण के भण्डार नहीं थे उनके पास केवल भुगतान सतुलन में अतिरेक बनाए रखना ही स्वर्ण की प्राप्ति का रास्ता था अतः व्यापार सतुलन के अतिरेक को अनुकूल माना जाने लगा। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि वस्तुओं के निर्यात से राष्ट्र इन वस्तुओं के उपभोग से प्राप्त होने वाले सन्तोष से वंचित रहता है जबकि राष्ट्र की सरकार के पास स्वर्ण के भण्डारों में वृद्धि होने से नागरिकों के सन्तोष में कोई वृद्धि होती प्रतीत नहीं होती है। लेकिन इस सबसे विपरीतार्थ भी नहीं निकालना चाहिए यानि कि व्यापार में अतिरेक को अस्वस्थता का प्रतीक मान लेना भी उचित नहीं है।

व्यापार सतुलन में घाटे अथवा अतिरेक की उस समय तक चिन्ता नहीं करनी चाहिए जब तक की उतनी ही मात्रा में पूँजी के चलनों का इस घाटे अथवा अतिरेक के समायोजन हेतु तथा इसे दुस्स करने हेतु विपरीत दिशा में चलन होता हो। भुगतान सतुलन के इन दोनों ही खातों में अनेक मद्दे सम्मिलित होती हैं एवं इन सब मद्दों का बिना हकावट के प्रवाह होता रहे तो विश्व समुदाय इससे लाभान्वित ही होगा।

भुगतान संतुलन के अन्य प्रमुख खातों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का विश्लेषण अनुप्रयुक्त किया जा सकता है।

भुगतान संतुलन में साम्य तथा असाम्य

(Equilibrium and Disequilibrium in the Bop.)

जैसा कि पहले बताया जा चुका है एवं आशय में तो भुगतान सतुलन सर्वद्व ही सतुलित रहता है। उदाहरणार्थ, हमारे आल्पनिक राष्ट्र के भुगतान सतुलन की सारणी-12.2 से स्पष्ट है कि राष्ट्र के चालू खाते में 100 करोड़ रु का घाटा है लेकिन फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्र का भुगतान सतुलन निश्चय ही घाटे में है।

लेकिन इस 100 करोड़ रु के चालू खाते के घाटे का समायोजन होना आवश्यक है। यदि किसी राष्ट्र के भुगतान सतुलन के चालू खाते में घाटा है तो इसका

सरकार से उधार ले लिया है तो इसकी पूँजी खाते में पूँजी के अन्तर्वाह के रूप में प्रविष्टि होगी। लेकिन इसके अनिश्चित भी पूँजी के ऐसे प्रवाह होते हैं जिनका भुगतान सतुलन की स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, जैसे यह सम्भव है कि एक विदेशी अपने माल का बाजार बढाने हेतु 100 करोड़ रु. की लागत को विचाराधीन राष्ट्र में एक एजेंसी क्रय कर ले तो इसकी भी भुगतान सतुलन में पूँजी के अन्तर्वाह के रूप में प्रविष्टि की जाएगी। लेकिन भुगतान सतुलन के दृष्टिकोण से पूँजी के इन दोनों प्रकार के प्रवाहों का बड़ा भिन्न महत्त्व है।

प्रथम प्रकार के पूँजी के प्रवाह समायोजक पूँजी के चलन कहलाते हैं। ये वे पूँजी के चलन होते हैं जो विशेष रूप से भुगतान सतुलन को बहीखाता प्राशय में सतुलित करने के उद्देश्य से होते हैं। समायोजक पूँजी के प्रवाहों के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे निजी विनिमय डीलर्स के सतुलनों में स्वचालित (Automatic) परिवर्तन, केन्द्रीय बैंकों के स्वर्ण में कमी अथवा भुगतान सतुलन में अतिरिक्त वाले राष्ट्र की सरकार द्वारा सहायता का प्रावधान आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि समायोजक चलन स्वचालित (Automatic) यानि कि अनियोजित व पूर्वदृष्ट (जैसे निजी डीलर्स के सतुलनों में कमी अथवा केन्द्रीय बैंक के स्वर्ण में कमी) हो सकते हैं अथवा स्वनिर्णयाधीन (discretionary) अर्थात् नियोजित एवं पूर्वदृष्ट (foreseen) (जैसे विशेष सरकारी सहायता) हो सकते हैं। इन प्रवाहों की प्रभेदक विशेषता यह है कि ये केवल इसलिए होते हैं कि भुगतान सतुलन के दोनों पक्षों (प्राप्ति व देनदारी) के बीच अन्य मदों ने इस मात्रा का अन्तर पूरा करने हेतु छोड़ दिया है।

दूसरी प्रकार के पूँजी के प्रवाहों को हम स्वायत्त प्रवाह कहते हैं। ये साधारण पूँजी के प्रवाह होते हैं एवं इनकी प्रभेदक विशेषता यह है कि ये भुगतान सतुलन की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं।

स्वायत्त प्राप्तियों में समस्त सामान्य निर्यात, प्रवासियों द्वारा उपहार के रूप में भेजी गयी धनराशि एवं वे क्षतिपूर्ति भुगतान जो कि भुगतान सतुलन को सतुलित करने के सिवाय किसी उद्देश्य से हुए हैं तथा पूँजी के ऐसे समस्त चलन जो कि निजी उपक्रमों द्वारा इसलिए किये गये हैं कि राष्ट्र विशेष में विनियोग करना अधिक लाभप्रद प्रतीत होता है अथवा विदेशी कम्पनी द्वारा अपने व्यापार विस्तार के लिए विचाराधीन राष्ट्र में सहायक सयंत्र (Subsidiary Plant) क्रय करना, सम्मिलित किये जाते हैं।

समायोजक प्राप्तियों में, राष्ट्र के आयातकर्ताओं को चानू विनिमय दर पर विदेशों से त्रय किये गये माल के भुगतान की वित्त व्यवस्था करने हेतु आवश्यक विदेशी मुद्रा

उपलब्ध करवाने के लिए अपने विदेशी मुद्रा के संप्रह में से विक्रय घयवा राष्ट्र द्वारा सचित अपने प्रारक्षित निधि परिसम्पत्तियों का रिक्तीकरण करना घयवा विचाराधीन राष्ट्र की सरकार की विदेशी सरकार से ऋण घयवा उपहार के रूप में भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के विशिष्ट उद्देश्य हेतु मुद्रा प्राप्त होना घयवा भुगतान संतुलन के घाटे का पूरा करने के उद्देश्य से राशि इकट्ठी करने हेतु अपने नागरिकों की विदेशी परिसम्पत्तियों को अनिवाय रूप से प्राप्त कर लेना, सम्मिलित विये जाते हैं।

सारणी 12 3 व 4 में सारणी 12 1 व 2 को इस प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया गया है कि विचाराधीन राष्ट्र के भुगतान संतुलन में सम्मिलित समस्त मदों को स्वायत्त व समायोजक सौदों में विभाजित किया जा सके।

सारणी-12 3 दर्शाती है कि विचाराधीन राष्ट्र ने 1050 करोड़ रु की वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात किये हैं तथा इस राष्ट्र को 150 करोड़ रु के मूल्य की मुफ्त स्वायत्त व समायोजक सौदे (करोड़ रु में)

(Autonomous and Accomodating Transactions)

सारणी-12 3

स्वायत्त व समायोजक सौदे (करोड़ रु में)

प्राप्तियाँ		देनदारियाँ			
1	स्वायत्त प्राप्तियाँ	1400	3	स्वायत्त भुगतान	1500
(a)	स्वायत्त निर्यात (दृश्य व अदृश्य)	1050	(a)	स्वायत्त घायत (दृश्य व अदृश्य)	1190
(b)	विदेशियों से मुफ्त स्वायत्त प्राप्तियाँ	150	(b)	विदेशियों को मुफ्त स्वायत्त भुगतान	110
(c)	विदेशियों से स्वायत्त पूँजीगत प्राप्तियाँ	200	(c)	विदेशियों को स्वायत्त पूँजीगत भुगतान	200
2.	विदेशियों से समायोजक पूँजीगत प्राप्तियाँ	100	4	विदेशियों को सामायोजक पूँजीगत भुगतान	0
		1,500			1,500

प्राप्तियाँ हुई हैं। यह भी मान लीजिए कि इस राष्ट्र में 200 करोड़ रु. का पूँजी का स्वचालित अन्तर्वाह हुआ है। पूँजी का यह अन्तर्वाह, उदाहरणार्थ, विदेशी निगम द्वारा इस राष्ट्र में सहायक सयंत्र त्रय करके 200 करोड़ रु. के मूल्य की पूँजीगत परिसम्पत्ति प्राप्त करने के रूप में हो सकता है।

सारणी-12 4

भुगतान सतुलन

(Balance of Payments)

	करोड़ रु. में
1 स्वायत्त व्यापार सतुलन [सारणी -12 3 पक्ति (1a) व (3a)]	1050 — 1190 = 140
2 स्वायत्त मुफ्त हस्तांतरणों का सतुलन [सारणी-12.3 पक्ति (1b) व (3b)]	150 — 110 = 40
3. स्वायत्त पूँजी चलनों का सतुलन [सारणी-12 3, पक्ति (1c) तथा (3c)]	200 — 200 = 0
4 भुगतान सतुलन	1400 — 1500 = -100
5 विदेशी समायोजन का सतुलन	100 — = 100
6 स्वायत्त व समायोजन सौदों का सतुलन	1500 — 1500 = 0

इसी प्रकार सारणी-12 3 दर्शाती है कि राष्ट्र ने 1190 करोड़ रु. के मूल्य की वस्तुओं व सेवाओं के आयात किये हैं एवं 110 करोड़ रु. के मूल्य के विदेशियों को मुफ्त भुगतान किये हैं। राष्ट्र से 200 करोड़ रु. के मूल्य का पूँजी का स्वायत्त प्रवाह भी हुआ है।

इस प्रकार सारणी-12 3 के प्राप्ति व देनदारी पक्ष दर्शाते हैं कि विदेशियों का क्रियण्य कुल भुगतान 1500 करोड़ रु. के हैं जबकि अन्तर्वाह केवल 1400 करोड़ रु. के मूल्य के हैं। 100 करोड़ रु. का अन्तर विद्यमान है जिसका निपटारा 100 करोड़ रु. के मूल्य के पूँजी के समायोजक अन्तर्वाह द्वारा होगा।

अब हम भुगतान सतुलन के घाटे अथवा अतिरेक को परिभाषित करने की स्थिति में हैं तथा इसी उद्देश्य से सारणी-12 3 को सारणी-12.4 के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। सारणी 12 4 दर्शाती है कि हमारे विचाराधीन राष्ट्र की स्वायत्त प्राप्तियाँ 1400 करोड़ रु. के मूल्य की हैं जबकि स्वायत्त देनदारियाँ 1500 करोड़

अवमूल्यन के सिद्धान्त (Theories of Devaluation)

अवमूल्यन से अभिप्राय

(Meaning)

अवमूल्यन से अभिप्राय किसी भी राष्ट्र की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य कम करने से है, जबकि अधिमूल्यन का अर्थ अन्य राष्ट्रों की मुद्राओं के रूप में राष्ट्र की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि से होता है।


अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन दोनों ही पदों का उपयोग स्थिर विनिमय दर प्रणाली के सन्दर्भ में उस स्थिति में किया जाता है जबकि सरकारी आदेश द्वारा तथा एक साथ बड़े अनुपात में बाह्य मूल्य को परिवर्तित किया जाता है। अवमूल्यन अथवा अधिमूल्यन में संबंधित विचार-विमर्श को राष्ट्र की सरकार प्रायः गोपनीय रखती है ताकि संबंधित मुद्रा पर स्ट्रैटिजी का असह्य दबाव न बन पाये।

जब विनिमय दरें स्थिर नहीं होती हैं, अपितु बाजार माँग एवं पूर्ति की प्रतिक्रिया द्वारा स्वतंत्र रूप से लचीली बनी रहती हैं, तो विनिमय दरों के परिवर्तन को हम अवमूल्यन व अधिमूल्यन न कहकर 'मूल्य ह्रास' (Depreciation) तथा 'मूल्यवृद्धि' (Appreciation) कहते हैं। यदि हम विश्व-बाजार में कीमतें अपरिवर्तित मान लें तो किसी भी राष्ट्र की मुद्रा के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप, व्यापार में शामिल वस्तुओं के घरेलू मूल्य में स्थानीय मुद्रा के रूप में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ—जून, 1966 में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विनिमय दर 1 \$ = Rs 4 76 से परिवर्तित होकर 1 \$ = Rs 7 50 हो गयी थी। विनिमय दर के इन परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1 \$ के आयातों व निर्यातों का मूल्य रुपये के रूप में 4.76 रु से बढ़कर 7 50 रु हो गया था*। ऐसे परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्यातकर्ता


* डॉलर की रुपये के रूप में विनिमय दर की 4 76 रु से 7.50 रु की वृद्धि के रूप में गणना करने पर यह 57.5% अवमूल्यन था जबकि रुपये के डॉलर मूल्य में कमी के रूप में गणना करने पर यह 36 5% अवमूल्यन था।

आधिक्य पूर्ति की तथा OP से नीची कीमतों पर चित्र A की आधिक्य माँग को चित्र B में दर्शाया गया है। इस प्रकार प्राप्त किये गये चित्र B का DD आधिक्य माँग वक्र ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आयातों की माँग दर्शाता है। यदि घरेलू पूर्ति-वक्र की लोच शून्य से अधिक है तो आधिक्य माँग वक्र की लोच घरेलू माँग-वक्र की लोच से अधिक होगी, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर आधिक्य माँग-वक्र में घरेलू माँग के परिवर्तनों के साथ-साथ घरेलू पूर्ति के परिवर्तनों का भी समावेश होगा। यदि घरेलू पूर्ति-वक्र की लोच शून्य है अर्थात् घरेलू पूर्ति-वक्र लम्बवत् रेखा है तो आधिक्य माँग-वक्र की लोच घरेलू माँग-वक्र की लोच के बराबर होगी। इसी प्रकार यदि घरेलू पूर्ति-वक्र अनन्त लोचवाला है, अर्थात् OP कीमत पर क्षितिज रेखा है तो आधिक्य माँग-वक्र भी इसी कीमत पर अनन्त लोच वाली रेखा होगी।

इसी प्रकार हम निर्यातकर्ता राष्ट्र के आधिक्य पूर्ति-वक्र की भी व्युत्पत्ति (derivation) कर सकते हैं। चित्र 13.2A में निर्यातकर्ता राष्ट्र के घरेलू माँग व पूर्ति-वक्र क्रमशः DD व SS है; धनात्मक डाकू वाला पूर्ति-वक्र प्राप्त करने हेतु हमने चित्र-A में दायी तरफ कीमत अक्ष दर्शाया है तथा क्षितिज अक्ष पर दायी से बायी तरफ निर्यात वस्तु की बढ़ती हुई मात्रा दर्शायी है। कीमत रेखा पर वस्तु की कीमत आयातकर्ता राष्ट्र की मुद्रा में दर्शायी गयी है। आधिक्य पूर्ति तथा आधिक्य माँग-वक्रों को एक चित्र में रखकर इनकी सहायता से वस्तु की व्यापारोपरान्त साम्य कीमत निर्धारित करने हेतु ऐसा करना आवश्यक है।



चित्र 13.2 . आधिक्य पूर्ति-वक्र



चित्र 13.4 : अवमूल्यन से पूर्व व पश्चात् आयातों व निर्यातों की घरेलू मुद्रा के रूप में आधिक्य माँग व आधिक्य पूर्ति

मूल्यन के परिणामस्वरूप पूर्ति-वक्र ऊपर की ओर विवर्त होता है जो कि विदेशी विनिमय के चित्र में अपरिवर्तित है। अतः अवमूल्यन के परिणामस्वरूप घरेलू मुद्रा में आयातों का मूल्य बढ़ेगा, घटेगा अथवा अपरिवर्तित रहेगा, यह आयातों की माँग लोच पर निर्भर करेगा। यदि यह लोच इकाई है तो आयातों पर कुल व्यय अपरिवर्तित रहेगा, यदि आयातों की माँग लोच इकाई से कम है तो आयातों पर कुल व्यय बढ़ेगा और यदि लोच इकाई से अधिक है तो कुल व्यय घट जायेगा।

विदेशी विनिमय के चित्र में निर्यातों का माँग-वक्र अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अपरिवर्तित रहता है लेकिन पूर्ति-वक्र नीचे की ओर विवर्त हो जाता है जैसा कि चित्र 13.4-b में दर्शाया गया है। इसका कारण यह है कि अवमूल्यनकर्ता राष्ट्र की पूर्ति कीमत अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय के रूप में घट जाती है। आयातों के विदेशी-विनिमय के चित्र में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप माँग-वक्र नीचे

परिवर्तन शून्य बना रहेगा। इस स्थिति में मांग-लक्ष्य शत पूरा होने हेतु यह आवश्यक है कि निर्यातों की मांग-लोच इकाई में अधिक हो और यदि निर्यातों की मांग-लोच इकाई से अधिक है तो निर्यातों के कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि अवमूल्यन की प्रतिशत वृद्धि से अधिक होगी क्योंकि निर्यातों के कुल मूल्य की प्रतिशत वृद्धि कीमत के प्रतिशत परिवर्तन तथा मात्रा के प्रतिशत परिवर्तन के योग के बराबर होगी।

यदि प्रत्येक मांग लोच इकाई से कम है लेकिन दोनों मांग लोचों का योग इकाई से अधिक है तो भी धरेनु मुद्रा के रूप में व्यापार समुलन सुधर जायेगा क्योंकि इसका अभिप्राय यह होगा कि धरेनु मुद्रा के रूप में निर्यातों के मूल्य में वृद्धि आयातों के मूल्य में वृद्धि से अधिक बनी रहेगी।

इन सबको को आयातों व निर्यातों के मूल्य की विदेशी मुद्रा के रूप में व्यक्त करके भी प्राप्त किया जा सकता है। विदेशी मुद्रा के चित्र 13.4-b में अवमूल्यन व परिणामस्वरूप मांग-वक्र अपरिवर्तित रहता है लेकिन पूर्ति-वक्र नीचे विवर्तन हा जाता है।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप निर्यातों के कुल मूल्य में विदेशी मुद्रा के रूप में परिवर्तन विदेशी मांग वक्र की लोच पर निर्भर करेगा। यदि विदेशी मांग वक्र की लोच इकाई से अधिक है तो निर्यातों पर कुल व्यय में वृद्धि होगी, यह लोच इकाई से कम है तो निर्यातों पर कुल व्यय घटेगा तथा लोच इकाई के बराबर है तो निर्यातों पर कुल व्यय अपरिवर्तित रहेगा।

यदि विदेशों में निर्यातों की मांग लोच शून्य है तो निर्यातों पर विदेशी मुद्रा के रूप में कुल व्यय की कमी अवमूल्यन के प्रतिशत के बराबर होगी। लेकिन यदि आयातों की मांग-लोच इकाई से अधिक है, जैसा कि मांग-लक्ष्य शत के पूरा होने हेतु आवश्यक है, तो अवमूल्यनकर्ता राष्ट्र के आयातों में प्रतिशत कमी अवमूल्यन की प्रतिशत से अधिक होगी तथा व्यापार-समुलन सुधरेगा।

अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के रूप में आयातों पर कुल व्यय घट सकता है अथवा अपरिवर्तित रह सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। हम चित्र 13.4-d में देखते हैं कि आयातों का मांग वक्र अवमूल्यन के परिणामस्वरूप नीचे खिसक जाता है अतः कीमत तथा मात्रा का गुणाकार अवमूल्यन के पश्चात् अवमूल्यन के पूर्व की स्थिति से अधिक होना संभव नहीं है। इस बिन्दु को हम निम्न उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अवमूल्यन में पूर्व विनिमय दर

1\$ = 10 रु थी तथा आयातों की मात्रा 100 थी। अतः 2\$ की कीमत पर आयातों पर कुल व्यय 2000 रु अथवा 200\$ था। अब मान लीजिए कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप विनिमय दर 1\$ = Rs 15 हो जाती है तथा आयातों की शून्य माँग लोच के परिणामस्वरूप आयातित मात्रा 100 ही बनी रहती है तो आयातों पर कुल व्यय 3000 रु. होगा। लेकिन यह 3000 रु का व्यय नई विनिमय दर (1\$ = Rs. 15) पर \$ 200 में अधिक नहीं हो सकता है।


अब यदि आयातों की माँग लोच शून्य है तो आयातों पर विदेशी मुद्रा के रूप में कुल व्यय अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन मार्शल-लनर शर्त पूरी होने हेतु यह आवश्यक है कि राष्ट्र के निर्यातों की माँग लोच इकाई से अधिक हो। यदि निर्यातों की माँग लोच इकाई से अधिक है तो विदेशी मुद्रा के रूप में निर्यातों पर कुल व्यय बढ़ जायेगा। यदि आयातों पर कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है तथा निर्यातों पर कुल व्यय में वृद्धि होती है तो व्यापार सन्तुलन सुधरेगा।

यदि पूँति लोचों अपेक्षाकृत ऊँची हैं तथा प्रारम्भिक अवस्था में व्यापार सन्तुलित है तो मार्शल-लनर शर्त मोटे रूप से मही बनी रहेगी। लेकिन यदि पूँति लोचों अपेक्षाकृत नीची हो जैसा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में सामान्यतया होता है, तो मार्शल-लनर शर्त व्यापार सन्तुलन में सुधार के लिए अनिवार्य न बनी रहकर पर्याप्त शर्त हो जायेगी।

नीची पूँति लोचों की स्थिति में विदेशी विनिमय में निर्यातों की कीमत इतनी नहीं गिरेगी। अतः अजित विदेशी मुद्रा में उनका कमी नहीं होगी जितनी कि अनन्त पूँति-लोच की स्थिति में होती है। चित्र 13.5 में यह स्थिति स्पष्ट की गयी है।

चित्र में a तथा b बिन्दुओं की तुलना करने से ज्ञात होता है कि a तथा b बिन्दुओं के बीच में माँग वक्र को मोच इकाई से कम है। अतः b बिन्दु की ऊँची कीमत पर a बिन्दु वाली कीमत की तुलना में निर्यातों पर कुल व्यय अधिक है। अतः पूँति लोचों नीची होने की स्थिति में दोनों माँग लोचों का योग इकाई से कुछ कम होने पर भी अवमूल्यन के परिणामस्वरूप व्यापार सन्तुलन में सुधार हो सकता है।

मार्शल-लनर शर्त की दूसरी मान्यता जि.प्रारम्भ में मुद्रागत सन्तुलन का घाटा अधिक नहीं होना चाहिए प्रतिज्ञा की विशेषताओं पर आधारित है। यदि माँग लोचों का योग इकाई से अधिक है तो निर्यातों की प्रतिज्ञा वृद्धि आयातों



चित्र 135 : घनन्त व नीची पूर्ति लोचें तथा घटमूल्यन से पूर्व व पश्चात् विदेशी विनिमय बाजार

की प्रतिशत वृद्धि से सदैव अधिक होगी भयवा विदेशी विनिमय में प्रतिशत वृद्धि कम बनी रहेगी। लेकिन यदि निर्यातों की तुलना में आयात बहुत अधिक है तो आयातों में निरपेक्ष वृद्धि घरेलू मुद्रा के रूप में अधिक हो सकती है भयवा विदेशी मुद्रा के रूप में आयातों को कमो कम बनी रह सकती है। इस अवगणिततीय भुगतान सन्तुलन ($P_x Q_x - P_m Q_m$) में घाटे की वृद्धि के साथ में बीजगणितोय (Geometric) मत्तुलन $\left(\frac{PQ Q_x}{P_m Q_m}\right)$ में सुधार होगा।*

* उदाहरणार्थ—माना कि प्रारम्भ में आयात 100 रु के व निर्यात 400 रु के है तथा घटमूल्यन के परिणामस्वरूप आयातों में 5% वृद्धि होती है तथा निर्यातों में 10% तो मासल-सतनर शतें के अनुसार व्यापार सन्तुलन सुधरेगा। लेकिन अवगणिततीय सन्तुलन का प्रारम्भिक घाटा 300 रु. से बढ़कर 310 रु.

(110-420) हो जायेगा। लेकिन बीजगणितोय सन्तुलन $\left(\frac{100}{400}\right)$ से $\left(\frac{110}{420}\right)$

होने के कारण सुधर जायेगा क्योंकि $\left(\frac{100}{400}\right) < \left(\frac{110}{420}\right)$ ।

मार्शल-लनर शर्त की तृतीय मान्यता यह है कि केवल तैयार वस्तुओं का ही व्यापार होना चाहिए। लेकिन यदि व्यापार में अर्द्ध-निर्मित वस्तुएँ एवं कच्चा माल भी शामिल हैं तो भी मार्शल-लनर शर्त सत्य बनी रहती है।

हमारे विश्लेषण का सारांश इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :—

(1) यदि आयातों की माँग लोच इकाई से अधिक है तो अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अवमूल्यनकर्ता राष्ट्र का व्यापार सन्तुलन निश्चय ही सुधरगा क्योंकि घरेलू मुद्रा के रूप में आयातों पर व्यय घटेगा तथा शून्य लोच के बावजूद भी घरेलू मुद्रा के रूप में निर्यातों का मूल्य पूर्ववत् बना रहेगा।

(2) यदि आयातों की माँग लोच इकाई से कम है तो व्यापार सन्तुलन तभी सुधरेगा जबकि विदेशियों की निर्यातों की माँग लोच ऐसी है कि आयातों पर व्यय की वृद्धि की तुलना में वह निर्यातों पर व्यय में अधिक वृद्धि कर देती हो।

(3) हमारे विश्लेषण के यह भी स्पष्ट है कि यदि दोनों तरफ इकाई से कम है लेकिन इनका योग इकाई से अधिक है तब भी अवमूल्यन से व्यापार सन्तुलन में सुधार होगा।*

मार्शल-लनर शर्त यह भी स्पष्ट करती है कि आयात निर्यात लोचें नीची होने पर न केवल अवमूल्यन प्रभावहीन सिद्ध हो सकता है अपितु अवमूल्यन के परिणामस्वरूप व्यापार सन्तुलन और अधिक घाटे में भी जा सकता है।

अवशोषण विश्लेषण

(Absorption Approach)

अवमूल्यन के प्रभावों का एक वैकल्पिक विश्लेषण समीप दृष्टिकोण से प्रदान किया गया है जिसे अवशोषण विश्लेषण कहते हैं।

अवशोषण विश्लेषण सर्वप्रथम सन् 1952 में सिडनी एलेक्जेंडर (Alexander) के प्रसिद्ध लेख¹ 'व्यापार सन्तुलन पर अवमूल्यन के प्रभाव' में प्रतिपादित किया गया था।

* मार्शल-लनर शर्त की व्युत्पत्ति के लिए इस अध्याय का परिशिष्ट देखें।

1 Alexander, S.S.—'Effects of a Devaluation on a Trade Balance'—*JMF Staff Papers* (April 1952) Reprinted in *cases RE & Johnson, H.G., (ed.)—Readings in International Economics, (Home wood, Ill. Irwin, 1968).*

अवशोषण विस्तरेपरकता धरेलु बाजार में व्यय एवं बचत के द्वारा समस्या का विस्तरेपरु करते हैं।

एक दो हर्द विनिमय दर पर राष्ट्र में अति व्यय है तो भुगतान अनुलन में घाटा होगा और यदि अति बचत है तो अतिरेक। लेकिन ज्योहि पूर्ण रोजगार बिन्दु प्राप्त किया जाता है अवशोषण विस्तरेपरकताओं को व्ययकर्ताओं को कीमत परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रियाओं एवं उनकी मौद्रिक आय के परिवर्तनों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें मौद्रिक परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अवशोषण विस्तरेपरु का तर्कवाच्य (Proposition) यह है कि वस्तुओं व सेवाओं के अनुलन में किसी भी सुधार के लिए नाकिच रूप में यह आवश्यक है कि कुल उत्पादन व कुल धरेलु व्यय के मध्य के अन्तराल में कुछ सुधार हो।

इन विस्तरेपरु को स्पष्ट करने हेतु हम समष्टि आय में साम्य की समीकरण में प्रारम्भ कर सकते हैं :

$$Y = C + Id + G + (X - M)$$

यहाँ y वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन है तथा C, Id, G व $(X - M)$ इन उत्पादन की क्रमशः उपभोग, धरेलु विनियोग व सरकार के व्यय एवं विदेशी मन्तुलन के रूप में माँग के तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करत हैं।

व्यापार मन्तुलन को बायीं ओर लाकर उपर्युक्त समीकरण को हम इन प्रकार भी लिख सकते हैं—

$$(X - M) = Y - (C + Id + G)$$

अर्थात् चालू खाने का मन्तुलन कुल उत्पादित आय में से व्यय को घटा देने में प्राप्त होता है। प्रो० एनेकडेण्डर ने व्यय मन्दी $(C + Id + G)$ के लिए अवशोषण (Absorption) पद नाम में लिया है। अवशोषण को A द्वारा तथा चालू खाने के मन्तुलन को B द्वारा व्यक्त करने पर हम उपर्युक्त समीकरण को इन रूप में लिख सकते हैं—

$$B = Y - A$$

अवमूल्यन चालू खाने के मन्तुलन (B) को दो प्रकार से प्रभावित कर सकता है। अवमूल्यन से धरेलु उत्पादन Y परिवर्तित हो सकता है तथा उत्पादन के परिवर्तन में

A में परिवर्तन होता है। इस प्रकार B में परिवर्तन आय (Y) एवं भवशोषण (A) के मिश्रित परिवर्तनों का परिणाम होगा।

द्वितीय, भवमूल्यन आय के किसी दिये हुए स्तर पर होने वाले कुल भवशोषण में भी परिवर्तन उत्पन्न कर सकता है। परिवर्तनों को Δ द्वारा व्यक्त करके हम उपर्युक्त समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं।

$$\Delta B = \Delta Y - \Delta A \quad (1)$$

अतः स्पष्ट है कि विदेशी सन्तुलन में होने वाला कोई भी परिवर्तन घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के भवशोषण की मात्रा में परिवर्तन तथा आय के परिवर्तन के अन्तर के बराबर होगा।

अब हम ΔY एवं ΔA को अलग-अलग स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहले ΔA को लेते हैं। भवशोषण दो प्रकार के घटकों पर निर्भर करता है ऐसे घटक जो भवशोषण को आय के सापेक्ष के रूप में परिवर्तित करते हैं तथा वे जो आय के स्तर से स्वतंत्र होते हैं। प्रथम प्रकार के घटकों में आय व भवशोषण एक दूसरे से 'भवशोषण की प्रवृत्ति' द्वारा जुड़े रहते हैं। यदि हम इस प्रवृत्ति को C द्वारा व्यक्त करें तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है :—

$$\Delta A = C \Delta Y + \Delta D \quad (2)$$

यहाँ ΔD , भवशोषण के प्रत्यक्ष परिवर्तनों अथवा भवशोषण में होने वाले ऐसे सभी परिवर्तनों को जो कि आय के परिवर्तन के अलावा अन्य कारणों से होते हैं, इंगित करता है।

समीकरण (2) यह दर्शाती है कि भवमूल्यन के परिणामस्वरूप वास्तविक भवशोषण में होने वाला परिवर्तन, $C \Delta Y$ अर्थात् भवमूल्यन से आय में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वास्तविक भवशोषण में होने वाले परिवर्तनों पर एवं भवशोषण में आय के परिवर्तन के अलावा किसी अन्य कारण से होने वाले परिवर्तन पर निर्भर करेगा। समीकरण (1) व (2) को सम्मिलित करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होगी

$$\Delta B = \Delta Y - C \Delta Y + \Delta D$$

$$\text{अथवा } \Delta B = (1-C) \Delta Y + \Delta D \quad (3)$$

समीकरण (3) प्रमुख चरों पर ध्यान केन्द्रित करती है एवं दर्शाती है कि भवमूल्यन का व्यापार सन्तुलन पर प्रभाव प्रथम तो इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि

अवमूल्यन वास्तविक आय (Y) को कैसे प्रभावित करता है। द्वितीय, अवशोषण की प्रवृत्ति (C) पर तथा तृतीय अवमूल्यन के प्रत्यक्ष अवशोषण (D) पर पड़ने वाले प्रभाव पर।

स्पष्ट है कि पूर्णरोजगार की अनुपस्थिति में यदि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उत्पादन में अवशोषण में अधिक वृद्धि हो जाती है तो व्यापार सन्तुलन में सुधार होगा। लेकिन पूर्णरोजगार की स्थिति में अवशोषण घटने पर ही अवमूल्यन के परिणामस्वरूप व्यापार सन्तुलन सुधर सकता है अन्यथा नहीं चाहे राष्ट्र के आयातों की माँग लोच व निर्यातों की विदेशों में माँग लोच का योग इकाई से अधिक भी क्यों न हो।

लेकिन पूर्णरोजगार की स्थिति में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप उत्पादक कारकों के अधिक कुशल आवंटन की सम्भावना बनी रहती है जिसके परिणामस्वरूप विद्यमान कारकों से अधिक उत्पादन प्राप्त करना सम्भव होता है। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप कारकों के अधिक कुशल आवंटन की सम्भावना ऐसे अर्थव्यवस्था में अधिक बनी रहती है जिनमें मुद्रा का अधिमूल्यन बने रहने के कारण विभिन्न प्रकार के जिनियम व आयात नियंत्रण लगे हुए होते हैं एवं अन्ततः अवमूल्यन करने पर इन नियंत्रणों को समाप्त करने के साथ साधनों का अधिक कुशल उपयोग सम्भव होता है। लेकिन औद्योगिक राष्ट्रों में ऐसा नहीं होता है।

इस प्रकार पूर्णरोजगार की स्थिति में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भुगतान सन्तुलन में सुधार इस पर निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था में अवशोषण घटाने की क्षमता है अथवा नहीं। पूर्णरोजगार में अवशोषण में कटौती से ही अवमूल्यन से सामाजिक होने हेतु निर्यात व आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं के उत्पादन के लिए अन्यथा कार्यरत साधन उपलब्ध हो सकते हैं। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अवशोषण में कुछ कटौती की आशा की जा सकती है। अवमूल्यन के अवशोषण पर पड़ने वाले प्रभावों को हम निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत विभाजित करके स्पष्ट कर सकते हैं —

(a) वास्तविक जमा (b) मुद्रा भ्रमजाल (c) व्याज दर का प्रभाव, तथा
(d) आय पुनर्वितरण प्रभाव

(a) वास्तविक जमा प्रभाव (Real balances effect).—वास्तविक जमा प्रभाव के अनुसार मुद्रा की कुल पूर्ति स्थिर रहने की स्थिति में अवमूल्यन से जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो व्ययकर्ता अपनी नगदी जमाओं का वास्तविक मूल्य बनाये रखने हेतु बचत में वृद्धि करते हैं, अतः उनका व्यय घट जाता है। यद्यपि एक व्यक्ति विशेष के लिए तो कीमत वृद्धि के साथ अपनी परिसम्पत्तियों का विक्रय

करके अपने नकदी कोषों को बढ़ाकर भी कुल धन्य अपरिवर्तित बनाये रखना सम्भव है, लेकिन जब तक मुद्रा की कुल पूति स्थिर बनी रहती है तब तक सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ऐसा करना सम्भव नहीं है।

(b) मुद्रा भ्रमजाल (Money Illusion) :—यह वास्तविक कोष प्रभाव का विपरीत है, भिन्न धन्यवर्ती इकाईयाँ मौद्रिक आय की वृद्धि के साथ बिना कीमत स्तर की वृद्धि को महँ नजर रखे बचत में वृद्धि कर देती हैं।

(c) व्याज दर का प्रभाव (Changes in Interest rates) :—मुद्रा की दो हुई पूति की स्थिति में कीमतों व मौद्रिक आय में वृद्धि से व्याज दरों में वृद्धि हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप अवशोषण घट सकता है।

(d) आय पुनर्वितरण प्रभाव (Redistribution of Income) .—पूर्ण-रोजगार की स्थिति में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है। कीमतों की इस वृद्धि के परिणामस्वरूप लाभों में विवर्तों (Shift) होगी। अतः निर्यात व आयात प्रतिस्थापन क्षेत्रों के उत्पादकों के लाभों में वृद्धि होगी। इस प्रकार ऊँची उपभोग प्रवृत्ति वाले समूह (मजदूर, सेवानिवृत्त लोग, अध्यापकों व प्रशासनिक नौकरियों वाले लोगों) से नीची उपभोग प्रवृत्ति वाले समूह के पक्ष में आय का पुनर्वितरण होने के परिणामस्वरूप अवशोषण घट सकता है।

लेकिन इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि अवशोषण में से केवल उपभोग पर व्यय घटा है यह सम्भव है कि निर्यात व आयात प्रतिस्थापन क्षेत्र के उत्पादन करने वाले हुए लाभों का विनियोग कर दें तो पुनः अवशोषण बढ़ जायेगा क्योंकि विनियोग भी अवशोषण का एक तत्त्व है। अतः एलेक्जेंडर ने अवशोषण घटने के इस स्रोत को विशेष महत्त्व नहीं दिया था। इसी प्रकार एलेक्जेंडर ने वास्तविक कोष प्रभावों व व्याज दर प्रभावों को भी अधिक महत्त्व नहीं दिया था। लेकिन मौद्रिक अर्थशास्त्री इन प्रभावों को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। अतः एलेक्जेंडर के विफलपण में मुद्राभ्रमजाल, वास्तविक कोष प्रभाव व आय पुनर्वितरण प्रभावों को समान व सीमित महत्त्व दिया गया है। लेकिन इनमें आय पुनर्वितरण प्रभाव महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एलेक्जेंडर ने साधनों के प्रभाव की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जबकि मेकलप व सोहमेन इसे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अवशोषण विफलपण के द्वारा प्रथम तो हम भुगतान संतुलन को समग्र आय-व्यय के रूप में देखते हैं तथा समष्टि सदर्भ में इसे

समझने व इससे सम्बन्धित नीति अपना देने की स्थिति में हैं। द्वितीय, भुगतान सन्तुलन को नियंत्रित करने वाली नीतियों में अर्थव्यवस्था में कुल व्यय स्तर अथवा अवशोषण सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर है। इस प्रकार भुगतान सन्तुलन की नीति को हम समस्त माँग नियंत्रक विधियों-राजकोषीय, मौद्रिक तथा प्रत्यक्ष-से समष्टि स्तर पर जुड़ा हुआ पाते हैं। तृतीय, व्यय की जाँच की प्रक्रिया में हम भुगतान सन्तुलन के समायोजन में मुद्रा की भूमिका को भी महत्वपूर्ण पाते हैं।

मौद्रिक विश्लेषण

(Monetary Approach)

अवमूल्यन का एक अन्य विश्लेषण मौद्रिक षोषों पर ध्यान केन्द्रित करता है अतः इसे मौद्रिक विश्लेषण कहते हैं।

मौद्रिक अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि व्यापार सन्तुलन का घाटा मुद्रा के अति निर्गमन का एक व्यापार सन्तुलन का अतिरिक्त मुद्रा की कमी का परिणाम है।

इस विश्लेषण के अनुसार वस्तुओं, सेवाओं एवं प्रतिभूतियों की आधिक्य माँग जो कि भुगतान सन्तुलन में घाटा उत्पन्न करती है—मुद्रा की अति पूर्ति का घटक है। अवमूल्यन मुद्रा की पूर्ति एवं अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों-जिनको कि घरेलू मुद्रा में व्यक्त किया गया है—के मूल्य में कमी के समकक्ष है यदि हम इन्हें विदेशी मुद्रा में मापते हैं तो। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप पूर्ति की कमी मुद्रा का वास्तविक मूल्य घट जायेगा क्योंकि प्रारम्भ में तो व्यापार में शामिल होने वाली उन वस्तुओं और सेवाओं की स्थानीय कीमतें बढ़ेंगी जिनकी माँग में वृद्धि हुई है तथा गौरूप में व्यापार में शामिल न होने वाली उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी जिनकी और माँग पसदी है अतः लोग अपनी मुद्रा तथा अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों की जमा का वास्तविक मूल्य बनाये रखने हेतु अपना व्यय घटाएँगे तथा व्यय को यह कमी भुगतान सन्तुलन में आवश्यक सुधार उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार मौद्रिक विश्लेषण अवमूल्यन को प्रमुखतया मौद्रिक प्रपच (Monetary Phenomenon) मानता है। अवमूल्यन के प्रभाव इसके परिणामस्वरूप मुद्रा शेषों के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन तथा इस परिवर्तन के व्यय पर पड़ने वाले प्रभावों से प्राप्त होते हैं।

अवमूल्यनकर्ता राष्ट्रों में कीमतें बढ़ती हैं तथा शेष विश्व में घटती हैं; प्रत्येक परिवर्तन (प्रतिशत के रूप में) मुद्रा के प्रतिशत अवमूल्यन से कम रहता है इसके परिणामस्वरूप अवमूल्यनकर्ता राष्ट्र में मुद्रा शेषों का वास्तविक मूल्य घट जाता है

तथा शेष विश्व में इनका मूल्य बढ़ता है और जब लोग अपने मौद्रिक शेषों एवं अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं तो व्यय में कमी होती है एवं इसके परिणामस्वरूप अर्थमूल्यनकर्ता राष्ट्र के भुगतान सन्तुलन में अतिरेक उत्पन्न होता है जबकि शेष विश्व में व्यय में वृद्धि होती है एवं भुगतान सन्तुलन में घाटा उत्पन्न होता है। प्रारम्भ में भुगतान सन्तुलन में घाटे वाले राष्ट्र के लिए उचित अर्थमूल्यन मुद्रा के वास्तविक मूल्य में ठीक उचित कमी उत्पन्न करेगा एवं भुगतान सन्तुलन में घाटा समाप्त हो जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय निधियों की हानि को पूरित करने हेतु राष्ट्र को उचित से कुछ अधिक अर्थमूल्यन करना होगा। लेकिन लोगों द्वारा एक बार वाञ्छित वित्तीय सप्ले पुनः प्राप्त कर लेने के बाद, व्यय में पुनः वृद्धि होगी एवं नया अतिरेक समाप्त हो जायेगा। इन दृष्टिकोण से साम्य बिन्दु से अधिक अर्थमूल्यन का केवल एक बार अस्थायी प्रभाव होता है।

इस विश्लेषण का प्रमुख आशय (implication) यह है कि मुद्रा के लिए उत्पन्न मांग को पूरा करने हेतु अर्थमूल्यन के तुरन्त बाद यदि मौद्रिक अधिकारी घरेलू साख का विस्तार करते हैं तो अर्थमूल्यन का अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों पर प्रभाव कम हो जायेगा।

तीनों विश्लेषण एक दूसरे के पूरक

(The Three Approaches are Complementary)

अर्थमूल्यन के विभिन्न विश्लेषणों पर आरोप-प्रत्यारोप करने एवं इनकी सत्यता में सन्देह व्यक्त करने की बजाय हम इन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रो० मुण्डेल (Mundell) ने ठीक ही लिखा है कि "तीनों विश्लेषणों (लोच, अर्थशोषण व मौद्रिक) की सत्यता को चुनौती देना सार की बात नहीं है। ... ये सभी विश्लेषण सही हैं एवं एक जैसे तर्क वाक्यों (Proposition) पर जोर देने हैं।"²

अर्थशास्त्रियों के बीच इन तीनों विश्लेषणों को लेकर होने वाले झगड़ों के पीछे गहराई नहीं है। सभी इस बात को मानते हैं कि प्रणाली सामान्य साम्यवादी है जिसमें कौमत् व्यय व मुद्रा के द्वारा व्यक्त किये गये विश्लेषण अन्ततः एक हो जाने चाहिए।

लोच विश्लेषण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र विशेष पर ध्यान केन्द्रित करता है। लोच विश्लेषण की मान्यता है कि अर्थमूल्यन के परिणामस्वरूप सापेक्ष कीमते परिवर्तित

2. Mundell, R.A.—International Economics (New York, The Macmillan Company, 1963), Chap. 10, pp. 150-51.

होती है तथा यह भी सत्य है कि सापेक्ष कीमतों में सामान्यतया कुछ श्रेणी का परिवर्तन अवमूल्यन के तुरन्त बाद होता है ।

विदेशी व्यापार क्षेत्र में नये विनियोग होने की लोच विश्लेषण की द्वितीय अवस्था प्राप्त होगी अथवा नहीं यह प्रमुखतया इस बात पर निर्भर करेगा कि असाम्य की अवधि में सम्भावित उत्पादन का ढाँचा गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ था अथवा नहीं ।

मार्शल-लनर शत में कई तांत्रिक प्रसंगियाँ भी हैं । यह मान्यता कि स्वदेशी राष्ट्र के आयातों की पूर्ति एवं इससे निर्यातों की पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, ऐसे श्रोत्रियों पर प्राधारित है जिनका आशय यह है कि दोनों राष्ट्रों में उत्पादन कारकों की पूर्ति दूसरे दोनों उद्योगों में भी पूर्णतया लोचदार है तथा इसका आशय यह है कि दोनों राष्ट्रों में आयातों की माँग लोच भी अनन्त है ।

इस प्रकार ये मान्यताएँ मार्शल-लनर शत के तांत्रिक रूप से ढह जान (logical collapse) का कारण बन जाती हैं ।

लोच विश्लेषण की सबसे बड़ी संज्ञात्मक समस्या इसकी आशिक साम्य की प्रवृत्ति है । यह विश्लेषण चलन में परिवर्तन के मुद्रा बाजार पर प्रभावों की धीरे ध्यान नहीं देता है और इसलिए अवशोषण को नजर अ-दाज करता है ।

इसके अतिरिक्त लोच विश्लेषण अपने सरलतम रूप में व्यापार में शामिल नहीं होने वाली वस्तुओं के बाजार को भी ध्यान में नहीं रखता है ।

अत स्पष्ट है कि लोच विश्लेषण का सर्वाधिक सन्देहास्पद पहलू आशिक विस्मय का सिद्धान्त प्रतिपादन करना है एवं यह सामान्य साम्य के तथ्यों को ध्यान में नहीं रखता है ।

परम्परागत रूप से माँग व पूर्ति लोचों को परिभाषित करते समय अन्य बातों को समान मान लिया जाता है यानि कि अन्य वस्तुओं की कीमतें व आय स्थिर मानली जाती हैं जबकि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप कीमत व आय अवश्य परिवर्तित होती हैं ।

अवमूल्यन का अवशोषण विश्लेषण समष्टि दृष्टिकोण से प्रतिपादित किया गया है । अवमूल्यन के तुरन्त बाद सभी घटक उपस्थित होते हैं जैसी कि लोच विश्लेषण की मान्यता है । प्रथम अवस्था में सापेक्ष कीमतें सामान्यतया परिवर्तित होती हैं, तथा इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप उपभोग का ढाँचा परिवर्तित होता है एवं उचित

परिस्थितियों में उत्पादन का ढाँचा भी परिवर्तित होता है जिसके परिणामस्वरूप विशुद्ध निर्यातों में अनावश्यक वृद्धि प्रोत्साहित होनी है। प्रारम्भिक आधिक्य क्षमता की स्थिति में ये परिवर्तन अनिश्चित आय उत्पन्न करते हैं जिसके परिणामस्वरूप व्यय में वृद्धि होती है जो कि भुगतान सन्तुलन के सुधार में कमी कर देता है इसके (आधिक्य क्षमता के) अभाव में घरेलू वस्तुओं की माँग में वृद्धि के परिणामस्वरूप उनकी कीमतों में वृद्धि होगी। लेकिन जब तक मौद्रिक अधिकारी घरेलू साख में विस्तार नहीं करते हैं अवमूल्यन द्वारा उत्पन्न कीमतों के परिवर्तन की समाप्त करने के लिए कीमतों में पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी तथा व्यापार सन्तुलन में कुछ सुधार अवश्य बना रहेगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अवशोषण विश्लेषण अवमूल्यन के बाह्य व आन्तरिक प्रभावों के बीच के सम्बन्ध पर प्रकाश डालता है एवं भुगतान सन्तुलन तथा घरेलू स्थितियों के मध्य सम्बन्ध पर ध्यान केन्द्रित करता है और इस प्रकार लाभ विश्लेषण पर अतिरिक्त प्रकाश डालता है।

अन्त में मौद्रिक विश्लेषण में विद्यमान रखने वाले अर्थशास्त्री यह शर्तिकाएँ अपनाते हैं कि व्यापार सन्तुलन में घाटा मुद्रा की अति-पूर्ति व अतिरिक्त मुद्रा की कमी का परिणाम है।

लाभ व अवशोषण विश्लेषण मौद्रिक विश्लेषण से मेल खाते हैं। पूव विद्यमान असाम्य न केवल मुद्रा की अति पूर्ति का द्योतक है अपितु व्यापार में शामिल होने वाली व नहीं होने वाली वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य के बीच गलत संरेखण (misalignment) का भी द्योतक है। चूँकि विश्व बाजारों से स्थिर विनिमय दर कड़ी (lock) मुद्रा के उन अनिसव्यों को आयातों के लिए माँग में वृद्धि की ओर पलटती है न कि विदेशी बाजार क्षेत्र की ऊँची कीमतों की ओर। उचित अवमूल्यन मात्र इस सापेक्ष कामतों के असाम्य वाले कुलक को सही करता है तथा साथ ही मुद्रा सचयों के वास्तविक मूल्यों को कम करता है और इस प्रकार से व्यय को भी घटाता है। अतः अवमूल्यन का स्थायी प्रभाव होता है।

वास्तव में अवशोषण विश्लेषण व मौद्रिक विश्लेषण एक दूसरे से अतिरिक्त अतिरिक्त नहीं है जैसा कि प्रो० मेगो³ न इंगित किया है, 'अवशोषण विश्लेषण अल्पकालीन स्टॉक असाम्य के प्रवाह पहलु पर जोर देता है जबकि मौद्रिक विश्लेषण स्वयं दीर्घकालीन स्टॉक साम्य पर जोर देता है।' डॉर्नबुश⁴ (Dornbusch) एक अन्य अर्थ-

3 Magee, S.P. → Prices Incomes and Foreign Trade (in Kenen, P B (ed) - International Trade & Finance) p 23

4 Ibid p 229

शास्त्रियों ने अवशोषण व मौद्रिक विश्लेषणों को एक साथ मिलाया है। वास्तव में अवशोषण व मौद्रिक विश्लेषण सैद्धान्तिक घरायल पर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है लेकिन प्रत्येक विश्लेषण के प्रतिपादक समस्या के भिन्न पहलुओं पर जोर देने हैं। अवशोषण विश्लेषणकर्ता अवमूल्यन के प्रवाह पहलु से अधिक सम्बद्ध हैं (ऐसे विभिन्न तरीकों से जिनके द्वारा व्यय में वृद्धि द्वारा वृद्धि से कम बनी रहती है) जबकि मौद्रिक विश्लेषणकर्ता अपने विश्लेषण को स्टॉक पहलुओं पर आधारित करते हैं, (पोटॅफोलियो सन्तुलन आदि पर)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अवमूल्यन के तीनों विश्लेषण एक दूसरे के पूरक हैं तथा अवमूल्यन की समझने के भिन्न तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रथम (लोच) विश्लेषण आंशिक साम्य विश्लेषण से प्रारम्भ होता है (सापेक्ष मूल्य प्रभाव) तथा कीमत व आय परिवर्तनों द्वारा पूरा होता है। अवशोषण विश्लेषण इस तथ्य पर जोर देता है कि उचित (यानि कि पर्याप्त ऊँची) लोचों की स्थिति में तथा आय व कीमत प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अवमूल्यन द्वारा व्यापार सन्तुलन में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि आय के सापेक्ष के रूप में समग्र व्यय में कमी हो। मौद्रिक विश्लेषण उस प्रक्रिया को सामने लाता है जिसके द्वारा अवमूल्यन आय के सापेक्ष के रूप में व्यय में कमी को प्रेरित करता है।

अन्य हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पूर्ण रूप से विस्तृत करने पर लोच, अवशोषण व मौद्रिक विश्लेषण एक दूसरे में समा जाने हैं। यद्यपि समस्या विशेष के लिए इन तीनों में से विश्लेषण विशेष अधिक उपयुक्त हो सकता है।



परिशिष्ट—E
(Appendix—E)

अवमूल्यन की मार्शल-लनर शर्त की व्युत्पत्ति

अवमूल्यन की मार्शल-लनर शर्त की व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है ;
यदि विदेशी मुद्रा के रूप में व्यापार सतुलन को व्यक्त करें तो हम व्यापार सतुलन को निम्न रूप में लिख सकते हैं :

$$Bf = \left(\frac{px}{r} \right) MB - pm^* MA \quad (1)$$

यहाँ

Bf = विदेशी मुद्रा के रूप में A राष्ट्र का व्यापार सतुलन

MB = B राष्ट्र के आयात जो कि A राष्ट्र के निर्यात (XA) हैं

MA = A राष्ट्र के आयात

px = A राष्ट्र के निर्यातों की A राष्ट्र की मुद्रा में कीमत

pm^* = A राष्ट्र के आयातों की B राष्ट्र की मुद्रा में कीमत $\left(pm^* = \frac{pm}{r} \right)$

r = विनिमय दर अर्थात् B राष्ट्र की मुद्रा की एक इकाई के बदले A राष्ट्र की मुद्रा की विनिमय होने वाली इकाईयाँ

स्पष्ट है कि $\left(\frac{px}{r} \right) MB$ अथवा $\left(\frac{px}{r} \right) XA$, B राष्ट्र की मुद्रा में A

राष्ट्र के निर्यातों का कुल मूल्य है तथा $pm^* MA$, A राष्ट्र के आयातों वा B राष्ट्र की मुद्रा में कुल मूल्य है।

A राष्ट्र के व्यापार सतुलन पर अवमूल्यन का प्रभाव ज्ञात करने हेतु हमें $\frac{dBf}{dr}$

का मूल्य प्राप्त करना है। अर्थात् हम यह ज्ञात करना चाहते हैं कि r में वृद्धि (A

1 विस्तृत विश्लेषण हेतु देखिए—Kindleberger, C P —Op Cit Appendix —G

राष्ट्र की मुद्रा का अवमूल्यन) का Bf पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि $\frac{dBf}{dr} > 0$ तो A

राष्ट्र की मुद्रा के अवमूल्यन से इस राष्ट्र का व्यापार सतुलन सुधरेगा और यदि $\frac{dBf}{dr} < 0$ है तो राष्ट्र का व्यापार सतुलन घाट में जायेगा तथा $\frac{dBf}{dr} = 0$ है

तो अवमूल्यन का व्यापार सतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम समीकरण (1) को इस प्रकार से लिख सकते हैं

$$dBf = \frac{px}{r} MB \left(\frac{px}{r} \right) - pm^* MA (pm^*r) \quad (2)$$

चूँकि MB, $\frac{px}{r}$ का फलन है तथा MA, pm का फलन है अतः हमने MB को

फलनात्मक सम्बन्ध स्पष्ट करने हेतु MB $\left(\frac{px}{r} \right)$ लिखा है तथा MA को MA pm

(ध्यान रहे कि $pm^* = \frac{pm}{r}$ अर्थात् $pm = pm^*r$ अतः हमने pm के स्थान पर pm^*r

लिखा है। अब Bf का r के सन्दर्भ में अवकलन करने पर

$$\frac{dBf}{dr} = -\frac{px}{r^2} MB \left(\frac{px}{r} \right) + \frac{px}{r} \frac{dMB \left(\frac{px}{r} \right)}{d \left(\frac{px}{r} \right)} - \frac{d \left(\frac{px}{r} \right)}{dr} \left[0 + pm^* \frac{dMA (pm^*r)}{d (pm^*r)} \right] \quad (3)**$$

अब हम फलनात्मक सम्बन्धों (Functional Relations) को व्यक्त करने वाला अभिव्यक्तियों को हटाकर लिख सकते हैं कि

** अवकलन की विधि के लिए पृष्ठ 315 पर नोट देखें।

$$\frac{dBf}{dr} = -\frac{px}{r^2} MB - \frac{px}{r^2} M'B - \frac{px}{r} - pm^* M'A pm^*$$

(यहाँ हमने $\frac{dMA}{dpm}$ को $M'A$ तथा $\frac{dMB}{d\left(\frac{px}{r}\right)}$ को $M'B$ लिखा है)

$$= -\frac{px}{r^2} MB - \frac{px}{r} MB - \frac{px}{r^2} - pm^* M'A pm^*$$

$$= \frac{px}{r^2} MB \left[-1 - \frac{M'B}{MB} \cdot \frac{px}{r} - \frac{pm^* M'A pm^*}{\frac{px}{r^2} MB} \right]$$

$$= \frac{px}{r^2} MB \left[-1 - \frac{M'B}{MB} \frac{px}{r} - \frac{MA}{MA} \frac{pm}{r} M'A \frac{pm}{r} \frac{r^2}{px MB} \right]$$

अब $px MB$ को V_x तथा $pm MA$ को V_m लिखने पर

$$\frac{dBf}{dr} = \frac{V_x}{r^2} \left[-1 - e_{MB} - \frac{V_m}{V_x} e_{MA} \right] \quad (4)$$

चूँकि $e_{MB} = \frac{dMB}{\frac{px}{r} MB} = M'B \frac{px}{r MB}$ (= B राष्ट्र के आयातों की माँग लोच)

तथा $e_{MA} = \frac{dMA}{dpm} \frac{pm}{MA} = M'A \frac{pm}{MA}$ (= A राष्ट्र के आयातों की माँग लोच)

अवमूल्यन अर्थात् r में वृद्धि के कारण व्यापार समतुलन में सुधार तभी होगा जब

$\frac{dBf}{dr} > 0$ हो, ऐसा तभी सम्भव है जब समीकरण (4) में दायी ओर के कोष्ठक के

अन्दर की अभिव्यक्ति घनात्मक हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अवमूल्यन द्वारा व्यापार समतुलन तभी सुधरेगा जब

$$-1 - eMB - \frac{V_m}{V_x} - eMA > 0$$

$$\text{अथवा } -eMB - \frac{V_m}{V_x} - eMA > 1 \quad (5)$$

यदि B राष्ट्र के आयातों की माँग लोचदार है ($eMB < -1$ है) तो अवमूल्यन

** यहाँ हमने Bf का r के सन्दर्भ में अवकलन (differentiation) किया है। पहले

MB $\left(\frac{Px}{r}\right)$ को स्थिर रखकर pr का r के सन्दर्भ में अवकलन इस प्रकार

किया

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{px}{r}\right) = \frac{d}{dr} (px r^{-1}) = -px.r^{-2} = -\frac{px}{r^2}$$

तत्पश्चात् $\frac{px}{r}$ को स्थिर रखकर MB $\left(\frac{px}{r}\right)$ का r के सन्दर्भ में अवकलन किया

है। ऋणात्मक चिह्न के दायी ओर के भाग का अवकलन करने हेतु पहले MA ($pm^* r$) को स्थिर रखकर pm^* का r के प्रति अवकलन किया है लेकिन हमारी पूर्ति लोच प्रवृत्त की मान्यता के कारण pm^* (अर्थात् हमारे आयातों का विदेशी मुद्रा के रूप में मूल्य) स्थिर (constant) रहेगा अतः pm^* का r के प्रति अवकलन शून्य होने के कारण कोष्टक के अन्दर का प्रथम पद शून्य हो जाता है। तत्पश्चात् हमने pm^* को स्थिर रखकर MA ($pm^* r$) का r के प्रति अवकलन किया है। (यहाँ हमने अवकलन का प्रोटेक्ट तथा फलन के फलन का नियम प्रयुक्त किया है जो इस प्रकार है :

$$\frac{d}{dx} (u.v) = v \frac{du}{dx} + u \frac{dv}{dx} \text{ तथा } \frac{d f(u)}{dx} = f'(u) u'$$

के परिणामस्वरूप अन्वयनकर्ता राष्ट्र A का व्यापार सन्तुलन सदैव ही सुधरेगा जैसा कि असमानता (5) से स्पष्ट है। लेकिन यदि B राष्ट्र के आयातों की माँग बेलोचदार है तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। इस स्थिति में अन्वयन का व्यापार सन्तुलन पर प्रभाव प्रारम्भिक व्यापार सन्तुलन की स्थिति तथा A राष्ट्र की आयातों

की माँग लोच पर निर्भर करेगा। जितना अधिक $\frac{V_m}{V_x}$ अनुपात होगा तथा जितनी A

राष्ट्र के आयातों की माँग अधिक लोचदार होगी उतनी ही अधिक व्यापार सन्तुलन में सुधार की सम्भावना होगी।

सामान्यतया कोई भी राष्ट्र अन्वयन उसी स्थिति में करता है जब उसका

व्यापार सन्तुलन घाटे में हो अर्थात् $\frac{V_m}{V_x} > 1$ हो। अतः अन्वयन की सफलता के लिए

सर्वाधिक खराब स्थिति यह हो सकती है जब $V_m = V_x$ हो। इस स्थिति में असमानता (5) निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है।

$$-eMA - eMB > 1 \quad (6)$$

असमानता (6) को मार्शल-लॉरे शर्त के नाम से जाना जाता है। इस शर्त को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं :

$$| eMA | + | eMB | > 1$$

यदि हम व्यापार सन्तुलन में प्रारम्भिक घाटे की मा-यता मान लें तो मार्शल-लॉरे शर्त आवश्यक न रहकर पर्याप्त शत बन जाती है क्योंकि

$$-eMB - \frac{V_m}{V_x} eMA \geq -eMA - eMB$$

समानता का चिह्न उस समय प्रयुक्त होगा जबकि $eMA = 0$ हो।

अतः जब $-eMA - eMB > 1$ होगी तो $-eMB - \frac{V_m}{V_x} eMA > 1$

अवश्य होगा। अतः मार्शल-लॉरे शर्त पूरी न होने के बावजूद भी अन्वयन से व्यापार

सन्तुलन में सुधार सम्भव है अर्थात् यदि व्यापार सन्तुलन में घाटा है $\frac{V_m}{V_x} > 1$ है

तो दोनों मांग लोचो का निरपेक्ष योग इकाई से कम होने पर भी अवमूल्यन से व्यापार

संतुलन में सुधार सम्भव है। मान लीजिए $\frac{V_m}{V_x} = 1.2$ है

$e_{MB} = 0.6$ तथा $e_{MA} = 0.38$ है तो

$$-e_{MB} - \frac{V_m}{V_x} e_{MA} > 1$$

अथवा

$$(0.6) + (1.2 \times 0.38) > 1$$

$$0.6 + 0.456 > 1$$

अतः व्यापार संतुलन में सुधार की शर्त पूरी हो रही है यद्यपि मार्शल-लॉरे शर्त पूरी नहीं हो रही है क्योंकि

$$|e_{MA}| + |e_{MB}| < 1 \text{ है।}$$

उत्पाद के बराबर मान लेते हैं) के ठीक बराबर होगा। अतः स्पष्ट है कि वस्तु विशेष के उत्पादन की प्रक्रिया में उस वस्तु के उत्पादन के बराबर उत्पादक साधनों की भुगतानों के रूप में आय सृजित होती है तथा जो एक वस्तु के सन्दर्भ में सही है वही समस्त वस्तुओं के उत्पादन के सन्दर्भ में भी सही है।

अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादन उत्पादन प्रक्रिया में राष्ट्र के समस्त उत्पादक साधनों द्वारा सृजित आय के ठीक बराबर होता है।

उत्पादन प्रक्रिया में सृजित आय का एक भाग तो उपभोग पर व्यय (C) कर दिया जाता है तथा आय का शेष भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है बचत (S) कहलाता है। अतः परिभाषा के अनुसार

$$Y = C + S \dots \dots \dots (2)$$

अब मान लीजिए कि उत्पादन (y) में से उपभोग माँग उपभोग वस्तुओं के उत्पादन (C) के ठीक बराबर है तो कुल उत्पादन के विक्रय हेतु यह आवश्यक है कि विनियोग वस्तुओं की माँग उत्पादन के उपभोग से अधिक (Y - C = S) अर्थात् बचत के ठीक बराबर हो अर्थात् समग्र माँग (Aggregate demand) व समग्र पूर्ति (Aggregate supply) में साम्य प्राप्त करने हेतु नियोजित बचत (Planned saving) का नियोजित विनियोग (Planned Investment) के बराबर होना आवश्यक है। अतः हमें राष्ट्रीय आय में साम्य की निम्न सुप्रसिद्ध शर्त प्राप्त होती है।

$$S = I \dots \dots \dots (3)$$

समीकरण (1) व (2) को मिलाने पर

$$Y = C + I = C + S$$

यदि उपभोग माँग उपभोग वस्तुओं के उत्पादन के बराबर है अर्थात् $C = C$ तो साम्य हेतु $S = I$

शर्त (3) का अभिप्राय यह है कि यदि उत्पादक ठीक उतने ही विनियोग की योजना बनाते हैं जितनी कि उपभोक्ताओं की बचत करने की योजना है तो राष्ट्रीय आय में साम्य होगा। राष्ट्रीय आय में साम्य से अभिप्राय मात्र यह है कि साम्य बिन्दु पर ऐसी शक्तियाँ कार्यरत नहीं होंगी जिससे कि राष्ट्रीय आय में साम्य बिन्दु से चलन की प्रवृत्ति हो। समग्र नियोजित उत्पादन समग्र नियोजित माँग के बराबर होगा तथा उत्पादन व उपभोक्ता अपने नियोजित उद्देश्यों का त्रियाव्ययन कर सकेंगे।

शर्त (3) का अर्थ यह है कि यद्यपि बचत व विनियोग की योजनाएँ विनियोगकर्ताओं व बचतकर्ताओं के दो भिन्न समूहों द्वारा स्वतंत्र रूप से बनाई जाती हैं लेकिन उत्पादन व आय के चक्रीय प्रवाह (circular flow) के निर्वाह रूप से चलते रहने हेतु नियोजित बचत व नियोजित विनियोग में तालमेल होना आवश्यक है।

ध्यान रहे शर्त (3) में नियोजित बचत व नियोजित विनियोग की समानता व्यक्त की गई है, वास्तविक बचत (realised or actual savings) तथा वास्तविक विनियोग (realised or actual investment) की नहीं क्योंकि समग्र माँग व समग्र पूर्ति बराबर है अथवा नहीं वास्तविक बचत व वास्तविक विनियोग तो सदैव ही बराबर होते हैं। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को चित्र 14.1 में स्पष्ट किया गया है। चित्र 14.1 में उत्पादन अथवा वास्तविक आय को क्षैतिज अक्ष पर मापा गया है तथा समग्र माँग व समग्र पूर्ति को लम्बवत् अक्ष पर मापा गया है। समग्र माँग व समग्र पूर्ति की समानता को मूल बिन्दु से खींची गयी 45° की रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चूँकि 45° की रेखा पर स्थित प्रत्येक बिन्दु पर समग्र माँग समग्र पूर्ति के बराबर है अतः इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिन्दु राष्ट्रीय आय में साम्य दर्शायेगा।

45° रेखा की यह विशेषता होती है कि इसके प्रत्येक बिन्दु पर क्षैतिज अक्ष व लम्बवत् अक्ष पर डाले गये लम्बों की मूल बिन्दु से दूरी बराबर होती है। उदाहरणार्थ चित्र 14.1 में B बिन्दु पर $O-yc = E-yc$ तथा A बिन्दु पर $O-y = yA$ आदि। चूँकि चित्र 14.1, में हम क्षैतिज अक्ष पर कुल उत्पादन माप रहे हैं तथा लम्बवत् अक्ष पर समग्र माँग। अतः 45° रेखा के प्रत्येक बिन्दु पर कुल उत्पादन के बराबर समग्र माँग होगी और इस रेखा का प्रत्येक बिन्दु साम्य आय दर्शायेगा।

समग्र माँग के दो हिस्से हैं उपभोग माँग व विनियोग माँग। चित्र 14.1 में C रेखा उपभोग माँग दर्शाती है। C रेखा का ढाल घनात्मक है अर्थात् आय बढ़ने के साथ-साथ उपभोग व्यय में भी वृद्धि होती है, इस रेखा को 'उपभोग फलन' (consumption function) के नाम से जाना जाता है। C रेखा का ढाल

$$\left(\frac{\Delta C}{\Delta Y} \right) \text{ 'सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति' (Marginal propensity to consume)}$$

कहलाता है। सरल रेखा वाले उपभोग फलन का ढाल स्थिर होने के कारण यह

‘औसत उपभोग प्रवृत्ति’ (Average Propensity to Consume) — का भी $\frac{C}{y}$


प्रतिनिधित्व करता है। उपभोग फलन में विनियोग की स्थिर मात्रा जोड़कर $C+I$ रेखा प्राप्त की गयी है। C तथा $C+I$ रेखा के बीच की लम्बवत् दूरी (Vertical distance) स्थिर है, क्योंकि हमारी मान्यताओं के अन्तर्गत आय के प्रत्येक स्तर पर विनियोग यथास्थिर रहेगा जैसा कि चित्र 14.1 के नीचे के भाग में दर्शाया गया है। समग्र पूर्ति (45° रेखा) व उपभोग फलन के मध्य की लम्बवत् दूरी को हमने चित्र 14.1 के निचले भाग में बचत फलन $S(y)$ रेखा द्वारा दर्शाया है। उदाहरणार्थ, उपर के चित्र में राष्ट्रीय आय के ye' स्तर पर उपभोग फलन 45° रेखा को काटता है अर्थात् $O-ye'$ आय पर कुल आय व उपभोग बराबर है तथा बचत शून्य है। अतः चित्र के निचले भाग में $O-ye'$ आय पर बचत फलन क्षैतिज अक्ष को काटता है अर्थात् आय के इस स्तर पर बचत शून्य है। आय के $O-ye'$ से कम होने पर चित्र 14.1 के उपरी भाग में उपभोग फलन 45° रेखा से ऊपर है अर्थात् उपभोग आय से अधिक है। अतः चित्र के निचले भाग में $O-ye'$ से कम आय पर बचत ऋणात्मक है (अर्थात् आय से अधिक उपभोग व्यय करने हेतु उधार लेना पड़ रहा है)। इसी प्रकार $O-ye'$ से अधिक आय पर चित्र 14.1 उपरी भाग में 45° रेखा उपभोग फलन (C) से ऊपर है अर्थात् उपभोग आय से कम है अतः चित्र के निचले भाग में $O-ye'$ से अधिक आय के स्तर पर बचत भी धनात्मक है। बचत फलन का धनात्मक ढाल यह दर्शाता है कि

आय में वृद्धि के साथ-साथ बचत भी बढ़ती है। बचत फलन का ढाल $\left(\frac{\Delta S}{\Delta y}\right)$

‘सीमान्त बचत प्रवृत्ति’ (Marginal propensity to save) कहलता है। यहाँ भी सरल रेखीय बचत फलन का ढाल स्थिर होने के कारण यह ‘औसत बचत प्रवृत्ति’

$\frac{S}{y}$
(Average propensity to save) — का भी प्रतिनिधित्व करता है।

चित्र 14.1 में हम दो विधियों से राष्ट्रीय आय के साम्य को व्यक्त कर सकते हैं। या तो हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में साम्य उस बिन्दु पर होगा जहाँ समग्र माँग पूर्ति के बराबर है अर्थात् चित्र 14.1 के ऊपरी हिस्से में उस बिन्दु पर साम्य निर्धारित होगा जहाँ समग्र माँग वक्र ($C+I$) 45° रेखा को काटे। चित्र में



चित्र 14.1 : राष्ट्रीय आय निर्धारण

साम्य भाय का स्तर $O-ye$ है क्योंकि $O-ye$ भाय के स्तर पर समग्र माँग $E-ye$ समग्र पूर्ति $E-y$ (अथवा कुल उत्पादन $O-ye$) के बराबर है ।

वैकल्पिक रूप से हम यह कह सकते हैं कि साम्य भाय बिन्दु वह होगा जहाँ बचत व विनियोग बराबर ($S=I$) हैं । चित्र 14 I के नीचे के चित्र में $O-ye$ भाय के स्तर पर बचत फलन (S) विनियोग रेखा (I) को काटता है । अतः $O-ye$ साम्य भाय का स्तर है । चित्र 14 I के ऊपर के भाग से भी बचत व विनियोग की समानता स्पष्ट है यहाँ $O-ye$ भाय के स्तर पर नियोजित बचत ($y-C$) $E-ye$ — $F-ye$ है जो कि नियोजित विनियोग $F-E$ के ठीक बराबर है । अतः $O-ye$ साम्य भाय का स्तर है ।

यदि भाय $O-ye$ से अधिक है तो समग्र माँग समग्र पूर्ति से कम होगी अथवा हम यह कह सकते हैं कि बचत विनियोग से अधिक होगी अतः राष्ट्रीय भाय को घटाने वाली शक्तियाँ कार्यरत हो जायेंगी एवं भाय का स्तर पुनः $O-ye$ निर्धारित हो जायेगा । उदाहरणार्थ, भाय के $O-y$ स्तर पर समग्र माँग $y-B$, समग्र पूर्ति $y-A$ से $A-B$ मात्रा के बराबर कम है । इसी प्रकार $O-y$ भाय के स्तर पर नियोजित विनियोग $B-K$ नियोजित बचत $A-K$ से $A-B$ मात्रा के बराबर कम है । चित्र 14 I के नीचे के भाग में भी $O-y$ भाय के स्तर पर बचत का विनियोग से आधिक्य $J-I$ ऊपर के चित्र की $A-B$ दूरी के ठीक बराबर है ।


लेकिन भाय के $O-y$ स्तर पर भी वास्तविक विनियोग व वास्तविक बचत तो एक दूसरे के बराबर ही हैं क्योंकि वास्तविक बचत सदैव ही वास्तविक विनियोग के बराबर होती है। चित्र 14 I में वास्तविक बचत $A-K$ वास्तविक विनियोग $A-K$ के ठीक बराबर है जो कि दो हिस्सों में बाँटा गया है एक हिस्सा ($B-K$) तो नियोजित विनियोग है तथा दूसरा हिस्सा ($A-B$) अनियोजित विनियोग है । अनियोजित-विनियोग $A-B$ समग्र पूर्ति $y-A$ के समग्र माँग $y-B$ से आधिक्य (AB) के बराबर है जिसे वस्तु मंची (inventories) में वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए । अतः स्पष्ट है कि वास्तविक विनियोग व वास्तविक बचत सदैव ही बराबर होते हैं ।

इसी प्रकार यदि भाय का स्तर $O-ye$ में कम है तो समग्र माँग समग्र पूर्ति में अधिक होगी अथवा हम यह कह सकते हैं कि नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक होगा अतः समग्र माँग अधिक होने के कारण भाय में वृद्धि करने वाली शक्तियाँ कार्यरत हो जायेंगी तथा भाय पुनः बढ़कर $O-ye$ हो जायेगी ।

निर्विदेश व्यापार ग्रथव्यवस्था में गुणक

(Multiplier in a closed economy)

मान लीजिए कि चित्र 14.1 में विनियोग का स्तर बढ़ जाता है तो नया विनियोग का स्तर चित्र 14.2 में दर्शायेनुसार होगा ।



चित्र 14.2 : विनियोग में वृद्धि का साम्य राष्ट्रीय आय पर प्रभाव

चित्र 14.2 में विनियोग में I_1 से I_2 की वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय का साम्य बिन्दु $O-y_1$ से परिवर्तित होकर $O-y_2$ हो जायेगा । स्पष्ट ही है कि विनियोग में ΔI की वृद्धि के परिणामस्वरूप आय की वृद्धि (Δy) बचत फलन के ढाल अथवा सीमांत बचत प्रवृत्ति (MPS) पर निर्भर करती है । चित्र से स्पष्ट है कि बचत फलन का ढाल $\Delta I/\Delta y$ है जिसे 'सीमांत बचत प्रवृत्ति' (MPS) के नाम से जाना जाता है अतः

$$\frac{\Delta I}{\Delta y} = MPS$$

$$\text{Or } \Delta y = \Delta I \frac{1}{1-MPS}$$

चूँकि MPS व MPC का योग सदैव 1 होता है अर्थात् $MPS + MPC = 1$ अथवा $MPS = 1-MPC$, इसलिए

$$\Delta y = \Delta I \frac{1}{1-MPC}$$

चूँकि MPS भिन्न (fraction) है अतः Δy अर्थात् आय में होने वाली वृद्धि ΔI विनियोग की वृद्धि से कई गुणा अधिक होगी। आय में परिवर्तन (Δy) व

विनियोग में परिवर्तन (ΔI) का आपसो अनुपात $\frac{\Delta y}{\Delta I}$ ही निविदेश व्यापार अर्थ-

व्यवस्था का गुणक है जिसे सामान्यतया K द्वारा इंगित किया जाता है

$$K = \frac{1}{\text{MPS}} \text{ अथवा } K = \frac{1}{(1-\text{MPC})} \quad (4)$$

इस गुणक की व्युत्पत्ति हम निम्न प्रकार से भी कर सकते हैं, चूँकि साम्यावस्था में $I = S$ अतः

$$\Delta I = \Delta S$$

दोनों पक्षों का Δy में भाग देने पर

$$\frac{\Delta I}{\Delta I} = \frac{\Delta S}{\Delta S} \text{ अथवा } \frac{\Delta y}{\Delta I} = \frac{1}{\text{MPS}}$$

विनियोग में वृद्धि के परिणामस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि विनियोग की वृद्धि को 'गुणक' से गुणा करने के बराबर होती है अर्थात्

$$\Delta y = \Delta I \cdot \frac{1}{\text{MPS}}$$

मान लीजिये कि विनियोग में 100 करोड़ रु की वृद्धि हुई है तथा 'सामान्त उपभोग प्रवृत्ति' (MPC) 0.8 है अर्थात् सामान्त बचत प्रवृत्ति 0.2 है तो गुणक

$$\left(K = \frac{1}{\text{MPS}} \text{ अर्थात् } \frac{1}{0.2} = 5 \right) \text{ होगा जिसका अर्थ है कि}$$

विनियोग में 100 करोड़ रु की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में

$$\Delta y = \Delta I \cdot \frac{1}{\text{MPS}}$$

$$= 100 \times \frac{1}{0.2} = 100 \times 5 = 500 \text{ करोड़ रु}$$

500 करोड़ रु. की वृद्धि होगी।

व्यापाररत अर्थव्यवस्था में साम्य आय निर्धारण

(Income Determination in an Open economy)


अब हम व्यापाररत अर्थव्यवस्था में साम्य राष्ट्रीय आय निर्धारण की प्रक्रिया स्पष्ट करेंगे। इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु सर्व प्रथम 'आयात फलन' (Import function) की अवधारणा को स्पष्ट करना आवश्यक है।

राष्ट्रीय आय व आयातों के आपसी सम्बन्ध को कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इनमें से 'औसत आयात प्रवृत्ति' (Average propensity to import)

$\frac{M}{Y}$ व 'सीमान्त आयात प्रवृत्ति' (Marginal propensity to import)

$\frac{\Delta M}{\Delta Y}$ सर्वाधिक प्रचलित अवधारणाएँ हैं।

राष्ट्रीय आय व आयातों के आपसी सम्बन्ध को 'आयात फलन' (import function) के नाम से जाना जाता है। चित्र 14.3 में एक काल्पनिक आयात फलन



चित्र 14.3 : आयात फलन

M (y) रेखा द्वारा दर्शाया गया है। M(y) रेखा का घनात्मक ढाल यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ-साथ आयातों पर व्यय में भी वृद्धि होगी। ध्यान रहे कि जब राष्ट्रीय आय शून्य है तब आयातों पर व्यय ON है क्योंकि राष्ट्रीय आय शून्य होने पर हमें उपभोग के लिये आयातों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। आयात फलन का

$\frac{\Delta M}{\Delta Y}$ ढाल — 'सीमान्त आयात प्रवृत्ति' है चूँकि चित्र 14.3 में सरल रेखा वाला

आयात फलन है अतः यह 'भौमित आयात प्रवृत्ति' $\frac{M}{Y}$ का भी प्रतिनिधित्व करता है।

सीमान्त आयात प्रवृत्ति (MPM) तथा भौमित आयात प्रवृत्ति (APM) के घापसी अनुपात को 'आयातों की आय लोच' (Income Elasticity of Imports) के नाम से जाना जाता है आयातों की आय लोच (el) को हम निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं

$$el = \frac{\text{आयातों में सापेक्ष परिवर्तन}}{\text{आय में सापेक्ष परिवर्तन}}$$


$$= \frac{\frac{\Delta M}{M}}{\frac{\Delta Y}{Y}} = \frac{\Delta M}{\Delta Y} \times \frac{Y}{M} = \frac{\Delta M}{\Delta Y} / \frac{M}{Y} = \frac{MPM}{APM}$$

उदाहरणार्थ, यदि आय में 10% वृद्धि से आयातों में 15% वृद्धि होती है तो 'आयातों की आय लोच' अपेक्षाकृत अधिक अर्थात् 1.5 है। इसके विपरीत यदि आय में 10% वृद्धि से आयातों में 5% की ही वृद्धि होती है तो आयातों की आय लोच 0.5 ही होगी। इसी प्रकार यदि आय में 10% वृद्धि से आयातों में भी 10% की वृद्धि होती है तो आयातों की आय लोच इकाई होगी।

सामान्यतया प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न बड़े राष्ट्रों की APM व MPM छोटे राष्ट्रों की APM व MPM से कम होती है। उदाहरणार्थ, अमेरिका की APM तथा MPM क्रमशः 0.8 व 0.13 है जबकि स्विटजरलैंड की APM = 8.26 तथा MPM = 0.47 है। इसी प्रकार राष्ट्र विशेष की स्थिति में भी APM व MPM भिन्न पायी जाती है। उदाहरणार्थ, ऐसे राष्ट्र जो पिछड़े हुए हैं तथा अपनी आवश्यकताओं की अधिकांश वस्तुएँ स्वयं उत्पादित करते हैं उनकी APM से MPM अधिक होगी। दूसरी

और ऐसे राष्ट्र जिनका जीवन स्तर ऊँचा है लेकिन अन्य राष्ट्रों से व्यापार भी काफ़ी है उनको APM से MPM कम होगी।

घरेलू विनियोग की भ्रान्ति निर्यात भी राष्ट्रीय आय के प्रत्येक स्तर पर स्थिर माने जा सकते हैं। क्योंकि राष्ट्र विशेष के निर्यात व्यापार सहयोगी राष्ट्र की आय पर निर्भर करते हैं अतः निर्यात फलन निम्न चित्र 14.4 में दर्शायी गयी क्षैतिज रेखा के रूप में हो सकता है।



चित्र 14.4 . निर्यात फलन

चित्र 14.4 से स्पष्ट है कि निर्यात राष्ट्रीय आय के स्तर से स्वतंत्र है। यह मान्यता तभी सही होगी जब हम यह मान लें कि राष्ट्र ऐसी वस्तुओं का निर्यात कर रहा है जिनका घरेलू उपभोग नहीं हो रहा है अथवा उन वस्तुओं की आय लोच शून्य है। व्यापाररत अर्थव्यवस्था में साम्य आय निर्धारण हेतु हम निर्यात व्यापार अर्थव्यवस्था की साम्य आय निर्धारण की निम्न शर्तें

$$I=S$$

से प्रारम्भ कर सकते हैं। लेकिन अब विनियोग (I) के दो हिस्से हैं घरेलू विनियोग (I_d) व विदेशी विनियोग (I_f) अतः

$$I_d + I_f = S$$

लेकिन विदेशी विनियोग वस्तुओं व सेवाओं के आयातों व निर्यातों के अन्तर के बराबर होता है

$$\text{अर्थात् } I_f = X - M$$

पूर्व की समीकरण में I_f का यह मूल्य रखने पर हम लिख सकते हैं कि

$$I_d + X - M = S$$

$$\text{अथवा } Id + X = S + M \quad (5)$$

समीकरण (5) व्यापाररत अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय निर्धारण की आधारभूत समीकरण है।

समीकरण (5) में ध्यान देने योग्य बात यह है कि राष्ट्रीय आय में साम्य का अर्थप्राय यह नहीं है कि व्यापार सन्तुलन भी साम्य में है। साम्य आय के स्तर पर व्यापार सन्तुलन में साम्य (अर्थात् $X = M$) तभी होगा जब विनियोग व बचत बराबर ($S = I$) हैं। व्यापार सन्तुलन की स्थिति का अर्थन्यून करने हेतु समीकरण (5) में पश्चात्तरण (transpose) करके उसे निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है

$$X - M = S - Id \quad (6)$$

उपर्युक्त सम्बन्धी को चित्र 14.5 में दर्शाया गया है।

चित्र 14.5 के ऊपर के भाग में समीकरण (5) के रूप में राष्ट्रीय आय का साम्य दर्शाया गया है, जबकि चित्र के नीचे के भाग में समीकरण (6) के रूप में राष्ट्रीय आय का साम्य दर्शाया गया है।

चित्र 14.5 के ऊपर के भाग में Id विनियोग दर्शाने वाली रेखा है तथा Id व $Id + X$ के अन्तर के बराबर राष्ट्र के निर्यात हैं। घरेलू विनियोग व निर्यात को राष्ट्रीय आय से स्वतंत्र माना गया है अतः ये रेखाएँ क्षैतिज (horizontal) खींची गयी हैं। अतः $Id + X$ भी आय के प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहेगा। चित्र 14.5 में $O-ye$ साम्य राष्ट्रीय आय है। विभिन्न आय के स्तरों पर बचत व आयों का योग दर्शाने वाली रेखा $S(y) + M(y)$ विनियोग व निर्यातों का योग दर्शाने वाली रेखा $Id + X$ को $O-ye$ राष्ट्रीय आय के स्तर पर काटती है। अतः $O-ye$ बिन्दु पर निम्न साम्य शतं पूरी होती है।

$$Id + X = S + M$$

अतः हम कह सकते हैं कि साम्य राष्ट्रीय आय $O-ye$ है। ye आय के स्तर पर F बिन्दु पर बचत व विनियोग भी एक दूसरे के बराबर हैं (अर्थात् $S = Id$) तथा आयों व निर्यात भी E बिन्दु पर एक दूसरे के बराबर (अर्थात् $X = M$) हैं। ध्यान रहे कि ye बिन्दु पर व $S(y) + M(y)$ रेखाओं के बीच की सम्भवतः दूरी $E-F$ आयों है अतः $O-ye$ राष्ट्रीय आय पर व्यापाररत अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक साम्य शतं $Id + X = S + M$ तो पूरी हो ही रही है, साथ-साथ $X = M$ व $S = Id$ की अलग-अलग समानता के परिणामस्वरूप इस आय के स्तर पर व्यापार सन्तुलन भी साम्य में

X-M वक्र O-y रेखा को काटता है अर्थात् इस बिन्दु पर व्यापार सन्तुलन साम्य में है अथवा हम यह कह सकते हैं कि O-ye आय के स्तर पर व्यापार सन्तुलन का असाम्य शून्य है। O-ye बिन्दु से आगे आय बढ़ने पर आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार सन्तुलन घाटे में चला जाता है अर्थात् X-M वक्र O-y रेखा से नीचे चला जाता है। इसी प्रकार S-Id वक्र घनात्मक ढाल वाले वचत फलन में से क्षैतिज विनियोग फलन को घटाकर प्राप्त किया गया है।

आय के निम्न स्तर पर वचत से विनियोग अधिक है अर्थात् S-Id में से ऋणात्मक पद (negative term) अर्थात् Id अधिक है अतः S-Id वक्र O-y रेखासे नीचे के ऋणात्मक क्षेत्र से प्रारम्भ होता है। ye आय के स्तर पर वचत व विनियोग बराबर हैं अतः S-Id शून्य है, तत्पश्चात् आय बढ़ने के साथ-साथ वचत में वृद्धि से S-Id वक्र O-y रेखा से ऊपर के घनात्मक हिस्से में चला जाता है। ध्यान रहे आयातों में वृद्धि के कारण X-M वक्र नीचे की ओर विवर्त हो जाता है क्योंकि ऋणात्मक पद में वृद्धि हो जाती है जबकि निर्यातों में वृद्धि के कारण X-M वक्र ऊपर की ओर विवर्त होगा क्योंकि घनात्मक पद में वृद्धि होती है। इसी प्रकार विनियोग में वृद्धि के कारण S-Id वक्र नीचे की ओर विवर्त हो जाता है क्योंकि ऋणात्मक पद में वृद्धि होती है जबकि वचत में वृद्धि के कारण S-Id वक्र ऊपर की ओर विवर्त हो जाता है।

स्पष्ट है कि चित्र 14 5 के निचले भाग में O-ye राष्ट्रीय आय के स्तर पर व्यापार सन्तुलन साम्य में है क्योंकि X-M वक्र तथा S-Id वक्र एक दूसरे को O-y रेखा के ठीक ye बिन्दु पर काटते हैं अर्थात् इस बिन्दु पर $X = M$ तथा S-Id की शर्त भी पूरी हो रही है।

लेकिन व्यापाररत अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में साम्य की आवश्यक शर्त मात्र यह है कि $Id + X = S + M$

अतः राष्ट्रीय आय में साम्य हेतु $X = M$ तथा $S = Id$ की शर्त का पूरा होना आवश्यक नहीं है अर्थात् यदि $S > Id$ तथा $X > M$ लेकिन वचत विनियोग से ठीक उतनी अधिक है जितने निर्यात आयातों से अधिक हैं तो भी राष्ट्रीय आय में साम्य सम्भव है क्योंकि $X - M = S - Id$ की शर्त पूरी हो रही है। यह स्थिति चित्र 14 5 में ye' राष्ट्रीय आय के स्तर पर दर्शायी गयी है।

मान लीजिये कि निर्यातों में $Id + X$ तथा $Id + X^1$ के अन्तर के बराबर स्वचालित (Autonomous) वृद्धि हो जाती है तो राष्ट्रीय आय का नया साम्य बिन्दु O-ye' होगा। O-ye' राष्ट्रीय आय के स्तर पर $[S(y) + m(y)]$ वक्र $(Id + X')$ वक्र को E' बिन्दु पर काटता है अर्थात् E' बिन्दु पर $Id + X' = S + M$ की साम्य शर्त पूरी हो रही है। लेकिन O-ye' राष्ट्रीय आय के स्तर पर निर्यात

B—E' है जबकि प्रायात A—E' ही है अर्थात् प्रायातो से निर्यात A-B अधिक है। लेकिन साथ ही O—ye' आय के स्तर पर बचत भी विनियोग से ठीक A-B के बराबर अधिक है अर्थात् E' बिन्दु पर व्यापाररत ग्रथव्यवस्था में साम्य को आवश्यक गतं (Id + X = S + M) पूरी हो रही है अतः O—ye' राष्ट्रीय आय का साम्य स्तर है।

चित्र 14 5 के निचले भाग में प्रायातो का निर्यातो से प्राधिक्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ S—Id वक्र X'—M वक्र को G बिन्दु पर O—y रेखा से ऊपर के क्षेत्र में काटता है अतः व्यापार सतुलन में ye'—G के बराबर प्रतिरेक है। अतः चित्र 14 5 के निचले भाग का चित्र व्यापार सतुलन की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

विदेशी व्यापार गुणक

(Foreign Trade Multiplier)

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि निर्यातो में Id + X से Id + X' की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी? निर्यातो की इस स्वचालित वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय का साम्य बिन्दु ye परिवर्तित होगा तथा आय के इस परिवर्तन से बचत व प्रायातो के स्तर में उस समय तक परिवर्तन होते रहेंगे जब तक कि आय के परिवर्तन के परिणामस्वरूप बचत व प्रायातो के परिवर्तन का योग निर्यातो के स्वचालित परिवर्तन के ठीक बराबर नहीं हो जाता है अर्थात् राष्ट्रीय आय का नया साम्य बिन्दु आय के उस स्तर पर निर्धारित होगा जहाँ पर

$$\Delta X = \Delta S + \Delta M$$

आय के परिवर्तन के परिणामस्वरूप बचत व प्रायातो के परिवर्तन निम्न होंगे

$$\Delta S = (\Delta Y) (MPS)$$

तथा

$$\Delta M = (\Delta Y) (MPM)$$

ΔS व ΔM के इन मूल्यों को पूर्व की समीकरण में रखने पर

$$\Delta X = (\Delta y) (MPS) + (\Delta y) (MPM)$$

$$\text{अथवा } \Delta X = (MPS + MPM) \Delta y$$

$$\text{अथवा } \Delta Y = \Delta X \frac{1}{MPS + MPM}$$

यहाँ विदेशी व्यापार गुणक K' को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है—

$$K' = \frac{1}{MPS + MPM}$$

$$\text{अथवा } K' = \frac{1}{S(y) \text{ का ढाल} + M(y) \text{ का ढाल}}$$

मान लीजिए कि निर्यात में 100 करोड़ रु की स्वचालित वृद्धि हुई है तथा $PS = 0.2$ है व $MPM = 0.25$ है तो विदेशी व्यापार गुणक

$$K' = \frac{1}{0.2 + 0.25} = 2.22 \text{ (लगभग)}$$

अर्थात् निर्यातों में 100 करोड़ रु की वृद्धि से राष्ट्रीय आय में 222 करोड़ रु की वृद्धि होगी। आय में 222 करोड़ की वृद्धि से वचत में $(222 \times 0.2 =)$ 44.44 करोड़ रु की वृद्धि होगी तथा आयातों में $(222 \times 0.25 =)$ 55.55 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी अर्थात्

$$\Delta X = \Delta S + \Delta M$$

$$100 \text{ करोड़} = 44.44 \text{ करोड़} + 55.55 \text{ करोड़}$$

$$100 \text{ करोड़} = 100 \text{ करोड़ (लगभग)}$$

चूंकि स्वचालित विनियोग अपरिवर्तित है अतः नये आय के स्तर ye' पर अन्तःक्षेपों (Injections) के परिवर्तन रिसाव (Leakages) के परिवर्तन के ठीक बराबर हैं, अर्थात्

$$\text{अन्तःक्षेप} = \text{रिसाव}$$

$$\Delta I + \Delta X = \Delta S + \Delta M$$

$$0 + 100 = 44.44 + 55.55$$

चूंकि ye' आय के स्तर पर व्यापाररत अर्थ-व्यवस्था में साम्य की आवश्यक शर्तें पूरी हो रही हैं अतः ye' राष्ट्रीय आय का नया साम्य बिन्दु होगा।

चित्र 14.5 के निचले भाग में ध्यान देन योग्य बात यह है कि राष्ट्र के निर्यातों में वृद्धि का व्यापार सन्तुलन पर अन्तिम प्रभाव $ye'-G$ इस वृद्धि के प्रारम्भिक प्रभाव $ye'-H$ से कम है। अर्थात् राष्ट्र के निर्यातों में $X-M$ तथा X^1-M वक्रों की तन्मयत्व दूरी ($ye'-H$) के बराबर वृद्धि हुई है जबकि व्यापार सन्तुलन में सुधार इससे कम ($ye'-G$) के बराबर ही हुआ है। इसका कारण यह है कि निर्यातों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में हुई $ye - ye'$ की वृद्धि के परिणामस्वरूप आयातों में भी वृद्धि होती है, अतः व्यापार सन्तुलन का अन्तिम प्रभाव प्रारम्भिक प्रभाव से कम होगा।

राष्ट्र की आय व आयातों में वृद्धि होगी जिससे प्रथम राष्ट्र के निर्यातों व आय में वृद्धि होगी। इस क्रिया-प्रतिक्रिया की प्रक्रिया कहीं समाप्त होगी यह प्रथम व द्वितीय राष्ट्रों की 'सीमांत आयात प्रवृत्तियों व 'सीमान्त बचत प्रवृत्तियों' पर निर्भर करेगा।

इन अन्तर क्रियाओं को चित्र 14.6 में (a) (b) व (c) अवस्थाओं में दर्शाया गया है। प्रथम अवस्था में प्रथम राष्ट्र के घरेलू विनियोग में वृद्धि को चित्र 14.6 में I_d रेखा द्वारा दर्शाया गया है। घरेलू विनियोग की इस वृद्धि से $I_d + x$ वक्र विनियोग में वृद्धि की मात्रा से ऊपर खिसक कर $I'd + x$ हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में $yc - yc'$ की वृद्धि हो जाती है। प्रथम राष्ट्र की राष्ट्रीय आय की इस वृद्धि से इस राष्ट्र के आयातों में वृद्धि होती है जो कि द्वितीय राष्ट्र के निर्यात है। अतः द्वितीय अवस्था के चित्र (b) में द्वितीय राष्ट्र के निर्यात $I_d + x$ से बढ़कर $I'd + x'$ हो जाते हैं। निर्यातों की इस वृद्धि के परिणामस्वरूप द्वितीय राष्ट्र की राष्ट्रीय आय चित्र (b) में yc से बढ़कर yc' हो जाती है। लेकिन द्वितीय राष्ट्र की आय में वृद्धि से इस राष्ट्र के आयातों में भी वृद्धि होती है जो कि प्रथम राष्ट्र के निर्यात है, अतः तृतीय अवस्था के चित्र (c) में प्रथम राष्ट्र के निर्यात $I'd + x$ से बढ़कर $I'd + x'$ हो जाते हैं जिससे प्रथम राष्ट्र की राष्ट्रीय आय बढ़कर yc' में yc'' हो जाती है।

प्रथम राष्ट्र की आय की इस वृद्धि से प्रथम राष्ट्र के आयातों में पुनः वृद्धि होगी जो कि द्वितीय राष्ट्र के निर्यात है अतः स्पष्ट है कि व्यापाररत राष्ट्रों की आय के परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक राष्ट्र की आय का परिवर्तन उस राष्ट्र के समस्त व्यापार सहयोगियों की आय को प्रभावित करता है तथा यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि आय के स्तर में नया साम्य स्थापित नहीं हो जाता है। उदाहरणार्थ, प्रथम तथा द्वितीय महायुद्धों के मध्य की अवधि में अमेरिका में मन्दी के परिणामस्वरूप अमेरिका के आयातों में कमी से विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में मन्दी की प्रक्रिया चालू हो गयी थी जिससे सन् 1932-33 तक यह मन्दी विश्व व्यापी मन्दी का रूप धारण कर चुकी थी।

यहाँ हम 'विदेशी प्रतिक्रिया' (Foreign Repercussion) का समावेश करने वाले विदेशी व्यापार गुणक के दो भिन्न सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, इनमें से प्रथम सूत्र तो निर्यातों की स्वचालित वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है तथा द्वितीय सूत्र घरेलू विनियोग में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाता है।

प्रथम राष्ट्र के निर्यातों में स्वचालित वृद्धि का प्रभाव दर्शाने वाले विदेशी व्यापार गुणक को अक्षरलिखित सूत्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है -

$$K^* = \frac{\Delta Y_1}{\Delta X_1} = \frac{1}{MPS_1 + MPM_1 + MPM_2 \left(\frac{MPS_1}{MPS_2} \right)}$$

स्पष्ट है कि प्रथम राष्ट्र में विदेशी व्यापार गुणक अधिक होने की निम्न शर्तें हैं :

- (1) प्रथम राष्ट्र की सीमान्त आयात प्रवृत्ति कम हो,
- (2) प्रथम राष्ट्र की सीमान्त बचत प्रवृत्ति कम हो,
- (3) द्वितीय राष्ट्र की सीमान्त आयात प्रवृत्ति कम हो, तथा
- (4) द्वितीय राष्ट्र की सीमान्त बचत प्रवृत्ति अधिक हो ।

प्रथम राष्ट्र की सीमान्त आयात प्रवृत्ति तथा सीमान्त बचत प्रवृत्ति कम होने के परिणामस्वरूप आयात प्रवाह में से रिसाव कम हो सकेगा अर्थात् मुख्यधारा में अपेक्षाकृत अधिक आयात का प्रवाह बना रहेगा अतः दिए हुए निर्यात अथवा विनियोग के परिवर्तन से प्रथम राष्ट्र की आय में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि होगी। द्वितीय राष्ट्र की सीमान्त आयात प्रवृत्ति कम होने का प्रभाव यह होगा कि द्वितीय राष्ट्र की आय में कमी के परिणामस्वरूप इस राष्ट्र के आयातों (प्रथम राष्ट्र के निर्यातों) में कटौती कम बनी रहेगी अर्थात् प्रथम राष्ट्र का गुणक अधिक होगा।

द्वितीय राष्ट्र की 'सीमान्त बचत प्रवृत्ति' अधिक होने से भी प्रथम राष्ट्र का 'गुणक' अधिक होगा क्योंकि इससे द्वितीय राष्ट्र में आय में कमी कम होगी अतः इस राष्ट्र के आयातों (प्रथम राष्ट्र के निर्यातों) की कटौती भी कम होगी।

प्रथम राष्ट्र के घरेलू विनियोग में स्वचालित वृद्धि की स्थिति में प्रथम राष्ट्र के गुणक का मूल अग्रलिखित होगा

$$K^{1d} = \frac{\Delta Y_1}{\Delta Id_1} = \frac{1 + (MPM_2/MPS_2)}{MPS_1 + MPM_1 + MPM_2 \left(\frac{MPS_1}{MPS_2} \right)}$$

स्पष्ट ही है कि K^* की तुलना में K^{1d} बड़ा है क्योंकि दोनों गुणकों का हर (denominator) समान है जबकि K^{1d} का अंश (numerator) इतना ही अधिक है। इसका कारण यह है कि यदि प्रथम राष्ट्र के निर्यातों की वृद्धि से प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है तो इससे द्वितीय राष्ट्र की आय घटेगी अतः 'विदेशी प्रतिक्षेप' (Foreign Repercus-

sion) आय घटाने की दिशा में कार्यरत होगा। इसके विपरीत यदि प्रारम्भ में प्रथम राष्ट्र में घरेलू विनियोग में स्वचालित वृद्धि से प्रक्रिया प्रारम्भ हुई है तो इससे प्रथम राष्ट्र के आयात बढ़ने के फलस्वरूप द्वितीय राष्ट्र के निर्यात व इसकी आय में वृद्धि होगी अतः इन स्थिति में 'विदेशी प्रतिक्षेप' भी विनियोग की वृद्धि की भाँति आय बढ़ाने की दिशा में कार्यरत होगा।

राष्ट्रीय आय में समायोजन व भुगतान संतुलन

(National Income Adjustment and the BOP)

हमारे अब तक के विरलेषण में हमने 'विदेशी प्रतिक्षेप' को शामिल करने इसके राष्ट्रीय आय में परिवर्तनों पर प्रभावों पर ध्यान केन्द्रित किया था लेकिन अब हम गुरुक द्वारा अर्क सम्बन्धी के भुगतान संतुलन पर प्रभाव की प्रकृति व सीमा को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

मान लीजिए कि निर्यातों में 100 करोड़ ₹ की स्वचालित वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रथम राष्ट्र के व्यापार संतुलन में अतिरिक्त उत्पन्न हो जाता है अतः इन स्थिति में विदेशी व्यापार गुरुक के प्रभावों का मूल्यांकन करने हेतु हमें प्रथम व द्वितीय राष्ट्रों की सीमांत बचन प्रवृत्ति व सीमांत आयात प्रवृत्ति पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। इनके अनिरीकृत 'विदेशी प्रतिक्षेप' (Foreign Repercussion) ज्ञान करना भी आवश्यक है।

माना कि प्रथम राष्ट्र की 'सीमांत बचन प्रवृत्ति' 0.2 है तथा 'सीमांत

आयात प्रवृत्ति' 0.25 है तथा 'विदेशी प्रतिक्षेप' $\left[\text{अर्थात् } \text{MPM}_2 \left(\frac{\text{MPS}_1}{\text{MPS}_2} \right) \right]$

0.02 है तो निर्यातों की इस वृद्धि के परिणामस्वरूप आय को वृद्धि की गणना करने हेतु गुरुक की पर्याप्त विभिन्न प्रकार से की जा सकती है :-

$$K^2 = \frac{1}{0.2 + 0.25 + 0.02} \approx 2.12$$

तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि ($\Delta y = \Delta x.k$) 212.77 करोड़ रुपये की होगी। आय प्रभाव में से रिसावों (leakages) को गारणों 14.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 14.1 दर्शाती है कि प्रथम राष्ट्र के निर्यातों में 100 करोड़ रुपये की

प्रारम्भिक वृद्धि का दुम्न करने हेतु भुगतान सन्तुलन में निम्न प्रकार स्वचालित समायोजन प्रक्रिया कार्यरत होगी है।

सारणी—14। गुणक व भुगतान सन्तुलन

अन्तःभाग (करोड़ ₹ म)	अन्तःक्षेत्र की दुर्घट्टी	प्रथम राष्ट्र की आय के भाग के रूप में	कुल रिमाव (₹. करोड़ों में)
100 करोड़ रुपये	प्रेरित आयात	0.25	53
	विदेशी प्रतिशोध	0.02	4
	घरेलू बचत	0.2	43

सारणी 14.1 में प्रारम्भिक निर्वात वृद्धि की तीन प्रकार की दुर्घट्टी विद्यमान है

- (1) जब प्रथम राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है तो इस राष्ट्र के आयात पर व्यय में $(212 \times 0.25) 53$ करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाती है।
- (2) द्वितीय राष्ट्र में आय में कमी के परिणामस्वरूप इस राष्ट्र के आयात में 4 करोड़ रुपये की कमी हो जाती है।
- (3) शेष 43 करोड़ रुपये विदेशों में ऋण अथवा हस्तान्तरण के लिये प्रथम राष्ट्र के पास घरेलू बचत के रूप में उपलब्ध है।

स्पष्ट है कि प्रथम राष्ट्र के निर्यातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाले इन परिवर्तनों द्वारा भुगतान सन्तुलन में पुनः साम्य स्थापित होने की प्रवृत्ति पायी जाती है लेकिन जैसा कि सारणी 14.1 से स्पष्ट है इस प्रकार के समायोजन के सम्पूर्ण बने रहने की ही सम्भावना अधिक है।

भुगतान सन्तुलन में पूर्ण समायोजन हेतु निम्न दो में से एक शर्त पूरी होनी आवश्यक है

- (1) या तो प्रथम राष्ट्र की सीमागत बचत प्रवृत्ति (MPS_1) शून्य हो, अथवा
- (2) यदि MPS_2 अत्यल्प है तो प्रारम्भिक निर्वात वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रथम राष्ट्र में बचत की पूर्ण राशि द्वितीय राष्ट्र में विनियोग के रूप में हस्तान्तरित हो जानी चाहिए।

नेकिन स्पष्ट ही है कि उपर्युक्त शर्तों का वास्तविक जगत् में पूरा होना दुर्कर ही प्रतीत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि आय परिवर्तनों द्वारा भुगतान मन्तु-लन में समायोजन का प्रक्रिया अपूर्ण ही बनी रहती है।

प्रो० मेज़लर (Metzler) ने इसी बात को इन शब्दों में व्यक्त किया है, "कुछ मतभेद विद्यमान रहने के बावजूद, अधिकांश अर्थशास्त्रियों का निष्कर्ष यह प्रतीत होता है कि, विवाय असामान्य स्थितियों की दशा के आय चरनों के माध्यम से राष्ट्र के भुगतान मन्तुलन में समायोजन अपूर्ण ही रहने की सम्भावना है।"¹

1. Metzler, L.A.—*The Theory of International Trade* (1949)—Reprinted in Metzler's collected papers—P. 12 (Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1973)

भुगतान-संतुलन में असाम्य दूर करने से संबंधित सिद्धान्तों का विकास*

(Development of the Theories correcting Disequilibrium in the Balance of Payments)

प्रस्तावना

(Introduction)

आज से लगभग 35 वर्ष पूर्व भुगतान-संतुलन सिद्धान्त के मॉडल केवल तीन प्रसम्बद्ध समूहों में विभाजित थे। प्रतिष्ठित 'कीमत-द्रव्यवाह-शोधन प्रक्रिया' (Price-Specie flow mechanism) विदेशी व्यापार गुणक विश्लेषण तथा सापेक्ष कीमत मॉडल (relative price models)। इन तीनों विश्लेषणों में किसी विशिष्ट बहिर्जात (exogenous) परिवर्तन के कारण स्वचालित समायोजन प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया था तथा प्रत्येक विश्लेषण में विदेशी विनिमय बाजार का प्रमुखतया आंशिक साम्य ढाँचे के अन्तर्गत ही विश्लेषण किया जाता था। जबकि वर्तमान में भुगतान-संतुलन सिद्धान्तों का प्रमुख केन्द्र बिन्दु वैकल्पिक नीतियाँ हैं तथा विदेशी विनिमय बाजार को बहुत से अन्तर्सम्बन्धित बाजारों में से एक मानकर विश्लेषण को सामान्य साम्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

असाम्य में सुधार की स्वचालित प्रक्रिया

(Automatic Processes that reverse imbalance)

'कीमत-द्रव्यवाह शोधन-प्रक्रिया' दो मान्यताओं पर आधारित है (1) राष्ट्र की मुद्रा स्वर्ण के रूप में अथवा स्वर्ण गारण्टी वाली पत्र मुद्रा के रूप में है तथा (2) मुद्रा की पूर्ति में बर्मी से राष्ट्र में सामान्य कीमत स्तर गिरेगा जबकि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से सामान्य कीमत स्तर बढ़ेगा। इन दो मान्यताओं के अन्तर्गत यदि हम व्यापार

*This chapter builds heavily on Anne O Krueger's Balance of Payments Theory—*Journal of Economic Literature*—March, 1969, pp 1-26

सतुलन के साम्य से प्रारम्भ करें तो राष्ट्र के व्यापार सतुलन के प्रतिरेक घटने में घटलू कीमतों में परिवर्तनों द्वारा स्वतः ही समायोजन हो जायगा।

उदाहरणार्थ, स्वर्णमान के अन्तर्गत किसी भी राष्ट्र के भुगतान-सतुलन में घाटे के परिणामस्वरूप उस राष्ट्र से स्वर्ण का अपवाह (outflow) होगा जिससे मुद्रा की पूर्ति घटेगी। पूर्ण रोजगार की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति में कमी से सामान्य कीमत स्तर भी गिरेगा। अतः राष्ट्र के निर्यातों में वृद्धि होगी तथा आयातों में कमी। सामने वाले राष्ट्र में स्वर्ण के अन्तर्वाह (inflow) में मुद्रा की पूर्ति व सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगी। अतः राष्ट्र के निर्यात घटेंगे व आयात बढ़ेंगे। यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि राष्ट्र के भुगतान-सतुलन का घाटा (सामने वाले राष्ट्र के भुगतान सतुलन का प्रतिरेक) पूर्णतया समाप्त नहीं हो जाता है।



इसके अतिरिक्त भुगतान-सतुलन में घाटे वाले राष्ट्र में मुद्रा की पूर्ति घटने से व्याज दर में वृद्धि होगी तथा भुगतान-सतुलन के प्रतिरेक वाले राष्ट्र में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से व्याज दर गिरेगी जिसके परिणामस्वरूप भुगतान-सतुलन में अतिरेक वाले राष्ट्र में पूँजी के प्रत्यक्षालीन अन्तर्वाह (inflow) भी भुगतान-सतुलन के असाम्य में सुधार लाने में योगदान देंगे।

इसके अतिरिक्त मौद्रिक अधिकारियों से भी यह आशा की जाती है कि वे भुगतान सतुलन के घाटे वाले राष्ट्र में साख्र मकुचन करके तथा अतिरेक वाले राष्ट्र में साख्र विस्तार करके सभायोजन प्रक्रिया में योगदान देंगे।

विदेशी व्यापार गुणक विश्लेषण में राष्ट्र विशेष के भुगतान-सतुलन में विवर्तन (shift) के परिणामस्वरूप कार्यरत स्वचालित समायोजन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मान लीजिए कि राष्ट्र का भुगतान-सतुलन प्रारम्भिक साम्यावस्था में है, तथा निर्यातों की विदेशी माँग में कमी के कारण राष्ट्र के भुगतान-सतुलन में घाटा उत्पन्न हो जाना है तो निर्यातों की इस कमी के परिणामस्वरूप राष्ट्र की आय घटेगी जिसके परिणामस्वरूप गुणक के माध्यम से धन्य में कटौती होगी। विनिश्चितया यदि सीमान्त आयात प्रवृत्ति व सीमान्त बचत प्रवृत्ति घनात्मक है तो व्यापार सतुलन के प्रारम्भिक घाटे के एक अनुपात के बराबर इन राष्ट्र के आयात घट जायेंगे जिसमें राष्ट्र के भुगतान-सतुलन में सृजित प्रारम्भिक घाटा कुछ सीमा तक दुहस्त (off set) हो सकता है।

कीमत व आय के स्वचालित समायोजनों की इस प्रक्रिया की आधुनिक अन्तरक्रियाएँ भुगतान-सतुलन के असाम्य को सुधारने में एक राष्ट्र के प्रभाव की निम्न प्रकार प्रबल बनाती है यह अक्षलिखित चार्ट में स्पष्ट दर्शाया गया है —

चार्ट १५.१ : भुगतान संतुलन के असाध्य में गुणार की स्वचालित प्रक्रिया



प्रथम प्रश्न के विश्लेषण में विदेशी विनिमय बाजार के स्थायित्व (stability) पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रो० मेज़लर (Metzler) के विचार महत्वपूर्ण हैं :—

“यदि आयात व निर्यात दोनों की ही माँग बेलोचदार है तो मूल्य ह्रास (depreciation) से राष्ट्र की विदेशी विनिमय की प्राप्तियों व परिव्ययों (disbursements) दोनों में ही कमी होगी। निर्यातों की भौतिक मात्रा में निःसन्देह ही वृद्धि होगी लेकिन मात्रा की यह वृद्धि विदेशी कीमत की कमी की क्षति-पूर्ति नहीं करती है और इसके अनुरूप विदेशी विनिमय के रूप में निर्यातों का कुल मूल्य घट जाता है। आयातों के सन्दर्भ में, इनकी भौतिक मात्रा व विदेशी कीमत दोनों में ही कुछ सीमा तक कमी हो जाती है और इस प्रकार आयातों को माँग लोच कितनी ही कम क्यों न हो, मूल्य ह्रास से विदेशी मुद्रा के रूप में व्यय घटेगा। अतः राष्ट्र के भुगतान सन्तुलन पर अंतिम प्रभाव निर्यातों के विदेशी मुद्रा में मूल्य की कमी की तुलना में आयातों के मूल्य में कमी की परिमाण (magnitude) पर निर्भर करता है।”²

अच्छा अवमूल्यन के लिए आवश्यक लोच शर्तों के अनेक रूप विकसित हुए लेकिन उनमें सरलतम मार्शल-लर्नर शर्त (Marshall-Lerner Condition) है जिसकी प्रत्येक राष्ट्र में पूर्ण रोजगार से कम रोजगार की स्थिति में दो राष्ट्र व दो वस्तु मॉडल के अन्तर्गत व्युत्पत्ति की जाती है। निर्यातों की पूर्ण लोच अत्यन्त मान लेने की स्थिति में अवमूल्यन से व्यापार सन्तुलन में सुधार के लिए मार्शल-लर्नर शर्त को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है :

$$|eMA| + |eMB| > 1$$

अर्थात् यदि किसी राष्ट्र के आयातों की माँग लोच तथा निर्यातों की विदेशी में माँग लोच का निरपेक्ष योग इकाई से अधिक है तो अवमूल्यन के परिणामस्वरूप अवमूल्यनकर्ता राष्ट्र के व्यापार सन्तुलन में सुधार होगा तथा अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप व्यापार सन्तुलन में ह्रास होगा।

मार्शल-लर्नर शर्त में निहित मान्यताओं का अभिप्राय यह था कि व्यापार की शर्तों के परिवर्तन को अवमूल्यन का केवल प्रारम्भिक प्रभाव ही मानना चाहिए। अतः भुगतान सिद्धान्त के विश्लेषण के विकास में सापेक्ष कीमत परिवर्तनों को ही प्रमुख धर माना जाने लगा।

भुगतान सन्तुलन का आधुनिक सिद्धान्त

(Modern Theory of the Balance of Payments)

भुगतान सन्तुलन के आधुनिक सिद्धान्त के विकास में उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दो शुक्राय (Seminal) योगदान क्रमशः प्रो० जे. ई. मीड³ (J. E. Meade) व प्रो० एस. एस. एलेक्जेंडर⁴ (S. S. Alexander) के योगदानों में प्रस्तुत किये गये थे। प्रो० मीड ने अपनी पुस्तक में केन्ज के बाद की अवधि के मीट्रिक-आय सिद्धान्त का सामान्य साम्य सिद्धान्त में एकीकरण (Integration) करने का प्रयास किया। मीड के विश्लेषण में केन्द्र बिन्दु यह नहीं था कि स्वचालित समायोजन की प्रविष्टा क्या होगी अपितु यह था कि भिन्न उपायों का नीति उद्देश्यों की प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भुगतान सन्तुलन के आधुनिक सिद्धान्त में भी सर्वत्र नीति अभिमुखीकरण (Policy Orientation) तथा सामान्य साम्य विश्लेषण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

आधुनिक सिद्धान्त के विकास में प्रो० एलेक्जेंडर का 'अवशोषण विश्लेषण' (Absorption Approach) दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था। प्रो० एलेक्जेंडर ने लेख की सर्वसमिका (Identity) से प्रारम्भ करते हुए दर्शाया कि किसी भी राष्ट्र के भुगतान सन्तुलन का घाटा इसके व्यय (अवशोषण) व आय के अन्तर के बराबर होता है। तत्पश्चात् प्रो० एलेक्जेंडर ने अवमूल्यन के प्रभाव जानने हेतु यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि इसका अवशोषण व आय के सापेक्ष स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अतः स्पष्ट है कि इस तरह के विश्लेषण में समष्टि घटकों की भूमिका की उपेक्षा किया जाना संभव नहीं है।

एलेक्जेंडर के अनुसार अवमूल्यन से निर्यातों में वृद्धि होगी। अन्. विदेशी व्यापार गुणक के माध्यम से वास्तविक आय भी बढ़ेगी तथा आय में वृद्धि के साथ व्यय में वृद्धि होगी। अतः अवमूल्यन से व्यापार सन्तुलन में सुधार तभी होगा जब अवमूल्यन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कुल वास्तविक व्यय में होने वाली वृद्धि आय की वृद्धि से कम हो। इस प्रकार प्रो० एलेक्जेंडर के विश्लेषण ने भुगतान सन्तुलन में सुधार करने वाले उपकरणों के रूप में अवमूल्यन की क्षमता से

3. Meade, J. E. — The Theory of International Economic Policy, vol I : The Balance of Payments, London, 1951

4. Alexander, S. S. — Effects of a Devaluation on a Trade Balance — I. M. F. Staff Papers (April, 1952).

सबघित मूलभूत प्रश्न खड़े कर दिये क्योंकि यदि भुगतान सन्तुलन में घाटे वाले राष्ट्र की वास्तविक समस्या व्यय के अभाव से आधिक्य की है तो मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों द्वारा अभाव के सापेक्ष के रूप में व्यय में कटौती की नीति ही उपयुक्त नीति प्रतीत होती है न कि अर्थमूल्यन ।

वर्तमान सिद्धान्त : मौद्रिक घटकों की भूमिका

(Current Theory : The Role of Monetary Factors)

किसी भी राष्ट्र के भुगतान-सन्तुलन में घाटे का अभिप्राय यह है कि लोग अपनी आय से अधिक व्यय कर रहे हैं । वे अपने आधिक्य भुगतान करने हेतु विदेशी विनिमय अधिकारी से विदेशी विनिमय का त्रय करेंगे (अथवा अपनी विदेशी निधि परिसम्पत्तियों में से विदेशी विनिमय निकालेंगे) । यदि अधिकारी निष्क्रिय (passive) रहते हैं तो इससे निजी रूप से रची गयी मुद्रा के स्टॉक में कमी होगी । ज्योंही लोग अपनी घटी हुई सामान्य निधि परिसम्पत्तियों (nominal assets) की स्थिति के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया करेंगे एक स्वयं-सुधारक प्रक्रिया (self correcting process) प्रारम्भ हो जायेगी । यदि मौद्रिक अधिकारी निजी रूप में रची गई मुद्रा की कमी की क्षतिपूर्ति (उदाहरणार्थ, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा) कर देते हैं तो जब तक विदेशी विनिमय अधिकारियों के पास पर्याप्त विदेशी विनिमय है तब तक साध निर्माण के परिणामस्वरूप भुगतान सन्तुलन का घाटा प्रारम्भिक स्तर पर ही बना रहेगा ।

लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भुगतान सन्तुलन में घाटा केवल मौद्रिक घटक ही उत्पन्न करते हैं अथवा जब भुगतान सन्तुलन में घाटा है तो इसका अभिप्राय यह है कि निश्चय ही गलत मौद्रिक नीति अथवा नीति ही है । यदि पूर्ण साम्य से घाटे की घोर विचरती का कारण वास्तविक (real) घटक है (उदाहरणार्थ, माँग की वृद्धि की दरों में भिन्नता) तो भी घाटा उसी स्तर पर केवल साध निर्माण द्वारा ही जारी रह सकता है ।

मौद्रिक घटकों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण कई महत्त्वपूर्ण योगदानों का विकास हुआ । प्रो. हेरी जॉनसन⁵ (Harry Johnson) ने अपने 'भुगतान सन्तुलन के सामान्य सिद्धान्त' में स्टॉक घाटे व प्रवाह घाटे में अन्तर किया है ।

5 Johnson, H G —Towards a General Theory of Balance of Payments—in his International Trade and Economic Growth (George Allen and Unwin, 1958). Reprinted in Cooper, R N (ed) —International Finance (Penguin Modern Economics, 1969) pp 237-55

स्टॉक घाटा उस समय उत्पन्न होता है जब लोग घरेलू मुद्रा के स्थान पर विदेशी परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन का प्रयत्न करते हैं जबकि प्रवाह घाटा उस समय उत्पन्न होता है जब लोग घाय से अधिक व्यय का निर्णय लेते हैं। स्टॉक घाटे अन्तर्निहित रूप से अस्थायी (inherently temporary) होत हैं क्योंकि जब वांछित पोर्टफोलियो सन्तुलन प्राप्त कर लिया जाता है तो घाटे समाप्त हो जाते हैं। ये घाटे परिवर्तनशील (changing) साम्य का उदाहरण होते हैं। प्रो. जॉनसन के अनुसार स्टॉक घाटे को मही बनने में विनिमय दर परिवर्तन उपयोगी नहीं होंगे तथा ऐसी परिस्थितियों में "स्टॉक संप्रहो (stock holdings) पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की वैकल्पिक विधियों, जिनका एक अत्यंत सूक्ष्म प्राणिक रूप मात्रात्मक घायात प्रतिबन्ध है, के उपयोग के लिए सबन तक प्राप्त होता है।"⁶

प्रो. जॉनसन के अनुसार 'स्टॉक' घाटे के विपरीत 'प्रवाह' घाटे अन्तर्निहित रूप से सीमित अवधि के लिए नहीं होते हैं। यदि मौद्रिक अधिपारी इनकी वित्त व्यवस्था करते रहे तो ये घाटे लम्बी अवधि तक बने रहेंगे।

प्रो. जॉनसन के अनुसार प्रवाह घाटों को व्यय घटाने वाली (Expenditure reducing) अथवा व्यय स्विचन (Expenditure Switching) नीतियों द्वारा मही किया जा सकता है। व्यय स्विचन नीतियों में सापेक्ष-कीमत समायोजन शामिल किये जाते हैं। ऐसे कीमत समायोजनों में विनिमय दर के परिवर्तन (अवमूल्यन/अधिमूल्यन) घायात अधिभार, घरेलू वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन अथवा मात्रात्मक नियंत्रण शामिल किये जाते हैं। व्यय में कमी किये बिना व्यय स्विचन नीतियाँ तभी प्रभावी हो सकती हैं जब घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता हो। प्रो. जॉनसन ने व्यय घटाने वाली नीतियों में मौद्रिक नियंत्रण, राष्ट्रीय वज्र नीति आदि को शामिल किया है।

आन्तरिक व बाह्य सन्तुलन

(Internal & External Balance)

प्रो. स्वान ने सन् 1955 के अपने लेख में एक चित्र द्वारा व्यय घटाने वाली व व्यय स्विचन नीतियों के प्रभावों को स्पष्ट किया है। प्रो. स्वान द्वारा प्रदत्त चित्र

6 Johnson, H G op cit, P 244


7 Swan, T W—Longer run Problems of the Balance of Payments—Paper given to the Congress of the Australian and New Zealand Association for the advancement of Science (1955)

15.1(c) में लम्बवत् अक्ष पर 'लागत अनुपात' (Cost ratio) अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें (आयातों व निर्यातों की कीमतें)/स्थानीय मजदूरियों को दर्शाया गया है। यह अनुपात राष्ट्र की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का सूचक (Index) है जबकि क्षैतिज अक्ष पर प्रो. स्वान का अनुसरण करते हुए 'वास्तविक व्यय' (Real Expenditure) अर्थात् स्थिर कीमतों पर घरेलू विनियोग व उपभोग दर्शाया गया है।


स्पष्ट ही है कि चित्र 15.1 (c) में लम्बवत् अक्ष पर ऊपर की ओर चलन करने पर आयातों व निर्यातों की कीमतें बढ़ने से आयात घटेंगे व निर्यातों में वृद्धि होगी क्योंकि ऊपर की ओर चलन करने से राष्ट्र की मुद्रा का अधिकारिक प्रवमूल्यन हो रहा अर्थात् घरेलू कीमतों के सापेक्ष के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के सापेक्ष के रूप में घरेलू कीमतें घटती हैं। क्षैतिज अक्ष पर बाएँ से दायीं तरफ चलन करने पर वास्तविक व्यय में वृद्धि होगी है।

चित्र 15.1 (c) में लागत अनुपात व वास्तविक व्यय के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाले दो ऐसे वक्र खींचे गये हैं जिनमें से एक आन्तरिक सन्तुलन तथा दूसरा बाह्य सन्तुलन दर्शाता है।

चित्र 15.1(a) व 15.1(b) में क्रमशः आन्तरिक सन्तुलन तथा बाह्य सन्तुलन वक्र दर्शाये गये हैं।



चित्र 15.1(a) आन्तरिक सन्तुलन वक्र



चित्र 15.1 (b) बाह्य सतुलन वक्र

चित्र 15.1(a) में अन्तरिक सन्तुलन रेखा I.B. का ढाल ऋणात्मक है क्योंकि नीचे की ओर दायी ओर चलन करने पर अधिमूल्यन के परिणामस्वरूप राष्ट्र के निर्यातों व आयात प्रतिस्वापनों पर व्यय घट जाता है अतः पूर्ण रोजगार बनाये रखने हेतु वास्तविक व्यय में वृद्धि होनी आवश्यक है। अन्तरिक सन्तुलन रेखा से ऊपर व दायी ओर स्थित सभी बिन्दु मुद्रास्फीति दर्शायेंगे क्योंकि इन बिन्दुओं पर वास्तविक व्यय पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक व्यय से अधिक है।

उदाहरणार्थ, I बिन्दु पर दी हुई विनिमय दर पर पूर्ण रोजगार हेतु आवश्यक I.B. रेखा पर स्थित बिन्दु द्वारा दर्शाये गये व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय अधिक है अतः IB वक्र के ऊपर व दायी ओर स्थित I व अन्य सभी बिन्दु मुद्रास्फीति की स्थिति दर्शाते हैं। इसके विपरीत IB रेखा से नीचे व दायी ओर स्थित सभी बिन्दुओं पर बेरोजगारी विद्यमान है क्योंकि इन बिन्दुओं पर वास्तविक व्यय पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक व्यय से कम है। उदाहरणार्थ, U बिन्दु पर दी हुई विनिमय दर पर पूर्ण रोजगार हेतु आवश्यक IB रेखा पर स्थित बिन्दु द्वारा दर्शाये गये व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय कम है, अतः IB वक्र के नीचे व दायी ओर स्थित सभी बिन्दु बेरोजगारी की स्थिति दर्शाते हैं।

चित्र 15.1 (b) में बाह्य सन्तुलन रेखा E.B का ढाल धनात्मक है, क्योंकि उद्यो-

ज्यों हम उपरकी ओर उत्तर दिशा में चलन करते हैं तो भवमूल्यन के परिणामस्वरूप व्यापार संतुलन में सुधार होना है तथा ज्यों-यों हम पूर्व दिशा में चलन करते हैं तो कुन व्यय में वृद्धि से अर्थात् व निर्यातों पर घरेलू व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार संतुलन में ह्रास होगा। अतः उत्तर-पूर्व दिशा में चलन से व्यापार संतुलन में सुधार व ह्रास की शक्तियाँ मनुलित होने पर बाह्य सन्तुलन रेखा प्राप्त होती है। बाह्य सन्तुलन रेखा के प्रत्येक बिन्दु पर आयात-निर्यात समान है तथा दीर्घकालीन पूँजी के चलन शून्य है। बाह्य सन्तुलन रेखा से नीचे व दायी ओर स्थित बिन्दु व्यापार सन्तुलन में घाटा दर्शाते हैं क्योंकि दिये हुए वास्तविक व्यय पर आवश्यक से नीची विनिमय दर (R) है अर्थात् मुद्रा अधिमूल्यन की स्थिति विद्यमान है। अतः चित्र 15.1 (b) में D बिन्दु व EB रेखा से नीचे स्थित समस्त बिन्दु व्यापार-सन्तुलन में घाटा दर्शायेंगे। इसके विपरीत बाह्य सन्तुलन रेखा से ऊपर व बायी ओर स्थित बिन्दु व्यापार सन्तुलन में अतिरिक्त दर्शाते हैं, क्योंकि दिये हुए वास्तविक व्यय पर आवश्यक से ऊँची विनिमय दर है अर्थात् मुद्रा भवमूल्यन की स्थिति विद्यमान है। अतः चित्र 15.1(b) में S बिन्दु व EB रेखा से ऊपर स्थित अन्ध समस्त बिन्दु व्यापार-सन्तुलन में अतिरिक्त दर्शायेंगे।

चित्र 15.1(c) में चित्र 15.1(a) व 15.1(b) के क्रमज भान्तरिक सन्तुलन व बाह्य सन्तुलन वक्रों को एक साथ रखा गया है। चित्र 15.1(c) को चार खण्डों (Zones) में विभाजित किया जा सकता है : खण्ड I, खण्ड II, खण्ड III व IV। खण्ड I में भुगतान संतुलन में अतिरिक्त व मुद्रा-स्फीति, खण्ड II में भुगतान संतुलन में घाटा व मुद्रा स्फीति, खण्ड III में भुगतान-सन्तुलन में घाटा व बेरोजगारी तथा खण्ड IV में भुगतान-सन्तुलन में अतिरिक्त व बेरोजगारी की स्थिति विद्यमान है।

चित्र 15.1(c) में I.B. व E.B. रेखाएँ जहाँ एक दूसरे को काटती हैं वह पूर्ण साम्य बिन्दु है अर्थात् इस बिन्दु पर बिना मुद्रा स्फीति के पूर्ण रोजगार व भुगतान संतुलन में साम्य की स्थिति विद्यमान है।

नीति क्षेत्र

(Policy Sectors)

चित्र 15.1(c) के I व III खण्डों में असाध्य की सही करने हेतु विनिमय दर के परिवर्तनों की अथवा लागत अनुपात के परिवर्तनों की नीति प्रमुख नीति होगी अर्थात् I व III खण्डों में व्यय स्थिचन (Expenditure Switching) नीति अर्थात् अधिमूल्यन व अधिमूल्यन नीति प्रमुख नीति उपकरण होगा। इसके विपरीत खण्ड II व IV में

सुधारन हेतु मुद्रा के अवमूल्यन के साथ वास्तविक व्यय में वृद्धि की नीति अपनाई जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि असाम्य बिन्दु C_2 है तो अवमूल्यन की नीति के साथ वास्तविक व्यय घटाने वाली नीति अपनाई जानी चाहिए।

इसी प्रकार खण्ड II में यदि असाम्य बिन्दु B_1 है तो अधिमूल्यन व व्यय घटाने वाली नीति व असाम्य बिन्दु B_2 है तो अवमूल्यन व व्यय घटाने वाली नीति अपनायी चाहिए। चित्र के खण्ड IV में यदि असाम्य बिन्दु D_1 है तो अधिमूल्यन व वास्तविक व्यय में वृद्धि वाली नीति और यदि असाम्य बिन्दु D_2 है तो अवमूल्यन व व्यय विस्तार वाली नीति का मयोजन अपनाया जाना चाहिए। चित्र 15.1 (c) के विभिन्न असाम्य बिन्दुओं से संबन्धित विनिमय दर व व्यय परिवर्तनों की नीति को सारणी 15.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 15.1 : विभिन्न खण्डों में नीति मयोजन

खण्ड	बिन्दु	व्यय म्विचन नीति	व्यय परिवर्तन नीति
I	A_1	अधिमूल्यन	व्यय विस्तार की नीति
	A_0	अधिमूल्यन	व्यय नीति अपरिवर्तित
	A_2	अधिमूल्यन	व्यय संकुचन वाली नीति
II	B_1	अधिमूल्यन	व्यय संकुचन वाली नीति
	B_0	विनिमय दर यथास्थिर	व्यय संकुचन वाली नीति
	B_2	अवमूल्यन	व्यय संकुचन वाली नीति
III	C_1	अवमूल्यन	व्यय विस्तार वाली नीति
	C_0	अवमूल्यन	व्यय नीति अपरिवर्तित
	C_2	अवमूल्यन	व्यय संकुचन की नीति
IV	D_1	अधिमूल्यन	व्यय विस्तार वाली नीति
	D_0	विनिमय दर यथास्थिर	व्यय विस्तार वाली नीति
	D_2	अवमूल्यन	व्यय विस्तार वाली नीति

भूगतान अनुदान के स्टॉक व प्रवाह पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने के परिणाम-स्वरूप अवमूल्यन के वास्तविक शेष प्रभाव (real balance effect) को केन्द्र बिन्दु


स्थिर ब्याज दर की स्थिति में अवमूल्यन से (ऊँची कीमतों के कारण) मुद्रा की माँग में वृद्धि हो गी। मुद्रा-पूर्ति की इस वृद्धि से अवमूल्यन के प्रारम्भिक प्रभाव दुरस्त हो जायेंगे इनके विपरीत स्थिर मुद्रा पूर्ति की स्थिति में अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ब्याज दर में वृद्धि होगी जिनसे (स्थिर वास्तविक आय पर) व्यय में कमी की प्रवृत्ति होगी। अतः स्पष्ट है कि 'अवमोपण-विश्लेषण' का मुख्य योगदान मौद्रिक घटकों पर जोर देना है।

आन्तरिक व बाह्य संतुलन में द्वन्द्व


(The conflict between External & Internal Balance)

वैकल्पिक विनिमय प्रक्रियाओं (Exchange Mechanism) के मूल्यांकन हेतु प्रो. मीहड (Meade) का आन्तरिक व बाह्य संतुलन के मध्य द्वन्द्व प्रारम्भ बिन्दु माना जा सकता है। प्रो. मीहड ने स्थिर विनिमय दरों के अन्तर्गत स्थितियों के चार प्रमुख सयोगों की ओर ध्यान दिनाया है। ऐसे राष्ट्र जिनमें घरेलू मन्दी अथवा मुद्रा-स्फीति विद्यमान है उन्हें भुगतान संतुलन में घाट अथवा अतिरेक की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मन्दी-अतिरेक वाले राष्ट्र विस्तार वाली मौद्रिक व राजकोषीय नीति अपना सकते हैं जिसमें रोजगार व आय के स्तर में वृद्धि होने की प्रवृत्ति होगी एवं अतिरेक में कमी होगी। मुद्रा स्फीति व घाटे वाले राष्ट्र मनुचन वाली नीतियाँ अपनाकर स्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अन्य दो स्थितियों में अपनी नीतियों के मन्दन में राष्ट्र द्वन्द्व (conflict) में पाये जायेंगे। मन्दी वाले राष्ट्र में आय बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाई गई कोई भी नीति भुगतान-संतुलन के घाटे में वृद्धि करेगी तथा घाटे में सुधार हेतु उठाया गया प्रत्येक कदम आय में कमी करके मन्दी की स्थिति को गम्भीर बना देगा। इसी प्रकार स्फीति-अतिरेक वाला राष्ट्र मुद्रा स्फीति से निपटने हेतु भुगतान संतुलन के अतिरेक को बढ़ा देगा तथा अतिरेक समाप्त करने हेतु मुद्रा स्फीति की स्थिति गम्भीर बना देगा।

प्रो. मीहड ने स्थिर विनिमय दरों की स्थिति में आन्तरिक व बाह्य संतुलन के बीच 'द्वन्द्व' के निरूपण (demonstration) की अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने लम्बे समय तक स्वीकार किये रखा। मीहड के विश्लेषण में, बाह्य संतुलन को चालू खाते (current account) के रूप में परिभाषित किया गया था। लेकिन प्रो. मुन्गेन




चित्र 15.2(a) अन्तरिक संतुलन रेखा



चित्र 15.2(b) बाह्य संतुलन रेखा

चित्र 15.2(a), (b) तथा (c) में स्थिर विनिमय दर की स्थिति में अन्तरिक व बाह्य संतुलन पर मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। चित्र 15.1(a) में लम्बवत् प्रक्ष पर राजकोषीय नीति व धैतज प्रक्ष पर मौद्रिक नीति दर्शायी गयी है।



चित्र 15 2(c) मौद्रिक नीति बाह्य सन्तुलन को तथा राजकोषीय नीति आन्तरिक सन्तुलन को नियंत्रित (Assigned)

राजकोषीय नीति को राष्ट्रीय बजट में घाटा अथवा प्रतिरक उत्पन्न करके परिवर्तित किया जा सकता है। राष्ट्रीय बजट में घाटेवाली नीति को विस्तारवादी राजकोषीय नीति (Expansionary Fiscal Policy) तथा प्रतिरक वाली नीति को संकुचन वाली राजकोषीय नीति (Contractionary Fiscal Policy) कहते हैं। मौद्रिक नीति में व्याज दर परिवर्तनों द्वारा आन्तरिक व बाह्य सन्तुलन को प्रभावित किया जा सकता है। मौद्रिक नीति के दो प्रभाव होंगे, प्रथम तो व्याज दर में परिवर्तनों से वित्तियोग प्रभावित होता है तथा इससे गुणक प्रभाव के माध्यम से उद्योगों का व्यवसाय प्रभावित होता है तथा द्वितीय व्याज दर में परिवर्तनों से अल्पकालीन पूंजी के चलन प्रभावित होते हैं।

चित्र 15.(a) में आन्तरिक सन्तुलन रेखा IB, का ढाल ऋणात्मक है क्योंकि अंतर्देशीय मांग पर अल्पकालीन चलन करके व्याज दर में वृद्धि से वित्तियोग में कमी के कारण भंडों की स्थिति उत्पन्न होगी अतः पूर्णरोजगार बनाये रखने हेतु राष्ट्रीय बजट में प्रतिरक कम करना अथवा बजट घाटे में वृद्धि करना आवश्यक होगा। वैकल्पिक रूप से हम कह सकते हैं कि अंतर्देशीय मांग पर अल्पकालीन चलन करके व्याज-

दर कम कर देने से मुद्रा-स्फीति उत्पन्न होगी। अतः आंतरिक सतुलन बनाये रखने हेतु राष्ट्रीय बजट के घाटे में कमी करना अथवा अतिरिक्त में वृद्धि करना आवश्यक होगा। आंतरिक सतुलन रेखा IB के ऊपर व दायी ओर स्थित μ जैसा कोई भी बिन्दु मदी अथवा बेरोजगारी दर्शायगा क्योंकि μ बिन्दु पर दी हुई राष्ट्रीय बजट की स्थिति में व्याज दर पूर्णरोजगार के लिए आवश्यक दर से ऊँची है। इसी प्रकार आन्तरिक सतुलन रेखा IB से नीचे व बायी ओर स्थित I जैसा प्रत्येक बिन्दु मुद्रा-स्फीति दर्शायगा क्योंकि I बिन्दु पर दी हुई राष्ट्रीय बजट की स्थिति में पूर्ण रोजगार हेतु आवश्यक से नीचे व्याज दर प्रचलित है। अतः IB रेखा राष्ट्रीय बजट व व्याज दर के ऐसे विभिन्न संयोग दर्शाती है जिन पर बिना मुद्रा स्फीति के पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है।

चित्र 15.2 (c) में बाह्य सतुलन रेखा EB राष्ट्रीय बजट व व्याज दर के ऐसे विभिन्न संयोग दर्शाती है जिन पर भुगतान-सतुलन साम्यावस्था में है। ध्यान रहे कि यहाँ पर भुगतान सतुलन में साम्य से हमारा आशय $X + M + LTr + STc = 0$ से है अर्थात् निर्यात + प्रायात + दीयकालीन पूँजी के चलन + अल्पकालीन पूँजी के चलनों का योग शून्य होना चाहिए।

EB रेखा का ढाल न केवल ऋणात्मक ही है अपितु यह I.B रेखा की तुलना में अधिक ढालू (steeper) भी है। EB रेखा का ढाल ऋणात्मक होने का अभिप्राय यह है कि लम्बवत् प्रक्ष पर नीचे की ओर चलन करने पर राष्ट्रीय बजट में अतिरिक्त कम होने पर अथवा बजट घाटे में वृद्धि होने पर व्यय वृद्धि के कारण प्रायातों पर व्यय में वृद्धि होगी तथा व्यापार सन्तुलन में घाटा उत्पन्न होगा। अतः बाह्य सन्तुलन बनाये रखने हेतु व्याज दर में वृद्धि करके पूँजी के अन्तर्वाह (inflow) को प्रेरित करना आवश्यक होगा। चित्र 15.2 (b) EB रेखा से ऊपर व दायी ओर स्थित S जैसे समस्त बिन्दु भुगतान सन्तुलन में अतिरिक्त दर्शाते हैं, क्योंकि S बिन्दु पर दी हुई राष्ट्रीय बजट की स्थिति में व्याज दर बाह्य सतुलन हेतु आवश्यक से ऊँची है। इसी प्रकार EB रेखा से नीचे व बायी ओर स्थित D जैसे समस्त बिन्दु भुगतान सतुलन में घाटा दर्शाते हैं क्योंकि D बिन्दु पर दी हुई राष्ट्रीय बजट की स्थिति में व्याज दर बाह्य सतुलन हेतु आवश्यक दर से कम है।

ध्यान रहे EB रेखा IB रेखा की तुलना में अधिक ढालू (Steeper) है, जिसका अभिप्राय यह है कि भुगतान-सन्तुलन में असाध्य को स्थिति से निपटने हेतु मौद्रिक नीति अथवा व्याज दर अधिक प्रभावी है। बाह्य-सन्तुलन रेखा E.B का ढाल

व्याज-दर के प्रति घरेलू व्यय की संवेदना (Sensitivity) तथा बजट अतिरेक के प्रति घरेलू व्यय की संवेदना का अनुपात है। अर्थात् यदि हम कुछ समय के लिए विभिन्न व्याज-दरों पर पूँजी चलानों को स्थिर मान लें तो भुगतान-सतुलन केवल मात्र घरेलू व्यय पर निर्भर करेगा तथा आंतरिक सन्तुलन रेखा IB व बाह्य सन्तुलन रेखा EB के ढाल ठीक बराबर होंगे क्योंकि बाह्य-सन्तुलन रेखा का ढाल व्याज के प्रति घरेलू व्यय की संवेदना तथा बजट अतिरेक के प्रति घरेलू व्यय की संवेदना का अनुपात है। अतः स्पष्ट है कि यदि हम व्याज दर में परिवर्तना के परिणामस्वरूप पूँजी चलानों की प्रतिक्रियात्मकता मानते हैं तो EB रेखा का ढाल IB रेखा के ढाल से अधिक होगा।

ध्यान रहे कि चित्र 15 1 (a), (b) व (c) में आंतरिक सन्तुलन रेखा व बाह्य सन्तुलन रेखा दी हुई विनिमय दर (given exchange rate) की मान्यता पर खींची गयी हैं। विनिमय दर में परिवर्तन से दोनों रेखाएँ विस्थापित (displace) हो जायेंगी। उदाहरणार्थ, अचमूल्यान के परिवर्तनस्वरूप बाह्य सतुलन रेखा EB नीचे व बायीं ओर विवर्त (Shift) हो जायेगी क्योंकि अचमूल्यान के परिणामस्वरूप दी हुई राष्ट्रीय बजट की स्थिति में पूर्व से कम व्याज-दर पर बाह्य-सन्तुलन प्राप्त करना संभव होगा। इसी प्रकार अचमूल्यान के परिणामस्वरूप आंतरिक-सतुलन रेखा IB ऊपर व दायीं ओर विवर्त हो जायेगी क्योंकि अचमूल्यान के परिणामस्वरूप दी हुई व्याज दर पर बजट में पूर्व से कम घाटा अथवा अधिक अतिरेक के साथ पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना संभव होगा।

चित्र 15 2(c) में चित्र 15 1(a) की आंतरिक सतुलन रेखा IB व चित्र 15 2 (b) की बाह्य सतुलन रेखा E.B. को एक साथ रखा गया है। IB व EB रेखाएँ E बिन्दु पर एक दूसरे का काटती हैं। अतः E बिन्दु पूर्ण साम्य का बिन्दु है। मान लीजिए कि व्याज दर में EF की वृद्धि से साम्य बिन्दु E से विध्य उत्पन्न होता है तो इस ऊँची व्याज-दर में अवस्थिति बढ़ेगी तथा F बिन्दु पर भुगतान सतुलन में अतिरेक की स्थिति विद्यमान होगी। अवस्थिति के दबाव को कम करने हेतु राष्ट्रीय बजट में G बिन्दु तक अतिरेक कम करना अथवा घाटा बढ़ाना होगा। G बिन्दु पर व्यय E बिन्दु के समान ही है अर्थात् यह G व E दोनों ही बिन्दुओं पर पूर्णरोजगार बनाये रखने हेतु आवश्यक घरेलू व्यय है क्योंकि दोनों ही बिन्दु IB रेखा पर स्थित हैं। लेकिन G बिन्दु पर भुगतान सन्तुलन में GH के बराबर अतिरेक है। इसका अभिप्राय यह है कि ऊँची व्याज दर व कारण पूँजी के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप यह अतिरेक उत्पन्न हुआ है अतः इस व्याज-दर पर भुगतान सन्तुलन में अतिरेक समाप्त

करने हेतु राष्ट्रीय बजट के अतिरिक्त में कमी अथवा घाटे में वृद्धि बरके आयातों में वृद्धि उत्पन्न की जा सकती है। चित्र 15.1 (c) में पूँजी आयात व्याज-दर परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदित है अतः H बिन्दु G से जितना अधिक नीचे होगा उतना ही अधिक भुगतान-सन्तुलन में मामूली प्राप्त करने हेतु अर्थव्यवस्था को मुद्रा-स्फीति में धकेलना पड़ेगा।

प्रो. मुन्डेल (Mundell) ने अपने इस विश्लेषण को प्रदत्तकार्य समस्या (Assignment Problem) की स्पष्ट करने हेतु विकसित किया था। चित्र 15.2(c) में चतुर्थांश II व IV में प्रदत्तकार्य समस्या उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि II चतुर्थांश में मदी व अतिरिक्त की समस्या से निपटने हेतु मौद्रिक तथा राजकोपीय दोनों ही नीतियाँ विस्तार वाली होंगी अर्थात् II चतुर्थांश में व्याज दर में कमी द्वारा भुगतान-सन्तुलन का अतिरिक्त समाप्त होगा व विनियोग बढ़ेगा तथा राष्ट्रीय बजट में अतिरिक्त कम करने अथवा घाटा बढ़ाने से मदी समाप्त होगी व भुगतान सन्तुलन के अतिरिक्त के समाप्त होने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार चतुर्थांश IV में राजकोपीय व मौद्रिक दोनों ही नीतियाँ संकुचन वाली (contractionary) होंगी क्योंकि मुद्रा स्फीति से निपटने हेतु बजट में अतिरिक्त बढ़ाने अथवा घाटा कम करने से मुद्रास्फीति समाप्त होगी तथा व्यय घटने के साथ-साथ आयात भी घटेंगे। इसी प्रकार व्याज दर बढ़ाने से पूँजी का अन्तर्वाह बढ़ेगा जिससे भुगतान-सन्तुलन का घाटा समाप्त होगा व विनियोग व्यय भी घटेगा।

लेकिन चतुर्थांश I तथा III में प्रदत्त कार्य समस्या उत्पन्न होगी। उदाहरणार्थ, चतुर्थांश I में भुगतान सन्तुलन के घाटे को सुधारने का कार्य तो मौद्रिक नीति को 'प्रदत्त' किया जाना चाहिए तथा व्याज दर में वृद्धि कर संकुचन वाली मौद्रिक नीति अपनानी चाहिए और मदी व बेरोजगारी की स्थिति से निपटने का कार्य राजकोपीय नीति को 'प्रदत्त' किया जाना चाहिए एवं विस्तार वाली राजकोपीय नीति अपनानी चाहिए। चित्र 15.2 (c) में मान लीजिए कि अमाम्य बिन्दु W है तो आंतरिक सन्तुलन तो है लेकिन भुगतान सन्तुलन में घाटा विद्यमान है अतः भुगतान सन्तुलन के घाटे को समाप्त करने का कार्य मौद्रिक नीति को 'प्रदत्त' किया जाना चाहिए और व्याज दर में WV की वृद्धि बरनी चाहिए। लेकिन V बिन्दु पर अर्थव्यवस्था में मदी की स्थिति है अतः बजट के अतिरिक्त में कमी अथवा बजट घाटे में वृद्धि VU के बराबर की जानी चाहिए। लेकिन U बिन्दु पर भी भुगतान सन्तुलन में कुछ घाटा विद्यमान है अतः पुनः व्याज दर में UT की वृद्धि की जानी चाहिए तत्पश्चात् T बिन्दु पर मदी की स्थिति को समाप्त करने हेतु बजट अतिरिक्त में कमी अथवा बजट घाटे में वृद्धि Ts के

बराबर कर दी जाती चाहिए। यह स्पष्ट है कि 'स्थायी साम्य' (stable equilibrium) की स्थिति विद्यमान होने के कारण घनत्व E बिन्दु प्राप्त कर लिया जायेगा।

इसके विपरीत यदि राजकोशीय नीति बाह्य सन्तुलन को 'प्रदत्त' की जाती है तथा मौद्रिक नीति आन्तरिक सन्तुलन को तो प्रत्यासन्न साम्य (unstable Equilibrium) की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी एवं मूल साम्य बिन्दु को E से दूर और अधिक दूर चयन करने की प्रवृत्ति होगी। उदाहरणार्थ, यदि हम W बिन्दु से प्रारम्भ करें और भुग्नान सन्तुलन के घाटे को सही करने हेतु राजकोशीय नीति 'प्रदत्त' करें तो बजट में Wx के बराबर प्रतिरक की वृद्धि कर बाह्य सन्तुलन रेखा के X बिन्दु पर चयन किया जा सकता है लेकिन X बिन्दु पर मदी व बेरोजगारी विद्यमान है अतः इन समस्याओं से निपटने हेतु मौद्रिक नीति 'प्रदत्त' की जाये तो हमें Xy के बराबर ब्याज दर घटानी होगी जिससे अर्थव्यवस्था में पुनः आन्तरिक सन्तुलन स्थापित हो जायेगा। लेकिन y बिन्दु पर भुग्नान सन्तुलन के घाट में और अधिक वृद्धि हो गयी है अतः इस घाटे को समाप्त करने हेतु राष्ट्रीय बजट के प्रतिरक में भारी वृद्धि की आवश्यकता होगी। लेकिन बजट में भारी प्रतिरक उत्पन्न करने से बेरोजगारी व मदी की स्थिति और दम्भोर हो जायेगी। यह प्रक्रिया जारी रखने पर अर्थव्यवस्था मूल साम्य बिन्दु E से अधिक-अधिक दूर चयन करनी पड़ेगी। अतः स्पष्ट है कि राजकोशीय नीति को बाह्य सन्तुलन हेतु 'प्रदत्त' करने तथा मौद्रिक नीति को आन्तरिक सन्तुलन हेतु 'प्रदत्त' करने की प्रत्यासन्न नीति की प्रणाली होगी।

इनके विपरीत यदि 1. अनुपात में हम मौद्रिक व राजकोशीय दोनों ही नीतियों विस्तारवादी अपनाते हैं तो हम उत्तर-पूर्व दिशा में चयन करेंगे और साम्य बिन्दु E प्राप्त नहीं हो सकेगा।

इसी प्रकार दोनों नीतियाँ संकुचन वाली अपनाते पर हम दक्षिण-पश्चिम दिशा में चयन करेंगे और साम्य बिन्दु E प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार विस्तार वाली मौद्रिक नीति व संकुचन वाली राजकोशीय नीति अपनाते पर साम्य बिन्दु E से दूर उत्तर-पश्चिम दिशा में चयन होगा।

यदि चित्र 15 2(c) में प्रत्यासन्न बिन्दु अनुपात III में है तब भी 'प्रदत्त' धर्म समस्या उत्पन्न होगी और भुग्नान सन्तुलन के प्रतिरक को समाप्त करने हेतु विस्तार वाली मौद्रिक नीति अपनाकर ब्याज दर घटानी चाहिए तथा संकुचन वाली राजकोशीय नीति अपनाकर मुद्रा-स्वीति की स्थिति से निपटना चाहिए।

ध्यान रहे कि चतुर्थांश I व III में मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियाँ, विपरीत दिशाओं में कार्यरत रहने के कारण ये वृद्ध मोमा तक एक दूसरे के प्रभावों को प्रभाव-हीन कर देती हैं।

चित्र 15.2 (c) के विभिन्न चतुर्थांशों में अग्रताये जाने वाली नीतियों को सारणी 15.2 में दर्शाया गया है—

सारणी 15.2—आंतरिक व बाह्य समतुलन सही करने हेतु आवश्यक नीतियाँ

चतुर्थांश	आंतरिक समतुलन की स्थिति	आंतरिक समतुलन प्राप्त करने हेतु राजकोषीय नीति	भुगतान समतुलन की स्थिति	भुगतान समतुलन को सही करने हेतु मौद्रिक नीति	स्थिति की प्रकृति
I	मंदी	विस्तार वाली	घाटा	सकुचन वाली	अस्थिर
II	मंदी	विस्तार वाली	अतिरेक	विस्तार वाली	संत
III	मुद्रास्फीति	सकुचन वाली	अतिरेक	विस्तार वाली	अस्थिर
IV	मुद्रास्फीति	सकुचन वाली	घाटा	सकुचन वाली	संत

लेकिन प्रो० मुण्डेल के इस विश्लेषण की धर्मशास्त्रियों ने इसे अर्द्धसमायोजन विश्लेषण कहकर आलोचना की है क्योंकि व्याज-दर में परिवर्तन की प्रतिक्रिया के रूप में पूँजी के चलन स्वेच्छ (arbitrary) होने हैं एवं ये चलन पूँजी दुर्लभ राष्ट्रों में पूँजी सम्पन्न राष्ट्रों की ओर भी हो सक्ते हैं जिससे प्रादेश्मूलक (normative) समस्या भी उत्पन्न हो जायेगी।

भुगतान समतुलन में अर्द्धसमायोजन की रीतियाँ

(Quasi-Adjustment Methods for Correcting Disequilibrium in the Balance of Payments)

प्रो० विलियमसन (Williamson) ने भुगतान समतुलन में समायोजन वाली आधारभूत समायोजक नीतियों (Basic adjustment policies) तथा अर्द्ध-समायोजक नीतियों (quasi-adjustment policies) में अन्तर किया है।

आधारभूत समायोजक नीतियाँ भुगतान समतुलन के अनाम्य को नहीं बरती हैं जबकि अर्द्ध-समायोजक नीतियाँ अनाम्य को दबाने (suppress) हैं।

हमारे अब तक के विश्लेषण में हमने आधारभूत समायोजन नीतियों पर ध्यान केन्द्रित किया था लेकिन अनेक परिस्थितियों में अर्द्ध-समायोजक नीतियाँ अपनाना आवश्यक हो जाता है, उदाहरणार्थ, यहि आधारभूत समायोजक नीतियाँ का प्रभाव शून्य-शून्य हो तो अन्तरिम अवधि में अर्द्ध-समायोजन नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि प्रथम सर्वश्रेष्ठ की आधारभूत नीति अपनाना संभव नहीं है तो अर्द्ध-समायोजन नीतियों को द्वितीय सर्वश्रेष्ठ नीति (Policy of the second best) के रूप में अपनाना आवश्यक हो सकता है, इसी प्रकार यदि असाम्य के कारणों का सही निदान (diagnosis) नहीं हो पाया हो तो अर्द्ध-समायोजन नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं।

अर्द्ध-समायोजन नीतियों में अनेक उपकरण आते हैं उदाहरणार्थ, आयात अधिभार लगाकर आयातों को कम करना, विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, एच विनिमय नियंत्रण के विभिन्न तरीके अपनाना।

अतः अब हम विनिमय नियंत्रण की अर्द्धसमायोजन वाली नीतियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

विनिमय नियंत्रण का अर्थ

(Meaning of Exchange Control)

विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप द्वारा विनिमय दर को प्रभावित करने हेतु अपनाये गये समस्त उपाय आते हैं।

प्रो० हेबरलर (Haberler) के अनुसार विनिमय नियंत्रण वह सरकारी नियंत्रण है जिससे विदेशी विनिमय बाजार में आर्थिक शक्तियों का स्वतंत्र वायव्याप बर्जित हो जाता है।¹⁶

पॉल एन्जिग (Paul Einzig) के अनुसार विनिमय नियंत्रण की घोर चर्चा "विभिन्न राष्ट्रों में समाजवादियों व फासिस्टों का अपनी राजनीतिक व आर्थिक राजनामों के हित में वीपो के अन्तर्राष्ट्रीय चलनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने का स्वप्न था।"¹⁷

प्रो० हॉम (Halm) के अनुसार, 'स्वतंत्र विदेशी विनिमय बाजार को विभेदात्मक नियमनों द्वारा प्रतिस्थापित करने वाले उपायों'¹⁸ को विनिमय नियंत्रण कहते हैं।

16 Haberler, G V —The Theory of International Trade— p 83


17 Einzig, Paul—Exchange Control —p 8

18 Halm, George N —Economics of Money and Banking—p 490

अतः स्पष्ट है कि विनिमय नियंत्रण के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाहों पर लगाये गये प्रतिबन्ध, अग्रिम बाजारों में सरकारों हस्तक्षेप, बहु-विनिमय दर प्रणाली तथा राष्ट्र विधेय द्वारा लागू किये गये अन्य वित्तीय व मौद्रिक प्रतिबन्धों को सम्मिलित किया जा सकता है।

विनिमय नियंत्रण को चित्र 15.3 की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है।

चित्र 15.3 में प्रारम्भिक माँग व पूर्ति वक्र क्रमशः DD व SS हैं अतः P साम्य विनिमय दर निर्धारित होती है। अब मान लीजिये कि विदेशी विनिमय की माँग में वृद्धि से माँग वक्र विवर्त होकर $D'D'$ हो जाता है तथा पूर्ति में कमी के परिणाम-स्वरूप पूर्ति वक्र SS' हो जाता है तो नयी साम्य विनिमय दर P' निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन सरकार CC से ऊँची विनिमय दर को वांछित नहीं समझती है अतः आधिकारिक दर CC ही बनी रहती है। CC विनिमय दर पर विदेशी विनिमय की माँग OB है जबकि पूर्ति केवल OA ही है अतः AB अन्तराल (gap) के कारण विनिमय नियंत्रण अपनायाना आवश्यक हो जाता है। ध्यान रहे CC विनिमय दर विचारायें राष्ट्र की घरेलू मुद्रा के कृत्रिम अधिमूल्यन की स्रोतक है।



चित्र 15.3 - विदेशी विनिमय बाजार में सरकारी हस्तक्षेप (विनिमय नियंत्रण)

विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य

(Objectives of Exchange Control)

विनिमय नियंत्रण अपनाने के अग्रलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं—

रखने का उद्देश्य आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माल का नीची कीमतों पर आयात करना तथा विदेशी ऋणा को सुविधापूर्वक चुकाना हो सकता है।

उपर्युक्त उद्देश्यों के अलावा आवश्यक वस्तुओं के आयात सुनिश्चन करना, मुद्रा का अक्षय्य बनाना, शत्रु राष्ट्रों द्वारा श्रमशक्ति के प्रयोग पर रोक लगाना व विदेशियों के पाम सचिन राष्ट्रीय प्रतिभूतियों की कीमतें गिराना आदि विनिमय नियंत्रण के अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं।

विनिमय नियंत्रण की रीतियाँ

(Methods of Exchange Control)

विनिमय नियंत्रण हेतु अनेक रीतियाँ अपनाई जाती हैं अतः यहाँ हम केवल प्रमुख रीतियों का ही विवेचन प्रस्तुत करेंगे। विनिमय नियंत्रण की रीतियों को दो भागों में बाँटा जा सकता है —

1. एक पक्षीय रीतियाँ (Unilateral Methods) — इनमें वे रीतियाँ सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें कोई भी देश एकतरफा रूप से अपनाता है अर्थात् अन्य व्यापार सहयोगी राष्ट्रों पर ऐसी नीति के पड़ने वाले प्रभावों को अक्षय्य बना करते हुए अथवा अन्य राष्ट्रों से बिना कोई समझौता किया यदि कोई राष्ट्र विनिमय नियंत्रण अपनाता है तो इसे विनिमय नियंत्रण की एक पक्षीय रीतियों में सम्मिलित किया जाता है। विनिमय नियंत्रण की एक पक्षीय रीतियों में विनिमय दर को 'ऊँचा घटकाना' (Pegging up) तथा नीची घटकाना' (Pegging down), विदेशी व्यापार का नियमन, अवरुद्ध खात, विदेशी विनिमय का रार्शनिंग आदि रीतियाँ सम्मिलित की जाती हैं।


2. द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रीतियाँ (Bilateral and Multilateral Methods) — द्विपक्षीय रीतियाँ दो राष्ट्रों में आपसी समझौते द्वारा अपनाई जाती हैं। इनमें निजी क्षति पूति, विनिमय समाशोधन, भुगतान समझौते, विनिमय-कालीन हस्तांतरण, एक साथ क्रय के समझौते आदि सम्मिलित किये जाते हैं। बहुपक्षीय रीतियों में बहुविनिमय दरें प्रमुख हैं।

^{1F} विनिमय नियंत्रण की रीतियों का एक अर्थ वर्गीकरण भी किया जाता है —

(1) विनिमय नियंत्रण की प्रत्यक्ष रीतियाँ, तथा (2) विनिमय नियंत्रण की अप्रत्यक्ष रीतियाँ। — इस वर्गीकरण के अनुसार विनिमय नियंत्रण की विभिन्न रीतियों को चाट 15 2 की सहायता से प्रस्तुत किया जा सकता है —

चाट १५.२

विनिमय नियन्त्रण की रीतियाँ



मान्यता प्राप्त भी एक मोना तक ही जुड़ापे जा सकती है। अतः नन्वी अवधि तक विनिमय दर नीची धरणाए रखने की नीति भी काफ़ी महंगी व अतृप्तता साबित हो सकती है।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि 'हस्तक्षेप' की नीति केवल अल्पांश तौर पर ही अपनायी जा सकती है। अतः विनिमय दर में मामूली उच्चावचनों को नियंत्रित करने हेतु यह नीति अपनाई जा सकती है।

ध्यान रहे कि 'हस्तक्षेप' स्थिर विनिमय दर का ही दूसरा नाम नहीं है, उदाहरणार्थ, कोई भी सरकार अपनी मुद्रा को स्थिर विनिमय दर के स्तर को परवाह बिन्ने बिना अपनी मुद्रा के मूल्य को समर्थन प्रदान करने हेतु अथवा इसे नीचा बनाने रखने हेतु विदेशी विनिमय बाजार में हस्तक्षेप की नीति अपना सकती है।

2. विनिमय प्रतिबन्ध :- (Exchange Restrictions) द्वितीय महा-युद्ध के प्रारम्भ के वर्षों में अश्विनाग राष्ट्यों के लिए "हस्तक्षेप" विनिमय नियंत्रण का दुर्बल उपकरण साबित हुआ अतः इन राष्ट्यों ने विनिमय नियंत्रण के अधिक प्रबल उपकरण अपनाये बिन्ने विनिमय प्रतिबन्ध (Exchange Restrictions) के नाम से जाना जाता है।

प्रो० क्रॉथर¹⁹ (Crowther) ने विनिमय प्रतिबन्ध को तीन प्रमुख विशेषताएँ इंगित की हैं : (1) विदेशी विनिमय के समस्त मोदे सरकार अथवा इसके अग्रज एजेंटों (Immediate Agents) के हाथों में केन्द्रित हो जाते हैं, (2) राष्ट्र की मुद्रा को किसी भी अन्य मुद्रा के विनिमय में अंतर करने से पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक होती है, तथा (3) किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति एवं सरकारी एजेंटों के माध्यम से किया गया विनिमय सीधा कानूनी अग्रण्य घोषित कर दिया जाता है।

उपर्युक्त बोध में विनिमय प्रतिबन्ध सर्वप्रथम सन् 1931 के वितीय संकट में जर्मनी व आस्ट्रिया में प्रयुक्त किए गए थे। उत्तरवाद् विनिमय प्रतिबन्ध में अनेक परिष्कार किये गये तथा अब तक विश्व के लगभग सभी राष्ट्र विनिमय प्रतिबन्ध की नीति अपना चुके हैं।

हस्तक्षेप व विनिमय प्रतिबन्ध की रीतियों में प्रामुख्य अंतर यह है कि हस्तक्षेप की रीति अमान्यता वाली सरकार को विदेशी विनिमय बाजार के मोदों की भाषा में

19 Crowther, G —An outline of Money—p. 251.

वृद्धि करती होती है जबकि विनिमय प्रतिबन्ध की नीति के अन्तर्गत विदेशी विनिमय बाजार में घरेलू मुद्रा की पूर्ति को अनिवार्य रूप से घटा दिया जाता है अतः विदेशी विनिमय बाजार के सौदों में अनिवार्य कटौती कर दी जाती है।

विनिमय प्रतिबन्ध की नीति द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में घरेलू मुद्रा की पूर्ति कम करने के अनेक तरीके हो सकते हैं, जैसे अवरोध खाने, विदेशी विनिमय की राशनिंग, बहु-विनिमय दरें आदि।


(a) अवरोध खाते (Blocked Accounts) :—इस पद्धति के अन्तर्गत सरकार द्वारा यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है कि विदेशी धनी पूँजी देश से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। ऋणदाता राष्ट्रों को ऋणी राष्ट्र में ही सरकारी आदेशानुसार विदेशी विनिमय का उपयोग करना पड़ता है। ऋणदाता राष्ट्रों के विदेशी विनिमय में भुगतानों पर रोक लगा दी जाती है तथा विदेशी भुगतानों की इस प्रकार रोक दी गई राशि को केन्द्रीय बैंक के पास 'अवरोध खाते' में जमा करा दिया जाता है। अवरोध खातों के द्वारा विदेशी विनिमय के भुगतान बन्द करने के परिणामस्वरूप राष्ट्र के दुर्बल विदेशी विनिमय के भण्डार शीघ्र खाली होने से रूक जाते हैं। सन् 1931 के वित्तीय संकट में जर्मनी ने यहूदियों को देश निकाला देकर उनकी पूर्ण सम्पत्ति 'अवरोध खाते' में डाल दी थी जिसके परिणामस्वरूप यहूदियों को पूँजी के मानिक होने हुए भी बठिनाइयाँ भेलनी पड़ी।

(b) विदेशी विनिमय की राशनिंग (Rationing of Foreign Exchange) :—विदेशी विनिमय की राशनिंग की नीति द्वारा निर्यातकर्ताओं को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा सरकार को सौंप दी जाती है तथा सरकार द्वारा आयात के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता निर्धारित कर विभिन्न श्रेणियों के आयातों के लिए उपलब्ध विदेशी विनिमय की मात्रा तय कर दी जाती है।

(c) बहु विनिमय दरें (Multiple Exchange Rates) :—बहु-विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत भिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न विनिमय दरें, भिन्न मूल्य व गन्तव्य स्थानों के लिए भिन्न विनिमय दरें तथा भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न विनिमय दरें लागू की जा सकती हैं।

बहु-विनिमय दरें सर्वप्रथम तीमा की मदी में वर्षों में लेटिन अमेरिका के देशों द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के अन्तर्गत निर्यातों से प्राप्त विदेशी विनिमय का एक हिस्सा अर्थशास्त्र नीची विनिमय दर पर विनिमय नियंत्रण अधिकारियों को सौंप

घाटं १५.३ : समाशोधन समझौते मूलन (Swing)



अधवा निर्यातकर्ताओं की लापरवाही (rashness) के कारण विनिमय नियंत्रण वाले राष्ट्रों में भारी मात्रा में ऋण एकत्रित हो जाते हैं तो इन राष्ट्रों की परिसम्पत्ति अवरुद्ध हो जाती है। भुगतान समझौते के अन्तर्गत यह निर्धारित कर दिया जाना है कि ऋणदाता राष्ट्र के समाशोधन खाते में आयातों के भुगतान में से एक निश्चित प्रतिशत के बराबर एकत्रित ऋणों को तरलता प्रदान करने हेतु ऋणों की तरलता के उपाय के रूप में उपयोग में लिया जायेगा।²⁰

भुगतान समझौते के परिणामस्वरूप ऋणदाता राष्ट्रों को ऋणों राष्ट्रों के आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है क्योंकि इन राष्ट्रों के ऋणों के भुगतान प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि इनके (ऋणदाता राष्ट्रों के) आयात निर्यातों से अधिक हों। दूसरी ओर ऋणी राष्ट्रों को ऋणदाता राष्ट्रों में आयातों का स्तर पर्याप्त निम्न बनाय रखा जाता है ताकि इनके (ऋणी राष्ट्रों के) निर्यातों के मूल्य का समझौते के निर्धारित प्रतिशत वास्तव में ऋणों का भुगतान बन सके।

द्वितीय विश्वयुद्ध काल से यूरोप में अधिकांश द्विपक्षीय समझौते इसी प्रकार के विस्तृत ध्रेणी के समझौते थे जिनके अन्तर्गत न केवल ऋण भुगतानों के प्रावधान थे अपितु जहाजी खर्चों, ऋण सेवा, एवं सेवाओं की समस्त विस्तार सीमा (range) के भुगतान शामिल थे। स्वतंत्र व्यापार में वृद्धि के साथ-साथ पूर्णरूप से द्विपक्षीय समझौते का स्थान यूरोपीय भुगतान संघ (European Payments Union) के बहु-पक्षीय समाशोधन समझौते जैसे समझौते में ले लिया है।

विशेषकर समाजवादी व विकासशील राष्ट्रों के मध्य आज भी द्वि-पक्षीय समझौते प्रचलन में हैं। सन् 1970-80 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 50 से 60 तक सदस्यों ने इस प्रकार के द्विपक्षीय व्यापार व भुगतान समझौते किये थे।

(6) विलम्बकालीन हस्तांतरण (Transfer Moratoria) : विलम्बकारी हस्तांतरण की नीति के अन्तर्गत आयातों व विदेशी पूँजी के ब्याज एवं लाभांश के भुगतान कुछ काल के लिए स्थगित कर दिये जाते हैं। आयातकर्ता एवं ऋणी राष्ट्र स्वयं की मुद्रा में ही भुगतान करते हैं एवं यह भुगतान की राशि राष्ट्र के

केन्द्रीय बैंक के पास जमा रहती है तथा इन जमाओं का विदेशी निर्यातकर्ताओं में ऋणदाताओं को एक निश्चित अवधि के बाद ही विदेशी मुद्राओं में भुगतान किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि विलम्बकालीन हस्तांतरण की नीति अपनाकर सरकार कुछ अवधि के लिए विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यक समायोजन कर सकती है। तीसरा की मन्दी के वर्षों में कई यूरोपीय राष्ट्रों ने विलम्बकालीन भुगतानों की नीति अपनाई थी।

(7) थोक क्रय समझौते (Bulk Purchase Contracts) थोक क्रय समझौते प्रमुखतया ब्रिटेन द्वारा अपनाये गये थे। इन समझौतों के अन्तर्गत यह निश्चित कर दिया जाता था कि ब्रिटेन अन्य सम्बद्ध राष्ट्र के उत्पादन की निश्चित मात्रा अथवा वस्तु विशेष का उस राष्ट्र का पूरा निर्यात योग्य प्रतिरैक अथवा प्रतिरैक का एक निश्चित अनुपात क्रय करेगा। इसके विनिमय में ब्रिटेन विभिन्न निर्यात वस्तुओं के निर्यात करने का समझौता कर लेता था। ब्रिटेन के स्टर्लिंग क्षेत्र के राष्ट्रों के साथ ऐसे समझौते 3 से 15 वर्षों की लम्बी अवधि के लिए हुए थे, जबकि अन्य राष्ट्रों के साथ ये समझौते एक वर्ष की अवधि के लिए ही किये गये थे। एक वर्ष से अधिक अवधि के समझौते होने की स्थिति में इन समझौतों में या तो वार्षिक कीमत मूल्यांकन के प्रावधान होते थे अथवा निर्धारित सीमाओं के मध्य कीमत में परिवर्तनों के प्रावधान रखे जाते थे।

विनिमय नियंत्रण की अप्रत्यक्ष रीतियाँ

(Indirect Methods of Exchange Control)

अप्रत्यक्ष रीतियों के अलावा विनिमय नियंत्रण की कुछ अप्रत्यक्ष रीतियाँ भी अपनाई जाती हैं। इन अप्रत्यक्ष रीतियों में निम्न प्रमुख हैं —

(1) आयात नियंत्रण (Import Controls) — आयात प्रशुल्क व आयात नियंत्रण द्वारा आयातों की मात्रा कम करने का प्राथमिक उद्देश्य घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना हो सकता है लेकिन इन उपकरणों को प्रयुक्त करने से भुगतान संतुलन में भी सुधार होता है तथा विदेशी विनिमय की माँग घटती है। अतः प्रशुल्क व आयात नियंत्रण को हम विनिमय नियंत्रण की अप्रत्यक्ष रीतियों में शामिल करते हैं।

(2) निर्यात अर्पण (Export Bounties) :— विदेशी विनिमय से सम्बन्धित

स्थिति सुधारने हेतु निर्यातों को प्रोत्साहन देना भी उचित ही आवश्यक होता है जिनका आयातों पर नियंत्रण लगाना। निर्यातों को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यात अधिदान प्रदान किया जाता है। अतः विदेशी प्रतियोगिता में टिके रहने हेतु तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदान किए गये निर्यात अधिदान विनिमय नियंत्रण का एक अप्रत्यक्ष तरीका है क्योंकि हमने राष्ट्र की विदेशी विनिमय से सम्बन्धित स्थिति में सुधार होता है।

- (3) व्याज दर में परिवर्तन (Changes in interest rate) :—व्याज दर अथवा बैंक दर में परिवर्तन का उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना अथवा विनिमय का बढ़ावा देना हो सकता है। लेकिन व्याज दर के परिवर्तन अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी विनिमय के प्रवाह को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरणार्थ, व्याज दर में वृद्धि से अग्रिम व्याज अर्जित करने के उद्देश्य से विदेशी पूँजी का अन्वर्वाह (inflow) होता है तथा व्याज दर में कमी में विदेशी पूँजी का अप्रवाह (outflow) होता है। अतः व्याज दर के परिवर्तन का विनिमय नियंत्रण का अप्रत्यक्ष उपकरण माना जाता है।

विनिमय नियंत्रण का मूल्यांकन

(Evaluation of Exchange control)

विनिमय नियंत्रण की विभिन्न रीतियों का भूगतान मनुष्य के अनाम्य को मही कराने वाले उपकरण के रूप में मूल्यांकन करने से ज्ञान होता है कि इनका सम्बद्ध अर्थव्यवस्थाओं पर लम्बी प्रभाव पड़ता है। यदि द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व व पश्चात की भाँति विनिमय नियंत्रण की प्रणाली विस्तृत रूप में अपनाई जाय तो सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो सकती है।

विनिमय नियंत्रण अनाम्य में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था ज़ेप विश्व में अलग-अलग हो जाती है अतः इन रीतियों को अपनाते वाले राष्ट्रों में मुद्रास्फीतिकारक नीतियाँ अनाम्य की प्रवृत्ति पानी जाती है जिसके परिणामस्वरूप इन राष्ट्रों की मुद्रा का अतिमूल्यन (overvaluation) बना रहता है अतः इन राष्ट्रों को अतिमूल्यन के दुष्परिणाम दूर करने पड़ते हैं। अतिमूल्यन समर्थक नीतियाँ ज्यों-ज्यों कम-प्रभावी होती जाती हैं त्यों-त्यों विदेशी मीलों पर लग मात्तमक नियंत्रण को अतिकारिक भार बन्द करना पड़ता है। सामान्यतया नियंत्रण लागू करने वाले प्रथमनिक दृष्टि को क्षमता में अधिभार बहूत करना आवश्यक हो जाता है। परंतु मुद्रास्फीति व

जति नियंत्रण क मयाग के परिणामस्वरूप प्रायः आर्थिक क्रियाकलाप निश्चिन्त पट जात हैं। निर्माता म कमी नाचा घरेलू बचन की दरें विदेशा विनियोग हुता माहित हुना तथा जो भा विनियोग हो रहा है उसका निम्न उत्पादकता आदि स आर्थिक विकास म गम्भार बाधायें उपस्थित हो जाता है।

अतः हम कह सकते हैं कि भुगतान सतुलन क असाध्य की सही करन हेतु विनियम नियंत्रण की नीति का अस्थायी तीर पर कवल उस समय तक अपनाया जा सकता है जब तक कि मूलभूत साम्य स्थापित करन बाता ना निर्माता बाधित नहीं हो। विनियम नियंत्रण भुगतान सतुलन क असाध्य ना सहा करन का स्थायी उपकरण नहा है।

भुगतान सतुलन का प्रचलित सिद्धान्त घरेलू वस्तुओं की भूमिका (Current Theory of Balance of Payments the Role of Home goods)

प्रचलित सिद्धांत म उत्तम मोद्रिक माडलम क विकास क अभाव एक अर्थ महत्वपूर्ण विकास घरेलू वस्तुओं के सम्भावित महत्व एव अर्थमूल्यान क परिणामस्वरूप इन वस्तुओं के मूल्या म व्यापार वस्तुओं (traded goods) के मूल्या क तापेन के रूप म परिवर्तन का समावेश करन वाला माडलम का विकास है।

इस माडलम म सर्वाधिक रोजगार एव विचारात भरपूर अर्थमूल प्रोत्साहन (Pierce) द्वारा विकसित किया गया है। प्रो पापर्सन अपन माडल म यह मान्यता मानता है कि मोद्रिक नीति का निर्धारित वस्तु की घरेलू कीमत स्थिर रखन हेतु अत्यन्त विना जाता है। इस उद्देश्य हेतु बाजार दर को स्थिर बनाये रखन बाती अथवा मुद्रा पूर्ति स्थिर बनाये रखने वाला मे भिन्न मोद्रिक नीति आवश्यक होगी। पापर्सन का मानना है कि निष्पातमक परिवहन लागता अथवा निष्पातमक प्रयुक्त के कारण कुछ घरेलू वस्तुएं अथवा व्यापार म शामिल नहा जाने वाला वस्तुएं होना है। पापर्सन क माडल म घरेलू वस्तुओं की कामते व्यापार म शामिल हाने वाला वस्तुओं की कामता के अभाव के रूप म अत्यधिक ऊंचा होने के कारण पूर्ण रोजगार की स्थिति म भा व्यापार सतुलन म बाधा विद्यमान रह सकता है। अर्थमूल्यान के परिणामस्वरूप घरेलू वस्तुओं का मापेन मूल्य अथवा जिम्मे व्यापार म शामिल होने वाली वस्तुओं के उत्पादन म तथा घरेलू वस्तुओं के उपभोग म वृद्धि होगी। ऐसा हान हेतु वास्तविक अर्थ म कमीनी होना आवश्यक है। निष्कर्ष क रूप म प्रो पापर्सन लिखत हैं कि —

“— भुगतान सन्तुलन में सुधार हेतु महत्व के क्रम में निम्न आवश्यक है —

- (1) निम्न तीनों (a, b व c) के योग के बराबर मौद्रिक व्यय में कटौती .—
 - (a) व्यापार सन्तुलन में सुधार के बराबर,
 - (b) व्यापार की शर्तों में परिवर्तन से वास्तविक लब्धि अथवा हानि के बराबर
 - (c) व्यापार की शर्तों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रशुद्ध भाग में होने वाले परिवर्तन के बराबर
- (2) व्यापार में शामिल वस्तुओं के सापेक्ष के रूप में व्यापार में शामिल न होने वाली वस्तुओं की कीमत में कमी ।
- (3) वास्तविक व्यापार की शर्तों में कुछ परिवर्तन जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है । यह परिवर्तन (2) में बताये गये परिवर्तन से कम होगा ।²²

लेकिन प्रो० पीअर्स के मॉडल में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रवृत्तयन से मौद्रिक व्यय में कमी किस प्रकार आयेगी ।

दो अन्तराल मॉडल

(Two Gap Model)

एक अन्य सन्दर्भ में चेनरी (Chenery) व स्ट्राउट²³ (Strout) ने विकास समस्या को बचत, भुगतान सन्तुलन व निपुणता, मुलभता (skill availability) जैसी कई सीमाओं (constraints) के अन्तर्गत राष्ट्र की विकास दर को अधिकतम करने के रूप में प्रस्तुत किया है । विनियोग हेतु घरेलू बचत अथवा वैकल्पिक रूप से विदेशी सहायता की आवश्यकता होती है । उत्पादन व विनियोग के दिये हुए स्तर तथा ढाँचे के लिए आयातों की आवश्यकता होती है । विशेष रूप से दी हुई विनियोग की दर के लिए आयातों की आवश्यकता ऐसी हो सकती है कि यदि घरेलू बचत इस दर को जारी रखने के लिए पर्याप्त है तब भी विदेशी विनियोग की कमी के कारण यह विनियोग दर प्राप्त नहीं की जा सके । इस स्थिति में दो अन्तराल मॉडल को यह दर्शाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है कि यदि विदेशी विनियोग सीमा के कारण विकास में रुकावट आ रही है तो विदेशी सहायता दुगुनी प्रभावी होगी क्योंकि घरेलू बचत तो राष्ट्र

22 Pearce, I F—Op cit p 26

23 Chenery, H B and Strout, A M—Foreign Assistance and Economic Development—A. E. Rev (Sept 1966), pp 679-733.

मे पूर्व विद्यमान है ही। विकास की बाद की अवस्था में जब बचत सीमा महत्वपूर्ण हो जाती है तो विदेशी सहायता केवल राष्ट्र की विगुद्ध बचत में योग के रूप में बनी रहती है और इस प्रकार विनियोग में सहायक होती है अतः विदेशी सहायता की सीमात उत्पन्नता काफी घट जाती है।

दो-घन्तराल मॉडल को एक ऐसे विकासशील राष्ट्र का लक्षणवर्णन (characterization) करता हुआ माना जा सकता है जिसमें अधिमूल्यन वाली विनिमय दर तथा विनिमय नियंत्रण के कारण विदेशी विनिमय की स्पष्ट कमी पड़ जाती है। दो-घन्तराल मॉडल को प्रतिबिम्ब मूल्यो* (Shadow Prices) पर आधारित इस प्रकार के निर्णय लेने के प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में लिया जा सकता है जिससे कि घन्तराल समाप्त हो जाये। बैकल्पिक रूप से दो-घन्तराल मॉडल को विनिमय नियंत्रण की प्रारम्भ लागत के रूप में निर्वचित किया जा सकता है अर्थात् अधिमूल्यन वाली विनिमय दर द्वारा जनित तथा विनिमय नियंत्रणों द्वारा निरन्तर बने रहने वाली विदेशी विनिमय की बाधाओं के कारण सम्भावित बचत व दक्षताओं का उपयोग नहीं हो पाता है।

* प्रतिबिम्ब मूल्य वे मूल्य होते हैं जो कि बाजार कीमतों में विकृति उत्पन्न हो जाने की स्थिति में वस्तुओं व कारकों की अवसर लागत प्रतिबिम्बित (reflect) करने हैं।

विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत एवं स्थिर व लचीली विनिमय दर प्रणाली

(Theories of Exchange rate determination and Fixed versus Flexible Exchange rates)

विनिमय दर से अभिप्राय (What is an Exchange rate?)

विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय उस अनुपात से है जिस अनुपात में एक राष्ट्र की मुद्रा का दूसरे राष्ट्र की मुद्रा के बदले विनिमय होता है। उदाहरणार्थ यदि विनिमय दर $1\text{£} = 112\text{₹}$ है तो इस अनुपात की हर्म दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं।¹

$1\text{\$} = \text{Rs } 12$ (भारत के लिए प्रत्यक्ष नवोत्थान अथवा घरेलू मुद्रा नवोत्थान)
अथवा $\text{Rs } 1 = 0.0833\text{ \$}$ (भारत के लिए अप्रत्यक्ष नवोत्थान अथवा विदेशी मुद्रा नवोत्थान)

स्पष्ट है कि विनिमय दर एक राष्ट्र की मुद्रा का दूसरे राष्ट्र की मुद्रा के रूप में मूल्य है अतः जिस प्रकार अन्य वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण उनकी माँग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है उसी प्रकार स्वतंत्र विनिमय बाजार में किसी भी मुद्रा की विनिमय दर का निर्धारण भी विदेशी विनिमय की माँग व पूर्ति द्वारा होता है। प्रा० हेबरलर (Habermeler) ने ठीक ही लिखा है कि 'दो राष्ट्रों के मध्य भुगतान साधनों (means of payments) के मध्य विनिमय दर अथवा समस्त कीमती की भाँति माँग व पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।'¹

अतः एक मुद्रा की पूर्ति दूसरी मुद्रा की माँग होती है अतः अतः तथा विदेशी

की मांगी गयी मात्रा उसकी पूति के ठीक बराबर है। अतः यदि विनिमय दर E निर्धारित हो जाती है तो बाजार में साम्य होगा।

अब मान लीजिए कि भूगतान सतुपन में प्रतिकूल परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग में परिवर्तन हो जाता है तथा मांग वक्र DD से विकृत होकर D'D' हो जाता है तो मांग व पूति वक्र E' बिन्दु पर एक दूसरे को काटेंगे अतः विनिमय दर E से बढ़कर E' हो जाती है तथा विदेशी विनिमय की पूति में वृद्धि हो जाती है। निर्यातों में वनों के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय की पूति घटने से भी विनिमय दर बढ़ जाती है। चित्र 16। में पूति वक्र SS से विकृत होकर यदि S'S' हो जाता है तो विनिमय दर E' से E' हो जायेगी तथा विदेशी विनिमय की पूति घट जायेगी।

इस मन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव किन सीमा तक हो सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर भिन्न परिस्थितियों में भिन्न होगा। अतः अब हम भिन्न मौद्रिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विनिमय-दर निर्धारण का अध्ययन करेंगे। सामान्यतया विनिमय दर निर्धारण की समस्या का अध्ययन दो परिस्थितियों में ही किया जाता है : प्रथम, जब दो राष्ट्रों में स्वर्णमान अपना रखा हो तथा द्वितीय, जब दोनों राष्ट्रों में अन्तरिर्वर्तनीय पत्र मुद्रामान प्रचलित हो।

स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय-दर निर्धारण

(Exchange Rate determination under Gold Standard)

टकमाली समता सिद्धान्त (Mint Par Theory)

जब कोई राष्ट्र स्वर्णमान अपनाता है तो उसकी मुद्रा का स्वर्ण से एक निश्चित अनुपात बना रहता है। ऐसे राष्ट्र में प्रचलित मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन स्वर्ण कोषों में परिवर्तन करके ही किया जा सकता है एवं मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनीय बनी रहती है। अतः स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर के निर्धारण का आधार दोनों राष्ट्रों की मुद्राओं में निहित स्वर्ण की मात्रा होनी है। उदाहरणार्थ, सन् 1914 से पूर्व एक पौण्ड में 113.0016 ग्रैम विशुद्ध स्वर्ण की मात्रा थी जबकि डालर में विशुद्ध स्वर्ण की मात्रा 23.22 ग्रैम थी। इस प्रकार दोनों राष्ट्रों की मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा (gold contents) के आधार पर विनिमय दर 1 पौण्ड = 4.866 डालर थी क्योंकि पौण्ड का स्वर्ण मूल्य डालर से ठीक 4.866 गुणा था।

दो राष्ट्रों की मुद्राओं में निहित स्वर्ण-मात्राओं के आधार पर इस प्रकार निर्धारित आधारभूत विनिमय दर को 'टक समता' (Mint Par) के नाम से जाना जाता है।

ध्यान रहे कि स्वर्णमान वाले राष्ट्रों में स्वर्ण चलनमान हो अथवा स्वर्ण विनिमय मान (अर्थात् ऐसी पत्र मुद्रा चलन में हो जिसका स्वर्ण में मूल्य निर्धारित कर दिया गया हो) विनिमय दर निर्धारण की विधि यथावत् ही रहती है। अतः स्वर्णमान के अन्तर्गत दोनों राष्ट्रों की मुद्राओं की स्वर्ण तुल्यता का अनुपात ही उनकी 'टक समता' होनी है तथा यही विनिमय दर निर्धारण का आधार होता है।

स्वर्णमान के अन्तर्गत विदेशी विनिमय बाजार के परिचालन को स्पष्ट करने हेतु हम मान लेते हैं कि अमेरिका व अन्य देशों के मध्य समस्त भुगतान लन्दन के माध्यम से होते थे। आयातकर्ताओं व अन्य विदेशी विनिमय भुगतानकर्ताओं को विनिमय के स्टर्लिंग बिल अथवा ड्राफ्ट लन्दन में भुगतान हेतु न्यूयार्क बैंक से क्रय करने पड़ते थे। इसी प्रकार वस्तुओं व सेवाओं अथवा प्रतिभूतियों के निर्यातकर्ता लन्दन पर बने स्टर्लिंग विनिमय बिल बट्टे हेतु इन बैंकों के पास लाते थे। यदि जालू सौदों के परिणामस्वरूप बिलों की पूर्ति उनकी माँग के ठीक बराबर हो तो विनिमय दर 'टक समता' वाली (1 पौण्ड = 4 866 डालर) बनी रहती थी तथा भुगतान सन्तुलन साम्य में रहता था।

स्वर्णमान के अन्तर्गत भी विनिमय दर में उच्चावचन होने रहते हैं लेकिन ये उच्चावचन 'अति सर्कीर' सीमाओं के अन्तर्गत ही हो सकते थे तथा ये सीमाएँ अमेरिका से इंग्लैंड स्वर्ण हस्तांतरित करने की लागत द्वारा निर्धारित 'स्वर्ण बिन्दुओं' पर निर्भर करती थी।

मान लीजिए कि अमेरिका के आयात अधिक होने के कारण 1 पौण्ड = 4.866 डालर की दर पर स्टर्लिंग बिल की माँग इनकी पूर्ति से अधिक हो जानी है तथा अमेरिका के समस्त बैंक लन्दन में एक निश्चित शेष बनाये रखने की नीति का अनुसरण करते हैं एवं इस शेष से अधिक संचय की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं तो अमेरिका के आयातकर्ता अपना आधिक्य भुगतान स्वर्ण हस्तांतरित करके ही कर सकते हैं। लेकिन इस स्वर्ण का लन्दन हस्तांतरण करने हेतु पैसिंग, बीमा, जहाज-रानी तथा परिवहन की समयावधि में स्वर्ण के मूल्य पर हुई ब्याज की हानि आदि की लागतें बहुत बरनी पड़ेंगी। प्रथम महायुद्ध से पूर्व एक पौण्ड का स्वर्ण लन्दन


भेजने की ये समस्त लागतें 2.4 सेंट हुआ करती थी। जबकि लन्दन से न्यूयार्क एक पौण्ड का स्वर्ण भेजने की लागत 3.9 सेंट भाती थी। अतः विनिमय दर अधिक से अधिक (4.886 + 0.024 \$ =) 4.890\$ प्रति पौण्ड हो सकती थी। 1 पौण्ड = 4.890 डालर की इस दर को अमेरिका का 'स्वर्ण निर्यात बिन्दु' (Gold Export Point) कहते थे क्योंकि 'स्वर्ण निर्यात बिन्दु' पर विनिमय दर पहुँचने से इंग्लैंड को स्वर्ण का निर्यात होता था।

इसी प्रकार यदि विदेशियों से प्राप्तियाँ (बाजार में उपलब्ध स्टर्लिंग बिल्ल की पूर्ति के रूप में) चालू भुगतानों से अधिक हैं तथा न्यूयार्क के बैंक स्टर्लिंग शेपों का एक निश्चित सीमा से अधिक संचय रखने को तत्पर नहीं हैं तो केवल स्वर्ण का आयात करके ही लन्दन से भुगतान प्राप्त किये जा सकते हैं। लन्दन से प्राप्त स्वर्ण की आधिव्य पूति में से स्वर्ण आयातों की हस्तांतरण लागत (transfer cost) घटा देने से प्रति पौण्ड 3.9 सेंट कम स्वर्ण प्राप्त होगा। विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा के कारण बैंक इससे अधिक बुकाना अनावश्यक पायेंगे अतः विनिमय दर गिरकर अमेरिका के स्वर्ण बिन्दु वाली (4.886\$ — 0.039\$ =) 4.827\$ हो जायेगी एवं चालू प्राप्तियों से चालू भुगतानों के आधिव्य के बराबर अमेरिका में स्वर्ण आयात होगा।

स्वर्ण निर्यातकर्ता राष्ट्र के भुगतान सन्तुलन में स्वर्ण निर्यातों की प्रविष्टि देनदारी पक्ष (credit side) में की जायेगी जिससे राष्ट्र का भुगतान सन्तुलन सन्तुलित हो जायेगा। दूसरी ओर स्वर्ण आयातकर्ता राष्ट्र के भुगतान सन्तुलन में स्वर्ण आयातों की देनदारी पक्ष (debit side) में प्रविष्टि की जायेगी अतः राष्ट्र का भुगतान सन्तुलन सन्तुलित हो जायेगा।

अब यदि यह मान लें कि विदेशी विनिमय के व्यापारी (dealers) अपने विदेशी विनिमय के संचय में परिवर्तन की अनुमति दे देते हैं तो विदेशी विनिमय की माँग व पूर्ति में लोच तत्त्व समाविष्ट हो जायेगा जिससे विनिमय दर में वृद्धि पर रोक लगेगी व स्वर्ण प्रवाह की मात्रा में कमी आयेगी। यदि हम पुनः मान लें कि दो हुई अमयाधिम अमेरिका के विदेशी भुगतान व प्राप्तियों 'टक समता' पर सन्तुलन में है तथा दिवस विशेष पर अमेरिका के आयातों में भारी वृद्धि हो जाती है तो इस वृद्धि के परिणामस्वरूप 4.866\$ की विनिमय दर पर स्टर्लिंग की माँग इसकी पूर्ति से अधिक हो जायेगी अतः विनिमय दर में वृद्धि होगी। लेकिन विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु पर पहुँचेगी अथवा नहीं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि माँग में किस सीमा

तक वृद्धि होगी है तथा पूर्ण लोचर बिन्दु है। इसका कारण यह है कि ऊँची विनिमय दर पर पूर्णकर्ताओं को स्टर्लिंग की पूर्ति बढ़ाने के लिए निश्चय ही प्रेरणा मिलेगी तथा विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु के जितनी अधिक नबदीक पहुँचती जायेगी इतने और अधिक वृद्धि की सम्भावना उतनी ही कम होती जायेगी एव यह सम्भावना अधिक बनी रहगी कि माँग वक्र का दबाव कुछ कम हो जाने तो कुछ नीची विनिमय दर पर स्टर्लिंग सन्तुलनों की पर्याप्त पूर्ति हो सके। यह स्थिति चित्र 16.2 में स्पष्ट दर्शायी गई है।



चित्र 16.2 : स्वर्ण निर्यात व स्वर्ण आयात बिन्दु

चित्र 16.2 में प्रारम्भिक साम्य बिन्दु L है। L बिन्दु पर स्टर्लिंग की माँग व पूर्ति 1 मि० पीण्ड है तथा साम्य विनिमय दर 4.866\$ है। प्रथम मान लीजिए कि माँग में वृद्धि होने से माँग-वक्र D_1 D_1 ही जाता है तो विनिमय दर में वृद्धि होगी लेकिन यह ठीक 'स्वर्ण निर्यात बिन्दु' तक नहीं पहुँचेगी। ज्यों ही डाक्टर/स्टर्लिंग दर में वृद्धि होगी बैंक अपने सन्तुलन सन्तुलनों का एक हिस्सा स्टर्लिंग ड्रायटय के केनाओं को प्रस्तुत करेंगे। चित्र 16.2 में स्टर्लिंग की यह प्रतिरिक्त पूर्ति SS वक्र के डाल में प्रतिबिम्बित होती है। मये साम्य बिन्दु M पर सामान्य स्रोतों की पूर्ति में 1 लाख

पौण्ड लन्दन सन्तुलनो की अतिरिक्त पूति जुड जाती है अत स्वर्ण प्रवाहा की आवश्यकता नहीं रहती है ।

अब मान लीजिए कि माँग वक्र की प्रारम्भिक विवर्ति अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण नया माँग-वक्र D_2 D_1 हो जाता है तो विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु तक पहुँच जाती है लेकिन यह इससे ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि 4 890 \$ की विनिमय दर पर घातुमान के व्यापारी स्वर्ण निर्यात करने को तत्पर रहेंगे । 4 890\$ की विनिमय दर पर स्टर्लिंग की अतिरिक्त माँग में से लगभग 1 लाख 80 हजार पौण्ड की पूति तो न्यूयार्क बैंक अपने लन्दन सन्तुलनो में से करेंगे जो कि पूति वक्र के LN हिस्से द्वारा दर्शाया गया है तथा शेष पूति स्वर्ण निर्यातो द्वारा की जायेगी । चित्र 16 2 में स्वर्ण निर्यात रेखा पर दर्शाये गये NQ अन्तराल के बराबर स्वर्ण के निर्यात होंगे । अत स्पष्ट है कि विनिमय दर स्वर्ण निर्यात बिन्दु से ऊपर नहीं जा सकती ।

इसी प्रकार अमेरिका के निर्यातो में अप्रत्याशित वृद्धि के परिणामस्वरूप विनिमय दर गिरकर 'स्वर्ण आयात' बिन्दु की ओर चवन करेगी लेकिन यह 'स्वर्ण आयात' बिन्दु से नीचे नहीं जा सकती है ।

उपयुक्त विश्लेषण में हमने स्वर्णमान के अन्तर्गत विनिमय दर निर्धारण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है लेकिन यदि सम्बद्ध राष्ट्रों में अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा चवन में हो तो उनकी मुद्राओं के मध्य विनिमय दर दोनों राष्ट्रों की मुद्राओं की क्रय-शक्ति द्वारा निर्धारित होती है । इस प्रक्रिया का अध्ययन हम 'क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त' शीर्षक के अन्तर्गत करेंगे ।

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त

(Purchasing-Power-Parity Theory)

क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त का उद्गम

(Origins of the Purchasing-Power-Parity Theory)

क्रय शक्ति-समता शब्दावली का उद्गम कैसल (Cassel) के सन् 1918 के लेख² में हुआ था । लेकिन कैसल ने इससे पूर्व सन् 1916 में क्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त को

2 Cassel, Gustav—Abnormal Deviations in International Exchange—Economic Journal (Dec 1918) Pp 413 15

लागत समता

{Cost Parity}

PPP सिद्धान्त के आलोचकों व मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कीमत समता की तुलना में लागत समता की उत्कृष्टता के पक्ष में प्रस्तुत तर्क इस प्रकार हैं :-

- (1) विनिमय दरों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यापार में शामिल वस्तुओं की कीमतों की तुलना में उत्पादन लागतों में समायोजन की सम्भावना कम होती है।
- (2) लागतों में उच्चावचनकारी (Volatile) लाभ-तत्त्व शामिल नहीं होता है अतः ये कीमतों की तुलना में निरपेक्ष समता के लिए दीर्घकालीन कीमतों का अधिक उपयुक्त प्रतिनिधित्व कर सकती हैं तथा मुद्रा स्फीति व अवस्फीति के कारण सापेक्ष समता के लिए अस्थायी की बजाय स्थायी कीमत परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करती हैं।

सर्वप्रथम सन् 1933 में स्वेन ब्रिसमैन⁶ (Sven Brismann) ने लागत समता का प्रतिपादन किया था। ब्रिसमैन ने 'कीमत समताओं' को इस आधार पर अस्वीकार किया कि ये विश्व बाजार में राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता (अर्थात् प्रतिस्पर्धा में टिकने की योग्यता) को नहीं मापती है। ब्रिसमैन ने इसके स्थान पर राष्ट्र तथा विदेशों की 'प्रभावी उत्पादन लागत' (effective Cost of Production) की सहायता से निरपेक्ष लागत समता को प्रस्तावित किया। ब्रिसमैन के दिमाग में 'इकाई कारक लागत' (Unit Factor Cost) की अवधारणा थी क्योंकि उन्होंने प्रभावी लागत के तत्वों के रूप में मजदूरी, व्याज, लगान (जिसे अति न्यून होने के कारण नजर अन्दाज किया जा सकता है) तथा उत्पादन के परिवर्तनों को शामिल किया है। ब्रिसमैन ने ध्यान दिलाया कि उनकी समता की अवधारणा को सामान्यतया परिमाणान्तरक बोध में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि अर्थों के अभाव में इकाई कारक लागत' (Unit Factor Cost) की सांख्यिकी गणना नहीं की जा सकती है।

प्रो हेन्सन⁷ (Hansen) ने भी सन् 1944 में निरपेक्ष लागत समता को प्रस्तावित किया लेकिन उनकी अवधारणा ब्रिसमैन की तुलना में कुछ अस्पष्ट सी ही थी।

6 Brismann, S.—Op cit

7 Hansen A H—A Brief Note on "Fundamental Disequilibrium"—Rev of Econ Stat (Nov 1944) pp 182-84

प्रो हन्सन ने इसे "लागत संरचना समता" (Cost structure Parity) का नाम दिया तथा इसके लागत तत्वों के माप का विवेचन नहीं किया। इसके प्रतिरिक्त ब्रिस्मेन की भांति हन्सन ने 'कीमत-समता' प्रवधारणा को पूर्णरूप से प्रस्वीकार नहीं किया अपितु उन्होंने मात्र यह इंगित किया कि PPP सिद्धान्त के कथन की 'लागत संरचना समता' अधिकमानयुक्त (Preferred) विधि है। प्रो हन्सन के अनुसार 'लागत संरचना समता' एक ऐसी सही विनिमय दर प्रदान करती है जो कि उत्पादन कारकों को केवल उन निर्यात उद्योगों को प्रदत्त (assign) करेगी जिनमें राष्ट्र को तुलनात्मक लाभ है।

प्रो हाउथाकर (Houthakkar) ने ऐसे लागत-समता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जो कि कीमत समता का रूप ले लेता है। प्रो हाउथाकर UFC पर आधारित निरपेक्ष समता सिद्धान्त से प्रारम्भ करते हैं जो उनके अनुसार इकाई श्रम लागत (Unit labour Cost) के समान होंगी क्योंकि श्रम ही उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। हाउथाकर ने भी अपने सिद्धान्त का अधीचर्य प्रतिस्पर्धात्मकता (Competitiveness) के रूप में प्रदान किया। प्रो हाउथाकर ने इंगित किया कि दीर्घकालीन पूँजी के चलते एव एकपक्षीय हस्तांतरणों के कारण दीर्घकालीन साम्य विनिमय दर इकाई कारक लागत (UFC) से भिन्न हो सकती है। पूँजी के विद्युत् प्रवाहों (net outflows) के कारण राष्ट्र के निर्यातों की अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता आवश्यक होगी पर्याप्त राष्ट्र की मुद्रा का विनिमय मूल्य समता की तुलना में नीचा बना रहेगा। हाउथाकर ने इंगित किया कि इस सुधार की उस सीमा तक आवश्यकता नहीं होगी जिस सीमा तक पूँजी के प्रवाह स्वयं प्रचलित विनिमय दर के UFC समता से विचलन के कारण हुए हैं।

प्रो आफिसर^० (Officer) ने हाउथाकर के सिद्धान्त का निम्न प्रकार से निर्वचन किया है। श्रम के प्रवाहों के अन्तर्गत अन्य उत्पादन कारकों एव मजदूरी के प्रवाहों के अन्तर्गत अन्य श्रम लागतों का पृथक्करण (Abstracting) कर देने पर, इकाई कारक लागत समता (A राष्ट्र की मुद्रा की एक इकाई के बदले B राष्ट्र की मुद्रा की विनिमय होने वाली इकाईयों की संख्या) को अप्रतिबन्धित रूप में व्यक्त किया जा सकता है —

8 Houthakker, H S —Exchange Rate Adjustment—in Factors Affecting the U S Balance of Payments—(Washington 1962) pp 287 304

9, Officer, L H —Purchasing Power—Parity and Factor—Price—Equalization—Kyklos (Vol 27, Fasc 1974 pp 863 78

$$\frac{W^B}{W^A} = \frac{PR^A}{PR^B}$$

यहाँ $W^1 = {}^1$ राष्ट्र में मजदूरी की दर, तथा $PR^1 = {}^1$ राष्ट्र में उत्पादकता, है।

क्रय-शक्ति-समता की आलोचनाएँ

(Criticisms of the Purchasing-Power-Parity)

कीमत समता (Price Parity)

सूचकांको से सम्बन्धित समस्याएँ (Index Number Problems) — PPP की गणना में कुछ समस्याएँ सांख्यिकी प्रकृति की हैं जिनका सम्बन्ध प्रमुलतया समता की गणना करने की विधि से है। पीगू¹⁰ (Pigou) ने इस प्रोर ध्यान दिलाया है कि वास्तविक कीमत सूचक की गणना अर्थव्यवस्था में उपलब्ध समस्त वस्तुओं के निदर्शन (Sample) की कीमतों के आधार पर की जाती है। अतः कोई भी गणित (Computed) कीमत समता वास्तविक सैद्धान्तिक समता का केवल मात्र अपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकती है।

एक अन्य दुविधा यह है कि यदि सूचकांको के निर्माण हेतु समस्त वस्तुओं की कीमतेँ भी लेली जाये तो भी समता का मूल्य इस बात पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार का कीमत स्तर (अथवा कीमत सूचकांक) उपयोग में लिया गया है। 'जेमा' वि. प्रो. वानेक¹¹ (Vanek) ने ध्यान दिलाया है इन दुविधा का अपवाद तभी सम्भव है जब (1) दो हुई वस्तु की एक राष्ट्र में कीमत से इसकी दूसरे राष्ट्र में कीमत का अनुपात सभी वस्तुओं के लिए एक समान हो, तथा (2) प्रत्येक राष्ट्र की कीमत माप की गणना करने हेतु एक जैसी (Identical) भार संरचना का उपयोग किया जाये। यदि कीमत माप में केवल व्यापार में शामिल वस्तुओं की कीमतेँ शामिल की जाये तथा इन वस्तुओं का लागत विहीन अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरपणन (arbitrage) होता हो (व्यापार प्रतिबन्ध व परिवहन लागतेँ शून्य हो तथा अन्तरपणन प्रक्रिया में अपूर्णताएँ न हों) तो राष्ट्रों के कीमत स्तरों (अथवा कीमत सूचकांको) की मिस्र भारत प्रणालियाँ

10 Pigou, A C —The Foreign Exchanges—Quarterly Journal of Economics, Nov 1922, pp 52-74

11 Vanek, J —International Trade: Theory and Economic Policy (Homewood Illinois, 1962), p 84

सामान्यतया भिन्न समताएँ प्रदान करेंगी जिनमे से कोई भी समता उस 'वास्तविक समता' (अर्थात् चालू विनिमय दर) के बराबर नहीं होगी जो समस्त वस्तुओं की कीमतों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समान कर देती है। अर्थात् ऊपर दी गयी शर्तों में से शर्त (1) तो पूरी हो जाती है लेकिन शर्त (2) पूरी नहीं होती है।

केन्ज¹² (Keynes) ने सर्व प्रथम इंगित किया कि केवल व्यापार में शामिल वस्तुओं की कीमतों से सगणित क्रय-शक्ति-समता स्वयं सिद्ध सत्य (truism) है अतः थोक मूल्य सूचकांक PPP की सगणना का कमजोर आधार है। केन्ज ने इसका कारण यह बतलाया कि इस प्रकार के सूचकांक व्यापार में शामिल वस्तुओं के भार से अत्यधिक भारित होते हैं अतः इन सूचकांकों से सगणित सापेक्ष कीमत समताएँ वास्तविक विनिमय दर के बरोबर होंगी। इसलिए सिद्धान्त का मिथ्या सत्यापन (Spurious Verification) हो जाता है।

निरपेक्ष समता

(Absolute Parity)

निरपेक्ष क्रय-शक्ति-समता की आलोचनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है —

- (1) वे आलोचनाएँ जो यह सूझाती हैं कि अल्पकालीन साम्य विनिमय पर की PPP के समीप पहुँचने की यथार्थता (accuracy) कम है।
- (2) वे आलोचना जो PPP सिद्धान्त के आधारभूत आधारवाक्य (basic premise) को नकारते हैं अर्थात् इस तथ्य को अस्वीकार करते हैं कि एक स्वतन्त्र लचीली विनिमय दर की PPP की ओर चलन करने की प्रवृत्ति होती है।

प्रमुख एक परिवहन लागतों के अस्तित्व से अल्पकालीन साम्य विनिमय दर व PPP के मध्य विचलन उत्पन्न हो सकता है तथा इस विचलन की मात्रा का इन अपूर्णताओं की कठोरता (Severity) से सीधा सम्बन्ध होता है।

दूसरी आलोचना यह है कि PPP सिद्धान्त विनिमय दर निर्धारण में केवल कीमतों की भूमिका पर जोर देता है जबकि आय के परिवर्तन भी सम्बन्धित हैं। इस सन्दर्भ में प्रो० यीगर¹³ (Yeager) ने इंगित किया है कि आय शक्तियों के कारण

12 Keynes, J M.—A Treatise on Money, Vol I (London, 1930) pp 72-74

13 Yeager, L B—"A Rehabilitation of PPP"—(J P E., Dec 1958), pp 516-30

PPP से विचलन कीमत-निर्धारित व्यापार प्रवाहों को जनित करेंगे जिससे ये विचलन घटेंगे। इससे प्राये यीगर ने ध्यान दिलाया कि व्यापार चक्र की अवधि के कीमतों के चलनों में प्राय के चलनों के अनुरूप होने की प्रवृत्ति होती है। प्रो० आफिसर¹⁴ (Officer) ने इस सन्दर्भ में इंगित किया है कि PPP दीर्घकालीन साम्य विनिमय दर का प्रतिनिधित्व करती है अतः इसमें चक्रीय परिवर्तनों के कारण प्रतिश्रिया नहीं होनी चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि प्राय घटकों की उपेक्षा को इस सिद्धान्त को आधारभूत कमी नहीं माना जा सकता।

PPP सिद्धान्त की एक आधारभूत कमी यह है कि इसमें भुगतान सतुलन के गैर-चाहू (non current) मदों को और ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन जैसा कि पूर्व में कैसल क सिद्धान्त की सीमाओं में इंगित किया जा चुका है कैसल ने स्वयं ने अल्पकालीन साम्य विनिमय दर के निर्धारक तत्वों में अल्पकालीन सट्टे व दीर्घकालीन पूँजी के चलनों की भूमिका को स्वीकार किया है। वास्तविकता तो यह है कि दीर्घकालीन पूँजी प्रवाहों का PPP पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सम्बद्ध प्रवाह अधिक मात्रा में है अथवा कम में एवं ये प्रवाह निरन्तर बने रहने वाले हैं अथवा नहीं।

एक भिन्न प्रकार की आलोचना यह है कि PPP सिद्धान्त में कीमत स्तरों को तो कारणात्मक चर (Causal Variable) तथा विनिमय दर को निर्धारित चर माना गया है जबकि विनिमय दरों के परिवर्तन भी कीमत स्तरों में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। इस सम्बन्ध में प्रो० यीगर^{15,16} (Yeager) का विचार है कि विनिमय दरों व कीमतों की पारस्परिक कारणात्मकता (mutual Causation) PPP सिद्धान्त से मेल खाती है क्योंकि सामान्य परिस्थितियों (ये परिस्थितियाँ जिम्मेदाराना मौद्रिक नीति के कारण विद्यमान रहती हैं) में कारणात्मकता की श्रृंखला (line of Causation) कीमत स्तरों से विनिमय दर को और ही अधिक बलवती होती है। प्रो० आफिसर¹⁷ (Officer) ने

14 Officer, L.H.—The PPP Theory of Exchange Rates • A Review Article—(IMF Staff Papers, Mar 1976), pp 16-17.

15 Yeager, L.B.—Op cit pp 520-22.

16 Yeager, L.B.—International Monetary Relations • Theory, History and Policy (New York, 1966) pp 181-84

17. Officer, L.H.—op cit (1976), p. 17.

सापेक्ष समता को अन्य आलोचनाएँ इस तथ्य के दृढ़-गिरे केन्द्रित हैं कि आघार-वर्ष के बाद के वर्ष में आर्थिक परिस्थितियाँ परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, परिवहन लागतों का स्तर व व्यापार प्रतिबन्धों की कठोरता में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाहों, एक पक्षीय हस्तांतरणों व विनियोग धाय आदि की निर्धारक परिस्थितियाँ आघार वर्ष से भिन्न हो सकती हैं।

अर्थव्यवस्था में सरचनात्मक परिवर्तन एक एकीकृतता उत्पन्न कर सकत है जो कि चानू वर्ष की निरपेक्ष समता से भिन्न हो एव इस प्रकार दीर्घकालीन साम्य विनियम दर से भिन्न हो।

उपयुक्त विवेचन का सापेक्ष त्रय-शक्ति-समता के लिए आशय यह है कि आघार वर्ष चानू वर्ष से जितना हो सके उतना करीब होना चाहिए ताकि सरचनात्मक परिवर्तनों की सम्भावना न्यूनतम हो सके।

लागत समता

(Cost Parity)

लागत समता की आलोचनाओं को दो समूहों में बाँटा जा सकता है :—(1) वे आलोचनाएँ जो कीमत समता के मापेक्ष के रूप में लागत समता की कमियाँ इंगित करती हैं, तथा (2) वे जो इकाई कारक लागत (UFC) समता पर ध्यान केन्द्रित करती हैं। प्रो० हेबरलर^{19, 20} (Haberler) लागत समता के प्रथम आलोचक हैं। प्रो० हेबरलर के अनुसार लागत समता में कीमत समता वाली समस्त समस्याएँ उपस्थित हैं तथा इसके अतिरिक्त इसमें अस्पष्टता व सदिग्धता के अवगुण भी हैं क्योंकि 'लागत स्तर' अथवा 'उत्पादन लागतों का स्तर' कीमता के एक कुलक (set) का कीमत स्तर है जिसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। प्रो० हेबरलर आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि 'लागत समता' को 'मजदूरी समता' द्वारा प्रतिस्थापित कर देना हल इसलिए नहीं है कि ऐसा करने के उपरान्त भी उत्पादन व अन्य कारकों की भूमिका को शामिल करना आवश्यक होगा।

19 Haberler G V—Some Comments on Prof Hansen's Note—Rev. of Econ Stat (Nov 1944), p 192

20 Haberler G V—The choice of Exchange Rates After the War—A E Rev (June, 1945) p 312, foot note 4

इसके प्रतिरिक्त हम यह समते हैं कि अर्थ-व्यवस्था के लागत स्तर अथवा सूचकांक का प्रतिनिधित्व करने हेतु फर्मस (Firms) का चुनाव करना पड़ेगा। केवल भिन्न उद्योगों की फर्मस की लागतें ही भिन्न नहीं होती हैं अपितु एक ही उद्योग में विभिन्न फर्मस की लागतों में भी अन्तर पाये जाते हैं। इसके अलावा फर्म की उत्पादन लागत उत्पादन के स्तर के साथ परिवर्तित होती है अतः एक ऐसा उत्पादन स्तर भी निर्धारित करना पड़ेगा जिस पर हमें लागतों की गणना करनी है।

अन्त में, हमें आकड़ों की प्राप्ति (availability) से सम्बन्धित समस्या की गम्भीरता भी ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि उत्पादन कीमतों के उपलब्ध आकड़ों की तुलना में कारण कीमतों व उत्पादकता से सम्बन्ध सूचना बहुत कम उपलब्ध है।

क्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त की अवशिष्ट अनुप्रयुक्तता (Residual Applicability of Purchasing-Power-Parity)

PPP सिद्धान्त के अधिकांश आलोचक इस सिद्धान्त की आलोचनाओं के आधार पर इसे पूर्णतया अस्वाकार नहीं करते हैं वे PPP सिद्धान्त की 'अवशिष्ट अनुप्रयुक्तता' को स्वीकार करते हुए इन आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धान्त की अनुप्रयुक्ति की विस्तार सीमा इंगित करते हैं।

प्रो० हेबरलर²¹ (Haberler) ने तीन ऐसी स्थितियाँ इंगित की हैं जिनमें PPP सिद्धान्त की अनुप्रयुक्ति सम्भव है —

- (1) सामान्य परिस्थितियाँ (Normal Circumstances) — सामान्य परिस्थितियों में PPP सिद्धान्त सन्निकट रूप (Approximate Fashion) में इस दृष्टिकोण से लागू होता है कि हमें शायद ही ऐसी स्थिति देखने को मिले जिसमें वास्तविक विनिमय दर क्रय-शक्ति-समता से 15-20 प्रतिशत से अधिक भिन्न हो।
- (2) कीमतों में भारी परिवर्तनों की स्थिति में (When general Price movements dominate changes in relative Prices) — जब सामान्य

21 Haberler, G V — A Survey of International Trade Theory—Special Papers in International Economics No. 1, (International Finance Section Princeton University, Rev ed 1951), pp 50-51

कीमत चलन सापेक्ष कीमतों के परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका भटा करते हैं तो सापेक्ष PPP उपयोगी अवधारणा है। प्रो० हेबरलर के अनुसार "यदि अन्य प्रमाणों के साथ सतर्कता पूर्वक उपयोग किया जाय तो PPP गणनाओं का महत्वपूर्ण नैदानिक मूल्य (diagnostic Value) है विशेषकर भारी मुद्रा स्फीति की अवधि में।"²²

- (3) व्यापार सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाने की स्थिति में (When trade relations between countries have been interrupted) — उस स्थिति में जब राष्ट्रों के मध्य व्यापार सम्बन्ध विच्छिन्न हो चुके हों (उदाहरणार्थ, युद्ध के कारण) अथवा राष्ट्रों के मध्य व्यापार वस्तु-विनिमय अथवा सरकार से सरकार के आधार पर होने लगा हो तो PPP एक ऐसी साम्य विनिमय दर इंगित करेगी जो कि सामान्य व्यापार सम्बन्ध होने पर लागू की जानी चाहिए।

प्रो० मेज़लर (Metzler) लिखते हैं कि "मेरे विचार में समता सिद्धान्त की आलोचनाएँ अत्यधिक आगे बढ़ चुकी थी तथा इन सिद्धान्त को उन परिस्थितियों के लिए भी अस्वीकार कर दिया गया जिनमें यह मान्य था।"²³

एल्लसवर्थ (Ellsworth) के अनुसार इस सिद्धान्त की आलोचनाओं के बावजूद, क्रय-शक्ति-समता को विस्तृत स्तर पर साम्य विनिमय दर की गणना के आधार के रूप में प्रयोग लिया जा रहा है ————— क्योंकि केवल क्रय-शक्ति-समता के लिए ही आँकड़े उपलब्ध हैं जिन्हें कि ठोस विनिमय दर की गणना की जा सकती है ————— अतः इसकी कमियों के बावजूद, क्रय-शक्ति-समता में अप्रतिरोध्य (irresistible) आकर्षण है।²⁴ एल्लसवर्थ मेज़लर से महमती व्यक्त करते हुए स्वीकार करते हैं कि भारी कीमत परिवर्तनों में PPP सिद्धान्त लागू होता है।

निष्कर्ष

(Conclusion)

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कैमल का सिद्धान्त एक सिद्धान्त की

22 Haberler, G V — op cit., (1861), p 50.

23 Metzler, L A — The Theory of International Trade — (in Metzler's collected Papers, op cit p 16 foot note 31,

24 Ellsworth P T — The International Economy (New Yorks 1950), p, 600,

प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को स्वर्ण अथवा डालर के रूप में अपनी मुद्रा की समता स्थापित करनी पड़ती थी तथा इस समता के दोनों घोर । प्रतिशत की सीमाओं के अन्तर्गत विनिमय दर बनाये रखनी आवश्यक थी । इसके अतिरिक्त राष्ट्रों को एक दूसरे का मुनाबला करने हेतु नहीं अपितु औचित्य साबित करने पर ही अवमूल्यन की अनुमति दी जाती थी ।

'पेग्ड' विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत यदि आयात आधिक्य के कारण राष्ट्र विशेष के भुगतान सतुलन में घाटा उत्पन्न हो जाता था तो राष्ट्र अपनी आरक्षित निधि में से कोष निकालकर, विदेशों से उधार लेकर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेकर अथवा इन तीनों स्रोतों का उपयोग करके घाटे की वित्त व्यवस्था करता था । आयातों की इस प्रारम्भिक वृद्धि से व्यापार सतुलन में घाटे वाले राष्ट्र की आय में, विदेशी व्यापार गुणक के माध्यम से, वृद्धि होती थी अतः प्रारम्भिक आयात आधिक्य का एक अणु दुरुस्त हो जाता था । यदि इस प्रकार के प्रारम्भिक घाटे से राष्ट्र को स्वर्ण की हानि बहन करनी पड़ती थी एवं मौद्रिक अधिकारी स्वर्ण के अपवाह द्वारा मुद्रा की पूर्ति घटा देने थे तो इससे व्याज दर में होने वाली वृद्धि विनियोग व आय में और अधिक बन्नी कर देती थी । लेकिन आय व कीमत परिवर्तन पुनः सतुलन स्थापित करने हेतु सामान्यतया अपर्याप्त ही थे । भुगतान सतुलन का प्रारम्भिक घाटा अस्थायी होने की स्थिति में राष्ट्र विदेशों से उधार लेकर अथवा आरक्षित निधि में से, घाटे की वित्त-व्यवस्था कर लेता था, जबकि भुगतान सतुलन में निरंतर घाटा बने रहने की स्थिति में राष्ट्र को अन्ततः सकृपचन वाली मौद्रिक व राजकोपीय नीतियाँ अपनानी पड़ती थी, इससे विपरीत यदि राष्ट्र 'आधारभूत असाम्य' (Fundamental Disequilibrium) की स्थिति का सामना कर रहा होता तो ऐसे राष्ट्र को अपनी मुद्रा के अवमूल्यन की अनुमति प्रदान कर दी जाती थी ।

19 वीं शताब्दी की परिस्थितियों में तो 'पेग्ड' व्यवस्था स्थिर विनिमय दर प्रणाली सुचारु रूप से कार्यरत रही लेकिन हाल ही के दशकों में यह प्रणाली ठीक से कार्यरत रहने में असफल रही है । अतः यह कहना उचित ही प्रतीत होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की 'पेग्ड' विनिमय दर प्रणाली पूर्णतया सफल नहीं रही है ।

'पेग्ड' विनिमय दर प्रणाली की कमियाँ

(Shortcomings of the Pegged Exchange Rate System)

'पेग्ड' विनिमय दर प्रणाली की विभिन्न कमियों का अध्ययन अग्रलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है —

- 1 सम्भावित नीति द्वन्द्व (Possible Policy Conflicts) :—'पेग्ड' विनिमय दर प्रणाली की प्रमुख समस्या नीति द्वन्द्व थी। उदाहरणार्थ, यदि भुगतान सतुलन में घाटे वाला राष्ट्र बेरोजगारी की समस्या कम करने का प्रयत्न कर रहा हो तथा भुगतान सतुलन में अतिरिक्त वाला राष्ट्र मुद्रा स्फीति का सामना कर रहा हो तो घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनाई गई स्वाभाविक नीति भुगतान सतुलन के असाध्य में वृद्धि करेगी।
2. विनिमय दर को प्रबन्धित करने में कठिनाइयाँ (Difficulties in managing the exchange rate) —'पेग्ड' विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत विनिमय दर में समय-समय पर परिवर्तन किये जाते रहते हैं अतः इस प्रणाली को प्रबन्धित लचक (managed flexibility) वाली प्रणाली भी कहते हैं। लेकिन राष्ट्र के मूल्य को प्रबन्धित करने में कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं। एक समस्या तो यह तय करने की है कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन कब किया जाए ?

जब भुगतान सतुलन में प्रारम्भिक घाटा उत्पन्न होता है तो अधिकारोपण यह निश्चित नहीं कर पाते कि यह घाटा स्थायी प्रकृति का है अथवा अस्थायी प्रकृति का। चूंकि अधिकारोपण सामान्यतया अवमूल्यन करने से कतराने है अतः जहाँ तक सम्भव हो वे अवमूल्यन के कदम को आगे धिसकाते रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि 'पेग्ड' विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत विनिमय दर में विरले ही ब लम्बी अवधि के पश्चात् परिवर्तन करने की प्रवृत्ति पायी जाती है जिससे भुगतान सतुलन में घाटे की समस्या गम्भीर बनती जाती है।

यदि हम मान लें कि सरकार ठीक समय पर अवमूल्यन का कदम उठाने में धानाकानी नहीं करेगी तो भी अवमूल्यन का कदम उठाने से सम्बन्धित स्पष्ट मापदण्ड के अभाव में अवमूल्यन के निर्णय में विलम्ब असाध्य की स्थिति घोर गम्भीर बना देगा।

मान लीजिए कि राष्ट्र विशेष ने अवमूल्यन करने का निर्णय ले लिया है तो दूसरी समस्या अवमूल्यन की श्रेणी (degree) से सम्बन्धित है अर्थात् यह तय करने की समस्या बनी रहती है कि भुगतान सतुलन में पून साम्य स्थापित करने हेतु कितना अवमूल्यन किया जाए ? पेग्ड विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्र के लिए बार-बार अवमूल्यन करने की अनुमति लेना काफी दुष्कर कार्य था अतः सम्बद्ध राष्ट्र के लिए

आवश्यक से अधिक अवमूल्यन करने की प्रेरणा बनी रहती थी। इसके अतिरिक्त भुगतान सतुलन में घाटे वाले राष्ट्र में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान होने की स्थिति में राष्ट्र भुगतान सतुलन के घाटे को समाप्त करने हेतु आवश्यक से अधिक अवमूल्यन करके आय व रोजगार के स्तर को उद्दीप्त करने का प्रयास करता था। अतः स्पष्ट है कि 'वेग्ड' विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्र के लिए आवश्यक से अधिक अवमूल्यन करने के लिए अनेक प्रेरणाएँ बनी रहती थीं।

इसके अतिरिक्त राष्ट्र विज्ञेय में विनिमय दर में परिवर्तन जितने कम किये जाते थे तथा राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियाँ जितनी कम एकीकृत होती थी, अन्य बातें समान रहने पर, राष्ट्र को उतनी ही अधिक क्षारक्षित निधि की आवश्यकता होती थी।

3 अस्थायित्वकारक सम्भावित सट्टा (Possible destabilizing Speculation) — 'वेग्ड' विनिमय दर प्रणाली के आलोचकों का तर्क है कि इस प्रणाली को अपनाते से बड़े पैमाने पर अस्थायित्वकारक सट्टे की प्रवृत्ति पायी जायेगी। चूँकि 'वेग्ड' विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत विनिमय दर उन्नीची अवधि के बाद ही परिवर्तित की जा सकती है अतः अन्तरिम अवधि में विनिमय दर पर भारी दबाव बना रहता है। इस अवधि में कई बार सट्टारिये अपने कोष मजबूत मुद्राओं की क्षार हस्तांतरित कर देते हैं क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि कमजोर मुद्रा का अवमूल्यन अवश्यभावी है। ऐसी स्थिति में सट्टारियों की विनिमय दर में परिवर्तन की दिशा से सम्बन्धित कोई सन्देह नहीं रह जाता है अतः सट्टारियों के लिए खराब से खराब स्थिति बह हो सकती है जब राष्ट्र के अधिकारीगण अपनी आर्थिक कठिनाइयों से निपटने में मग्न हो जायें तथा विनिमय दर वर्तमान स्तर पर ही बनी रहे। ऐसी स्थिति में सट्टारियों को अपने कोष हस्तांतरित करने की मामूली लागत और मजबूत मुद्रा वाले राष्ट्र की व्याज दर नीची होने की स्थिति में कुछ व्याज की हानि बहन करनी पड़ सकती है। लेकिन यदि कमजोर मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है तो सट्टारियों की कमजोर मुद्रा वान राष्ट्र के मौद्रिक अधिकारियों का लागत पर लाभ अर्जन होगा।

अतः स्पष्ट है कि सट्टे की प्रवृत्ति के कारण अथवा टाला जा सकने वाला अवमूल्यन आवश्यक हो जायेगा, अधिक उग्र (drastic) अवमूल्यन करना पड़ेगा अथवा राष्ट्र को बाध्य होकर विनिमय नियंत्रणों का महारा लेना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त यह तर्क भी प्रस्तुत किया जाता है कि 'फ्लैक्सिबल' दरें स्थायी रूप से स्थिर दरें नहीं होती हैं अतः इस प्रणाली को अपनाने से स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाने से सम्भव दीर्घकालीन विनियोग के रास्ते में भी बाधाएँ उपस्थित होंगी। इसके अलावा 'फ्लैक्सिबल' दरों में समय-समय पर किये जाने वाले विशाल समायोजन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करेंगे विशेषकर इसलिये कि सम्बद्ध राष्ट्र अर्थमूल्यन को टालने के प्रयासों की प्रक्रिया में विनिमय नियंत्रणों का सहारा लेंगे।

अन्य स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की 'फ्लैक्सिबल' विनिमय दर प्रणाली में अनेक कमियाँ थीं। प्रो० मिल्टन फ्रिडमैन (Milton Friedman) ने इस प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे स्थिर तथा लचीली विनिमय दर प्रणालियों के दोषों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रणाली की सजा दी है, उनके अनुसार, 'यह न तो निर्बाध विश्व व्यापार की वास्तव में स्थिर व स्थायी विनिमय दर द्वारा प्रदत्त प्रत्याशाओं का स्थायित्व (Stability of Expectations) तथा बाह्य परिस्थितियों के अनुरूप आन्तरिक नीमन संरचना को समायोजित करने की तत्परता व योग्यता प्रदान करती है और न ही लचीली विनिमय दर की निरंतर संवेदिता (Continuous Sensitivity) प्रदान करती है।'²⁵

लचीली विनिमय दर प्रणाली

(The System of Flexible Exchange Rates)

लचीली विनिमय दर प्रणाली के अधिकार प्रारम्भिक समर्थन का आधार 'फ्लैक्सिबल' विनिमय दर प्रणाली की कमियाँ थीं। सन् 1953 में प्रकाशित प्रो० मिल्टन फ्रिडमैन के प्रसिद्ध लेख²⁶ में लचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाने के बहुत अधिक लाभ नहीं दर्शाये गये थे। प्रमुखतया लचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाने पर राष्ट्रों की विदेशी मौद्रिक अव्यवस्थाओं के प्रभावों से अलग-थलग रह सकने के लाभ एवं भिन्न मौद्रिक दरों वाले राष्ट्रों के मध्य पुनः मेल (reconciliation) का लाभ इंगित किया गया था। यह भी आशा की गयी थी कि लचीली विनिमय दरों को अपनाने से बाह्य समायोजन प्रक्रिया की प्रणाली बिना विनिमय शक्तों के अथवा व्यापार व पूँजी के प्रवाहों पर

25 Friedman, M.—The Case for Flexible Exchange Rates—In his Essays in Positive Economics (University of Chicago Press, 1953), p. 164.

26. Friedman, M.—op cit (1953), Ibid

नियंत्रणों की आवश्यकता के सफाट रूप में (Smoothly) क्रियान्वित होती रहेगी। लेकिन लचीली विनिमय दरों के पक्षधरों ने साठ के दर्शक में इस प्रणाली से काफी आशाएँ लगायी थी। इनका विश्वास था कि रोजगार व मुद्रा स्फूर्ति में दीर्घकालीन विनिमय (trade off) होता है अतः लचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाते से राष्ट्र अपनी स्वयं की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसूचित कीमत-रोजगार उद्देश्य अपना सकेगा। यह भी आशा कि गयी कि लचीली दरें अपनाने से स्थायी विकास सम्भव हो सकेगा क्योंकि इनको अपनाते से राष्ट्र बाह्य मौद्रिक व वास्तविक धक्के (Shocks) से प्रत्यक्ष प्रभावित हो पायेगा।

लचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाने से लाभ

(Advantages Claimed for Flexible Exchange Rates)

लचीली विनिमय दर प्रणाली के लाभों का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :—

- (1) सरलता (Simplicity) :—लचीली विनिमय दर प्रणाली के समर्थक इस प्रणाली का एक लाभ यह बताते हैं कि यह प्रणाली सरल है। चूंकि स्वतंत्र बाजार में विनिमय दर के परिवर्तन माँग व पूर्ति को समान कर देते हैं अतएव बाजार में कमी व आधिक्य की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अतः लचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाते से सम्बद्ध राष्ट्रों को भुगतान संतुलन में साम्य पुनः स्थापित करने हेतु कीमतों व आय में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्पष्ट ही है कि मुद्रा विनिमय की माँग व पूर्ति को प्रभावित करने वाले चरों में से विनिमय दर को परिवर्तित करना सर्वाधिक आसान है तथा यह बाजार शक्तियों के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया करती है।

लेकिन लचीली विनिमय दर प्रणाली के आलोचकों का मत है कि यह प्रणाली सरल तभी है जब यह कार्यरत हो पाये। लचीली विनिमय दर प्रणाली सुचारु रूप से कार्यरत नहीं रह पायी है अतः इस प्रणाली को सरल नहीं कहा जा सकता है।

- (2) निरन्तर समायोजन (Continuous Adjustment) :—पूर्ति स्वतंत्र विनिमय दर प्रणाली संवेदन (Sensitive) होती है अतः विनिमय दर में निरन्तर समायोजन होते रहने से दीर्घकाल तक बन रहने वाले अमान्य के प्रतिकूल प्रभावों को टाला जा सकता है।

यदि भुगतान सतुलन में असाध्य लम्बी अवधि तक बना रहता है तो साधनों का अनुचित उपयोग होता है तथा अन्ततः सुधारक उपाय अपनाते पर भटकना लगता है। असाध्य सही करने में यदि और अधिक समय लगता है तो सुधारक उपाय अधिक उग्र अपनाने पड़ते हैं एवं उन्हें लागू करना और अधिक मुश्किल हो जाता है। इसके विपरीत शून्य-शून्य लागू किये गए उपायों से अचानक भटकी व उग्र समायोजना को टाला जा सकता है। यद्यपि लचीली विनिमय दरें समायोजनों की आवश्यकता समाप्त नहीं कर पाती है लेकिन इस प्रणाली का अपनाकर विनिमय दर में आवश्यक परिवर्तन शून्य-शून्य किये जा सकते हैं।

(3) लचीली दरें व स्थायी विकास (Flexible rates and Stable Growth) — लचीली दरों के पक्ष में एक प्रमुख तर्क यह है कि इनको अपनाने से अधिक स्थायी विकास सम्भव हो सकेगा। यह तक तीन तकवाक्यों (propositions) पर आधारित है — (1) लचीली दरें राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं के स्तर का विदेशी विस्तार व संकुचन के प्रभावों से घलग-घलग कर देनी हैं (2) लचीली दरें अधिकारीगणों (authorities) की मुद्रा पूति पर नियंत्रण को थोड़ी म वृद्धि करती है एवं बिना बाह्य सतुलन की सीमाओं (constraints) के उन्हे मोद्रिक व राजकोषीय नीतियों के उपयोग द्वारा अधिक क्रियाओं के स्तर को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करती हैं। (3) लचीली दरों को अपनाने से मोद्रिक नीति की सक्षमता (efficacy) में काफी वृद्धि होती है अर्थात् लचीली दर प्रणाली के अन्तर्गत मुद्रा की पूति में निश्चित परिवर्तन का आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है।

लचीली विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत विदेशी आर्थिक क्रियाओं में परिवर्तनों से राष्ट्र के घलग-घलग रहने का निष्कर्ष दो मान्यताओं पर आधारित है —

(1) वास्तविक बाह्य बाधा से विनिमय दर परिवर्तित होगी, तथा (2) विनिमय दर में परिवर्तन बाह्य बाधा को घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने से रोकेगा। उदाहरणार्थ, विदेशी माँग में कमी के परिणामस्वरूप व्यापार सतुलन में घाटा जनित करने के बजाय विनिमय दर का मूल्य ह्रास (depreciation) जनित करेगा जिसका घरेलू अर्थव्यवस्था पर अवक्षोभिकारक (deflationary) प्रभाव होगा।

लेकिन ये दोनों मान्यताएँ सीमित सीमा तक ही मान्य प्रतीत होती हैं।

हाल ही तक यह माना जाता रहा है कि लचीली विनिमय दर प्रणाली व अन्तर्गत अधिकारीगण मुद्रा पूर्ति (अथवा अधिक परिशुद्ध रूप में) मौद्रिक आधार का नियंत्रित कर सकेंगे तथा मौद्रिक नीति का निर्माण करत समय मौद्रिक अधिकारी यदि विनिमय दर की स्थिति की परवाह न करें तो यह मानना सही भी है। लेकिन हाल ही के वर्षों में यह स्पष्ट हो चुका है कि इस तरह की अनुग्रहपूर्ण लापरवाही (benign neglect) को नीति अवनान से विनिमय दर में अस्थायित्व (instability) उत्पन्न हो सकता है।

प्रो० सोहमेन ²⁷(Sohmen) व अनुसार लचीली दरों का शायद सबसे बड़ा लाभ यह है कि इन्हें अवनान से मौद्रिक नीति की सक्षमता (efficacy) में बाधा वृद्धि हो जाती है। उदाहरणार्थ यदि एक राष्ट्र मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने का प्रयत्न कर रहा है तो वह सामान्यतया व्याज दर में वृद्धि करेगा। व्याज दर की वृद्धि स व्यय घटगा लेकिन इस ऊँचा व्याज बनाने के उद्देश्य से अल्पकारीत पूँजी का अन्तर्वाह (inflow) बढ़गा पूँजी के अन्तर्वाह से विनिमय दर गिरेगी जिससे आयातों में वृद्धि होगी तथा निर्यात घटेंगे। आयातों की इस वृद्धि से कीमतें अथवा आय अथवा इन दोनों में कमी होगी। इस प्रकार व्यापार सतुलन का परिवर्तन ऊँची व्याजदर के विमुद्ध धरेलु प्रभाव को प्रबल बनायेगा तथा मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में योगदान देगा।

इसके विपरीत 'सख्त' विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत धरेलु व्याज दर की वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से आयात अनिरेक सृजित करके धरेलु कीमत व आय में कमी नहीं करगी। इस प्रणाली के अन्तर्गत ऊँची व्याजदर का व्यापार सतुलन पर इतना ही प्रभाव पड़ेगा जितनी इससे कीमतें अथवा आय अथवा इन दोनों में कमी होगी।

दूसरी ओर यदि कोई राष्ट्र धरेलु रोजगार के स्तर में वृद्धि करना चाहता है तो वह व्याज दर घटायेगा। लचीली विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत व्याज दर में कमी से पूँजी का अथवाह (outflow) होगा जिससे विनिमय दर बढ़ेगी तथा आयातों के सापेक्ष के रूप में निर्यातों में वृद्धि होगी। व्यापार सतुलन का यह अनुकूल परिवर्तन नीची व्याजदर के धरेलु व्यय पर विस्तारक (expansionary) प्रभावों को प्रबल करेगा।

अत स्पष्ट है कि लचीली दरें मौद्रिक नीति के विमुद्ध धरेलु प्रभावों का ओर

27 Sohmen E.—Flexible Exchange Rates Theory and Controversy (Chicago University of Chicago Press, 1961) pp 83-93

अधिक प्रबल बनाने हेतु विदेशी धाने को प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होने के लिए प्रोत्साहित करती है एक इस प्रकार मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावी बना देती है।

- (4) आरक्षित निधि की आवश्यकता में कमी (Reduces the need for reserves) —तचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाने का एक अन्य लाभ यह है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत यदि सम्बद्ध राष्ट्रों की सरकारें विनिमय दरों को प्रभावित करने हेतु स्थिरीकरण कोषों (Stabilization Funds) का उपयोग नहीं करती है तो आधिकारिक (official) विदेशी विनिमय आरक्षित निधि की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। प्रो० सोहमेन²⁸ (Sohmen) ने इंगित किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की कमी विनिमय दरों को 'पिग' (Peg) करने का तथा मौद्रिक अधिकारियों द्वारा एक सीमा से अधिक उतार-चढ़ावों को रोकने हेतु हस्तक्षेप करने का परिणाम है।
- (5) मुद्रा स्फीति विभेद (Inflation Differential) —तचीली विनिमय दरों के पक्ष का तर्क मूलरूप से इस भाव्यता पर आधारित था कि भिन्न सरकारों की विभिन्न श्रेणियों तक अपनी मुद्राओं का अनुप्रवण करने की अवाञ्छनीय लेकिन अपरिहार्य (Unavoidable) प्रवृत्ति के कारण भिन्न राष्ट्र समान मुद्रा स्फीति की दर नहीं बनाये रख सकते हैं। अतः मुद्रा स्फीति की भिन्न दरों के समायोजन हेतु विनिमय दरों में समय-समय पर समायोजन आवश्यक है तथा यह समायोजन तचीली विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत आसानी से किया जा सकता है। यद्यपि इस समस्या का तचीली दरें प्रथम सर्वश्रेष्ठ हल नहीं मानी गयी थी लेकिन राजनैतिक वास्तविकताओं के कारण स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अकार्यकारी (Unworkable) हो जाने से इसे द्वितीय सर्वश्रेष्ठ (Second best) प्रणाली के रूप में उपयुक्त माना था।

तचीली विनिमय दर प्रणाली के विपक्ष में तर्क

(The Case Against Flexible Exchange Rates)

तचीली विनिमय दर प्रणाली के विपक्ष में मूलरूप से दो तर्क हैं: (1) विनिमय

28 Sohmen E — International Monetary Reforms and The Foreign Exchange— Princeton Univ Int Finance Section, Special Papers in Int Economics, No 4 (April, 1963), pp 71 72

दर परिवर्तनों द्वारा भुगतान समतुलन में समायोजन हेतु आवश्यक से नीची लोचें होना, तथा (2) लचीली दरों में अस्थायी (Unstable) होने की प्रवृत्ति। अतः इस प्रणाली से जनित्र अनिश्चितता से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व विनियोग का स्तर अनुकूलन में स नीचा गिर जायेगा।

- (1) नीची लोचें (Low elasticities) — यदि लोचें बहुत नीची हैं तो विनिमय बाजार अस्थायी (Unstable) होगा तथा कमजोर मुद्रा का मूल्य ह्रास भुगतान समतुलन में और अधिक घाटा उत्पन्न कर देगा। मूल्य ह्रास के परिणामस्वरूप राष्ट्र के व्यापार समतुलन में सुधार के लिये आवश्यक शर्त यह है कि राष्ट्र के आयातों की माँग लोच तथा इसके निर्यातों की विदेशी माँग लोच का निरपेक्ष योग इकाई से अधिक होना चाहिए। लचीली दरों के आलोचकों का तर्क है कि ये लोचें अत्यधिक नीची होती हैं अतः मूल्य ह्रास से व्यापार समतुलन में घाटे में वृद्धि होगी।

लोच निराशावादियों (elasticity pessimists) के अनुसार विनिमय बाजार अस्थिर (unstable) होता है अतः स्वतंत्र लचीली विनिमय दर प्रणाली अपनाते से विनिमय दर में प्रारम्भिक बाधा (disturbance) उग्र उल्कावचन (drastic fluctuations) जनित्र करेगी।

- (2) विनिमय दर अस्थायित्व (Exchange Rate Instability) लचीली दरों के विपक्ष में प्रदत्त द्वितीय तर्क के कई पहलू हैं अतः इसका मूल्यांकन करना अधिक कठिन प्रतीत होता है। लेकिन इस तर्क का केन्द्र बिन्दु यह है कि लचीली दरें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व पूँजी प्रवाहों के लिये हानिकारक अनिश्चितता उत्पन्न करती हैं। अनिश्चितता उत्पन्न होने का प्रमुख कारण शायद लचीली दरों का अस्थायी (unstable) दरों में परिवर्तन हो जाना है।

इस तर्क का एक पहलू यह है कि लचीली विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत विनिमय दर में परिवर्तनों के कारण विदेशी विनियोग में कटौती इसलिए होगी कि या तो ऋणदाता अथवा ऋणी दीर्घकालीन सीढ़े करने से इनकार कर देंगे। ऋणदाता अपने आधुनिक सुरक्षित करने हेतु स्वयं की मुद्रा में पुनर्भुगतान का उपाय कर सकता है लेकिन यह तो विनिमय दर के परिवर्तनों से उत्पन्न अप्रत्याशित जोखिमों को ऋणी पर डालना मात्र है। अतः 'पेन्ड' से लचीली विनिमय दर प्रणाली को घोर विवर्तन (shift) से जोखिम बढ जाने के कारण दीर्घकालीन विदेशी विनियोग में कमी होगी।

लेकिन इस मद्दम में प्रो० फ्रिडमन (Friedman) का कहना है कि, "— — — सच्चीली विनिमय दरों की वकालत अस्थिर (unstable) विनिमय दरों की वकालत के समान (equivalent) नहीं है। अन्तिम उद्देश्य एसा दिग्द है किममें विनिमय दरें परिवर्तनों के लिये स्वतंत्र होत हुए भी वास्तव में बहुत ही स्थायी (highly stable) होंगी।"²⁹

सच्चीनी दरा के पक्षधर सुझात है कि विनिमय दरें निहित आर्थिक शक्तों को प्रतिबिम्बित करेंगी जब तक ये शक्तें स्थायी रहगा, विनिमय दरें भी स्थायी रहगी।

लेकिन आर्टस (Artus) एव यंग³⁰ (Young) का विचार है कि लचीली दरों के छ वर्षों के अनुभव से यह मानित करने व त्रिये परांत तथ्य एकत्रित हो चुके हैं कि दिन प्रतिदिन, महीने प्रति महीने व वर्ष प्रति वर्ष की अवधि में ऊपर-नीचे चयन करने की सामान्य वृत्ति के बोध में लचीली दरों के अस्थायी (unstable) होने की प्रवृत्ति हानी है।

(2) अस्थायित्वकारक सट्टा (Speculation will be destabilizing) —स्थिर विनिमय दर प्रणाली के पक्षधरों का तर्क है कि लचीली विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत सट्टा अवशाहन अत्रिक अस्थायित्वकारक हाना है। अस्थायित्वकारक सट्टे के कारण विनिमय दर जब ऊँची जाने लगती है तो सट्टारिय इस आशा में मुद्रा क्रय करते हैं कि विनिमय दर और अधिक ऊँची जावेगी तथा जब विनिमय दर गिरने लगती है तो वे इस आशा से मुद्रा का विक्रय करने लगते हैं कि विनिमय दर और अधिक गिरेगी। इस प्रक्रिया में विनिमय दर के उच्चावचन व्यापार चक्रों से जनि उच्चावचना स अधिक होने लगते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मीशों में निहित अनिश्चतता व जोषिम बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि सट्टा स्थायित्वकारक हो तो सट्टारियों की क्रियाएं ऊपर वर्णित से ठीक विपरीत होंगी।


चित्र 16.3 में X रेखा सट्टे की अनुपस्थिति में व्यापार चक्रों द्वारा जनि उच्चावचन दर्शाती है तथा Y रेखा सट्टा अस्थायित्वकारक होने की स्थिति में, जबकि Z रेखा अस्थायित्वकारक सट्टे की स्थिति में अधिक उच्चावचनों का प्रतिनिधित्व करती है।

29 Friedman M —op cit p 158;

30 Artus, J R. and Young J H —Fixed and Flexible Exchange Rates A Renewal of the Debate—I M F. Staff Papers (Dec 1979) p 672.

चित्र 16.3 से स्पष्ट है कि अस्थायित्वकारक सट्टे की उपस्थिति से विनिमय दर के अधिक उच्चावचन अन्तर्राष्ट्रीय सौदो की जोखिम बढ़ा देंगे तथा व्यापार व विनियोग के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवाह को घटा देंगे। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के पक्षधरों का तर्क है कि स्थिर विनिमय दरों की तुलना में लचीली विनिमय दरों की स्थिति में अस्थायित्वकारक सट्टे की सम्भावनाएँ अधिक बनी रहती हैं।

लेकिन लचीली विनिमय दर प्रणाली के पक्षधरों का तर्क है कि लचीली विनिमय दर प्रणाली के अन्तर्गत अस्थायित्वकारक सट्टे की प्रवृत्ति की सम्भावना कम बनी रहती है क्योंकि विनिमय दर में सतत परिवर्तन होते रहते हैं। सामान्यतया मट्टा अस्थायित्वकारक तभी होगा जब विनिमय दर में एक साथ बड़ा परिवर्तन होने की सम्भावना हो।



चित्र 16.3 ; सट्टे की अनुपस्थिति में एवं अस्थायित्वकारक व अस्थायित्वकारक सट्टे की उपस्थिति में विनिमय दर में उच्चावचन

प्रो० फ्रिडमैन (Friedman) ने तर्क प्रस्तुत किया है कि कुल मिलाकर मट्टा अस्थायित्वकारक होता है क्योंकि यदि सट्टा अस्थायित्वकारक होगा तो सट्टोरियों को निरन्तर हानि बहान करनी पड़ेगी। उन्हीं के शब्दों में, "जो लोग यह तर्क देते हैं कि सट्टा सामान्यतया अस्थायित्वकारक होता है उन्हें यह अहसास नहीं होता कि यह इस बात को कहने के समान है कि सट्टोरिये घाटा बहान करते हैं क्योंकि सट्टा सामान्यतया अस्थायित्वकारक तभी हो सकता है जब सट्टोरिये मुद्रा को घीसतन उस समय बेचे

जब यह सस्ती हो तथा उम्र समय गरीबों जब यह महँगी हो।" 31 लेकिन अन्य अर्थ-शास्त्रियों ने फ्लेमिंग के निष्कर्ष को चुनौती दी है तथा प्रो० बार्मोल (Baumol) 32 ने यह दर्शाया है कि यदि व्यापार चक्र बहुत छोटा (too short) नहीं है तो मुद्रा लाभदायक होना ठीक भी अस्थायित्वकारक हो सकता है। इतना ही नहीं तीमा की महान मंदी के प्रारम्भ में मई 1929 में स्टॉक मार्केट के ध्वंस (crash) हो जाने की अवधि में यह तथ्य कि अस्थायित्वकारक सट्टे से मटोरियों का दिवाला पिट जाता है, मटोरियों को अस्थायित्वकारक व्यवहार करने से रोक नहीं पाया था।

(4) लचीली विनिमय दरों के स्फीतिकारक प्रभाव (Inflationary effects of Flexible Exchange rates) — वर्तमान समाज की शायद ही ऐसी कोई विशेषता हो रही है जिस मुद्रा स्फीति का कारण नहीं बताया गया हो, लचीली दरों की इसका अभाव नहीं रह पाया है। लेकिन वर्तमान मुद्रा स्फीति का मूल अधिकांश 'पेन्ट' विनिमय दर प्रणाली की अवधि रहा है अतः लचीली विनिमय दर प्रणाली को मुद्रा स्फीति के लिए मौलिक रूप में ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

लचीली दरों के स्फीतिकारक होने का तर्क निम्न प्रकार में स्पष्ट किया जा सकता है —

माना कि राष्ट्र के भुगतान संतुलन में घाटे के कारण मूल्य ह्रास (depreciation) हो जाता है तो मूल्य ह्रास से आयात महँगे हो जायेंगे तथा जीवन निर्वाह लागत में वृद्धि होगी एव अर्थिक संघ मजदूरी दरों में वृद्धि करवाने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा तभी होगा जब राष्ट्र अपने खाद्यान्नों व कच्ची सामग्री का बड़ा अंश आयात कर रहा हो तब आयात वस्तुओं का जीवन निर्वाह मूल्य में पर्याप्त भार हो। उंची मजदूरी में कामने और बढ़ेगी किमते निर्वाह घटेंगे व मूल्य ह्रास और अधिक होगा। मूल्य ह्रास, लागत जनित स्फीति, व्यापार संतुलन में घाटा व और अधिक मूल्य ह्रास का इस प्रकार का सर्पिल (spiral) प्रमुख भय है। इस तर्क के अनुसार यदि राष्ट्र में पूर्ण रोजगार है तो मजदूरी घटे मुद्रा स्फीति की आशा में मटोरियों को ही इस मुद्रा से हटाकर अन्य मजदूत मुद्राओं में लगा

31. Friedman, M.—op cit, p 175

32. Baumol, W.J.—Speculation, Profitability and Stability—Rev. of Econ & Stat (Aug., 1957)

देंगे। इस क्रिया से मुद्रा और कमजोर पड़ेगी, और तीव्र मुद्रा ह्रास व मुद्रा स्फीति होगी एवं इस तरह सट्टे का औचित्य टहराया जा सकेगा। . . .

प्रो० लुट्ज³³ (Lutz) का तर्क है कि अधिकांश प्रमुख व्यापारकर्ता राष्ट्रों के जोवन निर्वहण सूचकांकों में घरेलू वस्तुएँ व सेवाएँ प्रमुख होती हैं तथा इनमें आयातों का बड़ा अंश नहीं होता अतः मजदूरी बिन में आयातित वस्तुओं की उँची लागत को दुरुस्त करन हेतु मजदूरों में पर्याप्त वृद्धि मूल्य ह्रास को कभी भी पूर्ण रूप से निरस्त (nullify) नहीं कर पायेगी।

इसके अनिश्चित यह तर्क भी प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ (certain) घरेलू व बाह्य असंतुलों को सही करन हेतु विनियम दर पर अनुचित निर्भरता राष्ट्र को मूल्य ह्रास व मुद्रा स्फीति के दुष्प्रकार में धकेल सकती है। यदि वास्तविक मजदूरी दरें नीचे की ओर आतचीनी हैं तथा भाँग प्रबन्ध नीतियाँ ममायोजक हैं तो कीमत सूचकांक में आयातित वस्तुओं की उपस्थिति के कारण मुद्रा मूल्य ह्रास से कीमतों में वृद्धि हो सकती है तथा इसके परिणामस्वरूप मजदूरियों में और अधिक वृद्धि हो सकती है जिससे कीमतें बढ़ेंगी मूल्य ह्रास और अधिक होगा एवं पुनः कीमतें व मजदूरी बदन से मूल्य ह्रास होगा।

तबिन मूल्य ह्रास-मुद्रास्फीति दुष्प्रकार से सम्बन्धित विवाद अभी भी जारी है, अतः इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम निर्णय स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अन्त में हम कह सकते हैं कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा काय में विनियम दरों से सम्बन्धित विवाद में पुनः जान राजदी है तथा वर्तमान में यह विवाद जोर-शोर से जारी है।

33) Lutz, F —The Case for Flexible Exchange Rates—Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Rev (Dec. 1954), p 182

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सम्पन्नता को हानि पहुँचाने वाले कदम उठाए बिना अपनी भुगतान सतुलन की अस्थायी प्रतिकूलता को दूर करने का अवसर प्रदान करना ।

6. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसृत सदस्य राष्ट्रों के भुगतान सतुलन की प्रतिकूलता की अवधि तथा श्रेणी को कम करना ।

संक्षेप में हम यह सकते हैं कि कोष की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग में वृद्धि करने के लिए, व्यापार के विस्तार द्वारा आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए, विनिमय दर में स्थायित्व बनाए रखने के लिए, बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना में सहायता करने के लिए तथा विनिमय प्रतिबन्धों का परित्याग करने के लिए की गयी थी ।

कोष के अभ्यंश

(Quotas of the Fund)

कोष के पास एकत्रित भिन्न राष्ट्रों की मुद्राएँ अभ्यंश प्रणाली के अनुसार अभिदत्त (Subscribe) की गयी थी ।

सदस्य राष्ट्र के अभ्यंश के कई महत्वपूर्ण पहलु हैं - प्रथम, इससे यह निर्धारित होता है कि सदस्य राष्ट्र कोष में कितना अभिदान देगा । द्वितीय, अभ्यंश राष्ट्र के आहरण अधिकार (drawing rights) को परिभाषित करता है । तृतीय, यह राष्ट्र की मतदान शक्ति को निर्धारित करता है । चतुर्थ, यह विशेष आहरण अधिकारों (SDRs) के आवंटन में से राष्ट्र का हिस्सा निर्धारित करता है तथा पंचम, कोष के प्रबन्ध में सदस्य राष्ट्र के भाग लेने (Participation) में अभ्यंश प्रमुख निर्धारक घटक है ।

सदस्य राष्ट्रों के अभ्यंश निर्धारित करने का निश्चित आधार इस प्रकार था — 'सदस्य राष्ट्र को सन् 1940 में राष्ट्रीय आय का 2 प्रतिशत, 1 जुलाई 1943 को उसके कुल स्वर्ण एंव डालर कोष का 5 प्रतिशत, सन् 1934-38 के वाणिज्य निर्यात में अधिक उतार-चढ़ाव का 10 प्रतिशत, तथा सन् 1934-38 की अवधि के औसत आयात के 10 प्रतिशत के योग के बराबर । इस योग में उसी अनुपात में वृद्धि की गई जो सन् 1934-38 के औसत निर्यात का राष्ट्रीय आय में था ।'

2 Horsfield, J K —Fund Quotas What does it Really Mean—F & D.
No 3, 1970, p 7

1962 में यह निर्णय लिया गया कि 1959 से विद्यमान परिवर्तनशील मुद्राओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोप को अपने धर्म्यशो में अनुपूरकता की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप 'उधार के सामान्य प्रबंध' (General Arrangements to Borrow) का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत दस प्रमुख राष्ट्र कोप के उपयोग के लिए अपनी मुद्राओं की कुल 6 बिलियन डॉलर तक की राशि उधार देने के लिए तत्पर रहने को तैयार हुए थे।

द्वितीय योजना का उद्घाटन 1967 में एक कार्यान्वयन कुछ वर्षों बाद हुआ। इस योजना को 'विशेष प्राहरण अधिकार' (SDRs) योजना के नाम से जाना जाता है।

कोप के साधनों का उपयोग

(Uses of the IMF Resources)

कोई भी सदस्य राष्ट्र एक वर्ष की अवधि में अपने धर्म्यश के 25 प्रतिशत के बराबर ऋण ले सकता है। जब कोई देश कोप से ऋण लेता है तो उसे बदने में अपनी मुद्रा प्रदान करता है। कोप ने यह प्रतिबन्ध लगा रखा है कि किसी भी समय कोप के पास सदस्य देश की मुद्रा का उस देश के धर्म्यश के दुगुने से अधिक संग्रह नहीं होना चाहिये। चूंकि कोप के पास सदस्य देश के धर्म्यश के 75 प्रतिशत के बराबर उस देश की मुद्रा तो धर्म्यश अभिदत्त करते ही संग्रहीत हो जाती है अतः सदस्य देश कोप से अधिक से अधिक अपने धर्म्यश का 125 प्रतिशत ऋण ले सकता है। इस प्रकार यदि कोप ने सदस्य देश की मुद्रा का कुछ हिस्सा अन्य सदस्यों को नहीं बेचा है तो सदस्य के कोप से उधार लेने के अधिकार पांच वर्षों की अवधि में समाप्त हो जाते हैं।

लेकिन कोप में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के ये अधिकार स्वचालित नहीं हैं बल्कि सदस्य राष्ट्र इनका उपयोग निम्न शर्तों⁴ पर कर सकता है —

1. कोप के साधनों का उपयोग पूँजी के विभाजित अथवा निरन्तर अपवाह के लिए नहीं किया जाये।
2. अपनी मुद्रा के समाना मूल्य में अनाधिकृत परिवर्तन करन वाले दण को कोप अपने साधनों के उपयोग के लिए मना कर सकता है।

4 Scammell W M — International Monetary Policy Bretton Woods and After—
The Macmillan Press Ltd, 1975, p 111 12.

3. त्रिस मुद्रा की मदम्य देण की आवश्यकता है वह मुद्रा कोष द्वारा 'डुल्लेम' मुद्रा घोषित नहीं की गयी हो।
4. कोष इस बात से मन्तुष्ट होना चाहिये कि सदस्य देण द्वारा त्रिस मुद्रा के लिए प्रार्थना की गयी है वह वर्तमान में ऐसे भुगतानों के लिए आवश्यक है जो कि कोष के समझौतों (Fund Agreements) के अनुसूच हैं।
5. बिना कोष की अनुमति के किसी भी सदस्य को वायदा (Forward) विनिमय सौदों के लिए कोष से मुद्रा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
6. कोष किसी भी दण से विनिमय सौदा का प्राण धिसका सकता है। यदि सदस्य दण की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कोष के विचार में उन दण द्वारा माग्रनों का उपयोग कोष के समझौते के विरुद्ध किया जाएगा अथवा सदस्य या दण के लिए भेदभाव पूर्ण होगा तो कोष ऐसा कर सकता है।
उपरोक्त बातें बड़ी ही विस्तृत हैं तथा समासोजन की प्रत्यक्ष प्रार्थना पर कोष को अन्तिम निर्णायक की स्थिति प्रदान करती है।

सदस्य देणों को अग्रस्य की मात्रा से अधिक अपनी मुद्रा की कोष के पास जमाया को परिवर्तनशील मुद्राओं के पुन क्रय करने का प्रावधान भी है।

काय से क्रय किये गये विदेशी विनिमय पर सदस्य देण को 1/2 प्रतिशत का सेवाभार वहन करना पड़ता है। यदि सदस्य देण द्वारा विदेशी विनिमय के क्रय के परिणामस्वरूप कोष के पास उस देण की मुद्रा का अग्रस्य से अधिक मद्रह हा जाता है तो अग्रस्य से अधिक राशि पर कोष द्वारा अतिरिक्त भार (additional charges) लगाया जाता है। ये भार आरोही होते हैं तथा जब तक सदस्य देण के पास उसकी मौद्रिक आरक्षित निधि (monetary reserves) उनके अग्रस्य से आधी न रह जाये तब तक समस्त भागों का भुगतान स्वर्ण में करना पड़ता है। इन भारों की आराही (progressive) प्रकृति किसी भी सदस्य देण को कोष के आग्रना का लम्बे समय तक बड़ी मात्रा में उपयोग करने से निरन्नाहित करती है।

यदि विदेशी मुद्रा के क्रय पर किसी भी अवधि के लिए कोष की दी जाने वाली भार की दर 4 प्रतिशत हो जाती है तो सदस्य देण को कोष के पास अपनी मुद्रा की मात्रा के मद्रह को कम करने के लिए कोष से सलाह लेनी पड़ती है।

जहाँ तक अतिरिक्त तरलता की पूति का सम्बन्ध है नीति निर्धारकों द्वारा कोष की सम्पूर्ण कार्यविधि अस्थायी समासोजन की पूति के उद्देश्य में ही बनाई गयी है।

इसका कारण यह है कि कोप भुगतान सतुलन की समस्या को अस्थायी समस्या ही मानता है, यद्यपि यह मान्यता निश्चय ही सही नहीं है।

यदि कोप यह अनुभव करता है कि राष्ट्र विशेष की मुद्रा की अत्यधिक माँग है तो कोप सदस्यों को स्थिति की मूचना दे सकता है एवं दुर्लभ मुद्रा वाले राष्ट्रों की सलाह से मुद्रा की दुर्लभता को दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। कोप दुर्लभ मुद्रा वाले राष्ट्रों से ऋण की प्रार्थना कर सकता है। कोप सम्बन्धित राष्ट्र की सरकार की स्वोक्ति से ऋण प्राप्त कर सकता है लेकिन सदस्य राष्ट्र को ऋण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

दुर्लभ मुद्रा से सम्बन्धित धारा में असाम्य के लिए आतिरेक व धाटे वाले राष्ट्रों की सयुक्त जिम्मेदारी का सिद्धान्त निहित है। ज्यों ही कोप को यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सदस्य देश की मुद्रा की माँग इतनी है कि कोप द्वारा इसकी आवश्यक पूर्ति न कर सकने का भय है तो कोप उस मुद्रा को औपचारिक रूप से दुर्लभ मुद्रा घोषित कर देगा एवं उस मुद्रा की शेष पूर्ति का राशनिय कर देगा।

किसी भी राष्ट्र की मुद्रा की दुर्लभता की स्थिति से निपटने हेतु कोप दुर्लभ मुद्रा वाले राष्ट्र से स्वर्ण के बदले मुद्रा बेचने को कह सकता है तथा सभी सदस्य देशों का यह दायित्व है कि वे अपनी मुद्रा के बदले कोप से स्वर्ण का प्रय करें।

यदि कोप द्वारा राष्ट्र विशेष की मुद्रा को औपचारिक रूप से दुर्लभ घोषित कर दिया जाता है तो यह प्रत्येक राष्ट्र के लिए प्राधिकृत (Authorization) करने के समकक्ष होगा कि कोप से सलाह करने के बाद वह राष्ट्र अस्थायी रूप से दुर्लभ मुद्रा में सम्पन्न होने वाली विनिमय क्रियाओं की स्वतंत्रता पर सीमाएँ लगाये।

लेकिन दुर्लभ मुद्रा की स्थिति का कोप को आज तक कभी भी सामना नहीं करना पडा है।

कोप एवं समता मूल्य

(Fund and the Par values)

व्यावहारिक भाषण से कोप की विनिमय दर नीति के दो पहलू हैं जो कोप की धाराओं से व्यक्त किये गये हैं - प्रारम्भिक समतार्ये निश्चित करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय साम्य बनाये रखने हेतु समय-समय पर समताओं में परिवर्तन करना।

कोष की धारा XX के भाग 4 में सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनी मुद्राओं के प्रारम्भिक समता मूल्यों को कोष को पेश करने तथा कोष द्वारा समता मूल्य प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान था। धारा IV के भाग 5, 6, 7 व 8 में उस विधि को परिभाषित किया गया था जिसके द्वारा सदस्य राष्ट्र अपनी मुद्राओं के समता मूल्यों में परिवर्तन कर सकते थे।

युद्धोत्तरकालीन विश्व में प्रारम्भिक समताओं के ढाँचे को स्थापित करना कोष के ममता इमकी स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में एक दुष्कर कार्य था। उस समय प्रथम बार अनेक सदस्यों ने किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को विचार करने हेतु एव सम्भवतः मुधार करने हेतु अपनी विनियम दरें पेश की थीं। 12 नवम्बर 1945 को कोष के कार्यकारी निदेशकों (Executive Directors) ने प्रत्येक सदस्य से प्रार्थना की कि "अक्टूबर 28, 1945 (समझौते के लागू होने के पहले के 60 वें दिवस की तिथि) को विद्यमान विनियम दरों के आधार पर वे अपनी मुद्रा का समता मूल्य 30 दिनों के अन्दर सूचित करें।" 18 दिसम्बर 1946 को कोष ने उस ममता के अपने 39 सदस्यों में से 32 सदस्यों के समता मूल्यों का प्रमाणन (Certification) घोषित कर दिया तथा जेप मात सदस्य देशों ने अपनी मुद्राओं के समता मूल्यों को भविष्य में पेश करने हेतु प्राप्ति स्वीकृति दी। सभी राष्ट्रों के प्रारम्भिक समता मूल्य विद्यमान विनियम दरों पर आधारित एव सदस्यों द्वारा प्रस्तावित समता मूल्य ही थे। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपनी मुद्रा का समता मूल्य स्वर्ण अथवा डालर में घोषित करना था।

सदस्य राष्ट्रों के लिए यह आवश्यक था कि वे अपनी मुद्रा के समता मूल्य के दोनों ओर 1 प्रतिशत की सीमा में विनियम दर बनाये रखें। सदस्य देश को प्रतिकूल भुगतान अनुदान सही करने के उद्देश्य से अपने समता मूल्य में 10 प्रतिशत परिवर्तन करने की स्वतंत्रता थी एव कोष को इस परिवर्तन की सूचना भर देना पर्याप्त था। विनियम दर में इससे अधिक परिवर्तन करने के लिए कोष से पूर्वानुमति लेनी आवश्यक थी। समता मूल्यों में 20 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन करने के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती थी।

कोष सदस्य राष्ट्र का उनके भुगतान अनुदान में "आधारभूत असाम्य" (Fundamental Disequilibrium) को दूर करने के उद्देश्य से विनियम समता में परिवर्तन करने को मना नहीं करता है।

प्रो० एल्सवर्थ (Ellsworth) के अनुसार अग्रलिखित में से किसी भी स्थिति को आधारभूत असाम्य की स्थिति माना जाना उचित होगा : —

1. सदस्य राष्ट्र की लम्बे समय से अग्ररीष्ट्रीय आरक्षित निधिओं (Reserves) की हानि उठानी पड़ रही हो।
2. आरक्षित निधिओं की इस हानि को राष्ट्र विनियम नियंत्रणों के द्वारा टाल रहा हो।
3. राष्ट्र दीर्घकाल से अत्यधिक बेरोज़गारी की समस्या से ग्रस्त हो।

वर्तमान में घरेलू उत्पादन की ऊँची लागत आदि को भी आधारभूत साम्य ज्ञान करते समय ध्यान में रखा जाता है।

दिसम्बर 18, 1971 को स्मिथसोनियन सम्मेलन के तहत (यह सम्मेलन वाशिंगटन की स्मिथसोनियन संस्थान में हुआ था) सदस्य राष्ट्रों को अपनी मुद्रा के समता मूल्य के दोनो ओर 2 प्रतिशत की सीमा (कुल 4% प्रतिशत की विस्तार सीमा) के अन्दर विनियम दर बनाये रखने का प्रावधान पारित कर दिया गया था जो कि वर्तमान में लागू है।

इसके अतिरिक्त वर्तमान विनियम दर प्रणाली सक्कर (hybrid) है जिसके अन्तर्गत सदस्य राष्ट्रों को अपनी इच्छा की विनियम दर प्रणाली अपनाने की छूट है। वर्तमान में प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों ने स्वतंत्र विनियम दर प्रणाली अपना रखी है एवं साथ यूरोप के राष्ट्रों की मुद्राएँ संयुक्त रूप से तैर रही हैं। अन्य राष्ट्रों ने अपनी मुद्रा विनियम राष्ट्रों की मुद्रा अथवा SDR से अटक रखी है।

बहुपक्षीय व्यापार की पुनः स्थापना व विनियम प्रतिबन्धों की समाप्ति

(Re establishing Multilateral trade and ending restrictions)

सदस्य राष्ट्रों के मध्य चानू सौदों के लिए बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली की स्थापना व सदस्य राष्ट्रों द्वारा विभेदात्मक आयात नियंत्रण व प्रशुल्क एवं बहु-विनियम दर प्रणाली जैसे अत्यन्त नियंत्रणों को समाप्त करना कोष के प्रमुख वाक्य थे।

बहुपक्षीय व्यापार की स्थापना हेतु कोष डालर व पाउंड के परिवर्तनशील मुद्राओं के रूप में विद्यमान हानि पर निर्भर रहा एवं सन् 1950 में बैंक ऑफ इंग्लैंड व प्रशासनिक बंदम द्वारा स्टर्लिंग के बहुपक्षीय उपयोग का विस्तार इस दिशा में एक

हुई एव इसी के माथ द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रथम बार बहुपक्षीय व्यापार का रास्ता खुला ।

सन् 1960 तक की अवधि में भुगतानों पर प्रतिबन्ध हटाने की दिशा में धीमी प्रगति में चार घटकों का योगदान प्रतीत होता है.—प्रथम, भुगतान प्रतिबन्ध प्रायः कोष की अवज्ञा (defiance) से एव भुगतान संतुलन को बचाय अन्य कारणों से लगाये गये अवज्ञा बनाये रखे गये । द्वितीय, कोष ने भुगतान प्रतिबन्धों में प्रतिपक्षी छूटों की व्यवस्था करने का प्रयत्न नहीं किया । इस प्रकार वे राष्ट्र जिन्होंने अपने बाह्य खातों के संरक्षण के लिए प्रतिबन्ध लगाये थे वे इन्हे हटाने से उस समय तक भयभीत रहे जब तक कि उनके प्रतिस्पर्धियों द्वारा भी इसी प्रकार के कदम नहीं उठाये जाते हैं । तृतीय, कोष व गेट (GATI) के मध्य विद्यमान वाय विभाजन का अभिप्राय यह था कि भुगतानों के क्षेत्र में प्रतिबन्धों की छूटों के बदले व्यापार पर लागू प्रतिबन्धों की छूटों के समझौते करना सम्भव नहीं था तथा चतुर्थ युद्धोत्तर काल में बहुपक्षीय व्यापार की पुनः स्थापना के लाभों को पूर्णरूप से नहीं समझा गया तथा बहुत से राष्ट्र ऊपरी तौर पर नियंत्रण हटाने की दिशा में प्रयत्नों की प्रशंसा करते रहे परन्तु वास्तव में उन्होंने नियंत्रणों का बनाये रखना ही पसन्द किया ।

युद्धोत्तर काल के वर्षों के अनुभव से एक शिक्षा यह मिलती है कि नियंत्रण अन्य नियंत्रणों को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि जब तक आयातों पर प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लगे हों तथा राष्ट्र भुगतान संतुलन के कारणों से आयातों को टाल रहा हो तब तक अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रणाली कार्यरत नहीं रह सकती । भुगतान संतुलन में घाटे वाले राष्ट्र की मुद्रा के अवमूल्यन से भुगतान संतुलन सुधरे इसके लिए यह आवश्यक है कि उस राष्ट्र के निर्यातों की ऊँची माँग लोच हो लेकिन ऐसा तभी सम्भव है जब नियंत्रण विद्यमान न हों ताकि कीमत परिवर्तन के परिणामस्वरूप माँग में पर्याप्त प्रतिक्रिया हो सके । इस प्रकार नियंत्रण इसलिए विद्यमान रहते हैं कि असाम्य को दूर करने का अन्य रास्ता नजर नहीं आता है एव असाम्य दूर करने का एक मात्र तरीका नियंत्रणों के कारण अग्रभावी हो जाना है । यदि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुपक्षीय व्यापार एव स्वतंत्र मुद्राओं का उपयोग करना है तो इस दुपित गतिरोधक (Vicious Spiral) को तोड़ने का उपाय खोजना आवश्यक है ।

यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि 1958 के अन्तिम दिनों में स्टॉक व अन्य दम मुद्राओं वाले राष्ट्रों द्वारा चातुर्य भुगतानों पर से प्रतिबन्ध हटाये जाने से, गैर-आवासीय परिवर्तनशीलता स्थापित हुई थी । कुछ वर्षों के बाद सन् 1961 में इन्हीं

राष्ट्रों ने घोषणा की कि वे कोष के समझौते की धारा VIII के भाग 2, 3 व 4 के कोष सदस्यों के मध्य परिवर्तनशीलता के प्रावधान के पूर्ण दायित्व को स्वीकार करने को तैयार हैं। ये नियम सम्बन्धित राष्ट्रों पर निम्न प्रतिबन्ध लगाने हैं (प्र) चातु भुगतानों पर प्रतिबन्ध टालना (ब) विभेदात्मक क्रियाएँ टालना एवं (घ) विदेशों में संप्रदोष धन की मुद्रा की परिवर्तनशीलता बनाये रखना। ज्ञात रहे कि धारा VIII के प्रावधानों को स्वीकार करते ही राष्ट्र स्वतः ही धारा XIV के अन्तर्गत सांक्रान्तिक अवधि में विविध नियमों के उपयोग के विवेकाधिकार से वंचित हो गये।

मन् 1961 के मध्य तक 20 राष्ट्रों को धारा VIII की द्वैविध्य की शुरुआत में सम्मिलित किया जा चुका था। 1965 तक 27 व 1972 तक 42 राष्ट्र इस श्रेणी में सम्मिलित हो चुके थे। शेष राष्ट्रों में अधिकांश प्रतिबन्ध भुगतान अनुदान के कारणों से नहीं बनाये गये थे एवं जहाँ नहीं भी थे वहाँ उन राष्ट्रों के भुगतान अनुदान ऐसे थे कि प्रतिबन्धों को शोष ही समझा जाने की हुर सम्भावना थी।

साठ के दशक में व्यापार में हुई अग्रगण्य वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि व्यापार पर प्रतिबन्ध काफी कम हो चुके थे। उत्तरचाय कोष ने अपने विविध नियमों के कार्य की नई अवस्था में प्रवेश कर दो कार्य हाथ में लेने आवश्यक पाये :—विदेशों की पूर्ण समाप्ति के लिए (विशेषकर बड़े राष्ट्रों द्वारा) कार्य चालू करना तथा कोष के अन्य सदस्यों को धारा VIII के दायित्वों के दायरे में लाना।

आने के वर्षों में दूर्य व घटाने दोनों ही प्रकार के आघातों पर प्रतिबन्धों में लगातार कमी होती रही तथा मन् 1963 तक युद्धोत्तर काल की अवधि में व्यापार व भुगतानों पर प्रतिबन्ध न्यूनतम हो चुके थे। कुछ राष्ट्रों ने तो पूर्ण चननों को स्वतंत्र कर कोष के नियमों के तहत आवश्यक से भी अधिक नियमों में गूट दे दी थी लेकिन कुछ विकासशील राष्ट्रों में अब भी प्रतिबन्ध बने हुए थे।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पचास के दशक के अन्त में व साठ के दशक के प्रारम्भ में कोष को स्वयंसेवक बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली स्थापित करने में निश्चय ही गजबाना मिसी थी। विशेषकर उताह देने की प्रक्रिया ने कोष की क्रियाओं में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। लेकिन मन् 1965 से सामान्य मौद्रिक स्थिति बिगड़ने के कारण कोष की सक्रियता की प्रय उत्पन्न हुआ। जर्मीनी-श्वीटन युद्ध प्रणाली घुमिनी होती गई शॉ-स्यो बड़े व महत्वपूर्ण राष्ट्रों न बलिकबादियों की

नीतियों की ओर अग्रसर होना प्रारम्भ कर दिया। ऐसी प्रवृत्ति के प्रमुख उदाहरण नवम्बर 1964 से नवम्बर 1966 का ब्रिटेन द्वारा लगाया गया आयात अधिभार (surcharge), तत्पश्चात् की आयात-जमा योजना, तथा अगस्त 1971 में अमेरिका द्वारा लगाया गया 10 प्रतिशत उपकर एवं 60 के दशक के अन्तिम वर्षों में अमेरिका व अन्य राष्ट्रों द्वारा पूँजी चलनों पर प्रतिबन्धों में वृद्धि आदि हैं।

कोष एवं स्वर्ण

(Fund and the Gold)

कोष व स्वर्ण के तीन मूलभूत कार्य थे : प्रथम, चूँकि स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय निपटारों में काम आता था अतः कोष ने कुछ सौदे स्वर्ण में करने का भार सम्भाला था। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्यों का कोष से स्वर्ण के बदले मुद्रायें क्रय करने का अधिभार तथा कोष के पास सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं के अतिरिक्त मग्न को स्वर्ण अथवा कोष द्वारा निश्चित मुद्रा के बदले पुनः क्रय करने का दायित्व था। द्वितीय कोष ने ऐसी सेवाएँ देने का भार सम्भाला था जो कि स्वर्ण चलनों की लागत को बचत करें। उदाहरणार्थ, यह एक केन्द्र के स्वर्ण का दूसरे केन्द्र के स्वर्ण के बदले विनिमय का प्रबन्ध करके जहाज सेवा लागतों को बचत कर सक्ता था। तथा तृतीय, कोष ने सदस्य राष्ट्रों के स्वर्ण विक्रय पर यह निगरानी रखी कि स्वर्ण के समस्त विक्रय स्वयं राष्ट्रों की मुद्रा के समता मूल्य के अनुरूप ही हो।

कोष ने सदस्य राष्ट्रों के अग्र्यशो के रूप में 1334 मिलियन डालर के मूल्य का प्रारम्भिक स्वर्ण स्टॉक प्राप्त किया जिसे कोष ने भिन्न केन्द्रों के निक्षेपागारों (depositories) में पाम रखा था। 19 सदस्यों ने अपने अग्र्यश का स्वर्ण हिस्सा अग्र्यश के 25 प्रतिशत के आधार पर दिया तथा 11 सदस्यों ने 12 नितम्बर 1946 को स्वर्ण व अमेरिकी डालरों के अपने आधिकारिक मग्न के 10 प्रतिशत के आधार पर। वित्तीय सौदा के प्रारम्भ से लेकर 31 अगस्त 1960 तक कोष ने 63 मिलियन डालर स्वर्ण मूल्य के बदले मुद्राओं की पूर्ति की तथा आप के स्वर्ण स्टॉक में 450 मि. डालर के मूल्य की वृद्धि कोष के सदस्यों द्वारा अपनी मुद्रा स्वर्ण के बदले क्रय करने के कारण हुई। 31 जनवरी 1961 को कोष के पाम 3 132 5 मिलियन डालर मूल्य का स्वर्ण था।

स्वर्ण के बदले मुद्राओं के सौदों व प्रावधान मूल समझौते में दिये गये हैं। धारा V के भाग 7(a) के तहत सदस्य कोष से मुद्राओं के बदले स्वर्ण क्रय कर सकते हैं तथा

धारा VII के भाग 2(ii) के तहत सदस्य राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह स्वर्ण के बदले अपनी मुद्रा का कोष को विक्रय करे। अगस्त 1961 में ब्रिटेन द्वारा 1500 मि डालर के आहरण के साथ हा कोष में ब्रिटेन द्वारा आहरण की गयी अपनी नौ मुद्राओं के समूह की प्रत्येक के कु के आहरण के बराबर प्रतिपूर्ति करने के अपने अधिकार का उपयोग किया तथा इस उद्देश्य हेतु 500 मि डालर के मूल्य के स्वर्ण का उपयोग किया गया। 60 के दशक में कोष ने सीदो में मुद्राओं के बदले स्वर्ण विक्रय करना प्रमुख विशेषता रही है।

कोष द्वारा संचालित विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयोगी कुछ अन्य विशिष्ट साख सुविधाएँ

(Certain other specific credit facilities set up by the IMF which are specially beneficial to the UDCs)

कोष के सामान्य खाते व SDR खाते के अलावा कोष कई अन्य विशिष्ट साख सुविधाओं के माध्यम से भी सदस्य राष्ट्रों को साख उपलब्ध करवाता है। इन सुविधाओं में से प्रमुख निम्न हैं :—

(1) क्षतिपूर्ति वित्त सुविधा (Compensatory Financing Facility) प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातक राष्ट्रों के भुगतान सतुलन पर निर्यात अस्थायित्व (export instability) के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु कोष ने सन् 1963 में क्षतिपूर्ति वित्त सुविधा (CFF) के रूप में एक विशिष्ट सुविधा प्रारम्भ की थी।

सी.एफ.एफ. के मापदण्ड के अनुसार उधार की सामान्य आवश्यकता के अलावा इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु सदस्य राष्ट्र को यह दर्शाना होता है कि उसकी निर्यात आय में कमी हुई है तथा यह कमी अस्थायी है एवं सदस्य राष्ट्र के निर्यात से बाहर है तथा राष्ट्र भुगतान सतुलन को कठिनाइयों से निपटने में कोष का सहयोग करने को तत्पर है।

इस सुविधा के तहत प्राप्त साख की मात्रा निर्यात आय की अस्थायी गिरावट का मात्रा तथा कोष से पूर्व में प्राप्त साख को नकारा राशि द्वारा निर्धारित की जाती है।

इस सुविधा में निर्यात आय की गिरावट को गलना करने समय शामिल किये जाने वाले भुगतान सतुन के मरों से सम्बद्ध, निर्यात आय की गिरावट को गलना की विधि से सम्बद्ध तथा अभ्यश के सम्बन्ध में अधिकतम साख प्रदान करने से सम्बद्ध महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

सन् 1963 में प्रभावित राष्ट्र को उसके अभ्यश का 25 प्रतिशत तक इस सुविधा के तहत उधार दिया जाता था जिसे 19 5 में बढ़ाकर 50 प्रतिशत पर दिया गया था, लेकिन एक वर्ष की अवधि में अभ्यश का 25 प्रतिशत से अधिक उधार नहीं दिया जाता था। सन 1969 में प्रतिरोधक भण्डारण वित्त सुविधा (Buffer stock financing) चालू करने के साथ ही इन दोनों में से प्रत्येक सुविधा के तहत बकाया उधार पर अभ्यश के 50 प्रतिशत की तथा दोनों सुविधाओं में मिलाकर 75 प्रतिशत की सीमा लगा दी गई थी। सन् 1981 में मोटे अनाजों के आयातों (Cereal imports) को शामिल करने के पश्चात् मोटे अनाजों की आयात लागत के लिए 100 प्रतिशत की सीमा रखी गई तथा वर्ष भर की अवधि में उधार की सीमा समाप्त कर दी गई व सयुक्त सीमा अभ्यश का 125 प्रतिशत निर्धारित की गई थी।

सन् 1984 में अभ्यशों में सामान्य वृद्धि के साथ अधिकतम सीमा को निर्यातों में कमी के लिए अभ्यश के 100 से घटाकर 83 प्रतिशत, मोटे अनाजों के आधिक्य आयात पर भी 100 से घटाकर 83 प्रतिशत व सयुक्त सीमा अभ्यश के 105 प्रतिशत तक निर्धारित कर दी गई थी।

इस सुविधा का प्रारम्भिक वर्षों में साधारण सा (modest) उपयोग ही हुआ था लेकिन दिसम्बर 1975 में इस सुविधा में सुधार के बाद इसके उपयोग में तीव्र वृद्धि हुई। सन् 1976 से 85 की अवधि में इस सुविधा के तहत प्रदत्त वार्षिक उधार का औसत 1.31 बि० SDR था। सन् 1987-88 के वर्ष में इस सुविधा के तहत सदस्य राष्ट्रों ने कुल 1.54 बि SDR निर्यातों में कमी के कारण उधार के रूप में प्राप्त किया था इस सुविधा (निर्यातों व गिरावट व मोटे अनाजों के आधिक्य आयात के तहत प्रदत्त ऋणों की बकाया राशि 30 अप्रैल 1988 को 4 34 बि० SDR थी जब कि 30 अप्रैल 1987 को यह बकाया राशि 4 78 बि० SDR थी।

(2) प्रतिरोधक भण्डारण वित्त सुविधा (Buffer stock financing Facility) प्रतिरोधक भण्डारण सुविधा सन् 1979 में ऐसे राष्ट्रों के अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय

5 For details see Kaibni, N.—Evolution of the CFP—F and D, June 1986, pp 24-27

वस्तु ममभीतों के अन्तर्गत प्रतिरोधक भण्डारण के अशदान की वित्त व्यवस्था में सहायता हेतु प्रारम्भ की गई थी जिन राष्ट्रों को भुगतान सतुलन की स्थिति के कारण ऐसा अशदान प्रदान करने की आवश्यकता थी। इस सुविधा के तहत जरूरतमन्द राष्ट्रों का उनके अभ्यन्त का 50 प्रतिशत तक उधार दिया जाता है। सन् 1979 का अन्तर्राष्ट्रीय प्रावृत्तिक रूबड ममभीता कोष से समर्थन प्राप्त करने योग्य अन्तम ममभीता था। इस ममभीते की अवधि अक्टूबर 1887 में समाप्त हो चुकी थी। इस सुविधा के अन्तर्गत पिछले दो वित्त वर्षों में उधार प्राप्त नहीं की गई थी। 30 अप्रैल 1988 को घाइलैंड व कोटे डी आइवाइर ('Cote d' Ivoire) इन दो राष्ट्रों में कुल 3 मि० SDR इस सुविधा के तहत बकाया था जब कि अप्रैल 1987 के अन्त में यह बकाया राशि 34 मि० SDR थी।

(3) साथ निभाने की व्यवस्था (Stand-by Arrangements) साठ के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में प्रारम्भ की गई इस सुविधा के तहत सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भविष्य में उधार लेने हेतु अग्रिम अनुमति प्राप्त कर सकता है। इन ऋण की राशि आवश्यकनुसार ममभीते की अवधि में कभी भी प्राप्त की जा सकती है। एक बार साथ निभाने की व्यवस्था का ममभीता हो जाने पर सदस्य राष्ट्र को ममभीते की राशि पर केवल $\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर से वचनबद्धता शुल्क (Commitment Charge) अदा करना पड़ता है तथा बदले में वह निर्धारित ऋण की राशि की मात्रा आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उधार ले सकता है। इस सुविधा के तहत वास्तव में प्राप्त उधार की राशि पर राष्ट्र को $5\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक शुल्क अदा करना पड़ता है। इन सुविधा का उपयोग सदस्य राष्ट्र गर्म मुद्रा (hot money) के प्रत्यागित अस्थायित्व-कारक प्रवाहों के विरुद्ध प्रथम सुरक्षा पक्ति के रूप में करते हैं।

सन् 1987-98 की अवधि में 14 नये साथ निभाने की व्यवस्थाएँ की गई थी जिनकी कुल राशि 1.70 बि० SDR थी। जबकि सन् 1986-87 के वर्ष में ऐसी 22 व्यवस्थाएँ 4.12 बि० SDR की कुल राशि के लिए की गई थी। 1987-88 के नये ममभीतों में से अधिकांश अफ्रीकी व लेटिन अमेरिकी राष्ट्रों के साथ किये गये थे। सर्वाधिक वचन बद्धता की राशि की व्यवस्था अर्जेंटीना (0.95 बि० SDR) तथा मिश्र (0.25 बि० SDR) के साथ किये गये ममभीतों की थी।

(4) तेल सुविधा (Oil Facility) — यह सुविधा सन् 1975 में प्रारम्भ की गई थी। इस सुविधा हेतु कोष न BOP में अतिरेक वाले राष्ट्रों से BOP में घाटे वाले

राष्ट्रो को उधार देने हेतु ऋण लिये थे। लेकिन मई 1976 तक इस उधार राशि का पूरा उपयोग हो चुका था।

तेल सुविधा उन राष्ट्रों के लिए प्रारम्भ की गई थी जिनके भुगतान सतुलन में तेल की ऊँची कीमतों के कारण भारी घाटे उत्पन्न हो गए थे। इस सुविधा हेतु कोष ने 16 विकसित राष्ट्रों व स्विटजरलैण्ड से 1974-75 में कुल 6.9 SDR उधार लेने के समझौते किये थे। 11 मई सन् 1983 तक कोष इस सुविधा हेतु प्राप्त पूरे ऋण का पुनः भुगतान कर चुका था।

5 विस्तारित कोष सुविधा (Extended Fund Facility) — विस्तारित कोष सुविधा सन् 1974 में प्रारम्भ की गई थी। इस सुविधा के तहत सदस्य राष्ट्रों को अधिक लम्बी अवधि के लिए तथा अधिक मात्रा में मध्यमवर्ध (medium term) सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस सुविधा के तहत BOP में गम्भीर संरचनात्मक असंतुलन वाले राष्ट्र तीन वर्ष की अवधि में अपने अभाव का 140 प्रतिशत तक उधार ले सकते हैं।

भारतवर्ष को सन् 1981-82 में इसी सुविधा के तहत 5 बि० SDR का ऋण स्वीकार किया गया था।

6 पूरक वित्त सुविधा (Supplementary Financing Facility) — पूरक वित्त सुविधा के तहत साय निभान की व्यवस्था व विस्तारित व्यवस्था के अन्तर्गत कोष पूरक वित्त व्यवस्था प्रदान करता है।

इस सुविधा की वित्तव्यवस्था 14 ऋणदाता राष्ट्रों द्वारा सन् 1979 में कोष को कुल 7.8 बि० SDR उपलब्ध करवाने की सहमती द्वारा सम्भव हुई थी।

22 फरवरी 1982 के पश्चात् राष्ट्रों ने इस सुविधा की वित्त व्यवस्था हेतु ग्रीर अधिक कोष उपलब्ध करवाने का वचन नहीं दिया तथा 22 फरवरी, 1984 के बाद कोष ने इस सुविधा हेतु ग्रीर उधार नहीं लिया है।

इस सुविधा के तहत 30 अप्रैल 1983 तक कुल 6.1 बि० SDR की राशि विस्तारित की जा चुकी थी।

7 संरचनात्मक समायोजन सुविधा (structural Adjustment Facility) — संरचनात्मक समायोजन सुविधा (SAF) मार्च 1986 में कोष को सन् 1985 से 1991 की अवधि में ट्रेड फण्ड ऋणों के पुनः भुगतानों से प्राप्त सहायता स्थापित की गई थी। यह समायोजन 2.7 बि० SDR थे। इस सुविधा की स्थापना

कोष के सामान्य विभाग में विशिष्ट वितरण खाता (Special Disbursement Account) चालू करके की गई थी।

इस सुविधा का उद्देश्य ऐसे निम्न आय वाले विकासशील राष्ट्रों को रिफ़ायती दरों पर भुगतान सतुलन सहायता प्रदत्त करना है जो लम्बी अवधि से भुगतान सतुलन की समस्या से ग्रस्त हैं।

सरचनात्मक समायोजन सुविधा के तहत उपलब्ध कराये जाने वाले ऋणों पर वार्षिक ब्याज की दर ५ से 1 प्रतिशत ही है तथा इन ऋणों का पुनः भुगतान 5½ से 10 वर्षों की अवधि में छ माही किस्तों में करना पड़ता है।

इस सुविधा की निम्न आय की अर्हताएँ (qualifications) पूरे करने वाले कुल 62 सदस्य राष्ट्र पाये गये थे, दो विशाल अव्ययों वाले राष्ट्रों (भारत व चीन) ने यह मन्त्र दिया है कि वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठावेंगे।

इस सुविधा के अन्तर्गत राष्ट्र अपने अव्यय का 63.5 प्रतिशत तक तीन टुकड़ों (tranches) में तीन क्रमिक (successive) वर्षों के प्रारम्भ में प्राप्त कर सकता है। प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में क्रमशः राष्ट्र के अव्यय का 20 व 30 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

सरचनात्मक समायोजन सुविधा के तहत उन्हीं राष्ट्रों को ऋण उपलब्ध करवाया जाता है जो ऐसा विस्तृत नीति ढाँचा अपनायें जिसमें उस राष्ट्र के भुगतान सतुलन में सुधार हेतु अपनाई जाने वाली समष्टि नीति व सरचनात्मक नीति स्पष्ट रूप से निदिष्ट की गई हो। इस तरह के नीति ढाँचे के दस्तावेज तैयार करने में सदस्य राष्ट्र की सहायता में विश्व बैंक व मुद्रा कोष का घनिष्ठ आपसी सहयोग बना रहता है। दस्तावेजों का कोष के एग्जिक्युटिव बोर्ड तथा विश्व बैंक के एग्जिक्युटिव बोर्ड की समिति द्वारा मुद्रापना भी किया जाता है।

30 अप्रैल 1988 तक 25 सदस्य राष्ट्रों ने इस सुविधा के अन्तर्गत कुल 1.36 बि० SDR के त्रि-वर्षीय समभौत कर रहे थे जिसमें से 0.58 बि० डालर ऋण वितरित किया जा चुके थे जबकि 30 अप्रैल 1987 तक ऐसे 10 समभौत कुल 0.44 बि० SDR की वचनबद्धता हेतु हुए थे जिसमें से 0.14 बि० SDR का उपयोग किया जा चुका था। 1987-88 के वर्ष में 15 नवें समभौतों में से 13 समभौत अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ हुए थे।

संरचनात्मक समायोजन सुविधा के संचालन का कोष 31 मार्च 1989 तक मुद्रायोजना करेगा।

इस सुविधा की तीन नव-प्रवर्तकीय (Innovative) विशेषताएँ हैं :—

(1) इस सुविधा से लाभान्वित होने हेतु एक ऐसा त्रि-वर्षीय विस्तृत नीति ढाँचा तैयार करने की आवश्यकता होती है जिसमें अधिकांश पूर्व में चालू सुविधाओं की तुलना में सदस्य राष्ट्र के मुद्रा कार्यक्रम के संरचनात्मक नीति तत्वों का अधिक स्पष्ट समावेश होता है।

(2) नीति ढाँचे का मसौदा तैयार करने में कोष तथा विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य राष्ट्रों की सहायता करने की प्रक्रिया से इन दोनों संस्थाओं के मध्य औपचारिक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। ऋण की अग्निम व्यवस्था हेतु संयुक्त समझौता तथा विश्व बैंक के एग्जिक्यूटिव बोर्ड द्वारा मुद्रायोजना की क्रिया भी विश्व बैंक व मुद्राकोष के आपसी सहयोग का सूचक है।

(3) तृतीय, यह आशा की गई थी कि नीति ढाँचे के मसौदे तथा संरचनात्मक समायोजन सुविधा की प्रक्रिया अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में उत्प्रेरक (Catalytic) सिद्ध होंगे। इन अतिरिक्त संसाधनों में विश्व बैंक के संसाधन तथा अन्य द्वि-पक्षीय व बहु-पक्षीय स्त्रोतों से इस सुविधा के अभाव में उपलब्ध संसाधनों से अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होने की आशा की गई थी।

अतः इस सुविधा को विकासशील राष्ट्रों के तीव्र विकास में योगदान प्रदान करने वाली प्रमुख योजनाओं में से माना जाना चाहिए क्योंकि इस सुविधा के तहत अनुमोदित कार्यक्रमों में घरेलू विनियोग वृद्धि तथा सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त व निजी क्षेत्र की वृद्धि में वृद्धि पर विशेष बल दिया जाता है।

(8) बढ़ी हुई संरचनात्मक समायोजन सुविधा (Enhanced Structural adjustment Facility) .—बढ़ी हुई संरचनात्मक समायोजन सुविधा (ESAF) 18 दिसम्बर 1988 में प्रारम्भ की गई थी। इस सुविधा के उद्देश्य, प्रक्रिया (Procedures) तथा वित्तीय ऋत SAF सुविधा के समान्तर (Parallel) ही है। SAF के संसाधनों के अतिरिक्त ESAF का संसाधन आधार लगभग 6, बिलियन SDR होगा। ESAF के तहत कोष का उद्देश्य आधा प्रतिशत की रिफायता दर पर संसाधन उपलब्ध करवाना है।

यह सुनिश्चिता भी निम्न प्रायः वाले राष्ट्रों के अर्थिक विकास की दर में परिबृद्धि करते हेतु तथा उनकी भुगतान सुवृत्त की स्थिति मजबूत बनाने हेतु प्राप्त की गई है। 1988 से 1990 की अवधि में SAF तथा ESAF के तहत 8.2 बि. डॉलर (लगभग 11.4 बि. डॉलर) समाधान गरीब राष्ट्रों को उपलब्ध करवाये जायेंगे। ESAF के माध्यम में अतिरिक्त समाधान ऋणों के जाल में फसे निम्न प्रायः वाले राष्ट्रों को उपलब्ध कराये जायेंगे जिनके निर्यात एक या दो एसी वस्तुओं पर ही केन्द्रित है जिनकी निम्न कीमत बनी रहती है तथा जिन्हें समाधान प्रक्रिया में गहायता की आवश्यकता है।

लेकिन SAF तथा ESAF के लिए समाधानों के स्रोत भिन्न हैं। SAF के समाधान ट्रस्ट फण्ड से प्राप्त हुए थे जबकि ESAF के समाधान सदस्य राष्ट्रों से विशिष्ट ऋणों व अगदानों से प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में 62 सदस्य राष्ट्र ESAF की अर्हतायें पूरी करते हैं। ESAF के तहत अधिकतम गहायता राष्ट्र के अर्थिक के 250 प्रतिशत तक प्रदान की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में उचित अधिक सहायता का भी प्रावधान है। इसके विपरीत SAF में राष्ट्र के लाभान के 63.5 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है।

SAF की भांति ESAF के कार्यक्रम भी नीति दौंच के उभय मसौदे पर निर्भर करेंगे जिनमें अधिकारियों के मश्यावरधि आर्थिक उद्देश्यों व प्राथमिकताओं की रूप रेखा हो तथा जा विश्व बैंक व स मुद्रा कोष की संयुक्त सहायता से तैयार किया गया हो।

इन समस्त सुविधाओं से कुल मिलाकर एक राष्ट्र को उसके अर्थिक का 500 से 600 प्रतिशत तक उधार मिल सकता है।

(9) तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण (Technical assistance and Training) — मुद्रा कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों को प्रदत्त तकनीकी सहायता प्रारम्भ से ही कोष द्वारा प्रदत्त सेवाओं में प्रमुख रही है।

कोष किर्मा भी सदस्य देश के अनुरोध पर अपने अधिकारियों को एक मण्डल में एक वर्ष में भी अधिक अवधि के लिए उभय राष्ट्र में नियुक्त करता है। इसके अतिरिक्त सदस्य राष्ट्रों को कोष के विशेषज्ञों के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञों की सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मस्थान (IMF Institute) सदस्य राष्ट्रों के पदाधिकारियों के लिए आर्थिक विश्लेषण व नीति पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थापनरित (Specialised) प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम व गोष्ठियाँ आयोजित व अन्य स्थानों पर आयोजित करती है।

कोष के स्टाफ-शिफ्टमण्डलो तथा राजकीय विशेषज्ञों के पेनल के सदस्य द्वारा क्षेत्र-कार्यभार (field assignments) के माध्यम से तकनीकी सहायता दी जाती रही है। सन् 1987-88 में 50 सदस्य राष्ट्रों को इस तरह की सहायता प्रदान की गई थी। इनमें 19 लम्बी अवधि के तथा 55 छल्प अवधि के कार्यक्रम थे। इस कार्य में 44 पेनल-सदस्यों व 23 स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया था।

केन्द्रीय बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र से सम्बद्ध विषयों पर तकनीकी सहायता का कार्य कोष के केन्द्रीय बैंकिंग विभाग (Central Banking Department) द्वारा सम्पन्न किया जाता है। 1987-88 के वित्त वर्ष में 48 सदस्य राष्ट्रों व 4 क्षेत्रीय सगठनों के मौद्रिक अधिकारियों को 101 केन्द्रीय बैंक विशेषज्ञों ने वार्यवारी व सलाहकार स्तर की सेवाएँ प्रदान कर 69 मानव वर्षों की सहायता उपलब्ध कराई थी। इसी तरह से सांख्यिकी ब्यूरो (Bureau of statistics) भी सदस्य राष्ट्रों को सांख्यिकी के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 1987-88 वर्ष में सांख्यिकी ब्यूरो ने 50 राष्ट्रों व 2 क्षेत्रीय सगठनों के 63 तकनीकी सहायता शिफ्टमण्डलो में भाग लिया था।

जहाँ तक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रश्न है सन् 1964 में कोष संस्थान की स्थापना से 38 अप्रैल 1988 तक 151 सदस्य राष्ट्रों के लगभग 6 हजार पदाधिकारियों ने वाशिंगटन में संस्थान के पाठ्यक्रमों व गोष्ठियों में भाग लिया था। सन् 1987-88 में कोष संस्थान ने वाशिंगटन में 14 पाठ्यक्रम व 1 गोष्ठी का आयोजन किया था।

कोष के प्रकाशनों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व भुगतान से सम्बद्ध सांख्यिकी का निरन्तर प्रवाह होता रहता है। कोष के प्रमुख प्रकाशन निम्न हैं —

Monthly Bulletin of International Financial Statistics
 Direction of International Trade (Jointly with IBRD),
 The Balance of-Payments Yearbook,
 Staff Papers, IMF Survey, Finance and Development
 आदि इसके अतिरिक्त कोष कई तदर्थ प्रकाशन भी निकालता रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में हाल ही के परिवर्तन

(Recent Changes in the International Monetary System)

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु सन् 1972 को कोष की वार्षिक बैठक में एक दोस सदस्यीय समिति स्थापित की गई थी। इस समिति को 'दोस की समिति' (Committee of Twenty) के नाम से जाना जाता है।

अप्रैल 1976 में कोष ने लम्बे विचार विमर्श के पश्चात् अपनी धाराओं में नई परिस्थितियों के अनुरूप सशोधन स्वीकार कर लिए। नई मौद्रिक व्यवस्था कोष की कुल सदस्य सहा के 12 सदस्यों, जिनकी मतदान शक्ति कुल मतों का 1/3 हो, द्वारा अनुमोदित हो जाने पर लागू का जानी थी।

समझौते की धाराओं के सशोधन एग्जिक्यूटिव बोर्ड द्वारा 31 मार्च 1976 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को पेश किये गये तथा अप्रैल 1976 में अन्त में बहुमत से पारित कर दिये गये थे। लेकिन विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पूर्व ब्रेटनवुड्स व्यवस्था के ढह जाने के कारणों पर प्रकाश डालना अपेक्षित है।

ब्रेटनवुड्स व्यवस्था के ढह जाने के कारण (Causes for the Breakdown of the Bretton Woods System) — ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के ढह जाने का तात्कालिक कारण तो 1970 के दशक के अन्तिम वर्षों तथा 1971 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में अमेरिका के भूगतान सन्तुलन में भारी घाटों की स्थिति में अमेरिका द्वारा डालर के शीघ्र ही अवमूल्यन की प्रत्याशा (expectation) थी। इस प्रत्याशा के परिणामस्वरूप अमेरिका से तरल पूँजी की भारी उड़ान के कारण उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निकसन (Nixon) को 15 अगस्त सन् 1971 को अमेरिकी डालर की स्वर्ण में परिवर्तनीयता (convertibility) समाप्त करनी पड़ी तथा 10 प्रतिशत आयात अधिभार लगाया गया।

साथ ही दिसम्बर 1971 में 'स्मिथसोनियन समझौते' द्वारा स्वर्ण का मूल्य 35 डालर प्रति औंस से बढ़ाकर 38 डालर प्रति औंस करना डालर के 9 प्रतिशत अवमूल्यन के समकक्ष था। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति निकसन ने वादा किया था कि डालर का भविष्य में दुबारा अवमूल्यन नहीं किया जायेगा साथ ही 10 प्रतिशत आयात अधिभार भी समाप्त कर दिया था।

अन विश्व मौद्रिक व्यवस्था 'स्वर्णमान' के स्थान पर 'डालरमान' पर आधारित थी। साथ ही 'स्मिथसोनियन समझौते' में विनिमय दरों में 'समता मूल्य' के दोनो ओर 2 1/2 प्रतिशत की सीमा में विनिमय दर बनाये रखने की अनुमति दे दी गई थी।

लेकिन अमेरिका के Bop में पुनः भारी घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई अतः स्मिथसोनियन समझौते की असफलता के परिणामस्वरूप फरवरी 1973 में पुनः डालर का अवमूल्यन किया गया। इस बार डालर का 10 प्रतिशत अवमूल्यन करके

स्वर्ण का मूल्य 42.22 डालर प्रति औंस कर दिया गया था। लेकिन डालर स्वर्ण में अपरिवर्तनीय ही बना रहा।

मार्च 1972 में यूरोपीय साझा बाजार के छ मूल सदस्य राष्ट्रों ने अपनी मुद्राओं को डालर के प्रति संयुक्त रूप से तैराना (Joint float) चालू कर दिया। इस तरह से संयुक्त रूप से तैरती हुई मुद्राओं को 'यूरोपीय सर्प' (European Snake) का नाम दिया गया क्योंकि इन मुद्राओं की विनिमय दरों में संयुक्त रूप से 'सर्प' की भाँति चलन हुआ था।

तत्पश्चात् मार्च 1973 में डालर के विरुद्ध पुनः मृदे की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों ने अपनी मुद्राओं को स्वतंत्र रूप से तैरती हुई छोड़ दिया तथा छः अन्य केन्द्रीय व उत्तरी यूरोप के राष्ट्रों ने अपनी मुद्राओं को सर्वाधिक सबल व निबल मुद्रा के मध्य डालर से अधिकतम 2.25 प्रतिशत विस्तार से संयुक्त रूप से तैरते हुए छोड़ दिया। अतः वर्तमान 'प्रबंधित तैरती हुई' (Managed Floating) विनिमय दर प्रणाली का जन्म हुआ।

यद्यपि ब्रेटनवुड्स प्रणाली के ढहने का तैरनालिक कारण तो सन् 1970 व 72 में अमेरिका के Bop में भारी घाटा ही था लेकिन इसका मूलभूत कारण तो तरलता, समायोजन व भरोसे की परस्पर सम्बन्धित समस्याएँ थीं।

बिना व्यापार प्रतिबन्धों का सहारा लिये राष्ट्रों के Bop के अस्थायी घाटों की वित्त व्यवस्था हेतु अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की आवश्यकता होती है क्योंकि अन्ततः तो समायोजक प्रक्रिया इन घाटों को दुस्त कर देती है। तरलता की अपर्याप्तता से विश्व व्यापार का विस्तार अवरुद्ध हो जाता है जबकि अत्यधिक तरलता विश्वव्यापी मुद्रा स्फीति को जन्म देती है। लेकिन ट्रिफिन (Triffin) के अनुसार ब्रेटनवुड्स व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता से सम्बन्धित भारी दुविधा उत्पन्न हो गई थी क्योंकि इस व्यवस्था में अधिकांश तरलता की पूर्ति अमेरिका के Bop में घाटा उत्पन्न होने से ही हो सकती थी लेकिन ऐसे घाटों के निरन्तर बने रहने से डालर पर भरोसा उठता जा रहा था। इस दुविधा के परिणामस्वरूप ही अ. मु. कोष ने 1967 में 95 बि. SDR सृजित करने का निर्णय लिया था। लेकिन अमेरिका अपने Bop में निरन्तर बने रहने वाले घाटों के कारण डालर के प्रवृत्तियों को रोक पाने में असमर्थ रहा। ब्रेटनवुड्स व्यवस्था में राष्ट्रों के लिए नीति के रूप में उपभोग हेतु पर्याप्त समायोजन प्रक्रिया का अभाव था अतः अमेरिका के Bop में घाटे जारी रहे तथा डालर पर भरोसा

उठता गया एवं श्रैटनसुद्धत व्यवस्था बह गई तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसका विस्तृत विवेचन अग्रलिखित है।

बीस को समिति द्वारा प्रस्तावित सुधार (Changes Recommended by the C-20) .—बीस की समिति द्वारा प्रस्तावित सुधार वाणी विस्तृत थे तथा उन्हें प्रतिवेदन में 20 शीर्षकों में प्रस्तुत किया गया था। परन्तु प्रमुख विपर-वस्तु को अग्रलिखित छ शीर्षकों में प्रस्तुत किया जा सकता है ⁶—

1. विनिमय व्यवस्था .—प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की स्वेच्छा की विनिमय व्यवस्था, विशेष सामान्य व्यवस्थाओं का सम्भावित अग्रनाया जाना, किमी भी तरह की विनिमय दर प्रणाली अग्रनाने की स्वतन्त्रता तकिन कोष द्वारा नयी विनिमय दर प्रणाली पर बड़ी निगरानी एवं व्यवहार के नये मापदण्ड स्थापित करना।
2. स्वर्ण की भूमिका :—नयी व्यवस्था में स्वर्ण की भूमिका कम कर दी गयी थी तथा इसके अन्तर्गत कोष द्वारा अग्रने स्वर्ण कोषों का विक्रय भी सम्मिलित था।
3. विशेष आहरण अधिकार (SDRs) :—विशेष आहरण अधिकारों की विशेषताओं में परिवर्तन तथा इनके सम्भावित उपयोगों की इस प्रकार विस्तृत किया जाना जिससे इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की प्रमुख रिजर्व परि-मपत्ति बनने में मदद मिल सके।
4. वित्तीय क्रियाएँ .—कोष के सामान्य विभाग के माध्यम में गी जाने वाली वित्तीय क्रियाओं एवं सौदों की किस्मों का मरलीकरण तथा विस्तार।
5. परिषद् .—कोष के नये अग के रूप में परिषद् की सम्भावित स्थापना।
6. कोष के मगठनात्मक पहलु में कुछ सुधार।

उपयुक्त सुधारों में से अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में स्वर्ण की भूमिका में सम्बन्धित सुधार, विशेष आहरण अधिकारों की भूमिका मृदु कराने से सम्बन्धित सुधार तथा लचीली विनिमय दर प्रणाली वाले राष्ट्रों की नियति बँध कराने से सम्बन्धित सुधार अधिक महत्वपूर्ण है।

6 For details see F and D—June 1976, pp 12-13.

स्वर्ण की भूमिका समाप्त

(Abolition of the Role of Gold)

कोष की धाराओं में सुधार करके स्वर्ण की केन्द्रीय भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा करने हेतु स्वर्ण के प्राधिकारिक मूल्य (official price) को समाप्त कर दिया गया; स्वर्ण व एम. डी. आर. की आपसी कड़ी (link) को समाप्त कर दिया गया है तथा किन्हीं भी सदस्य राष्ट्र द्वारा अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में घोषित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। कोष स्वर्ण में कोई भी सौदा करने ममय ऐसी क्रियाओं को टालेगा जिनसे स्वर्ण की बाजार कीमत प्रबन्धित हो प्रचवा स्थिर कीमत स्थापित हो। इसके अतिरिक्त न तो कोष स्वर्ण अपने किसी दायित्व का भुगतान स्वर्ण में करेगा तथा न ही सदस्यों को स्वर्ण में भुगतान करना होगा।

कोष के नियमित खान से सम्बन्धित 'स्वर्ण ट्रेन्च' (Gold Tranche) अभिव्यक्ति के स्थान पर 'रिजर्व ट्रेन्च' अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित कर दी जाएगी। पूर्व में सदस्य राष्ट्र अपने अक्षय का 25 प्रतिशत स्वर्ण में चुकाने में वह अब स्वतन्त्र रूप में स्वोकार्य मुद्रा में जमा कराया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में गुणार एवं इसमें भविष्य में स्वर्ण की भूमिका से सम्बन्धित विचार विमर्श के समय कोष का स्वर्ण भण्डार 150 मिलियन औंस अथवा 4,710 टन में अधिक था।⁷ वास्तव में अमेरिका को छोड़कर कोष ही विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण का प्राधिकारिक संचयकर्ता (holder) था। मौद्रिक व्यवस्था में सुधार से सम्बन्धित सहमति के अंश के रूप में तथा स्वर्ण की भूमिका कम करने में योगदान देने हेतु सन् 1975 में निर्णय लिया गया कि कोष अपने स्वर्ण संचय का एक तिहाई अर्थात् 50 मिलियन औंस विक्रय करेगा। इससे आधा अर्थात् 25 मिलियन औंस तो बाजार भाव पर विकासशील राष्ट्रों के लाभार्थ तथा शेष 25 मिलियन औंस मध्य सदस्य राष्ट्रों को 35 SDR प्रति औंस के भाव से विक्रय करने का निर्णय लिया गया था। इस 35 SDR प्रति औंस विक्रय क्रिय जाने को 'रेस्टिट्यूशन' (Restitution) नाम दिया गया था।

जून 1976 से मई 1980 के मध्य की चार वर्ष की अवधि में कोष द्वारा स्वर्ण का विक्रय किया गया था। लगभग इस पूरी अवधि में स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि

7 Winkh, G — Gold in the Fund Today — F & D — Sept 1982

चातू रही। कोष द्वारा स्वर्ण विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया गया ताकि निजी बाजारों में स्वर्ण की कीमत प्रबन्धित होने का प्रकटीकरण अथवा यहाँ तक कि स्वर्ण की भविष्य की कीमत से सम्बन्धित दृष्टिकोण अपनाया जाना टाला जा सके।

कोष ने कुल मिलाकर 45 नीलामियाँ लन्दन बाजार कीमत के करीब की कीमतों पर की। इन स्वर्ण विक्रयों से 57 बि. अमेरिकी डालर का आगम हुआ जिसमें से 11 बि. डालर तो 35 SDR प्रति ग्रास के भाव से पूँजी मूल्य (Capital value) था जिसे कोष के सामान्य साधनों में सम्मिलित किया गया तथा शेष 46 बि. डालर लाभ थे जिन्हें जल्दतम राष्ट्रों को भुगतान मन्तुलन हेतु सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 1976 में ट्रस्ट कोष (Trust Fund) की स्थापना की गयी।

कोष का स्वर्ण विक्रय कार्यक्रम मई 1980 में पूर्ण हो चुका था। कोष के पास वर्तमान में 103 मिलियन ग्रास स्वर्ण का सचय है। स्वर्ण के इस सचय से कोष की वित्तीय शक्ति तथा सदस्य राष्ट्रों की आवश्यकताओं हेतु अनिश्चित साधन उधार लेने की सामर्थ्य में योगदान मिलता रहेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में स्वर्ण की भूमिका कम करने तथा SDR की भूमिका मजबूत बनाने से सम्बन्धित निर्णय के पीछे दो प्रमुख घटनाएँ महत्वपूर्ण रही हैं प्रथम तो सन् 1968 में आधिकारिक स्वर्ण संचित (gold pool) का बह जाना तथा द्वितीय, अगस्त 1971 में अमेरिका द्वारा डालर को स्वर्ण में परिवर्तित करने के प्रावधान को निलम्बित कर देना।

विशेष आहरण अधिकार (SDRs) —

विशेष आहरण अधिकार अरक्षित निधि परिमम्पतियाँ हैं जो कोष द्वारा अपने सदस्य राष्ट्रों को आवंटित की जाती हैं।

सन् 1967 में ब्राजील में रियोदजेनेरी (Rio de Janeiro) की बैठक में SDR योजना की रूपरेखा को सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मसल अप्रैल 1968 में एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की गयी थी जिसे मई में स्वीकृति दे दी गयी। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण खाना 28 जुलाई सन् 1969 को स्थापित किया गया था। तत्पश्चात् विशेष आहरण खाने में भाग लेने वाले राष्ट्रों को कोष अन्तर्राष्ट्रीय अरक्षित निधि परिमम्पति SDRs का आवंटन कर सक्ता है।

आरक्षित निधियों की वृद्धि के लिए पूर्व में अपनाये गये स्रोतों से SDR आवंटन योजना पूर्णतया भिन्न थी। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्णय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय तरलता सृजित करने की दिशा में यह प्रथम प्रयास था।

सन् 1970 में SDRs सुविधा का सृजन उस समय विद्यमान आरक्षित निधि परिसम्पत्तियों के पूरक के रूप में किया गया था क्योंकि यह भाशा की गयी थी कि ऐसी सुविधा के अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित निधियों की वृद्धि दर इसकी बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए अपर्याप्त होगी। SDRs सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनी आरक्षित निधि के अंश के रूप में रखे जाते हैं तथा इन राष्ट्रों के समक्ष भुगतान सन्तुलन की समस्या प्रस्तुत होने पर SDRs को अन्य मुद्राओं में परिणत करा लिया जाता है।

प्रणाली की कार्यविधि

(Working of the System)

SDRs प्रणाली की कार्यविधि (working) को समझने हेतु मान लीजिए फ्रान्स व जापान दोनों राष्ट्रों में से प्रत्येक को आधार वर्ष में 200 SDRs आवंटित किये जाते हैं तो इस आवंटन को कार्यरूप में परिणत करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन राष्ट्रों के विशेष आहरण खातों में इस मूल्य के बराबर जमा की प्रविष्टि कर देगा। इस प्रविष्टि के उपलक्ष्य में सदस्य राष्ट्र को कोष में किसी प्रकार का अंशदान देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार SDRs का आरक्षित निधि परिसम्पत्ति के रूप में आवर्षण इस तथ्य में निहित है कि इस योजना में भाग लेने वाले प्रत्येक राष्ट्र का इन्हें स्वीकार करने का दायित्व है।

उपर्युक्त उदाहरण में भुगतान सन्तुलन में घाटे वाले राष्ट्र फ्रान्स को यदि परिभ्रमणशील विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता है तो वह SDRs के बदले जापानी येन अथवा कोई अन्य विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। यदि कोष जापान को ऋणदाता के रूप में नामित (designate) करता है तो SDRs के विनिमय में विदेशी मुद्रा का त्रय सीधा जापान से किया जाता है तथा सम्बन्धित मुद्राओं के कोष के सचिव को यह सीधा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। SDRs के सीदे कोष के नियमित सीदों से भिन्न हैं तथा कोष की इन सीदों में केवल मध्यस्थ व गारन्टर (Guarantor) की भूमिका रहती है। इस सीदे के परिणामस्वरूप फ्रान्स के SDRs संग्रह का रिस्कीकरण हो जायेगा तथा जापान के संग्रह में वृद्धि हो

जायेगी। कोष के सामान्य अभ्युत्थ से उधार की भाँति SDRs के सीदों में फ्रांस को निश्चिन्त समयावधि में इनका पुनर्भुगतान प्रयत्न 'पुनः क्रय' नहीं करना होगा। यदि किसी अन्य सदस्य राष्ट्र को भविष्य में फ्रांस के फॉरेन की SDRs के विनिमय में आवश्यकता है तो उस मात्रा के बराबर फ्रांस के SDRs के सग्रह में वृद्धि हो जायेगी। इसके ठीक विपरीत यदि जापान कोई अन्य मुद्रा SDRs के विनिमय में प्राप्त करता है तो जापान के SDRs सग्रह में उस मात्रा के बराबर कमी हो जाएगी। इन प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्र के पूनः आवंटन के उद्देश में SDRs की संचित स्थिति मात्र ही महत्वपूर्ण है। जब कभी भी राष्ट्र विशेष किसी अन्य राष्ट्र की मुद्रा का SDRs के बराबर क्रय करता है तो उस राष्ट्र की SDRs की संचित मात्रा में कमी हो जाती है तथा जब उस राष्ट्र की मुद्रा का अन्य राष्ट्र SDRs के विनिमय में क्रय करता है तो उसकी SDRs की संचित मात्रा में वृद्धि हो जाती है।

भुगतान संतुलन में घाटे घाने राष्ट्र अपने SDRs के आधार अवधि के सम्पूर्ण आवंटन का उपयोग कर सकते हैं लेकिन सामान्यतया उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस शक्ति के 70 प्रतिशत से अधिक का उपयोग न करें। उतरोत्तर पाँच वर्षों की अवधि में प्रत्येक सहभागो राष्ट्र का अपने विद्युत् संचित आवंटन का न्यूनतम 30 प्रतिशत बनाये रखने का प्रावधान SDR योजना के प्रारम्भ से ही विद्यमान था। इस प्रावधान को SDRs के दीर्घकालीन वित्तीयवस्था के उपयोग को रोकने हेतु तथा SDRs से अधिक घचिमान के परिणामस्वरूप अन्य प्रारम्भित निधि परिमत्पत्तियों के असंतुलित सग्रह को रोकने हेतु रखा गया था।

लेकिन इस प्रावधान के कारण SDR की प्रारम्भित निधि परिमत्पत्ति के रूप में हैसियत नीची बनी रही क्योंकि अन्य रिजर्व परिमत्पत्तियों के सन्दर्भ में न्यूनतम सग्रह की कोई शर्त नहीं थी। SDR पर न्याय की दर में वृद्धि के साथ एव इसके गुणो व उपयोगों में अन्य मुद्धारों के साथ 1970 के दशक के अन्त तक कोष को यह स्पष्ट हो गया कि SDR काफी शक्तिशाली रिजर्व परिमत्पत्ति बन चुका है एव इसके न्यूनतम घनिवार्य सग्रह की शर्त आवश्यक नहीं है। अतः 1 जनवरी 1979 को 'न्यूनतम प्रोत्थन सग्रह' का 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया तथा 30 अप्रैल 1981 से न्यूनतम सग्रह की शर्त को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। फिर भी SDR योजना में भाग लेने वाले राष्ट्रों से यह आशा की जाती है कि निश्चित

समयावधि के पश्चात् वे अपनी SDRs की संचित राशि व अन्य आरक्षित निधि, परिसम्पत्तियों के मध्य संतुलन बनाये रखेंगे।

दूसरी ओर भुगतान संतुलन में अतिरिक्त चापे राष्ट्र (हमारे उदाहरण में जापान) की मुद्रा को भारी माँग होना सम्भव है। SDRs योजना के भागीदार प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का यह दायित्व है कि जब तक उस राष्ट्र की SDRs की कुल संचित राशि उसके मूल आवंटन की तिगुनी नहीं हो जाती है तब तक वह राष्ट्र SDRs के विनिमय में अपनी मुद्रा प्रदान करता रहेगा। हमारे उदाहरण में यदि जापान अपने 200 SDRs के मूल आवंटन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता है तो उनका SDRs स्वीकार करने का दायित्व 400 SDRs रह जाता है और यदि वह अपने पूरे मूल आवंटन का उपयोग कर लेता है तो उनका SDRs स्वीकार करने का दायित्व 600 SDRs हो जाता है।

SDRs योजना में राष्ट्रों द्वारा इस सीमा से अधिक SDRs स्वीकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के स्वर्ण की गारंटी के रूप में व ऊँची ब्याज दर के रूप में प्रेरणा के प्रावधान रखे गये हैं।

SDRs के उपयोग

(Uses of SDRs)

जब SDRs का मूजन किया गया था तब उसके तीन उपयोग⁸ दृष्टव्य थे।

- (1) निर्देशित सौदे (Transactions with designation):— इसके अन्तर्गत कोष इस योजना में भागलेने वाले भुगतान संतुलन एवं सबल रिजर्व स्थिति वाले सदस्यों को अपने SDRs परिवर्तित करवाने का इच्छुक राष्ट्रों को SDRs के बदले विदेशी मुद्रा परिवर्तित करने के निर्देश देना है SDRs योजना का भागीदार सदस्यों का यह दायित्व है कि जब तक उनका SDRs का सपह उनके कुल SDR सन्ध का तिगुना न हो जाय तब तक वे ऐसे निर्देश स्वीकार करें।
- (2) कोष के साथ सौदे में SDRs का उपयोग (Use of SDRs in Transactions with the Fund):— इसके अन्तर्गत सदस्य राष्ट्र SDRs के बदले

8. Byrne, W J—Evolution of the SDR . 1974 81—F & D Sept 1982, pp 31-35

कोष के सामान्य खाते से स्वयं की मुद्रा का पुनः क्रय (repurchase) कर सकता है तथा SDRs द्वारा बाजेंज का भुगतान किया जा सकता है।

- (3) सहमति द्वारा सौदे (Transactions by agreement) — इसके अन्तर्गत दो सदस्य राष्ट्रों की आपसी सहमति द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से SDRs के विनिमय में स्वयं की मुद्रा का क्रय कर सकता है। यद्यपि इस प्रकार के सौदे की अनुमति सभी दो जाती थी जब राष्ट्र भुगतान समतुलन की आवश्यकता हेतु SDRs का विक्रय कर रहा हो।

सन् 1976 से 1978 के बीच सहमति द्वारा सौदा पर लगायी गयी सीमाएँ समाप्त कर दी गयी तथा इन्हें भुगतान समतुलन की आवश्यकता से मुक्त कर दिया। इन मुक्ति के कारण सहमति द्वारा सौदों की संख्या एवं मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है। 1977 में 39 सहमति वाले सौदों के अन्तर्गत 699 मि SDRs का हस्तांतरण हुआ था जबकि 1975 में 6 सौदों में 40 मि SDR ही हस्तांतरित हुए थे।

द्वितीय संशोधन द्वारा SDRs के उपयोगों की विस्तार सीमा (range) को विस्तृत करने हेतु कोष को SDRs के ऐसे उपयोग निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया है जिनका अन्वया स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं था। दिसम्बर 1978 से मार्च 1980 के मध्य कोष ने कई निर्णयों द्वारा SDRs के निम्न अतिरिक्त उपयोगों की अनुमति दी है — (1) स्वेप (swap) प्रबंधों में (2) अग्रिम क्रियाशील (Forward operations) में (3) ऋणों में (4) वित्तीय दायित्वों को निपटाने में (5) वित्तीय दायित्वों को पुनः धारण की सुरक्षा के रूप में तथा (6) प्रतिदान (Donations) में। ऋणों व वित्तीय दायित्वों को निपटाने हेतु सर्वप्रथम सन 1981 में SDRs का उपयोग किया गया था।

SDRs योजना के प्रारम्भ से ही कोष को विशिष्ट संस्थाओं को SDRs के प्राथमिक धारक निर्धारित करने का अधिकार था जिन सन 1973 में अन्तर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक (BIS) को SDRs का धारक निर्धारित किया गया। द्वितीय संशोधन द्वारा कोष के इस अधिकार को विस्तृत करने इसे सरकारी एंटीटीज (official entities) की श्रेणियों तक बढ़ा दिया गया। सन् 1978 से अप्रैल 1982 तक 11 प्राथमिक संस्थाओं को SDRs का धारक निर्धारित कर दिया गया था। वर्तमान में कोष के सभी 151 सदस्य SDR योजना में भाग ले रहे हैं अतः उन्हें SDRs का आवंटन किया जाता है। जब कभी भी विद्यमान तरलता की आवश्यकता होती है तो कोष इस

योजना के भागीदारों को उनके अग्रिमों के अनुपात में SDRs आवंटित करता है। सन् 1970-72 की तीन वर्ष की अवधि में कोष में 9.5 बिलियन SDRs सृजित कर उन्हें 112 सदस्य राष्ट्रों को आवंटित किया था। सन् 1978 में एक प्रस्ताव में बॉर्डर गवर्नर्स ने प्रबन्ध निदेशक के एक प्रस्ताव जिसमें इस तरफ ध्यान दिलाया गया था कि सदस्य राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय सौदों के स्तर में वृद्धि हुई है तथा इस वृद्धि के जारी रहने की प्राप्ति है पर सहमति व्यक्त की। परिणामस्वरूप सन् 1979, 1980 तथा 1981 में तीन वर्ष की अवधि में प्रतिवर्ष 4 बिलियन SDRs का आवंटन किया गया जिससे कुल विद्यमान SDRs 21 बिलियन हो गये। दिसम्बर 1981 के अन्त में इसमें से 16 बिलियन SDRs योजना के भागीदारों के पास तथा 5 बिलियन कोष के सामान्य खाने में संचित थे। आवंटन की प्रक्रिया पुनः जारी होने से कुल रिजर्व्स सग्रह से SDRs के सग्रह के गिरते हुए अनुपात में पलटी होनी प्रारम्भ हो गयी है। कुल रिजर्व्स से SDRs का अनुपात सन् 1972 के अन्त में 5.9 प्रतिशत से घटकर सन् 1978 के अन्त में 2.9 प्रतिशत रह गया था, जबकि सन् 1981 के अन्त में यह अनुपात पुनः बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गया है।

SDRs का मूल्यांकन

(The valuation of SDRs)

SDRs मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता सर्व प्रथम अगस्त सन् 1971 में अमेरिका द्वारा डालर की स्वर्ण परिवर्तनीयता को निलम्बित करने के साथ ही उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त सन् 1971 के अन्त में विस्तृत सीमाओं (wider margins) से सम्बन्धित स्मिथसोनियन समझौते से SDR में भिन्न मुद्राओं के सापेक्ष के रूप में उच्चावचन, उसका मूल्य डालर के रूप में स्थिर रहते हुए भी, सम्भव थे तथा अगस्त 1971 के पश्चात् की पूरी अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सृजित परिमम्पत्ति के मूल्य की एक कैंसेरी से जोड़े रखने का विरोध भी काफी बढ़ गया था।

अतः 1 जुलाई 1974 को SDR के मूल्यांकन में डालर की केन्द्रीय भूमिका को समाप्त कर इसे 16 कैंसेरीज के औसत भारतीय मूल्य से जोड़ दिया गया।⁹

9. इन 16 कैंसेरीज से SDRs के मूल्य निर्धारण की विधि से सम्बन्धित विस्तृत व्याख्यान—

Swami, K. D. —The New Int. Monetary order—Rajasthan Economic Journal—Jan. 1979, pp. 31-42.

सारणी . 17 1

SDR Valuation Basket, April 30, 1981¹⁰

Currency	Initial percentage weight	Currency Amount	Exchange rate ¹	U S. Dollar Equivalent
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
U. S. dollar	42 0	0 54	1 0000	0 540000
Dutch Mark	19 0	0 46	2 2145	0 207722
French Franc	13 0	0 74	5 2540	0 140844
Japanese Yen	13 0	34.0	215 13	0 158044
Pound Sterling	13 0	0.071	2 1404	0.151968 1.198579

SDR value of US \$ 1 = 0 834321

U.S dollar value of SDR = 1 19858

- 1 बैंक ऑफ लन्दन द्वारा निर्धारित लन्दन विनिमय बाजार में दोपहर की बय व बिक्रय दरों (buying and selling rates) की मध्य दर प्रति अमेरिकी डालर के रूप में व्यक्त की गयी है, सिवाय पाऊण्ड स्टर्लिंग की विनिमय दर के जिसे प्रति पाऊण्ड अमेरिकी डालर के रूप में व्यक्त किया गया है।
- 2 सिवाय पाऊण्ड स्टर्लिंग के जिसमें 3 व 4 बालम की मापामो का गुणा किया गया है कॉलम 3 को बॉलम 4 से विभाजित कर बॉलम पांच प्राप्त किया गया है।

*ये 16 करेंसीज निम्न थी — अमेरिकी डालर, यूएस मार्क, पाऊण्ड स्टर्लिंग, फ्रेंच फ्रैंक, जापानी येन, बेनेडियन डालर, इटैलियन लीरा, नोडरलैण्ड गिल्डर, बेल्जियन फ्रैंक, स्वीडिश क्रोना, मास्ट्रेंटिनियन डालर, स्पेनिश पेसेटा, नोर्बेयिन क्रोन, डनिश क्रोन, आस्ट्रीयन शिलिंग तथा साऊथ अफ्रीकी रेंड।

¹⁰ Source: IMF Annual Report, p 95.

SDR तुला में उन राष्ट्रों की क्रेडेंसीज को सम्मिलित किया गया जिन राष्ट्रों का सन् 1968-72 की अवधि में विश्व निर्यातों में एक प्रतिशत से अधिक हिस्सा था।* SDR तुला में प्रत्येक क्रेडेंसी की राष्ट्रों के निर्यातों के प्रतिशत के अनुपात में भाग प्रदान किया गया था। इस तुला में अमेरिकी डालर को 33 प्रतिशत भाग प्रदान किया गया था। 1 जुलाई 1978 से SDR तुला (Basket) को परिमोडित करके इसमें सन् 1972-76 की अवधि में निर्यातों के क्रॉवडो के आधार पर 16 राष्ट्रों की क्रेडेंसीज को शामिल किया गया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप SDR तुला में ईरान व साउदी अरब की क्रेडेंसीज सम्मिलित कर ली गयी तथा पुराने तुला में सम्मिलित डेनमार्क व दक्षिणी अफ्रीका की क्रेडेंसीज को निकाल दिया गया।

लेकिन शीघ्रतः भारत मूल्य की यह प्रणाली काफी जटिल थी अतः 1 जनवरी 1984 से भारतीयों तुला को सरलीकृत करके केवल पाँच राष्ट्रों की क्रेडेंसी के समूह की ही इसमें रखा गया। सारणी 17.1 में 30 अप्रैल 1981 के उदाहरण द्वारा SDR को वर्तमान मूल्यांकन पद्धति स्पष्ट की गयी है।

सारणी 17.1 से स्पष्ट है कि SDR तुला में प्रत्येक क्रेडेंसी मूल्य का परिवर्तन SDR/Dollar दर को उस क्रेडेंसी के भार के अनुसार प्रभावित करता है।

एक बार अमेरिकी डालर/SDR विनिमय दर की गणना कर लेने के पश्चात् कोण SDR व अन्य मुद्राओं की आपसी विनिमय दरों की गणना उनकी डालर विनिमय दरों की सहायता से करता है।

SDR की विनिमय दर निर्धारण की पुरानी व नई प्रणाली में प्रमुख अन्तर यह है कि वर्तमान तुला प्रणाली के अन्तर्गत डालर/SDR दर प्रतिदिन परिवर्तित होती रहती है जबकि पुरानी पद्धति में (जुलाई 1974 से, पूर्व) यह दर स्थिर रहती थी।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हाल ही के वर्षों में SDRs से सम्बन्धित अग्र-लिखित प्रमुख परिवर्तन हुए हैं :-

1. SDRs का तृतीय व अंतिम 4,053 बिलियन SDR (आधार अवधि 1 जनवरी 1978 से 31 दिसम्बर 1981) का 1 जनवरी 1981 की सभी 141 सदस्य राष्ट्रों को आवंटन करने के साथ ही SDR का कुल सकल आवंटन 21.4 बिलियन SDR हो गया है।

2. SDR के मूल्यांकन तुला की 16 मुद्राओं से घटाकर 5 मुद्राओं वाला बना दिया गया है तथा इसे 1 जनवरी 1981 से SDR ब्याज-दर तुले से एकीकृत कर दिया गया है।
3. 1 मई 1981 से SDR की ब्याज दर को बढ़ा दिया गया है एवं SDRs के अन्य सचयवर्ता निर्धारित किये गये हैं।
4. SDR के विशुद्ध संचित प्रावटन के 15 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को बनाये रखने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
5. SDR तुला की केरेंजी के भार निर्धारित करने के आधार को विस्तृत किया गया है जिससे कि केरेंजी विशेष के अन्तर्राष्ट्रीय सौदो में महत्व को ध्यान में रखा जा सके। वस्तुओं व सेवाओं के निर्यातों के साथ-साथ केरेंजी विशेष के अन्य सदस्यों के पास संचित रिजर्व्स को भी भार निर्धारण में महत्व दिया जाता है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप ही अमेरिकी डालर को SDR तुला में 42 प्रतिशत प्रारम्भिक भार प्रदान किया जा सका है जबकि अमेरिका के निर्यात तुला में सम्मिलित पाँचों राष्ट्रों के निर्यातों का नवल 32 प्रतिशत ही है।

1 जनवरी 1976 के बाद SDR तुला में शामिल केरेंजी व उन्हें भार प्रदान करने की विधि का प्रत्येक पाँचवें वर्ष परिशोधन किया जायेगा।

वर्तमान विनिमय दर प्रणाली

(The Present Exchange Rate system)

विनिमय दरों से सम्बन्धित "वैधानिक" प्रावधानों की अप्रलिखित तीन प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है —


प्रथम, नवीन प्रावधान प्रत्येक राष्ट्र को इस बात की स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं कि वह किसी प्रकार की विनिमय दर प्रणाली अपना सकता है। यह इस तथ्य के अनुरूप है कि वर्तमान विनिमय दर प्रणाली सकर (hybrid) है।

द्वितीय, कोष के नये अनुच्छेद IV की यह मान्यता है कि विनिमय दर स्वाविरल्य प्रपणे भाप में एक उद्देश्य नहीं है यह तो अद्य-स्थ (underlying) प्रायिक तथा वित्तीय स्थायित्व का परिणाम है।

लेकिन तृतीय, यह कि विनिमय दर प्रणाली पूर्णतया अश्वस्थित नहीं है। अनुच्छेद IV के अनुसार कोय सदस्य राष्ट्रों की विनिमय दर नीतियों पर बड़ी निगरानी रखेगा तथा उन नीतियों के सम्बन्ध में समस्त सदस्य राष्ट्रों के मार्ग दर्शन हेतु विशिष्ट सिद्धान्त प्रपनायेगा।

वर्तमान विनिमय दर प्रणाली को निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया जा सकता है :

चार्ट 17.1 : विनिमय दर प्रणाली का चुनाव



स्पष्ट ही है कि विनिमय पर प्रणाली के चुनाव से सम्बन्धित निर्णय लेते समय सम्बन्धित राष्ट्र को आधारभूत निर्णय यह लेना पड़ता है कि उसकी करेंसी तैरती रहे (floating) अथवा जुड़ी रहे (Pegged)। करेंसी को तैरती रखने का निर्णय लेने वाले राष्ट्र को यह भी तय करना होता है कि उसकी करेंसी समूह में तैर अथवा स्वतन्त्र रूप से तैरे अथवा निश्चित संकेतों के आधार पर क्राल (crawl) करे। अपनी करेंसी को जोड़ने (Peg) का निर्णय लेते वक़्त, राष्ट्र को सर्वप्रथम यह तय करना होगा है कि वह उसे एक करेंसी से जाँडे अथवा विदेशी करेंसीज के 'सुन' से। एक करेंसी से अपनी करेंसी जोड़ने का निर्णय लेने वाले राष्ट्र को सर्वाधिक

वाञ्छित केरेंसीज का भी निर्णय लेना होता है जैसे अमेरिकी डालर, पाऊण्ड स्टर्निंग ग्रयवा फ्लैच फ्लैक। इसी प्रकार 'तुला' से केरेंसी जोड़ने का निर्णय लेने वाले राष्ट्र को यह तय करना पड़ता है कि पूर्व उपनम्न SDR जैसे तुले* से केरेंसी जोड़े ग्रयवा ग्रपने ब्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रों की केरेंसीज से नवनिर्मित तुले से, उदाहरणार्थ, वर्तमान में भारतीय रुपये के मूल्य निर्धारण के लिए नवनिर्मित तुले का उपयोग किया जा रहा है।

यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि राष्ट्र विशेष की विनिमय दर प्रणाली को सही-सही परिभाषित करना अत्यधिक कठिन कार्य है क्योंकि दृढता से जोड़ने (rigid-peg) से लेकर पूर्णतया स्वतंत्र विनिमय दर प्रणाली (clean float) की दो सीमाओं के मध्य विनिमय दर प्रणाली का विस्तृत वर्णक्रम (broad spectrum) विद्यमान रहता है। उदाहरणार्थ, कुछ पेट्टे विनिमय दर प्रणाली ग्रपनान वाले राष्ट्र ग्रपेक्षाकृत विस्तृत उच्चावचनो से लाभान्वित हो रहे हैं ग्रयवा वे विनिमय दर को समय-समय पर इस प्रकार परिवर्तित करते रहने हैं कि उनकी विनिमय दर प्रणाली तैरती विनिमय दर प्रणाली से मिलती जुलती बन जाती है। इसी प्रकार ऐसे राष्ट्र की विनिमय दर प्रणाली जिसने 'स्वतंत्र लचीली' विनिमय दर वाली केरेंसी से ग्रपनी केरेंसी को जोड़ रखा है तथा 'समूह प्लोटिंग' वाले राष्ट्र की विनिमय दर प्रणाली के मध्य अन्तर करना भी कठिन हो सकता है। चार्ट 17.1 में तो कोष के सदस्य राष्ट्रों द्वारा अनुसरण की जाने वाली विनिमय दर प्रणाली का मोटे रूप में वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया है।

कोई भी राष्ट्र इनमें से कौनसी विनिमय दर प्रणाली को चुने यह ग्रयव्यवस्था के आकार व ब्यापार के लिए सुने होने की श्रेणी, वस्तु संकेन्द्रण (Commodity Concentration), अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एकीकरण (Integration), मुद्रा स्फीति की श्रेणी आदि घटकों पर निर्भर करता है।¹¹

इसी के साथ हम अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का विवेचन सम्पन्न करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सीमाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इस ग्रध्याय के समापन की ओर ग्रग्रसर होते हैं।

* SDRs तुले के विस्तृत विवेचन हेतु इसी ग्रध्याय के 'SDRs' शीर्षक के अन्तर्गत दी गई विषय सामग्री का ग्रध्यायन करें।

11. For detailed analysis of these factors see, Heller, R. H.—Choosing an Exchange Rate System—Fand D, June 1977, pp 23-26.

मुद्रा कोष की सीमाएँ

(Limitations of the Fund)

(1) ब्रैटनवुड्स व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें किसी भी तरह की समायोजन प्रणाली का प्रावधान नहीं था अतः भुगतान संतुलन में घाटे वाले राष्ट्रों को अघ्निकाश ऐसी तदर्थ व व्यक्तिगत राष्ट्रीय नीतियों पर निर्भर रहना पड़ा जो किसी भी सुनियोजित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए हानिकारक थी।

अतः विनिमय दरों में समायोजन के प्रावधान के अभाव में BOP में घाटे वाले राष्ट्रों को प्रत्यक्ष मौद्रिक व व्यापार नियंत्रण अपनाते पड़े तथा अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की माँग में अभिवृद्धि हुई।

(2) ब्रैटनवुड्स व्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के रूप की कोई स्पष्ट अवधारणा विद्यमान नहीं थी। अतः समानता के दृष्टिकोण से सभी सदस्य राष्ट्रों की मुद्राएँ कोष के पास जमा की गईं जबकि वास्तव में प्रमुख मुद्राएँ (विशेषकर डालर व पाउण्ड) ही अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की भूमिका अदा कर पाईं। परिणामस्वरूप इन प्रमुख मुद्राओं का संचय तो अपर्याप्त होता गया तथा कोष अनावश्यक मुद्राओं के जमा का भण्डार बनता गया।

(3) मुद्रा कोष ने प्रारम्भ से ही अत्यधिक रुढ़िवादी भूमिका अदा की है। कोष को यह भय था कि उसके ससाधन राष्ट्रों के पुनर्निर्माण हेतु प्रयुक्त विय जायेंगे न कि BOP की समस्याओं से निपटने के लिए। अतः कोष द्वारा प्रदत्त ऋणों पर कड़ी शर्तें लगाई गईं जिसके परिणामस्वरूप 1950 के दशक में कोष की भूमिका सक्रिय नहीं रह पाई।

(4) कोष ने BOP में संतुलन बनाये रखने हेतु अवमूल्यन के स्थान पर व्यय में कमी जैसे आन्तरिक उपायों पर जोर दिया। लेकिन यह तर्क वास्तविक कसौटी पर कभी भी नहीं लगा गया क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में भारी वृद्धि होती रही जबकि वास्तविकता यह थी कि तरलता की इस तरह से तीव्र वृद्धि में कोष का योगदान नहीं था अपितु इसमें अमेरिका के भुगतान संतुलन में निरन्तर बने रहने वाले घाटों की प्रमुख भूमिका थी।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय तरलता पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण का अभाव ब्रैटनवुड्स व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी थी। इस प्रणाली में तरलता की वृद्धि के प्रावधान

का अभाव ही 1971 के बाद के वर्षों में इसके ध्वस्त होने का प्रमुख कारण माना जा सकता है।

(6) ब्रेटनवुड्स व्यवस्था में सदस्य राष्ट्रों के आकार में असमानता तथा विशेषकर अमेरिका का प्रमुख सर्वाधिक गम्भीर विपत्ता थी। यह प्रमुख अमेरिकी डालर को हस्तक्षेप वाली मुद्रा (intervention currency) बनाकर, डालर के उद्देश्यपूर्ण अवमूल्यन (अथवा अधिमूल्यन) पर इसके प्रमुख मुद्रा (key currency) होने के कारण घनीपचारिक सीमा के कारण तथा इसके रिज़र्व बेरेंसी होने के कारण बना हुआ था। अतः डालर के कमजोर पड़ने ही पूरी ब्रेटनवुड्स व्यवस्था का ढह जाना सुनिश्चित सा ही था।

(7) अन्तर्राष्ट्रीय भौतिक व्यवस्था में हाल ही के सुधारों के सन्दर्भ में कोष की एग्जिक्युटिव डिरेक्टर टॉम द विरे (Tom de Vries) ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है :—

“निष्कर्ष यह है कि जमैका (Jamaica) समझौता मुहलतः उसी स्थिति को वैधता प्रदान करता है जिसका व्यवहार में उद्गम हुआ है। यह विनिमय दरों एवं स्वर्ण दोनों के ही सन्दर्भ में सत्य है क्योंकि केन्द्रीय बैंकों ने स्वर्ण को ऋणों के लिए समपात्र्य (collateral) के रूप में बाजार कीमतों के नजदीकी कीमतों पर प्रयोग में लेना प्रारम्भ कर दिया था। अतः नये सुधारों के क्रियान्वयन से अन्तर्राष्ट्रीय भौतिक प्रणाली में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आ पायेगा लेकिन वे भविष्य की निर्माणकारी क्रियाओं के लिए आधार अथवा प्रदान करेंगे।”

विश्व बैंक व इससे सम्बद्ध संस्थाएँ*

(World Bank and Its Affiliates)

विश्व बैंक समूह में तीन निकट संस्थाएँ आती हैं : अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक - (विश्व बैंक), अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास मण्डल।

ये संस्थाएँ राष्ट्रों के वे चुने हुए उपकरण हैं जो विश्व के निम्न आय वाले राष्ट्रों के विकास की वित्त व्यवस्था में योगदान देना हेतु विश्व स्तर पर कार्यरत हैं। बहुपक्षीय ऐजेन्सीज द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता में विश्व बैंक, विकास मण्डल तथा वित्त निगम द्वारा प्रदत्त सहायता काफी महत्वपूर्ण रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक अथवा विश्व बैंक

(The International Bank for Reconstruction and Development or World Bank)

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (IBRD) को प्रायः विश्व बैंक (World Bank) के नाम से जाना जाता है। विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्थापना मई 1944 में ब्रिटेनलुइस सम्मेलन में की गई थी तथा बैंक ने अपना कार्य 25 जून 1946 में प्रारम्भ किया था।

विश्व बैंक के उद्देश्य

(Objectives of the World Bank)

विश्व बैंक के मसौदों की धारा 1 के अनुसार इसके अग्रलिखित प्रमुख उद्देश्य हैं :—

* यह अध्याय लगभग पूर्णतया विश्व बैंक के 1986 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों (Annual Reports) पर आधारित है।

1. युद्ध द्वारा ध्वस्त अर्थव्यवस्थाओं की पुनः स्थापना तथा अर्द्ध विकसित राष्ट्रों के विकास के लिए उत्पादक कार्यों हेतु ऋण व सहायता प्रदान करना,
2. गारन्टी अथवा सहभागिता द्वारा अर्थव्यवस्था के विदेशी विनियोग में मजबूती लाना और अपने पूँजीगत स्रोतों तथा एकत्रित कोषों एवं अन्य स्रोतों द्वारा विनियोग को ऐसे विनियोग की अनुपूरकता बनाना,
3. दीर्घकालीन आर्थिक विनियोग को प्रोत्साहित कर मजबूत विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना एवं भुगतान संतुलन में साम्य बनाये रखना,
4. अपने कार्यों का इस प्रकार सम्पादन करना कि युद्धग्रस्त अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्थान पर शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना में योगदान मिल सके।

सदस्यता

(Membership)

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य विश्व बैंक के सदस्य बन सकते हैं अतः सन् 1944 में जो राष्ट्र मुद्रा कोष के सदस्य थे वे बैंक के भी मूल सदस्य बन गये थे। लेकिन बाद में प्रावधानों द्वारा अन्य राष्ट्रों को भी बैंक का सदस्य बनाया जाने लगा। यदि कोई राष्ट्र बैंक की सदस्यता त्यागना चाहता है तो वह बैंक को इस उद्देश्य का लिखित आवेदन कर सकता है। लेकिन यदि कोई राष्ट्र बैंक के दायित्वों को नहीं निभाता है तो बैंक उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है।

सितम्बर 1986 के अन्त तक बैंक के सदस्य देशों की कुल संख्या 150 हो चुकी थी।

बैंक की पूँजी

(Capital Reserves of the Bank)

प्रारम्भ में विश्व बैंक की अधिकृत पूँजी 10 अरब अमेरिकी डालर थी जो एक लाख डालर के 1 लाख अंशों में विभाजित थी। इस अधिकृत पूँजी में से बैंक को 94 अरब डालर की पूँजी 44 सदस्य राष्ट्रों से प्राप्त हुई थी अतः अक्षय केवल मूल सदस्यों की ही प्राप्त हुए थे।

4 जनवरी 1980 को विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेस ने एक प्रस्ताव पारित कर विश्व बैंक की अधिकृत पूँजी के स्टॉक में 3,31,500 शेयरों की वृद्धि कर दी

थी। इसमें प्रदत्त अंश पूर्व में विद्यमान पूँजी के स्टॉक का 75 प्रतिशत रखा गया था। अशदाता राष्ट्रों को इसका 0.75 प्रतिशत तो स्वर्ण भण्डा अमेरिकी डालर में तथा शेष 6.75 प्रतिशत अपनी घरेलू मुद्राओं के रूप में प्रदान करना था। गवर्नर्स ने एक अन्य प्रस्ताव द्वारा अधिकृत पूँजी के स्टॉक में 33,500 प्रतिशत शेयरों की वृद्धि की। यह वृद्धि लगभग 4,000 मि. डालर की थी। इस प्रतिशत पूँजी में से प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को 250 शेयरों का अशदान करने का अधिकार दिया गया था। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप 30 जून 1986 तक अशदानों में 29,414 मि. एस. डी. आर. की वृद्धि हुई थी।

अगस्त सन् 1984 में बैंक की पूँजी में 8,400 मिलियन डालर के 70 हजार शेयरों की चयनात्मक पूँजी वृद्धि (Selective Capital Increase) की गई थी।

इस प्रकार 30 जून सन् 1986 को विश्व बैंक की अधिकृत पूँजी का स्टॉक 78,650 मिलियन SDR था जिसमें स. अभिदत्त पूँजी (Subscribed Capital) 65,836 मिलियन SDR के बराबर थी।¹ डालर के रूप में 30 जून 1986 को विश्व बैंक की अधिकृत पूँजी 77,526 मि. अमेरिकी डालर थी।

बैंक को प्रदत्त प्रत्येक राष्ट्र के अशदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है —

- (1) सदस्य राष्ट्र को अपने अशदान का 2 प्रतिशत तो स्वर्ण भण्डा अमेरिकी डालर में चुकाना होता है व 18 प्रतिशत अपनी घरेलू मुद्रा के रूप में तथा
- (2) शेष 80 प्रतिशत अशदान उक्त समय देना पड़ता है जब बैंक को अपने दायित्वों को पूरा करने हेतु इसकी आवश्यकता हो।

विश्व बैंक का संगठन

(Organisation of the World Bank)

बैंक के गवर्नर्स ने अपने अधिकार बैंक के सामान्य संचालन हेतु कार्यकारी संचालन मण्डल (Board of Executive Directors) को सौंप रखे हैं। इस बोर्ड के संचालक बैंक के मुख्यालय पर पूर्णकालीन रूप से कार्यरत हैं। बैंक के कुल कार्यकारी संचालकों की संख्या 21 है। प्रत्येक कार्यकारी संचालक एक स्थानाध्यक्ष

सचालक (Alternate) का चयन करता है जो उसकी अनुपस्थिति में मत दान के लिए अधिकृत होता है। इनमें से 5 सचालक सबसे अधिक पूर्वी अशदान वाले पाँच राष्ट्रों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा शेष सचालक अन्य सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि गवर्नर्स द्वारा चुने जाते हैं। इस सचालक मण्डल का महापति (President) विश्व बैंक का अध्यक्ष (Chairman) स्वयं होता है। अतः वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष बारबर बी० कोनाबल (Barber B Conable) कार्यकारी सचालक मण्डल के महापति हैं।

कार्यकारी सचालकों का दोहरा दायित्व है, प्रथम तो यह कि वे अपने राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा दूसरा यह कि वे बैंक की नीतियों का निरीक्षण करने हेतु गवर्नर्स द्वारा उच्च शीप सब अधिकारों का उपयोग करते हैं। चूंकि बैंक का सञ्चालन अधिकांशतः सामान्य महामति द्वारा होता है (औपचारिक मतदान बिना ही होता है) अतः इस दोहरी समिका द्वारा सचालक, सम्बन्धित सरकारों से प्रायः सन्तुष्ट व परामर्श लेते रहते हैं ताकि बोट के विचार विमर्शों में इन सरकारों के रुझानों का सहो प्रतिबिम्ब प्रस्तुत किया जा सके।

कार्यकारी सचालक बैंक की धाराओं के ढाँचे के अन्तर्गत नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। कार्यकारी सचालक अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित ऋण व मात्र प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर निर्णय लेते हैं। गवर्नर्स मण्डल की वार्षिक बैठक में आन्तिम लेखा प्रशासनिक बजट, विश्व बैंक के सञ्चालन व नीतियों पर वार्षिक प्रतिवेदन व अन्य विचारार्थ मुद्दों का प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी सचालकों का ही होता है। सचालक मण्डल के कौरम (Quorum) की पूर्ति हेतु 50 प्रतिशत से अधिक शक्ति वाले प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इनके अतिरिक्त बैंक के पास बहुत बड़ी कर्मचारीशक्ति की मध्या है, दत्ताहरणार्थ, 1986 के वर्ष में बैंक के उच्चस्तरीय कर्मचारियों की संख्या 3,617 थी।

विश्व बैंक के कार्यक्रम व उनकी प्रगति

(Bank Activities)

बैंक के विभिन्न कार्यक्रम व उनकी प्रगति का विस्तृत विवरण अग्रविखित है —

बैंक की ऋण क्रियाएँ

(Bank's Lending operations)

विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण व विकास हेतु ऋण प्रदान करता है।

बैंक ने कृषि व ग्रामीण विकास, विकास-वित्त, ऊर्जा, उद्योग आदि क्षेत्रों में विकास हेतु बड़ी मात्रा में ऋण प्रदान किये हैं।

1986 के वित्त वर्ष (जुलाई 1 से जून 20) में विश्व बैंक ने 41 राष्ट्रों को 131 ऋण प्रदान किये। इस वित्त वर्ष में बैंक ने कुल 13,179 मि. डॉलर के ऋण पारित किये जो 1985 के वित्त वर्ष में पारित ऋण से 1,822 मि. डॉलर अर्थात् 16 प्रतिशत अधिक थे। इनमें से 8,263 मि. डॉलर ऋण वितरित किये गये जो 1985 के वर्ष से 382 मि. डॉलर कम थे। बैंक की स्थापना से लेकर जून 30, 1986 तक विश्व बैंक ने कुल 76,693 मि. डॉलर के ऋण वितरित किये हैं।

1986 के वित्त वर्ष में भारत, ब्राजील व इण्डोनेशिया को विश्व बैंक से सर्वाधिक ऋण प्राप्त हुआ था। इस वर्ष में भारत को छ परियोजनाओं के लिए 1,743 मि. डॉलर, ब्राजील को 11 परियोजनाओं के लिए 1,620 मि. डॉलर तथा इण्डोनेशिया को भी 11 परियोजनाओं के लिए 1,132 मि. डॉलर के ऋण विश्व बैंक से प्राप्त हुए थे।

सन् 1982 से 1986 की अवधि में विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों का उद्देशानुसार बटवारा सारणी 18.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 18.1 से स्पष्ट है कि विश्व बैंक ने सर्वाधिक ऋण मध्यम राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था के मूल ढाँचे (Basic Infrastructure) को सुदृढ़ बनाने वाली परियोजनाओं के लिए प्रदान किये हैं। ऊर्जा (अर्थात् तेल, गैस, कोयला, शक्ति आदि), परिवहन व दूर संचार पर व्यय को राष्ट्र विशेष के मूलभूत ढाँचे को सुदृढ़ बनाने में सम्मिलित किया जा सकता है। अन्त. 1982-85 के वर्षों में इन मदों पर व्यय हेतु विश्व बैंक के ऋणों का 35 से 46 प्रतिशत तक प्रदान किया गया था। 1986 के वित्त वर्ष में ऊर्जा संकट की गम्भीरता कम होने के साथ इन मदों पर व्यय हेतु प्रदान विश्व बैंक ऋणों का प्रतिशत भी घटकर 29.7 रह गया था। हाल ही के वर्षों में विश्व बैंक के ऋणों में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु प्रदत्त प्रतिशत में वृद्धि हुई है। इस मद हेतु विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों का लगभग 21 प्रतिशत में कुछ अधिक रहा था, लेकिन 1986 के वित्त वर्ष में यह प्रतिशत बढ़कर 28.5 हुआ गया था। अन्त स्पष्ट है कि विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों में कृषि व ग्रामीण विकास को विशेष महत्त्व दिया जाना लगा है। अन्य ढाँचे (other infrastructure), (अग्रिम शहरी विकास, जलपूर्ति मल व्यवस्था (Sewerage) आदि

गामित है), के विकास हेतु प्रदान बैंक के ऋणों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप टनका प्रतिगत 1986 के वर्ष में कुल ऋणों के 11 तक पहुँचा गया। गैर परिशोधना ऋणों का प्रतिगत 1985 के वर्ष में घटकर 4.2 रह गया था लेकिन वह 1986 के वर्ष में पुनः बढ़कर 7.3 प्रतिगत हो गया था। ध्यान रहे गैर परिशोधना व्यय में तकनीकी महाप्रता पर किया गया व्यय भी महत्वपूर्ण है। हाइ ही के वर्षों में विश्व बैंक ने मानव समाधान विकास हेतु भी ऋण प्रदान किए हैं। 1985 व 86 के वित्त वर्षों में मानव समाधान विकास हेतु प्रस्त ऋणों का प्रतिगत 6 से कुछ कम रहा है।

सारणी 18.1 से यह भी स्पष्ट है कि विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1986 के वित्त वर्ष में विश्व बैंक ने कुल 13,178.8 मि. डालर के ऋण प्रदान किये थे।

उहीं तर्क बैंक ऋणों पर व्याज दर का प्रश्न है, 1986 के वित्त वर्ष में देश के वकामा ऋणों पर औसत व्याज की दर 8.5 प्रतिगत रही थी जिसमें बैंक को 4,417 मि. डालर की प्राय हुई थी।

आर्थिक विकास संस्थान

(Economic Development Institute)

1986 का वित्त वर्ष विकास संस्थान की नई पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष था। इस वर्ष में संस्थान ने विकासशील मध्यम राष्ट्रों के उच्चस्तरीय स्टाफ के लिए नीति अभिमुख (Policy-oriented) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने पर विशेष बल दिया था। बैंक ने नीति अभिमुख प्रशिक्षण मामलों के लिए, विकासशील राष्ट्रों में प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रदान महाप्रता का विस्तार किया तथा प्रशिक्षण हेतु द्वितीय महाप्रता के स्थानों में सहयोग किया।

विकास संस्थान ने 1986 के वित्त वर्ष में 105 पाठ्यक्रम व अध्ययन गोष्ठियों को प्रवर्धित किया जिसमें से 15 नीति निर्धारण हेतु वरिष्ठ नीति गोष्ठियाँ तथा 21 विकासशील राष्ट्रों का प्रशिक्षण संस्थाओं के वरिष्ठ स्टाफ के लिए गोष्ठियाँ थीं। ये प्रशिक्षण क्रियाएँ संस्थान की पंचवर्षीय योजना में प्रक्षिप्त (projected) 83 क्रियाओं में तथा मनु 1985 का 83 प्रशिक्षण क्रियाओं से काफी अग्रित थी।

दूसरे वर्ष में आयोजित 69 प्रत्यक्ष प्रशिक्षण गतिविधियों में से लगभग आधी सम्पन्न अन्तःप्रस्था के प्रत्यक्ष अथवा विनिष्ठ क्षेत्रों में सम्पन्न थीं। शेष गतिविधियों

म में अधिकांश परियोजना विश्लेषण (Project analysis) तथा प्रत्यक्ष से सम्बद्ध थी। आर्थिक विकास संस्थान की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सर्वाधिक गरीब अथवा छोटे राष्ट्रो (जिनमें स दक्षिण से सय-सहारा अफ्रीका में हैं) पर विशेष ध्यान दिया गया था। विद्यमान संस्थान के पाठ्यक्रमों व अध्ययन गोष्ठियों में उपस्थित कुल 3,300 भागीदारों में स लगभग 1600 सब-सहारा अफ्रीकी राष्ट्रो स थे।

1986 के वित्त वर्ष में संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स 85 प्रतिशत से अधिक वाणिज्यगत से बाहर आयोजित किए गए जो कि EDI का पूरा विश्व की विस्तृत विस्तार नीमा वाली संस्थानों में सम्पर्क का द्योतक है। विकासगत राष्ट्रो की करीब 80 प्रशिक्षण संस्थाओं से EDI का गहरा सम्पर्क है। क्षेत्रीय व राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं व महद्योग से सम्बन्ध पाठ्यक्रमों व अध्ययन गोष्ठियों के अतिरिक्त EDI ने लगभग 42 संस्थानों को उनके पाठ्यक्रमों के आयोजन व इनके संपादन (delivery) हेतु सहाय्य (support) दिया अथवा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने में, पाठ्यक्रम तैयार करने में वित्तीय निरोजन व प्रबन्ध अथवा स्थानीय अनुभव पर आधारित प्रशिक्षण मामलों की तैयारी में सहाय्य प्रदान की।

वरिष्ठ नीति अध्ययन गोष्ठियों का कार्यक्रम EDI की पंचवर्षीय योजना में विचारों की रूपरेखा के अनुसूचित क्रिया में जा रहा है। 1986 के वित्त वर्ष में सम्बन्ध 15 अध्ययन गोष्ठियों में स 10 सब-सहारा अफ्रीकन राष्ट्रो, 3 लेटिन अमेरिकी राष्ट्रो व एक एशिया व एक मध्यपूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका के राष्ट्रो के लिए थी। अधिकांश अध्ययन गोष्ठियों में कृषि पदार्थों की कीमतें, शिक्षा की वित्त व्यवस्था, जनसंख्या नीति व परिवहन सुविधाओं के कुशल उपयोग जैसे क्षेत्रीय मुद्दों (Sectoral Issues) पर अध्ययन केन्द्रित किए गए थे। उन अध्ययन गोष्ठियों में सामान्य तथा राष्ट्रीय आर्थिक मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा समष्टि अर्थशास्त्र से सम्बद्ध विषयों में तो इन मंचानुषों का भारी प्रतिनिधित्व रहा है। इनमें अधिकांश प्रतिनिधि मन्त्रालय, स्थाई सचिव अथवा उप-स्थायी सचिव के स्तर के थे।

1986 के वित्त वर्ष में EDI के प्रशिक्षणियों के लिए अध्ययन गोष्ठियों का भौगोलिक क्षेत्र काफी विस्तृत कर दिया गया था। EDI की पंचवर्षीय योजना की एक विशेषता यह रही है कि इनमें प्रशिक्षण सामग्री काफी विस्तृत स्तर पर तैयार की है। EDI की 'परियोजनाओं से सम्बद्ध' सामग्री पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई है तथा

इनका विस्तृत रूप में उपयोग भी किया जाता रहा है। लेकिन नीति सम्बन्धी प्रशिक्षण को विशेष महत्त्व देने के अन्तरुप EDI द्वारा तैयार विषय सामग्री पर कुन व्यय का लगभग आधा नीति अभिमुख सामग्री तैयार करने पर व्यय किया जाता है। पिछले दो वर्षों में EDI के कुल व्यय का 14 प्रतिशत प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने पर व्यय किया गया था। 1985 के वित्त वर्ष में पूर्ण रूप से तैयार सामग्री लक्ष्य से वही अधिक थी तथा 1986 में भी उतना ही विषय सामग्री तैयार की गई। 1985 में तैयार सामग्री में समष्टि अर्थशास्त्र व क्षेत्रीय प्रमुख मुद्दों पर अधिक बल दिया गया था।

1983 के मध्य में EDI ने एक मूल्यांकन समिति (Evaluation Committee) सृजित की जिसे EDI के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने, नीतियाँ व प्रक्रिया निर्धारित करने एवं उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया था। समिति ने EDI का मूल्यांकन तकनीकों की समीक्षा की है तथा इनकी अनुप्रयुक्ति को विस्तृत व मजबूत बनाया है।

आर्थिक अनुसंधान व अध्ययन

(Economic Research & Studies)

परियोजनाओं व कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक का कार्य फलीभूत होता रहा है तथा इस कार्यक्रम को स्वयं को आर्थिक व सामाजिक अनुसंधान व विज्ञान कार्यक्रम से बढ़ावा मिला है।

1986 के वित्त वर्ष में बैंक न आर्थिक व सामाजिक अनुसंधान पर लगभग 24 मि डालर व्यय किया जिसमें से 4.4 मि डालर परामर्शदानाओं, यात्राओं, आर्बर्डों के ससाधन (Data Processing) एवं अनुसंधान सहायता पर व्यय किया गया था तथा शेष व्यय स्टाफ के भुगतान पर किया गया।

बैंक का अनुसंधान कार्यक्रम तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है (a) व विशिष्ट तुलनात्मक अध्ययन जो अनुसंधान नीति परिषद (Research Policy Council) के तत्वाधान में आते हैं (b) व अनुसंधान परियोजनाएँ जो प्रमुखतया अनुसंधान परियोजना अनुमोदन समिति (Research Project Approval Committee or REPAC) द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं, तथा (c) वे परियोजनाएँ जो बैंक विभागों की अनुमोदनाई में उनके स्वयं के माध्यमों द्वारा प्रारम्भ की जाती हैं। अर्थात् प्रदान करने से सम्बद्ध क्रियाओं को प्रोत्साहित करने हेतु बैंक द्वारा तैयार

विश्लेषणात्मक कार्यों का 1/3 भाग अनुसंधान पर व्यय होता है। दो अन्य प्रमुख विश्लेषणात्मक कार्यों में नानि विनियमन व 'राष्ट्रिय आर्थिक व क्षेत्रीय कार्य' (Country economic and Sector Work) शामिल है।

बैंक के अनुसंधान कार्यक्रम का मासदशन चार मूलभूत उद्देश्यों द्वारा होता है

(1) बैंक की क्रियाओं व समस्त पहलुओं का प्रो. साहन देना, (2) विकास प्रक्रिया व ज्ञान का विस्तार करना, (3) मध्यम स्तर के उपाय प्रदान करने की प्र. क्षमता में सुधार करना, तथा (4) मध्यम स्तर के उपाय अनुसंधान क्षमता विकसित करने में सहयोग करना।

यह अनुसंधान अनुसंधान नानि परिषद् (Research Policy Council) की 1984 की सिफारिशों के अनुरूप भी विकसित हुई है जिसमें नीति-अभिमुख अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया था। इन सिफारिशों के अनुरूप बैंक का अनुसंधान कार्यक्रम प्राथमिकता वाले पांच मुख्य क्षेत्रों की ओर विवर्तित हुआ है। ये क्षेत्र हैं सरकारी हस्तक्षेप की लागत व लाभ संस्थाओं व प्रेरणाओं (incentives) व मध्य पारस्परिक प्रभाव (interplay), अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक वानावरण अन्तरराष्ट्रीय नीतियों का दीर्घकालीन विकास व सम्बन्ध एवं आर्थिक नियंत्रण व संस्थागत विकास की भूमिका।

कृषि अनुसंधान में सहयोग

(Cooperation in Agricultural Research)

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार दल (Consultative Group on International Agricultural Research or CGIAR) ऐसे सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के दानाओं (donors) का समूह है जो विश्वभर में 13 अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों की वित्त-व्यवस्था करते हैं। विश्व बैंक, खाद्यान्न व कृषि मण्डल (FAO) व संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्धित 'कृषि मंडल' (CGIAR) की स्थापना मई 1971 में विकासशील राष्ट्रों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से उपयोगी अनुसंधान का सम्भव बनाने एवं इसे आगे बढ़ाने हेतु की गई थी। 'कृषि मंडल' ने एक छोटी सी शुरुआत से बड़े उपक्रम का रूप धारण कर लिया है। पन्द्रह वर्ष पूर्व 'कृषि मंडल' की स्थापना से अब तक इसके दाना राष्ट्रों की संख्या 25 हो चुकी है। इसके अलावा एक दर्जन से भी अधिक संस्थाएँ व

दर ऋण व्यवस्था (Pool based Variable rate lending System) के अनुसूच्य ऋण पर द्वाज दर का वर्ष में दो बार समायोजन करके विश्व बैंक की ऋण लागत से 0.5 प्रतिशत अधिक दर निर्धारित करने की बाधा से इस सन्दर्भ में विशेष शिकायत नहीं रह गई है।

- (2) दूसरी प्रालोचना यह की जाती है कि विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण विकासशील राष्ट्रों के लिये पूर्णतया अपर्याप्त है। लेकिन इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि बैंक की नीतियों में ऐसा कोई तत्त्व नहीं है जिसे हम अपर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिये उत्तरदायी ठहरा सकें।
- (3) बैंक की ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया भी काफी विभेदात्मक व जटिल है। बैंक ऋण स्वीकृत करने से पूर्व ही राष्ट्र का पुनर्भूगणन क्षमता पर बल देता है, अतः विकासशील राष्ट्र कई बार ऋण प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।
- (4) इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के ऋण विशिष्ट परियोजनाओं के लिए ही प्रदान किये जाने के कारण ऋण प्राप्तकर्ता राष्ट्र स्वनिर्णय से ऋण का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ऋण प्रदान करने में अनेक औपचारिकताओं व कारणों के कारण कई बार ऋण की स्वीकृति में विरम्ब हो जाता है।
- (5) सामान्यतया यह भी आरोप लगाया जाता है कि बैंक की ऋण क्रियाएँ अमेरिका जैसे प्रभावशाली राष्ट्रों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित की जाती हैं अतः अमेरिका का राजनैतिक विरोध करने वाले राष्ट्रों को विश्व बैंक से पर्याप्त सहायता प्रदान करने में कठिनाई होती है। इस प्रालोचना में कुछ बचन अवश्य हैं।

अन्त में हम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास में विश्व बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तथा विश्व बैंक के योगदान के परिणामस्वरूप ही अल्प विकसित राष्ट्र विकास ऋणों की प्राप्ति की दृष्टि से देखने लगे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

(International Development Association)

स्थापना व उद्देश्य (Establishment and objects of IDA) - विश्व बैंक के लिये अपनी धाराओं में भारी परिवर्तन किये बिना अपने ऋणों को अधिक

उदार बनाना सम्भव नहीं था। इन एरानी सस्या स्थापित करने की आवश्यकता नहूस की गयी जे विकासशील रास्ट्रो को आमान जर्ता पर ऋण प्रदान कर सके।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखने हुए सन् 1960 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की स्थापना की गयी थी।

विकास सघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विकासशील रास्ट्रो को आमान शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। इन ऋणों पर ब्याज की दर नगण्य होती है। विकास सघ द्वारा प्रदत्त ऋणों की अवधि 50 वर्ष होती है तथा ऋण को प्रथम किस्त का भुगतान ऋण लेने के 10 वर्ष बाद प्रारम्भ होना है। विकास सघ अपने ऋणों पर ब्याज न लेकर प्रशासनिक व्यय पूरा करने के दृष्टिकोण से प्रतिशत सेवा शुल्क ही नेता है। इसके अतिरिक्त सघ से ऋण प्राप्त करने हेतु सरकारी जमानत की भी आवश्यकता नहीं होती है। सघ के ऋणों का भुगतान ऋणी देश अपनी मुद्रा में कर सकता है अतः ऋणी रास्ट्र दुर्लभ विदेशी विनिमय की चिन्ता से भी मुक्त हो जाते हैं। विकास सघ द्वारा प्रदत्त माख के लिए अधिवाश कोष सरकारों से प्राप्त हुवे हैं। प्रशासकीय दृष्टिकोण से विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ के कार्यकारी सचालन, अधिकारी व स्टाफ सदस्य एव (same) ही हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परिचालन के दृष्टिकोण से बैंक व विकास सघ एक ही संगठन है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इतिहास में तीन दृष्टिकोणों से एक महत्वपूर्ण घुमान्तवारी घटना थी। प्रथम, इससे विश्व बैंक पर व भुगतान की बहु-पक्षीय प्रणाली की स्थापना के प्रयत्नों को बल मिला, द्वितीय, इससे विश्व के सर्वाधिक घनाड्य रास्ट्रा के लिए गरीबी शीपचारिक रूप से प्रमुख चिन्ता का मामला बना तथा तृतीय इसकी स्थापना से रिशायती वित्तव्यवस्था का सस्थानिककरण (institutionalization) हो पाया।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ की वित्त व्यवस्था व सहायता आवंटन (Financing and Allocation of Funds)

विकास सघ ने 1 बि डालर से कम कोषों से अपना कार्य प्रारम्भ किया था। तत्पश्चात् सन् 1965 में एक जन इसके सहायकों का माउ जस्ट स्थापण (Establishment) किया जा चुका है। जून 1986 के अन्त तक विकास सघ के ससाधन लगभग 39 बि डालर हो चुके थे।

विकास सघ का आपूर्ण कार्यक्रम कठिनाईयो से परिपूर्ण रहा है। इसके सहायन आपूर्ण के भार को बाँटने की समस्या तथा अमेरिका द्वारा भुगतानों में विलम्ब से सघ के आपूर्ण कार्यक्रमों में कठिनाईयाँ आयी हैं। इस अवधि में विनाम सघ के सबसे बड़े मूल अगदाता समुक्त राज्य अमेरिका व इंग्लैण्ड के अगदान का हिस्सा निरन्तर गिरता गया है जबकि अन्य राष्ट्रों ने यह भार वहन करना प्रारम्भ किया है। लेकिन फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ द्रुतगति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

वर्तमान में कुल छूट सहायता के प्रवाह में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

1960 से 1980 की बीस वर्षों की अवधि में आधिकारिक विकास सहायता दुगुनी से अधिक तथा बहुपक्षीय माध्यमों से प्रवाहित होने वाली सहायता 13 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गई थी। 1980 के वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ का कुल सहायता में 9 प्रतिशत तथा बहुपक्षीय सहायता में 30 प्रतिशत योगदान रहा था।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ ने प्रारम्भ के 20 वर्षों में अर्थात् 1960 से 80 की अवधि में लगभग 1300 परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने हेतु 78 राष्ट्रों को 27 बि. डालर की सहायता प्रदान की थी। 1986 के वित्त वर्ष में विकास सघ ने 97 परियोजनाओं के लिये 37 राष्ट्रों को 3,140 मि. डालर की सहायता प्रदान की है। ध्यान रहे, विकास सघ द्वारा प्रदत्त ऋण विश्व बैंक के 13,179 मि. डालर के ऋण से काफी कम है।

विकास सघ द्वारा प्रदत्त सहायता व परियोजनाएँ

(IDA Projects)

विकास सघ की परियोजनाएँ कार्यक्रम, ढाँचे व क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से बैंक योजनाओं के समरूप ही हैं। लेकिन विकास सघ के सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पिछड़ापन के कारण विकास सघ ने कृषि व ग्रामीण विकास हेतु अधिक सहायता प्रदान की है। विकास सघ बैंक की तुलना में परियोजना की लागत के अधिक अंश के लिये सहायता प्रदान करता है तथा यह अंश गरीब राष्ट्रों में सर्वाधिक रहा है। विकास सघ की परियोजनाओं की लागत के शेष हिस्से (वरीब 56 प्रतिशत) की वित्तव्यवस्था आंशिक रूप से तो सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्रों द्वारा तथा आंशिक रूप से दाताओं द्वारा

सारणी—18 2

1982-86 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय विकास संधि द्वारा प्रदत्त ऋणों का उद्देश्यानुसार वितरण (प्रतिशत)*

उद्देश्य	1982	1983	1984	1985	1986
1 कृषि व ग्रामीण विकास	33.4	39.3	39.2	44.9	32.3
2 मूलभूत ढांचा (Basic Infrastructure)	38.5	26.5	23.9	18.1	20.7
(अ) ऊर्जा	27.7	9.3	14.0	7.1	12.1
(ब) परिवहन	8.7	15.5	9.9	9.0	7.8
(म) दूरसंचार	2.1	1.7	—	2.0	0.8
3 उद्योग ¹	9.0	4.2	9.7	2.5	6.3
4 अन्य ढांचा (Other infrastructure)	3.4	12.2	4.0	11.1	8.6
(अ) जनपूर्ति व मजबूतस्था	1.5	5.4	2.5	5.2	3.1
(ब) शहरी विकास	1.9	6.8	1.5	5.9	5.5
5 मानव ससाधन विकास	4.5	9.2	10.6	14.6	16.1
(अ) शिक्षा	3.6	7.5	5.7	13.6	8.0
(ब) जनसंख्या स्वास्थ्य व पोषाहार	0.9	1.7	4.9	1.0	8.1
6 गैर परियाचना ऋण ² योग ³	10.1	8.6	13.2	8.6	15.9
प्रयत्नित मि. डालर में	2,686.3	3,340.7	3,575.0	3,028.1	3,139.9

1 इसमें विकास वित्त कंपनियों उद्योग छाप पैमाने व उपजने व पयजने सम्मिलित हैं।

2 इसमें तकनीकी सहायता भी सम्मिलित है।

3 विस्तृत वितरण योग स भिन्न पूर्णांकीकरण (Rounding) व वारण है।

* Source World Bank, Annual Reports

की जाती है। विकास सघ द्वारा 1982 से 86 के वर्षों में प्रदत्त सहायता का क्षेत्रानुसार बटवारा सारणी 18.2 में दर्शाया गया है।

सारणी 18.2 से स्पष्ट है कि विकास सघ द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास के लिये प्रदत्त सहायता के प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है। यह प्रतिशत 1982 के वर्ष में 33.4 था जो कि 1985 में बढ़कर 44.9 में अधिक हो गया लेकिन 1986 के वित्त वर्ष में इस प्रतिशत में पुन गिरावट होने से यह 32.3 रह गया था। विकास सघ की सहायता के समग्र क्षेत्र मूलभूत ढांचे (Basic Infrastructure) वाली परियोजनाओं जैसे परिवहन, ऊर्जा, व-दरगाह आदि, पर ध्यान केन्द्रित किया था। लेकिन 1960 के दशक में विकास चिन्तन विकसित होने के साथ-साथ यह महसूस किया जाने लगा कि बहुत से विकासशील राष्ट्रों में कृषि क्षेत्र की व्यवस्था नियोजन के परिणामस्वरूप छायाओं की कमी व इनके लिये आयातों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। अतः 1960 के दशक के अन्तिम वर्षों में विकास सघ कृषि क्षेत्र के लिये अधिक सहायता प्रदान कर रहा है। 1973 के वर्ष में रोजगार व आय के वितरण का चिन्ता बढ़ने के कारण बैंक व विकास सघ न ग्रामीण विकास के लिये अधिक सहायता व ऋण प्रदान किए। ऐसी परियोजनाओं की सहायता में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिनसे छोटे किसान जुड़ रहे हैं।

विकास सघ का अनेक सफलताएँ प्राप्त हुई हैं। उदाहरणार्थ विकास सघ की सहायता से दक्षिणी-एशिया के राष्ट्रों की 'हरित क्रांति' के विस्तार वाली तकनीकी व विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भारतवर्ष में लम्बी अवधि के पश्चात् प्यादाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। मिर्चाई सुविधाओं व कृषि माध्यमों की वित्त व्यवस्था में विकास सघ का विशेष योगदान रहा है। हाल ही के वर्षों में विशाल मिर्चाई परियोजनाओं के स्थान पर ऐसी परियोजनाओं का प्राथमिकता दी जा रही है जिनसे वितरण सुविधाओं में सुधार हो तथा निर्जात मालिकों के कुश्रों का विकास एवं सेवा के अन्तर्गत उत्तम हो सके। इसके अतिरिक्त मालावी व कोन्या के कृषि विकास में भी विकास सघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ ने शहरी शरीकों व रोजगार के कार्यक्रमों के लिए भी सहायता प्रदान की है। शहरी में आश्रय (shelter) की समस्या का शरीकों की माध्यम के अन्तर्गत हल आज़ान में विकास सघ ने पथ प्रदर्शन कार्यक्रम अपनाये हैं।

प्राथमिक ऋणों में छोटे व मध्यम प्रकार की फर्मों को प्राथमिकता प्रदान कर रोजगार बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं। जलपूर्ति परियोजनाओं में अधिकाधिक सरल प्रणालियों को अपनाने पर बल दिया गया है। 1982-86 के वित्त वर्षों में उद्योगों को प्रदत्त सहायता में कुल सहायता के प्रतिशत के रूप में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं। 1984 के वित्त वर्ष में यह प्रतिशत अधिकतम 9.2 था जो कि 1986 के वर्ष में 6.3 रह गया था।

अन्य ढाँच (Other Infrastructure) को (जिसमें जलपूर्ति व मन-व्यवस्था तथा गहरी बिकास सम्मिलित है) 1983 व 1985 के वित्त वर्षों में कुल सहायता का लगभग 12 प्रतिशत प्रदान किया गया था। मानव ससाधना के बिकास व लिए दी गई सहायता में विशेष वृद्धि हुई है। इस मद के लिए दी गई सहायता 1982 के वित्त वर्ष में कुल सहायता के 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 1986 के वर्ष में 16.1 प्रतिशत हो गई थी। इस मद में शिक्षा व स्वास्थ्य से सम्बद्ध कार्यक्रम शामिल हैं। हाल ही के वर्षों में बिनास सघ ने सेकेण्डरी व उच्च स्तर शिक्षा के स्थान पर प्राथमिक शिक्षा एवं व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा के लिए अधिक सहायता प्रदान की है। बिकास सघ के गैर-परियोजना सहायता के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। इस मद में एक छोटा अंश तकनीकी सहायता के रूप में भी सम्मिलित है।

बिकास संघ द्वारा प्रदत्त सहायता की सार्थकता

(Effectiveness of the IDA Lendings)

बिनास सघ जैसी वित्त व्यवस्था करने वाली सस्था के कार्यक्रमों की सार्थकता (Effectiveness) मापने की एक विधि इसके विनियमों पर प्रोत्फल की दरों का मूल्यांकन करना है। बिकास सघ की परियोजनाओं की क्षेत्रानुसार प्रोत्फल की दर सारणी 18.3 में दर्शायी गयी है। सारणी से स्पष्ट है कि कुल मिलाकर बिकास सघ द्वारा वित्त व्यवस्था में सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं पर प्रोत्फल की दर लगभग 18 प्रतिशत रही है जो कि विश्व बैंक की परियोजनाओं पर प्रोत्फल की दर के बराबर है। सारणी 18.3 से यह भी स्पष्ट है कि क्षेत्रानुसार प्रोत्फल की दर में भारी भिन्नताएँ विद्यमान हैं। उदाहरणार्थ, पूर्वी अफ्रीका के देशों में यह प्रोत्फल की दर 13.2 प्रतिशत रही है जबकि दक्षिणी एशिया के देशों में यह 22.5 प्रतिशत थी। यद्यपि ये प्रोत्फल की दरें बिनास सघ द्वारा पूर्ण ऐसी लगभग 183 परियोजनाओं के लिये हैं जिनके लिये इन दरों की गणना की

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के कोष सदस्य राष्ट्रों की सरकारों से प्राप्त होने हैं, लेकिन हाल ही में विश्व बैंक ने भी इसके कोष में योगदान दिया है। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के प्रशासन का प्रश्न है, इसके कुछ अधिकारी विश्व बैंक वाले अधिकारी ही होते हैं, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संधि के विपरीत वित्त निगम का पृथक् प्रशासनिक ढाँचा है। फिर भी वित्त निगम विश्व बैंक समूह का अभिन्न अंग है जो बैंक से ऋण प्राप्त करता है, बैंक के लिये सेवार्थें निष्पादित करता है तथा कई वित्तीय क्रियाओं में बैंक का सहयोगी बना रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की भूमिका

(Role of IFC)

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को इकट्ठि निवेश करने तथा मरकारी जमानत के बिना ऋण प्रदान करने का अधिकार है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की भूमिका निजी व मिश्रित (निजी-सार्वजनिक) उत्पादक उपक्रमों को निजी पूँजी प्रदान करने की है न कि इन उपक्रमों को प्रतिस्थापित करने की। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम उद्यमकर्ताओं, विनियोग पूँजी व उत्पादन को एक साथ जुटाने में उत्प्रेरक (catalyst) की भूमिका निभाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम को वाणिज्य वित्तीय संस्थाओं से भिन्न करने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वित्त निगम परियोजना प्रवर्तकों (sponsors) को परियोजनाओं की भावी उत्पादकता व वित्तीय सुस्थिति के बारे में तकनीकी सलाह प्रदान करने के लिये बचनबद्ध है।

इसके प्रतिरिक्त निगम सदस्य सरकारों को उन राष्ट्रों में धरतु व विदेशी निवेश के लिये उपयुक्त वातावरण विकसित करने के प्रयासों के लिये नाति सम्बन्धी महायत्ना भी प्रदान करता है। निगम इकट्ठि निवेश भी करता है तथा बिना सरकारी गारन्टी के ऋण भी प्रदान करता है। निगम का विशिष्ट विभाग वित्तीय बाजारों के आर्थिक विकास में योगदान को ध्यान में रखते हुए निगम व विश्व बैंक की पूँजी बाजार विकास क्रियाओं का कन्द्र बिन्दु है। यह विभाग वित्तीय बाजारों की आवश्यकताओं एवं विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं हेतु विशिष्ट सहायन प्रदान करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की पूँजी में वृद्धि व निगम की प्रगति

(Increase in the Corporation's Capital and its Progress)

26 दिसम्बर 1985 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (Board of Governors) ने सचालक मण्डल (Board of Directors) के उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया था जिसके तहत निगम के पूँजी स्टॉक को बढ़ाकर 13 बि डालर तथा नये अंशों में 650 मि डालर के विनियोग करने का प्रावधान था। 1 अगस्त 1986 तक निगम को प्रतिरिक्त अंशों (shares) के लिए अंशदान (subscription) तथा भुगतान के रूप में 130 मि डालर (कुल का पाँचवा हिस्सा) प्राप्त होता था। पूँजी की इस वृद्धि से निगम को 1985 के वित्त वर्ष से प्रारम्भ हुए द्वितीय पंचवर्षीय कार्यक्रम (Second Five-year Programme) को क्रियान्वित करने हेतु पूँजी-साधार प्रदान होगा। इस कार्यक्रम में निगम की क्रियाओं (operations) व विशुद्ध निवेश में 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को पूरी पंचवर्षीय अवधि में बनाये रखा जाएगा। इस कार्यक्रम में सब-सहारा अफ्रीका के राष्ट्रों, वित्तीय बाजारों व संस्थाओं, सामूहिक पुनः संरचना (Corporate Restructuring) एवं ऊर्जा प्रवर्धन के क्षेत्रों में क्रियाओं पर विशेष बल दिया जायेगा।

1986 के वित्त वर्ष में बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ने कुल 85 परियोजनाओं का अनुमोदन किया था जबकि 1985 के वर्ष में इन परियोजनाओं की संख्या 75 थी। इसी प्रकार 1986 के वित्त वर्ष में बोर्ड ने 710 मि डालर विशुद्ध विनियोग राशि का अनुमोदन किया था जो कि 1985 के वर्ष में अनुमोदित राशि से 17 प्रतिशत अधिक थी। सहभागिता महित वित्त निगम का कुल विनियोग 1156 मि डालर था जबकि यह राशि 1985 के वर्ष में 977 मि डालर ही थी।

• वित्त निगम के 1986 वित्त वर्ष के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि निगम ने निर्धन राष्ट्रों में विनियोग पर विशेष ध्यान दिया है। 1986 के वित्त वर्ष में कुल 1156 मि डालर के अनुमोदित विनियोग में से 295 मि डालर की 33 परियोजनाएँ ऐसे राष्ट्रों में स्थित थी जिनकी प्रतिव्यक्ति आय 800 डालर से कम थी। ये परियोजनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का 39 प्रतिशत थी तथा इनमें वित्त निगम द्वारा अनुमोदित विनियोग का 25 प्रतिशत विनियोजित हुआ था।

भारत व विश्व बैंक समूह

(India and the World Bank Group)

भारत विश्व बैंक व इससे सम्बद्ध संस्थाओं के मस्थानक सदस्यों में से एक है। भारत को विश्व बैंक ने न केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है अपितु समय-समय पर महत्वपूर्ण आर्थिक परामर्श भी प्रदान किया है। बैंक ने समय-समय पर अनेक दल भेजकर राष्ट्र के विकास कार्यक्रमों का अध्ययन किया है। बैंक ने नई दिल्ली में एक स्थानीय प्रतिनिधि (Resident Representative) की नियुक्ति की है जो भारत सरकार के सम्पर्क में रहकर राष्ट्र की विकास योजनाओं व परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त करता है। भारत व पाकिस्तान के मध्य नहरी जल के विवाद के हल में विश्व बैंक की मध्यस्थ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी जिसके परिणामस्वरूप सन् 1960 में यह विवाद निपट सका था। भारत वर्ष की सहायता हेतु बैंक ने 'Aid India Club' नामक सहायता सभ बनाया है जिसने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल से अब तक भारत को काफी वित्तीय सहायता प्रदान की है।

विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ (IDA) द्वारा भारत को स्वीकृत ऋण सारणी 18.4 में दर्शाया गया है।

सारणी-18.4

विश्व बैंक व विकास सभ द्वारा भारत को प्रदत्त ऋण (मि० डालर में)

	30 जून 1986 तक स्वीकृत ऋण			1986 के वित्त वर्ष में स्वीकृत ऋण		
	कुल ऋण	कुल में भारत का अंश	भारत की प्रतिशत स्वीकृत ऋण	कुल ऋण	कुल में भारत का अंश	भारत की प्रतिशत स्वीकृत ऋण
विश्व बैंक	126,098.6	10,691.9	8.5	13,178.8	1743.2	13.2
अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ	39,822.0	13,828.2	34.7	3,139.9	625.1	19.9
योग	165,920.6	24520.1	14.8	16,318.8	2368.3	14.5

सारणी 18.4 से स्पष्ट है कि विश्व बैंक ने 30 जून 1986 तक कुल 126098.6 मि. डालर के ऋण स्वीकृत किये थे जिनमें भारत का अंश 10691.9 मि. डालर था जो कि कुल का लगभग 8.5 प्रतिशत था। 1985 के वित्त वर्ष में विश्व बैंक द्वारा कुल स्वीकृत 13178.8 मि. डालर में से भारतवर्ष को 1743 मि. डालर ऋण स्वीकृत किया गया था जो कि कुल स्वीकृत ऋण का 13.2 प्रतिशत था।

जहाँ तक विकास सघ द्वारा भारत को स्वीकृत ऋणों का प्रश्न है 30 जून 1986 तक सघ ने कुल 39,822 मि. डालर के ऋण स्वीकृत किये थे जिनमें से भारत का अंश 13,828.2 मि. डालर था जो कि कुल का 34.7 प्रतिशत था। 1986 के वित्त वर्ष में विकास सघ द्वारा स्वीकृत कुल 3139.9 मि. डालर के ऋण में से भारत को लगभग 625 मि. डालर ऋण स्वीकृत किया गया था जो कि कुल का लगभग 20 प्रतिशत था।

अतः स्पष्ट है कि 30 जून 1986 तक विनाम सघ ने अपने कुल स्वीकृत ऋणों में से भारत को 34.7 प्रतिशत ऋण स्वीकृत किये जबकि विश्व बैंक के ऋणों में यह प्रतिशत लगभग 8.5 ही था।

विश्व बैंक व विकास सघ दोनों ने मिलकर 30 जून 1986 तक कुल 165,921 मि. डालर ऋण स्वीकृत किये थे जिनमें से भारत को 14.8 प्रतिशत अंश प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 1986 के वित्त वर्ष में भारत का बैंक व विनाम सघ से कुल मिलाकर 2368 मि. डालर ऋण स्वीकृत हुए जो कि कुल स्वीकृत ऋणों का 14.5 प्रतिशत था।

यद्यपि यह सत्य है कि विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्रों में भारत का अंश सर्वाधिक रहा है। लेकिन यदि हम सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्रों को प्राप्त प्रति व्यक्ति सहायता के दृष्टिकोण से देखें तो विश्व बैंक समूह से भारत को प्राप्त प्रतिव्यक्ति सहायता 1983-84 में 3.8 डालर थी जो कि 1984-85 में घटकर 3.2 डालर रह गयी थी। अतः विश्व बैंक समूह से प्राप्त सहायता को शीघ्रताशीघ्र बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास सघ से प्राप्त सहायता में भी भारत का अंश बहुत घट गया है। यह अंश 30 जून 1985 तक औसतन 36 प्रतिशत था जो कि 1986 के वित्त वर्ष में केवल 20 प्रतिशत रह गया था।

जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से भारत को प्राप्त ऋण का प्रश्न है जून 1978 के अन्त तक वित्त निगम ने 13 परियोजनाओं में 63.6 मि डालर का विनियोग स्वीकृत किया था जो कि निगम के कुल विनियोग का लगभग 3 प्रतिशत था। 1981 के वित्त वर्ष में 7 निजी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्त निगम ने 100 मि डालर का विनियोग स्वीकृत किया था। 1984 के वित्त वर्ष में वित्त निगम ने भारत में 15 मि. डालर का विनियोग किया था। अत स्पष्ट है कि भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम से पर्याप्त लाभ उठाने में असमर्थ रहा है। भारतवर्ष के निजी क्षेत्र के निवेशकों को निगम द्वारा प्रदत्त सुविधा का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास जारी रखना चाहिए।

निष्कर्ष

(Conclusion)

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विकासशील राष्ट्रों में निजी उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित करने में वित्त निगम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन फिर भी विकास निगम के ऋण काफी महँगे हैं क्योंकि वित्त निगम व्याज के अनिश्चित लाभ में भी हिस्सा प्राप्त करता है। इसी प्रकार यह भी महसूस किया जाता है कि वित्त निगम ऋण देते समय अमेरिका समर्थक विकासशील राष्ट्रों को विशेष प्राथमिकता प्रदान करता है।

इस अध्याय में विश्व बैंक समूह के विस्तृत अध्ययन के बाद हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक समूह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यह रहा है कि इसके प्रयत्नों के परिणामस्वरूप विकासशील राष्ट्र विकास ऋणों को सम्मानजनक मानने लगे हैं। इस समूह को यदि यथेष्ट वित्तीय समर्थन प्राप्त होता रहा तो यह समूह ऋण, तकनीकी सहायता, तथा समन्विकरण व सर्वोत्तम क्रियाओं के माध्यम से निरन्तर अधिकाधिक योगदान प्रदान करता रहेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या (Problem of International Liquidity)

प्रावकथन

(Introduction)

अन्तर्राष्ट्रीय 'तरलता' की समस्या को सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक आरक्षित निधि (reserves) की 'मात्रा' (quantity) से सम्बद्ध विचार-वस्तु से जुड़ा हुआ माना जाता है जबकि भरोसे की समस्या (confidence problem) को सामान्यतया आरक्षित निधियों की बनावट (composition) से जुड़ा हुआ माना जाता है, विशिष्ट रूप से इसे विभिन्न प्रकार की आरक्षित निधि परिसम्पत्तियों के सहअस्तित्व तथा इससे इनमें विघ्नकारी विवर्ती (shift) की सम्भावना से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इन दोनों समस्याओं के पीछे अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि परिसम्पत्ति के वितरण (distribution) से सम्बद्ध मूलभूत विचार-वस्तु भी विद्यमान है।

अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि परिसम्पत्तियों (reserves) व तरलता (liquidity) पर साहित्य मुख्यतः इन तीन विचार-वस्तुओं से सम्बद्ध आदर्शमूलक (normative) विचार के रूप में विकसित हुआ है। उदाहरणार्थ, आरक्षित निधियों की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिये तथा इनकी पूर्ति में वृद्धि किस दर से होनी चाहिए? आरक्षित निधियों की उपयुक्त बनावट किस तरह की होनी चाहिए तथा नई आरक्षित निधियाँ किस रूप में बढ़ाई जानी चाहिए? आरक्षित निधियों का उपयुक्त वितरण क्या होना चाहिए तथा नई आरक्षित निधियों के लाभों का वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए? आदि प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या से सम्बद्ध मूल प्रश्न हैं। अतः इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विस्तृत विचार करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता से अभिप्राय (Meaning of International Liquidity)

विश्लेषण प्रारम्भ करने में पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय तरलता का अभिप्राय स्पष्ट करना अपेक्षित है।

अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित निधियों (reserves) के अर्थ पर तो लगभग सभी अर्थशास्त्री सहमत हैं। इन्होंने दस के समूह¹ (Group of Ten) ने इस प्रकार परिभाषित किया है — "एक राष्ट्र की आरक्षित निधियों को मोट रूप से उसके मौद्रिक अधिकारियों की ऐसी समस्त परिसम्पत्तियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में अथवा अन्य परिसम्पत्तियों के रूप में सुनिश्चित परिवर्तनीयता व माध्यम से राष्ट्र के बाह्य सन्तुलन के घाट की स्थिति में उसकी विनिमय दर के समर्थन हेतु प्रयुक्त किया जा सके।"² अतः स्पष्ट है कि आरक्षित निधि को सख्त (gross) रूप में परिभाषित किया जाता है न कि शुद्ध (net) रूप में तथा इनमें हम केन्द्रीय बैंक के कुल स्वर्ण कोषों, परिवर्तनीय विदेशी विनिमय, विशेष आहरण अधिकार (SDRs) तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित निधि की स्थिति का सम्मिलन करते हैं।

दूसरी ओर 'अन्तर्राष्ट्रीय तरलता' के अर्थ पर काफी समय से बहस ही सहमत नहीं हुई है। युद्धोत्तर कालीन प्रारम्भिक वर्षों में कुछ अर्थशास्त्रियों ने, जैसे, एच. वॉन आर्न्ट (H. W. Arndt), बी० गुडमन (B. Goodman) ने अन्तर्राष्ट्रीय तरलता पर जो गुणवत्ता वाले वर्णनात्मक विशेषण के रूप में किसी भी 'दी हुई' (given) आरक्षित निधि के लिए प्रयुक्त करने पर जोर दिया तथा इसे परम्परागत धरोहर मौद्रिक उपयोग के साक्षर्य उपयोग कर इसमें विदेशी भुगतानों पर आकस्मिक व्यय (contingencies) बहान करने हेतु विशिष्ट आरक्षित निधि की पर्याप्तता व उपयोगिता का वर्णन किया। तत्पश्चात् अन्य अर्थशास्त्रियों [जैसे ब्राउन (Brown), गर्मिन³

1 Group of Ten, Report of the Study Group on the Creation of Reserve Assets, 1965

2 "A country's reserves may be broadly defined as all those assets of its monetary authorities that can be used directly or through a suspended convertibility into other assets, to support its rate of exchange when its external payments are in deficit."

(Gemmell), क्लेमेन्ट (Clement), विलियमसन (Williamson), कोहन (Cohen) व काने (Kane)] ने अन्तर्राष्ट्रीय तरलता पद को गुरुवत्ता वाले ऐसे वर्णनात्मक विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जिसमें राष्ट्र अथवा विश्व की समस्त आरक्षित निधि को शामिल किया जा सके तथा अन्तर्राष्ट्रीय तरलता में राष्ट्र अथवा विश्व की 'समस्त' (total) आरक्षित निधि की पूर्ति की पर्याप्तता अथवा उपयोगिता को वर्णित किया एवं इसमें उधार देय सुविधाओं अथवा विदेशी उधार की सुलभता, निजी स्वामित्व वाली विदेशी विनिमय आरक्षित निधियों अथवा देनदारियों के बकाया के स्तर, घरेलू मुद्रा-पूर्ति के लिए आवश्यक आरक्षित निधि आदि घटकों के लिए सकल आरक्षित निधियों का समायोजन किया।² वास्तव में बिना अर्थात्तीय समायोजक उपायों का सहारा लिये राष्ट्र की भुगतान सन्तुलन के घाटे की वित्तव्यवस्था करने की योग्यता को अन्तर्राष्ट्रीय तरलता द्वारा वर्णित किया गया था।

काने³ (Kane) के अनुसार 'एक राष्ट्र की अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की उसकी विभिन्न विदेशी आरक्षित निधियों, देनदारियों, बचनबद्धताओं, एवं उधार के स्रोतों के सम्भाव्यतात्मक भारशील योग (Probabilistically Weighted sum) के रूप में मानना सर्वोत्तम है।'³

लेकिन वर्तमान में इनमें से किसी भी अर्थ का पक्ष नहीं लिया जा सकता है। मैक्लूप (Machlup) की अध्यक्षता वाले अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन समूह के विचारविमर्श के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को मात्र "स्वामित्व वाली आरक्षित निधियों (owned reserves) व बिना शर्त वाले आह्वरण अधिकारों के योग"⁴ के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को मात्र अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित निधियों का पर्याय माना जाता है।

एक अन्य स्थान पर प्रो० मैक्लूप (Machlup) ने अन्तर्राष्ट्रीय तरलता को इस प्रकार से परिभाषित किया है, "एक वैश्विक केन्द्रीय बैंक की स्थिति पर उसके अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों के साधनों की प्रायोज्य आरक्षित निधियों (Disposable

2 Williamson, John—Liquidity & the Multiple Key Currency Proposal—AER, June 1963 pp 427-33

3 Kane, E J—International Liquidity . A Probabilistic Approach—Keyklos, 19 (1965) p 29

4 International liquidity has been defined simply as 'the sum of owned reserves and unconditional drawing rights'

है। यद्यपि इस वृद्धि की दर को अनुकूलन (optimum) वृद्धि दर नहीं माना जा सकता क्योंकि कुछ परिस्थितियों में यह वाछनीय हो सकता है कि इस तरह से चलना की गई SDRs नृजन की दर में समायोजन करने राष्ट्रीय रिजर्व-व्यवहार को विश्व रिजर्व पूति के अनुरूप के नजदीक लाया जाये।

विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पूर्व अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की मांग व बनावट में हान ही के परिवर्तनों पर विहंगम दृष्टिपाठ अपेक्षित है।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की मांग

(The demand for Reserves)

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक आरक्षित निधि की मांग को प्रभावित करने वाले घटक अथवा इनके निर्धारक घटक कौनसे हैं ?

सूक्ष्म रूप से भिन्न राष्ट्रों की सरकारों द्वारा विनिमय दर को तब तक पर किन्ती न किन्ती प्रकार की सीमा लगाये रखने वा दबनबढ़ना में आरक्षित निधियों की मांग व्युत्पन्न होती है। यदि विनिमय दर पूर्णरूप से स्वतंत्र है तो प्राथमिक मौद्रिक आरक्षित निधियों की आवश्यकता नहीं होगी। आरक्षित निधि की आवश्यकता इसलिए होती है कि विभिन्न राष्ट्रों के मौद्रिक अधिकांगे विनिमय दर निर्धारण को पूर्णतया निम्न बाजारों पर छोड़ देने के अनिच्छुक रहते हैं।

यदि अन्य बातें समान रहें तो व्यक्तिगत सरकारें अर्द्ध ही कम की तुलना में अधिक आरक्षित निधि रखना पसन्द करेंगी। इस मन्दर्भ में उनकी मनोदशा बाजार के विवेक्षणों व्यक्ति से भिन्न नहीं होती है। आरक्षित निधि का दिया हुआ स्तर कम स्तर की तुलना में अधिक उपयोगिता प्रदान करना है क्योंकि इससे अधि-वारियों को घरेलू अर्थव्यवस्था व प्रवृत्ति हेतु अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है। आरक्षित निधि का अन्तार विनता अधिक होगा उतनी ही सरकार की घरेलू व्यय में कमी, अथवा नियंत्रणों जैसे समायोजक उपाय अथवा बिना बाह्य अनुदान की वित्त व्यवस्था करने की क्षमता अधिक होगी। ऐसे समायोजक उपायों को अथवा कठिन व अनुविधाजनक इसलिए हो सकता है कि इनमें बेरोजगारी, माधन आहत में विह्वल तथा विकास दर में कमी आदि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन आर्थिक प्रभावों को आरक्षित निधि का संचय न करने की सम्भावित अवसर लागत के रूप में देखा जा सकता है अथवा इन आर्थिक प्रभावों को टाँपने की आरक्षित निधियों के संचय की उपयोगिता माना जा सकता है।

अन्तराष्ट्रीय तरलता की मात्रा व बनावट से सम्बद्ध कुछ आंकड़े
(Level and Composition of International Liquidity)

सारणी-19.1 में प्रन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य राष्ट्रों की सन् 1982 से 87 की अवधि में प्राधिकारित धारित निधि की स्थिति दर्शायी गई है।

Table—19.1

Official Holdings of Reserve Assets 1982-87 (End of year)

	(In billions of SDRs)					
	1982	1983	1984	1985	1986	1987
Reserve Position in						
Fund	25.5	39.1	41.6	38.7	35.3	31.5
SDRs	17.7	14.4	16.5	18.2	19.5	20.2
Foreign Exchange	285.1	308.4	349.0	348.3	363.9	454.8
Non-Gold Reserves	328.3	361.9	407.1	405.3	418.7	506.4
Gold (Valued at London Market Prices)	393.1	345.4	297.8	282.6	303.3	322.3
Total Reserves	721.4	707.3	704.9	687.9	722.0	828.7

Source IMF Annual Report, (1988), p 66.

सारणी-19.1 से स्पष्ट है कि सन् 1982 से 87 की छ वर्षों की अवधि में कुल अन्तराष्ट्रीय तरलता 721.4 बि. SDR से बढ़कर 828.7 बि. SDR हो गई थी। जहाँ तक सारणी में व्यक्तित्व मदों की वृद्धि का प्रश्न है इस अवधि में गैर-स्वर्ण मदों के योग में लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तरलता की इस वृद्धि में, सदस्यों की स्वीय में धारित निधि स्थिति, विशेष आह्वरण प्रधिकार व विदेशी

विनिमय दरों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान विदेशी विनिमय की वृद्धि का रहा है। विचारार्थ अद्यक्षि में विदेशी विनिमय के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता 285.1 बि. SDR में बढ़कर 454.8 बि. SDR हो गई थी अर्थात् इस अद्यक्षि में विदेशी विनिमय की आरम्भित निधि में लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जहाँ तक बाजार भाव पर स्वर्ण के भण्डारों की वृद्धि का प्रश्न है यह 393.1 बि SDR में घटकर 322.3 बि. SDR रह गया था। इस परिवर्तन का मुख्य कारण स्वर्ण की कीमत में उतार-चढ़ाव हो रहा है।

सन् 1987 में गैर-स्वर्ण आरम्भित निधि में 88 बि. SDR की वृद्धि विदेशी विनिमय आरम्भित निधि में 119 बि. SDR की वृद्धि तथा डालर के SDR के मूल्य में के अत्यल्पतम में आरम्भित निधि के विद्यमान संचय में 28 बि. SDR की हानि का विशुद्ध परिणाम थी।

भारतीय 19.2 विदेशी विनिमय के रूप में विद्यमान आरम्भित निधि में अमेरिकी डालर का अंश सन् 1982 में 70.5 प्रतिशत था यह अंश सन् 1985 में घटकर केवल 64.2 प्रतिशत रह गया था, लेकिन सन् 1987 में इसमें पुनः वृद्धि होने में यह प्रतिशत 67.1 हो गया था। इसके विपरीत इंग्लिश मार्क में नामित (denominated) परिष्कृतियाँ सन् 1982 में 12.9 प्रतिशत में बढ़कर 1987 में 14.7 प्रतिशत हो चुकी थी। इसी प्रकार विचारार्थ अद्यक्षि में जापानी येन में नामित परिष्कृतियाँ 4.7 से बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गई थी।

अतः स्पष्ट है कि विदेशी विनिमय की दुर्लभ आरम्भित निधि में अमेरिकी डालर का प्रतिशत अंश घटने के बावजूद भी यह प्रमुख आरम्भित निधि बना हुआ है। द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्राओं में इंग्लिश मार्क आता है तथा तृतीय स्थान जापानी येन का है।

सन् 1985 को छोड़कर गैर-स्वर्ण आरम्भित निधि का आयातों से अनुपात सन् 1982 से निरन्तर बढ़ रहा है। समस्त प्रमुख राष्ट्र मन्त्रों के लिए यह अनुपात सन् 1985 से 87 की अद्यक्षि में बढ़ा है। औद्योगिक राष्ट्रों का गैर-स्वर्ण आरम्भित निधि का आयातों से अनुपात सन् 1982 से 1987 की अद्यक्षि में 17 प्रतिशत से बढ़कर

25 प्रतिशत हो गया था।* इस वृद्धि का प्रमुख कारण औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा विनिमय बाजार में भारी हस्तक्षेप की नीति अपनाना था। विवासशील राष्ट्रों की गैर-स्वण आरम्भित निधि का आयातों से अनुपात सन 1982 में 26 प्रतिशत से बढ़कर 1987 में 42 प्रतिशत हो चका था। अतः स्पष्ट है कि इस अवधि में प्रन्तर्राष्ट्रीय तरलता की मात्रा में वृद्धि हुई है।

Table—19 2

Currency Composition of Official Holdings of Foreign Exchange
1982-87
(In Percent)

Currency	1982	1983	1984	1985	1986	1987
U S Dollar	70.5	71.2	69.4	64.2	66.0	67.1
Pound Sterling	2.5	2.6	3.0	3.1	2.8	2.6
Deutsche Mark	12.3	11.6	12.3	14.9	14.9	14.7
French Franc	1.2	1.0	1.1	1.3	1.2	1.2
Swiss Franc	2.8	2.4	2.1	2.3	1.9	1.6
Netherlands guilder	1.1	0.8	0.8	1.1	1.1	1.1
Japanese yen	4.7	4.9	5.7	7.8	7.6	7.0
Unspecified Currencies	5.0	5.5	5.8	5.4	4.5	4.7

Source Same as that of Table 19 1, p 68

लेकिन आरम्भित निधियों को प्राप्त करने व इनका संचय करने की भी अवसर लागत होती है। आरम्भित निधि ऐसे वास्तविक साधनों पर स्वामित्व का प्रति-निधित्व करती है जिनको प्रथम उत्पादन में वृद्धि कुशल साधन आवंटन तथा आर्थिक विकास हेतु प्रयुक्त किया जा सकता था। अतः राष्ट्र का आवश्यकता से अधिक आरम्भित निधि का संचय त्यागने गये उपयोग व विनियोग के रूप में वास्तविक

* IMF Annual Report (1988) p 19

व्यापक का प्रतिनिधित्व करता है। इसी संदर्भ में प्रो० मैकलप⁵ (Machlup) ने आरक्षित निधि की 'माँग' (Demand) 'इच्छा' (desire) व 'आवश्यकता' (need) में अन्तर किया है। हम यह मान सकते हैं कि सरकारों की आरक्षित निधि की असीमित 'इच्छा' हो सकती है। हम यह मान सकते हैं कि सरकारों की आरक्षित निधि की 'आवश्यकता' भी बहुत अधिक हो सकती है क्योंकि आरक्षित निधि के अभाव में कुछ सम्भावित अवाञ्छनीय परिणाम हो सकते हैं। लेकिन ये 'दोनों' आरक्षित निधि की 'माँग' की अवधारणा से पूर्णतया भिन्न हैं। आरक्षित निधि की 'माँग' का अभिप्राय माँगों गई आरक्षित निधि के विनिमय में कुछ मूल्य अर्पण करने की तत्परता से है। माँग के द्वारा आरक्षित निधि संचय करने व न करने की सीमान्त लागत को सन्तुलित किया जाता है। इसे आरक्षित निधि के भिन्न स्तरों की सीमान्त लागत व सीमान्त उपयोगिता के सन्तुलन के रूप में भी देखा जा सकता है। आरक्षित निधि के स्वामित्व की विशुद्ध लागत जितनी अधिक होगी उतनी ही इसकी प्रभावी माँग कम होगी।

आरक्षित निधि की "माँग" के आनुभविक सूचकों के निर्माण के अनेक प्रयत्न किये गये हैं। अधिकांश आनुभविक अध्ययन इस मान्यता पर आधारित है कि राष्ट्र विशेष का आरक्षित निधि का वास्तविक संचय इनकी 'प्रभावी माँग' से सम्बद्ध कुछ अर्थपूर्ण संचय दे सकता है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्र विशेष की आरक्षित निधि की 'आवश्यकता' ज्ञात करने हेतु हम केवल आरक्षित निधि का अवलोकित (observed) व्यवहार ज्ञात होना ही पर्याप्त है। यदि हम राष्ट्र विशेष की आरक्षित निधि की आवश्यकता व पर्याप्तता की चर्चा करते हैं तो विश्लेषण में आदर्श मूलक (normative) दृष्टिकोण अपनाते हैं तथा राष्ट्र विशेष में आरक्षित निधि के भिन्न स्तरों के 'उच्च राष्ट्र के लिए परिणामों से सम्बद्ध वैयक्तिक मूल्यांकन (value judgement) की प्रक्रिया' अपनाते हैं। यह प्रक्रिया इस यथार्थमूलक (positive) विश्लेषण से पूर्णतया भिन्न है जिसमें यह निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है कि राष्ट्र विशेष की आरक्षित निधि की माँग के वास्तविक निर्धारक घटक (determinants) क्या हैं ?

अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने इस यथार्थ मूलक प्रश्न के विश्लेषण हेतु प्रमुखतया 'अनुपातों' की तुलना के आधार पर राष्ट्र विशेष की आरक्षित निधि की 'माँग'

-5. Machlup, F.—The Need for Monetary Reserves—Banca Nazionale del lavoro Quarterly Review, Sept. 1966 pp 175-222.

का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। विशेषकर उन्होंने आरक्षित निधि की प्रायातो के स्तर से तुलना की है। लेकिन प्रो० मैक्लप⁶ (Machlup) व हेनर⁷ (Heller) ने इन अनुमानों की इस आधार पर आलोचना की है कि आरक्षित निधि की माँग को व्यापार व भुगतान के उच्चावचन (variability) से जोड़ा जाना चाहिए न कि इनके कुल स्तर (overall volume) से।

आरक्षित निधि की पूर्ति

(The Supply of Reserves)

आरक्षित निधि की पूर्ति में सम्बद्ध यथार्थमूलक विश्लेषण का केन्द्र बिन्दु अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की विश्व माँग रहा है। इस सन्दर्भ में प्रमुख प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक आरक्षित निधि की विश्व पूर्ति को प्रभावित करने वाले अथवा इसके निर्धारक घटक कौनसे हैं? जैसा कि पूर्व में इंगित किया आ चुका है आरक्षित निधि की विश्वपूर्ति अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के वर्तमान में चार प्रमुख अंग (components) हैं स्वर्ण, परिवर्तनशील विदेशी विनिमय, विशेष आह्वरण अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित निधि रिकवरी। इनमें से प्रथम दो अर्थात् स्वर्ण व विदेशी विनिमय औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण में नहीं हैं। अतः SDRs की उपयुक्त भविष्य वृद्धि दर की गणना करत समय इन दो अंगों की पूर्ण गणना कर लेनी चाहिए।

सन् 1968 से पूर्व मौद्रिक स्वर्ण की पूर्ति का विघटन काफ़ी रोचक विषय था लेकिन वर्तमान में अधिवाश विश्लेषणकर्ता यह आशा कर रहे हैं कि स्वर्ण धीरे-धीरे अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था से बाहर निवृत्त जालेगा।

इस सन्दर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण विचार वस्तु यह है कि आरक्षित निधि के विदेशी विनिमय वाले अंग के निर्धारक घटक क्या हैं? यह विषय वस्तु पूर्ति विश्लेषण में कम से कम उभ समय तक महत्वपूर्ण प्रती रहेगी जब तक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था के सुधारों के परिणामस्वरूप डालर व ड्यूस मार्क, पाउण्ड स्टर्लिंग व फ्रैंक फ्रैंक जैसी राष्ट्रीय मुद्राओं को आरक्षित निधियों से हटा दिया नहीं जाता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय के अस्तित्व व इसकी वृद्धि को वास्तविक मानकर

6 Machlup, F.—op cit 1966,

7 Heller, R H —The Transactions Demand for International Means of Payment—JPE (Jan Feb 1968), pp 141 45

स्वीकृत कर लेना चाहिए। आरक्षित निधि के इस अंश की वृद्धि का मुख्य स्रोत अमेरिका के भुगतान संतुलन के घाटे रहे हैं।

आरक्षित निधि की पर्याप्तता

(Adequacy of Reserves)

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की पर्याप्तता के विवेचन हेतु हमें पुनः इसी प्रश्न का उत्तर प्रदान करना होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए तथा आरक्षित निधि की पूर्ति में किस दर से वृद्धि की जानी चाहिए? बहुत से विश्लेषणकर्ताओं के विचार से तो विश्व तरलता की 'पर्याप्तता' को सही-सही इंगित करना सम्भव ही नहीं है। इनमें से कुछ संशयवादी (skeptics) तो 'पर्याप्तता' की सही गणना इसलिए असम्भव मानते हैं कि वैकल्पिक आधिकारी नीतियाँ अपनाते की स्थिति में आरक्षित निधि की आवश्यकता भी भिन्न होगी। अन्य संशयवादी यह मानते हैं कि राष्ट्रीय सरकारें आरक्षित निधि के संचय के विशिष्ट लक्ष्य विरले ही निर्धारित करती हैं। इन विश्लेषणकर्ताओं के अनुसार आरक्षित निधि तो नीति पर मात्र एक परिसेमा (Constraint) है तथा आरक्षित निधि यदि एक 'न्यूनतम स्तर' (अथवा दर) से कम है तो कुछ उपाय किये जायेंगे लेकिन जब तक आरक्षित निधि (अथवा रिजर्व वृद्धि) न्यूनतम अत्यावश्यक से अधिक है, सरकारें आरक्षित निधि स्थिति के प्रति उदासीन रहेंगी। उदाहरणार्थ, मैक्लप (Machlup) ने इस बात पर जोर दिया है कि "विश्व स्तर पर मीट्रिक आरक्षित निधि की विशिष्ट मात्रा (particular sum) की 'आवश्यकता' नहीं है। अतः हम किसी भी बोध में यह नहीं कह सकते कि विश्व की कुल आरक्षित निधि पर्याप्त है।"⁸

लेकिन प्रो० मैक्लप (Machlup) का विचार चरम (extreme) विचार है। उदाहरणार्थ, प्रो० कूपर⁹ (Cooper) यह तो स्वीकार करते हैं कि कुछ विस्तार सीमाओं (ranges) में राष्ट्र आरक्षित निधि के स्तर (अथवा वृद्धि दर) के मध्य उदासीन पाये जा सकते हैं लेकिन उनका निष्कर्ष है कि आरक्षित निधि की नीति का स्पष्ट उद्देश्य (explicit objective) मानने से सम्बद्ध सामान्यीकरण उचित ही है।

⁸ Machlup, F — op cit (1966), p 207.

⁹ Cooper — in IMF'S "International Reserves—Need and Availability", — Wash-
ington (1970).

वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के अधिकांश विद्यार्थी यह स्वीकार करने को तैयार हैं कि केन्द्रीय बैंकों की क्रियाएँ विवक्षपूर्णा (rational) होती हैं। वे यह भी मानने को तैयार हैं कि राष्ट्र आरक्षित निधि के मोटे रूप से सक्षम निर्धारित करते हैं तथा मंडान्तिरूप में राष्ट्र विशेष की माँग की मात्रात्मक गणना करना असम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरलता विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं पर सन् 1970 में आयोजित विशिष्ट सम्मेलन में बहुमत का निष्पत्ति ही यहाँ विचार था। अतः इस आधार पर हम प्रत्येक राष्ट्र की आरक्षित निधि की 'माँग' ज्ञान कर समस्त राष्ट्रों की माँग के योग को विश्व आरक्षित निधि की पर्याप्तता का माप मान सकते हैं (यद्यपि यह योग करते समय विभिन्न राष्ट्रों की माँगों के सम्भावित स्रोतों की अन्तरनिर्भरता को नजरअन्दाज करना होगा)। इतना ही नहीं समस्त राष्ट्रों की आरक्षित निधि की माँग में स आधिकारिक ढांचे दायित्वों की घटाकर SDRs सृजन की दर की मोटे रूप से गणना की जा सकती है। इस तरह से प्राप्त अवशेष (residual) विश्व आरक्षित निधि की वृद्धि की पर्याप्तता का प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ 'पर्याप्तता' का अभिप्राय आरक्षित निधि की मात्रा व वृद्धि की उस दर से है जो कि समस्त राष्ट्रों को अलग-अलग अपने भुगतान उद्देश्यों का निपटारा करने हेतु पर्याप्त है।

लेकिन इस बोध में पर्याप्तता' को हम 'इष्टतम' नहीं मान लेना चाहिए।

आरक्षित निधि की बनावट

(The Composition of Reserves)

अन्तर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि की उपयुक्त (appropriate) बनावट क्या होनी चाहिए तथा नई आरक्षित निधि का सृजन किस रूप (form) में होना चाहिए ?

स्वर्ण विनिमय मान में निहित अस्वायित्व वस्तुतः वही है जो कि ग्रेशम के नियम (Gresham's Law) द्वारा इंगित किया जाता है। एक साथ विभिन्न प्रकार की कई आरक्षित निधियों (स्वर्ण, डालर, पाउण्ड आदि) के सहसम्बन्धित्व तथा इनके मध्य स्थिर-कीमती सम्बन्ध की मांगना अस्वायित्व का मूल कारण है। इस सम्बन्ध में प्रमुख समस्या यह है कि बरोम में अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय की समस्या अथवा स्थिर कीमती सम्बन्ध गड़बड़ा देने वाली आरक्षित निधियों की बनावट हेतु प्रयत्नों की समस्या का अनुकूलतम हल क्या है ?

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से प्रेशम के नियम की समस्या का मुकाबला करने के तीन वैकल्पिक तरीके हैं - प्रथम तो, धारकों की धारक्षित निधि पसन्दगी के अनुरूप विभिन्न धारक्षित निधियों का समायोजन करना, द्वितीय, विभिन्न परिसम्पत्तियों के गुणों (attributes) में परिवर्तन कर धारकों की धारक्षित निधि पसन्दगी का समायोजन करना तथा तृतीय, धारक्षित निधियों की कुल संख्या को घटाकर एक मुद्रा प्रणाली बनाना लेना। साठ के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय तरलता के विभिन्न सुझावों में इन तीनों में से किसी एक हल का सुझाव प्रस्तुत किया गया था। इन सुझावों की विस्तृत चर्चा हम इस अध्याय के अन्त में करेंगे।

वर्तमान में प्रचलित विचारधारा यह प्रतीत होती है कि प्रेशम के नियम की समस्या को हल करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका धारक्षित निधियों की संख्या को शीघ्र ही घटाना है तथा इसका बेहतर तरीका डालर व अन्य विदेशी विनिमय की समस्त धारक्षित निधियों के सन्तुलनों का किसी न किसी प्रकार का रद्दीकरण (consolidation) अथवा निधिकरण (funding) करना है। दीर्घकालीन उद्देश्य यह होगा कि स्वर्ण की मौद्रिक भूमिका को भी अन्ततः समाप्त कर दिया जाये। इस प्रकार अन्ततः SDRs (व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में धारक्षित निधि स्थिति) ही अन्तर्राष्ट्रीय धारक्षित निधि का एक मात्र माध्यम रह जायेगा। ऐसा करने से मिस्रि राष्ट्रों की सरकारों के मध्य 'भरोसे' की समस्या पूर्णतया समाप्त हो जायेगी तथा नई धारक्षित निधि का सृजन मात्र SDRs के रूप में होगा। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की सारी पूर्ति प्रथम बार औपचारिक रूप से अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण में घा जायेगी।

धारक्षित निधि का वितरण

(Distribution of Reserves)

धारक्षित निधि का उपयुक्त वितरण कैसे हो तथा नई सृजित धारक्षित निधि के लाभ कैसे वितरित किये जायें? वितरण की विषय वस्तु पर उन समय ध्यान केन्द्रित किया गया था जब विभिन्न समझौतों के परिणामस्वरूप सन् 1968 में SDRs के सृजन का निर्णय लिया गया। इस विचार वस्तु पर प्रो० मैक्लप¹⁰ (Machlup) ने सन् 1965 में अपने शुक्रिय (Seminal) योगदान में यह इंगित किया कि 'वितरण' की समस्या का सामना करना ही पड़ेगा इसे टालने का कोई रास्ता नहीं है।

10 Machlup, F—The Clearroom Rule of International Reserves—QJE—(Aug 1965), pp 337-55

आधार पर तर्क प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में 'बडी' प्रस्ताव आर्थिक साहित्य में विलुप्त चर्चा का विषय बना हुआ है।

जैसा कि पूर्व में इंगित किया जा चुका है अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के समाधान हेतु आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर योजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं जिनकी सक्षिप्त रूपरेखा इस अध्याय के शेष भाग में प्रस्तुत की जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में सुधार हेतु प्रस्ताव (Proposals for Reform of International Monetary System)

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था में सुधार हेतु कई योजनाएँ प्रस्तावित की गयी हैं अतः यहाँ पर हम प्रमुख योजनाओं के प्रमुख विचार बिन्दुओं की सक्षिप्त रूपरेखा ही प्रस्तुत करेंगे —

(1) स्वर्ण मूल्य में वृद्धि (हरॉड योजना-1953) (Increase in the Price of Gold, Harrod Plan—1953) :—प्रो० हरॉड (Harrod) का विचार है कि आरक्षित निधियों की वृद्धि दर बहुत ही कम रही है अतः उन्होंने स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि का जोरदार समर्थन किया है।

उदाहरणार्थ, यदि स्वर्ण का मूल्य 35 \$ प्रति औंस से बढ़ाकर दुगुना अर्थात् 70 \$ प्रति औंस कर दिया जाय तो जब तक मुद्रा पूति, वस्तु कीमतें तथा व्यापार का मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, मौद्रिक स्वर्ण भण्डार व उन अन्य समस्त परिमाणों (magnitudes)—जिनके साथ स्वर्ण की प्रायः तुलना की जाती है—के मध्य अनुपात भी दुगुना हो जायेगा। नये स्वर्ण उत्पादन के माध्यम से स्वतंत्र विश्व में स्वर्ण की वार्षिक वृद्धि की दर बढ़ सकती है। यदि स्वर्ण के अतिरिक्त उत्पादन की वृद्धि दर नहीं भी बढ़ती है तो भी डालर एवं अन्य मुद्राओं के रूप में स्वर्ण वृद्धि वर्तमान से दुगुना हो जायेगी। यदि स्वर्ण उत्पादन की भौतिक मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है तो स्वर्ण का मौद्रिक मूल्य और भी अधिक हो जायेगा। मान लीजिए कि स्वर्ण की कीमत दुगुनी कर देने से स्वर्ण की भौतिक मात्रा की पूति में 50 प्रतिशत वृद्धि हो जाती है तो इस वार्षिक पूति से स्वर्ण के मौद्रिक मूल्य में 200 प्रतिशत की वृद्धि होगी जिसका अधिप्राय यह है कि स्वतंत्र विश्व की स्वर्ण आरक्षित निधि की वार्षिक वृद्धि का मूल्य बढ़कर तिगुना हो जायेगा।

(2) केन्ज योजना व ट्रिफिन योजना (The Keynes Plan and the Triffin Plan) — मौद्रिक प्रारंभित निधियों के केन्द्रीयकरण की दिशा में केन्ज (Keynes) की अप्रैल 1943 की अन्तर्राष्ट्रीय समाशोधन संधि (Clearing union) की योजना व ट्रिफिन (Triffin) की जून 1959 की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा वीप की केन्द्रीय रिजर्व बैंक के रूप में विस्तृत करने की योजनाएँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं।

केन्ज योजना के अन्तर्गत समाशोधन संधि के निक्षेप दायित्वों (deposit liabilities) को नई अन्तर्राष्ट्रीय चलन इकाई में व्यक्त किया जायेगा जिसे 'बैंकर' (Bancor) के नाम से जाना जायेगा। 'बैंकर' वा मूल्य स्वर्ण के रूप में स्थिर रहेगा, यद्यपि ऐसा नहीं है कि इसे कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। इन 'बैंकरों' की स्वर्णों द्वारा पुनः क्रय करना निक्षेपकर्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं होगा। सदस्य राष्ट्रों के केन्द्रीय बैंक अपने कोषों का उपयोग अन्य केन्द्रीय बैंकों के खानों में हस्तांतरित करने हेतु ही कर सकेंगे। यद्यपि 'स्टैलिम एरिया' जैसे प्रवादास्वरूप चलन समूहों (Currency Groups) के अलावा केन्द्रीय बैंक विदेशी मुद्राएँ अपनी प्रारंभित निधियों के हिस्से के रूप में जमा नहीं रखेंगे। इस प्रकार मौद्रिक प्रारंभित निधि केवल स्वर्ण व 'बैंकर' दो ही रूपों में रहेंगी।

समाशोधन संधि के पास 'बैंकरों' की निक्षेप दो ही विधियों से विस्थापित हो सकेंगी अथवा बढ़ सकेंगी: प्रथम तो समाशोधन संधि को स्वर्ण का विक्रय करके तथा द्वितीय ऐसे केन्द्रीय बैंकों की 'ओवरड्राफ्ट' (overdraft) सुविधा के उपयोग के माध्यम से जिनके अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान सन्तुलन में उनके 'बैंकर' खातों की जमा से अधिक घाटे हैं चूँकि 'ओवरड्राफ्ट' करने वाले केन्द्रीय बैंक द्वारा समाशोधन संधि की जमा को केवल अन्य केन्द्रीय बैंकों की भुगतान के लिए उपयोग में लिया जा सकता है अतः इससे नये 'बैंकर' निक्षेप कोष सृजित होंगे।

इस योजना में समस्त मुद्राओं के 'समता मूल्य' (Par Values) स्थिर रहेंगे लेकिन भुगतान सन्तुलन में चिरकालिक घाटे अथवा अतिरेक की स्थिति में इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए समाशोधन संधि में देनदारी (debit balance) की अधिकतम सीमा का कोटा निर्धारित कर दिया जायेगा। यह कोटा राष्ट्र के आयातों व निर्यातों के योग के तीन अथवा पाँच वर्षों के औसत के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। यदि किसी भी राष्ट्र का देनदारी शेष उनके कोटा के चौथाई हिस्से से अधिक होगा तो उस राष्ट्र को इस प्रतिक्रिया का 1 प्रतिशत

लेकिन इतना तो स्पष्ट ही है कि ट्रिफिन योजना इस मान्यता पर प्राधारित है कि समय के साथ विश्व की प्रारक्षित निधियों की माँग मौद्रिक अधिकारियों 'द्वारा स्वर्ण भण्डारों' की वृद्धि की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।

ट्रिफिन योजना के मूल विवरण में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को अपनी मौद्रिक प्रारक्षित निधियों का न्यूनतम 1/3 भाग अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास निधियों के रूप में रखना आवश्यक है तथा इन निधियों पर ब्याज भी प्राप्त होगा। केन्द्रीय बैंकों को प्रारम्भ में मुद्रा कोष के पास स्वर्ण अथवा विदेशी विनिमय जमा करवा के कोष के शेष (IMF balances) प्राप्त हो सकेंगे। कोष केन्द्रीय बैंकों को इस तरह से जमा विदेशी मुद्रा तथा स्वर्ण अथवा डालर के विनिमय में प्राप्त शेषों के मूल्य को स्वर्ण में परिवर्तित करने की गारन्टी देगा।

अतः स्पष्ट है कि 'केम्ब योजना' व 'ट्रिफिन योजना' बहुत कुछ मिलती जुती है। इन दोनों योजनाओं में केवल प्रारक्षित निधि के सृजन की विधि में अन्तर है। दोनों योजनाओं की तुलना करने वाले विश्लेषणकर्ताओं का विचार है कि 'ट्रिफिन योजना' की तुलना में 'केम्ब योजना' अधिक मुद्रा स्फीतिकारी (inflationary) है। लेकिन ऐसा केवल अल्पकाल के सन्दर्भ में ही सही माना जा सकता है।

(3) **स्टाम्प योजना-1958 (Stamp Plan)** - मैक्सवेल स्टाम्प (Maxwell Stamp) ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विस्तार की एक भिन्न विधि प्रस्तावित की है। यद्यपि स्टाम्प योजना मौद्रिक प्रारक्षित निधि के केन्द्रीयकरण की योजना नहीं है लेकिन इस योजना को अपनाते से कोष अन्तर्राष्ट्रीय प्रारक्षित निधि सृजन करने वाली संस्था के रूप में विस्तृत हो जायेगा।

स्टाम्प का प्रस्ताव है कि एक वर्ष के अन्दर-अन्दर मुद्रा कोष अर्द्धविकसित राष्ट्रों की सरकारों को वितरित करने हेतु 3 बिलियन डालर का प्रमाणपत्रों का सृजन करे। इन प्रमाणपत्रों को निर्यातों के विनिमय में स्वीकार करने एवं उन्हें मौद्रिक प्रारक्षित निधि के रूप में उपयोग में लाने की इच्छुक सरकारों को ये उस समय प्राप्त होंगे जब अर्द्धविकसित राष्ट्र अपना क्रय करेंगे। यदि इन प्रमाणपत्रों को सभी राष्ट्र भुगतानों के रूप में स्वीकार करने लग जायें तो इन्हें इन प्रमाणपत्रों को स्वर्ण में चुवाने योग्य बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्टाम्प योजना की सन् 1962 की व्याख्या (version) में 'मूल' योजना की अनेक प्रापतियों को हटा दिया गया था। इसमें कोष द्वारा राष्ट्र के रूप में क्या मूचित

क्रिया जायेगा इस पर तथा राष्ट्र विशेष के अवशोषण हेतु प्रदत्त 'कोप पत्रों' (Fund Paper) की मात्रा दोनों पर ही सीमा निर्धारित कर दी गई थी। प्रारम्भ में सृजन साख की मात्रा केवल 2 बिलियन डॉलर होगी तथा ये प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रीय विश्व बैंक (IDA) की 50 वर्ष की अवधि के ऋण के रूप में दिए जायेंगे एवं इन पर व्याज दर वहीं होगी जो IDA की विकासशील राष्ट्रों से प्राप्त होगी। भुगतान समतुलन में प्रतिरक्ष वाले राष्ट्र गरीब राष्ट्रों के प्रमुख निर्यातकर्ता बनने का निर्णय लेकर अपने अंश (Quota) की मात्रा के बराबर अन्य मौद्रिक अधिकारियों से प्रमाणपत्र स्वीकार कर सकते हैं। कोप के दृष्टिकोण से प्रमाणपत्र जारी करना मुद्रा सृजन ही है लेकिन यह ट्रिफिन योजना के अन्तर्गत सृजित मुद्रा से दो दृष्टिकोणों से भिन्न है : प्रथम तो आरक्षित निधि सृजन की गति के दृष्टिकोण से तथा द्वितीय प्राप्त आरक्षित निधि की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से।

(4) जोलोटा (Zolota), बर्नस्टीन (Bernstein) एवं जेकब्सन (Jacobson) प्रस्ताव — सन् 1957 की जीनोफोन जोलोटाज (Xenophon Zolotas) योजना, 1960 की एडवर्ड एम० बर्नस्टीन (Edward M. Bernstein) योजना तथा सन् 1961 के पर जेकब्सन (Per Jacobson) प्रस्ताव में यह प्रावधान है कि भुगतान समतुलन में प्रतिरक्ष वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को ऋण प्रदान करें जिससे कोप इस तरह से प्राप्त ऋणों का अल्पकालीन पूँजी के प्रवाह (out flow) की समस्या से ग्रसित महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्रों के अधिकारियों के सुपुर्द कर सकें। ये तीनों योजनाएँ एक दूसरे से केवल तकनीकी विस्तार में ही भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, बर्नस्टीन योजना के अन्तर्गत समस्याग्रस्त केन्द्रीय बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशि पर अपेक्षाकृत अधिक निश्चितता से निर्भर रह सकते हैं। जबकि जेकब्सन योजना में प्रत्येक मामले में ऋणदाता बैंक द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अभीष्ट (intended) उद्देश्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है। ये तीनों ही योजनाएँ 'गर्म-मुद्रा' (hot money) के चलनों के आक्रमणों की स्थिति में स्वर्ण विनिमय मान को मजबूत बनाये रखने हेतु तैयार की गई हैं। इनकी सर्वनिष्ठ विशेषता (Common feature) यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन राष्ट्रों से उधार लेगा जिन्हें पूँजी अन्तर्वाह के रूप में प्राप्त हो रही है तथा इस तरह से उधार लिए गये कोप उन केन्द्रीय बैंकों को उपलब्ध करायेगा जिनसे पूँजी का प्रवाह हो रहा है।

इन हस्तक्षेपों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका केवल मध्यस्थ व गारन्टर की है न कि निर्गमन बैंक प्रयत्न मात्र सृजन करने वाले व्यापारिक बैंक की। क्योंकि इन योजनाओं के प्रस्तावों में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अन्तर्राष्ट्रीय भुगतानों हेतु मजबूत तरलता-स्थिति वाले केन्द्रीय बैंकों से माँग निक्षेपों (Demand Deposits) के रूप में उधार लेगा तथा 'गर्म मुद्रा' (hot money) तूफान से दूर राष्ट्रों के केन्द्रीय बैंकों को उधार देगा।

बर्नस्टीन योजना के दिसम्बर 1962 के विस्तृत रूप को भी अन्तर्राष्ट्रीय धारक्षित निधि के केन्द्रीयकरण व सृजन के प्रस्तावों में उपयुक्त स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।

यद्यपि इस योजना में उन सशोधनों पर कम जोर दिया गया है जिनके कारण यह उनके द्वारा पूर्व में प्रदत्त योजना से अधिक उग्र प्रतीत होती हो। बर्नस्टीन ने इस योजना में तीन चरणों की सिफारिश की है : (1) राष्ट्रों को न केवल कोष के प्राप्त करने का अंश (Gold Tranche) प्रप्तितु साक्ष अंश (Credit Tranche) को भी प्रप्तितु अपने कोष के पूर्ण आहरण अधिकार को उनकी सकल धारक्षित निधि का अंश मानना चाहिए। (2) ये आहरण अधिकार वर्तमान की तुलना में कम सशर्त (Conditional) होने चाहिए विशेषकर सदस्य राष्ट्रों को बिना मुद्रा कोष के पूर्व अनुमोदन के अपने प्रभयश उधार लेने की सुविधा होनी चाहिए, (3) सदस्य राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सलाहनों का जब कभी भी उपयोग करना हो तो ये 'स्वभाविक' (matter of Course) रूप से प्राप्त होने चाहिए प्रप्तितु ये सलाहन छोटी मात्रा में व कम समय के अन्तराल से प्राप्त होने चाहिए ताकि प्रभयस में से उधार सामान्य घटना हो न कि कमजोरी का संकेत।

लेकिन यदि इन तीनों चरणों को व्यावहारिक भी मान लिया जाय तो भी इनके कोष नई धारक्षित निधि का सृजन करने की क्षमता वाली सस्था नहीं बन पायेगी।

(5) मौलिंग योजना (Maulding Plan 1962).—सितम्बर 1962 में ब्रिटिश राजकीय बैंक चांसलर रेजिनल्ड मौलिंग (Reginald Maulding) ने कुछ प्रस्ताव रखे थे। यद्यपि ये प्रस्ताव विशिष्ट (specific) नहीं थे परन्तु ये भी ही मौलिंग योजना के नाम से विख्यात हो गये। इस योजना में एक स्पष्ट प्रावधान यह है कि व्यापार संतुलन में अतिरिक्त वाले राष्ट्र घाटे वाले राष्ट्रों से प्राप्त होने वाली मुद्राओं के नये धेपों को (घाटे वाले राष्ट्रों की समर्थन प्रदान

करने हेतु) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नव स्थापित पारस्परिक मुद्रा खाते (Mutual Currency Account) में जमा करवादे तथा विनिमय में कोष के ऋण प्राप्त कर लें। कोष के इन पत्रों (certificates) (प्रत्यक्ष निक्षेप) पर इन मूल स्वयं भूय को गारन्टी होगी, न्यूनतम व्याज होगा, तथा इनके धारक राशियों के भुगतान न्यूनतम में घाटे की स्थिति में इन्हें अन्य मौद्रिक प्राधिकारियों से भुगतान करन हेतु प्रयुक्त किया जा सकेगा। इस नई मुद्रा की जमाओं पर सीमा तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्यक्ष इसका 'पारस्परिक मुद्रा खाते' राष्ट्रीय मुद्राओं के विनिमय में एक नई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य पारस्परिक निधि का निर्माण करने वाला प्राधिकरण होगा। मुद्रा कोष को इस 'निक्षेपों' की प्राधिकारण केन्द्रीय बैंक द्वारा एवं स्थानिक जगहों की तुलना इत्यादि अधिक पठन करेंगे कि इन पर स्वचालित स्वयं गारंटी हागा जबकि अमेरिका प्रत्यक्ष इंग्लैंड के दायित्वों पर ऐसी गारन्टी बिरले ही होती है।

जहाँ तक अधिकार प्राप्त भारतिय निधि की विषय में इनके सूचन की विधि में प्रश्न है मोरिंग योजना मन् 1943 की केन्द्र योजना एवं कुछ पहलुओं में द्वितीय योजना के सर्वाधिक नजदीक माना जा सकती है।

(6) रूसा योजना (The Roosa plan-1962)—बहु-मुद्रा प्राधिकारण निधि प्रणाली की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम मई 1962 में अमेरिकी राजराज के अनुसन्ध (under Secretary) रॉबर्ट वी रूसा (Robert V. Roosa) एवं न्यूयार्क फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा बहु-मुद्रा प्राधिकारण निधि-प्रणाली स्थापना की दिशा में कदम उठाया गया था। कुछ प्राधिकारण-विनिमय मोडों में अमेरिका के विभिन्न राष्ट्रीय मुद्राओं को अपनी विदेशी प्राधिकारण निधि के अद्य के रूप में रखना प्रारम्भ कर दिया था। उदाहरणार्थ, न्यूयार्क का फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयार्क में स्थित बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा खाते में 50 मि० डॉलर जमा करवा देता था इन जमा के बदले बैंक ऑफ इंग्लैंड लन्दन में स्थित न्यूयार्क बैंक के स्थानिक खाते में लगभग 18 मि पाउण्ड जमा करवा देता था तथा इसी तरह का प्रत्यक्ष बैंक के प्राप्त के साथ किया गया था। इन प्रतिपूरक प्रकृतियों का उद्देश्य दोनों पक्षों को अग्रवर्ती घाट (Forward cover) प्रदान करना होता था।

इनके अनिश्चित रूसा ने इंगित किया कि भुगतान सन्तुलन में किसी भी अस्थायी अथवा स्थायी अन्तःसन्तुलन की अवधि में अमेरिका विदेशी मौद्रिक प्राधिकरण पर अपने

दायित्व घटायेगा नहीं जिससे कि कुल अन्तर्राष्ट्रीय भारशित निधि घटे, अर्थात् विदेशी मुद्राएँ अर्जित करेगा। ये मुद्राएँ अमेरिका की भारशित निधि में जुड़ जायेंगी जिससे कुल भारशित निधि बढ़ेगी। अतः अमेरिका के भुगतान सतुलन के घाटे व अतिरेक दोनों के ही परिणामस्वरूप विश्व भारशित निधि में वृद्धि करना सम्भव होगा। अमेरिका के भुगतान सतुलन में घाटे की स्थिति में अमेरिका द्वारा किये गये भुगतानों से प्राप्तकर्ता राष्ट्रों के डालर सचय में वृद्धि होगी तथा भुगतान सतुलन में अतिरेक की स्थिति में अमेरिका के पास विदेशी मुद्राओं का सचय बढ़ जायेगा। वैकल्पिक रूप से अमेरिका विनिमय भारशित निधि के पर्याप्त सचय के बाद इस संचित राशि का उपयोग करके अपने प्रचाराधीन घाटों को पूरा करने का निर्णय ले सकता है जिससे अमेरिका के दायित्वों में वृद्धि नहीं होगी अथवा अमेरिका से स्वर्ण का अपवाह टल सकेगा।

बन स्पष्ट है कि रूसा योजना के अन्तर्गत अमेरिका के पास 'विभिन्न प्रमुख राष्ट्रों के परिवर्तनशील विनिमय की सघन (moderate) माथा का नमो-वेशी सचय निरन्तर होता रहेगा।' इस सचय को 'स्वर्ण' भारशित निधि की और अधिक मितव्ययता माना जा सकता है। इस योजना के विगुह प्रभाव के परिणाम स्वरूप वर्तमान में दो मुख्य मुद्राओं द्वारा निर्भाई भूमिका का बहु-पक्षीकरण एक ऐसे ढाँचे के माध्यम से होगा जिसमें मौद्रिक प्राधिकरणों के मध्य और अधिक सहयोग के लिए काफी दबाव बना रहेगा।

लेकिन स्पष्ट है कि रूसा के निष्कर्ष के विपरीत यह प्रणाली वास्तव में द्वि-पक्षीय ढाँचे में मुद्राओं के 'स्वैप' (Swap) वाली प्रणाली होगी न कि बहुपक्षीय प्रबन्ध वाली।

रूसा की बहु-मुद्रा भारशित निधि प्रणाली में किसी भी प्रकार की 'स्वर्ण' गारन्टी नहीं होगी। वास्तव में रूसा ने प्रवृत्त्यन्त की स्थिति में हानि क्षति-पूर्ति की गारन्टी को अनावश्यक, दुर्वहनीय (Cumbersome), हानिप्रद व बेकार मानकर अस्वीकार कर दिया था। उनकी मान्यता थी कि डालर पर भारशित निधि के रूप में भरोसा सन्देह से परे होना चाहिए तथा इसे स्वर्ण गारन्टी से सम्भालना न तो आवश्यक है और न ही सम्भव। लेकिन उन्हे प्रस्तावित 'मुद्राओं के प्रतिपूरक (reciprocal) सचय' से काफी अस्वस्थ हैं।

ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली हेतु प्रदत्त प्रमुख प्रस्तावों का ही सार प्रस्तुत किया है इन प्रस्तावों के अलावा कुछ अन्य प्रस्ताव भी

दिये गये हैं जैसे सन् 1962 का लुट्ज (Lutz) प्रस्ताव 1963 की पोस्टुमा (Posthuma) योजना आदि। इसके अतिरिक्त सन् 1969 में विशेष आहरण अघिनारो (SDRs) का सृजन अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की वृद्धि की दिशा में अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के माध्यम से उठाया गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है, SDRs का विस्तृत विवरण हम 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' अधिकांशक वे अध्याय में प्रस्तुत कर चुके हैं।

विदेशी सहायता व ऋण सेवा भार

(Foreign Aid and Debt Service Burden)

विदेशी सहायता की अवधारणा

(The Concept of Foreign Aid)

विदेशी सहायता क्या है ? अथवा विदेशी सहायता में कौनसे ऋण शामिल किये जाते हैं ? इन प्रश्नों के उत्तर पर सहमत होने के पश्चात् ही हम विदेशी सहायता की समस्याका का अध्ययन शक्ति-भाँति कर सकते हैं ।

प्रो० जगदीश भगवती (J Bhagwati) व इकास (Eckaus) के अनुसार, "संश्लिष्ट उत्तर यह है कि विदेशी सहायता के अन्तर्गत अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की रिप्रायती शर्तों पर किये गये वास्तविक साधनों के स्पष्ट (explicit) हस्तान्तरण सम्मिलित होते हैं । साधन हस्तान्तरण में जब तक व्यापारिक रूप से (Commercially) उपलब्ध शर्तों से कुछ अथवा अधिक अनुकूल शर्तें आवेष्टित (involved) नहीं हों तब तक इसमें उपहार तत्त्व सम्मिलित नहीं होता है ।"¹

अतः निजी पूँजी चलनों से विकासशील राष्ट्रों को पर्याप्त लाभ प्राप्त होने के बावजूद भी हम इन्हें विदेशी सहायता नहीं मान सकते ।

सर राय हारोड (Sir Roy Harrod) ने इसी बात को और अधिक स्पष्ट करने हुए लिखा है कि 'सहायता के अन्तर्गत हमें अनुदान व मुनस ऋण (soft loans) सम्मिलित करने चाहिए ।— — — — — जिन्होंने विश्व बैंक बॉण्ड्स में निवेश कर रखा है उन्हें उनका ही प्रतिकूल मिनता है तबना उन्हें धरतु सरकारी बॉण्ड्स में मिनता है । "सहायता" की धारणा (idea) यह है कि किसी न किसी ने त्याग

1. Bhagwati, J and Eckaus, R S —(edt)—Foreign Aid,(Penguin, 1970), p 7

किया है। लेकिन इस उदाहरण में (विश्व बैंक के उदाहरण में) किसने त्याग किया है ?”

अत स्पष्ट है कि विश्व बैंक के ऋणों को हम सहायता की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि इन ऋणों में किसी का त्याग अन्तरनिहित नहीं है। विश्व बैंक इसके बाण्ड क्रय करने वालों को उतनी ही ब्याज की दर प्रदान करता है जितनी ऐसे बाण्ड्स पर उन विनियोगकर्ताओं को उनकी घरेलू सरकारें प्रदान करती है। सहायता तो, ऐसा दीर्घकालीन विनियोग है जिसमें त्याग निहित हो। फिर भी प्राथमिक सहायता प्रदान करने के कई अन्य तरीके भी हैं तथा इनमें से प्रत्येक तरीके में साधनों के स्पष्ट हस्तांतरण का होना आवश्यक नहीं है। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को दी जाने वाली विशिष्ट प्रशुल्क कटौतियाँ व आयात-नियन्त्रण भी अधिमानिक (preferential) बरताव ही है, क्योंकि इनसे अर्द्धविकसित राष्ट्रों के निर्यातों की सापेक्ष उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है अतः ये इन राष्ट्रों के लिए रिश्वायती हस्तांतरण हैं। यद्यपि इस तरह की रिश्वायतें इनके वास्तविक व सम्भावित प्रभाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं लेकिन फिर भी इस तरह के अप्रत्यक्ष हस्तांतरणों को प्रायः विदेशी सहायता की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

जैसा कि अन्तर्ज्ञान से स्पष्ट है, ब्याज दर जितनी कम होगी तथा ऋण की अवधि जितनी अधिक होगी, ऋणदाता के दृष्टिकोण से हस्तांतरण में उतना ही अधिक सहायता तत्त्व शामिल होगा। यदि घरेलू बाजार में प्रचलित शर्तों पर ऋण प्रदान किया जाता है तो ऋणदाता की लागत के दृष्टिकोण से ऋण का सहायता मूल्य अणुत्सर्गक होता है।

विदेशी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य

(Objectives of Foreign Aid)

अमेरिका व रूस के मध्य चल रहे विचारधाराओं के युद्ध में विदेशी सहायता प्रमुख हथियार रहा है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा सहायता प्रदानकर्ता राष्ट्र है लेकिन अमेरिका द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी सहायता प्रदान करने में मात्र कल्याण की भावना ही नहीं बल्कि अन्य उद्देश्य भी निहित रहे हैं। वनाइयु राष्ट्रों द्वारा प्रदत्त विदेशी सहायता का पीछे तीनों प्रमुख उद्देश्य रहे हैं—

(1) व्यूह रचना से सम्बद्ध उद्देश्य

(Strategic objectives)

अमेरिका में राजनेता इस बात पर बल देते हैं कि आर्थिक सहायता केवल मित्र राष्ट्रों को ही प्रदान की जानी चाहिए। अभिप्राय यह है कि विकसित पूँजीवादी राष्ट्र अल्प विकसित राष्ट्रों को इसलिए ऋण एवं आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं कि वे राष्ट्र समाजवादी वर्ग में न चले जाएँ। दूसरी ओर, समाजवादी राष्ट्र यह अनुभव करते हैं कि उनकी विचारधाराओं के प्रचार हेतु अल्पविकसित राष्ट्र ही उचित क्षेत्र हैं, अतः ये राष्ट्र भी विकासशील राष्ट्रों को सहायता प्रदान करते हैं।

अतः स्पष्ट है कि अन्य राष्ट्रों से मित्रता पूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने, वहाँ की सरकारों को अपने प्रभाव में रखने, आदि उद्देश्य विदेशी सहायता के पीछे निहित रहते हैं।

(2) आर्थिक उद्देश्य

(Economic objectives)

विदेशी सहायता प्रदान करने से प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भले ही न हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विदेशी सहायता प्रदान करने का निर्णय अनेक आर्थिक उद्देश्यों से प्रभावित होता है।

विकसित राष्ट्रों में अति उत्पादन का भय बना रहता है अतः आर्थिक मन्दी की स्थिति टाटने हेतु यह आवश्यक होता है कि देश में उत्पादन की माँग बनी रहे। जब कोई सरकार अन्य राष्ट्र की सहायता प्रदान करती है तो ऋणदाता राष्ट्रों में उत्पन्न माल के लिये बाजार का विस्तार होता है। उदाहरणार्थ, पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारी मात्रा में गेहूँ भेजकर अमेरिका ने विभिन्न राष्ट्रों में स्वयं के गेहूँ बाजार को विस्तृत किया था।

इसी प्रकार आर्थिक मन्दी काल में सरकार ऋण प्रदान कर ऋणी राष्ट्रों में बाजार स्थापित करने का प्रयास करती है। इसीलिये तो कहा जाता है कि विकसित राष्ट्र अर्द्धविकसित राष्ट्रों को सहायता प्रदान कर अपनी ही अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं।

विदेशी सहायता के पीछे यह भी उद्देश्य रहता है कि ऋणी राष्ट्र ऐसे निर्णय नहीं लें जिनसे ऋणदाता राष्ट्र के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(3) मानव कल्याण का उद्देश्य

(Charitable objective)

अमेरिका अर्द्धविकसित राष्ट्रों को इस उद्देश्य से भी विदेशी सहायता प्रदान करता है कि ये राष्ट्र अपनी गरीबी, भूलमरी व दरिद्रता को समस्याओं से निपट सकें। युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप आदि से पीड़ित देशों की सहायताकर्ता सरकार का उद्देश्य यह भी हो सकता है कि सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्र अपनी विनिमय दर में स्थायित्व बनाय रख सकें।

यदि अपनी अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक विकास करना स्वयं अर्द्धविकसित राष्ट्रों का दायित्व है तो विकसित राष्ट्रों का भी यह दायित्व है कि इन राष्ट्रों को विकास के लिए उपयुक्त उपकरण अथवा साधन उपलब्ध करवायें। इस भावना से प्रेरित होकर भी कई विकसित राष्ट्र आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

जहाँ तक अर्द्धविकसित राष्ट्रों के नियम आर्थिक सहायता के महत्त्व का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्र आर्थिक सहायता से निःसंदेह ही लाभान्वित होते हैं। लेकिन यह क्षमता उद्भूत चाहिए कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु विदेशी सहायता का सापेक्ष (effective) होना बहुत कुछ सहायता की प्रकृति तथा इससे जुड़ी शर्तों पर निर्भर करता है।

विदेशी सहायता की आवश्यकता की गणना की विधि

(Computation of Aid Requirement)

समृद्ध राष्ट्रों से पिछड़े राष्ट्रों की कितनी सहायता राशि की आवश्यकता होना चाहिये यह मापने हेतु कोई सामान्य व वस्तु-परक विधि उपलब्ध नहीं है, परन्तु फिर भी हाल ही के वर्षों में विनामशील राष्ट्रों की विदेशी सहायता की आवश्यकता के कई अनुमान लगाये गये हैं।

विदेशी सहायता की आवश्यकता की अनुमाने लगाने हेतु अर्द्धविकसित राष्ट्रों की सकल राष्ट्रीय आय को किसी ऐतिहासिक वृद्धि की दर से प्रारम्भ करने हैं। तत्पश्चात् अप्रलिखित दो म से कितनी एक विधि (अथवा दोनों के संयोग) को अपनाया जा सकता है।

प्रथम विधि के अनुसार विदेशी विनिमय की समस्या की और ध्यान न देकर लम्बित विकास का दर को प्राप्त करने हेतु वार्षिक विनिमय की आवश्यकता का अनुमान

लगाकर विदेशी सहायता की आवश्यकता को माँका जाता है। विनियोग की अनुमानित आवश्यकता की प्रक्षिप्त (projected) वार्षिक घरेलू बचत से तुलना की जाती है। यदि प्रक्षिप्त बचत आवश्यक विनियोग से कम है तो इन दोनों का अन्तर— जिसे 'बचत-अन्तराल' (saving-gap) क नाम से जाना जाता है— को विदेशी सहायता का घोनक मान लिया जाता है।

द्वितीय विधि विदेशी विनिमय की आवश्यकता का अनुमान लगाने पर आधारित है। यदि आयात प्रक्षेप (imports projections) निर्यात प्रक्षेपो से अधिक है तो इन दोनों का अन्तर विदेशी विनिमय का अन्तर होगा।

रॉजन्स्टीन रोडा³ (Rosentstein Rodan) ने विदेशी सहायता की आवश्यकता की गणना करने हेतु निम्न सूत्र प्रदान किया है —

$$F = (kr - b) \times Y + 5Y_0 \left[b - \frac{S_0}{Y_0} \right]$$

उपयुक्त सूत्र में वार्षिक विकास हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए आवश्यक विदेशी सहायता की गणना की गई है। सूत्र में Y_0 शब्द विकसित राष्ट्र की सकल राष्ट्रीय आय है तथा इसकी वृद्धि की दर r है (r को राष्ट्र की अनुमानित ऋण ग्राह्यता क्षमता के आधार पर चुना जाता है), (S_0/Y_0) प्रारम्भिक वर्ष में औसत बचत की दर है तथा b बचत की सीमान्त दर एवं k पूँजी/उत्पादन अनुपात है।

सूत्र से स्पष्ट है कि विदेशी सहायता की आवश्यकता प्रारम्भिक सकल राष्ट्रीय आय, बचत दर व पूँजी-उत्पादन अनुपात से सर्वाधिक प्रभावित होती है, बचत की सीमान्त दर से आवश्यक सहायता की मात्रा दीर्घकाल में अधिक प्रभावित होती है।

ध्यान रहे कि उपयुक्त सूत्र के द्वारा सहायता आवश्यकता की गणना करने का अभिप्राय है कि हम पूर्व वर्णित विधियों में से प्रथम विधि को प्रयुक्त कर रहे हैं।

विदेशी सहायता से सम्बद्ध विचार वस्तु

(Issues in Aid Policy)

प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या वार्षिक विकास के लिये विदेशी सहायता

3 Rosentstein—Rodan, P. N —'International Aid for underdeveloped countries'—reprinted in Bhagwati and Eckaus (edt) —'Foreign Aid' p 106

आवश्यक व उपयोगी है लेकिन इसके अतिरिक्त सहायता नीति से सम्बद्ध अन्य भी कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर नीति विशेषज्ञों तथा सहायता प्रदाय करने वाली एजेंसियों ने समय-समय पर विचार किया है।

विदेशी सहायता से सम्बद्ध प्रमुख विचार वस्तु को हम निम्न शीषकों में विभाजित कर के स्पष्ट कर सकते हैं —

(1) ऋण बनाम अनुदान (Loans versus grants)

विकास सहायता समिति (DAC) के अनुसार वित्तीय सहायता अग्रलिखित छ 4 रूपों में प्रदान की जा सकती है —

- (1) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को विवास उद्देश्य हेतु दिये गये योषदान
- (2) द्वि-पक्षीय अनुदान (Bilateral grants)
- (3) ऋणदाता राष्ट्र की मुद्रा में चुकाये जाने वाले द्वि-पक्षीय ऋण
- (4) ऋणी राष्ट्र की मुद्रा में चुकाये जाने वाले द्वि-पक्षीय ऋण
- (5) स्वीकरण साध (Consolidation Credits)
- (6) ऋण प्राप्तकर्ता राष्ट्र की मुद्रा में विक्रय करके साधनों का हस्तान्तरण (पी. एल. 480 के कृषि पदार्थों के अधिशेष का योगदान)

उपर्युक्त वर्गीकरण में विवास सहायता समिति ने ऋणदाता व ऋणी राष्ट्रों पर पड़ने वाले ऋण के प्रभाव को विशेष महत्त्व दिया है। उदाहरणार्थ, समिति यह महसूस करती है कि भासान मुद्रा में चुकाया जाने वाला ऋण दुर्लभ मुद्रा में चुकाये जाने वाले ऋण से भिन्न होता है, अतः इन दोनों प्रकार के ऋणों को भिन्न श्रेणियों में रखा गया है।

यद्यपि उपर्युक्त वर्गीकरण कई उद्देश्यों के लिये उपयोगी है परन्तु विदेशी सहायता के इन समस्त रूपों को मोट तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है प्रथम अनुदान तथा द्वितीय ऋण। अनुदान व ऋण में से सहायता का कौनसा रूप उत्तम है यह सहायता प्रदान करने के उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि निश्चित राशि के हस्तान्तरण का उद्देश्य पूँजी हस्तान्तरण अधिवृत्त करना है तो

ऐसा प्रनुदान अथवा ऋण दिया जाना चाहिये जिसमें उच्च प्रनुदान तुल्य राशि (High grant equivalent) प्रन्तरनिहित हो। इसके विपरीत यदि उद्देश्य वास्तविक हस्ता तर्ण की न्यूनतम करना है तो व्यावसायिक दरो पर व अल्प परिशोधन (Short Amortization) वाला ऋण प्रदान करना चाहिये।

विकासशील राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रनुदान के रूप में दी जानी चाहिये अथवा ऋण के रूप में इस सन्दर्भ में प्रो० किन्डल बर्गर (Kindleberger) का विचार है कि ऋण प्रदान किया जाय अथवा प्रनुदान यह केवल इस आधार पर तय नहीं किया जाना चाहिये कि सहायता को किस उपयोग में लिया जाता है उनके अनुसार 'अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक कल्याण फलन के लिये यह आवश्यक है कि एक निश्चित स्तर से कम प्रतिव्यक्ति आय वाले राष्ट्रों को ऋण दिये जान चाहिये चाहे वे राष्ट्र इस सहायता को उपभोग में काम लें अथवा पूँजी निर्माण में।'⁵

जहाँ तक संभव हो विकासशील राष्ट्रों को प्रनुदान ही अधिक दिया जाना चाहिये। अगर कम विकसित देश में भुगतान सम्बन्धी कठिनाइयाँ हैं अर्थात् उनके निर्यात कम है एवं इनमें वृद्धि नहीं हो रही है तथा आयात अधिक है एवं इनमें कमी करना संभव नहीं है तो ऐसे राष्ट्रों को अधिकधिक प्रनुदान की ही आवश्यकता होगी।

2 बहुपक्षीय बनाम द्वि पक्षीय सहायता (Multilateral Versus Bilateral Aid)

बहुपक्षीय सहायता के अन्तर्गत किसी देश को अनेक देशों से सहायता प्राप्त करने की सुविधा रहती है जबकी द्विपक्षीय सहायता में दो देशों के बीच ऋण सम्बन्धी सम्झौते होते हैं। प्रो० किन्डल बर्गर का मत है कि द्विपक्षीय सहायता के अन्तर्गत ऋणदाता का सहायता के उपयोग पर नियंत्रण रहता है तथा यह सहायता प्रदानकर्ता राष्ट्र को इस प्रलोभन का शिकार बना देती है कि वह सहायता को अत्यधिक अल्पकालीन राजनैतिक उद्देश्यों हेतु उपयोग करे तथा राजनैतिक दबाव डालने का प्रयास करे। उनके अनुसार 'समय के साथ सहायता सुस्थापित होती जाती है इसे जारी रखने से राजनैतिक लाभ मिलने बन्द हो जाते हैं तथा इसे बन्द करना निश्चय ही शत्रुतापूर्ण (unfriendly) माना जाता है।'⁶ अतः बहु पक्षीय एजेन्सीज ऋण दाता

5 Kindleberger C P—International Economics (5th ed) pp 4d2 43

6 Kindleberger C P—op cit p 439

को सुरक्षण प्रदान करती है जिसके पीछे ऋण दाता अपने राजनैतिक उल्लास को सीमित कर सकता है तथा आवश्यक होने पर ऋण प्राप्तकर्ता राष्ट्रों से भी अपने दुःखद उल्लास को कम कर सकता है लेकिन बहुपक्षीय सहायता से ऋण दाता राष्ट्र द्वारा अर्जित "कृतज्ञता" में कमी भी आती है।

प्रो० थॉमस बलॉघ (Thomas Balogh) व रोजन्स्टीन रोडा⁸ (Rosenstein Rodan) ने दर्शाया है कि प्रमुखतया द्विपक्षीय सहायता की अनिवार्यता व बाध्यनीयता की स्वीकृति अधिकाधिक हो रही है। अनुभव ने इस क्षेत्र में बहुपक्षीय सहायता की अपर्याप्तता स्पष्ट कर दी है तथा यह अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है कि बिना सहायता की मात्रा की दाव पर लगाये सहायता प्रवाहों को राष्ट्रीय नीति लाभों से पूर्णतया पृथक नहीं किया जा सकता। इस सदर्भ में रोडा ने 'बनसार्टियम तकनीकी' के माध्यम से द्विपक्षीय प्रवाहों के 'बहुपक्षीयकरण' करने की बकालत की है।

लेकिन बहुपक्षीय ऐजेन्सिज द्वारा प्रदत्त सहायता में दो स्पष्ट कमियाँ बनी रहती हैं प्रथम तो यह की इन ऐजेन्सिज ने व्यावसायिक लकीरों (Professional lines) पर प्रति विशिष्टीकरण कर लिया है, (यह आलोचना विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के सदर्भ में लागू नहीं होती है लेकिन यूनेस्को, एफ ए प्रो, आई एल. प्रो, डब्लु एच प्रो आदि के सन्दर्भ में सत्य है)। बहुपक्षीय ऐजेन्सिज की दूसरी समस्या यह है कि जैसे बच्चे के जन्म दिवस की पार्टी में प्रत्येक बच्चे को इनाम दिया जाना जरूरी होता है उसी भाँति बहुपक्षीय ऐजेन्सिज का सहायता मानदण्ड ऐसा अपनाया जाता है कि सभी जरूरतमन्द राष्ट्रों को सहायता मिल जाये। अतः बहुपक्षीय ऐजेन्सिज पर सहायता के दावेदारों का दबाव निरन्तर बना रहता है।

3 पी. एल. 480 के अन्तर्गत प्रदत्त खाद्यान्न सहायता की कार्यकुशलता (The Economic efficiency of food aid under PL 480)

विदेशी सहायता साहित्य के अन्तर्गत प्रमुख विश्लेषणात्मक विषय (Issue) प्रति उत्पादन को खपाने से सम्बद्ध रहा है। इस प्रति उत्पादन को खपाने के प्राप्तकर्ता राष्ट्रों के कृषि विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का प्रश्न प्रमुख रहा है। प्रारम्भिक वर्षों

7 Balogh, T — Multilateral versus Bilateral Aid—Reprinted in Bhagwati & Eckaus (ed) Foreign Aid (1970)

8 Rosenstein-Rodan P N —The Consortia Technique—Reprinted in Bhagwati & Eckaus (ed) Foreign Aid (1970)

व्यवस्था का अंग मान लिया जाता है ऐसा प्रायः समाज वादी राष्ट्र करते हैं। एक वैकल्पिक विधि जो कि फ्रांस के प्राधिकरण प्रयुक्त करते हैं वह यह है कि सहायता प्रवाह को उन प्राक्घानों से जोड़ दिया जाता है जिनके अन्तर्गत सहायता राशि को फ्रांस की वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय किया जाता है, जबकि फ्रांस 'पारस्परिकता' के रूप में पुराने फ्रांस-अफ्रीकी क्षेत्रों से अधिमानीक (preferential) आधार पर त्रय करता है।

एक अन्य तरीके ने अन्तर्गत केवल उन्ही वस्तुओं व परियोजनाओं के लिये वित्त व्यवस्था की जाती है जिनके अन्तर्गत उल्लेखित मदों (specified items) की पूर्ति में सहायता प्रदान कर्ता राष्ट्र का स्पष्ट लाभ विद्यमान हो।

(4) निर्यात व आयात साख (Export and Import credits) - इसके अन्तर्गत आयातकर्ताओं अथवा निर्यातकर्ताओं को साख प्रदान की जाती है जो कि ऋणदाता राष्ट्र के निर्यातों से स्वतः ही जुड़ी रहती है।

(5) वस्तुओं व तकनीकी सेवाओं के रूप में प्रत्यक्ष निहित सहायता (Aid directly in the form of goods & technical services)

इसके अन्तर्गत सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्र को सहायता प्रदानकर्ता राष्ट्र से वस्तुओं व सेवाओं के रूप में ही सहायता प्रदान की जाती है।

5 एक प्रतिशत सहायता का लक्ष्य (The 1 per cent aid target)

विदेशी सहायता कितनी दी जानी चाहिये? इन प्रश्न का उत्तर "मॉग दष्टिकोण" व "पूर्ति दष्टिकोण" दोनों को ध्यान में रखकर प्रदान किया जा सकता है।

"मॉग दष्टिकोण" के अनुसार हम सहायता प्राप्तकर्ता अर्द्ध-विकसित राष्ट्र की सहायता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहायता राशि निर्धारित करते हैं। प्रो० रोज-स्टोन रोडा (Rosenstein Rodan) के सूत्र से हम इसी आधार पर सहायता आवश्यकता की गणना करते हैं।

जहाँ तक "पूर्ति दष्टिकोण" का प्रश्न है इसके अन्तर्गत हम सहायता प्रदानकर्ता राष्ट्रों ने मध्य सहायता वितरण पर विचार करते हैं। भाँकडों व गणना विधि की विभिन्नताओं के बावजूद इस लक्ष्य पर आश्चर्यजनक संबंधमति पाई गई

वि विकसित राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय आय का 1 प्रतिशत विकासशील राष्ट्रों को रिग्रावनी ऋणों व अनुदान के रूप में प्रदान करें। सन् 1960 में समुक्त राष्ट्र मंच ने 1960 के दशक का 'विकास दशक' घोषित करते हुए राष्ट्रीय आय की एक प्रतिशत सहायता को विकास सहायता का लक्ष्य स्वीकार किया था।

1956 में 61 के वर्षों में यह लक्ष्य वास्तव में प्राप्त किया जा चुका था तथा इस अवधि में विदेशी सहायता विकसित राष्ट्रों की आय का 1 प्रतिशत थी।

सन् 1966 के बाद अमेरिका द्वारा प्रदत्त विदेशी सहायता में कमी होने के परिणामस्वरूप इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी है। वर्तमान में विदेशी सहायता इस लक्ष्य से बहुत कम रही है, उदाहरणार्थ, सन् 1981 में समुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान व पश्चिमी जर्मनी ने अपनी राष्ट्रीय आय का क्रमशः 0.2, 0.44, 0.43, 0.28 तथा 0.47 प्रतिशत विदेशी सहायता प्रदान की थी। यह प्रतिशत समस्त राष्ट्रों के औसत के रूप में 0.35 ही था।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आय का एक प्रतिशत जैसे विदेशी सहायता लक्ष्य में आनुपातिक वरारोपण अन्तर्निहित है तथा अर्थशास्त्री प्रायः प्रगतिशील वरारोपण के पक्ष में तर्क करते हैं। यद्यपि आनुपातिक वरारोपण भी लागू नहीं होता है, तथा सबसे धनाढ्य साठुकार देश अमेरिका इस पैमाने पर नीची श्रेणी में आता है।

विदेशी सहायता नीति में अकुशलताएँ

(Inefficiencies in Aid Policy)

पूर्व वर्णित बन्धनों अथवा शर्तों से विदेशी सहायता में विभिन्न प्रकार की अकुशलताएँ पा जाती हैं, जिनसे सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्र के लिए सहायताार्थ प्रदत्त राशि की कार्यक्षमता व उपयोगिता घट जाती है तथा बाजार में मूल्य व गुणवत्ता सम्बन्धी प्रतिस्पर्धा घट जाती है, अर्थात् सहायता प्रदानकर्ता राष्ट्र को एक प्रकार की एकाधिकारी शक्ति प्राप्त हो जाती है। इस एकाधिकारी शक्ति के माध्यम से सहायता प्रदानकर्ता राष्ट्र, सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्र पर इच्छित वस्तुओं इच्छित मूल्य पर खोपता रहता है।

विकासशील राष्ट्र को 'परियोजना' सहायता प्रदान करने के परिणामस्वरूप उन्हें ऐसी परियोजनाओं के नियंत्रण दिया जा सकता है जो कि "प्रदर्शन" (Dis-

से सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्र, सहायता प्रदानकर्ता राष्ट्रों में से प्रत्येक ऐसे राष्ट्र के न्यूनतम सीमांत वाले प्रतिवर्ती में उपकरण प्रयत्न कर सकेंगे।

लेकिन प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के बावजूद भी व धनमुक्त सहायता में एक अन्य सम्भावित सम्भार अकुशलता तो बनी ही रहेगी, यह यह कि सहायता प्राप्तकर्ता विकासशील राष्ट्र सहायता राशि का एक दूगरे से निवेश-वस्तुएँ प्रयत्न करने में उपयोग लेने में असमर्थ रहेंगे। विकासशील राष्ट्रों द्वारा एक दूगरे से प्रयत्न की गयी निवेश-वस्तुएँ सस्ती व सपनीकी दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त होंगे के साथ-साथ प्रतिवर्ती राष्ट्र के प्राथमिक विकास में भी सहायक सिद्ध हो सकती है।

व-धनमुक्त विदेशी सहायता में अकुशलता का एक अन्य स्रोत यह है कि विकासशील राष्ट्रों को विश्व बाजार में उपलब्ध से कम निपुण सलाहकारों से काम चलाना पड़ सकता है जो कि इन राष्ट्रों की प्राथमिक दशाओं के अनुकूल नहीं है— विशेषकर इनकी मापेक्ष साधन-दुर्लभता के।

व-धनमुक्त सहायता में एक अन्य अकुशलता यह है कि विश्व के सबसे बड़े साठुवार देश अमेरिका ने यह प्रथा चला रखी है कि सहायता का 50 प्रतिशत माल अमेरिका के जहाजों में ही ले जाया जायेगा तथा अमेरिका के जहाजों में माल ढोने की लागत विश्व लागतों से बहुत उँची है। ऐसी शर्तों के अन्वय सहायता राशि का वास्तविक मूल्य बहुत कम हो जाता है।

सहायता में उपयुक्त अकुशलताओं की सम्भारता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि विकासशील राष्ट्र सहायता प्रदानकर्ता राष्ट्रों की प्राथमिक सहायता प्रतिस्पर्धा का बितना लाभ उठा सकते हैं तथा व-धनमुक्त सहायता के अन्तर्गत विभाग उपकरणों की उँची कीमत चुकाने से किस सीमा तक मुक्त हो सकते हैं।

नई विशेषताओं का मत है कि वर्तमान में सहायता प्रदानकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा काफी व्यापक हो चुकी है, अतः सहायता में अकुशलताएँ भी घट गयी हैं।

लेकिन पाकिस्तान के वित्त मंत्री व वहाँ के योजना आयोग के विद्वान अहमद-शाहजी हा० महबूब अल हाक¹¹ (Mahbub ul Haq) ने अपने अध्ययन में पाया कि छ विभिन्न राष्ट्रों द्वारा वित्त व्यवस्था प्रदत्त छापीस विकास परियोजनाओं के प्रतिदर्श (sample) में एक-एक मद के व-धन मुक्त स्रोत के न्यूनतम भावों (quotation) की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक न्यूनतम भावों से तुलना करने से ज्ञात होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की तुलना में व-धनमुक्त स्रोत की भारत कीमत कीमत 51 प्रति-

11 Haq, Mahbub ul—Tied Credits—A Quantitative Analysis—Paper for the International Economic Association Round Table on Capital Movements & Econ. Development, July 21-23 1965, Washington, D. C.

शत ऊँची थी। डा० हक ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इस सन्दर्भ में सबसे बुरे अंपराधी जापान, फ्रांस, इटली तथा नीदरलैंड रहे हैं तथा यदि पश्चिमी जर्मनी व इंग्लैंड से अधिब सहायता प्राप्त हुई होती तो परियोजनाएँ न्यूनतम अधिप्राप्ति के स्रोत की दिशा में घूम जाती। गैर-परियोजना सहायता के अन्तर्गत अमेरिका से अधिप्राप्त वस्तुओं की एक अन्य तुलना से ज्ञात हुआ कि अधिकांश लोहा व इस्पात उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में अमेरिका में 40 से 50 प्रतिशत ऊँची कीमतें थी तथा इन उत्पादों के लिए जापान सस्ता स्रोत होता, लेकिन पाकिस्तान को जापान से प्राप्त होने वाली गैर-परियोजना सहायता नगण्य थी।

तीसरी तुलना से ज्ञात हुआ कि न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रीय किराये से अमेरिका के जहाजों के बन्धनमुक्त सहायता के किराये 43 से 113 प्रतिशत तक ऊँचे थे।

डा० हक ने एक मोटा हिसाब लगाया है कि सन् 1965 में पाकिस्तान को प्राप्त 500 मिलियन डालर की सहायता यदि बन्धनमुक्त होती तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से पूर्ण अधिप्राप्त कर, राष्ट्र 60 मिलियन डालर को बचत कर सकता था। इस प्रकार बन्धनमुक्त सहायता से अधिप्राप्ति का औसत मूल्य 13½ प्रतिशत से कुछ अधिक ऊँचा हो गया था।

डा० हेरी जॉन्सन¹² (Harry Johnson) ने इंगित किया है कि डा० हक के अनुमानों में सहायता की अकुशलताओं का वास्तविक से कम आकलन (underestimate) होने के दो कारण हैं :—

- (1) प्रथम तो यह कि पाकिस्तान को बन्धनमुक्त व बन्धनमुक्त सहायता की पूर्ण करने वाले प्रतिस्पर्धी पूर्णवर्तकों की संख्या काफी बढ़ी थी, तथा
- (2) द्वितीय यह है कि इन अकुशलताओं से होने वाली हानि को कुल सहायता राशि से जोड़ने की बजाय सहायता के उस अंश से जोड़ा जाना चाहिये था जो बन्धनमुक्त था। यदि हम इस विधि से गणना करें तो डा० हक के आँकड़ों के आधार पर सहायता को बन्धनमुक्त करने से अधिप्राप्ति की औसत कीमत लगभग 20 प्रतिशत ऊँची प्राप्त होगी।

अत स्पष्ट है कि डा० हक के निष्कर्ष निष्पत्तिक रूप से दर्शाते हैं कि बन्धनमुक्त विदेशी सहायता की विभिन्न अकुशलताओं को नगण्य मान कर नकारा नहीं जा सकता है।

विदेशी ऋण-सेवा भार की समस्या

(Problem of debt Service burden)

विकासशील राष्ट्रों की अनेक प्राथमिक समस्याओं में से अन्तर्राष्ट्रीय ऋण-प्रस्तता की समस्या सर्वाधिक विकराल रूप धारण कर चुकी है तथा यह समस्या ऋणी राष्ट्रों के सामाजिक व प्राथमिक विकास में 1980 के दशक में गम्भीर बाधा बन गई है।

सन् 1982 से 1987 के मध्य विश्व के सत्रह सर्वाधिक ऋणी राष्ट्रों (ब्राजील, मेक्सिको, कोलम्बिया, मोरोक्को नाइजीरिया, फिलीपीन्स, आदि) की प्रतिव्यक्ति आय गिर कर $\frac{1}{3}$ रह गई थी तथा सब-सहारन अफ्रीकी राष्ट्रों की प्रतिव्यक्ति आय इस अवधि में घटकर एक-चौथाई रह गई थी। लैटिन अमेरिका में सन् 1987 में प्रतिव्यक्ति निवेश का स्तर सन् 1970 से भी नीचा था जबकि सब-सहारन अफ्रीकी राष्ट्रों में यह साठ के दशक की मध्यावधि से कम था।

अधिकांश विकासशील राष्ट्र 'वार्ज जाल' (debt Trap) में उलझे हुए हैं। प्रारम्भिक अनुमानों से ज्ञात होता है कि सन् 1987 में भी विकासशील राष्ट्रों के विदेशी ऋणों में उसी दर से वृद्धि होती रही है जिस दर से सन् 1986 में हुई थी अर्थात् यह वृद्धि दर 2 से 2.5 प्रतिशत के मध्य रही है। सांकेतिक रूप में (in nominal terms) कुल ऋणों में सन् 1987 में 6.25 प्रतिशत की वृद्धि होकर वे 1120 बिलियन डालर से 1190 बिलियन डालर हो चुके हैं। सन् 1987 में दीर्घ-कालीन ऋण वितरण (disbursement) सन् 1986 के 86 बिलियन डालर से कुछ बढ़कर लगभग 90 बिलियन डालर थे। विद्युत् उद्योग प्रवाह सन् 1986 के 25 बिलियन डालर से बढ़कर सन् 1987 में 26 बिलियन डालर हुआ था लेकिन सन् 1986 का विद्युत् उद्योग प्रवाह सन् 1981 की तुलना में एक तिहाई रह गया था। लेकिन अत्यधिक ऋणी मध्यम आय वाले राष्ट्रों (HICs) व निम्न आय वाले सब-सहारन राष्ट्रों (SSA) की अन्तर्राष्ट्रीय ऋण प्रस्तता की समस्या बहुत ही गम्भीर हो चुकी थी।

अन्तर्राष्ट्रीय ऋण प्रस्तता की समस्या को विश्व समुदाय ने पहली बार सन् 1982 में प्राधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। लेकिन ऋण प्रस्तता की समस्या गरीब देशों के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुकी है। अकटाड के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि तजानिया, जिम्बाबवे, मालागासी, बर्मा, एक्वेडर, पेरू आदि अनेक राष्ट्र अपनी कुल निर्यात आय का 30 से 50 प्रतिशत तक ऋण भुगतान के रूप में चुका रहे हैं। सामान्यतया किसी भी राष्ट्र द्वारा अपने विदेशी ऋण की प्रादायगी पर यदि

उसकी कुल निर्यात प्राय के 20 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जाता है तो स्थिति कष्टप्रद व गम्भीर मानी जा सकती है।

अन्तर्राष्ट्रीय ऋण-प्रस्तता की गम्भीरता को सारणी 20.1 के सूचक स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

सारणी 20.1 में विकासशील राष्ट्रों की ऋण प्रस्तता की स्थिति इंगित करने वाले प्रमुख सूचक दर्शाये गये हैं।

जहाँ तक कुल बकाया ऋण राशि का प्रश्न है सन् 1980 में यह राशि 428.6 बिलियन डालर थी जो 1986 में बढ़कर 753.4 बिलियन डालर हो चुकी थी। इस प्रकार विकासशील राष्ट्रों की ऋण प्रस्तता में 1981 से 86 की अवधि में लगभग 76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार ऋण का सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) से अनुपात भी 20.6 से बढ़कर 35.4 प्रतिशत तक पहुँच चुका है। इस अवधि में कुल ऋण का निर्यातों से अनुपात 90 प्रतिशत से बढ़कर 144.5 प्रतिशत हो चुका है। ऋण सेवा अनुपात अर्थात् ऋण सेवा भुगतान (व्याज व परिशोधन) का कुल निर्यात प्राय से अनुपात इसी अवधि में 16 प्रतिशत से बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो चुका है। ऋण सेवा का सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अनुपात भी निरन्तर बढ़ रहा है, यह अनुपात सन् 1986 में 5.5 हो चुका था। व्याज सेवा का निर्यातों से अनुपात भी निरन्तर बढ़ता रहा है, यह अनुपात सन् 1980 में 6.9 से बढ़कर सन् 1986 में 10.7 हो चुका था। सारणी की अन्तिम पंक्ति दर्शाती है कि कुल ऋण में निजी ऋण का प्रतिशत लगभग स्थिर बना हुआ है लेकिन कुल बकाया ऋण में निजी ऋणों का 64 प्रतिशत के करीब होना ऋण समस्या की भावी गम्भीरता का सूचक है।

सारणी में दर्शाये गये सभी अनुपातों में निरन्तर वृद्धि बढ़ने हुए ऋण भार की समस्या की गम्भीरता का सूचक है।

ऋण संकट के विस्फोटक रूप धारण करने के कारण

(Causes for the eruption of debt crisis)

(1) सन् 1981 तक विभिन्न बैंकों द्वारा अति उधार (over-lending) देते रहना तथा 1981 के बाद बैंक सख का तुरन्त बन्द कर देना। सन् 1983 में इन बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल ऋण की राशि 35 बि डालर थी जो 1984 व 85 में गिरकर क्रमशः 1.5 व 9 अरब डालर रह गई थी।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय ऋण प्रस्तता की समस्या के विकराल रूप धारण करने का दूसरा

संस्कृति-20 1

विदेशी सहायता व ऋण सेवा मंत्र, 1980-86
(सहायता व ऋण सेवा मंत्र के द्वारा)

वर्ष	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986
1. ऋण व ऋण सेवा, ऋण सेवा	20.6	22.4	26.3	31.4	33.0	35.8	35.4
2. ऋण व ऋण सेवा व ऋण सेवा	90.0	98.0	117.6	134.8	121.2	143.7	144.5
3. ऋण सेवा व ऋण सेवा	16.0	17.5	20.6	19.4	19.5	21.4	22.3
4. ऋण सेवा व ऋण सेवा, ऋण सेवा	3.7	4.0	4.6	4.5	4.9	5.3	5.5
5. ऋण सेवा व ऋण सेवा व ऋण सेवा	6.9	8.3	10.4	10.1	10.1	10.8	10.7
6. ऋण सेवा व ऋण सेवा व ऋण सेवा (विदेशी सहायता)	428.6	490.8	551.1	631.3	673.2	727.7	753.4
7. ऋण सेवा व ऋण सेवा व ऋण सेवा	63.1	64.5	65.0	65.8	65.7	63.8	63.5

Source : The World Development Report, 1987, p. 18.

Note : Data are based on a sample un of ninety developing Countries. Data for 1986 are estimates.

प्रमुख कारण विकासशील राष्ट्रों से विकसित राष्ट्रों को होने वाला पूँजी का प्रवाह था। विश्व बैंक के अनुसार सन् 1986 में 109 विकासशील राष्ट्रों ने ब्याज अदायगी के रूप में उनको प्राप्त सभी प्रकार के दीर्घकालीन ऋणों से 30 बिलियन अतिरिक्त का भुगतान किया था।

- (3) विकासशील राष्ट्रों की नीची विकास की दर ने भी विदेशी ऋण समस्या को भयावह बनाने में योगदान दिया है। सन् 1985 में विकासशील राष्ट्रों की सामूहिक विकास की दर 4.2 प्रतिशत थी जो कि 1986 में गिरकर 3.66 प्रतिशत रह गई थी।
- (4) विकासशील राष्ट्रों की अल्पमति निर्यात-आय ऋण भुगतान में प्रमुख बाधा बनी हुई है। इन राष्ट्रों की निर्यात आय कम होना का कारण निर्यातों की मात्रा कम होना तथा निर्यातों की विश्व बाजार में कीमत कम होना दोनों ही रहे हैं। विकसित राष्ट्रों द्वारा बढ़ते सरक्षणवाद की नीति अपनाना व विकासशील राष्ट्रों द्वारा निर्यात सब्सिडी के पूरे प्रयास न करना दोनों ही निर्यातों की भौतिक मात्रा को बढ़ाने में बाधक सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट को विकासशील राष्ट्रों की निर्यात आय को नीचा रखने में प्रमुख बाधक घटक माना जा सकता है।
- (5) ऋण संकट का एक अन्य कारण ऐसे घटक हो सकते हैं जो कि ऋणी राष्ट्र के निम्नतरण से बाहर हो उदाहरणार्थ, हाल ही के वर्षों में बहुत से ऋणी राष्ट्रों ने तैरती हुई ब्याज दर पर ऋण लिये हैं (ये ब्याज दरें लन्दन के बैंकों को प्राप्त ब्याज दर से जुड़ी रहती हैं) तथा इन ब्याज दरों में अचानक वृद्धि होती रहती है।

इसी प्रकार कृषि प्रधान राष्ट्र में सूखे की स्थिति में निर्यातों में भारी कमी अथवा निर्यात वस्तुओं के विश्व बाजार में प्रतिकूल विकास के कारण निर्यात आय में कमी होने को भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है अथवा विदेशी उधार में अचानक कमी या किसी अन्य कारण से विदेशी विनिमय आय में कमी हो सकती है।

- (6) असामान्य रूप से ऊँची ब्याज दरों पर उधार लेना तथा अल्पकालीन ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता व अत्यधिक ऋण भी ऋण-सेवा भार की समस्या को जन्म दे सकते हैं।

कर्जों के जाल में उलझे राष्ट्र के समक्ष विकल्प

(The choices available to a country in the debt trap)

ऋण सेवा भार की समस्या का उद्भव इसलिए होता है कि ऋणी राष्ट्रों से ऋण चुकाने की आशा की जाती है तथा आर्थिक सहायता में वृद्धि के साथ-साथ विकासशील राष्ट्रों पर ऋण एवं ब्याज का भार भी बढ़ता जाता है।

यदि सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्र में विदेशी सहायता को उत्पादक विनियोग में प्रयुक्त किया जाय विदेशी सहायता में होने वाली वृद्धि ऋण सेवा की वृद्धि से अधिक हो, सहायता प्रदानकर्ता राष्ट्र सहायता प्राप्तकर्ता राष्ट्र को ऋणों के भुगतान लम्बी अवधि तक फँलाने की अनुमति दे दे भयवा ऋणों को पूर्वव्याप्ति प्रभाव (retrospective effect) से अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाय तो ऋण भार में वृद्धि से गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यदि इनमें से कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं है तो ऋणी राष्ट्र दुविधा में पड़ सकता है, विशेषकर उस स्थिति में जब ऋणी राष्ट्र में सीमान्त बचत व विनियोग पर प्रतिफल की दर नीची हो।

विकासशील राष्ट्रों की ऋण सेवा भार समस्या के सम्बन्ध में सामान्यतया ऋण पुनः सूचीकरण (debt rescheduling) का सुझाव दिया जाता है। ऋण पुनः सूचीकरण से अभिप्राय ऋणों का पुनः प्रबन्ध भयवा इनकी पुनः संरचना करके मूल पुनः भुगतान सूची की अवधि को फँलाने से है। इसमें माफी भयवा भी शामिल हो सकती है।

अतः ऋण सेवा भार की समस्या से प्रसिद्ध राष्ट्र के सामने एक विकल्प पुनः सूचीकरण का भी होता है।

ऋण सेवा से ग्रस्त राष्ट्र के समक्ष सामान्यतया तीन विकल्प प्रस्तुत रहते हैं —

1. वह राष्ट्र अपने ऋणों पर पुनः भुगतान बन्द कर दे और इस प्रकार ऋण सेवा बचाया का सचय करता रहे। लेकिन इस विकल्प की एक बड़ी कमी यह है कि ऐसा करने से ऋणी राष्ट्र का विश्वास उठ जायेगा तथा उसके निचे भविष्य में ऋण प्राप्त करना कठिन हो जायेगा।
2. राष्ट्र के समक्ष दूसरा विकल्प यह है कि वह हर हालत में अपने ऋण सेवा भार को चुकाता रहे। लेकिन ऐसा करने से राष्ट्र को अपने अन्य विदेशी विनिमय व्यय में कटौती करनी पड़ सकती है। सामान्यतया यह कटौती आयानों को

कम करके की जाती है अतः यह विकल्प प्रपनाना उन राष्ट्रों के लिए मुश्किल होता है जिनके आयात अति आवश्यक वस्तुओं के ही रह गये हों, इस प्रकार यह विकल्प आर्थिक व सामाजिक दोनों ही आधारों पर व्यवहार्य नहीं है।

- 3 तृतीय विकल्प के अनुसार राष्ट्र ऋण के पुनः सूचीकरण करवाने के प्रयत्न कर सकता है अथवा पुनः वित्त व्यवस्था (refinancing) द्वारा बाकी ऋण में से नया मध्यावधि ऋण ले सकता है जिसका भुगतान ऋण के मुनाफे (proceeds) के भुगतान के साथ किया जा सकता है।

यदि उपर्युक्त तीनों विकल्प ऋण सेवा भार समस्या के हल में योगदान नहीं दे सकें तो फिर ऋणदाता राष्ट्र ही इस समस्या का हल कर सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि ऋण सेवा भार का विषय हमारा एक ऐसी समस्या की ओर ध्यान आकषिप्त करता है जो ऋणदाताओं द्वारा सृजित की गई है तथा वे ही इस समस्या का आसानी से हल भी कर सकते हैं। अमेरिका ने हान ही में इस दिशा में छोटा लेकिन प्रथम कदम उठाने का सुभाव दिया है।

भारतवर्ष की विदेशी ऋण समस्या

(India's External Debt Problem)

जहाँ तक भारतवर्ष की विदेशी ऋण समस्या का प्रश्न है स्थिति काफी गंभीर कही जा सकती है।

हाल ही में तेल मूल्यों की वृद्धि की वित्त व्यवस्था करने हेतु भारत को अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विस्तारित कोष सुविधा' के अन्तर्गत 39 बिलियन डालर का ऋण प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों से भारी ऋण की राशि प्राप्त की है। इन ऋणों के कारण भारत के विदेशी ऋण के दायित्वों में भी वृद्धि हुई है। अतः हाल ही के वर्षों में भारत की ऋण जोखिम श्रेणी' (debt risk ranking) 30 से बढ़कर 33वीं हो गई है, जो कि बढ़ते हुए ऋणों की सूचक है।

दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन में संकेत दिया है कि भारत के ऋण सेवा भुगतान निर्यातों की कुल आय का 14 प्रतिशत से कम तथा कुल चालू प्राप्तियों के 8 प्रतिशत से कम थे। इन आँकड़ों से हमें लगता है कि भारत के विदेशी ऋण शायद अब भी नियन्त्रणीय सीमाओं में होंगे।

लेकिन हम तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल ही के वर्षों में भारत के विदेशी ऋणों में भारी वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप ऋण सेवा भार बहुत बढ़ चुका है। आने वाले वर्षों में यह भार और भी तीव्र गति से बढ़ेगा। अतः अब और अधिक विदेशी ऋण लेना स्थिति पर नियन्त्रण खो देने की दिशा में ही प्रयास कहा जायगा। भारत के विदेशी ऋणों में हम चार मसों के अन्तर्गत प्राप्त ऋण शामिल कर सकते हैं

- (1) विदेशी सहायता का बकाया ऋण,
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समस्त ऋण सुविधाओं का बकाया ऋण,
- (3) व्यापारिक उधार का बकाया ऋण, तथा
- (4) गैर-प्रवासी भारतीयों के रुपये व विदेशी मुद्रा खातों के बकाया ऋण।

सारणी 20.2 में 31 मार्च 1984 को भारतवर्ष पर विदेशी ऋणों की बकाया राशि दर्शायी गई है।

सारणी-20 2

31 मार्च, 1984 को भारत पर विदेशी ऋण (करोड़ रु. में)

1. विदेशी सहायता के तहत रिप्रायती ऋण	19,450.0 (63.6)
2. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण ¹	5,566.1 (18.2)
3. व्यापारिक उधार	2,277.0 (7.4)
4. गैर-प्रवासियों के बाह्य खातों की जमायें	3,300.0 (10.8)
योग	30,593.1 (100)

Source 1 For foreign Aid . Ministry of Finance, Brochure on External Assistance 1983-94

2 For IMF : IMF International Financial Statistics, octo, 1914,

3. *Commercial Borrowing : Business Standard, 12-11-84*

4. *NRERA and FCNRA : Economic Times, 12-12-84*

1. Includes Trust Fund Loan, Compensatory Financing and Extended Fund Facility.

Note Figures in the brackets are percentages.

सारणी 20 2 दर्शाता है कि 31 मार्च 1984 को भारत का कुल विदेशी ऋण 30,593 करोड़ रुपये था, जिसमें से सर्वाधिक हिस्सा लगभग 64 प्रतिशत विदेशी सहायता के रूप में बनाना था दूसरा स्थान मुद्रा कोष के ऋणों का था जो कि कुल ऋण का 18 प्रतिशत से कुछ अधिक, लेकिन विदेशी सहायता के बाकी ऋणों से काफी कम था ।

सारणी 20 3 में भारत का कुल ऋण सेवा भार दर्शाया गया है ।

सारणी--20.3

भारत का ऋण सेवा भुगतान (करोड़ रुपये में)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
कुल ऋण सेवा भुगतान	3,357.9	4,170.2	4,668.1	4,431.9	4,252.8	3,957.8

Source . Estimated on the basis of World Debt Tables-1983-84, published by the World Bank.

सारणी से स्पष्ट है कि भारतवर्ष के ऋण सेवा भुगतान सन् 1985 में 3,358 करोड़ रुपये थे जो कि सन् 1990 में बढ़कर 3,958 करोड़ रुपये हो जायेंगे, लेकिन ये भुगतान सर्वाधिक सन् 1987 में थे, इस वर्ष में हमें 4,668 करोड़ रुपये का ऋण सेवा भार वहन करना था ।

यह जानने हेतु कि भारतवर्ष अपनी अधिकतम ऋण क्षमता पर पहुँच चुका है अथवा नहीं, हमें भारत के ऋण अनुपातों की कुछ ऐसे देशों के ऋण अनुपातों से तुलना करनी होगी जो कि पूर्व के वर्षों में ऋण समस्याओं में फँस कर ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहे हैं । ऐसे राष्ट्रों में ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना आदि को

1984 में 18.2 था जो कि ब्राजील के सन् 1982 के अनुपात से कुछ अधिक था। भारत के बकाया ऋण का वस्तुओं व सेवाओं के निर्यातों से अनुपात सन् 1984 में 170.6 था, जो ब्राजील, मेक्सिको व अर्जेंटीना के अनुपात से ऊपर जा चुका था।

एक अनुमान के अनुसार भारत का ऋण सेवा का निर्यात व चालू प्राप्तियों से अनुपात सन् 1986-90 के वर्षों में क्रमशः 20 व 15 प्रतिशत से अधिक हो जाने की सम्भावना है। एक व्यावहारिक मापदण्ड यह है कि यदि ऋण सेवा अनुपात 10 प्रतिशत से कम है तो चिन्ता की बात नहीं है, लेकिन यदि यह 10 प्रतिशत से अधिक है तो यह सम्भवतः खतरनाक (*potentially dangerous*) है।

लेकिन इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि भारतवर्ष की स्थिति भी मेक्सिको ब्राजील आदि जैसी होगी। भारत की स्थिति इन राष्ट्रों से कई दृष्टिकोणों से भिन्न है। प्रथम, तो यह कि भारत के विदेशी ऋणों में एक बड़ा हिस्सा रिआयती विदेशी सहायता का है जिसके पुनर्भुगतान की शर्तें अपेक्षाकृत आसान हैं। द्वितीय यह कि भारतवर्ष ने विदेशी ऋणों का विवेकपूर्ण उपयोग करके ऐसे निवेश किये हैं जिनसे हमारी आय में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त भारत ऋण पुनर्भुगतानों में देरी के अर्थ घरेलू व अन्तर्राष्ट्रीय कारणों को भी नियन्त्रित रखने में सक्षम रहा है।

विकासशील राष्ट्रों की व्यापार समस्याएँ, व्यापार सम्मेलन, आर्थिक व्यवस्था व सहयोग

(Trade Problems of Developing Countries, Trade Agreements, Conferences, Economic order and Co-operation)

इस अध्याय में हम विकासशील राष्ट्रों की व्यापार समस्याओं में से आयात प्रतिस्थापन द्वारा उद्योगीकरण, निर्यात अस्थिरता (Export Instability), वस्तु कीमत स्थिरीकरण, विनिमय दर नीति व निर्यात विदेशी विनियोग के प्रति इन राष्ट्रों के रवैये से सम्बन्धित नीतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। इन राष्ट्रों की कुछ अन्य व्यापार समस्याओं जैसे विदेशी सहायता से सम्बद्ध समस्याएँ, ऋण सेवा भार समस्या आदि की सम्बद्ध अध्याय में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। अतः जेप प्रमुख समस्याओं का विस्तृत विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

१ आयात प्रतिस्थापन द्वारा उद्योगीकरण

(Industrialization by Import Substitution)

विकासशील राष्ट्रों की आयात प्रतिस्थापन पर आधारित उद्योगीकरण की नीति के दोषों का सार डा० प्रेबिश^१ ने इन शब्दों में व्यक्त किया है :—

- (1) ऐसे अर्द्धविकसित राष्ट्र जिनमें उद्योगीकरण की सर्वाधिक प्रगति हुई है, उनमें उद्योगीकरण को गरल व अपेक्षाकृत आयात समस्या प्राप्त की जा चुकी है। इस समस्या से आगे आयात प्रतिस्थापन के बिना उचित श्रेणी की आर्थिक व्यवहार्यता की स्थिति प्राप्त करने हेतु तकनीकी रूप से उच्च व अधिक बर्तन प्रतिस्थापन वाली क्रियाओं में आयात प्रतिस्थापन के लिए अत्यधिक पूर्वी

1. Prebisch, R —Towards a new Trade Policy for Development—(United Nations, 1964).

गहनता व बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है कि विकासशील राष्ट्रों में आयात प्रतिस्थापन एक सीमा तक ही सम्भव है। इस सीमा से भाग आयात प्रतिस्थापन करने पर प्रायः बाकी मात्रा में पूँजी का अपव्यय होता है। इसके अतिरिक्त आयात प्रतिस्थापन को वस्तुओं की विस्तृत विस्तार सीमा तक फैलाने से अन्य आयातों की माँग में वृद्धि होती है। ये अन्य आयातों उस वृद्धि सामग्री अथवा अर्द्ध-निर्मित माल के हो सकते हैं जिसे ऐसी उत्पादन क्रियाओं में प्रयुक्त करना आवश्यक है जिनके सन्दर्भ में आयात प्रतिस्थापन हो रहा है अथवा तकनीकी दृष्टि से निरन्तर सृजित पूँजीगत वस्तुओं या उपभोग वस्तुओं के उत्पादन हेतु आवश्यक सामग्री के आयातों में वृद्धि हो सकती है।

- (2) अर्द्धविकसित राष्ट्रों में अन्य प्रतिकूल घटकों के अतिरिक्त सापेक्ष रूप से छोटे बाजारों ने उद्योगों की लागतें बेहद ऊँची कर दी हैं। अतः अत्यधिक ऊँची मरभ्रणायुक्त प्रयुक्त लगाई जाती है जिसके औद्योगिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभावों के परिणामस्वरूप छोटे व गैर-आर्थिक समयों की स्थापना प्रोत्साहित होती है एवं आधुनिक तकनीकी अपनाने की उत्प्रेरणायें धीरे धीरे हो जाती हैं तथा उत्पादन में वृद्धि मन्द पड़ जाती है। अतः विकासशील राष्ट्रों में निर्मित माल के निर्यातों से सम्बन्धित एक वास्तविक दुश्चक्र (Vicious circle) सृजित हो गया है। इन निर्यातों की कठिनाइयों का सामना इसलिये भी करना पड़ता है कि इनकी आन्तरिक लागतें ऊँची हैं तथा आन्तरिक लागतें, अन्य कारणों के अतिरिक्त, बाजार के विस्तार के लिये आवश्यक निर्यातों के अभाव में ऊँची हैं। यदि औद्योगिक निर्यातों को विकसित करना सम्भव होता तो उद्योगीकरण की प्रक्रिया अधिक विधायक होती क्योंकि इससे निर्माण उद्योगों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन सम्भव हो जाता।

- (3) विकासशील राष्ट्रों में उद्योगीकरण प्रायः मुनियोजित कार्यक्रम का परिणाम नहीं होता है अपितु यह ऐसी प्रतिकूल बाह्य परिस्थितियों द्वारा शासित होता है जिनके कारण आयात घटाना आवश्यक होता है। ये उपाय विशेषकर उन गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयातों के सन्दर्भ में प्रयुक्त किये जाते हैं जिनके आयातों को टालना अथवा स्थगित किया जा सकता है। इस प्रकार इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को दुर्लभ उत्पादक-कारकों का अवशोषण करने तथा प्रायः लागतों की परवाह किये बिना, प्रोत्साहित किया जाता है। इस सन्दर्भ में अधिक विवेकपूर्ण नीति तो वह होनी जिसमें विकासशील राष्ट्र उन

वस्तुओं के सन्दर्भ में आयात प्रतिस्थापन करते जिनकी अन्य वस्तुओं की तुलना में अधिक अनुकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत उत्पादित किया जा सकता था। ऐसी वस्तुओं की श्रेणी में केवल उरभोग वस्तुएँ ही नहीं अपितु कच्ची सामग्री, अर्द्ध-निर्मित माल व पूँजीगत वस्तुएँ भी सम्मिलित हो सकती हैं।

(4) गैर-आवश्यक अथवा कम आवश्यक वस्तुओं के सन्दर्भ में आयात-प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप वे विकासशील राष्ट्र जो औद्योगिक प्रक्रिया में सर्वाधिक अग्रगण्य हैं, उनके आयात अनिवार्य वस्तुओं विशेषरूप से ऐसी अनिवाय वस्तुएँ जिनकी उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यकता होती है - पर केन्द्रित हो चुके हैं। अतः इन राष्ट्रों की प्राथमिक निर्यातों से अर्जित आय में भारी गिरावट की स्थिति से निवृत्त हनु आयातों में कटौती करना उतना आसान नहीं रह गया है जितना कि विगत में था क्योंकि वर्तमान में आन्तरिक आर्थिक क्रियाओं की गति को धीमी किये बिना व रोजगार के अवसरों में कमी किये बिना आयातों में कटौती की जाने की सम्भावना बहुत ही सीमित रह गई है।

(5) अन्त में डा० प्रेविश कहते हैं कि आवश्यक से अधिक सरक्षण के परिणामस्वरूप विकासशील राष्ट्र विदेशी प्रतिस्पर्धा से पूर्वतया अलग-थलग पड़ चुके हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए तथा निजी उपक्रम प्रणाली में लागत घटाने के लिए प्रेरणायें बहुत कम एवं न के समान रह गई हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विकासशील राष्ट्रों की आयात प्रतिस्थापन की इन नीतियों का, छोटे बाजार के लिए सरक्षित उत्पादन की आन्तरिक लागतें विश्व-बाजार की लागतों से ऊँची बने रहने का प्रभाव तथा भरक्षित वस्तुओं की प्रतियोगिता व कुशलता के स्तर में गिरावट का प्रभाव पड़ता है।

डा० प्रेविश इस स्थिति के लिए विकसित राष्ट्रों को इसलिए दोषी ठहराते हैं कि ये राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के औद्योगिक उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने में इच्छुक नहीं हैं जबकि प्रो० हेरी जॉनसन (Harry Johnson) इस स्थिति के लिए विकासशील राष्ट्रों की अधिमूल्यव्यय विनिमय दर बनाये रखने की दरमनात्मक आयात-प्रतिस्थापन वाली नीतियों को उत्तरदायी मानते हैं।

डा० प्रेचिन ने इस समस्या के हल हेतु सुझाव दिया है कि विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों से औद्योगिक माल को अधिमानिक प्रविष्टि देनी चाहिए ताकि इन राष्ट्रों में उत्पादित माल की ऊँची लागतों का भार विकसित राष्ट्रों द्वारा वहन किया जा सके। इस विपरीत शो० जॉनसन ने इस दुविधा से छुटकारा पाने के लिए विकासशील राष्ट्रों की विनिमय-दर में समायोजन व उदार आपात नीति के संयोग को अपनाने का सुझाव दिया है।

आधुनिक औद्योगिक संरचना में घाटा-प्रदा सम्बन्धों के महत्व को तथा आदाघो को संरक्षण प्रदान करने से लागतों में होने वाली वृद्धि के प्रभाव द्वारा विकासशील राष्ट्रों के उद्योगों द्वारा उत्पादित माल का विश्व बाजार में प्रतियोगिता अयोग्य बन जाना के प्रभाव को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। सामान्यतया विकासशील राष्ट्र आयात प्रतिस्थापन के द्वितीय चरण में आदाघो को संरक्षण प्रदान करते हैं लेकिन इस संरक्षण के लागत वृद्धि प्रभ व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है।


२. निर्यात अस्थिरता

(Export Instability)

विकासशील राष्ट्रों की निर्यात आय व निर्यात कीमतों में विनाश अल्पकालीन उच्चावचन इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास में गतिरोध उत्पन्न करते हैं। अतः इस अल्पकालीन अस्थिरता (short run instability) के कारणों, प्रभावों व सीमाओं का अध्ययन आवश्यक है।

विकासशील राष्ट्रों की प्राथमिक वस्तुओं की कीमतों में प्रायः अन्व्यावृत्त उच्चावचन होने रहते हैं। इन उच्चावचनों का प्रमुख कारण बेलोचदार तथा अस्थिर माँग व पूर्ति वक्रों की उपस्थिति है। यह स्थिति चित्र 21 I द्वारा स्पष्ट की गई है। चित्र 21 I में D-D व S-S वक्र क्रमशः विकासशील राष्ट्र के प्राथमिक वस्तु के निर्यातों के अधिक ढालू अर्थात् बेलोचदार माँग व पूर्ति वक्र हैं। यदि D-D माँग वक्र व S-S पूर्ति वक्र है तो साम्य कीमत OP होगी।

अब यदि माँग घटने से माँग वक्र झिक्न होकर D'-D' हो जाता है अथवा पूर्ति बढ़ने से पूर्ति वक्र झिक्न होकर S'-S' हो जाता है तो नई साम्य कीमत गिरकर OP' हो जायेगी। लेकिन यदि माँग व पूर्ति वक्र एक साथ झिक्न होकर D'-D' व S'-S' हो जायें हैं तो साम्य कीमत और अधिक गिरकर OP'' हो जायेगी। अब यदि माँग



चित्र 21.1 : अस्थिरताकारण माँग व पूर्ति वक्र

य पूर्ति वक्र पुन विवर्त होकर $D-D$ व $S-S$ बन जाते हैं तो कीमत तेजी से बढ़कर $O-P$ हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि विकासशील राष्ट्रों के प्राथमिक वस्तुओं के माँग व पूर्ति वक्रों की बेतौल्यदार (अर्थात् अधिक ढालु) व अस्थिर (विवर्तन) प्रकृति इन राष्ट्रों के निर्यातों की कीमतों में उल्थावचन जनित्र कर सकती है।

प्राथमिक वस्तुओं के माँग व पूर्ति वक्र बेतौल्यदार व अस्थिर क्यों ?

(Why are the Demand and Supply Curves of Primary goods inelastic & Shifting ?)

विकासशील राष्ट्रों में प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातों के माँग व पूर्ति वक्र बेतौल्यदार व अस्थिर होने के निम्न कारण हैं — इन निर्यातों का माँग वक्र बेतौल्यदार इसलिए होता है कि विकसित राष्ट्रों के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का चाय, काफी व चीनी जैसी प्राथमिक वस्तुओं के आयातों पर इनकी चाय का बहुत कम अनुपात व्यय होता है अतः प्राथमिक वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप इन वस्तुओं के क्रय में अधिक परिवर्तन नहीं होता जिससे इन वस्तुओं का माँग वक्र बेतौल्यदार पाया जाता है। दूसरी ओर प्रतिस्थापनों के अभाव में भी अधिकांश खनिज पदार्थों की माँग बेतौल्यदार बनी रहती है। लेकिन विकासशील राष्ट्रों के प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातों के माँग वक्र की अस्थिरता का प्रमुख कारण विकसित राष्ट्रों में व्यापार वक्रों के उल्थावचन होते हैं।

जहाँ तक पूर्ति वक्र बेलोबदार होने का प्रश्न है इसका प्रमुख कारण विकासशील राष्ट्रों में साधन उपयोग की दृढ़ता व अपरिवर्तनीयताएँ (rigidities and inflexibilities) होती हैं जो कि दीर्घ-समयता वाली वस्तुओं में विशेष रूप से विद्यमान रहती हैं। पूर्ति वक्रों में अस्थिरता (विवर्तन) का प्रमुख कारण प्रतिवृष्टि-प्रभाववृष्टि, जंतु व फसल रोग आदि हैं।

निर्यात अस्थिरता के प्रभाव व इसका माप

(Effects and Measurements of Export Instability)

निर्यात कीमतों में अत्यधिक उच्चावचन के कारण विकासशील राष्ट्रों की निर्यात आय में भारी वार्षिक उच्चावचन आते रहते हैं अतः निर्यात आय में वृद्धि वाले वर्षों में निर्यातकर्ताओं के उपभोग, विनियोग व बैंक जमाओं में वृद्धि हो जाती है जबकि निर्यात आय में कमी वाले वर्षों में आय अल्प व विनियोग में कमी हो जाती है। आय की इस वृद्धि व कमी का शेष अर्थव्यवस्था पर कई गुणा प्रभाव पड़ता है, जिससे विकासशील राष्ट्रों के सहज आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधाएँ प्रस्तुत होती हैं।

— जहाँ तक निर्यात अस्थिरता के माप का प्रश्न है प्रो० मैकबीन³ (Macbean) के सन् 1966 के अध्ययन, अर्ब (Erb) व शियावो केम्पो⁴ (Schiavo Campo) के सन् 1969 के अध्ययन, मैसल⁵ (Massell) के सन् 1970 के अध्ययन व ला-सीरी⁶ (Lancieri) के सन् 1978 के अध्ययन में विकसित व विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों की अस्थिरता को मापने के प्रयास किये गये हैं। मैकबीन ने अपने अध्ययन से ज्ञात किया कि सन् 1946 से 1958 की अवधि में 45 विकासशील राष्ट्रों के समूह का निर्यात अस्थिरता सूचक 23 था जबकि 13 विकसित राष्ट्रों के समूह के लिए यह सूचक 18 ही पाया गया। तत्पश्चात् अर्ब व शियावो केम्पो ने पाया कि सन् 1954

3 Macbean, A I—Export Instability and Economic Development (Cambridge Mass Harvard Univ Press 1966)

4 Erb, G F and Schiavo-Campo S—Export Instability Level of Development & Economic Size of LDCS—Bulletin of Oxford Univ Institute of Econ & Stat 1969

5 Massell, B F—Export Instability and Economic Structure—A E Rev Sept, 1970

6 Lancieri E—Export Instability & Economic Development An Appraisal—Banca Nazionale del lavoro—Q Rev June 1978

से 1966 की अवधि में विकासशील राष्ट्रों के इसी समूह का निर्यात अस्थिरता सूचक घट कर 13 हो गया था जबकि विकसित राष्ट्रों के समूह के लिये यह सूचक 6 रह गया था। मेसल के अध्ययन से भी इन निष्कर्षों की पुष्टि होती है। लान्सीरी ने अपने हाल ही के अध्ययन से ज्ञात किया कि सन् 1950 से 72 की अवधि में 123 विकासशील राष्ट्रों के समूह के लिये निर्यात अस्थिरता सूचक लगभग 12 था जबकि 26 विकसित राष्ट्रों के लिये यह सूचक 6 ही था।

अतः उपर्युक्त अध्ययनों से ज्ञात होना है कि विकासशील राष्ट्रों की निर्यात 'अस्थिरता का सूचक' विकसित राष्ट्रों के सूचक से लगभग दुगुना है। लेकिन 0 से 100 के पैमाने पर आंका जाय तो विकासशील राष्ट्रों में निर्यात आय अस्थिरता का सूचक निरपेक्ष बोध में बहुत अधिक नहीं है।

प्रो० मेकबीन अपने अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विकासशील राष्ट्रों की निर्यात आय में अधिक उच्चावचनों के कारण इन राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय, बचत व विनियोग में विशेष उच्चावचन सुझित नहीं होते हैं क्योंकि एक तो इन राष्ट्रों की निर्यात आय के अस्थिरता सूचक निरपेक्ष बोध में बहुत उँचे नहीं हैं तथा दूसरे इन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं के विदेशी व्यापार गुणक भी बहुत नीचे हैं। अतः मेकबीन के अनुसार विकासशील राष्ट्रों द्वारा भारी लागत वाले अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतों की माँगों का औचित्य नहीं है। लेकिन इस सम्बन्ध में हम यदि निर्यात मात्रा व निर्यात कीमतों के अस्थिरता सूचकों का अध्ययन करें तो हमें और अधिक अन्तर्राष्ट्रि प्राप्त हो सकती है। स्वरूप व स्वामी (Swaroop and Swami) ने अपने सन् 1977 के भारत वर्ष के निर्यातों के अध्ययन से पाया कि सन् 1963-64 से 1973-74 की अवधि में भारत की निर्यात आय का कोपोक (Coppock) विधि से प्राप्त अस्थिरता सूचक 12 था जबकि निर्यात मात्रा व कीमत का अस्थिरता सूचक क्रमशः 6.4 व 13 था। अतः स्पष्ट है कि भारत के निर्यातों की इकाई कीमत में काफी अस्थिरता विद्यमान थी। यदि ऐसी स्थिति विस्तृत स्तर पर विद्यमान है तो निर्यात कीमत स्वीकरण के प्रयासों से विकासशील राष्ट्र निश्चय ही लाभान्वित होंगे।

7. Swaroop, B and Swami, K D —A Note on Growth and Stability of Exports of India—Rajasthan Economic Journal—Jan 1977, pp 67-75.

8. Coppock, J. D.—International Economic Instability—McGraw Hill Book Co. 1962

अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु कीमत स्थिरीकरण व वस्तु समझौते

(International Commodity Price Stabilization and Commodity Agreements)

अधिकांश विकासशील राष्ट्रों का विदेशी विनिमय अर्जित करने का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात हैं। इन राष्ट्रों को निर्यात आय का 85 से 90 प्रतिशत प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातों से प्राप्त होता है। लेकिन प्राथमिक वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में भारी उच्चावचन होते रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप निर्यातों से अर्जित आय में अस्थिरता उत्पन्न होती है। यदि प्राथमिक वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में स्थिरीकरण प्राप्त कर लिया जाय तो विकासशील राष्ट्रों के विकास में उपस्थित एक बड़ी बाधा को हटाया जा सकता है। वस्तु कीमत स्थिरीकरण की अनेक योजनाएँ हो सकती हैं। इनमें से प्रमुख योजनाओं का विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि के बाद स्थापित किये गये विपणन बोर्डों (Marketing Boards) की स्थापना जैसी विणुद्ध धरेलू योजनाओं द्वारा निर्यात कीमत स्थिरीकरण प्राप्त किया जा सकता है। ये बोर्ड स्वयं द्वारा निर्धारित स्थिर कीमतों पर धरेलू उत्पादकों का उत्पादन क्रय करके स्वयं इस उत्पादन का उच्चावचन युक्त विश्व कीमतों पर निर्यात किया करते थे। लाभकर वर्षों में धरेलू कीमतें विश्व कीमतों से नीची निर्धारित की जाती थीं ताकि बोर्डें 'लाभ कोष' एकत्रित कर सकें। इसके विपरीत हानिकर वर्षों में धरेलू उत्पादकों को एकत्रित कोषों में से राशि चुका कर विश्व कीमतों से ऊँची कीमतें प्रदान की जाती थीं। इस प्रकार के बोर्डों के उदाहरण घाना का कोका विपणन बोर्ड व बर्मा का चावल विपणन बोर्ड हैं। लेकिन इन बोर्डों में से कुछ ही बोर्डों को सीमित सफलता मिल पाई थी क्योंकि इनके लिये यह सही-सही अनुमान लगाना काफी मुश्किल था कि धरेलू कीमत कितनी निर्धारित की जाय कि वह कई वर्षों की विश्व कीमत के औसत के बराबर हो। इसके अलावा इन बोर्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार भी उनकी प्रसफलता का कारण था।

लेकिन विकासशील राष्ट्रों की सर्वाधिक रुचि "अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतों" में रही है क्योंकि इन समझौतों से विकासशील राष्ट्रों की निर्यात कीमतों व निर्यात से अर्जित आय में वृद्धि की भी संभावना बनी रहती है। मूलरूप से अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु

समझौते की तीन योजनाएँ प्रचलित रही हैं :- (1) प्रतिरोधक भण्डारण (Buffer stocks) (2) निर्यात नियंत्रण तथा (3) ऋय अनुबंध ।

प्रतिरोधक भण्डारण की योजना के अन्तर्गत वस्तु की कीमत जब न्यूनतम सम्मत् (minimum agreed) कीमत से नीचे गिर जाती है तो वस्तु का ऋय करके इसके भण्डारण में वृद्धि की जाती है तथा जब वस्तु की कीमत उच्चतम वि धारित कीमत से उंची चली जाती है तो भण्डारण में से वस्तु का विक्रय किया जाता है । प्रतिरोधक भण्डारण व्यवस्था की कुछ कमियाँ निम्न थीं —

- (1) कई वस्तुओं का भण्डारण बहुत ऊँची कीमत पर ही किया जा सकता है,
- (2) यदि न्यूनतम कीमत साम्य में उंची निर्धारित कर दी जाती है तो समय के साथ भण्डारण में अधिकारिक वृद्धि होती जायेगी ।

इस तरह के प्रतिरोधक भण्डारण प्रबंध का उदाहरण अन्तर्राष्ट्रीय टिन समझौता है । यह समझौता मन् 1956 में किया गया था लेकिन कई वर्षों के मरुत संचालन क बाद इसके पास टिन का भण्डार समाप्त हो गया तथा यह टिन कीमत को विस्थापित अधिकतम् से ऊँचा जाने में नहीं रोक पाया था ।

निर्यात नियंत्रण (Export Controls) द्वारा वस्तु कीमत स्थिरकरण-प्राप्त करने हेतु निर्यातित वस्तु की मात्रा को नियमित किया जाता है । इन योजना का प्रमुख नात्र यह है कि इसके अन्तर्गत भण्डारण बनाये रखने की मागत टन जाती है । दूसरी धोर इसी मुख्य कर्मा यह है कि इसमें अनुभवताओं को बढ़ावा मिलता है तथा इसकी मरुतता के लिए यह आवश्यक है कि वस्तु का प्रत्येक बड़ा निर्यातकर्ता गष्ट इस योजना में भाग ले । वास्तव में बड़े निर्यातकर्ता राष्ट्रा के लिए ऐसे समझौते से बाहर बने रहने प्रयत्न समझौते में भाग लेकर घोषा-प्रती करन के लिए बहुत अधिक प्रेरणाएँ बनी रहती हैं ।

निर्यात नियंत्रण योजना का उदाहरण अन्तर्राष्ट्रीय चीनी समझौता है । यह समझौता मन् 1954 में किया गया था लेकिन इसमें चीनी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत में स्थिरता प्रयत्न वृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकी थी । ऐसा विकसित-राष्ट्रों की चुकन्दर (beet sugar) के उत्पादन में वृद्धि करने की प्रयत्न के कारण हुआ । निर्यात-नियंत्रण योजना का एक अन्य उदाहरण अन्तर्राष्ट्रीय आली समझौता था । यह समझौता मन् 1962 में हुआ था । लेकिन इस समझौते द्वारा भी आली की कीमतों का नियंत्रण नहीं हो पाया तथा 1970 के दशक के अन्तिम वर्षों में पूर्ण की

कमी के परिणामस्वरूप बाफी की कीमत तेजी से बढ़ गई थी ।

क्रय अनुबन्ध (purchase Contracts) बहुपक्षीय दीर्घकालीन समझौते होते हैं । इन समझौते द्वारा एक ऐसी न्यूनतम कीमत निर्धारित की जाती है जिस पर आयातकर्ता राष्ट्र वस्तु की उल्लेखित मात्रा का आयात करने को सहमत हो जाते है तथा निर्यातकर्ता राष्ट्र उस वस्तु की उल्लेखित मात्रा को अधिकतम अनुबन्धित कीमत पर निर्यात करने को सहमत हो जाते हैं । इस प्रकार क्रय अनुबन्धों की योजना में प्रतिरोधक भण्डारण व नियन्त्रण योजनाओं वाली कमियाँ नहीं होती हैं । लेकिन इस योजना में वस्तु की द्वि-कीमत प्रणाली लागू हो जाती है । क्रय अनुबन्ध योजना का उदाहरण 'अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ समझौता' है । इस समझौते पर सन् 1949 में हस्ताक्षर हुए थे । इस समझौते से प्रमुखतया अमेरिका, कनाडा व आस्ट्रेलिया प्रभावित हुए थे न कि विकासशील राष्ट्र । लेकिन 1970 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में सोवियत रूस द्वारा गेहूँ की भारी मात्रा क्रय करने के परिणामस्वरूप गेहूँ की कीमतें विस्थापित कीमत सीमा से तेजी से ऊपर चली गई थी अतः यह समझौता निष्क्रिय हो गया ।

उपर्युक्त वर्णित समझौते अनेकों में से वे हैं जिनका कुछ न कुछ महत्त्व रहा है तथा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में कभी न कभी परिचालक थे । लेकिन जैसा कि स्पष्ट है ये समझौते विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों की कीमत स्थायी बनाये रखने अथवा उसे बढ़ाने में या तो असफल रहे अथवा सीमित सफलता ही प्राप्त कर पाये थ । इस असफलता का एक प्रमुख कारण तो इन समझौतों के परिचालन की ऊँची लागतें थी तथा दूसरा कारण इन अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को विकसित राष्ट्रों से प्राप्त समर्थन की कमी थी, क्योंकि इन समझौतों के विस्थापित करने व चालू रखने का अधिकोश भार विकसित राष्ट्रों को ही वहन करना पड़ता है । लेकिन फिर भी विकासशील राष्ट्रों ने नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग में अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतों को केन्द्रीय स्थान प्रदान किया है तथा हाल ही के वर्षों में इन राष्ट्रों को इन दिशा में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है ।

इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी 1970 के दशक के प्रारम्भ में ऐसे विकासशील राष्ट्रों के लिए जिनकी निर्यात आय पूर्व के पाँच वर्षों की निर्यात आय के गतिमान औसत (Moving average) से कम थी । एक मामूली 'सति-पूर्ति वित्त व्यवस्था' योजना प्रारम्भ की थी ।

लेकिन उपर्युक्त सभी योजनाएँ विकासशील राष्ट्रों की माँग की तुलना में बहुत

ही मामूली व छोटे ढाकार की भी प्रत इस दिशा में सफलता प्राप्त करने हेतु विकसित राष्ट्रों से विशिष्ट सहयोग प्राप्त होना अत्यावश्यक है।

विकासशील राष्ट्रों की विनिमय दर नीतियाँ

(Exchange-Rate Policies of Developing Countries)

आय व प्रतिस्थापन द्वारा उद्योगीकरण के अनुसरण तथा इससे उत्पन्न अकुशलता व अप्रतियोगितात्मकता का स्फोटिकारी मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों व मुद्रा-अवमूल्यन की अनिच्छा की नीति के संयोग से गहरा आपसी सम्बन्ध है। स्फोटिकारी नीतियाँ अपनाते से भुगतान सन्तुलन में घाटा उत्पन्न होता है तथा विनिमय दर का अवमूल्यन करने की अनिच्छा से आयात प्रतिस्थापन का सहारा लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस मार्ग से प्रारम्भ की गई आयात प्रतिस्थापन नीतियों के अंतर्गत परित्याग किये जाने वाले आयातों का चुनाव राजनैतिक कार्य साधकता द्वारा होता है तथा विशेष रूप से यह चुनाव उपभोग वस्तुओं के स्थान पर विनियोग व वस्तुओं (विशेषकर विलासिता वाली वस्तुओं) का किया जाता है। प्रत इससे उत्पन्न संरक्षणात्मक प्रणाली अत्यधिक अकुशल होती है। स्फोटिकारी मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों को अपनाये रखने से एक दुश्चक्र जन्म हो जाता है जिससे और अधिक आयात प्रतिस्थापन आवश्यक व अधिकाधिक कष्टदायी हो जाता है क्योंकि मुद्रा-स्फीति व आयात-प्रतिस्थापन के लागत प्रभावों के कारण निर्यातों की कठिनाईयाँ व आयातों की प्रेरणाएँ बढ़ जाती हैं। विशेषकर इस अवस्था में इन राष्ट्रों के नीति-निर्धारक निर्यात उपदानों द्वारा अथवा कुछ निर्यातों को प्रोत्साहित करने वाली बहु-विनिमय दरों द्वारा अथवा निर्यात अधिनाभ की योजनाओं द्वारा निर्यातकर्तियों को दुर्लभ विदेशी विनिमय का आवंटन करके आर्थिक अवमूल्यन का आश्रय लेते हैं। लेकिन इन योजनाओं से परम्परागत नियति क्षेत्रों की बजाय नये उद्योगों के निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है जिससे आद्यत भावटन में और अधिक विवृति (distortion) आती है।

स्पष्ट अवमूल्यन के विपरीत इन योजनाओं को अपनाने से नियन्त्रण प्रणाली के नियन्त्रण में भारी मात्रा में सरकारी व निजी साधन रुक जाते हैं तथा निजी व सामाजिक लागतों के मध्य भारी भिन्नता सृजित हो जाती है जिसे बाद में सरकारी नीतियों द्वारा समाप्त करना पड़ता है। फिर भी अवमूल्यन रूपों विकल्प का तथा-कथित सामाजिक कारणों अथवा वित्तीय रुढ़िवादिता तथा कभी-कभी इस विश्वास के

कारण कि अर्थमूल्यन व व्यापार उदारताओं के संयोग से व्यापार की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बड़ा विरोध किया जाता है। स्पष्ट ही है कि यदि विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की व्यापार नीतियों के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न नये व्यापार अवसरों का पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो विकासशील राष्ट्रों को अपनी विनिमय दरों का विश्व बाजार में इनकी प्रतियोगिता की योग्यता क्षीण करने वाली अमान्य-प्रतिस्थापन नीतियों द्वारा हड़तापूर्वक समर्थ करने की धृष्टता इनमें उचित समायोजन करने की तत्पर रहना चाहिए।

स्फीतिकारी मौद्रिक व राजकोपीय नीतियाँ न केवल अर्थमूल्यन की अनिच्छुक सरकारों को विशिष्ट रूप से हानिकर अमान्य-प्रतिस्थापन वाली नीतियों का आश्रय लेने को ही बाध्य करती हैं अपितु इन नीतियों के आर्थिक विकास व कुशलता पर भी अनेक प्रकार के हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इन प्रभावों में सर्वाधिक गम्भीर प्रभाव तो जनसंख्या के कुछ वर्गों को स्फीति के आर्थिक प्रभावों से बचाने हेतु किये गये प्रयासों द्वारा अर्थव्यवस्था में उत्पन्न विवृतियों के रूप में होना है। उदाहरणार्थ, सरकार खाद्यान्नों की कीमतों नीचे बनाये रखकर अथवा शहरी परिवहन की लागतों को नियन्त्रित करके औद्योगिक श्रमिकों को राहत देने के प्रयास करती है अथवा व्याज दर नीची रखकर निर्माण उद्योगों में वास्तविक आय के संचार के प्रयास किये जाते हैं। इसी प्रकार स्फीति की अल्पकालीन दर के बारे में अत्यधिक अनिश्चितता बने रहने के कारण विनियोग निर्णयों की सामान्य प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विकासशील राष्ट्रों में स्थानीय मुद्रा स्फीति बने रहने का कारण सदैव ही या तो विकास कार्यक्रम की वित्त व्यवस्था हेतु आवश्यक कराधान पर राजनैतिक असहमति अथवा राष्ट्रीय आय व ढाँचदारों में इसके विभाजन पर राजनैतिक असहमति होती है।

विकासशील राष्ट्रों का निजी विदेशी विनियोग के प्रति रवैया

(Attitude of Developing Countries towards Private Foreign Investment)

आधुनिक विश्व में आर्थिक राष्ट्रवाद की शक्ति एक इसकी अविवेकशीलता जनित करने की सामर्थ्य सर्वाधिक स्पष्ट विकासशील राष्ट्रों में उस अतिविरोधी व सदेहपूर्ण रवैया से सामन्य प्राती है जो व राष्ट्र अत्यन्त निजी विदेशी विनियोग के प्रति अपनाने है। सर्वाधिक विरोध तो उन बड़े अन्तर्राष्ट्रीय निगमों के प्रति उत्तेजित हुआ है जो

इन राष्ट्रों में खनन व पेट्रोलियम जैसी क्रियाओं तथा बड़ी मात्रा में उत्पादन एवं तकनीकी रूप से सर्वाधिक विकसित निर्माण उद्योगों जैसे—बाहन निर्माण, उर्वरकों व तेल शोधन आदि में कार्यरत हैं। लेकिन ये ही तो ऐसे उद्योग हैं जिनमें प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक उत्पादन हेतु अनुसन्धान अथवा खोज तथा विकास हेतु पूँजी के विस्तृत पैमाने पर सग्रहण तथा सर्वाधिक प्रप्रवर्ती उत्पादन तकनीकी व प्रवन्धकीय व विपणन तकनीकी का निर्णायक महत्त्व है जिसके परिणामस्वरूप विकासशील राष्ट्रों के इन क्षेत्रों के आधुनिकरण व तीव्र विकास में अन्तर्राष्ट्रीय निगम महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी विकासशील राष्ट्रों की सीमाओं के भीतर इन निगमों के संचालन को अत्यधिक सदेह की दृष्टि से देखा जाता है तथा सामान्य-तया इन निगमों की स्थापना, विनियोग व स्वदेश भेजे जाने वाले लाभों एवं इनके उत्पादन व वितरण के सगठन के तरीकों पर बहुत ही बड़ी व प्रतिबन्धक शर्तें लगा दी जाती हैं। विशेषकर इन उपक्रमों के स्वामित्व व प्रवन्ध में प्रायः अल्पांश व कभी-कभी तो अधिकांश स्वदेशी हिस्सेदारों की माँग की जाती है तथा अवयवों (components) एवं पूँति का घरेलू उत्पादन अथवा क्रय आवश्यक कर दिया जाता है।

इन प्रतिबन्धों का राजनैतिक व सांस्कृतिक प्रयोजन तो समझ में आता है लेकिन इनके कारण प्रायः कम्पनियों की सगठनात्मक दक्षता में भारी कमी आ जाती है तथा इन निगमों के मुख्यालयों वाले राष्ट्र में प्रयुक्त जिन विशिष्टीकरण की विधियों व विभिन्न विभागों के मध्य श्रम-विभाजन के कारण इनकी प्रतिस्पर्धात्मक कुशलता बनी रहती है उस पर रोक लग जाती है। विशेषकर इन निगमों के अन्तर्राष्ट्रीय समूहों के अन्तर्गत उपलब्ध तकनीकी के स्थानीय उपयोग को इस तरह सशर्त बना दिया जाता है कि इनकी विधियों की गोपनीयता बनाये रखने की भ्रमना ऐसे विदेशियों को जिन पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता इन निगमों के प्रशासकीय पदों व समितियों में रखने से जोखिम में पड़ सकते हैं। इसके अनिर्गुण इन निगमों की विकसित राष्ट्रों में तो दक्षता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि वे सँकड़ो हज़ारों कल-पुर्जों जैसे विशिष्टीकरण प्राप्त पूँतिवर्तियों से त्रय करते हैं जिनमें से प्रत्येक कुछ ही आवश्यक पुर्जों को विशिष्ट रूप से तैयार करते हैं तथा इन्हें अपने विशिष्टीकरण के अनुभव से अत्यधिक कुशलता से तैयार करते हैं एवं इन पूँति-वर्तियों पर पुर्जों की गुणवत्ता के कड़े मानदण्डों व माल भेजने की नियमितता व विश्वसनीयता के लिए भरोसा किया जा सकता है। अतः यदि इन निगमों पर यह दबाव डालने का प्रयास किया जाता है कि वे यह पूरी प्रणाली उस अर्थ-व्यवस्था

अर्थ व्यवस्था में विकसित करें जिनमें उमी श्रेणी की आधिक जटिलता उपलब्ध नहीं है तो विकासशील राष्ट्रों की तुलना में श्रम लागतें कम होने के बावजूद भी लागतों में वृद्धि होगी व उत्पाद-गुणवत्ता गिरेगी जिससे इनका स्थानीय संचालन अप्रतियोगी बन जायेगा।

अतः विकसितशील राष्ट्रों को इस सम्झर्ष में दो तरह के नीति परिवर्तन करने चाहिये। प्रथम तो यह है कि विकासशील राष्ट्रों को बहु-राष्ट्रीय निगमों के इन राष्ट्रों के विकास में योगदान की कीमत के अर्थ के रूप में व्यापार के निगमीय तरीके (Corporate ways) स्वीकार करने चाहिये तथा जहाँ संभव हो वहाँ इन निगमों के प्रभाव व लाभों को घरेलू प्रतिद्वन्द्वियों व घायातों की अधिक प्रतियोगिता द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए न कि इनके प्रबन्ध में राजनैतिक नियंत्रण व सहभागिता द्वारा। द्वितीय यह है कि इन राष्ट्रों को स्थानीय आत्मनिर्भरता व घायात प्रतिस्थापन की नीतियों को लागू करने का प्रयास त्याग कर मूल कम्पनों के विश्व व्यापी संचालनों में स्थानीय संचालन को एकीकृत करने के प्रयास करने चाहिये। विशेष रूप से इन राष्ट्रों को जिन हिस्सों व पूजों में इनका तुलनात्मक लाभ विद्यमान है (अथवा जिनमें यह विस्थापित हो सकता है) उनके घरेलू उत्पादन में निर्यात हेतु विनिष्टीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा बदले में कम्पनी के अन्य राष्ट्रों में संचालन से अन्य हिस्सों व पूजों के स्वतंत्र घायात करन चाहिये।

प्रशुल्क व व्यापार का सामान्य समझौता (गैट)

[The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)]

प्रशुल्क व व्यापार पर सामान्य समझौते (गैट) का सन् 1947 ई में एक अन्तर्राष्ट्रीय सगठन के रूप में जन्म हुआ था। प्रारम्भ में "गैट" की सदस्य संख्या 23 थी जो कि वर्तमान में बढ़कर 83 हो गयी है। गैट का मुख्यालय जिनेवा (स्वीट्जरलैंड) में स्थित है। 'गैट' वृष्टपक्षीय व्यापार समझौते के द्वारा स्वतंत्र व्यापार के संवर्द्धन के कार्य में रत है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरन्त बाद हुआना में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सगठन (International Trade Organization) का अमेरिका की सनेट द्वारा अनुसमर्थन (ratification) नहीं हो पाने के कारण 'गैट' की स्थापना हुई थी।

'गैट' के तीन प्रमुख सिद्धान्त हैं .—

1. गैर-विभेदात्मकता (Non-discrimination)

2 गैर-प्रशुल्क व्यापार प्रतिबन्धों की समाप्ति

3. व्यापार से सम्बद्ध मत भेदों को हल करने हेतु परस्पर विचार-विमर्श ।

इन सिद्धान्तों की विस्तृत चर्चा अग्रलिखित है —

- (1) गैर-विभेदात्मकता से अभिप्राय 'परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार' (Most favoured Nation Principle) से है । 'परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार' के अन्तर्गत एक सदस्य राष्ट्र को प्रदत्त प्रशुल्क रिभायत समस्त अन्य सदस्यों को समान मात्रा में प्रदान करनी होती है । अत स्पष्ट है कि 'परमानुग्रहित' राष्ट्र के समान ही अन्य सदस्य राष्ट्रों से व्यवहार किया जायेगा ।

उपर्युक्त द्विपक्षीय व्यवस्था की प्रमुख कमी यह थी कि राष्ट्रों के मध्य अधिकांश प्रशुल्क समझौते उन्हीं वस्तुओं के लिए किये जाते रहे हैं जो सम्बद्ध राष्ट्रों के आपसी व्यापार में 'प्रमुख' रही है । अन्वेषण अनेक 'मुफ्त भार डानू' (free loader) सदस्य राष्ट्र जो समझौता वार्ताओं में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते हैं तथा स्वयं किसी भी प्रकार की प्रशुल्क रिभायत प्रदान नहीं करते हैं उन्हें भी दो अन्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य हुई प्रशुल्क बटौती के समझौतों से लाभ प्राप्त होते रहते हैं ।

- (2) गैर-प्रशुल्क व्यापार प्रतिबन्धों की समाप्ति में नियतांशों पर रोक प्रमुख है । समझौते में मात्रात्मक प्रतिबन्धों का पूर्ण निषेध है, लेकिन निम्न अपवादिक परिस्थितियों में नियतांश लागू करने की छूट दी जाती है —

(A) भुगतान सन्तुलन में अत्यधिक घाटे की स्थिति में राष्ट्रों को पर्याप्त नियतांश लागू करने की अनुमति दी जाती है । इस संदर्भ में आयात नियतांश सम्बद्ध राष्ट्र की धारित निधि के रिक्तकरण को बचाने हेतु कोष की स्वीकृति से ही लागू किया जा सकता है ।

(B) अर्द्धविकसित राष्ट्रों को प्राथिक विकास हेतु 'गैट' से अनुमति प्राप्त कर विशेष प्रतिबन्ध लागू करने की स्वीकृति दी जाती है ।

(C) कृषि व मत्स्य उत्पादों पर प्रतिबन्धात्मक उत्पादन अथवा विपणन नियंत्रणों की स्थिति में इन पर उसी सीमा तक आयात नियतांश लागू किया जा सकता है ।

(3) 'गैट' के ढाँचे के अन्तर्गत प्रशुल्क कटौती हेतु यह आवश्यक है कि समझौते में भाग लेने वाले राष्ट्र यह विश्वास करें कि प्रशुल्क की ऊँची दरों का व्यापार पर

प्रतिबन्ध प्रभाव पड़ता है। विभिन्न राष्ट्र आपसी विचार-विमर्श द्वारा उन प्रशुल्क को कम करते हैं। विशेषकर ऐसी प्रशुल्क को कम किया जाता है जो आयातों की न्यूनतम मात्रा को भी हतोत्साहित कर देती हैं। इन प्रशुल्क समझौतों में राष्ट्र की विशेष परिस्थितियों, व्यक्तिगत उद्योगों व अर्द्ध-विवर्धित राष्ट्रों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है।

'गैट' के सत्वाधान में सन् 1947 से 1962 की अवधि में पाँच विभिन्न समझौतों के द्वारा प्रशुल्कों में करीब 35 प्रतिशत की कटौतों की गयी थी। सन् 1965 में 'गैट' को विकासशील राष्ट्रों के साथ अतिमानिक व्यवहार करने हेतु बढ़ावा दिया गया तथा उन राष्ट्रों को बिना पारस्परिकता (reciprocity) के औद्योगिक राष्ट्रों के मध्य हुई प्रशुल्क कटौतियों से लाभान्वित होने की अनुमति प्रदान की गई थी।

'गैट' को प्रशुल्क कटौतियों में विशेष सफलता प्राप्त नहीं होने का प्रमुख कारण एक-एक उत्पाद (product by product) के आधार पर किये गये समझौते रहे हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा 1950 के दशक में 'व्यापार सहमति एक्ट' (Trade Agreement Act) में नवीनीकरण करके अपने भारी सरक्षणवादी योजनाएँ शामिल करते रहने से भी इन समझौतों में कठिनाई उत्पन्न हुई है। इसके अलावा गैट समझौतों के बावजूद व्यवहार हेतु राजनैतिक सफलता का भारी प्रभाव पाया गया है। गैट की वर्तमान अवस्था का वर्णन प्रप्रलिखित है।

गैट की वर्तमान अवस्था⁹

(The Present Position of the GATT)

- (1) 'गैट' वर्तमान में 90 राष्ट्रों द्वारा अनुमोदित एक बहुपक्षीय समझौता है। तीसरे अर्थ राष्ट्र भी वस्तुतः 'गैट' के नियमों का अनुसरण कर रहे हैं। विश्व का 80 प्रतिशत से अधिक व्यापार 'गैट' के नियमों द्वारा शासित है।
- (2) वर्तमान में केवल 'गैट' ही विश्व स्तर का ऐसा निष्पक्ष मण्डल है जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं से जूझ रहा है। यह न केवल एक नियम संहिता ही है अपितु एक ऐसा मंच भी है जहाँ सदस्य राष्ट्र [जिन्हें 'अनुबन्ध

9 For details see Narasimha S.—Twenty years of UNCTAD International Trade Policy (1964-84)—FTB, July-Sept. 1984 (UNCTAD Special Number), pp 182-95

कर्ता पक्षों' (contracting parties) के नाम से जाना जाता है] अपनी व्यापार समस्याओं पर विचार-विमर्श कर उनका हल निकालते हैं एवं अपने व्यापार व्यवहारों का विस्तार करने हेतु बातचीत करते हैं ।

- (3) ऐसे अन्य विश्व मण्डल (world bodies) भी हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व इससे सम्बद्ध क्रियाओं के क्षेत्रों में सम्बद्ध हैं लेकिन वे केवल सलाह दे सकते हैं व सिफारिश कर सकते हैं परन्तु नियम नहीं ले सकते । 'गैट' के नियमों में व्यापार विवादों के औचित्य व दोषों (rights and wrongs) को गहराई से जाँचने, परामर्श प्रदान करने के लिये ग्रामहित करने, व्यापार बाधयताओं को टालने, महा तक कि प्रतिव्यक्तिगत उपायों के लिए अधिकार प्रदान करने एवं कई अन्य कारगर कार्यवाहियों को लागू करने का प्रावधान है ।
- (4) 'गैट' सदस्य राष्ट्रों के अधिकारों व दायित्वों को सम्मिलित किये हुए एक 'अनुबन्ध' है । यद्यपि गैट का मूल पाठ (text) कुछ जटिल मन्थन है लेकिन इसके अन्दर कुछ मूलभूत सिद्धान्त प्रतिस्थापित किये गये हैं जो इस प्रकार हैं —

(1) परमानुग्रहित राष्ट्र व्यवहार

(2) गैर-विभेदात्मक पारस्परिकता तथा पारदर्शकता

(3) विशिष्ट रूप से प्रशुल्क द्वारा संरक्षण, तथा

(4) बहु-पक्षीय वार्ताओं द्वारा प्रशुल्क व गैर-प्रशुल्क युक्तियों को उदार बनाना उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न के लिए प्रावधान रखे गये हैं —

(1) बहु-पक्षीय व्यापार वार्ताएँ

(2) विवादों व मतभेदों का परामर्श व मेल-मिलाप द्वारा निपटारा करना

(3) अन्वयात्मक दशाओं में छूटें प्रदान करना

- (5) यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि 'गैट' (1) अधिकारों व दायित्वों तथा (2) रोकथामों व सन्तुलनों, दोनों के प्रावधानों का एक अनुबन्ध है । गैट के नियमों व क्रिया-विधियों का इसके सदस्यों को प्रमुख लाभ इसलिए प्राप्त होता है कि विकसित व विकासशील सभी व्यापार साझेदार इसके सिद्धान्तों को स्वीकृति प्रदान करते हैं । अतः विकासशील राष्ट्रों के लिये अपनी आयात नीतियाँ बनाते समय 'गैट' के नियमों का पालन करते रहना महत्वपूर्ण है ।

लेकिन गैट के ढाँचे के अन्तर्गत अग्रिकाग्र बहुपक्षीय वार्ताओं के दौरों (Rounds) में विकासशील राष्ट्रों की समस्याओं को केवल परिधि पर ही छोड़ दिया जाता रहा। अतः 'गैट' की संरचनात्मक दुर्बलताएँ ही 'अफ्टाड' को जन्मदाना मानी जा सकती हैं।

सन् १९६२ का व्यापार विस्तार अधिनियम, केनेडी दौर व टोकियो दौर

(The 1962 Trade Expansion Act, The Kennedy Round and the Tokyo Round)

संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यापार सहमति अधिनियम के स्थान पर 'सन् 1962 का व्यापार विस्तार अधिनियम' प्रमुखतया यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) अथवा सामाजिक बाजार (CM) के सृजन से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने हेतु पारित किया था।

1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे सभी आयात करों में सन् 1962 के स्तर से 50 प्रतिशत तक कमी कर सकते हैं तथा जो प्रशुल्क 5 प्रतिशत से कम हैं उन्हें पूर्णतया समाप्त कर सकते हैं। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा व्यापार समझौता अधिनियम की 'एक-एक वस्तु' (product-by-product) की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त विस्तार अधिनियम से प्रशुल्क कटौतियों से विस्थापित होकर (displaced) नुकसान बहन करने वाले श्रमिकों व फर्मों के लिये 'समायोजन सहायता' (Adjustment Assistance) का प्रावधान भी था। अतः 'नुकसान नहीं' (no-injury) वाला सिद्धान्त समाप्त करके विस्थापित श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षित करने व सहायता प्रदान करने के प्रावधान के अतिरिक्त क्षति बहन करने वाली फर्मों को राहत, नीची लागत व श्रम व तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया था। अतः स्पष्ट है कि सन् 1962 के अधिनियम का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पहलु 'समायोजन सहायता का सिद्धान्त' था क्योंकि सामान्यतः प्रशुल्क कटौतियों से जनता लाभान्वित होती है अतः जनता का इन कटौतियों का भार बहन करने में भागदार बनाया गया था। हालाँकि 1970 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में सहायता व मानदण्डों में बृद्ध प्रदत्त करने से पूर्व, सहायता प्राप्त करने की श्रेणी में आने योग्य फर्मों व मजदूरों की संख्या लगभग नगण्य भी हो रही थी।

मन् 1962 के अधिनियम के प्राधिकरण के तहत व 'गैट' के तत्वाधान में अमेरिका ने विस्तृत स्तर पर बहु-पक्षीय व्यापार वार्ताओं का सूत्रपात किया। इन वार्ताओं को 'केनेडी दौर' (Kennedy Round) के नाम से जाना जाता है।

'केनेडी दौर' की वार्ताएँ सन् 1967 में पूर्ण हो चुकी थी तथा इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप यह समझौता हुआ कि पाँच वर्षों की अवधि के अवस्थाबद्ध कार्यक्रम द्वारा औद्योगिक उत्पादों पर औसत शुल्क दरों में इनके सन् 1962 वाले स्तर से 35 प्रतिशत की कटौती कर दी जायगी। जब सन् 1972 के अंत तक यह समझौता पूर्ण रूप में क्रियान्वित हो चुका था तो औद्योगिक राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादों पर प्रशुल्क दरें 10 प्रतिशत से भी कम रह गई थीं तथापि कृषि पर अब भी गम्भीर गैर-प्रशुल्क प्रतिबन्ध लग हुए थे।

सन् 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम के स्थान पर सन् 1974 में व्यापार सुधार अधिनियम (Trade Reform Act) लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि वे (1) 60 प्रतिशत तक प्रशुल्क कटौतियाँ पर दाताँ कर सकते हैं एवं 5 प्रतिशत से इससे कम प्रशुल्कों को पूर्णरूप से समाप्त कर सकते हैं, तथा (2) गैर-प्रशुल्क प्रतिबन्धों में कमी से सम्बद्ध वार्ता कर सकते हैं। इसके अनिश्चित रूप अधिनियम द्वारा समायोजन सहायता के मानदण्डों का भी उदार बना दिया गया था। सन् 1974 के व्यापार सुधार अधिनियम के प्राधिकरण के तहत अमेरिका ने 'टोकियो दौर' (Tokyo Round) के तहत बहु-पक्षीय प्रशुल्क वार्ताओं में भाग लिया। 'टोकियो दौर' की वार्ताएँ सन् 1974 में समाप्त हो चुकी थीं।

'टोकियो दौर' के तहत सन् 1980 से प्रारम्भ 8 वर्षों की अवधि के अवस्थाबद्ध कार्यक्रम द्वारा अमेरिका द्वारा प्रशुल्क कटौतियों का औसत 31 प्रतिशत, यूरोपीय साम्राज्य द्वारा 27 प्रतिशत व जापान द्वारा 8 प्रतिशत रहा। इसके अतिरिक्त टोकियो दौर की वार्ताओं में गैर-प्रशुल्क व्यापार प्रतिबन्धों के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से गैर-प्रशुल्क प्रतिबन्धों की अनुपस्थिति करत समय अनुसरण हेतु एक प्राचार सहिता निर्धारित की गई। इस प्राचार सहिता में निम्न बातें शामिल थीं —

- (1) सरकारी अधिप्राप्ति सहिता पर सहमति,
- (2) राशिपातन रोक्ने की स्थितियों में लगाई गई प्रशुल्क की अनुपस्थिति में एकरूपता,
- (3) विकासशील राष्ट्रों के निर्मित, अर्द्ध-निर्मित एवं पुनः हुए अन्य निर्यातों के लिए

‘बरीयता की सामान्य प्रणाली’ (यद्यपि इस प्रणाली में बहन, जूते, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि एवं कई अन्य ऐसे उत्पाद शामिल नहीं किये गये थे जो कि विकासशील राष्ट्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे)।

इन वार्ताओं से पूर्व यह अनुमान लगाया गया था कि टोकियो की बैठक से प्राप्त वार्षिक स्थैतिक लाभ लगभग 1.7 बिलियन डॉलर होगा। इन लाभों में प्रशुल्क कटौतियों से पैमाने की मितव्ययताओं तथा सर्वतोमुखी कुशलता में वृद्धि एवं नव-प्रवर्तनों से प्राप्त प्राथमिक लाभों को शामिल करने से प्राप्त कुल वार्षिक लाभ 8 बिलियन डॉलर आँका गया था। ये लाभ प्रमुखता से साथ विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि से प्राप्त होने वाले थे।

व्यापार और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन—अंकटाड¹⁰
(United Nations Conference on Trade and Development—
UNCTAD)

अंकटाड के जन्म का कारण गैट (GATT) की संरचनात्मक दुर्बलताएँ (structural weaknesses) ही थीं। सन् 1961 में संयुक्त राष्ट्र सभ की महासभा ने साठ के दशक की (1960S) संयुक्त राष्ट्र सभ का ‘विकास दशक’ घोषित किया तथा इसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र सभ ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसे ‘अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आधिकारिक विकास का प्राथमिक उपकरण’ घोषित किया गया। इस दस्तावेज में संयुक्त राष्ट्र सभ के महासचिव से यह प्रार्थना की गई कि वे सदस्य राष्ट्रों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं—विशेष रूप से अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की समस्याओं पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने पर सलाह प्राप्त करें। इस सलाह के परिणामस्वरूप ‘अंकटाड’ का जन्म हुआ। जुलाई 1962 में अर्द्धविकसित राष्ट्रों के ‘वाहिया’ सम्मेलन में अंकटाड के प्रथम सत्र के लिए समर्थन (support) दिया गया तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अनुमोदित कर दिया।

सन् 1963 में ‘तृतीय विश्व’ के 75 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक नयुक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसमें इन राष्ट्रों का दृष्टिकोण, आवश्यकताएँ एवं आशाएँ उल्लिखित थीं। इन 75 राष्ट्रों के कोषण पत्र में अन्तर्राष्ट्रीय

10 For detailed discussion on UNCTAD conferences see FTR (UNCTAD SPECIAL), op. cit.

“77 के समूह” का जन्म हुआ जो कि प्रद्विकसित राष्ट्रों का प्रथम अनौपचारिक संगठन था। इस समूह के वर्तमान में करीब 122 राष्ट्र सदस्य हैं, लेकिन आज भी इसे ‘77 के समूह’ के नाम से ही जाना जाता है। ‘77 का समूह’ समस्त प्रद्विकसित राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है तथा इन राष्ट्रों में आर्थिक समस्याओं के निवारण हेतु घोषणाएँ एवं प्रस्ताव प्रस्तुत करता रहता है। ‘77 के समूह’ के निर्माण के बाद ‘अकटाड’ की समस्त कार्य सूचियों (agendas) में ‘77 के समूह’ के प्रस्ताव ही ध्ये रहे हैं।

अकटाड के उद्देश्य अथवा कार्य

(Objectives and Function of UNCTAD)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 दिसम्बर 1964 का प्रस्ताव सत्र 1995 (XIX) को स्वीकृत कर ‘अकटाड’ को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी एजेंसी के रूप में स्थापित कर दिया। इस प्रस्ताव में अकटाड के कार्य भी स्पष्ट किये गये जो कि प्रागे चल कर, प्रद्विकसित राष्ट्रों के व्यापार के विकास में सहायक इस मस्या के प्रमुख उद्देश्य बने। ‘अकटाड’ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

- (1) विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा निष्पादित कार्यों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास की गति तीव्र करने हेतु विविध रूप से विकास की विभिन्न अवस्थाओं वाले राष्ट्रों के मध्य व भिन्न आर्थिक व सामाजिक संगठनों वाले राष्ट्रों व विकासशील राष्ट्रों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मद्दत करना।
- (2) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व इससे सम्बद्ध आर्थिक विकास की समस्याओं के लिए सिद्धान्त व नीतियाँ तैयार करना।
- (3) इन सिद्धान्तों व नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु प्रस्ताव तैयार करना तथा इसकी सक्षमता के अन्तर्गत ऐसे अन्य कदम उठाना जो आर्थिक प्रणालियों व विकास की भिन्न अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्रियान्वयन से सम्बद्ध हैं।
- (4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व आर्थिक विकास से सम्बद्ध क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्तर्गत विद्यमान अन्य सस्याओं की क्रियाओं के समन्वय में सुविधा प्रदान करना एवं इनकी समीक्षा करना तथा इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत महासभा व आर्थिक व सामाजिक परिषद् के साथ उनकी समन्वयकरण की जिम्मेदारी के निष्पादन में सहयोग करना।

- (5) व्यापार के क्षेत्र में बहुमुखी वैश्विक उपकरणों को अंगीकृत करने व समझौते (negotiations) करने के लिए सक्षम समुक्त राष्ट्र के अगो के सहयोग से समझौते के लिए विद्यमान अगो की पर्याप्तता को मद्देनजर रखते हुए एवं उनकी क्रियाओं को दोहराये बिना जहाँ उपयुक्त हो कार्यवाही का सूत्रपात (initiation) करना ।
- (6) चार्टर की धारा 1 के अनुसरणानुसार सरकार व क्षेत्रीय आर्थिक समूहों की व्यापार व सम्बद्ध विकास नीतियों का तालमेल (harmonisation) करने वाले केन्द्र के रूप में उपलब्ध होना ।
- (7) इसकी सक्षमता (competence) के कार्य क्षेत्र में आने वाले किसी भी अन्य मामले का निपटारा करना ।

अंकटाड का प्रमुख कार्यक्षेत्र

(UNCTAD'S Major Coverage)

इसके जन्म से ही विकासशील राष्ट्र अर्थात् '77 का समूह' अंकटाड पर छाया रहा है । 'तीसरी दुनिया' के देशों द्वारा उस समय विद्यमान विश्व व्यापार के प्रांरूप (framework) प्रमुखतया 'गंट' प्रणाली के प्रति उनके असन्तोष एवं औद्योगिक व विकासशील राष्ट्रों के व्यापार में बढ़ने हुए अन्तराल पर उनकी चिन्ता के कारण इन देशों द्वारा 'अंकटाड' के प्रथम सम्मेलन की वकालत की गयी थी ।

अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों से सम्बद्ध प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के उपशमन (alleviation) हेतु 'अंकटाड' में सम्मिलित क्षेत्रीय समूह वार्ताओं की मर्तक्य निर्माण (consensus formation of negotiation) प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं । अतः पिछले कई वर्षों से 'नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' (New International Economic Order) की योजना, अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के लिए उदार व्यापार नीति, वस्तु कीमत स्थिरीकरण के प्रयास, तीसरी दुनिया के देशों के विदेशी ऋणों की वित्त व्यवस्था के साधन, तथा अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की व्यापार की शर्तों में सुधार हेतु प्रस्ताव को अंकटाड की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है ।

सामान्यतया अंकटाड सम्मेलन लम्बी अवधि तक चलते हैं, तथा इनमें विस्तृत कार्यसूची सम्मिलित की जाती रही है । लेकिन सन् 1983 में बलग्रेड अंकटाड सम्मेलन 'नॉन्-बैलेंसिंग प्रमुख मुद्दों (issues)' की कार्यसूची थी अतः यह सम्मेलन केवल चार सप्ताह बाद ही स्थगित कर दिया गया था ।

अक्टोबर में निर्धन राष्ट्रों की सामान्यतया एक ही श्रेणी में रखा गया है। उदाहरणार्थं यूरगवे (Uruguay) की प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय 2800 डॉलर है तो भी इसे उसी षट्-विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है जिसमें केवल 120 डॉलर प्रतिव्यक्ति आय वाले देश छेद को शामिल किया जाता है। यूरगवे वार्षिक दृष्टिकोण से 4,900 डॉलर प्रतिव्यक्ति आय वाले आयरलैंड के समान है लेकिन आयरलैंड को B समूह के औद्योगिक राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी कारिया व सिंगापुर को अक्टोबर में विकासशील राष्ट्रों के समूह में नीति निर्माण के लिए जाइर (Zaire) के साथ रखा जाता है जबकि इनके उद्देश्य जापान जैसे औद्योगिक राष्ट्र जैसे हैं।

अक्टोबर सम्मेलनों में विभिन्न प्रस्तावों पर मतदान करते समय भी षट्-विकसित राष्ट्र सामान्यतया एक बनाव के रूप में ही मतदान करते हैं जबकि औद्योगिक राष्ट्र अपने आप को सामान्यतया मतदान से वंचित रख लेते हैं अथवा '77 के समूह' के विकट मतदान करते हैं। बहुत सी बार संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अक्सहमति मतदान कर देता है तथा शेष औद्योगिक राष्ट्र अपने आपको मतदान से वंचित रख लेते हैं।

अक्टोबर सम्मेलन

(UNCTAD Conference)

अक्टोबर की स्थापना के बाद आज तक इस समस्या के सात सम्मेलन हो चुके हैं। ये सम्मेलन 1964 में जिनेवा में, 1968 में नई दिल्ली में, 1972 में सैंडियागो में, 1976 में नाइरोबी में, 1979 में मनीला में, 1983 में बलप्रेड में तथा 1987 में जिनेवा में हुए थे। विभिन्न अक्टोबर सम्मेलनों में रये गये प्रस्तावों व उनका वार्षिक-न्वित करने हेतु उठाये गये कदमों का विवेचन प्रस्तुत है।

अक्टोबर का प्रथम सम्मेलन

(UNCTAD—I)

अक्टोबर का प्रथम सम्मेलन सन् 1964 में जिनेवा में आयोजित किया गया था। 120 राष्ट्रों के 2000 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने इस तीन माह चलने वाले सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम सम्मेलन की कार्यसूची पर काफी गर्मा-गर्म बहस हुई थी,

विलियम फॉक्स¹¹ (William Fox) के अनुसार यह सम्मेलन '20 की' शताब्दी के विचार विमर्शों में भावनाओं की महानतम अभिव्यक्ति (greatest outpourings) थी।

जिनेवा सम्मेलन में प्रतिनिधियों की सामान्य मिन्नान्तों पर ही बातें हुईं, विशेष-कर विकासशील राष्ट्रों की उत्कृष्ट आकांक्षाओं व आदर्शों विश्व की आर्थिक स्थितियों पर सहभागिता व्यक्त की गईं, विशिष्ट वादे बहुत कम परिभाषित किये गये तथा यहो प्रारूप अकटाड के भविष्य में होने वाले सम्मेलनों में अपनाया गया।

अकटाड के प्रथम सम्मेलन की प्रमुख प्राप्तियाँ अकटाड की संयुक्त राष्ट्र की स्थायी संस्था के रूप में स्थापना तथा अकटाड के स्वयं के सचिवालय की स्थापना एवं अकटाड के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में व्यापार विकास बोर्ड की स्थापना थी। '77 के समूह' का निर्माण भी इसी समय हुआ था।

इस सम्मेलन के सभापति अर्जेंटीना के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डा० राल प्रेबिश (Raul Prebisch) थे जो बाद में प्रथम अकटाड के महासचिव (secretary General) बने। डा० प्रेबिश की देख-रेख में एक स्थायी सचिवालय भी स्थापित किया गया था।

डा० प्रेबिश के अकटाड प्रथम पर प्रतिवेदन में प्रतिरोधक भण्डारण (Buffer Stock) एवं निर्यात नियन्त्रण सहित प्रत्यक्ष वस्तु बाजार नियन्त्रण प्रक्रियाएँ सम्मिलित थीं, साथ ही अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के निर्यातों के लिए वरीयता की सामान्य प्रणाली (Generalised System of Preferences), अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के निर्यातों से प्रतिस्पर्धा करने वाली वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय नियमन, ऋण पुनःसूचीकरण (rescheduling) तथा क्षति पूर्ति वित्त योजना इस प्रतिवेदन में शामिल थी। ये समस्त प्रस्ताव अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के पक्ष में थे तथा इनमें विकसित राष्ट्रों से छुट्टी की माँग की गई थी।

प्रथम अकटाड सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि अकटाड का तीन-चार वर्षों में अधिक से अधिक एक बार सम्मेलन बुलाया जाता रहेगा।

अतः स्पष्ट है कि प्रथम अकटाड सम्मेलन एक न्यायोचित एवं विवेकपूर्ण अन्तर-

¹¹ William Fox.—*111*, The Working of a Commodity Agreement—(London : Mining Journal Books, Ltd , 1974)

वस्तु बाजार के उच्चावचन अर्द्धविकसित राष्ट्रों की गम्भीर समस्या बन चुकी थी। उदाहरणार्थ, सन् 1960 में प्राकृतिक रबर की कीमत कीमत 35 अमेरिकी डॉलर प्रति पौंड थी जो सन् 1968 में गिरकर 15 अमेरिकी डॉलर प्रति पौंड रह गयी थी। इस प्रकार 6 वर्ष से कुछ अधिक समय में 14 रबर उत्पादक राष्ट्रों को समुक्त रूप से 4 बिलियन डॉलर के विदेशी विनिमय की हानि उठानी पड़ी।

निर्मित माल की समस्या के भिन्न निरिक्त स्वार्थ समूहों ने भिन्न-भिन्न हल प्रस्तावित किये। लेकिन सभी आर्थिक अथवा राजनीतिक समूहों ने सकल रूप से (resolved) कि अर्द्धविकसित राष्ट्रों के निर्यात सबवर्धन के लिए अर्थिक प्रयत्न लाभ-प्रद होंगे। इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप "गैट" (GATT) के एक भाग (part) के रूप में 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र' (International Trade Centre) की स्थापना की गयी।

विकास वित्त (Development Finance) एवं सहायता के रूप में, अंकटाड के प्रथम सम्मेलन में औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा उनकी समुक्त (combined) सकल राष्ट्रीय आय के एक प्रतिशत के बराबर अर्द्धविकसित राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के प्रस्तावित उद्देश्य को द्वितीय अंकटाड में दोहराया गया (reiterated) जबकि आधिकारिक सहायता प्रवाहों को सकल राष्ट्रीय आय का 0.75 प्रतिशत करने के उप-उद्देश्य का सुभाव दिया गया। प्रथम अंकटाड की असफलता के परिणामस्वरूप अक्टूबर 1967 के 'अल्जियर्स चार्टर' (Charter of Algiers) द्वारा द्वितीय अंकटाड में विचार-विमर्श के लिये कार्यवाही हेतु ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया था।

अतः अंकटाड के द्वितीय सम्मेलन में 'अल्जियर्स चार्टर' की सिफारिशों के आधारे पर अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गये। ये प्रस्ताव वस्तुओं से सम्बन्धित कार्यवाही (जिसमें वस्तु प्रवर्धन पर महमति तथा वस्तु-कीमत स्थिरीकरण शामिल थे), व्यापार उदारता, विकास वित्त तथा विकासशील राष्ट्रों में सर्वाधिक पिछड़े हुए राष्ट्रों के विकास हेतु विशिष्ट उपाय से सम्बन्धित थे। वास्तव में 'नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' (NIEO) पर विचार-विमर्श के इतिहास में द्वितीय अंकटाड की विशेष महत्ता रही है क्योंकि इस सम्मेलन में विकास के मूलभूत मुद्दों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष रखा गया तथा कार्यवाही के कार्यक्रम को प्राग्भ करने से महमति प्राप्त की गयी थी। द्वितीय अंकटाड के विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप सन् 1970 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की वरीयता की सामान्य प्रणाली (G.S.P.) प्रारम्भ की गयी।

जब नई दिल्ली में द्वितीय अंकटाड सम्मेलन समाप्त हुआ तो इसकी तुरन्त प्राप्ति व परिणामों के घनात्मक प्रगति नहीं होने के कारण अनेक पर्यवेक्षकों ने इस सम्मेलन को अमफल बताया। लेकिन उन वर्षों के मिहावलोक्त से ज्ञात होता है कि द्वितीय अंकटाड की वास्तविक प्रगति अंकटाड के भविष्य में होने वाले सम्मेलनों व भविष्य के वर्षों में अनुगामी कार्यवाही (follow-up action) पर निर्भर थी।

द्वितीय अंकटाड को कार्यवाही क अध्ययन से ज्ञात होता है कि सभी मुद्दों पर मून मिद्दान्तों व उद्देश्यों से सम्बन्धित सामान्य सहमति थी लेकिन कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं कार्यवाही हेतु कार्यक्रम के बार में विकसित व विकामशील राष्ट्रों के विचारों (opinion) में अन्तर था। अंकटाड के द्वितीय सम्मेलन की वार्ताओं में कुल 106 प्रतिनिधियाँ ने भाग लिया था जिनमें से अल्प विकसित राष्ट्रों के 74, औद्योगिक राष्ट्रों के 24 तथा पूर्वी यूरोपीय समाजवादी राष्ट्रों के 8 प्रतिनिधि थे लेकिन अल्पविकसित राष्ट्रों की असद्व समस्याओं के ठोस हल के निर्माण अथवा क्रियान्वयन के रूप में अंकटाड के द्वितीय सम्मेलन में भी विशेष उपलब्धि नहीं हो पायी।

अंकटाड का तृतीय सम्मेलन

(UNCTAD-III)

अंकटाड का तृतीय सम्मेलन म् 19/2 के प्रारम्भ में चिली की राजधानी सेण्टियागो (Santiago) में रखा गया जिनमें 140 राष्ट्रों के 2,500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य 'शक्ति सहभागिता' (shared power) अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय नियम-निर्धारण में अल्पविकसित राष्ट्रों का-- विशेषकर व्यापार व मॉडिर्न मामलों में--प्रभावी रूप से शामिल होना था।

जिनेवा के अंकटाड के प्रथम सम्मेलन के परिणामस्वरूप अल्पविकसित राष्ट्रों की आशाएँ कम हो चुकी थीं तथा 1968 के अंकटाड के द्वितीय सम्मेलन के अल्पविकसित राष्ट्रों के उद्देश्यों की अनुगामी करने पर विनाशकारी परिणाम निकले थे। लेकिन अंकटाड के तृतीय सम्मेलन से उत्तम परिणामों की भविष्यवाणी की गयी क्योंकि यह सम्मेलन ऐसे राष्ट्र में रखा गया था जो कि अलन्डे (Allende) के नेतृत्व में प्रजातान्त्रिक चुनावों द्वारा समाजवादी सरकार बनाने का निर्णय ले चुका था। लेकिन इस सम्मेलन की तैयारियाँ 1961 में ही प्रारम्भ हो चुकी थीं तथा उस समय

चिली में राजनैतिक परिणामों की भविष्यवाणी करना असंभव था, तथापि यह संयोग प्रतीकारात्मक ही था।

इस सम्मेलन को स्थगित करने से पूर्व कई सप्ताहों तक अनेक प्रस्ताव पारित किये गये। मेलबय (consensus) प्रक्रिया में जो काफी कम किये गये (watered down) समझौते शामिल थे उनमें अन्य समझौतों के अनावा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के शासक सिद्धान्त, बहुपक्षीय व्यापार वार्तायें, व्यापार सम्बन्ध व विस्तार, पर्यटन, तकनीकी हस्तांतरण, म नव पर्यावरण, सहकारिता आन्दोलन सस्थागत प्रबन्ध, जन विचार (public opinion), राष्ट्रों के आर्थिक अधिकार व कर्तव्यों का चार्टर शामिल थे। इन मेलबय समझौतों द्वारा अध्यक्ष ने राष्ट्रों के तीन भिन्न समूह छ स्यायी समितियाँ, तीन कार्यकारी समूह, अनेक छोटे तदर्थ समू, तथा शिखर सम्मेलन (summit) समिति बनायी। भारी बहुमत द्वारा पारित प्रस्तावों की दीर्घकालीन महत्ता लगभग समाप्त ही हो गई थी।

अकटाड के तृतीय सम्मेलन में अकटाड की 'चालु मशीनरी के पूर्ण उपयोग द्वारा सहमति प्राप्त करने के प्रयत्न जारी रखने का प्रस्ताव पारित किया गया "....."। इस सम्मेलन का मूलभूत उद्देश्य प्रथम व द्वितीय अकटाड सम्मेलन में घोषित विकासशील राष्ट्रों की आकांक्षाओं को क्रियान्वित करना रहा।

यद्यपि तृतीय अकटाड प्रमुख समस्याओं को हल नहीं कर पाया लेकिन इसकी ए न महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि यह गरीब व अमीर राष्ट्रों के अ पसी मतभेदों को कम करने हेतु आवश्यक नये विचारों व अन्तर्दृष्टियों के विनिमय हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच बन गया था।

अकटाड का चतुर्थ सम्मेलन

(UNCTAD—IV)

अकटाड का चतुर्थ सम्मेलन 5 मई 1976 से केन्या की राजधानी नेरोबी में प्रारम्भ होकर चार सप्ताह तक चला था तथा इस सम्मेलन में 153 से अधिक राष्ट्रों के 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चतुर्थ अकटाड में वस्तुएँ, अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की ऋण समस्याएँ तथा पूँजी व तकनीकी के अन्तर्राष्ट्रीय हस्तांतरण आदि प्रमुख समस्याएँ शामिल थीं। इस सम्मेलन में अर्द्धविकसित राष्ट्रों के निर्यातकों के पक्ष में वस्तु कीमतों को स्थापित करने व बनाने रखने के उद्देश्य से 'वस्तुओं का एकीकृत कार्यक्रम' (Integrated Programme for commodities) प्रस्तावित

किया गया था। प्रमुख 10 वस्तुओं के समूह के प्रतिरोधक भण्डारण (Buffer stocks) को विकसित करने हेतु प्रमुखतः औद्योगिक राष्ट्रों के योगदान से 3 बिलियन डालर की भण्डारण वित्त व्यवस्था की जानी थी। चतुर्थ अक्टोबर में अनेक प्रस्ताव पारित किये गये जिसमें से अधिकांश कार्य-सूची मुद्दों पर सहमति थी। वस्तुओं से सम्बद्ध दो महत्वपूर्ण कार्यवाही की गयी —

- (1) प्रथम, भण्डारण व अन्य उपायों की वित्त व्यवस्था हेतु 'साम्म कोष' (common Fund) की सम्भावित स्थापना के लिए प्रारम्भिक (preparatory) बैठका एवं विचार-विमर्श में एक समय सूची निर्धारित की, तथा
- (2) द्वितीय, वस्तुओं की शृंखला पर प्रारम्भिक बैठकों तथा आवश्यक होने पर समझौते हेतु सम्मेलन के लिये समय सूची स्थापित की।

अल्पविकसित राष्ट्रों के अर्थो से सम्बद्ध मुद्दों पर यह महमति हुई कि ऋण गृह्य को भुगतान सन्तुलन में सहायक के रूप में लिया जायेगा तथा विगत क ऋणों का पुनःसूचीकरण (debt rescheduling) करने की अनुकूल विशेषताओं के अध्ययन का प्रस्ताव रखा गया ताकि इस तरह के सूचीकरण को भविष्य में पुन लागू किया जा सके।

अक्टोबर के चतुर्थ सम्मेलन में नई अन्तर्राष्ट्रीय प्राथिक व्यवस्था' (NIEO) अर्थात् एक नया सगठनात्मक प्रासन जिसके अन्तर्गत औद्योगिक राष्ट्र अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को अधिक प्राथिक सहायता देंगे —की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में सदस्य राष्ट्रों के लिये आचार संहिता (code of conduct) पर विचार-विमर्श की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

इस प्रकार नेरोबी सम्मेलन के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका प्रमुख मुद्दा सारचनात्मक परिवर्तन था। सम्मेलन के महासचिव डा० गमानी कोरिया (Gamani Corea) के अनुसार, साम्म कोष, तकनीकी हस्तांतरण तथा भविष्य के सम्मेलनों के लिए आचार संहिता से सम्बद्ध मूलभूत तत्वों आदि में सफलता प्राप्त की गई थी। यद्यपि चतुर्थ अक्टोबर द्वारा 'वस्तुओं के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPC) के रूप में वस्तु समस्या पर सहमति की, बिना में कुछ ठोस प्रगति प्राप्त करने का प्रयास किया गया लेकिन ऐसे कार्यक्रम के सम्भावित रूप पर निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सका। विस्तृत मार्गदर्शक रूपरेखा तैयार की गई तथा वस्तुओं के एकीकृत कार्यक्रम का

सम्भावित प्राख्य तैयार किया लेकिन कार्यक्रम (Action programme) सामने नहीं आया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चतुर्थ अक्टोबर में "मूल मुद्दों पर प्रमुख नई सहमति अथवा नई प्राप्ति नहीं हो पायी।"

अक्टोबर का पंचम सम्मेलन (UNCTAD—V)

अक्टोबर का पंचम सम्मेलन मई, 1979 में मनीला में हुआ था। ठोस क्रिया-योजना के दृष्टिकोण से विगत के अक्टोबर सम्मेलनों के परिणामस्वरूप बहुत कम सफलता मिल पाई थी। लेकिन इन सम्मेलनों में किये गये विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप अनेक आर्थिक मुद्दों पर वाद-विवाद सतह (surface) पर आया। अर्थ-विकसित राष्ट्रों द्वारा अपनी विपरीत आर्थिक स्थितियों के उमशमन (Alleviation) करने के प्रयत्नों में '77 का समूह' अपनी नेतृत्व की स्थिति जमा चुका था।

मनीला सम्मेलन में औद्योगिक राष्ट्रों से अर्थ-विकसित राष्ट्रों को अधिक सहायता के प्रवाह का प्रस्ताव रखा गया था। औद्योगिक राष्ट्रों से अर्थ-विकसित राष्ट्रों को 0.7 प्रतिशत आधिकारिक सहायता के लक्ष्य की पुनः पुष्टि की गई। वास्तव में पंचम अक्टोबर ने सहायता के इस प्रवाह को अत्यधिक अर्थ-विकसित राष्ट्रों के लिए दुगना करने का प्रस्ताव रखा था।

वस्तुओं के लिए 'साम्बा कोष' तथा अर्थ-विकसित राष्ट्रों की प्रमुख वस्तुओं की कीमतों के स्थिरीकरण हेतु प्रतिरोधक भण्डारण की वित्तीय व्यवस्था हेतु 13 राष्ट्रों द्वारा 87 मिलियन डॉलर की वित्तीय व्यवस्था का वादा किया गया। इसके अलावा प्रतिनिधियों ने तकनीकी हस्तान्तरण की विधि के माध्यम से अर्थ-विकसित राष्ट्रों की तकनीकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु विश्व व्यापी व्यूह रचना विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।

कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किये गये। इनमें से प्रमुख विस्तार में कमी करना त्रिशिष्ट वस्तुओं के निर्यातों से अर्जित आय में कमी करने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु पूरक सुविधा विकसित करने हेतु अध्ययन, प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहारों तथा ऐसे उपाय जिनके द्वारा ऐसे व्यवहारों से निपटा जा सके उसे सम्बद्ध सूचना प्रसारण सूचना एकत्रीकरण के लिए सतत कार्यवाही तथा भविष्य के सम्मेलनों में सन् 1974 के सम्मेलन की आचार संहिता का अनुसरण करने पर विचार करना। ध्यान

रह यह एक ऐसी सहिता थी जिसने लाइनर जहाजरानी (liner shipping) में अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों द्वारा भाग लेने के विशिष्ट प्रावधान थे।

हमरी ओर दो प्रमुख मुद्दों पर सहमति नहीं हो सकी, प्रथम, यद्यपि प्रतिनिधियों ने तकनीकी हस्तान्तरण की अन्तर्राष्ट्रीय संरचना पर कुछ कार्रवाहों के लिए बंदम उठाने पर सहमति व्यक्त की लेकिन ऐसे हस्तान्तरण के लिए आचार सहिता तैयार नहीं की गयी। द्वितीय, ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु व्यापार एवं वित्तीय क्रियाओं का पुनर्गठन करने का प्रयत्न किया गया जो कि न केवल औद्योगिक राष्ट्रों का अपितु अर्द्ध-विकसित एवं समाजवादी राष्ट्रों का ढांचा बदल सकती थी, यह उद्देश्य पचम अक्टोब का कार्य सूची का केन्द्र बिन्दु प्रतीत हो रहा था।

मनीला सम्मेलन का प्रमुख मुद्दा 'अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन' करना था। इस सम्मेलन में भी '77 का समूह' न अक्टोब IV से चले आ रहे विचार विमर्शों के उत्साहवर्धक परिणाम नहीं निकलने पर तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के क्रियान्वयन में विकसित राष्ट्रों की राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण लगभग पूर्ण अनिरोध पर विन्ता व्यक्त की थी।

अक्टोब का छठा सम्मेलन

(UNCTAD—VI)

अक्टोब का छठा सम्मेलन जून 1983 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड (Belgrade) में हुआ। "77 का समूह" (जिसमें 117 राष्ट्र शामिल थे) अनेक समस्याओं का सामना कर रहा था तथा ये समस्याएँ ही छठे अक्टोब की कार्य-सूची का केन्द्र बिन्दु बनीं। इन समस्याओं में अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के प्रति-कूल होने पर व्यापार की शर्तों, नीची वस्तु कीमतें व ऊँची तैयार मान की कीमतें तथा अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के चालू खान में अत्यधिक घाटा प्रमुख थे। अन्तर्राष्ट्रीय ऋण सेवा का भार भी उत्पन्न से बढ़ चुका था।

उपरोक्त एवं अन्य समस्याओं से राहत पाने हेतु "77 का समूह" अप्रैल 1983 में बुएनस ऐरीस (Buenos Aires) में छठे अक्टोब सम्मेलन के लिए एक मसौदा तैयार करते हेतु एकत्रित हुआ। इन सभा का मुख्य परिणाम यह वाक्यांश था कि आर्थिक समायोजन का भार अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों पर अतिशय अधिक अनुपात में पड़ा है एवं इससे अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संस्थाओं के सिद्धान्तों व व्यावहारिकता

दोनो का ही अपदान (erosion) हुआ है। इस प्रकार से '77 के समूह' ने दावा किया कि इस मुख्य समस्या के हल की प्रकृति विश्व-व्यापी ही होनी चाहिए थी तथा इसमें विश्व अर्थव्यवस्था की पुनः संरचना (restructuring) इस तरह से होनी चाहिए कि अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों व औद्योगिक राष्ट्रों के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों को शामिल करने वाले संस्थागत ढाँचे में प्रामुख-तुल्य परिवर्तन हो।

मार्च 1983 की कार्यमूर्ची में तीन प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श केन्द्रित रहा। ये तीन मुद्दे थे अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के विदेशी ऋण, वस्तुओं व व्यापार। इसके अतिरिक्त जहाजराज्य व तकनीकी से सम्बद्ध मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। अफ्रीका के छठे सम्मेलन में भी पूँज के सम्मेलनों की भाँति विकसित व अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे के आमने-सामने आने की कार्य विधि जारी रही। '77 के समूह' ने औद्योगिक राष्ट्रों से अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की तकनीकी के अग्रिदेशाधीन हस्तांतरण (mandated transfer of technology), अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को सहायता व अनुदान के प्रवाह के लिए शीघ्र वायव्यता करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की नीतियों में नवीकरण के प्रस्ताव रखे एवं सामान्यीकृत व्यापार अधिमाना (GTP) के आवरण युक्त विस्तार (Blanket expansion) तथा वस्तुओं के लिए 'साभा कोष' के शीघ्र मूँज व वस्तु समझौतों के विस्तार तथा एक ऐसे कार्यक्रम के लिए बकालन की जो अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायताकर्ता एजेन्सियों पर अफ्रीका के प्रभाव में वृद्धि करे।

अन्तर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या हल करने हेतु '77 के समूह' ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 30 बिलियन डॉलर विशेष आहरण अधिभारों के अनिर्दिष्ट निर्गमन हेतु स्पष्ट रूप से कहा। विश्व बैंक को अधिभार ऋण के लिए कहा। विकसित राष्ट्रों द्वारा SDRs का कुछ हिस्सा वापिस अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को उधार देने का सुभाव दिया गया। ऋणों पर कम बँधोर शर्तें लगाने के लिए भी कहा गया।

वस्तुओं से सम्बद्ध लक्ष्य 15 वस्तुओं के अन्वयण की वित्त व्यवस्था करके इनकी 70 के दशक की औसत कीमत के सन्दर्भ में कीमतों का स्थिरकरण किया जायेगा। इस कोष के लिए औद्योगिक राष्ट्रों की 9 बिलियन डॉलर लागत लगेगी तथा इन योजना से उत्पादकों द्वारा अर्जित आय में लगभग 20 बिलियन डॉलर की वृद्धि होगी। इस लागत में से आधी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वहन करनी थी, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया।

व्यापार में सम्बद्ध यह प्रस्ताव रखा गया कि औद्योगिक राष्ट्रों को अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों से तैयार वस्तुओं के उदाहरणों के उत्पाद की छड़ों के नियंत्रणों के विरुद्ध विभेदात्मक प्रशुल्क लगाता बन्द करना चाहिए। इन वस्तुओं के आयातों के लिए औद्योगिक राष्ट्रों को लक्ष्य निर्धारित करने चाहिये तथा प्रकटाड गैट की कुछ शक्तियाँ प्राप्त करें।

छठे प्रकटाड में तकनीकी व जहाजरानी से सम्बद्ध विचार-विमर्श हुआ। जहाँ तक तकनीकी का प्रश्न है पूर्व में इस वष में ब्यूनस एरोस (Buenos Aires) की सभा में औषधियों के लिए संहिता (code) हेतु योजना तैयार की गयी थी जिसे बेलग्रेड में मान्यता दी गई लेकिन इस प्रस्ताव नहीं गया। जहाजरानी से सम्बद्ध कोई प्रस्ताव स्वीकार करने की बजाय प्रतिनिधियों ने समुद्र परिवहन में अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों के भाग लेने से सम्बद्ध मुद्दों का अध्ययन करने व विगत के कार्य को प्राथमिक करने के लिए मतदान किया।

छठे प्रकटाड सम्मेलन में कोई प्रमुख नई पहल नहीं की गयी लेकिन विगत के सम्मेलनों में पारित कई कार्यक्रमों को पुनः दोहराया गया। 'नई अन्तर्राष्ट्रीय प्राथिक व्यवस्था' अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय प्राथिक प्रणाली के मुख्य पुनर्गठन की योजना, (जो कि पूर्व के कई सम्मेलनों का प्रमुख विषय रहा था) के मुद्दों के बारे में कोई गम्भीर विचार-विमर्श नहीं हुआ। सन् 1983 की कार्यसूची पूर्व के वर्षों से छोटी थी तथा सम्मेलन की अवधि दो दिवस बढ़ाई गयी लेकिन फिर भी चार सप्ताहों के वार्ताओं के दौरान के बावजूद बहुत कम मुद्दे पारित हो पाये थे।

अंकटाड का सप्तम सम्मेलन

(UNCTAD—VII)

अंकटाड का सप्तम व नवीनतम सम्मेलन जिनेवा (Geneva) में 9 जुलाई 1987 से 3 अगस्त 1987 तक जिम्बावे के वित्त, प्राथिक नियोजन व विकास मन्त्री तथा प्रकटाड के भूतपूर्व उप-महामन्त्री बर्नार्ड चिदज़ेरो (Bernard Chidzero) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था तथा इस सम्मेलन में 148 से अधिक राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अंकटाड का यह सम्मेलन 1983 के बेलग्रेड सम्मेलन के बाद की अवधि में अधिकतम विकासशील राष्ट्रों में प्राथिक पुनः उत्थान (recovery) में गतिरोध पर बनी हुई चिन्ता के वातावरण में प्रारम्भ हुआ था। इस सम्मेलन में वस्तुओं की घटती हुई कीमतों, अस्थिर विश्व व्यापार, अन्तर्गत पूँजी के प्रवाहों एवं निम्न व मध्यम

आय वाले राष्ट्रों की सतत ऋण समस्याओं के कारण समायोजन क्रियाओं में उपस्थित बाधाओं पर विशेष धेनी व्यक्त की गयी थी। लेकिन इस सम्मेलन में ब्रिटेन की भाँति सामना करने के वातावरण के विपरीत अपेक्षाकृत शान्त, सभ्य हितों को पहचानने हेतु अधिक रचनात्मक प्रयास करने तथा सहयोग की नवीकृत भावना (renewed spirit) द्वारा मीट तौर से नीति दिशा पर वार्ता करने का वातावरण बना हुआ था।

सत्रम अक्टोबर इससे पूर्व के सम्मेलनों से कई दृष्टिकोणों से भिन्न था। इसकी कार्य-सूची को चार सार मद्दों (Substantive items) तक ही सीमित रखा गया तथा पूर्व के सम्मेलनों की भाँति प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों के पूर्ण समर्थन के अभाव में अनेक भिन्न-भिन्न प्रस्तावों को स्वीकृत करने की बजाय 'सत्रम अक्टोबर के निर्णायक निर्णय' (Final Act of UNCTAD—VII) नामक समाहित सम्मेलन दस्तावेज पर सहमति व्यक्त की गई। इसके अतिरिक्त कार्य सूची के चारों प्रमुख मद्दों के लिए चार भिन्न समितियाँ निर्मित कर देने से इन समितियों की अधिकतर बैठकें अनौपचारिक वातावरण में ही पायीं अन् व्यक्तिगत राष्ट्र विचार विमर्श में अधिक सक्रियता पूर्वक भाग ले सके। भिन्न विषय-सूचियों पर विचार विमर्श में अधिक लचक भी बनी रही। इसके विपरीत पूर्व के अक्टोबर सम्मेलनों में विकासशील राष्ट्र (77 का समूह) बाजार अर्थव्यवस्थाओं वाले विकसित राष्ट्र (समूह B) तथा पूर्वी यूरोप के समाजवादी राष्ट्र (समूह D) इन तीन समूहों एष चीन के मध्य विचार-विमर्श होता रहा था।

निर्णायक एक्ट

(The Final Act)

सत्रम अक्टोबर के परिणाम 'निर्णायक एक्ट' नामक दस्तावेज में प्रस्तुत किये गये हैं। इस दस्तावेज के निर्णय अक्टोबर में सम्मिलित राष्ट्रों के मतसंग (consensus) का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चार सार विचार वस्तु

(Four Substantive Issues)

सत्रम अक्टोबर में चार सार विचार वस्तुओं पर विचार-विमर्श किया गया था। इन विचार वस्तुओं का विस्तृत विवेचन अग्रलिखित है :—

(1) विकास हेतु सहायन (Resources for Development) :—विकास हेतु आवश्यक सहायनों पर अधिकतर विचार-विमर्श विकासशील राष्ट्रों की श्रम समस्याओं, विदेशी वित्तीय सहायनों की पर्याप्तता, पर्यटन वृद्धि एवं अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था से सम्बद्ध मामलों पर केन्द्रित रहा। अनेक विकासशील राष्ट्रों में वित्तीय सहायता का विस्तृत श्रेणिक प्रवाह (net negative transfers) पर विशेष ध्यान दिया गया था।

अक्टूबर प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि श्रम एक जटिल समस्या है अतः इसका कोई भी स्थानीय समाधान एनी एकीकृत महोपयोगी विकास अभियान (co-operative growth-oriented) रणनीति के अंतर्गत निकालना चाहिए जो कि प्रत्येक राष्ट्र की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखे। व्यापारिक बैंकों को श्रमों राष्ट्रों के श्रमों के पुनःसूचीकरण व नए श्रमों को बढ़ावा देने में सहायकी नीति प्रयुक्त करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। यह सुझाव दिया गया कि ऐसी सर्वाधिक योग्य राष्ट्र जो संरचनात्मक समाशोधन कार्यक्रम अपना रहे हैं उन्हें परिणत करके प्रयोग के माध्यम में श्रम सेवा भार की दम्बी अनुपूरण व पुनःसूचना संबंध प्रदान करके तथा वर्तमान श्रमों पर नीचा व्याज दरें लागू करके उनके भार को आसान बनाया जाना चाहिए।

लेकिन श्रम समस्या पर अनुवर्ती (follow up) विचार-विमर्श हेतु उक्त फोरम (forum) पर सहमति नहीं हो सकी। अतः निर्णायक एक में विचारों की मिश्रता प्रतिबिम्बित हुई।

एक में इस बात पर सर्वोच्च व्यक्त किया गया कि संरचनात्मक समाशोधन कार्यक्रमों हेतु विदेशी सहायनों की सतत व पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। प्राथमिक विकास सहायता (ODA) के संदर्भ में एक में कोय-बैंक विकास मन्त्रि के रिपोर्टों द्वारा पर दृष्टिकरण बल (task force) की सिफारिशों की श्रेणिकता राष्ट्रों से अनुसंधान का आग्रह किया गया तथा प्राथमिक विकास सहायता (ODA) के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति प्रदान करने राष्ट्रों उत्पाद के 0.7 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आग्रह किया गया। श्रमशास्त्र राष्ट्रों से यह भी प्रार्थना की गई कि वे अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) के अग्रिम आग्रह हेतु वचनबद्धता की प्रतिबद्धता पुरी करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि IDA की सर्वे अधिक निष्ठावनी बनी रहें। गैर-रिपोर्टी सहायनों के संदर्भ में एक में विश्व बैंक की विस्तृत उद्योग को उद्योग स्तर तक बनाये रखने हेतु बैंक की पूर्वी में पर्याप्त सामान्य वृद्धि व

लिए आवाहन किया गया तथा क्षेत्रीय विकास बैंकों व कृषि विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कोष के ससाधनों के पर्याप्त प्राचुरण की सिफारिश की गई।

(2) वस्तुएँ (Commodities) — अक्टोबर के सत्रम सम्मेलन में वस्तु बाजारों में हुए विकास तथा नीची वस्तु कीमतें बने रहने की दीर्घकालीन (prolonged) प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार घटकों का मूल्यांकन किया गया। वस्तु क्षेत्र के प्रचालन को सुधारने के उपायों के रूप में सम्मेलन में वस्तु समझौतों की भूमिका, वस्तुओं के लिए साझा कोष (common fund) की भूमिका व विविधकरण, ससाधन (processing) विपणन व वितरण एवं उत्तम बाजार प्राप्ति (market-access) में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया।

यद्यपि इस सम्मेलन में वस्तु समझौतों में सुधार के उपायों का आग्रह किया गया था लेकिन निर्णायक एक्ट में यह चेतावनी दी गई कि नये समझौतों में जहाँ कीमत स्थिरीकरण प्रक्रिया का समावेश हो वहाँ दीर्घकालीन बाजार प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। सन् 1976 के नेरोबी के अक्टोबर-IV के सम्मेलन में प्रस्तावित गये वस्तुओं के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated Programme for Commodities) के सम्बन्ध में 'निर्णायक एक्ट' में अब तक के वस्तु समझौतों में शामिल नहीं की गई वस्तुओं के लिए प्रारम्भिक बंडकों बुलाये जाने का आग्रह किया गया। यद्यपि इस तरह के महयोग के भावी रूप विशिष्ट के लिए द्वार खुला छोड़ दिया गया था।

1976 के वस्तुओं के लिए एकीकृत कार्यक्रम (IPC) का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग 'साझा कोष' (Common Fund) था। यद्यपि यह कोष 90 से भी अधिक राष्ट्रों (सिवाय अमेरिका के जिसने इसका मूलन समर्थन किया था) द्वारा अनुमति प्राप्त हो चुका था लेकिन फिर भी इसकी सयुक्त पूँजी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक पूँजी के दो तिहाई से भी कम थी। यह आशा की जाती है कि साझा कोष की दोनों छिडकियाँ (एक वस्तु समझौतों को वित्तिय समर्थन देने हेतु तथा दूसरी वस्तुओं से सम्बद्ध विकास उपायों वाली) खुलने के बाद जब साझा कोष का पूर्ण अंशदान प्राप्त हो जायेगा तो इसका पूँजी आधार 750 मि डालर होगा। अक्टोबर VII के सम्मेलन में सौविधत रूप से साझा कोष सहमति पर हस्ताक्षर कर चुका है। अन्य अनेक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर व अनुमति प्राप्त हो जाने के बाद अब यह आशा है कि साझा कोष शीघ्र ही स्थापित हो पायेगा।

सुधरी हुई बाजार पहुँच के संदर्भ में निर्णायक एक्ट में विचार-विमर्श को प्रमुखतः गैट के युरग्वे दौर (Uruguay Round) के ट्रोपिकल वस्तुओं पर विचार विमर्श हेतु विाम्बन (defer) कर दिया गया था।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade) — वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण करते समय य कटाड-VII में आर्थिक विकास में व्यापार की निर्णायक भूमिका (Crucial role) तथा सरकारात्मक समायोजन का सफल प्रबंध करने हेतु व्यापार विस्तार की भूमिका पर बल दिया गया। निर्णायक एक्ट के क्रियाकारी भाग (Operative part) में वरीयता की सामान्य प्रणाली (GSP) के दायरे में आने वाली वस्तुओं में सुधार हेतु तर्क दिया गया था। यह भी स्वीकार किया गया कि GSP अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सफल नहीं रही है।

निर्णायक एक्ट में बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के युरग्वे दौर द्वारा बाजार पहुँच सुधारों के सम्भावित लाभों को विस्तृत वर्णन की गई। इसके अनिर्दिष्ट एक्ट में अन्य सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से मक्का करने हुए बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौतों (MINS) में य कटाड सचिवालय द्वारा विकासशील राष्ट्रों को प्रन्न तकनीकी सहायता के प्रदान का समर्थन किया गया तथा सेवाओं के क्षेत्र में य कटाड के वर्तमान प्रादेश-पत्र (existing mandate) के अन्तर्गत कार्य जारी रखने का समर्थन किया गया। यद्यपि कुछ प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों ने सेवाओं के क्षेत्र में य कटाड की भूमिका को सशर्त समर्थन ही दिया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया कि य कटाड के प्रादेशपत्र द्वारा अन्य संगठनों (जैसे गैट) को सेवाओं की विचार वस्तु के विश्लेषण से वंचित नहीं रखना चाहिए।

(4) सर्वाधिक गरीब राष्ट्रों की समस्याएँ (Problems of the least developed Countries) — निर्णायक एक्ट में यक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा द्वारा मन् 1981 में समर्थित (endorsed) कार्यवाही के महत्त्वपूर्ण नये कार्यक्रम (Substantial New Program of Action) में निहित विकासशील व ऋणदाता दोनों ही समूहों के राष्ट्रों की वचनबद्धता की याद दिलाई गई तथा निराशा व्यक्त करते हुए कहा गया कि विकास व आधिकारिक विकास सहायता (ODA) के प्रवाह के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाये हैं। ऋणदाता राष्ट्रों से उनकी वचनबद्धता का आग्रह करने का आग्रह किया गया। य कटाड सम्मेलन में सरकारात्मक समायोजन सुविधा (S.A.F.) के सहायता में भारी वृद्धि हेतु कोष

के प्रबन्ध संचालक के प्रस्ताव का स्वागत किया गया तथा यह आशा की गई कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास सभ के अठम प्रापूरण व SAF दोनों से मिलाकर सर्वाधिक गरीब राष्ट्रों को प्राप्त सहायता में भविष्य में काफी वृद्धि होगी। इस सम्मेलन में सहायता की साधकता (effectiveness) हेतु उपाय तथा सहायता समन्वयन (aid Coordination) में वृद्धि पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया। IDA द्वारा ऋण के विलोपन (Cancellation) एवं अन्य ऋण राहत कार्यक्रमों का स्वागत किया गया तथा ऐसे ऋणदाताओं से ऋण राहत कार्यक्रमों का प्राग्रह किया गया जिन्होंने अब तक ऐसे कार्यक्रम नहीं अपनाये हैं।

निष्कर्ष

(Conclusion)

निष्कर्षों के रूप में हम कह सकते हैं कि सतम अक्टोबर 1977 के निम्न परिणामों का उत्साहवर्धक रहे हैं —

- (1) अधिक लचीली ऋण रणनीति (Debt Strategy) हेतु सतम अक्टोबर-VII की महत्वपूर्ण प्राप्ति मानी जा सकती है।
- 2 वस्तुओं के सन्दर्भ में साझाकोष (Common Fund) के कार्यान्वयन के मासारा में अक्टोबर-VII द्वारा काफी वृद्धि हुई है।
- 3 अक्टोबर तथा गैट के आपसी सम्बन्ध के प्रत्यक्ष ज्ञान (Perception) में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे। इनके मध्य नया सम्बन्ध पूरकता के आधार पर स्थापित होने से इस ध्यापक धारणा में परिवर्तन हो सकता है कि 'गैट' तो औद्योगिक राष्ट्रों के हितों को साधता है जबकि 'अक्टोबर' विकासशील राष्ट्रों का हित सर्वर्द्धन करता है।
4. इसके अतिरिक्त पूर्ण के अक्टोबर सम्मेलनों की समूह संरचना (Group Structure) से आंशिक रूप से हटने तथा सम्मेलन पर एक दस्तावेज जारी करने की नई परिपाटी द्वारा मतैक्य (Consensus) प्राप्त करना अग्रिम आसान व व्यावहारिक हो गया है।

लेकिन अन्त में प्रश्न यह उठता है कि क्या सतम अक्टोबर का जोश बना रह सकता है? यह बहुत कुछ इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि भविष्य के वर्षों में अक्टोबर की समितियों में अनुवर्तन (Follow up) कार्य कितना हो पाता है।

मूल्यांकन

(Evaluation)

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अक्टूबर सम्मेलनों के मिले-जुले परिणाम रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में अक्टूबर सफल रहा है जबकि अन्य क्षेत्रों में असफल। उदाहरणार्थ, वस्तुओं के क्षेत्र में अक्टूबर के विचार विमर्श से सीमित सफलता ही प्राप्त हुई है।

अक्टूबर की मुख्य उपलब्धियाँ निम्न रही हैं —

- (1) सन् 1970 में अक्टूबर बरियता की सामान्य प्रणाली (GSP) प्रतिपादित करने में सफल हुआ। इस प्रणाली के अन्तर्गत विवक्षित राष्ट्र निर्यात करों की बरिय दर (preferential rate of duty) प्रदान कर विरासतशाल राष्ट्रों को उनके तैयार माल का निर्यात करने का विस्तृत अवसर प्रदान करते हैं। यह अक्टूबर की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है क्योंकि इस कदम द्वारा अक्टूबर गैट के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित मामलों में व्यवहार क परमानुग्रहित राष्ट्र (Most-favoured-Nation) व पारस्परिकता (Reciprocity) के मूल सिद्धान्तों से विचलन करके, जी. एस. पी. (GSP) लागू करवाने में सफल हुआ।
- (2) एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू जिस ओर अक्टूबर ने विशेष ध्यान दिया है वह भिन्न सामाजिक व प्राथिक प्रणालियों वाले राष्ट्रों के मध्य व्यापार है जैसे, पूर्व-पश्चिम व्यापार (East-West trade) को बढ़ावा देना। साथ ही साथ विरासतशाल राष्ट्रों व पूर्वी यूरोप तथा एशिया के समाजवादी राष्ट्रों (Socialist Countries) के मध्य व्यापार प्रोत्साहित करने में भी अक्टूबर ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- (3) विरासतशाल राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यापार के क्षेत्र में विस्तार हाल ही के वर्षों का एक अन्य महत्त्वपूर्ण विकास है। अर्द्ध-विवक्षित राष्ट्रों को वित्तिष्ठ बर्ताव प्रदान करना पूर्णतया अक्टूबर के प्रयत्नों का ही परिणाम है।
- (4) विदेशी सहायता, ऋण विस्फोटन (debt explosion), जहाजरानी व तन्वीकी जैसे क्षेत्रों में विकास हेतु अनेक सुत्रपात (initiative) किये गये हैं। परन्तु यह दावा नहीं किया जा सकता कि इन क्षेत्रों में काफी सफलता प्राप्त हो चुकी है।

लेकिन अकटाड की उपयुक्त सफलताएँ अत्यधिक सीमित हैं एवं बहुत से क्षेत्रों में अकटाड असफल रहा है। अकटाड की प्रमुख असफलताएँ निम्न क्षेत्रों में रहो हैं —

1. करीब एक दशक से अधिक समय पूर्व अकटाड के सूत्रपात में विकासशील राष्ट्रों के पक्ष में जी. एस. पी. (GSP) की समझौता वार्ताओं द्वारा काफी समय व शक्ति व्यय की गयी थी। लेकिन विकासशील राष्ट्रों के नियतों पर विभिन्न प्रकार की दृश्य व अदृश्य बाधाएँ लगाकर इन राष्ट्रों को जी. एस. पी. के माध्यम से प्रदत्त प्रशुल्क वरीयता के पूर्ण लाभों से वंचित रख देने के परिणामस्वरूप इन राष्ट्रों के अतिवृत्त वार्ताकारों को निराश (frustration) तथा भ्रमनिवारण (disillusionment) ही हाथ लगा है।

2. इसी प्रकार अकटाड द्वारा सन् 1977-80 में समझौता किया गया 'वस्तुओं का एकीकृत कार्यक्रम' दूसरा ऐसा क्षेत्र था जिसमें विकासशील राष्ट्रों को प्रमुख भेदन (break through) की आशा थी। इस सन्दर्भ में लम्बे व टेडे-मेडे समझौते हुए। लेकिन जून 1980 में हुई सहमति द्वारा मूलरूप से विचार किये गये छः बिलियन डालर के 'साभा कोप' को रूपान्तरित व काट-छाँट कर केवल 400 मिलियन डालर कर दिया गया। लेकिन समझौता सम्मेलन में इस दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है।

वस्तुओं के क्षेत्र में सर्वाधिक बेचैनी उत्पन्न करने वाला घटक तो यह है कि हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु कीमतों वास्तविक शक्तों के रूप में 30 वर्षों की अवधि में न्यूनतम स्तर पर पहुँच चुकी थी। इस विकास का विकासशील राष्ट्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

3. अकटाड विकास के लिये आवश्यक व्यापार नीति को अपनाने व कार्यान्वित करने में असफल रहा है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 'नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' के माध्यम से विश्व व्यापार आर्थिक व्यवस्था के विशाल स्तर पर पुनर्निर्माण करने के कार्य में अकटाड असफल रहा है। यह प्रस्ताव औद्योगिक व समाजवादी दोनों ही श्रेणियों के राष्ट्रों के लिये अत्यधिक आगे जा चुका है। सन्दर्भ में छोटे पत्र 'द इक्विनिस्ट' ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि 'अकटाड उन समस्याओं में से एक है "जो कई सप्ताह तक झुंझलाहट व फूँ-फा (huff and puff) करके अपनी स्वयं की असमर्थता प्रदर्शित करती रहती है।" 12

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अब वह समय आ गया है जब भारत जैसे विकासशील राष्ट्र अब तक अपनाई गई रणनीति एवं प्रतिक्रिया (Thrust) का अधिक गहराई से अध्ययन कर सघनपूर्ण (agondising) पुनर्मुल्यांकन करके इस नीति की अक्षमता के कारणों का 'समष्टि' व 'व्यष्टि' दोनों आधारों पर विश्लेषण करें एवं तत्पश्चात् विकासशील राष्ट्रों के स्वयं द्वारा कार्यान्वयन करने हेतु सिफारिशें प्रस्तुत करें।

इस सन्दर्भ में 'दक्षिण-दक्षिण' सहयोग की दिशा में भी विशेष प्रयत्नों की आवश्यकता है। इस दिशा में प्रयत्नों द्वारा विकसित राष्ट्रों के आसानी व्यापार का विस्तार किया जा सकता है तथा विकासशील राष्ट्रों में से अधिक पिछड़े राष्ट्रों की विशेष लाभ प्रदान किया जा सकता है।

अंकटाइ की 'एक-एक वस्तु' से सम्बद्ध ताना बानायेँ प्रारम्भ करनी चाहिये। इन बातों में उन वस्तुओं को शामिल किया जाना चाहिये जिनमें विकसित राष्ट्रों का सर्वाधिक हित स्वार्थ निहित है। ये समझौते प्रारम्भ में ऐसे अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों की वस्तुओं से प्रारंभ किये जाने चाहिये जो अपने निर्यातों के लिए एक या दो प्राथमिक वस्तुओं पर ही निर्भर हैं। तत्पश्चात् इन समझौतों में अधिक वस्तुएँ व अधिक राष्ट्र शामिल किये जा सकते हैं।

वास्तव में अंकटाइ की अपनी कार्यसूची सीमित करके एक या दो उद्देश्यों को क्रियान्वित करने की दिशा में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। उदाहरणार्थ, वस्तु बाजारों के उद्देश्य के लिए तथा/अथवा घरेलू आर्थिक नीतियों पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य के लिए ऐसा सम्भव है।

अतः हम कह सकते हैं कि 'अष्टम अंकटाइ' से काफी पूर्व में ही विगत के अंकटाइ सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों व उनकी सिफारिशों का मुख्य पुनरावलोकन (major review) कर लिया जाना चाहिए तथा अल्पकालीन व दीर्घकालीन आधार पर कार्यवाही हेतु एक प्राथमिकता सूची तैयार की जानी चाहिए। इस प्रयोग का केवल मात्र उद्देश्य विकसित व विकसित दोनों ही श्रेणियों के राष्ट्रों द्वारा किये गये वादों का कार्यान्वयन ही होना चाहिए।

इसी के साथ हम अंकटाइ के विश्लेषण को समाप्त करने हैं तथा विकसित राष्ट्रों के सच अन्य प्रस्तावों की चर्चा प्रारम्भ करने हैं।

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था

अधिकार विकासशील राष्ट्रों में नितान्त गरीबी की स्थिति विद्यमान होने के कारण तथा विश्व अर्थव्यवस्था विकासशील राष्ट्रों के हितों के अनुस्यू कार्यरत नहीं है इस धारणा के गहरी जड़ें पकड़ लेने के कारण सन् 1974 में मयुक्त राष्ट्र सभ महामन्त्रा ने 'नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' (NIEO) के सूत्रन का आवाहन किया।

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है ?

(What is NIEO ?)

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ऐसे प्रस्तावों का ढाँचा है जिन्हें विश्व आर्थिक शक्ति में आय अमन्तुलनों को सुधारने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्यों का सार प्रो. आई. जी. पटेल (I. G. Patel) ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य —

“..... अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों में उन उद्देश्यों व नीतियों को स्थापित करना है जो कि समस्त आधुनिक समाजों में राज्यों के भीतर विद्यमान समूहों के मध्य सम्बन्धों के लिए स्वीकृत मापदण्ड (norms) बन चुके हैं।”¹³

इस बात को प्रो. मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है —

“नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग मूलतः विश्व अर्थ व्यवस्था की अन्तर्निर्भरता के अधिक कुशल व ग्याप्तगत प्रबन्ध के लिए माँग है।”¹⁴

निम्नो (NIEO) में सम्मिलित तत्त्व — ‘निम्नो’ (NIEO) में शामिल अधिकार माँगों पूर्व में अक्टूबर के सन् 1964 में जिनेवा सम्मेलन में, सन् 1968 के नई दिल्ली सम्मेलन में व सन् 1972 के सेण्टियागो सम्मेलन में रखी गई थी तथा सन् 1976 के नैरोबी सम्मेलन व सन् 1979 के मनीला सम्मेलन में इन माँगों को दोहराया गया था ‘निम्नो’ के मूल प्रस्ताव में छ महत्त्वपूर्ण तत्त्व शामिल थे —

- (1) विशेष आहरण अधिकार कटौती का प्रस्ताव (SDR—Link Proposal)
- (2) विकासशील राष्ट्रों को दी जाने वाली विदेशी सहायता में वृद्धि करना।

13 Patel I. G. — A New International Economic Order ? — (Ramaswami Memorial Lecture of 1974), Reprinted in IER (April, 1974), p. 3

14 Singh, Manmohan — International Economic Order — IER (Jan - Mar 1982), p. 2.

- (3) विकासशील राष्ट्रों को किये जाने वाले तकनीकी हस्तांतरण (transfer of technology) में वृद्धि करना ।
- (4) विकासशील राष्ट्रों की निर्मित वस्तुओं को विकसित राष्ट्रों में प्रथिमानित प्रशुल्क (Preferential Tariff) के माध्यम पर छूट देना ।
- (5) प्राथमिक वस्तुओं की कीमत में स्थिरीकरण (Price stabilization) तथा
- (6) विकासशील राष्ट्रों की निर्यात प्राय म वृद्धि व स्थिरीकरण हेतु विकसित राष्ट्रों से प्राप्त वित्त व्यवस्था द्वारा घनेक वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौते (International commodity Agreements) स्थापित करना ।

इन बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा प्रयल्लिखित है —

- (1) एस. डी. धार कडो के प्रस्ताव के सहित अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष विकासशील राष्ट्रों को नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा SDRs की मूल श्रय शक्ति का भावटन करेगा । विकसित राष्ट्र इस प्रस्ताव का इम आधार पर विरोध करने हैं कि नव सृजित समस्त SDRs केवल विकासशील राष्ट्रों को भावटित कर दिये जाने से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की अन्तर्राष्ट्रीय तरलता म अभिवृद्धि में वित्तीय योगदान प्रयवा वृद्धि की सामर्थ्य घट जायेगी । ऐसा प्रतीत होना है कि इस विषय पर विकासशील राष्ट्रों के राजनीतियों व अर्थशास्त्रियों ने SDR के सृजन के मात्रात्मक महत्व के लिए न्यायसंगत से अधिक भावेश व प्रयास कर डाले हैं । लेकिन विश्व वित्तव्यवस्था में राष्ट्रों को SDRs के सृजन के पक्ष में मतदान करने वाले व SDRs प्राप्त करने वाले दो भिन्न वर्गों में विभाजित कर देना इस दिशा में एक सकारात्मक उपलब्धि मानी जा सकती है । लेकिन S.D.R. कडो प्रस्ताव के क्रियान्वयन की प्रभी तक कोई योजना नहीं है क्योंकि नई तरलता के सृजन को विकास प्रावश्यकताओं से जोड देना विवेकपूर्ण नहीं माना जा रहा है ।
- (2) विशुद्ध वित्तीय पक्ष में 'निर्भो' की माँगो में विकासशील राष्ट्रों को प्राप्त विदेशी सहायता को बढ़ाकर विकसित राष्ट्रों की सकल राष्ट्रीय प्राय का 0.7 प्रतिशत कर देने की माँग प्रमुख है । इसके अनिरीक्त यह भी प्रस्ताव रखा गया कि विदेशी सहायता को द्विपक्षीय से बहुपक्षीय बनाया जाय तथा विकासशील राष्ट्रों के पूरे विदेशी ऋण का विलोपन (cancellation) कर दिया जाये ।

लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अब तक कोई विशेष संरचनात्मक भेदन (Structural breakthrough) नहीं हो पाया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विकसित राष्ट्रों की सबल राष्ट्रीय आय के 0.7 प्रतिशत विदेशी सहायता के उद्देश्य की तुलना में विदेशी सहायता का प्रवाह आधे से भी कम है। उपलब्ध प्रवृत्तियों से ऐसा नहीं प्रतीत होता कि विदेशी सहायता अनुपात में निकट भविष्य में विशेष सुधार हो पायेगा। विदेशी सहायता के प्रवाहों के पूर्व कथन (predictability) एवं निश्चितता (certainty) में वृद्धि के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अधिकांश विदेशी सहायता आज भी द्वि-पक्षीय ही है। वास्तविकता तो यह है कि हाल ही के वर्षों में सरकारी सहायता को बन्धन मुक्त करने अथवा स्थानीय लागतों की वित्तव्यवस्था करने अथवा कार्यक्रम सहायता (Programme Assistance) के रूप में सहायता प्रदान करने का वातावरण हाल ही के वर्षों में और अधिक बिगड़ गया है क्योंकि अधिकांश सहायता प्रदानकर्ता राष्ट्र विदेशी सहायता के घरेलू दबावों के फल-स्वरूप इसे निर्यात सवर्द्धन के उपकरण के रूप में उपयोग करने लग गये हैं।

तकनीकी हस्तांतरण के क्षेत्र में 'बहुराष्ट्रीय निगमों' पर संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा नियुक्त अयोग की उन निगमों के व्यवहार के मानदण्डों व इनकी घरेलू व भेजवान सरकारों के इनके प्रति व्यवहार के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करने का कार्य सीपा गया था। इसके अतिरिक्त तकनीकी की ऐसी आचार संहिता पर चर्चा जारी की गई थी जो कि तकनीकी के पर्याप्त विकास व हस्तान्तरण हेतु एक ऐसा सामान्य व विश्वव्यापी विधि सम्मत (legal) ढाँचा स्थापित करेगी जिससे विकासशील राष्ट्रों की वैज्ञानिक तकनीकी सामर्थ्य का विकास हो सके। इसी प्रकार सन् 1979 में विकास हेतु विज्ञान व तकनीकी के लिए संयुक्त राष्ट्र वित्त व्यवस्था प्रणाली स्थापित करने पर भी एक समझौता हुआ जिसकी शुरुआत विकासशील राष्ट्रों के हितों के पूरक के रूप में एक अन्तरिम कोष के साथ हुई।

लेकिन उपर्युक्त प्रयत्नों के बावजूद भी तकनीकी हस्तांतरण के क्षेत्र में आज तक विशेष प्रगति नहीं हो पाई है।

(4) विकासशील राष्ट्रों के निर्मित मान्य के निर्यातों की विकसित राष्ट्रों में अधि-मान्य प्रशुल्क पर आयात करने के प्रस्ताव को 'अधिमान्य की सामान्य प्रणाली' (GSP) के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली के अनुसार विकसित राष्ट्रों के आयातों पर इन राष्ट्रों के प्रतिस्पर्द्धी विकसित राष्ट्रों की लागत

नीची होने के बावजूद भी विकसित राष्ट्र प्रतिस्पर्धा में टिक सकेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 'निम्नो' में केवल व्यापार धररोजों को समाप्त करने की माँग नहीं है अपितु केवल 'अधिमानिक' प्रशुल्क की माँग है। क्योंकि व्यापार धररोजों की समाप्तियों से विकसित राष्ट्रों के निर्यातों की अभिवृद्धि के परिणामस्वरूप इसके अधिकांश लाभ विकसित राष्ट्रों को ही प्राप्त होंगे। 'गैट' के तत्वाधान में 'विनेडी दौर' व 'टोकियो दौर' की बातचीतों के परिणामस्वरूप ऐसा ही हुआ था।

आज तक रखे गये 'निम्नो' प्रस्तावों में से अधिमानिक प्रशुल्क की योजना की प्रवधारणा तथा इनका निर्माण व क्रियान्वयन 'निम्नो' की प्रमुख उपलब्धि मानी जा सकती है।

अधिमानों की सामान्य प्रणाली ने अपनी प्रथम बाधा तुरन्त पार कर ली है। क्योंकि इस प्रस्ताव को 'गैट' के सदस्य राष्ट्र 'परमानुग्रहीत राष्ट्र व्यवहार' (MFNP) की परम्परागत व्याख्या के आधार पर निष्पन्न कर सकते थे। इन व्यवहारों द्वारा सिवाय चुनी गये के सदस्यों के अधिमानिक व्यवहार को छूट नहीं थी। लेकिन 'असमान राष्ट्रों के साथ असमान व्यवहार' (unequals should be treated unequally) के आधार पर गैट ने परमानुग्रहीत राष्ट्र व्यवहारों का परित्याग किया है। यह अनुमान लगाया गया है कि अधिमानिक प्रशुल्कों के परिणामस्वरूप विकसित राष्ट्रों के निर्यात माल के निर्यातों में 2 से 3 मिलियन डॉलर की वार्षिक वृद्धि होगी तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों व जापान द्वारा सन् 1971-72 में तथा अमेरिका व कनाडा द्वारा सन् 1976 में अधिमानों की सामान्य प्रणाली (G.S.P.) की स्थापना से इस दिशा में प्रगति भी हुई है।

लेकिन अमेरिका द्वारा विधान की स्वीकृति में विलम्ब तथा लगभग सभी विकसित राष्ट्रों द्वारा अधिमान प्रदत्त वस्तुओं की विस्तार सीमा (range) व मात्रा पर सहायन सीमाओं के कारण अधिमानों की सामान्य प्रणाली के लाभ काफी कम मिल पाये हैं। उदाहरणार्थ, विकासशील राष्ट्रों की कई महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुओं जैसे वस्त्र, सार्वकल आदि को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधिमानों की सामान्य प्रणाली से बाहर छोड़ दिया गया है।

- (5) 'निम्नो' में प्राथमिक वस्तुओं से सम्बद्ध दो प्रस्ताव हैं — प्रथम प्रस्ताव त प्राथमिक उत्पादों के निर्यात वस्तुओं के रूप में मूल्य स्तर से सम्बद्ध है तथा द्वितीय इन कीमतों में अनावश्यक वृद्धि उन्नावृद्धियों को रोकने से सम्बद्ध है।

हाथ ही के वर्षों में 'साम्ना केन्द्रीय कोष' (Common Central Fund) (जिमका नीची कीमतों से प्रस्त प्राथमिक वस्तुओं के भण्डार हेतु उपयोग किया जाता था) से सम्बद्ध प्रस्ताव को आवश्यक से कम महत्त्व प्रदान किया गया है लेकिन इसे समाप्त नहीं किया है। 'निधियों' के तत्वाधान में अनेक अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के लिए पृथक भण्डारण कोष विकसित किये जा रहे हैं।

द्वितीय प्रस्ताव में प्राथमिक व तैयार वस्तुओं के मध्य व्यापार की शर्तों में स्थायी विवर्तन लाने से सम्बन्धित योजनाएँ शामिल हैं। उत्पादकों के कार्टेलों व अनुक्रमणीकरण (Indexation) के माध्यम से पस उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास किये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त विनामशील राष्ट्रों की एक यह भी माँग है कि इन राष्ट्रों से विकसित राष्ट्रों में आयात किये जाने वाले कृषि उत्पादों पर समस्त आयात प्रशुल्क समाप्त किये जाएँ। यह अनुमान लगाया गया है कि इन प्रशुल्क सामानियों से विकासशील राष्ट्रों के निर्यातों में 3 मिलियन डॉलर की वार्षिक वृद्धि होगी। लेकिन इन दिशा में आज तक की प्रगति लगभग नपथक है।

(6) विकासशील राष्ट्रों की माँगों में अन्तर्राष्ट्रीय 'वस्तु समझौतों' की माँग प्रमुख है। इन समझौतों को 'वस्तुओं के एकीकृत कार्यक्रम' (Integrated programme of Commodities) के नाम से जाना जाता है। प्रारम्भ में इस कार्यक्रम में दस वस्तुओं (चीनी, ताम्बा, वस्त्र, कॉफी, रबर, कोका, टिन, चाय, जूट, व रेश) को शामिल करने की योजना है।

लेकिन वस्तु समझौतों का विगत वा अनुभव उल्साहवर्द्धक नहीं रहा है। ऐसे समझौतों के परिणामस्वरूप या तो वस्तुओं के अनियन्त्रणीय भण्डार एकत्रित हो जाते हैं अथवा इनके लिए अकुशलतावर्द्धक निर्यात नियन्त्रणों को अपनाना आवश्यक हो जाता है। इस नकारात्मक अनुभव के बावजूद मर्च 1979 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रवर्तित (sponsored) वस्तु स्थिरीकरण पायलट (pilot) कार्यक्रम हेतु 400 मि० डालर के 'साम्ना कोष' की स्थापना के लिए विकसित राष्ट्रों ने अशदान दिया। ध्यान रहे यह अशदान विनामशील राष्ट्रों की 6 वि० डालर की माँग की तुलना में बहुत कम था।

इतने छोटे कोष की नये समझौतों के निर्माण अथवा अल्पविक्रेताधिकारी अंतर्गतों के बोलबाले वाले बाजारों में पर्याप्त कीमत समर्थन में कितनी भूमिका रहेगी यह तो पूर्णतया अनिश्चित ही है। जहाँ तक अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतों का सम्बन्ध है

उनकी भूमिका के विस्तार के लिए सकारात्मक कार्यक्रम नजर नहीं आता है। चाय काफी व कोका के समझते तो वार्ताओं से पूरा ही विद्यमान थे बाद में केवल चीनी व रबड़ से सम्बद्ध पुन वार्ताएँ हुई हैं।

निष्कर्ष

(Conclusion)

अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 'निओ' द्वारा विकासशील राष्ट्रों की कुछ माँगें अल्परूप में पूरी हुई हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में कुछ और सुधार होने की भी सम्भावना है। लेकिन पूर्ण रूप से नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की सम्भावना तो बहुत ही कम प्रतीत होती है।

इसी के साथ हम 'निओ' के विरलेषण को समाप्त करते हैं तथा विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग की दिशा में उठाये गये एक अन्य महत्वपूर्ण कदम पर विचार करना प्रारम्भ करते हैं।

*दक्षिण-दक्षिण सहयोग

(South-South Co-operation)

प्रस्तावना

(Introduction)

विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी आर्थिक सहयोग को सामान्यतया 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' के नाम से जाना जाता है।

विकासशील राष्ट्रों का अस्तित्व बनाये रखने हेतु व आर्थिक विकास की प्रक्रिया में प्रागे बढ़ते रहने के व्यावहारिक विकल्प के रूप में दक्षिण-दक्षिण सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विकसित राष्ट्रों में निरन्तर बनी रहने वाली मन्दी (recession) की स्थिति, उत्तर-दक्षिण वार्ताओं में गतिरोध की स्थिति एवं विश्व स्तर की आर्थिक समस्याओं की अकर्मभ्यता ने विकासशील राष्ट्रों के लिए 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' को स्वेच्छिक के बजाय अनिवार्य सा बना दिया है।

विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी आर्थिक सहयोग की वार्ताओं की चर्चा वर्षों

* This section builds heavily on Dr V R Pancharukhi's—South South co-operation Some Issues—Financial Express—March 21 1985

पूर्व जारी की लेखिन 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' का वास्तविक सूत्रपात सन् 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटाइ के सम्मेलन में इन राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ ही हुआ था। तत्पश्चात् 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' की व्यवधारणा पर सन् 1970 के ल्यूसाना शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ। सन् 1974 में संयुक्त राष्ट्र सभ की महासभा ने जब 'नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' (NIEO) का प्रावाहन किया तो विकासशील राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग का विशेष उल्लेख किया था। डकार (Dakar) के सन् 1975 के कच्ची सामग्री के सम्मेलन में इस विषय की पुन पुष्टि की गयी। तत्पश्चात् सन् 1975 के लीमा (Lima) में हुए विदेश मंत्रियों के सम्मेलन एवं कोलम्बो में सन् 1976 में हुए गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन तथा चौथे अंकटाइ सम्मेलन में इस प्रकार के सहयोग की व्यवधारणा की अभिपुष्टि की गई। तत्पश्चात् मेक्सिको में सन् 1976 में इस विषय पर विस्तृत घोषणा की तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई। चतुर्थ अंकटाइ के तत्वाधान में विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग से समन्वय हेतु एक समिति बनाई गई जिसने सन् 1977 में एक कार्य-योजना (work programme) स्वीकृत की। '77 के समूह' की सन् 1979 की बैठक में भी विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यापार की वृद्धि की आवश्यकता एवं सामूहिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया गया।

मई 1981 में ब्राकास (cracas) में विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग पर हुई उच्चस्तरीय बैठक ने इस विषय को एक नया आयाम प्रदान किया एवं विकासशील राष्ट्रों के मध्य प्रशुल्क अधिमानों की विश्व व्यापी प्रणाली (Global System of Tariff preferences) की माँग की गई ताकि व्यापार संवर्द्धन, उत्पादन व रोजगार में योगदान प्रदान हो सके। फरवरी 1982 में 44 विकासशील राष्ट्रों के विचार विमर्श में इन सन्देश के प्रभाव को प्रबल किया गया। अक्टूबर 82 में '77 के समूह' के मंत्रियों ने न्यूयार्क में एक घोषणा स्वीकार कर विकासशील राष्ट्रों के मध्य प्रशुल्क अधिमानों (GSTP) की स्थापना पर वार्ताएँ प्रारम्भ की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी व्यापार में व्यापार अधिमानों व दीर्घकालीन समझौतों जैसे प्रत्यक्ष उपाय अपनाना व उनके आपसी व्यापार में वृद्धि करना था। जून 81 में बेलग्रेड (Belgrade) में हुए अंकटाइ के छठे सम्मेलन में अधिमानों व व्यापार प्रवर्द्धनों के विस्तार तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं द्वारा औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों को मगन करके विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग के प्रयत्नों की आवश्यकता पर बल दिया गया। मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए सप्तम गुट

निरपेक्ष सिद्धर सम्मेलन में प्रभावी व सार्थक सहयोग कार्यक्रम हेतु एक प्रस्ताव पारित किया गया। '77 के समूह' की हाल ही की बैठक में विकासशील राष्ट्रों के, मध्य प्रगुल्क अधिमानो (GSTP) के प्रथम दौर की 10 मई 1987 तक पूर्ण कर लेने का निर्णय दक्षिण-दक्षिण सहयोग की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम कहा जा सकता है।

‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ की विचार वस्तु

(Issues in South-South Co-operation)

यद्यपि, ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ को इसके अधिक उपयोगी ‘उत्तर-दक्षिण’ आधिक्य सम्बन्धी का प्रतिस्थापन मानना तो अनुचित है लेकिन फिर भी ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ की विकासशील राष्ट्रों व विश्वस्तरीय बर्त्याग में अभिवृद्धि का महत्त्वपूर्ण उपकरण माना जा सकता है। ‘77 के समूह’ (G-77) व निगुंट राष्ट्र आन्दोलन (NAM) की बैठकों में ‘दक्षिण-दक्षिण सहयोग’ के लाभों की अनुभूति के बावजूद इस दिशा में हुई प्रगति पूर्णतया मन्द रही है तथा इसका प्रभावी संचालन नगण्य सा ही रहा है।

आधिक्य सहयोग के लिए एक आधारभूत पूर्ववर्तिता (pre-requisite) सहभागी राष्ट्रों में पूरकता का अस्तित्व है? यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार के आधिक्य सहयोग से सभी सहयोगी राष्ट्रों के कुल बर्त्याग में वृद्धि के साथ-साथ व्यक्तिगत राष्ट्र के बर्त्याग में वृद्धि हो। यह पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए कि सहयोग से प्रत्येक राष्ट्र लाभान्वित होगा। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि सहयोग की प्रत्येक क्रिया से प्रत्येक राष्ट्र के बर्त्याग के स्तर में वृद्धि हो लेकिन सहयोग की दिशा में की गई विभिन्न क्रिया-विधियों के मूल प्रभाव के परिणामस्वरूप प्रत्येक सहयोगी राष्ट्र के बर्त्याग में वृद्धि होनी चाहिए। सहयोग प्रोत्साहित करने हेतु आदान-प्रदान (give and take) दृष्टिकोण सहयोग की समग्र योजना का आवश्यक अंग होता है। सहयोग का यह आधार वाक्य (premise) सभी सहयोगियों को बली-भाति स्पष्ट होना चाहिए।

अतः विकासशील राष्ट्रों के मध्य सहयोग की योजना में दृष्टिकोण की समग्रता को ध्यान में रखना आवश्यक है। केवल व्यापार अथवा उत्पादन के क्षेत्र में ही सहयोग की बात करना पर्याप्त नहीं है।

पूरकताओं की पहचानने हेतु प्रथम कदम के रूप में समस्त सहयोगी राष्ट्रों की सत्तायन सम्पत्ति-सूची (inventories) तैयार की जानी आवश्यक है। इस

पूरकताओं की सम्पत्ति-सूचियों की सूचना के आधार पर सहयोग को व्यापक योजनाएँ तैयार करने का कार्य आसान हो जायेगा ।

दुर्भाग्यवश वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रों की ससाधन स्थिति व क्षमताओं से सम्बद्ध पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग के प्रयासों में केवल व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर अनावश्यक बल दिया जा रहा है । व्यापार अधिमानों की विश्वव्यापी प्रणाली (GSP) जैसी योजनाओं पर 'वार्ताओं में विकासशील राष्ट्रों के आपसी व्यापार में वृद्धि में प्रशुनक व गैर-प्रशुनक अधिमानों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया है ।

डा० पञ्चमुखी¹⁵ (Panchamukhi) ने इस सन्दर्भ में तीन मुद्दों पर बल देने की आवश्यकता बतलाई है —

(1) अन्तर उद्योग (Inter industry) व्यापार प्रवाहों को उद्योगान्तर्गत (Inter-industry) प्रवाहों से भिन्न करना आवश्यक है ।

इस सन्दर्भ में सामान्यतया यह दावा किया जाता है कि विकासशील राष्ट्रों की एक जैसी विकास प्रवृत्तियाँ होने के कारण उनके मध्य व्यापार पूरकताओं की गुंजाइश बहुत कम है । विकासशील राष्ट्रों में घरेलू उत्पादन, निर्यातों व आयातों का ढाँचा लगभग एक जैसा होता है ।

इस सन्दर्भ में डा० पञ्चमुखी¹⁶ ने सुझाव दिया है कि हमें अन्तर-उद्योग सम्भावनाओं की बजाय उद्योगान्तर्गत सम्भावनाओं की छान-बीन करनी चाहिए । दो राष्ट्रों के मध्य उद्योगान्तर्गत व्यापार से अभिप्राय यह है कि वे राष्ट्र उत्पाद मिश्रण, बाजार रणनीति, पूंति का समय आदि इस प्रकार से चुनें कि वे अपने व्यापार प्रवाह का मोटे रूप से कियेगये एक ही वर्गीकरण के भीतर विस्तार कर सकें उदाहरणार्थ, भारत व बंगलादेश के मध्य जूट के व्यापार में भारत केवल कार्पेट बैकिंग (carpet backing) में विशिष्टीकरण कर सकता है जबकि बंगलादेश जूट के शैलों में विशिष्टीकरण कर सकता है । इसी प्रकार भारत व श्रीलंका के चाय के आपसी व्यापार में चाय व चाय मिश्रण की श्रेणियों में भिन्नता के आधार पर व्यापार किया जा सकता

15 Panchamukhi, V R —op. cit

16 Panchamukhi, V.R —op. cit

पूरकताओं की सम्पत्ति-सूचियों की सूचना के माध्यम पर सहयोग की व्यापक योजनाएँ तैयार करने का कार्य आसान हो जायेगा ।

दुर्भाग्यवश वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रों की सहायन स्थिति व क्षमताओं से सम्बद्ध पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विकासशील राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग के प्रयासों में केवल व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर अनावश्यक बल दिया जा रहा है । व्यापार अधिमानों की विश्वव्यापी प्रणाली (GSP) जैसी योजनाओं पर वार्ताओं में विकासशील राष्ट्रों के आपसी व्यापार में वृद्धि में प्रशुनक व गैर-प्रशुनक अधिमानों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया गया है ।

डा० पंचमुखी¹⁵ (Panchamukhi) ने इस सन्दर्भ में तीन मुद्दों पर बल देने की आवश्यकता बतलाई है —

(1) अन्तर उद्योग (Inter industry) व्यापार प्रवाहों को उद्योगान्तर्गत (Inter-industry) प्रवाहों से भिन्न करना आवश्यक है ।

इस सन्दर्भ में सामान्यतया यह दावा किया जाता है कि विकासशील राष्ट्रों की एक जैसी विकास अवस्थाएँ होने के कारण उनके मध्य व्यापार पूरकताओं की गुंजाइश बहुत कम है । विकासशील राष्ट्रों में घरेलू उत्पादन, निर्यातों व आयातों का ढाँचा लगभग एक जैसा होता है ।

इस सन्दर्भ में डा० पंचमुखी¹⁶ ने सुझाव दिया है कि हमें अन्तर-उद्योग सम्भावनाओं की वजाय उद्योगान्तर्गत सम्भावनाओं की छान-बीन करनी चाहिए । दो राष्ट्रों के मध्य उद्योगान्तर्गत व्यापार से अभिप्राय यह है कि वे राष्ट्र उत्पाद मिश्रण, बाजार रणनीति, पूँजी का समय आदि इस प्रकार से चुनेंगे कि वे अपने व्यापार प्रवाह का मोटे रूप से कियेगये एक ही वर्गीकरण के भीतर विस्तार कर सकें उदाहरणार्थ, भारत व बंगलादेश के मध्य जूट के व्यापार में भारत केवल कार्पेट बैकिंग (carpet backing) में विशिष्टीकरण कर सकता है जबकि बंगलादेश जूट के रेशों में विशिष्टीकरण कर सकता है । इसी प्रकार भारत व श्रीलंका के चाय के आपसी व्यापार में चाय व चाय मिश्रण की श्रेणियों में भिन्नता के माध्यम पर व्यापार किया जा सकता

15 Panchamukhi, V R —op cit

16 Panchamukhi, V.R.—op, cit

है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उद्योगान्तरण व्यापार एक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को पूरकता की स्थिति में परिवर्तित कर सकता है। यदि व्यापार सहभागी राष्ट्र अपनी विनियोग व उत्पादन क्रियाओं का उचित नियोजन करें तो इस प्रकार के उद्योगान्तरण व्यापार में वृद्धि की काफी गुंजाइश विद्यमान है।

(2) इस सन्दर्भ में दूसरी आवश्यकता व्यापार सवर्द्धन की विनियोग क्रियाओं की परियोजनाओं से सम्बन्धित करने की है। वर्तमान में सहयोग के लिए उद्यम विकासशील राष्ट्रों में नियोजन सगति (plan harmonization) की प्रक्रिया विद्यमान होना का कोई संकेत नहीं है? दक्षिणी-पूर्व एशियन राष्ट्र संघ (Association of South East Asian Nations) व अन्य लेटिन अमेरिका के राष्ट्रों के संगठन जैसे सुस्थापित संगठनों में भी नियोजन सगति की प्रक्रिया बहुत कम मात्रा में विद्यमान है। स्पष्ट ही है कि नियोजन सगति प्रक्रिया से अभिप्राय विभिन्न राष्ट्रों में एते उचित सरचनात्मक ममायोजन से है, जिनसे विभिन्न राष्ट्रों के कल्याण के स्तर में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

(3) तृतीय, यह जाँच करने की आवश्यकता है कि क्या केवल प्रशुल्क व गैर-प्रशुल्क अधिमान प्रस्ताव से विवसित राष्ट्रों से विकासशील राष्ट्रों की ओर व्यापार प्रवाह के सवर्द्धन का उद्देश्य प्राप्त हो सकता है? यदि नहीं तो इनके साथ किस प्रकार की पूरक नीतियाँ अगनाई जानी चाहिए। आयातों पर प्रशुल्क व गैर-प्रशुल्क छूटें प्रदान करने का अधिप्राय यह है कि विकासशील राष्ट्रों में से आयातकर्ता राष्ट्र अन्य विकासशील सहयोगी राष्ट्रों से व्यापार प्रवाहों में वृद्धि करने का आर्थिक भार अपने कंधों पर ले लेने हैं। यह भार इन प्रतिबन्धों में छूट प्रदान करने से आगम में होने वाली कमी के रूप में तथा घरेलू उद्योगों को प्रदत्त संरक्षण में कमी के रूप में वहन करना पड़ सकता है। सामान्यतया कमगोर सहयोगी राष्ट्र इस भार को वहन करने की सामर्थ्य में उस समय तक नहीं पाया जायगा जब तक कि द्विपक्षीय प्रयत्न बहु-पक्षीय आर्थिक ढाँचे के अन्य लाभों द्वारा इनकी क्षति-पूर्ति नहीं हो जाय। इस सन्दर्भ में यह सुझाव जा सकता है कि कमगोर सहभागिता पर व्यापार प्रतिबन्धों को कम करने के आर्थिक भार की क्षति-पूर्ति शक्तिशाली सहभागियों द्वारा निर्यात साख, साधनों के रिआयती प्रवाहों, तकनीकी सहायता प्रथवा इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं द्वारा की जा सकती है।

राष्ट्रो के मध्य समन्वित की जाने वाली नीतियो मे विनियोग, औद्योगिक लाइसेंस, ब्याज-दर व साध की नीतियो को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के नीतियो के समन्वय के अभाव मे यह सम्भव है कि आयातो पर प्रशुल्क व गैर-प्रशुल्क रिषायतो के बावजूद भी निर्यातकर्ता राष्ट्र मे वस्तु विशेष से सम्बद्ध मौद्रिक व विनियोग नीतियाँ हतोत्साहित करने वाली होने के कारण व्यापार प्रवाह मे वृद्धि न हो। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशुल्क अधिमानो की विश्वव्यापी प्रणाली (GSTP) व इससे सम्बद्ध योजनाओ मे इस तरह से एकीकृत नीतियो पर विचार किया गया है। समष्टि आर्थिक नीतियो मे समन्वय के अभाव मे गम्भीर विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं।

प्रशुल्क व गैर प्रशुल्क अधिमानो के दृष्टिकोण के विवक्ष्य के रूप मे डा रॉलप्रेबिश (Raul Prebisch) ने एक नव प्रवर्तक (innovative) दृष्टिकोण सुझाया है जिसके अनुसार आयातकर्ता राष्ट्रों द्वारा प्रशुल्क कटौतियो की बजाय निर्यातकर्ता राष्ट्रों द्वारा निर्यात उपदान (export subsidy) प्रदान करके विकासशील राष्ट्रों के व्यापार मे वृद्धि की जा सकती है।

इस दृष्टिकोण के पीछे मूल तर्क यह है कि निर्मित माल व पूँजीगत वस्तुओ के निर्यातक राष्ट्र इन वस्तुओ के आयातकर्ता राष्ट्रों की तुलना मे मजबूत आर्थिक स्थिति मे होते हैं अतः व्यापार सम्बन्धन का भार अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति वाले राष्ट्रों को वहन करना चाहिए।

स्पष्ट है कि यह वैकल्पिक योजना अधिक विवेकपूर्ण व न्याय सगत प्रतीत होती है। लेकिन यह सन्देहास्पद ही है कि निर्मित माल मे व्यापार सृजन व व्यापार दिशा-परिवर्तन द्वारा क्षतिपूर्ति के अभाव मे निर्यातकर्ता राष्ट्रों पर व्यापार सम्बन्धन का सम्पूर्ण भार डाला जा सकता है। दूसरा, यह कि अधिकांश विकासशील राष्ट्रों के निर्यातो को पहले से ही उपदान प्रदान किया हुआ है। अतः उत्पादन के इम भार मे विशेष उपदानो का भार और शामिल कर देना न्यायोचित नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि अधिकांश विकासशील राष्ट्र आयातकर्ता के साथ-साथ निर्यातकर्ता भी हैं। अतः इनके आयातो पर विदेशो मे प्रदत्त उपदान इनके द्वारा अपने निर्यातो को प्रदत्त उपदान से सन्तुलित हो जायेंगे। लेकिन ऐसी नीतियो के परिणामस्वरूप उपदान की मात्रा व इससे प्राप्त लाभ की गणना करके ही डा० प्रेबिश की योजना को प्रशुल्क व गैर-प्रशुल्क अधिमानो की योजना से श्रेष्ठ साबित किया जा सकता है।

'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' के सम्बन्धन हेतु सेवाओं के व्यापार (Trade in Ser-

vices) की वृद्धि के लिए भी मुनिरोजिन प्रयासों की आवश्यकता है। बैंकिंग, बीमा, परिवहन व संचार, परामर्श, सूचना प्रदान करना बाजार आदि क्षेत्रों की सेवा क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। ये क्रियाएँ सामान्यतया श्रम-गहन, पूँजी की अधिक उत्पादकता वाली व कम गर्भावधि विलम्ब (low gestation lag) वाली होती हैं। अतः विकासशील राष्ट्रों को इनमें क्षेत्रीय व उपक्षेत्रीय स्तर पर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए।

इसी प्रकार आपसी सहयोग हेतु यह भी आवश्यक है कि आर्थिक सहयोग किसी न किसी प्रकार की निर्भरता (dependency) के बजाय पारस्परिक अन्त-निर्भरता (mutual-inter dependency) के ढाँचे पर आधारित होना चाहिए क्योंकि निर्भरता के प्राविर्भाव के भय से कुछ सहयोगी राष्ट्रों की सहायता की तत्परता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन (South Asian Regional Co-operation) के राष्ट्रों में इन प्रकार के भय की स्थिति स्पष्ट नजर आती है।

ऐसी स्थिति में भारत जैसे आर्थिक रूप से सुदृढ़ व आकार में बड़े राष्ट्रों को अन्य छोटे राष्ट्रों से उनकी वस्तुओं व सेवाओं तथा तकनीकी ज्ञान के क्रय वा आश्वासन देकर उन्हें आर्थिक सहयोग के लाभों में समान वितरण के लिए आश्वस्त करना चाहिए।

हाल ही में 'दक्षिण बैंक' (South Bank) का प्रस्ताव भी सामने आया है। इस बैंक की कुल पूँजी करीब 38 बि० डालर होगी जिसमें से 48 बि. डालर की प्रदत्त पूँजी व शेष चलती-पूँजी होगी। इस प्रकार का बैंक विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग सम्बद्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा इससे इन राष्ट्रों के विकास व विविधता में योगदान प्राप्त हो सकता है।

इसी के साथ हम इस अपेक्षाकृत लम्बे व रोचक अध्याय को समाप्त करते हैं तथा अगले अध्याय में भारतवर्ष के विदेशी व्यापार की स्थिति का अध्ययन प्रारम्भ करते हैं।



भारत का विदेशी व्यापार व भुगतान संतुलन एवं इनसे सम्बद्ध नीतियाँ

इस अध्याय में हम भारतवर्ष के विदेशी व्यापार के मूल्य, बनावट व दिशा एवं भुगतान संतुलन में हाल ही की प्रवृत्तियों पर बहिष्मक दृष्टिपात करते हुए भारत की आयात-निर्यात नीति व व्यापार में राज्य की भूमिका का अध्ययन करेंगे।

भूमिका

(Introduction)

भारतवर्ष प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार करता रहा है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का अधिकांश व्यापार इंग्लैंड के साथ ही होता था एवं हमारे अधिकांश निर्यात कच्चे माल के व आयात तैयार माल के हुमा करते थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार के मूल्य, बनावट व दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उदाहरणार्थ, सन् 1950-51 में भारत के निर्यात 600 6 करोड़ रु के तथा आयात 650 2 करोड़ रु के थे जिनका मूल्य 1986-87 में बढ़कर क्रमशः 12,566 6 करोड़ रु व 20,083 5 करोड़ रु हो गया था। वर्तमान में भारत का विदेशी व्यापार कुछ ही देशों व वस्तुओं तक सीमित नहीं है। आज भारत के व्यापारिक सम्बन्ध विश्व के लगभग सभी देशों से हैं एवं आयात-निर्यात वस्तुओं की सूची में अब कई हजार वस्तुएँ हैं।

भारत के निर्यातों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक व कृषि क्षेत्रों के उपकरण, हस्तशिल्प, हाथबर्धा, कुटीर व शिल्प वस्तुएँ सम्मिलित हैं। परियोजना निर्यात-जिनमें परामश देना, नगर निर्माण तथा 'टर्न की' आदि शामिल हैं—में गत वर्षों में भारी विकास हुआ है।

इसी प्रकार आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सामग्रियों के आयातों के कारण आयात व्यापार में भी भारी वृद्धि हुई है। आयातित वस्तुओं की सूची में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में हम प्रमुखतया अत्याधुनिक मशीना एवं दुर्लभ कच्चे माल तथा विकास के लिए आवश्यक लूटिकेन्ट तेल और रासायनिक खाद आदि का आयात करते हैं। विकास के लिए भारी मात्रा में आयातों के कारण तथा विरल बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों व उर्वरकों के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण देश का व्यापार सन्तुलन घाटे में चल रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार की भूमिका

(Role of Foreign Trade in the Indian Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में विदेशी क्षेत्र का सामरिक महत्त्व है। भारतीय नियोजन के प्रारम्भ से ही विकास प्रक्रिया की रणनीति किसी न किसी रूप में विदेशी व्यापार के किसी न किसी पहलू से जुड़ी हुई रही है। आयात-प्रतिस्थापन अभिमुख रणनीति तथा निर्यात सम्बद्ध न अभिमुख रणनीति के मध्य चुनाव अथवा इन दोनों रणनीतियों का उपयुक्त संयोग भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास रणनीति का सर्वत्र ही महत्त्वपूर्ण भाग रहा है।

लगभग पिछले एक दशक से भारतवर्ष के निर्यात-मूल्य राष्ट्रीय आय के लगभग 6 प्रतिशत के स्तर पर निरन्तर बन हुए हैं जब कि भारत के आयात 80 के दशक में बढ़कर सकल राष्ट्रीय आय के 10 प्रतिशत तक पहुँच चुके हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में विदेशी व्यापार की निर्णायक भूमिका रही है। तकनीकी, औद्योगिक कच्चे माल, बर्तन-निर्मित माल व दूर वर्षों में खाद्यान्नों के आयात अर्थव्यवस्था के गतगत विकास व स्थायित्व के लिए आवश्यक हैं। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में इन आयातों के अन्तर्वाह (import) की वित्त व्यवस्था हेतु विदेशों से परम्परागत उधार अथवा विदेशी सहायता (मिवाय सीमान्त रूप के) हमारी स्वयं की विदेशी विनिमय अर्जित करने की क्षमता का प्रतिस्थापन नहीं बन सकती है।

आत्मनिर्भरता (Self reliance) प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि हमारे आयातों की वित्तव्यवस्था के लिए हम पर्याप्त मात्रा में वस्तुएँ व सेवाएँ निर्यात करें।

यद्यपि हमने कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है लेकिन निर्यातों के क्षेत्र में आत्म निर्भर होने हेतु हमें अभी काफी प्रयास करने होंगे। अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास व विविधता हेतु हमारे निर्यातों में भारी वृद्धि आवश्यक है।

व्यापार सन्तुलन में असाम्य से आयातों की पूर्ति में विघटन (disruption) पैदा होता है जिससे सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है अतः व्यापार नियोजन में निर्यातों को बनाये रखने एवं इनमें सम्बद्धता को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये ताकि विकास हेतु आवश्यक आयातों के ऋय में कठिनाई न आ पाये।

निर्यातों की भूमिका को एक अर्थ दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, वह यह कि जिस सीमा तक हम आयात-निर्यात के उच्च स्तर पर हमारे व्यापार को सन्तुलित कर सकते हैं उस सीमा तक हमारी अर्थव्यवस्था दक्षता व उच्च उत्पादकता के ऐसे लाभ प्राप्त कर सकती है जिन्हे मात्र आयात-प्रतिस्थापन नीतियों पर पूर्ण निर्भरता द्वारा प्राप्त करना सम्भव नहीं है। निर्यात बाजारों में विक्रय के प्रयासों से गुणवत्ता-सुधार, घरेलू उत्पादन में तकनीकी उन्नति तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए सर्वाधिक प्रेरणाएँ बनी रहती हैं।

इसके अतिरिक्त निर्यात वृद्धि से सम्भव आयात वृद्धि से कीमतें नियंत्रण में रहेगी एवं तकनीकी अनुकूलन प्रोत्साहित होगा जिससे आयातों की लागत घटेगी।

अत स्पष्ट है कि स्वस्थ निर्यात वातावरण हेतु उपर्युक्त समष्टि अर्थशास्त्र नीतियाँ अपनाना आवश्यक है।

भारत का व्यापार सन्तुलन

India's Bot

जैसा कि विदित ही है निर्यातों में से आयातों का मूल्य घटा देने से राष्ट्र का व्यापार सन्तुलन प्राप्त होता है। सारणी 22.1 में हाल ही के वर्षों में भारत के व्यापार सन्तुलन की स्थिति दर्शाई गई है।

सारणी 22.1 से दो तथ्य स्पष्ट दिखाई देते हैं.—प्रथम तो यह कि सन् 1975-76 से सन् 1986-87 की अवधि में तिवाय सन् 1976-77 के भारतवर्ष के व्यापार सन्तुलन में निरन्तर घाटा बना रहा है तथा द्वितीय यह है कि इस घाटे में सन् 1977-78 के पश्चात् तीव्र वृद्धि हुई है। ऐसा प्रमुखतया पेट्रोलियम व तेल उत्पादों के आयातों की लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ है। उदाहरणार्थ, सन् 1982-83 में पेट्रोलियम व तेल उत्पाद का मूल्य कुल आयातों का लगभग 40

सारणी 22.1

भारत के निर्यात आयात व व्यापार सन्तुलन (करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार सन्तुलन
1970-71	1535.2	1634.2	— 99.0
1975-76	4036.3	5264.8	—1228.5
1976-77	5142.3	5073.3	+ 69.0
1977-78	5407.9	6020.2	— 612.3
1978-79	5726.3	6814.3	—1088.0
1979-80	6418.4	9142.6	—2724.2
1980-81	6710.7	12549.2	—5838.8
1981-82	7805.9	13607.6	—5801.7
1982-83	8803.4	14292.7	—5489.3
1983-84	9770.7	15831.5	—6060.8
1984-85	11743.7	17134.2	—5390.5
1985-86	10894.6	19657.7	—8763.1
1986-87	12566.6	20083.5	—7516.9

Source Economic Survey, Govt. of India

प्रतिशत था। यदि हम कुल आयातों में से पेट्रोलियम व लेत उत्पाद के आयात निकाल दें तो भारत के आयातों की वृद्धि सारणी 22.1 द्वारा प्रदर्शित वृद्धि से काफी कम होगी।

लेकिन फिर भी भारतवर्ष के व्यापार सन्तुलन में बढ़ता हुआ घाटा निश्चय ही चिन्ता का विषय है। इस तथ्य का अनुमान इससे लग सकता है कि सन् 1970-71 में हमारे निर्यात 11 माह से अधिक आयातों के भुगतान हेतु पर्याप्त थे जो कि सन् 1975-76 में 9 माह से कुछ अधिक आयातों के भुगतान के लिए व 1980-81 में तो केवल छ माह से कुछ अधिक आयातों के भुगतान के लिए ही पर्याप्त रह गये थे। सन् 1985-86 व 87-88 में भारत वर्ष के निर्यात क्रमशः 6.5 माह व 7.5 माह के आयातों के भुगतान के लिए ही पर्याप्त थे।

भारत के निर्यात (India's Exports)

भारतीय निर्यातों को विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो स्पष्ट होगा कि विश्व निर्यातों में भारत वर्ष का अंश नियोजन की प्रारम्भिक अवधि की तुलना में एक चौथाई से भी कम रह गया है।

नियोजन के प्रारम्भिक दशक के आर्थिक विकास में भारत की निर्यात आय में गतिहीनता (stagnation) की स्थिति बनी हुई थी। इसके विपरीत 1960 के दशक में भारत के निर्यातों में स्पष्ट वृद्धि हुई तथा निर्यातों के कुल मूल्य व मात्रा दोनों में ही चार प्रतिशत से अधिक वार्षिक वृद्धि होती रही।

इन दोनों ही दशकों की अवधि में विश्व निर्यातों में भारी वृद्धि हुई जिसका अभिप्राय यह था कि इस पूरी अवधि में भारत का विश्व निर्यातों में अंश निरन्तर घटता गया। सन् 1950 में भारत विश्व निर्यातों का लगभग 2 प्रतिशत निर्यात करता था। यह अंश सन् 1960 में घटकर 1 प्रतिशत तथा सन् 1970 में केवल 0.65 प्रतिशत रह गया था।¹

लेकिन 1970 के दशक में भारतवर्ष के निर्यातों की वृद्धि पूर्व के दशकों से निश्चय ही अधिक थी क्योंकि इस दशक में भारत के निर्यातों की मात्रा की वार्षिक वृद्धि दर 6 प्रतिशत से अधिक तथा कुल मूल्य की वृद्धि दर लगभग 16 प्रतिशत रही थी। लेकिन फिर भी भारत के निर्यातों का विश्व निर्यातों में अंश गिरता रहा तथा सन् 1980 में यह घटकर 0.42 प्रतिशत रह गया था। निर्यात अंश में इस कमी का प्रमुख कारण इधर के विश्व मूल्य में हुई वृद्धि थी।

यद्यपि सन् 1980 के पश्चात् की अवधि में भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में कमी आई है लेकिन फिर भी भारतवर्ष के निर्यातों का विश्व निर्यातों में अंश 1980 के दशक की प्रथम आधी अवधि में यथास्थिर बना रहा है (यहाँ तक कि इसमें मामूली वृद्धि भी हुई है), वर्तमान में यह अंश 0.5 प्रतिशत से कुछ कम स्तर पर बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण विश्व व्यापार का लगभग यथास्थिर बना रहना है।

¹ See, Nayyar, Deepak—India's Export Performance, 1970—85 : Underlying Factors and Constraints—E and PW Annual No (May, 1987)

समग्र स्तर पर भारत के निर्यातों की वृद्धि दर में सन् 1970-71 से 1986-87 की अवधि में दो अवस्थाएँ (Phases) स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। विशेषज्ञों ने भारत के निर्यातों की वृद्धि के दृष्टिकोण से सन् 1977-78 को विभाजक वर्ष माना है। अतः इस 15 वर्षीय अवधि को दो उप-अवधियों 1970-71 से 1977-78 से 1984-85 में बाँट कर अध्ययन किया जा सकता है।

सारणी-22.2 से स्पष्ट है कि चाहे हम निर्यातों के स्तरों के रूप में मूल्य को लें, चाहे ढालर के रूप में अथवा SDRs के रूप में लें अथवा निर्यातों का मात्रा को लें सन् 1977-78 से 1984-85 की अवधि में सन् 1970-71 से 1977-78 की अवधि की तुलना में निर्यातों की वृद्धि दर घाटी रह गई थी। अतः स्पष्ट है कि 1977-78 से 1984-85 की अवधि में निर्यातों की वृद्धि दर में तीव्र गति से गिरावट आई है। पूर्व अवधि के मिहाबनोवन से ज्ञात होता है कि 1977-78 तक की अवधि की निम्न निर्यात वृद्धि दर पूर्व की अवधि से विचलनमुक्त थी जबकि इससे बाद की अवधि की निर्यात वृद्धि दर इस से पूर्व के दशक की वृद्धि दर के अनुकूल नहीं है।

सारणी . 22.2

भारत के निर्यातों में वार्षिक वृद्धि की औसत दर

कुल निर्यात	1970-71	1977-78	1970-71
	से	से	से
	1977-78	1984-85	1984-85
स्तरों में मूल्य	20.3	11.0	14.4
ढालर मूल्य	17.8	6.1	12.0
एन. डी. आर. मूल्य	15.3	9.5	11.9
मात्रा का सूचकांक	7.5	3.2	5.4

Source . Nayyar, Deepak, op cit; P. AN-77.

लेकिन यह तो निर्विवाद मस्य है कि सन् 1970 के बाद की अवधि की निर्यात वृद्धि दर इस से पूर्व के दशकों से स्पष्टतया अधिक थी। लेकिन साथ ही यह

भी स्पष्ट है कि अर्थ-प्रवस्था की आयात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य के दृष्टिकोण से 1970 के बाद की अवधि की निर्यात वृद्धि दर भी अपर्याप्त थी।

सारणी 22.2 में प्रस्तुत सूचना से स्पष्ट है कि 1970-71 से 1977-78 की अवधि में भारत की निर्यात आय में वार्षिक वृद्धि की औसत दर रुपये के रूप में 20.3 प्रतिशत, डॉलर के रूप में 17.8 प्रतिशत तथा SDRs के रूप में 15.3 प्रतिशत थी जबकि 1977-78 से 1984-85 की अवधि में ये वृद्धि दरें क्रमशः 11 प्रतिशत, 6.1 प्रतिशत तथा 9.4 प्रतिशत थी। प्रथम अवधि में निर्यात वृद्धि की तीव्र दर काफी सीमा तक निर्यातों की मात्रा (Volume) में वृद्धि (58 प्रतिशत) के कारण थी लेकिन इससे इससे भी अधिक योगदान निर्यातों के इकाई मूल्य (122 प्रतिशत) का था।

हमारे अब तक के विश्लेषण में निर्यातों का समग्र स्तर पर अध्ययन किया गया है अब हम निर्यातों की समग्र प्रवृत्तियों के पीछे निहित विभिन्न निर्यात मदों पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

निर्यातों की बनावट

(Composition of India's Exports)

सन 1970-71 के बाद की अवधि के आरंभ के ध्यानपूर्वक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष के निर्यातों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

1. सम्पूर्ण अवधि में तीव्र व सतत वृद्धि वाले निर्यात जैसे फल व सब्जियाँ, कच्चा लोहा, केमिकल्स व सम्बद्ध उत्पाद, रत्न व जवाहरात, गलीचे व आवरण
2. लगभग 1981 तक स्थिर गति से वृद्धि लेकिन तत्पश्चात् गतिहीनता अवस्था घटने वाले निर्यात, जैसे, समुद्री उत्पाद, चमड़ा व चमड़े से निर्मित माल, हस्तशिल्प, धातु से निर्मित माल तथा मशीनरी व परिवहन उपकरण,
3. 1977-78 तक तीव्र वृद्धि दर एवं तत्पश्चात् लगभग गतिहीनता की अवधि जैसे चाय बाँकी काजू की गिरी एवं मसाले
4. पूरी अवधि में वृद्धि लेकिन यदा-कदा गतिहीनता की स्थिति वाले निर्यात, जैसे, जूट से निर्मित माल तथा सूती वस्त्र (इनमें से प्रथम के निर्यातों में तीव्र उच्चावचन हुए हैं जबकि द्वितीय के निर्यातों में स्पष्ट वृद्धि की प्रवृत्ति रही है)।

5. तीव्र उच्चावचन तथा किसी प्रवृत्ति विशेष का अभाव, जैसे, चीनी, चावल खली कपास, लोहा व इस्पात तथा पेट्रोलियम व पेट्रोल उत्पाद। इन सबको हम गौतमी निर्यातों (fair weather exports) की श्रेणी में रख सकते हैं जो अपनी पराकाष्ठा के वर्षों में निर्यातों की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

इसके अनिश्चित भारत के निर्यातों से सम्बन्धित आँकड़ों के अध्ययन से यह भी स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हाल ही के वर्षों में इकोनॉमिस्टों सामान, हस्तशिल्प व सिले मिलाये वस्त्रों के निर्यात कुल निर्यातों का लगभग 35 से 40 प्रतिशत तक रहे हैं।

भारत के आयात

(India's Imports)

भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास के लिए पेट्रोलियम पदार्थों, उर्वरक, इस्पात व लोहा, अलौह धातुएँ, अन्व औद्योगिक कच्चामाल, विशेष प्रकार की मशीनरी तथा पूँजीगत माल, बल पूँज व उपकरण आदि का आयात प्राप्त आवश्यक है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप हमारे खाद्यान्न व कपास के आयातों में भारी कमी हुई है।

भारतवर्ष के आयात सकल राष्ट्रीय आय के लगभग 10 प्रतिशत हैं तथा इस प्रतिशत में विशेषकर सन् 1975-76 में विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई थी।

सन् 1982-83 में भारत वर्ष के कुल आयातों में पेट्रोल व तेल उत्पाद के आयातों का अंश लगभग 40 प्रतिशत था। अतः हमारे आयातों में हाल ही के वर्षों में भारी वृद्धि का मुख्य कारण पेट्रोलियम व तेल उत्पादों के विश्व मूल्य में वृद्धि रही है। यदि हम कुल आयातों में से पेट्रोलियम व तेल उत्पादों के आयातों को निकाल दें तो आयातों में वृद्धि दर उतनी अधिक नहीं रहेगी जितनी इनको शामिल करने पर दिखाई देती है।

भारत के आयातों की बनावट

(Composition of India's Imports)

भारतवर्ष के आयातों को मोटे रूप में तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है उपभोग वस्तुएँ, कच्ची सामग्रियाँ एवं अर्द्ध-निर्मित माल तथा पूँजीगत वस्तुएँ।

भारत के आयातों में मोटे अनाज व इससे तैयार वस्तुओं का आयात सन् 1970-71 में 213 करोड़ रु. था जो कुल आयातों का लगभग 13 प्रतिशत था। यह प्रतिशत सन् 1975-76 में बढ़कर 25.5 तक पहुँच गया था। लेकिन इससे बाद के वर्षों में भारत की कृषि में हुई द्रुतगामी प्रगति के परिणामस्वरूप मोटे अनाज व इससे बनी वस्तुओं के आयात निरन्तर घटते गये तथा सन् 1985-86 में आयातों की इस मद पर केवल 47 करोड़ रु. व्यय किये गये जो कुल आयातों का नगण्य प्रतिशत था।*

पूँजीगत वस्तुओं के आयात हमारे आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं अतः इन वस्तुओं के आयातों में निरन्तर वृद्धि हुई है। सन् 1970-71 में पूँजीगत वस्तुओं के आयात 404 करोड़ रु. थे जो कुल आयातों का लगभग 25 प्रतिशत था। तत्पश्चात् सन् 1984-85 में सामूहिक कमी के भलावा पूँजीगत वस्तुओं के आयातों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। सन् 1986-87 में पूँजीगत वस्तुओं के आयातों का मूल्य 5467 करोड़ रु. से कुछ अधिक था जो कुल आयातों का 27 प्रतिशत से भी अधिक था। इस श्रेणी में गैर-विजनी की मशीनें, मीज़ार व उपकरण शामिल हैं। पेट्रोल पदार्थों के आयातों में सन् 1977-78 के बाद की अवधि में इनकी विश्व कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारी वृद्धि हुई है। इन आयातों का मूल्य सन् 1970-71 में कुल आयातों का 8 प्रतिशत से कुछ अधिक था जो 1982-83 में बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया था। लेकिन सन् 1982-83 के बाद यह प्रतिशत निरन्तर घटता रहा है। सन् 1986-87 में पेट्रोलिम पदार्थों के आयात कुल आयातों का 13 प्रतिशत से कुछ अधिक थे। इस कमी का प्रमुख कारण विश्व बाज़ार में पेट्रोल की कीमतों में गिरावट रहनी है।

हमारे आयातों का एक अन्य महत्वपूर्ण मद उर्वरक व रासायनिक उत्पाद हैं। सन् 1970-71 में उर्वरक व रासायनिक उत्पादों के आयात कुल आयातों का 13 प्रतिशत से कुछ अधिक थे यह अगले 1982-83 में घटकर 8 प्रतिशत रह गया था लेकिन तत्पश्चात् यह पुनः बढ़कर सन् 1986-87 में 16 प्रतिशत से अधिक हो गया था।

इसके अतिरिक्त लोहा व इस्पात, खाद्य तेल, चीनी आदि भी हमारे महत्वपूर्ण आयात मद रहे हैं।

*इस अध्याय के अधिकांश आँकड़ों भारत सरकार के 'Economic survey' से लिये गये हैं।

भारतवर्ष के आयातों के सन्दर्भ में हम यह सकते हैं कि तेल, पेट्रोल व पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक व रासायनिक पदार्थ, पूँजीगत आयात तथा लोहा व इस्पात के आयातों पर सन् 1985-86 में कुल आयातों का लगभग 70 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ था।

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा

(Direction of India's Trade)

भारत के आयातों व निर्यातों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण अन्तर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा का अध्ययन करने हेतु सम्पूर्ण विश्व को मोटे रूप में चार बड़े क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। ये क्षेत्र हैं OECD, आपेक राष्ट्र, पूर्वी यूरोप के राष्ट्र तथा विकासशील राष्ट्र।

सन् 1970-71 के बाद की अवधि में OECD राष्ट्रों को भारत के निर्यातों में वृद्धि हुई है। यद्यपि 1977-78 व 1980-81 में इस वृद्धि में बाधा अवश्य आई थी लेकिन तत्पश्चात् इन देशों को भारत के निर्यातों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। सन् 1986-87 में OECD राष्ट्रों को भारत के निर्यातों का मूल्य लगभग 7126 करोड़ रु. था जो भारत के कुल निर्यातों का लगभग 57 प्रतिशत तथा इस पूरी अवधि में सर्वाधिक अंश था।

इसके विपरीत विकासशील राष्ट्रों को किये जाने वाले भारत के निर्यातों में इतनी अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति नहीं रही है तथा इन राष्ट्रों को किये जाने वाले भारत के निर्यातों में उच्चावचन आते रहे हैं।

पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों को भारत के निर्यातों में सन् 1979-80 में मामूली वृद्धि के पश्चात् सन् 1982-83 में तीव्र वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद के वर्षों में इन राष्ट्रों को भारत के निर्यातों में मामूली वृद्धि की प्रवृत्ति रही है।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों तथा अमेरिका को भारत के निर्यातों में सन् 1981-82 के बाद विशेष वृद्धि हुई है।

जहाँ तक आपेक राष्ट्रों का प्रश्न है, इन राष्ट्रों को किये जाने वाले भारत के निर्यातों में सन् 1981-82 में तीव्र वृद्धि हुई थी लेकिन सन् 1984-85 में इन देशों को भारत के निर्यातों में वृद्धि के पश्चात् इन निर्यातों में गिरावट होती रही है।

एशिया व ओसिनिक राष्ट्रों को भारत के निर्यातों में सन् 1984-85 में तीव्र वृद्धि हुई तथा उसके बाद के वर्षों में भी तीव्र वृद्धि की यह प्रवृत्ति जारी है।

जापान को भारत के निर्यातों में मन्द गति से वृद्धि होती रही है तथा सन् 1984-85 में इन निर्यातों में तीव्र वृद्धि के पश्चात् वृद्धि की प्रवृत्ति जारी है। *आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड का किये जाने वाले भारत के निर्यातों में भी मामूली वृद्धि जारी है।*

अत स्पष्ट है कि भारत के निर्यातों के लिए OECD राष्ट्रों के बाजारों की विशेष महत्ता रही है तथा विश्व अर्थव्यवस्था में गतिहीनता की अवधि में भी इन देशों को भारत ने बड़ी मात्रा में निर्यात किये हैं।

भारत के निर्यातों के दृष्टिकोण से जहाँ तक विभिन्न राष्ट्रों के महत्त्व का प्रश्न है सन् 1970-71 में इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र क्रमशः सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन व सघीय जर्मन गणराज्य थे जबकि सन् 1985-86 में भी यह क्रम लगभग वैसे ही बना हुआ था अन्तर केवल यह था कि रूस व अमेरिका लगभग समान रूप से महत्त्वपूर्ण थे तथा जापान के बाद ऐसी ही स्थिति ब्रिटेन व सघीय जर्मन गणराज्य की थी। यद्यपि सन् 1986-87 में भारतवर्ष के अमेरिका को किये जाने वाले निर्यातों में तीव्र वृद्धि व रूस को किये जाने वाले निर्यातों में तीव्र गिरावट के परिणामस्वरूप अमेरिका ही भारत का सबसे महत्त्वपूर्ण आयातकर्ता राष्ट्र उभरकर सामने आया है।

जहाँ तक भारतवर्ष के आयातों का प्रश्न है OECD राष्ट्रों से भारत के आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है। वास्तव में यह वृद्धि इन राष्ट्रों को किये जाने वाले भारत के निर्यातों से भी अधिक तीव्र गति से हुई है। सन् 1986-87 में OECD राष्ट्रों से भारत ने लगभग 1.5 हजार करोड़ रुपये के आयात किये थे जो कि कुल आयातों का 64 प्रतिशत से कुछ अधिक था।

विकासशील राष्ट्रों से भी भारत के आयातों में वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि OECD राष्ट्रों से आयातों की तुलना में काफी कम रही है। सन् 1985-86 में विकासशील राष्ट्रों से भारत के आयातों में तीव्र व भारी वृद्धि हुई है।

पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों से भारत के आयातों में सन् 1980-81 के पश्चात् तीव्र वृद्धि हुई है यद्यपि इन राष्ट्रों को भारत के निर्यातों में गतिहीनता की स्थिति बनी हुई है।

अधिक राष्ट्रों से भारत के आयातों में सन् 1978-79 से 1982-83 तक तीव्र वृद्धि हुई लेकिन तत्पश्चात् इन आयातों में कमी होने के बाद मामूली वृद्धि हुई है।

भारतवर्ष के आयातों के दृष्टिकोण से सन् 1970-71 में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संघीय जर्मन गणराज्य, सोवियत संघ, ईरान व जापान थे जबकि सन् 1985-86 में ये राष्ट्र क्रमशः अमेरिका, सोवियत संघ, संघीय जर्मन गणराज्य, ब्रिटेन, जापान, ईरान व साऊदी अरब थे।

भारतवर्ष का भुगतान संतुलन

(India's Balance of Payments)

जैसा कि विदित ही है राष्ट्र का भुगतान संतुलन उसके ध्यापार संतुलन से विस्तृत अवधारणा है। भुगतान संतुलन में राष्ट्र के शेष विश्व के साथ समस्त आर्थिक सौदों का लेखा-जोखा सम्मिलित होता है।

राष्ट्र विशेष के भुगतान संतुलन पर टिप्पणी करने से पूर्व तथा इस सम्बन्ध में नीति निर्देश देने से पूर्व यह आवश्यक है कि भुगतान संतुलन के समस्त मदों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाय। सामान्यतया यह पाया गया है कि भुगतान संतुलन से सम्बद्ध नीति की मफारिश करते समय विश्लेषणकर्ता इसके कुछ महत्वपूर्ण मदों पर ही ध्यान केन्द्रित करते हैं एव अन्य मदों को नजरअन्दाज करते रहते हैं। विश्लेषण की यह प्रवृत्ति आमत्र सिद्ध हो सकती है।

भुगतान संतुलन की प्रवृत्तियाँ

(Trends in the BOP)

भारतवर्ष के भुगतान संतुलन में प्रमुख प्रवृत्तियाँ अप्रतिबिम्बित हैं —

सन् 1967-68 से 1973-74 की अवधि में भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति अपेक्षाकृत सुखद थी। मिसाल के तौर पर सन् 1972-73 के अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से विशुद्ध प्रतियों (drawals) के समायोजन (भुगतान संतुलन के अन्तराक्ष की वित्त-व्यवस्था) के पश्चात् इस अवधि में विदेशी विनिमय के चलन घनात्मक थे।

1973 के प्रथम 'तेल भटके' (Oil shock), उर्वरकों व गेहूँ की कीमतों में वृद्धि तथा खाद्यान्नों के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप सन् 1974-75 में भारत वर्ष की स्थिति उसके सर्वोच्च अवनति, प्रथम उधारा अवनति तथा सन् 1974 की तेल मुविध्रा के तहत 485 करोड़ रु. की रशि उधार लेनी पड़ी।

सन् 1975-76 से 1977-78 की अवधि में भारत के भुगतान सन्तुलन की स्थिति पुनः सुखद बनी। विदेशी सहायता का विशुद्ध अन्तर्वाह (net inflow) सन् 1975-76 के 927 करोड़ रु. के स्तर से घटकर 1976-77 में 678 करोड़ रु. रह गया था। व्यापार सन्तुलन अनुकूल होने से तथा विशुद्ध अदृश्य घाधिक्य (invisible surplus) में सतत वृद्धि के परिणामस्वरूप राष्ट्र की आरक्षित निधि में तीव्र वृद्धि हुई।

कोष से प्राप्तियों के अलावा आरक्षित निधि में 1976-77 की तुलना में सन् 1977-78 में और भी अधिक वृद्धि हुई। यह 1800 करोड़ रु. की आरक्षित निधि की वृद्धि प्रमुखतया पर्यटकों से, तकनीकी व परामर्श सेवाओं से तथा विदेश में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषित मुद्राओं (inward remittances) की प्राय से सम्भव हुई।

सन् 1978-79 में IMF से विशुद्ध प्राप्तियों के सिवाय आरक्षित निधि की वृद्धि सन् 1977-78 की तुलना में मात्र घाटी रह गई थी। 1979-80 में भारत के भुगतान सन्तुलन की स्थिति और भी खराब हो गई थी। निर्यातों की मन्द वृद्धि तथा आयातों में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतवर्ष के व्यापार सन्तुलन का घाटा सन् 1978-79 की तुलना में सन् 1979-80 में बढ़कर लगभग डेढ़ गुना हो गया था लेकिन विशुद्ध अदृश्य प्राप्तियों में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार घाटे का अधिकांश भाग दुरुस्त हो गया तथा समग्र व्यापार सन्तुलन का घाटा मामूली रह गया था।

सन् 1979-80 के द्वितीय 'तेल झटके' के परिणामस्वरूप सन् 1980-81 के बाद के वर्षों में भारत के भुगतान सन्तुलन की स्थिति बिगड़ने लगी। व्यापार सन्तुलन का घाटा सन् 1979-80 के 2,724 करोड़ रु. के स्तर से बढ़कर सन् 1980-81 में 5,839 करोड़ रु. हो गया। घाटे की यह वृद्धि दुगने से भी अधिक थी। इस स्तर का भारी व्यापार घाटा सन् 1984-85 तक जारी रहा। विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषित राशि में कमी होनी प्रारम्भ हो गई तथा चालू खाते के घाटे की वित्त व्यवस्था हेतु विदेशी सहायता का विशुद्ध अन्तर्वाह अल्पमान बना रहा अतः राष्ट्र को IMF से 'ट्रस्ट फण्ड' सहायता सहित 814 करोड़ रु. की सहायता लेनी पड़ी।

सन् 1981-82 में भारत के भुगतान सन्तुलन की स्थिति अत्यधिक खराब हो चुकी थी तथा विदेशी विनिमय की आरक्षित निधि में 2,156 करोड़ रु. की कमी हो गई अतः भारतवर्ष को IMF की 'विस्तृत कोष सुविधा' (EFF) से सहायता लेनी पड़ी। इस सुविधा के तहत भारतवर्ष को 5 बि. SDRs (लगभग 5.65 बि. डॉलर)

का ऋण लेना पड़ा। यह ऋण 9 नवम्बर 1981 से तीन वर्षों की अवधि में सरकार के विदेशी व्यापार में समायोजन हेतु प्रदान किया गया था।

सन् 1981-82 में भारत ने IMF से 'विस्तृत कोष सुविधा' के तहत 637 करोड़ रु. प्राप्त किये। अदृश्य मदों से विशुद्ध प्राप्तियाँ सन् 1980-81 तक वृद्धि की प्रवृत्ति के पश्चात् सन् 1981-82 से पूर्व के वर्षों के 4,311 करोड़ रु. के स्तर से घटकर 3,804 करोड़ रु. रह गई थी। भुगतान सतुलन के पूंजी खाते में सुधार हेतु सन् 1982-83 के केन्द्रीय बजट में प्रवासी भारतीयों (NRI) को जमाओं व विनियोग हेतु उदार सुविधायें प्रदान की गईं।

कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में भारी वृद्धि से तेल आयातों में कमी के परिणाम-स्वरूप तेल के आयातों पर व्यय में कटौती ने व्यापार सतुलन के घाटे को सन् 1981-82 के 5,801 करोड़ रु. के स्तर से घटाकर 1982-83 में 5,489 करोड़ रु. के बराबर ला छोड़ा।

सन् 1982-83 में विशुद्ध अदृश्य प्राप्तियाँ सन् 1981-82 के 3,804 करोड़ रु. के स्तर से घटकर 3,480 करोड़ रु. रह गई थी। विदेशी विनिमय की आरक्षित निधि में 1122 करोड़ रु. की कमी इससे पूर्व के वर्षों की कमी से घाघी थी। कुल मिलाकर भुगतान सतुलन की स्थिति में कुछ सुधार हुआ था।

सन् 1983-84 में भुगतान सतुलन की स्थिति में सुधार जारी रहा। इस वर्ष में विदेशी विनिमय की आरक्षित निधि में केवल 153 करोड़ रु. की कमी हुई। यद्यपि सन् 1982-83 की तुलना में व्यापार सतुलन का घाटा कुछ अधिक था लेकिन विशुद्ध अदृश्य प्राप्तिओं में वृद्धि हुई थी। प्रवासी भारतीयों को प्रदत्त विनियोग की सुविधाओं में और अधिक सुधार किया गया। सन् 1983-84 की एक प्रमुख बात विदेशी सहायता के विशुद्ध अन्तर्वाह में सन् 1982-83 के 936 करोड़ रु. के स्तर से सन् 1983-84 में कमी होकर 723 करोड़ रु. हो जाना था। इस कमी का प्रमुख कारण सकल उपभोग में कमी व ऋण सेवा भार की वृद्धि था।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 30 अप्रैल सन् 1983 तक 'विस्तारित कोष सुविधा' के तहत भारतवर्ष ने कुल 3.9 बि. SDR का ऋण प्राप्त किया, लेकिन भुगतान सतुलन में सुधार के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 1 मई सन् 1984 को IMF से उपलब्ध शेष 1.1 बि. SDR के ऋण प्रदग्ध के समापन का निर्णय लिया। सन् 1984-85 में राष्ट्र के भुगतान सतुलन में काफी सुधार हुआ। इस सुधार का प्रमुख

कारण राष्ट्र के आयातों में कटौती व निर्यातों में भारी वृद्धि थी। यद्यपि विशुद्ध अदृश्य अन्तर्वाह पूर्व के वर्षों से कुछ कम रहा। पूर्वोक्त खाते में प्रवासी भारतीयों की जमा भी पूर्व के वर्षों से कुछ कम रही।

सन् 1985-86 में स्थिति पुनः पलट गई। इस वर्ष में विदेशी विनिमय की आरक्षित निधि की वृद्धि केवल 577 करोड़ रु थी जो 1984-85 के 1,271 करोड़ रु की वृद्धि से प्राचीन से भी कम थी। इस मन्द वृद्धि का प्रमुख कारण राष्ट्र के व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि थी। सन् 1985-86 में भारतवर्ष का व्यापार घाटा 1984-85 के 5,390 करोड़ रु के स्तर से बढ़कर 8,763 करोड़ रु हो गया था। व्यापार घाटे की इस वृद्धि का प्रमुख कारण कच्चे तेल के निर्यातों में कमी थी। राष्ट्र के कच्चे तेल का निर्यात सन् 1984-85 के 1,563 करोड़ रु के स्तर से घटकर सन् 1985-86 में मात्र 135 करोड़ रु रह गया था। सन् 1985-86 में राष्ट्र की विशुद्ध अदृश्य प्राप्ति, बढ़े हुए विदेशी ऋणों पर ब्याज की अदायगी तथा निजी हस्तान्तरण में कमी के कारण घट गई थी। सन् 1985-86 में विदेशी सहायता का विशुद्ध अन्तर्वाह 2,429 करोड़ रु था जबकि सन् 1984-85 में यह अन्तर्वाह 1,707 करोड़ रु ही था।

अत स्पष्ट है कि 1970 व 80 के दशक में भारतवर्ष के भुगतान सतुलन में उतार-चढ़ाव प्रमुखतया आयातित तेल की कीमतों, विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा प्रेषित राशि तथा कच्चे तेल के आयात प्रतिस्थापन के कारण हुए हैं। भुगतान सतुलन में स्थायित्व बनाये रखने में राष्ट्र के निर्यातों को महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कभी भी राष्ट्र की विदेशी विनिमय की आरक्षित निधि में वृद्धि हुई तो आयातों को उदार किया जाता रहा। इसी प्रकार कच्चे तेल के आयात प्रतिस्थापन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया।

संक्षेप में हम यह सकते हैं कि भारतवर्ष को समय समय पर भुगतान सतुलन पर दबाव की स्थिति का सामना करना पड़ा है। उदाहरणार्थ, सन् 1951-52, 56-57, 57-58, 64-65 से 1967-68, 1974-75, 1980-81 तथा 1981-82 तथा हाल ही के तीन वर्षों में भारत के भुगतान सतुलन पर विशेष दबाव बना रहा है। सन् 1951-52, 1956-57, 1957-58 तथा 1964-67 में भुगतान सतुलन पर दबाव का प्रमुख कारण घरेलू अर्थव्यवस्था के विकास के परिणामस्वरूप आयातों की वृद्धि थी। इसके विपरित सन् 1974-75, 1980-81 व 81-82 में भुगतान सतुलन पर दबाव का कारण सन् 1973 व 1979 के 'तेल-कीमत अटके'

गत वस्तुओं के क्षेत्र में विनियोग के ढाँचे से न केवल उपलब्ध निवेशयोग्य सहायनों पर तनाव उत्पन्न हुआ अपितु आयातों की आवश्यकता में भी अभिवृद्धि हुई। इस दुष्कर स्थिति के परिणामस्वरूप निर्यात-निराशा के बावजूद यह अधिकाधिक मटसूस किया जाने लगा कि यदि भारतीय अर्थ-व्यवस्था को आत्मनिर्भरता (Self Reliance) का लक्ष्य प्राप्त करना है तो विकास हेतु आवश्यक आयातों की वित्त व्यवस्था निर्यात-आय से ही सम्भव है। अतः निर्यात वृद्धि के महत्त्व का कुछ प्रहसास हुआ।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि आयात-प्रतिस्थापन की व्यूहरचना स्वीकार कर लेने के पश्चात् राष्ट्र के समक्ष दो विकल्प थे — प्रथम विकल्प प्रशुल्क, कर व व्याज-दर जैसी राजकोषीय व मौद्रिक नीतियाँ अपना कर आयात प्रतिस्थापन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का था जबकि द्वितीय विकल्प लाइसेंस, नियन्त्रण एवं आयातों पर अन्वय प्रतिबन्ध लगाकर तथा कुछ प्रशुल्क व गैर-प्रशुल्क उपायों से स्वतंत्र व्यापार में हस्तक्षेप द्वारा संरक्षण प्रदान करने का था।

इन दोनों विकल्पों में से भारतवर्ष ने व्यापार-हस्तक्षेप की नीति का विकल्प अपनाया था। सम्भवतः सन् 1956-57 के भारी विदेशी विनिमय संकट तथा आयात नियंत्रणों से सम्बद्ध कड़े उपाय अपनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र ने यह निर्णय लिया। 50 के दशक के प्रतिम वर्षों तथा 60 के दशक के प्रारम्भिक वर्षों में सरकारों व्यापार में भारी हस्तक्षेप की स्थिति विद्यमान थी। इस अवधि में व्यापार हस्तक्षेप लघु करने हेतु अनेक एजेन्सियों का प्रादुर्भाव हुआ जैसे आयात-निर्यात के प्रमुख नियंत्रक का कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, आवश्यक प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेन्सियों स्वदेशी निकासी प्रमाण-पत्र, आदि। डा० पंचमुखी (Panchamukhi) ने ठीक ही लिखा है कि, "सन् 1956 से 62 की अवधि स्पष्टतया ऐसी अवधि थी जिसमें व्यापार व घरेलू उत्पादन दोनों से सम्बद्ध आयात प्रतिस्थापन के प्रति भारी झुकाव बानी रणनीति अपनाई गई। वास्तव में भारतवर्ष की नीति प्रणाली के विशेषणकर्ताओं ने इस अवधि को अत्यधिक व अ-व्याधुन्ध (excessive and indiscriminate) आयात प्रतिस्थापन अभिमुख नीति वाली अवधि कहा है।"²

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से भारतवर्ष की विदेशी व्यापार नीति को भारी आयात-प्रतिस्थापन वाली नीति के साथ-साथ प्रथम बार निर्यात-अभिमुख नीति

2 Panchamukhi, V R — Foreign Trade and Trade Policies—Published in Brahma-
nand P R & Panchamukhi V R edit, "The Development Process of the Indian
Economy Himalaya Publishing House, Bombay 1987, p. 500

के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। अतः प्रथम बार निर्यातों की भूमिका से सम्बद्ध बोध (Perception) में स्पष्ट परिवर्तन उभर कर सामने आया। इस योजना में निर्यातों को उच्च प्राथमिकता प्रदत्त की गई तथा नीति से सम्बद्ध इस परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप निर्यात सम्बद्धान के कई उपाय अपनाये गये। लेकिन नीति के इस परिवर्तन से उद्योगीकरण अथवा विकास की व्यूहरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया एवं निर्यात सम्बद्धान की यह पहल निश्चय ही परिस्थितों जनक सुधारक उपाय ही थी।

साठ के दशक के मध्य के वर्षों में कमजोर फसल तथा निरन्तर सूखे की स्थिति के कारण हमें बाह्यिक योजनाएँ बनाकर 'नियोजन छुट्टी' की स्थिति का सामना करना पड़ा तथा व्यापार-नीति को अल्पकालीन सकट के प्रबन्ध हेतु प्रयुक्त करना पड़ा। अतः 1966-69 की अवधि की व्यापार नीति अल्पकालीन सरकारों की भाँति प्रमुखतया अर्थव्यवस्था में पुनः समायोजन के उद्देश्य एवं इसे पुनः विकास पथ पर लाने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

सन् 1971 के पश्चात् भारत की व्यापार नीति को निर्यात सम्बद्धान हेतु एक नया आयाम दिया गया तथा निर्यातकर्ताओं को सेवायें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कई सगठन सृजित किये गये। 70 के दशक में निर्यात सम्बद्धान परिपक्व, बरतु बोर्ड एवं व्यापार विकास प्राधिकरण (TDA) की स्थापना इसी दिशा में उठाये गये कदम थे।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में निर्यातों पर जोर देने का पुनरवलोकन (review) किया गया लेकिन निर्यातों की प्रवृत्ति भी आयातों की वित्त-व्यवस्था के साधन के रूप में तथा विदेशी सहायता पर निर्भरता को उत्तरोत्तर घटाने के उपाय के रूप में लिया गया। आयात प्रतिस्थापन से सम्बद्ध प्रमुख चिन्ता का विषय ऐसे प्रतिस्थापन वाली परियोजनाओं में लम्बी सगर्भता (long gestation) तथा विद्यमान उत्पादन क्षमता का अपूर्ण उपयोग था।

सन् 1975 तक की अवधि अत्यधिक सरक्षणवाद, नियन्त्रणों व प्रतिबन्धों की नीतियों के प्रति बढ़ती हुई बेचैनी तथा विभिन्न निर्यात सम्बद्धान परिपक्वों की क्रिया-विधि की प्रयोज्यता के अहसास की अवधि थी अतः सन् 1975 से 79 की अवधि में व्यापार नीति के विभिन्न आयामों के मूल्यांकन हेतु कई समितियाँ व कार्यकारीदल (task forces) स्थापित किये गये।

इन समितियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति 'आयात-निर्यात नीतियों व क्रियाविधि' पर डा० पी. सी. एलेक्जेंडर (Dr. P.C. Alexander) समिति थी। इस समिति ने जनवरी सन् 1978 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा सन् 1978 में उद्घोषित व्यापार नीति में इस समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया।

एलेक्जेंडर समिति कि प्रमुख सिफारिशों निम्न थी :-

- (1) इस समिति ने आयात-निर्यात नीति को सरलीकृत करने हेतु सिफारिश की कि वस्तु-आयातों को निषिद्ध (banned), प्रतिबन्धित (restricted) व खुले सामान्य लाइसेंस (OGL) की तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है तथा प्रथम दो श्रेणियों का नीति पुस्तिका में उल्लेख कर दिया जाय जबकि तृतीय श्रेणी को खुली समाप्ति (open ended) वाली पुस्तिका में रखा जाये व इनका नीति पुस्तिकाओं में उल्लेख न किया जाये,
- (2) यह भी सुझाव दिया गया कि समय के साथ लाइसेंस व्यवस्था का अर्थव्यवस्था के लिए बाह्यनीय प्रशुल्क व्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापन किया जाये,
- (3) समिति द्वारा निर्यात उपदानों के यौक्तिकीकरण (rationalization) हेतु वैज्ञानिक मानदण्ड भी प्रतिपादित किये गये;
- (4) समिति ने महसूस किया कि व्यापार को सरकारी दायरे में लेने की योजना (Scheme of Canalisation) अपने निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही है अतः इस योजना के पुनरीक्षण करने व इसके पूर्ण नवीनीकरण की आवश्यकता है;
- (5) आयात सम्बर्द्धन परिपक्षो, व्यापार विकास प्राधिकरण (TDA) तथा अन्य निर्यात सेवा सगठनों की भूमिका का पुनरीक्षण किया गया तथा यह सुझाव दिया गया कि इन सगठनों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराने में प्रीर अधिक प्रभावी होना चाहिए,
- (6) समिति ने इस प्रीर भी ध्यान दिलाया कि व्यापार अथवा घरेलू उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण के अक्सर प्रदान न होने वाला अत्यधिक सरक्षणवाद आत्मघाती (self defeating) तथा राष्ट्रीय ससाधनों के अकुशल उपयोग को प्रेरित करने वाला हो सकता है,
- (7) समिति ने स्वीकार किया कि भारतीय उद्योग ऐसी अवस्था में पहुँच चुके हैं

जहाँ वे विदेशी प्रतियोगिता के मुकाबले में टिक सकते हैं तथा यह भी महसूस किया गया कि सरकारी व निजी दोनों ही क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कुशलता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। अतः समिति ने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में अभिवृद्धि करने तथा OGL में शामिल मदों की सूची विस्तृत करने का सुझाव दिया।

व्यापार नीति के प्रचालन का पुनरीक्षण करने हेतु इस अवधि में कुछ अन्य समितियाँ भी गठित की गईं। इनमें 'पूँजीगत माल के नियमन' से सम्बद्ध सोधी समिति (Sondhi Committee) ने स्वीकार किया कि भायातों पर ऊँची प्रशुल्क दरों के कारण पूँजीगत माल की लागत बहुत अधिक है। अतः इस समिति ने पूँजीगत माल पर प्रशुल्क की अधिकतम दर 40 प्रतिशत तक रखने की सिफारिश की।

सन् 1979 में श्री प्रकाश टंडन (Prakash Tandon) की अध्यक्षता में टंडन समिति (Tandon Committee) नियुक्त की गई। इस समिति को निर्यात सम्बन्धन के उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया तथा समिति ने जनवरी 1981 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नांकित थी —

- (1) निर्यात घरानों को निर्यात सम्बन्धन हेतु निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये आवश्यक निधि व प्रतिबन्धित मदों के भायातों की अनुमति दी जानी चाहिए,
- (2) लाइसेंसमुदा क्षमता पर प्रतिबन्ध के बावजूद भी एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापार प्रेरितसेज एक्ट (MRIP) वाली कम्पनियों सहित औद्योगिक उपक्रमों में 'निर्यात उत्पादन' को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए,
- (3) नवीनतम तकनीकों के अधिक उदार भायातों की सुविधा निर्यात उद्योगों को भी प्रदान की जानी चाहिए,
- (4) नियम क्षेत्र में निर्यातों से अर्जित आय की सीमा तक कर साख (tax credit) की योजना को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए,
- (5) निर्यात-अभिमुख उद्योगों को कच्ची सामग्री व अर्द्ध-निर्मित माल पर उत्पादन कर को छूट दी जानी चाहिए,
- (6) ऐसे उद्योग जिन्होंने तीन वर्षों तक अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात किया हो उन्हें पूँजीगत वस्तुओं के भायातों पर प्रशुल्क छूट दी जानी चाहिए,

- (7) समिति ने सुझाव दिया कि निर्यात प्रक्रिया में उत्पादन से लेकर विपणन अवस्था तक एकीकृत कार्यक्रम अपनाया जाए,
- (8) राष्ट्रीय राज्य एवं निगम स्तर पर निर्यात नियोजन निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए,
- (9) समिति ने एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश यह की कि ऐसे मद्दों को पहचाना जाना चाहिए जिनके निर्यातों की सम्भाव्यता अधिक है तथा ससाधनों का अनेक छोटे-छोटे मद्दों पर अव्यय करने की बजाय निर्यात प्रयासों को इन सम्भाव्य निर्यात मद्दों पर केन्द्रित किया जाना चाहिए ।

ध्यान रहे टडन समिति का प्रमुख उद्देश्य निर्यात सम्बद्धन हेतु उपाय सुझाना था अतः इस समिति ने इसी उद्देश्य को सर्वोपरि माना जिससे इस समिति की सिफारिशों कुछ सीमा तक भारतवर्ष की विकास व्यूह रचना से सगत नहीं रह पाई ।

विदेशी व्यापार से सम्बद्ध अन्य समितियों में से निर्यात सम्बद्धन परिषद् के प्रचालन पर वेंकटरमण समिति (Venkataraman Committee) ने इंगित किया कि इन परिषद् की विविधता ने उत्पाद विकास सलाह, उत्पाद रूपांतरण, तकनीकी अगीकरण, अन्य देशों में विपणन नीति व प्रक्रिया आदि से सम्बद्ध सूचनाएँ आदि सेवाएँ प्रदान करने के कार्य का ठीक से सम्पादन नहीं किया है । समिति ने इस ओर भी ध्यान दिया कि इनमें से अधिकांश परिषदें निर्यातकर्ताओं की शिकायतों एवं उनकी उपदानों के लिए वकालत हेतु मात्र समाशोधन गृहों (clearing houses) के कार्य का सम्पादन कर रही थीं ।

अन्य समितियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति निर्यात नीतियों पर आबिद हुसैन समिति (Abid Hussain Committee) थी । इस समिति ने सन् 1985 के प्रारम्भ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा भारत सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को तुरन्त प्रभाव से सन् 1985-88 की त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति में सम्मिलित कर लिया था । आबिद हुसैन समिति की प्रमुख सिफारिशें प्रणालिखित हैं —

- (1) नीति में निश्चितता व स्थायित्व लाने हेतु आयात-निर्यात नीति एवं सात तीन वर्ष के लिए बनाई व लागू की जानी चाहिए,
- (2) प्रशुल्क वापसी (duty drawback) योजना की बहु-दरों व समय से सम्बद्ध अनिश्चितता को समाप्त कर इसे यत्किंसगत बनाया जाना चाहिए

- (3) रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (REER) को प्रथिमूल्यनयुक्त नहीं बने रहने देना चाहिए तथा इसे ऐसे उपयुक्त स्तर पर बनाये रखा जाना चाहिए जिससे राष्ट्र के निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रह सके,
- (4) नकद क्षतिपूरक योजना (Cash Compensatory Scheme) को भी युक्तिसंगत बनाकर निर्यातकर्ताओं को उनके द्वारा चुकाये गये अप्रत्यक्ष करों की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए तथा CCS को निर्यातकर्ता की कर योग्य आय में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए,
- (5) आयात-निर्यात पुस्तिका (Import Export Pass book) प्रणाली को स्थायी आयात-आपूर्ति-लाइसेंस के रूप में प्रारम्भ किया जाना चाहिए,
- (6) आयातों को चयनात्मक व युक्तिसंगत मानदण्ड के आधार पर ही सरकारी दायरे में लाना चाहिए;
- (7) आधुनिकीकरण हेतु विदेशों से कुशल तकनीकी आयातों को OGL के अन्तर्गत व आयात करों में छूट देकर आयात करने दिया जाना चाहिए,
- (8) आयात लाइसेंस की विभिन्न श्रेणियों को सरलिकृत करके OGL, 'सीमित अनुमति वाली सूची' तथा 'निषिद्ध सूची' में शामिल कर दिया जाना चाहिए,
- (9) आयात लाइसेंस प्रणाली के स्थान पर प्रशुल्क प्रणाली लागू करने हेतु प्रशुल्क की प्रभावी दर के रूप में इस तरह की प्रशुल्क प्रणाली होनी चाहिए जिससे प्रशुल्क वृद्धि की श्रेणी कम हो सके;
- (10) बल्क मर्चो (Bulk items) के आयात प्रतिस्थापन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रथम त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति (१९८५-८८)

(First Three-yearly Exim Policy—Apr. 1 1985-March 88)

भाविष्य हित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करते हुए भारत सरकार ने अप्रैल 1985 में प्रथम त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति घोषित की। इससे पूर्व यह नीति वार्षिक आधार पर तैयार की जाती थी।

भारत सरकार की त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति का प्रमुख उद्देश्य आयात-निर्यात नीति में 'निरन्तरता व स्थायित्व' लाना था। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य प्रयत्नित थे :—

- (1) आयात-निर्यात नीति में स्थायित्व लाना,
- (2) आयातित्त उपादानों (inputs) की आसानी से व शीघ्रतापूर्वक व्यवस्था करके उत्पादन वृद्धि को सुसाध्य बनाना,
- (3) निर्यातों के उत्पादन का आधार सुरक्षित करना तथा निर्यातों में भारी वृद्धि हेतु प्रयास करना,
- (4) स्वदेशी उत्पादन विवसित करने हेतु आयातों में यथा सम्भव बचत करना तथा कुशल आयात-प्रतिस्थापन करना,
- (5) उत्पादन में तकनीकी उत्थान व आधुनिकीकरण को सुसाध्य बनाना, तथा
- (6) लाइसेंस में कमी करना, क्रियाविधि (Procedures) को सरल व कारगर बनाना तथा निर्णय-प्रक्रिया में कमी करना ताकि समय व ससाधनों के रूप में लागत में कमी आ सके ।

प्रथम त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति के उद्देश्यों के अनुरूप भारत सरकार ने विदेशी व्यापार को उदार बनाने हेतु कई कदम उठाये । इन उपायों को हम मोटे रूप से दो भागों में बाँट सकते हैं - प्रथम तो सरकार ने आयात प्रणाली (import regime) को घोर अधिक उदार बनाया तथा द्वितीय विशेषकर पूँजीगत वस्तुओं के लिए अर्थव्यवस्था को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हेतु खुला रखने का निर्णय लिया ।

नई नीति की प्रमुख बातें

(Major features of the EXim Policy)

नई आयात-निर्यात नीति में उदारता हेतु अप्रलिखित कदम उठाये जाने का प्रस्ताव रखा गया —

प्रथम कदम के अनुसार आयातकों की विशिष्ट श्रेणी के आयातों को उदार बनाना था । इस श्रेणी के प्राथमिकता समूह इस प्रकार थे : (1) पजीकृत निर्यात उत्पादक, (ii) विस्थापित व्यापार घराने, तथा (iii) सरकारी विभाग, बैंक एवं सार्वजनिक उपक्रम ।

इन समूहों को प्रदत्त उदारताओं का रूप इस प्रकार था :—

मदों में चमड़ा उद्योग की मशीनें, जूट मशीनरी, कैंनिंग व पेन निर्माण (canning and pen-making) मशीनें, फोटोमोवील निर्माण हेतु मशीनें, तेल क्षेत्र सेवाएँ (oil field services) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्माण के मद शामिल हैं।

कम्प्यूटर सिस्टम की आयात नीति को उदार बनाकर 10 लाख रु. से कम (cif) लागत के कम्प्यूटर अथवा कम्प्यूटर सिस्टम को स्वयं उपयोग हेतु OGL के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया।

53 मदों के आयातों को सरकारी दायरे से बाहर (de-canilised) लाया गया है। इनमें से 17 मदों को OGL की श्रेणी में 20 को सीमित अनुमति वाली सूची तथा 16 को प्रतिबन्धित सूची में हस्तांतरित किया गया है।

लेविन घरेलू उत्पादन की उपलब्धि को मद्देनजर रखते हुए कच्ची सामग्री व कल-पूर्वों के 7 मदों को सीमित अनुमति वाली सूची से प्रतिबन्धित मदों वाली सूची में तथा 67 मदों को OGL अथवा स्वचालित अनुमतिवाली सूची (APL) से सीमित अनुमति वाली सूची में हस्तांतरित कर दिया गया है। इन मदों में मारबल, फोमिक एसिड, कुछ लैम्प (Lamps), लोहा व इस्पात कास्टिंग, बिना टेप वाली विद्युत बंसेट वाचमैन, छपाई की स्याही आदि शामिल हैं।

द्वितीय त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति (१९८८-९१)

(The Second Three-yearly Exim Policy)

प्रथम त्रिवर्षीय नीति के उद्देश्यों तथा निर्यात एवं औद्योगिक क्षेत्र में आयात-निर्यात नीति की महत्वपूर्ण भूमिका को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 30 मार्च सन् 1988 को सन् 1988-91 की त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति घोषित की। द्वितीय त्रिवर्षीय व्यापार नीति के चार प्रमुख उद्देश्य थे—

- (1) आयातित आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं, उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री व कल-पूर्वों को आसानी से उपलब्ध करवाकर तथा आधुनिकीकरण की दिशा में चलन को जारी रखने हेतु तकनीकी उन्नति एवं उद्योगों को उत्तरोत्तर विश्व बाजार में प्रतियोगी बनाने हेतु औद्योगिक विकास को प्रेरित करना,
- (2) नुशात आयात-प्रतिस्थापन एवं आत्म निर्भरता में सम्बद्धन करना,
- (3) प्रेरणाओं की गुणवत्ता व इनके प्रशासन में सुधार करके निर्यात-सम्बद्धन को नई प्रेरक शक्ति (impetus) प्रदान करना,

अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त सभी उपाय प्रथम त्रिवर्षीय नीति को मजबूत बनाने की दिशा में कदम हैं।

त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति का मूल्यांकन (Evaluation of the Three-yearly Exim Policies)

प्रथम त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति एक सतुलित नीति थी। यह न तो प्रति उदार थी और न प्रति कठोर या प्रतिबन्धात्मक।

त्रिवर्षीय नीति अपनाकर सरकार ने भारत की व्यापार नीति का औद्योगिक व राजकोपीय नीति से समन्वय स्थापित किया था। यह नीति उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में दीर्घकालीन नियोजन में सहायक सिद्ध होनी थी। इस नीति से तकनीकी प्रगति, निर्यात सम्बद्ध न व आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलना था। इस नीति के माध्यम से राष्ट्र की नई आर्थिक नीति व नई व्यापार नीति के प्रमुख उद्देश्यों से समन्वय स्थापित किया गया था। इन दोनों ही नीतियों के पीछे निहित भावना प्रतिबन्धों को कम करना व उदारता वाले उपाय अपनाना थी।

इस नीति में उत्पादकों व निर्यातकों के लिए आयात-निर्यात पुस्तिका की योजना प्रारम्भ करने के परिणामस्वरूप कच्चे माल का आयात आसानी से व बिना विलम्ब के होने लगा है अतः यह योजना त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति की सर्वाधिक भावपूर्ण विशेषता कही जा सकती है।

जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है द्वितीय त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति के पीछे निहित आघारभूत उद्देश्य उदार व्यापार नीति का अनुसरण करना तथा प्रथम त्रिवर्षीय नीति के उद्देश्यों को और अधिक कारगर बनाना था।

लेकिन नीति विश्लेषणकर्ताओं ने त्रिवर्षीय व्यापार-नीतियों में अनेक कमियाँ इंगित की हैं जिनमें से प्रमुख प्रमल्लिखित है :—

- (1) सन् 1988-91 की त्रिवर्षीय व्यापार-नीति की उदारता के फलस्वरूप आयातों में होने वाली वृद्धि से जनित व्यापार घाटे की पूर्ति राष्ट्र के समस्त गम्भीर समस्या खड़ी कर सकती है। सरकार की भाव्यता है कि इस तरह के घाटे को राष्ट्र के पास उपलब्ध विदेशी विनिमय भण्डारों से सम्भव वित्त-व्यवस्था तथा उदार आयात नीति के फलस्वरूप विरसित राष्ट्रों व सहायता प्रदानकर्ता बहुराष्ट्रीय एजेंसियों से उपलब्ध सहायनों तक ही सीमित रखा जायेगा।

इसी के साथ हम राष्ट्र की व्यापार नीतियों का विश्लेषण समाप्त करके इस अध्याय के शेष भाग में भारत के विदेशी व्यापार में राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation) की भूमिका व भारतवर्ष में विनिमय नियन्त्रण की सशक्त चर्चा की ओर अग्रसर होने हैं।

राज्य व्यापार निगम

(State Trading Corporation)

भारत के आयात-निर्यात व्यापार में सरकारी मानेशरी को बढ़ावा देने हेतु सरकारी क्षेत्र में कई एजेंसियाँ स्थापित की गई हैं। राज्य वित्त निगम ऐसी एजेंसियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

भारतीय राज्य व्यापार निगम का पञ्जीकरण भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत 18 मई सन् 1956 को किया गया था। निगम का प्रमुख कार्य भारत के निर्यात व्यापार के क्षेत्र को व्यापक बनाना और देश के लिए आवश्यक सामान के आयातों की व्यवस्था करना है। लघु उद्योगों को व्यापार के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए निगम काफ़ी सहयोग देता है। निगम की प्रारम्भिक प्रदत्त पूँजी 1 करोड़ रुपये थी जो 1981-82 में बढ़कर 15 करोड़ रु. हो चुकी थी।

निगम का उद्देश्य सरकार की ओर से ऐसी वस्तुओं के निर्यातों को जानु करना व कारगर बनाना है जिनका निर्यात प्राविधिकता के दृष्टिकोण (technically) से कठिन था, उदाहरणार्थ, छोटे पैमाने के उत्पाद, मूँगफली, तेल, केक (cakes), चाँदी, चीनी आदि के निर्यात। साथ ही निगम को उर्वरक, धातु, खनिज तथा कच्चे माल व अर्द्ध-निर्यात माल के आयातों का कार्य निम्नी व्यापारियों तथा उद्योगों की ओर से (on behalf of) सम्पादित करना था। समय के साथ निगम के दायरे में आने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत बढ़ी हो चुकी है। इसके प्रतिरिक्त व्यापार निगम को विदेशों की सरकारी एजेंसीयों तथा विदेशी व्यापार के एकाधिकार वाले समझौते से व्यापार सम्पादन का कार्य भी सौंपा गया था।

राज्य व्यापार निगम की प्रगति

(Progress made by the STC)

राज्य व्यापार निगम साम्यवादी ब्लॉक के राष्ट्रों के साथ वस्तु विनिमय के

समझौते के माध्यम से व्यापार बढ़ाने में काफी सफल रहा है तथा पश्चिमी राष्ट्रों में निगम ने निजी व्यापार सम्बन्धों से सम्बन्ध स्थापित किये हैं।

सन् 1979-80 में राज्य व्यापार निगम का कुल कारोबार (turn over) 1661 करोड़ रु. था जो सन् 1987-88 में निगम के उस वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार बढ़कर 3646 करोड़ रु. हो चुका था। सन् 87-88 में निगम का कुल कारोबार अब तक का सर्वाधिक व सन् 1986-87 के 2735 करोड़ रु. के कारोबार से 33 प्रतिशत अधिक था।⁴

भारत के निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार निगम का अंश 1956-57 में मात्र 1 प्रतिशत था। यह अंश सन् 1975-76 में 20 प्रतिशत तक पहुँच कर सन् 1985-86 में मात्र 5 प्रतिशत रह गया था। राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किये गये निर्यात सन् 1979-80 में 642 करोड़ रु. मूल्य के थे जो सन् 1987-88 तक घटकर 581 करोड़ रु. रह गये थे। लेकिन सन् 1987-88 के निर्यातों का मूल्य सन् 1986-87 के 542 करोड़ रु. के मूल्य से 7 प्रतिशत अधिक था।

राज्य व्यापार निगम के आयात सन् 1979-80 में 1010 करोड़ रु. मूल्य के थे जो सन् 1987-88 में बढ़कर 3037 करोड़ रु. मूल्य के हो चुके थे। निगम के आयातों का यह मूल्य हाल ही के वर्षों में सर्वाधिक तथा सन् 1986-87 के 2179 करोड़ रु. के स्तर से 39 प्रतिशत अधिक था। हाल ही के वर्षों में निगम राष्ट्र के कुल आयातों का 10 से 12 प्रतिशत तक आयात करता रहा है।

लेकिन राज्य व्यापार निगम के लाभों में हाल ही के वर्षों में निरूपरकमी होती रही है। सन् 1985-86 में निगम ने व्यापार से 103 करोड़ रु. का लाभ अर्जित किया था जो सन् 1986-87 में 62 करोड़ रु. तथा सन् 1987-88 में घोर अधिक घटकर 55 करोड़ रु. रह गया था।

लाभ में इस कमी का प्रमुख कारण आयातों की वित्त व्यवस्था हेतु बैंकों से ली जाने वाली उधार के ढाँचे में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप सरकार से ध्यान की कम वसूली होना बताया गया है। निगम का कर पूर्व लाभ सन् 1986-87 में 55 करोड़ रु. था जबकि सन् 1987-88 में यह 52 करोड़ रु. रह गया था।

4. See, The Economic Times, Jan 20, 1989.

राज्य व्यापार निगम के कुल कारोबार में प्रमुख मद आयात व्यापार रहा है। सन् 1986-87 में निगम के कुल कारोबार का 80 प्रतिशत आयात कारोबार था जबकि सन् 1987-88 में यह कारोबार बढ़कर निगम के कुल कारोबार का 83 प्रतिशत हो गया था। चूंकि निगम अधिकांश आयात सरकार के अनुरोध पर करता है अतः आयात व्यापार में वृद्धि के परिणामस्वरूप निगम के कारोबार में हुई वृद्धि का पूर्ण श्रेय निगम को नहीं दिया जा सकता।

हाल ही के वर्षों में निगम के आयात व्यापार में वृद्धि का कारण खाद्य तेल, न्यूज प्रिंट, प्राकृतिक रबर, फेटी एसिड्स (fatty acids) तथा केमिक्ल्स के आयातों में भारी वृद्धि रहा है। इन मदों के आयात निगम के दायरे में आते हैं। सन् 1987-88 में व्यापार निगम द्वारा किये जाने वाले आयातों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद खाद्य तेलों के आयात रहे हैं। सन् 1987-88 में निगम ने 19.66 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया था जबकि 1986-87 में ये आयात 13.07 लाख टन ही थे। खाद्य तेलों के आयातों में इस अप्रत्याशित वृद्धि का प्रमुख कारण इनके घरेलू उत्पादन में कमी थी। अतः सन् 1987-88 में राज्य व्यापार निगम द्वारा खाद्य तेलों का विक्रय 18.68 लाख टन था जिसका मूल्य 2,223 करोड़ रु. था। इसके विपरीत सन् 1986-87 में निगम ने 1381 करोड़ रु. मूल्य के 13.17 लाख टन खाद्य तेलों का ही विक्रय किया था।

निर्यातों के क्षेत्र में भी प्रमुख योगदान सरकारी दायरे (canalised) के निर्यातों का ही रहा था। सरकारी दायरे के निर्यात सन् 1986-87 में 148 करोड़ रु. से बढ़कर सन् 1987-88 में 174 करोड़ रु. हो चुके थे। इस प्रकार इन निर्यातों में वार्षिक वृद्धि की दर 18 प्रतिशत रही है।

इसके विपरीत गैर-सरकारी ((non-canalsed) निर्यात सन् 1986-87 के 394 करोड़ रु. के स्तर से बढ़कर 1987-88 में 407 करोड़ रु. हो चुके थे जोकि 10.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि थी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किये गये निर्यातों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि इसके निर्यातों में निरन्तर कमी होती रही है। सन् 1983-84 में निगम के निर्यात 796 करोड़ रु. के मूल्य के थे जो कि अब तक का सर्वाधिक मूल्य था। ये निर्यात सन् 1984-85 में घटकर 720 करोड़ रु. तथा सन् 1986-87 में 542 करोड़ रु. रह गये थे। लेकिन सन् 1987-88 में निगम के निर्यातों में मामूली

अतः स्पष्ट है कि राज्य व्यापार निगम को कुछ चुने हुए निर्यात मदों पर ध्यान केन्द्रित करके कारगर निर्यात रणनीति तैयार करनी चाहिए।

इसके प्रतिरिक्त व्यापार निगम ने चपड़ा (shellac), कॉफी, मसालों, तम्बाकू आदि के क्षेत्र में कीमत समर्पन कार्यक्रम भी अपनाये हैं तथा हाल ही में जूट से तैयार माल व अन्य ऐसे दुःसाध्य मदों के निर्यात में प्रवेश किया है जो सरकारी दायरे से बाहर हैं।

राज्य व्यापार निगम की सीमाएँ

(Limitations of the STC)

राज्य व्यापार निगम की महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भी इसके कार्यक्रमों में अनेक कमियाँ रही हैं। इन कमियों में से प्रमुख अप्रतिष्ठित हैं :—

- (1) निजी क्षेत्र व व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों का मन है कि व्यापार निगम ने दुःसाध्य क्षेत्रों (difficult areas) में प्रवेश करने की बजाय ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश किया है जिनमें भेदन अपेक्षाकृत आसान था।
- (2) निगम की नीतियों की इस आधार पर भी आलोचना की गई है कि इसके प्रचालन में विपणन से सम्बद्ध अनुभवहीनता स्पष्ट परिलक्षित होती है।
- (3) निगम ने सीमेंट, उर्वरक आदि के आन्तरिक वितरण व व्यापार चेनल्स का प्रकुशलतापूर्ण ढंग से संचालन किया है।
- (4) निगम की आलोचना का एक यह भी आधार रहा है कि यह नकद की अथवा विक्रय-अयोग्य माल की अत्यधिक सम्पत्ति-सूची (inventories) एकत्रित करता रहा है।
- (5) निगम विदेशों में उपलब्ध बाजारों के प्रति सजग नहीं रहा है अतः समय-समय पर भारत की निर्यात वस्तुओं के लिए नये बाजारों के प्रवक्तों का पूर्ण लाभ नहीं उठाया गया है।
- (6) निगम की कुछ क्षेत्रों में उत्साही विक्रय कला के अभाव व अपर्याप्त विशेषज्ञता (expertise) के आधार पर भी आलोचना की गई है।

लेकिन उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि राज्य व्यापार निगम ने द्वि-पक्षीय व्यापार वाले राष्ट्रों के साथ व्यापार में तथा कुल

व्यापार के सम्बन्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ तक नये बाजारों का प्रश्न है निगम ने इन्सटेन्ट कॉफी, पेकेज्ड चाय आदि वस्तुओं को यूरोप के बाजारों में, चपटे को चीन के बाजारों तथा ग्रामोफोन रिकार्डों को रूस के बाजारों में प्रचलित किया है। इसके प्रतिरिक्त निगम छोटे उद्योगों को वित्तीय विपणन व तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा उनके उत्पादों के विदेशों में विक्रय की व्यवस्था भी करता है। अतः स्पष्ट है कि राज्य व्यापार निगम राष्ट्र के विदेशी व्यापार के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

राष्ट्र के विदेशी व्यापार में सावजनिक क्षेत्र में कार्यरत ग्र-य एजेन्सीज में से, सन् 1963 में स्थापित खनिज व धातु व्यापार निगम (Minerals and Metal Trading Corporation) खनिज व धातुओं के आयात-निर्यात के कार्य में सलग्न है, सन् 1962 में स्थापित हस्तकला व हाथकर्म निर्यात निगम (Handicrafts and Handlooms Export Corporation) हस्तकला, हाथकर्म सामान, स्वर्ण-सामान, ऊन के सामान, गलीचो आदि के निर्यात करता है तथा 1970 में स्थापित भारतीय काजू निगम (Cashew Corporation of India) काजू के निर्यात सम्बन्धन में कार्यरत है। सन् 1971 में स्थापित परियोजना एवं साज-सज्जा निगम (Projects and Equipments Corporation) पूंजीगत साज-सज्जा के सामान के निर्यातों को बढ़ावा देता है 1971 में ही स्थापित चाय व्यापार निगम (Tea Trading Corporation) योगित मूल्य वाली चाय, पेकेज्ड व बैग्ड (bagged) चाय के निर्यात को बढ़ावा देता है तथा सन् 1972 में स्थापित मिश्रक व्यापार निगम (Misc Trading Corporation) मिश्रक के आयातों का संचालन करने हेतु कार्यरत है।

इसके साथ ही हम विदेशी व्यापार में राज्य की भूमिका के विश्लेषण को समाप्त करते हैं तथा इस अध्याय के अन्तिम भाग में भारतवर्ष में विनिमय नियन्त्रण की संक्षिप्त चर्चा के साथ पुस्तक के समापन की ओर अग्रसर होते हैं।

भारत में विनिमय नियन्त्रण

(Exchange Controls in India)

भारतवर्ष में द्वितीय विश्वयुद्ध काल में सीमित विदेशी विनिमय की सुरक्षा हेतु 3 सितम्बर, सन् 1939 को सर्वप्रथम विनिमय नियन्त्रण लागू किये गये थे।

युद्ध समाप्ति के पश्चात् इन नियन्त्रणों को सन् 1947 के 'विदेशी विनिमय

नियमन अधिनियम' (Foreign Exchange Regulation Act) के तहत स्थायी कर दिया गया। तत्पश्चात् सन् 1973 में नया विदेशी विनियम अधिनियम (FERA) लागू करके भारतीय रिजर्व बैंक को विस्तृत शक्ति व क्रिया-व्ययन का अधिकार प्रदान किया गया।

भारत वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक को विनियम नियन्त्रण के प्रशासन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। राष्ट्र की समस्त विदेशी प्रामियों व भुगतानों हेतु रिजर्व बैंक की सामान्य श्रवणा विशिष्ट अनुमति आवश्यक है।

विनियम नियन्त्रण के प्रशासन का कार्य रिजर्व बैंक ने 'विनियम नियन्त्रण विभाग' (Exchange Control Department) नामक एक पृथक विभाग को सौंप रखा है। इस विभाग का मुख्यालय बम्बई में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बंगलोर, बम्बई कानकता, पानपुर, मद्रास व नई दिल्ली में स्थित हैं।

'फेरा' (Foreign Exchange Regulation Act) के तहत केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक को विभिन्न बैंकों को विदेशी विनियम के लेन-देन हेतु लाइसेंस प्रदान करने का निर्देश दे रखा है। इन बैंकों को विदेशी विनियम के अधिष्ठित व्यापारी (Authorised dealers) के नाम से जाना जाता है। इन ADs के अनावा रिजर्व बैंक ने कुछ अन्य स्थापित फर्मों को भी विदेशी चलन व सिक्कों (Currencies and Coins) के सोदे करने हेतु लाइसेंस प्रदान कर रचे है। इन फर्मों को अधिष्ठित 'मनी चेंजर्स' (Money Changers) के नाम से जाना जाता है।

विनियम, नियन्त्रण के अधीन आने वाले सोदे

(Transactions Subject to Exchange Control)

रिजर्व बैंक व भारत सरकार सामान्यतया उन सीधों का विनियम नियन्त्रण के अधीन नियमन करती है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निहित हो। भारतवर्ष में अधिस्थित से सम्बद्ध सोदे विनियम नियन्त्रण के अधीन आते हैं —

- (1) विदेशी विनियम का प्रय-विनय व हमम किये अ-य सोदे तथा हमारे नागरिकों द्वारा विदेशी केन्द्रों में रम गय शेष (balances),
- (2) चलन के आयात-निर्यात चेक, ट्रायप्ट, यात्री चेक एवं अन्य वित्तीय प्रपत्र (Financial instruments), प्रतिभूतियाँ, जेवर आदि,

- (3) निर्यातों से प्राप्त आय (Proceeds) की प्राप्ति की प्रक्रिया;
- (4) भावासियों व गैर-भावासियों के मध्य प्रतिभूतियों का हस्तांतरण तथा विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण करना व इन्हें रखना,
- (5) गैर-भावासियों को अथवा उनके भारतीय खानों में किये जाने वाले भुगतान;
- (6) विदेशी भ्रमण आदि से सम्बद्ध यात्रा चाहे उसके लिए विदेशी विनिमय की आवश्यकता हो अथवा नहीं;
- (7) विदेशियों द्वारा भारत में रोजगार प्राप्त करना;
- (8) विदेशी नागरिकों अथवा कम्पनियों द्वारा भारत में अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, इसे रखना व इसका विक्रय करना;
- (9) विदेशी फर्मों कम्पनियों व नागरिकों द्वारा भारत में व्यापारिक, वाणिज्य व औद्योगिक क्रियाएँ तथा इनके द्वारा भारतीय कम्पनियों के अक्ष रखना तथा व्यापारिक कारोबार का अधिग्रहण करना,
- (10) भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण करना, इसे रखना व इसका विक्रय करना, आदि ।

विनिमय नियंत्रण सम्बन्धी नियमों में होने वाले परिवर्तनों को समय-समय पर भारत सरकार के 'गजट' (Gazette) में प्रकाशित किया जाता है तथा, विज्ञप्तियाँ जारी की जाती हैं ।

भारत में विनिमय नियन्त्रण का संचालन

(Operation of Exchange Controls in India)

भारतवर्ष में समस्त निर्यातकों को रिजर्व बैंक से एक साकेतिक सख्या (code number) प्राप्त करनी होती है । इस साकेतिक सख्या को रिजर्व बैंक व अन्य बैंकों के साथ भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में अंकित करना परता है ।

भारत में प्रेषित मुद्राओं (inward remittances) के लिए स्वतंत्र अनुमति दी जाती है । ऐसे प्रेषण के लिए रिजर्व बैंक को मात्र सूचना देना पर्याप्त है ।

निर्यात आय को निर्धारित फॉर्म में घोषित करना होता है तथा इसमें निर्यातित माल का पूरा मूल्य दर्शाना होता है । निर्यात सीदे का अधिदृत व्यापारियों (ADS)

के माध्यम से होना आवश्यक है। निर्यात प्राय की प्राप्ति अनुमति प्राप्त मुद्राओं तथा निर्धारित फॉर्म के माध्यम से होनी आवश्यक है। इन मुद्राओं की सूची 'विनिमय नियन्त्रण मेम्युअल' में दी हुई होती है। निर्यात प्राय की प्राप्ति सामान्य-तया छ माह के अन्दर-अन्दर हो जानी चाहिए। व्यापार बढ़ा व एजेन्सी कमीशन सामान्यतया माल के मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

निर्यातों से सम्बद्ध नियन्त्रणों का प्रमुख उद्देश्य निर्यात प्राय को आयात-कर्ता राष्ट्र की मुद्रा अथवा अन्य परिवर्तनीय मुद्रा में बचाओ व पूरुंताया स्वदेश में प्राप्त करना है। इस तरह की प्राय की प्राप्ति व भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया इस प्रकार है :—

- (1) बाह्य समूह के राष्ट्र (External Group Countries) — इस समूह में 'बी' समूह अर्थात् द्वि-पक्षीय समूह के राष्ट्रों के सिवाय सभी राष्ट्र सम्मिलित हैं। इस समूह के राष्ट्रों को किये गये निर्यातों का भुगतान आयातकर्ता राष्ट्र की मुद्रा अथवा इस समूह के किसी अन्य राष्ट्र की मुद्रा में होना आवश्यक है। इसी प्रकार इन राष्ट्रों से भारत के आयातों का भुगतान रूपों में अथवा इस समूह के किसी भी अन्य राष्ट्र की मुद्रा में किया जाता है।
- (2) द्वि-पक्षीय समूह के राष्ट्र (Bilateral Group Countries) — इस समूह में चकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैण्ड, रूमानिया व सोवियत रूस शामिल हैं। इन राष्ट्रों को समस्त भुगतान व इनसे समस्त प्राप्तियाँ गैर-परिवर्तनीय रूपों में तथा इन राष्ट्रों से हुए समझौतों के अनुरूप होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की विदेशी विनिमय की प्राप्तियाँ अधिकृत व्यापारियों (Ads) के माध्यम में ही हो सकती हैं।

भारतवर्ष के नागरिकों को 'लेटर ऑफ क्रेडिट' (Letter of Credit) चालू करने अथवा विदेशों को आयातों का भुगतान प्रेषण करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते ऐसे आयात, आयात लाइसेंस के तहत किये गये हों अथवा खुले सामान्य लाइसेंस (OGL) की श्रेणी में आते हों। यदि वस्तुएं विलम्बित भुगतान की शर्तों के अन्तर्गत आयात की गई हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने हेतु अथवा बैंक गारंटी लेने हेतु रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक है। आयातों के अग्रिम भुगतान हेतु भी रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक है। भारतवर्ष में इजिप्तीयरी सामान व पूंजोगत माल के आयात हेतु अग्रिम भुगतान की अनुमति दी जाती है।

विदेशों में भ्रमण, शिक्षा, बीमारी के उपचार आदि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विदेशी विनिमय उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि भिन्न राष्ट्रों व भिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न होती है। इन भूगतानों से सम्बद्ध प्रतिबंधों को समय-समय पर अधिकृत व्यापारियों (ADs) को सूचित किया जाता रहता है। हाल ही के वर्षों में विदेशी विनिमय के पर्याप्त भण्डार एकत्रित होने के साथ ही सरकार इन उद्देश्यों हेतु विदेशी विनिमय उपलब्ध कराने में काफी उदार रही है।

विनिमय नियन्त्रण के नियमों में अधिकृत व्यापारियों (ADs) के प्रामाणिक विदेशी व्यापार के सीदों के लिए आहूतों के साथ अग्रिम (forward) क्रय-विक्रय की भी अनुमति दी जाती है।

ये अधिकृत व्यापारी (ADs) ऐसे अग्रिम सीदों का आवरण (cover) भारत अथवा विदेशों में अथवा रिजर्व बैंक के साथ 'इन्टर बैंक' (Inter-bank) बाजार में कर सकते हैं।

अधिकृत व्यापारियों (ADs) द्वारा यदि किसी अनुबंध को छ माह की अवधि से आगे बढ़ाना हो तो रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। अग्रिम अनुबंध को निरस्त करने (Cancellation) हेतु भी रिजर्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक है।

रिजर्व बैंक ने अग्रिम अनुबंध सुविधा की विस्तार सीमा बढ़ाने हेतु दिसम्बर 1985 में कई परिवर्तन लागू किये गये हैं। अतः वर्तमान में विदेशों में परियोजनाओं, अनुबंधों, कमीशन चार्ज, परामर्श शुल्क, क्रोस केरेंसी आयात आदि के लिए अग्रिम अनुबंध की सुविधा उपलब्ध है। रिजर्व बैंक अमेरिकी डालर, ड्यूसमार्क, पीण्ड व येन में किये गये अग्रिम आवरण के लिए बैंकों को काउन्टर आवरण (counter cover) की सुविधा भी प्रदान करती है।

जहाँ तक प्रतिभूतियों के सीदों का प्रश्न है भारतीय अथवा विदेशी प्रतिभूतियों के आयातों पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन प्रतिभूतियों के निर्यात निषिद्ध हैं। ऐसे निर्यात रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से ही किये जा सकते हैं। इसी प्रकार गैर-आवासियों को प्रतिभूतियों का हस्तांतरण करने हेतु रिजर्व बैंक तथा औद्योगिक विकास मन्त्रालय के विदेशी निवेश बोर्ड की सामान्य व विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। भारतीय नागरिकों को विदेशी प्रतिभूतियाँ रखने हेतु अथवा भारतीय

प्रतिभूतियों के निर्माण अथवा इन्हें राष्ट्र से बाहर भेजने हेतु पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है।

जहाँ तक विदेशी मुद्रा के खानों का प्रश्न है रिजर्व बैंक ने ऐसे निवासियों (residents) को विदेशी मुद्राओं के खाते चालू रखने की सामान्य अनुमति दे रखी है जिनका निवास स्थान (domicile) भारत नहीं है। ऐसे निवासियों के सन् 1947 से पूर्व में विद्यमान खातों को चालू रखा गया है लेकिन इन खानों में नई जमा हेतु रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होती है। भारतीय निवासियों की सामान्य-तया विदेशी व विदेशी मुद्रा के खाते खोलना व चालू रखने का अनुमति नहीं दी जाती है। केवल समुक्त सहयोग (joint collaboration) अथवा तकनीकी सहयोग के समझौते से सम्बद्ध ऐसे खानों को खोलने व चालू रखने की अनुमति दी जाती है। ऐसे भारतीय जो विदेशों में निवास करते हैं उन्हें स्थायी रूप से भारत लौटने समय अपने विदेशी मुद्रा के खाते बन्द करने पड़ते हैं।

सन् 1973 के 'केरा' में गैर-निवासी उम व्यक्ति को माना गया है जो पूरे वर्ष अथवा वर्ष की अधिकांश अवधि में भारत से बाहर निवास करता है। भारतवर्ष में गैर-निवासियों के दो प्रकार के खाते हैं प्रथम, निजी गैर-निवासी खाते हैं जिनमें व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों व संस्थानों के खाते माने हैं। द्वितीय प्रकार के खाते गैर-निवासी बैंकों के खाते हैं जिनमें भारतीय बैंकों को विदेशों में शाखाओं तथा विदेशी कम्पनियों के भारत में खोलने वाले खानों को शामिल किया जाता है। ऐसे बैंकों व कम्पनियों के सहायताओं, उनकी शाखाओं व एजन्टों के भारतीय शहरों के खातों को अधिकृत व्यापारियों (ADs) द्वारा रिजर्व बैंक की सलाह पर खोला जा सकता है। ऐसे खानों से सम्बद्ध जमा व नामे की राशि की सूचना रिजर्व बैंक को देनी आवश्यक होती है।

हाल ही के वर्षों में राष्ट्र में विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने गैर-निवासी भारतीयों को उपलब्ध सुविधाओं को काफी उदार बना दिया है।

वर्तमान में गैर-निवासी भारतीयों को हमारे राष्ट्र में अगो, दिव-चरो एवं यू०टी०आई० की इकाईयों में देश-प्रत्यावर्तन (repatriation) व बिना देश-प्रत्यावर्तन (non-repatriation) दोनों ही आधारों पर विनियोग करने की छूट है। कई कम्पनियों के नये निगमनों में गैर-निवासी भारतीयों द्वारा 40 प्रतिशत तक विनियोग का प्रावधान है जबकि कुछ प्राथमिकता वाले उद्योगों के निगमन में गैर-निवासी

भारतीयों के लिए 74 प्रतिशत तक विनियोग का प्रावधान है। इस उदार नीति के परिणामस्वरूप भारत में गैर-भावासियों के छातो से प्रेषण व निवेश के रूप में मुद्रा का भारी प्रवाह हुआ है।

अतः स्पष्ट है कि भारत में विदेशी विनियम नियन्त्रणों के माध्यम से विदेशी विनियम के सौदो पर पर्याप्त नियन्त्रण रखा जाता है लेकिन राष्ट्र की विदेशी विनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन नियन्त्रणों में समय-समय पर परिवर्तन भी किये जाते रहे हैं।
